द्वादश माला, खंड 2, अंक 8

शुक्रवार, 5 जून, 1998

15 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)



(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 5 जून, 1998/15 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
पृष्ठ (ii)	1	रेल सम्बन्धी स्थगित पत्र विचार करने के बारे में प्रस्ताव	रेल सम्बन्धी स्थगित पत्र पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव
157	17	श्री चिन्ता मोहन	डा. चिन्ता मोहन
240	नीचे से 11	श्री एस.एस. ओवेशी	श्री एस.एस. ओवेसी
361	24	एल.टी.454	एल.टी. 424
389	6	मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए पी एस सक्ष	मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए पी एस सक्ष
471	10	श्री जाम नाईक	श्री राम नाईक
471	13	श्री स्वामी चिन्मयानंद	श्री चिन्मयानंद स्वामी
488	नीचे से 17	श्री शीशराम ओला (झुंझुनू)	श्री शीश राम ओला (झुंझुनू)

विषय सूची

[द्वादश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1998 /1920 (शक)]

अंक 8, शुक्रवार, 5 जून, 1998/15 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 142–144	6–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 145–161	25–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 1463–1667	64–348
सभा पटल पर रखे गए पत्र	349–370
सभा का कार्य	370–371, 384–386
श्री रामटहल चौधरी	384
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	384
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	385
श्रीमती गीता मुखर्जी	385
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	385
श्री हन्नान मोल्लाह	386
श्री बसुदेव आचार्य	386
डा. सी. पी. ठाकुर	386
श्री पुन्नू लाल मोहले	386
नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
श्री जगमोहन	371–372
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995–96	
श्री यशवंत सिन्हा	372
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
असम की स्थिति	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	396–398

*किसी सदस्य के नाम परं अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

रेल सम्बन्धी स्थिति पत्र विचार करने के बारे में प्रस्ताव 412–418, 461–514

रेल बजट, 1998–99 – सामान्य चर्चा

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1995–96

श्री हीरा लाल राय 413–418

श्री बलराम जाखड़ 461–465

श्री चिन्मयानंद स्वामी 465–473

श्री एम. सेल्वारासु 473–478

श्री शांतिलाल चपलोत 478–481

श्री ए. सिद्धराजू 482–

श्री वी. धनंजय कुमार 482–485

श्रीमती जयन्ती पटनायक 485–489

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 489–495

श्री था. चौबा सिंह 496–499

श्रीमती रीना चौधरी 499–501

श्री के. ए. सांगतम 501–505

श्री अनूप लाल यादव 505–509

श्री लाल बिहारी तिवारी 509–512

गैर–सरकारी सदस्य का संकल्प 418–460

राष्ट्रीय आवास नीति

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी 418–424

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे 424–427

श्री प्रभुनाथ सिंह 427–429

श्री आदित्यनाथ 429–432

श्री मोतीलाल वोरा 432–435

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 436–439

श्री चन्द्रशेखर साहू 439–441

श्री माणिकराव होडल्या गावीत 441–444

श्री रामानंद सिंह 444–446

श्री नकली सिंह 446–

श्री गंगा चरण राजपूत 447–449
श्रीमती ऊषा वर्मा 449–450
श्री ज्ञान सिंह 450–451
श्री विलास मुत्तेमवार 451–453
श्री छत्रपाल सिंह 454–
श्री प्रभूदयाल कठेरिया 456–458
श्रीमती रीना चौधरी 458–459
श्री अनन्त कुमार हेगड़े 459–460

लोक सभा

शुक्रवार, 5 जून, 1998/15 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को तेजा सिंह दर्दी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री तेजा सिंह दर्दी वर्ष 1985–89 के दौरान पंजाब के भटिण्डा संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से आठवीं लोकसभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व, 1962–67 तथा 1977–80 के दौरान वह पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे तथा 1968–72 के दौरान हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री दर्दी एक योग्य सांसद थे और 1987–88 के दौरान वह याचिका समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री दर्दी एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने निर्धनों और दलितों के उत्थान हेतु अथक कार्य किया।

श्री तेजा सिंह दर्दी का निधन 67 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल, 1998 को नई दिल्ली में हुआ।

हम उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सदस्यगण अब दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान में थोड़ी देर के लिये मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 142, श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैंने आई. एस. आई. और डी. एम. के. के बीच सबंध होने के कारण डी. एम. के. सरकार को तुरन्त बर्खास्त किए जाने के लिए प्रश्नकाल रद्द करने के लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. शफीकुर्रहमान वर्क : स्वामी जी का वक्तव्य सही है लिहाजा इस गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाए।

[अनुवाद]

श्री आर. मुथैया : महोदय, यह देश की सुरक्षा से संबंधित है। हम यहां कोई कानून और व्यवस्था का मामला नहीं उठा रहे हैं। हम एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, वे लोग यह मामला यहां नहीं उठा सकते। यह राज्य का विषय है ...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, डी. एम. के सरकार बर्खास्त होनी चाहिए....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी, मैंने आपके नोटिस पर भी विचार किया है। यह राज्य का विषय है; आप इसे 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं। मैं आपको यह मामला 'शून्यकाल' में उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। वे लोग इसे यहां नहीं उठा सकते ...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, देश का पतन हो रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। आप इस मुद्दे को 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री आर. मुथैया, डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर वापस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। कृपया अपनी सीट पर वापस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। आप इसे 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी सीट पर जाएं। यह पूर्ण रूप से राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जायें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं। कृपया अपनी सीट पर जायें। यह ठीक नहीं है। कृपया अपनी सीट पर जायें। आप इस महत्त्वपूर्ण मामले को 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं। कृपया अपनी सीट पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जायें। यदि मामला गम्भीर है तो मैं इसे शून्यकाल में उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया अपनी सीट पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मामला इतना गम्भीर है तो मैं आपको इसे 'शून्यकाल' में उठाने की अनुमति दूंगा। प्रश्नकाल भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि यह पूरी तरह से राज्य का विषय है। कृपया अपनी सीट पर जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है न कि 'शून्यकाल'। कृपया अपनी सीट पर जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, यह ठीक नहीं है। 'शून्यकाल' भी एक महत्त्वपूर्ण समय है। आप अपना मामला उठा चुके हैं, और मैं आपकी भावनाओं को भी समझता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 142 श्री गिरधारी लाल भार्गव।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सीट पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं। कृपया समझिए कि यह शून्यकाल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझिए कि यह प्रश्नकाल है, 'शून्यकाल' नहीं है। आपको नियमों का पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्यकाल' नहीं है। मैं आपको शून्यकाल में यह प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, कृपया अपनी सीट पर जायें। आप प्रक्रिया को जानते हैं। आप 'शून्यकाल' में इस मामले को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप अपनी सीट पर जायें। यह 'शून्यकाल' का समय नहीं है। यह प्रश्नकाल है। आप सभी लोग वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, आप कृपया अपनी सीट पर जाएं। आप इस सभा के नियमों को जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं। आप अपनी सीट पर जायें।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.15 बजे

(इस समय डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री आर. मुथैया और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 142-श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैंने श्री गिरधारी लाल भार्गव को प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आपने तमिलनाडु में पाकिस्तान की आई. एस. आई. के कार्यकलापों के संबंध में मेरी सूचना के बारे में क्या निर्णय लिया है ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 142-श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरी सूचना का क्या हुआ ? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह लॉ एंड आर्डर का मामला है, चूंकि आई. एस. आई. के बारे में इन्होंने कहा है, उस पर डिसकशन के लिए आप जैसा भी तय करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। *...(व्यवधान)* हम डिसकशन के लिए तैयार हैं। *...(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : **सरकार ने इस मामले पर जो रिपोर्ट प्राप्त की है, उसमें क्या है ? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 142–वित्त मंत्री उत्तर दें।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मेरी सूचना का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, कृपया सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं। आप बस मामले को 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं। परन्तु मैं इस समय यह मामला नहीं उठाने दूंगा। मैं आपको 'शून्यकाल' में ही उठाने दूंगा।

अब प्रश्न संख्या 142–श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। महोदय प्रश्न काल को रद्द करने के लिए मेरी सूचना के बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री उत्तर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के वक्तव्य को छोड़कर कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

पूर्वाह्न 11.19 बजे

(इस समय डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री आर. मुथैया और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

पूर्वाह्न 11.20 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम धनराशि

+

***142. श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में बजटीय आबंटन की 25 प्रतिशत धनराशि अग्रिम धनराशि के रूप में दिए जाने का प्रावधान है ताकि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन, समय तथा लागत में वृद्धि न हो;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विशेषकर राजस्थान तथा कर्नाटक को अग्रिम राशि जारी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान तथा कर्नाटक सरकारों के विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं संबंधी अनेक दावे प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) लंबित दावों की कब तक प्रतिपूर्ति किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को जारी करने के लिए सामान्य प्रक्रिया प्रतिपूर्ति के आधार पर है। तथापि, अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की निकासी राज्यों को सहायता के कारगर उपयोग में सहायता प्रदान करने के जरिए की गयी है। अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि वर्ष–दर–वर्ष बदल जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1998–99 के दौरान राजस्थान और कर्नाटक राज्यों सहित 18 राज्यों को अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 750 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) से (च) राजस्थान और कर्नाटक के सम्बन्ध में जिनके दाता द्वारा राशि संवितरित की गई है। 1.38 करोड़ रुपए और 1.14 करोड़ रुपए की राशि के दावों की प्रतिपूर्ति हेतु कार्रवाई

की जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान से 16.49 करोड़ रुपए और कर्नाटक से 22.84 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति/प्रत्यक्ष भुगतान के दावे सरकार द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इनकी मंत्रालय में अथवा दाताओं के साथ संवीक्षा की जा रही है। दाता से संवितरित की जाने वाली राशि के प्राप्त होने पर इन राज्यों के लिए निकासी हेतु राशि देय होगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने राजस्थान को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया और मुझे ऐसा आभास मंत्री जी के इस उत्तर से हुआ कि देश भर में जो 750 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी गई उसमें से मेरे राजस्थान को सिर्फ रु. 1.38 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसलिए मंत्री जी इस राशि को बढ़ाने के संबंध में गंभीरता से विचार करें क्योंकि इतनी कम राशि राजस्थान जैसे डैजर्ट, पहाड़ी और पिछड़े प्रदेश को देना अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी पहली सप्लीमेंट्री यह है कि वित्त मंत्री महोदय मुझे बताएं कि कौन-कौन सी योजनाओं को धनराशि दी गई है और किन-किन योजनाओं की धनराशि रोकी गई है? इसी में मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या अमरीका द्वारा आर्थिक सहायता पर लगाई रोक से राजस्थान को मिलने वाली धनराशि प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था राजस्थान के लिए की जाएगी ?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में यह कहा था कि विशिष्ट योजनाओं की धनराशि में जो पैसे भुगतान करने के लिए बाकी हैं वह राजस्थान के मामले में रु. 1.38 करोड़ हैं। शायद माननीय सदस्य को इससे कोई भ्रांति हुई है, यह लंबित राशि है। इस वर्ष हमने राजस्थान के लिए एडीशनल सेंट्रल असिसटेंस के रूप में जो राशि उपलब्ध कराई है वह 30 करोड़ 42 लाख रु. है जबकि इस मद में पिछले साल केवल रु. 20 करोड़ 28 लाख थे। उसकी तुलना में हमने राजस्थान को रु. 30 करोड़ 42 लाख एडवांस एडीशनल सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज की है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में ऐसी चल रही हैं जिनको बाहर के देशों से संस्थाओं से सहायता मिल रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विश्व बैंक द्वारा हमारे प्रस्तावों को स्थगित करने से अभी जो रुकावट आई है, उसका कोई असर इन भुगतानों के ऊपर नहीं पड़ा है। भुगतान की प्रक्रिया उसके चलते बिलकुल नहीं रुकी है और न ही ठहरी है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि न केवल राजस्थान बल्कि सारे राज्यों को समय-समय पर जो भी भुगतान होना चाहिए वह उनको मिले।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, मैं उससे संतुष्ट हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही एक छोटा-सा सप्लीमेंट्री प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की योजनाओं में डोनर्स के नाम मंत्री महोदय बताएं और कितनी धनराशि इन डोनर्स से प्राप्त होने की आशा है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की एक लंबी सूची मेरे पास है जिसमें कई देशों के नाम हैं। उनमें स्विटजरलैंड, जापान, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, यूरोपियन कम्युनिटी के अनेक देश हैं जो राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत योजनाओं के आधार पर उपलब्ध कराते रहे हैं। चूंकि यह एक लंबी सूची है इसलिए यदि आपकी सहमति और अनुमति हो, तो मैं इसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य सदस्य भी हैं। श्री ए. वेंकटेश नायक।

श्री ए. वेंकटेश नायक : महोदय, वर्तमान समय में पूरे देश में कई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में से बहुत सी परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हो रहा है और इन परियोजनाओं की लागत भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

महोदय, वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक सरकार को दी गई धनराशि के बारे में कुछ नहीं बताया है। 22.84 करोड़ रुपये की अदायगी कब तक की जाएगी ?

श्री यशवंत सिन्हा : जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, इस वर्ष अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य को 34.40 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। यह केवल अग्रिम है।

महोदय, हमारे पास वितरण की एक प्रणाली है। अग्रिम धनराशि को वर्ष के प्रारम्भ में दे दिया जाता है। यह धनराशि राज्यों को उनके उपायों और साधनों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सहायता मात्र है जिससे कि वे विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लागू करने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ कर सकें। तत्पश्चात् वर्ष के दौरान जैसे ही हमें बिल प्राप्त होता है, हम विभिन्न राज्य सरकारों के खातों को देखते हैं और स्वयं संतुष्ट होने के बाद हम उसे दाता अभिकरण के पास भेज देते हैं। तत्पश्चात् दाता अभिकरण उनकी जांच करता है और इस एजेंसी के संतुष्ट होने और वितरण किए जाने के बाद, राज्यों को धन बांट दिया जाता है।

महोदय, इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 महीने लगते हैं, जोकि अनावश्यक विलम्ब नहीं है। अब, 20.84 करोड़ रुपये की यह धनराशि, जैसा कि मैंने बताया है, ऐसे खाते में से है जिसे हमने कर्नाटक सरकार से प्राप्त किया है। इस पर कार्यवाही हो रही

है। इसका अध्ययन करने के बाद हम इसे दाता अभिकरण के पास भेजेंगे और दाता अभिकरण द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद यह धनराशि राज्य को वापस कर दी जाएगी। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि इससे राज्यों को कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि केन्द्रीय अग्रिम अतिरिक्त सहायता इस समस्या का ध्यान रखती है।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा प्रदेश है और उसके खुद के संसाधन बहुत कम हैं चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, उनमें वह काफी पिछड़ा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को एडवांस फंड्स फॉर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में कितना धन दिया गया है। हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स आर पैंडिंग। उनका बाकी पैसा कब तक दे दिया जायेगा जिससे कि इन प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवर–रन न हो और ये प्रोजेक्ट्स चाहे वे पावर क्षेत्र में हैं या जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, जल्दी से जल्दी शुरू हो सकें।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश को 120 करोड़ 35 लाख रुपये एडवांस एडीशनल सैंट्रल असिस्टेंस, इस साल के शुरू में उपलब्ध कराई गई है। जहां तक उत्तर प्रदेश की योजनाओं का सवाल है तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी जैसा कि दूसरे राज्यों में अनेक देशों और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो राशि स्वीकृत योजनाओं के आधार पर उपलब्ध कराई गई है, उसकी एक लम्बी फेहरिस्त मेरे पास है। जैसे–जैसे उन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति होती है, उसी के अनुसार हम उत्तर प्रदेश को भी धनराशि उपलब्ध कराते हैं। उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थॉमस : महोदय, यह एक सच्चाई है कि केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय अग्रिम अतिरिक्त सहायता, जिसके बारे में अभी बताया गया है, राज्य सरकारों को बहुत देरी से पहुंचती है। हमें बताया गया है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए केरल सरकार को केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय अग्रिम सहायता और केन्द्रीय अतिरिक्त अग्रिम सहायता की आशा है। हमें यह भी बताया गया है कि इस मामले में काफी विलम्ब हुआ है और इस विलम्ब के कारण कई योजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस आप कृपया मुख्य प्रश्न पूछिए। हमारे पास पहले से ही समय का अभाव है।

श्री पी. सी. थॉमस : महोदय, यही मेरा मुख्य प्रश्न है। एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जिसे युक्तुपुजा घाटी सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना का कार्य लम्बे समय से रुका हुआ है क्योंकि केन्द्रीय सहायता और अग्रिम सहायता समय से नहीं पहुंच पाई हैं। क्या मंत्री जी इस मामले में मुख्य–मुख्य बातों को बतायेंगे जिससे कि केरल सरकार और केरल की जनता केन्द्रीय सहायता समय से प्राप्त करने से वंचित न हो सकें।

श्री यशवंत सिन्हा : मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य के विचार दुर्भाग्य से सत्य नहीं हैं। इस वर्ष हमने कुल धनराशि का 15% केन्द्रीय अग्रिम अतिरिक्त सहायता के रूप में जारी किया है। यह धनराशि 13 मई, 1998 को जारी की गई थी। अतः केन्द्रीय सहायता देने में हमारी तरफ से बिल्कुल भी विलम्ब नहीं हुआ है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि माननीय सदस्य इस सभा में मेरे द्वारा दिए गए बजट भाषण का स्मरण करें जब मैंने कहा था कि मैं 1000 करोड़ ,रुपये की धनराशि राज्य सरकारों को केवल उनके बकाया बिलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध करा रहा हूं। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों की बकाया की तुलना में, 1996–97 में 1105 करोड़ रुपये बकाया था, 1997–98 में 1204 करोड़ रुपये बकाया था और सौभाग्य से 1998–99 के चालू वर्ष में 315 करोड़ रुपये बकाया है। ऐसा इस सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह विशेष प्रावधान बनाकर शीघ्र कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप हुआ है कि राज्यों के बिलों का निपटान किया जाय और लम्बित बिलों की धनराशि कम करके इस स्तर तक लायी जाये। पिछले कुछ वर्षों में यह अभूतपूर्व कार्य हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक केरल का संबंध है, 13 मई को केन्द्रीय अग्रिम अतिरिक्त सहायता के रूप में इस वर्ष जो धनराशि दी गई है वह 22.45 करोड़ रुपये है। अतः इन तथ्यों के प्रकाश में, मैं नहीं समझता कि वहां कोई विशेष समस्या है। यदि केरल को किसी अन्य परियोजना अथवा किसी विशेष परियोजना के संबंध में कोई विशेष समस्या है तो माननीय सदस्य को मेरे पास आने और उस पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि वर्ष 1998–99 के दौरान राजस्थान और कर्नाटक सहित 18 राज्यों को अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 750 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है और यदि है तो उसे कितनी राशि दी गई है ?

श्री यशवंत सिन्हा : इन 18 राज्यों में महाराष्ट्र भी शामिल है और महाराष्ट्र को 104 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि दी गई है।

[अनुवाद]

निर्यात निष्पादन

+

***143. श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान निर्यात निष्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई नई पहल की है और कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में निर्यात निष्पादन कितना था तथा इस सम्बन्ध में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष के लिए मदवार आंकड़ों सहित संशोधित निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) व्यापार नीति की मानीटरिंग और समीक्षा करना एक लगातार प्रक्रिया है। इस सरकार ने 1998–99 के दौरान निर्यात निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत पहल की हैं। नई एक्जिम नीति में शुरू किए गए परिवर्तनों से भारत के विदेशी व्यापार के क्षेत्र में और भी उदारीकरण किया गया है। वर्तमान निर्यात संवर्द्धन योजनाओं को सुदृढ़ किया गया है जबकि निर्यात की वृद्धि को गति देने हेतु नई रणनीतियां बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय बाधाओं से तेजी से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाता है और क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों पर जोरदार ढंग से ध्यान दिया जा रहा है। लघु क्षेत्र के अनुरोध पर, निर्यात संवर्धन वस्तु योजना के अंतर्गत प्रारम्भ सीमा को कम करके 1 करोड़ रु. कर दिया गया है। निर्यातकों, विशेषकर लघु क्षेत्र की इकाइयों और विदेश में डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे बड़े विदेशी क्रेताओं द्वारा भारत से अधिक मात्रा में (बल्क) आयात के लिए निर्यातकों को आयातित कच्चे माल की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी बाण्डेड भंडारगृहों की स्थापना करने की अनुमति दी गई है। इन प्रयासों के द्वारा सरकार आपसी विश्वास पर आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है।

वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 2002 तक 90 बिलियन अमरीकन डालर का निर्यात लक्ष्य और विश्व निर्यात में 1% हिस्सा प्राप्त करने के लिए अंचल–वार और क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल करने वाली मध्यम अवधि की रणीनीति तैयार की है। क्षेत्रीय रणनीति में क्षेत्र–विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई है और इन क्षेत्रों में व्यापार में सुधार करने के उपाय सुझाए गए हैं। क्षेत्रीय रणनीति में आफ्रीका, लैटिन अमरीका और सी. आई. एस. देशों के उभरते हुए बाजारों पर विशेष ध्यान देने के लिए सुझाव दिया गया है।

(ग) वर्ष 1997–98 के लिए निश्चित किए गए 18% के लक्ष्य वृद्धि दर की तुलना में प्राप्त की गई वृद्धि दर यू. एस. डालर के रूप में 2.64% थी। वृहद् स्तर पर निर्यात की धीमी वृद्धि में योगदान करने वाले कारणों में ये शामिल हैं : विश्व–व्यापार में धीमी वृद्धि (मूल्य के रूप में विश्व व्यापार में वर्ष 1997 में 3% की वृद्धि हुई); दक्षिण पूर्व एशिया की मुद्रा का संकट जिसने इस क्षेत्र में भारत के निर्यात तथा सामान्य हित की मदों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित किया; निर्यात ऋण की उच्च लागत; धीमी औद्योगिक वृद्धि के कारण आपूर्ति की बाधाएं और अवस्थापनात्मक अपर्याप्तताएं।

क्षेत्रीय रूप से भारत के निर्यात में ज्यादा वजन वाले वस्तु समूहों के निर्यात निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारणों में ये शामिल हैं: रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए आयातक देशों की मांग में धीमी वृद्धि, यूरोपीय समुदाय द्वारा समुद्री उत्पाद के क्षेत्र में लगाया गया अल्प अवधि का प्रतिबंध, चमड़ा क्षेत्र पर लगाए गए कठोर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चर्मशोधन शालाओं का बन्द होना, पाटन रोधी शुल्क और रसायन एवं सम्बद्ध उत्पादों के लिए संयंत्र निरीक्षण के रूप में व्यापार बाधाएं, वस्त्र क्षेत्र द्वारा आयातक देशों में चल रही मांग की मन्दी तथा कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में झेली जा रही आपूर्ति बाधाएं;

(घ) चालू वर्ष के लिए निश्चित किया गया संशोधित लक्ष्य पिछले वर्ष के निष्पादन से 20% ज्यादा है। मूल्य के रूप में 41 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। व्यापार संवर्धन संगठनों तथा व्यापारिक समुदाय के साथ विचार–विमर्श करके मद–वार ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर आया है, वह एक रूटीन जवाब है। हेगड़े जी हमारे व्यापार मंत्री हैं और उम्मीद थी कि एक अच्छा, सुलझा हुआ जवाब आता। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में भारत में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है और उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश के साथ जो संबंधों की चर्चा हो रही है।

उसके मद्देनजर आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट प्रमोशन के मामले में जो बाधाएं आने वाली हैं, उसका इस उत्तर में कहीं भी जिक्र नहीं है। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा बढ़ता है तो यह हमारी आत्मनिर्भरता की भी निशानी है। हमेशा हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज्यादा होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से इस मामले में पूछना चाहूंगा कि कहीं भी उन्होंने न्यूक्लियर

एक्सप्लोज़न की वजह से जो नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उनका जिक्र नहीं किया है। क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हमारी व्यापार नीति में और हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मान्यवर सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब यह है। इनके प्रश्न में न्यूक्लियर डिवाइज एक्सप्लोज़न के बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इसलिए जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, उसका जवाब मैंने दिया है। अब जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, उसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगा। कुछ देशों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद एक धमकी दी है कि हम इकोनोमिक सैंक्शन लगाएंगे, वह अब तक सिर्फ धमकी है। किसी देश ने अब तक हमारे देश के खिलाफ कोई इकोनोमिक सैंक्शन नहीं लगाए हैं, अमेरिका को शामिल करके। अमेरिका ने बहुत कोशिश की, इंग्लैंड के ऊपर प्रभाव डाला, और देशों के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश की कि वे उनके साथ इकोनोमिक सैंक्शन देने का समर्थन करें, लेकिन किसी दूसरे देश ने एग्री नहीं किया। इसलिए उसके बारे में इतनी बड़ी चिन्ता हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम तय करेंगे, कोई अगर सैंक्शन आया तो उसका सामना करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, 2002 तक विश्व निर्यात का एक प्रतिशत यानि 90 बिलियन डालर का लक्ष्य हमारे मंत्रालय की तरफ से एक्सपोर्ट के लिए रखा गया है, लेकिन अब तक की जो परफोर्मेंस है, उसके मद्देनजर हम यह किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी किसी ठोस नीति का प्रावधान इस उत्तर में नहीं है। जैसा पिछली बार 20 प्रतिशत निर्यात का लक्ष्य था, परन्तु हम उसका केवल 2.6 प्रतिशत ही पा सके हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जिस तरह का वातावरण निर्माण करना चाहिए, उस वातावरण का अभाव है, ऐसा हमें लगता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके अन्दर ऐसे कई मदों पर इतनी एक्साइज़ लगा दी है, जिससे रॉ–मैटीरियल महंगा होने वाला है और रॉ–मैटीरियल महंगा होने की वजह से जो हमारा माल एक्सपोर्ट होता है, वह इण्टरनेशनल मार्केट में ...*(व्यवधान)*

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इस ओर उन्होंने ध्यान दिया है। दूसरा सवाल है कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे यहां के प्रोडक्ट्स को लेकर जो हमारे यहां की सामाजिक परिस्थितियां हैं, जैसे बाल मजदूरों का काम करना, चमड़ा उद्योग में जो लोग लगे हैं, उसको लेकर प्रदूषण की बात करना, इस तरह के जो अड़ंगे लगाये जाते हैं, उनका वहां मुकाबला करने के लिए इण्टरनेशनली कोई भी सैक्रेट्रियल असिस्टेंस नहीं है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, वही पूछ रहा हूं। हमारी तरफ से कोई सैक्रेट्रियल असिस्टेंस कामर्स मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं दी गई है, इण्टरनेशनल क्षेत्र में हमारा कोई वकील नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस दिशा में उनका क्या ख्याल है और इस तरह का वातावरण बनाने में उनके मंत्रालय की तरफ से क्या वित्त मंत्रालय के साथ कोई कोशिश हो रही है ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : यह सच है कि पिछले दो सालों में हमारे एक्सपोर्ट की ग्रोथ बहुत गिर गई थी। जो हमारा लक्ष्य था, उसके मुकाबले में हमारी पर्फारमेंस बहुत कम रही है। उसके कई कारण हैं। अगर माननीय सदस्य तफसील से जानना चाहें तो मैं बता देता हूं, अथवा मैं टेबल पर रखता हूं। वातावरण बनाने के लिए माननीय सदस्य ने कहा, वातावरण अपने आप नहीं बनता। उसके लिए जो–जो कदम सरकार को उठाने चाहिए, वे सारे कदम हमने उठाने की कोशिश की है। मैंने एक स्टेटमेंट नई एक्जिम पालिसी का ऐलान करते हुए दिया था, आप उसको पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वातावरण बनाने के लिए हमने क्या–क्या कदम उठाए हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ न कुछ एक्सक्यूज या झूठे बहाने करके, जैसे कि बाल मजदूरों की बात है, वातावरण प्रदूषित करने की बात है, जहां–जहां उनके ऐसे एतराज हैं, उनका हमने विरोध किया है। उसमें एक प्रोसेस है, उसका एक डिस्प्यूट पैनल है, जिसमें हमने इसे उठाया है यह बात सच नहीं है कि हमारा कोई वकील नहीं है। एक बहुत मशहूर वकील को हमने वहां भेजा है और वे फिर वहां जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस बार जो हमारा 20 प्रतिशत निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में हम जरूर कामयाब होंगे।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी थोड़े समय पहले उल्लेख कर रहे थे, वर्ष 1997–98 में 18% के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई असफलता के बहुत से कारण हैं। असफलता के बावजूद, सरकार ने इस वर्ष निर्यात का लक्ष्य 20% निर्धारित किया है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कोई दीर्घावधि निर्यात नीति बनाने पर विचार कर रही है ताकि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उत्पाद विशेष का पता लगाने का प्रयास किया गया है। जहां तक कृषि उत्पादों का संबंध है, लक्ष्य प्राप्त न करने के उल्लिखित कारणों में से एक कारण आपूर्ति संबंधी बाधा भी है, और जहां तक समुद्रीय उत्पादों के निर्यात का संबंध है, उसके उल्लिखित कारणों में यूरोपीय संगठन समुदाय द्वारा लगाया गया लघु अवधि का प्रतिबन्ध है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जाने पर विचार कर

रही है ? क्या सरकार नई निर्यात प्रोत्साहन जोन के विकास के लिए उचित कदम उठाने के बारे में सोच रही है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास नये मंगलौर बन्दरगाह को स्वतंत्र बंदरगाह के रूप में विकसित करने की कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार, आपका प्रश्न निर्यात निष्पादन से संबंधित है। कृपया अपने मुद्दे पर आयें।

श्री वी. धनंजय कुमार : मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इससे सरकार निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंगलौर बन्दरगाह को स्वतंत्र बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव है।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : महोदय, माननीय सदस्य ने एक ही अनुपूरक प्रश्न में कई अनुपूरक प्रश्न पूछ लिए हैं।

यह सही है कि गत वर्ष खराब निष्पादन के बावजूद, चालू वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वह बहुत महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह लक्ष्य प्राप्त करना कुछ उपायों के कारण जिसको हमने निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में उठाया है संभव होगा।

दूसरे, माननीय सदस्य ने स्वतंत्र बन्दरगाह के बारे में पूछा है। स्वतंत्र बन्दरगाह विकसित करना एक विकट समस्या है। हमारे पास ऐसा कोई बन्दरगाह नहीं है जो कि स्वतंत्र बन्दरगाह हो। इसके लिए विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस समय जो भी बन्दरगाह हैं, यद्यपि वे अन्य मामलों में विकसित हैं, फिर भी उनको स्वतंत्र बन्दरगाह नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन बन्दरगाहों पर शहरों और कस्बों के बीच से पहुंचा जा सकता है।

तीसरा, जहां तक मंगलौर बन्दरगाह के विकास का प्रश्न है, यह मामला दूसरे मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रथम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने कहा है कि पोखरन विस्फोट के परिणामस्वरूप कोई भी आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा है। मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत साहसी वक्तव्य है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण है कि कोई भी आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं लगा है। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं; शायद वे कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे। मैं सोचता हूं कि वाणिज्य मंत्री जी का शायद यह तात्पर्य है कि कोई व्यापारिक प्रतिबन्ध नहीं लगा है। परन्तु यह कहना कि कोई भी आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं लगा है, बहुत ही साहसी वक्तव्य है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मेरा प्रश्न कम निर्यात वृद्धि के दिये गए कारणों में से एक कारण से संबंधित हैं अर्थात् हमारे निर्यात पर डंपिंग निरोधी शुल्क का आरोपण होगा। विशेषकर यूरोपीय संगठन भारतीय निर्यातों पर डम्पिंग निरोधी शुल्क लगाने में बहुत ही आक्रामक रहे हैं और हमारी तरफ से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों में इन मुकदमों में लड़ने के प्रयास में निश्चित रूप से कमी रही है। भारत सरकार के पूरे डम्पिंग निरोधी सचिवालय में दो या तीन अवर कर्मचारी हैं जबकि यूरोपीय संगठन में लगभग 200 अन्तर्राष्ट्रीय वकीलों का स्टॉफ है जो इन मुकदमों को लड़ रहे हैं। हमें इन मुकदमों को लड़ने के लिए विदेशी वकीलों को लगाना होगा।

मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या डम्पिंग निरोधी संबंधी दोनों प्रकार के मुकदमों—भारतीय निर्यातों पर लगाये जाने वाले डम्पिंग निरोधी शुल्क और जो डम्पिंग यहां हो रही है—को लड़ने के लिए एक पृथक निदेशालय अथवा कोई बड़ा कार्यालय अथवा एक बड़ा सचिवालय स्थापित करने की कोई योजना है।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि दूसरे देशों द्वारा लगाये गये डम्पिंग निरोधी शुल्क के विरुद्ध हमारा बचाव बहुत कमजोर नहीं रहा है। अन्यथा हमने यूरोपियन संगठन द्वारा भारतीय मछलियों के निर्यात और मत्स्य उत्पादों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के संबंध में मुकदमा न जीता होता। हमने मुकदमा लड़ा है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : नायलॉन रोप के मुकदमे में क्या हुआ ? हम वह मुकदमा हार गए हैं।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : यह तो एक के बाद दूसरा, चलता ही रहेगा। हम मुकदमा जीत चुके हैं। मैं यह घोषित करते हुए अति प्रसन्न हूं कि हमने यह मुकदमा जीत लिया है और आज हमने समुद्री उत्पादों का निर्यात पुनः आरम्भ कर दिया है।

हमने वाणिज्य मंत्रालय में डम्पिंग निरोधी निदेशालय स्थापित किया है। इसमें एक महानिदेशक और पूरे कर्मचारी हैं। हमारे पास सक्षम वकीलों की कमी नहीं है। भारतीय वकील उतने ही सक्षम हैं, यदि ज्यादा नहीं तो जितने यूरोपीय और अंग्रेज वकील सक्षम हैं। अतः मैं नहीं समझता कि विदेशी वकीलों को लगाने की कुछ आवश्यकता है। हमारे वकील पूर्णतः सक्षम हैं। अभी हाल ही में हमने वह मुकदमा जीता है और मैं समझता हूं कि हम अन्य मुकदमों को भी जीतेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एम. सईद : माननीय सदस्य ने आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में एक प्रश्न पूछा है जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : महोदय, मैं आर्थिक प्रतिबन्धों के बारे में जानना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामकृष्ण हेगड़े : वास्तव में मैंने आर्थिक प्रतिबन्धों का उल्लेख किया था और मैंने व्यापारिक प्रतिबन्धों के बारे में भी बताया था। उन्होंने आर्थिक प्रतिबन्धों को लागू करना और दबाव डालना आरम्भ कर दिया है। मैं नहीं समझता कि आर्थिक प्रतिबन्ध लम्बे समय के लिए होंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय निर्यात के लिए चिन्तित हैं कि निर्यात अधिक होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में निर्यात की सुविधायें कम हैं। मुरादाबाद से पीतल के सामान का अधिक निर्यात होता है, बनारस की साड़ियां और भदोही से कालीन निर्यात होते हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, बरेली में कारचोबी का विश्व प्रसिद्ध काम होता है और जरदोजी का भी बहुत बड़ा काम होता है तथा करोड़ों रुपए का माल वहां से निर्यात होता है, लेकिन वहां निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट हाउस नहीं हैं। इस कारण बरेली के लोगों को सीधे फायदा नहीं होता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जिस प्रकार मुरादाबाद में एक्सपोर्ट हाउस खोला गया है, क्या उसी प्रकार बरेली में कारचोबी और जरदोजी के लिए एक्सपोर्ट हाउस खोलेंगे?

वहां के कारीगरों को सीधे लाभ मिल सके, निर्यात अधिक हो सके तथा विदेशी मुद्रा भी भारत को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करूंगा।

कोयले के भंडार

+

*144. **श्री विजय गोयल** :

श्री मोहन सिंह :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितनी मात्रा में कोयले के भंडार हैं और ये घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने समय के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान डारिया क्षेत्र सहित कुछ कोयला खानों में लगी आग के कारण कोयले के भंडारों में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं जहां इस समय कोयला खनन नहीं किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) द्वारा देश में कोयले का भण्डार (1200 मी. की गहराई तक) 1.1.1998 को 206,239.50 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि नए भंडारों का पता लगाने में कोयले के अन्वेषण की कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है तथापि अब तक मूल्यांकित कोयले के भंडार के, उत्खनन की दर के बढ़ जाने पर भी 100 वर्षों तक बने रहने की संभावना है।

(ख) और (ग) जी, हां। आग लगने की घटनाएं सर्वाधिक रूप से डारिया कोलफील्ड्स में, कुछ मात्रा में रानीगंज कोलफील्ड्स में होती है। इसके कारण इन दोनों कोयला क्षेत्रों में लगभग 42 मि. टन कोयले के भंडार के नष्ट होने का अनुमान है।

(घ) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इंडिया लि. की 139 खानों में तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की 5 खानों में खनन संबंधी कार्रवाई बंद है। उन खानों के नाम जहां खनन संबंधी कार्रवाई बंद है, का ब्यौरा अनुबंध में दर्शाया गया है।

अनुबंध

कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं. को. कं. लि.) की उन खानों के नाम जहां कि खनन संबंधी कार्य बंद हैं।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

1. संकतोडिया
2. ईस्ट जमेहारी
3. रत्तीबत्ती 5 और 6
4. के. एल. एस. छल्लबलपुर
5. छल्लबलपुर खास
6. न्यू जमेहारीखास
7. पूरे सिरसोल
8. दमोदा
9. सीतलदास
10. बेलरुडीसेरगढ़
11. नार्थ ब्राक
12. गोगला/एडज्वाय बैंक
13. मंडेरबोनी 1, 2 और 4
14. देओली
15. बी. धेमो/रामजीबनपुर
16. बैंकसिमुलिया 7 और 8
17. ब्राइट्स राणा
18. मधुसुदनपुर 1 और 2
19. सेंट्रल जमूरिया
20. नाबाकजोरा/घनश्याम
21. जोते जानकी
22. रत्तीबत्ती ओ. का.
23. पुरुषोत्तमपुर ओ. का.
24. निमचा ओ. का.

25. शिबपुर ओ. का.
26. महाबीर ओ. का.
27. न्यू/सेंट्रल सतग्राम
28. अलकुशा गोपालपुर ओ. का.
29. बेनाली
30. केंडा/दोबराना ओ. का.
31. दरुला
32. कृष्णानगर
33. शीतलपुर
34. शकरपुर
35. गिरीमिट
36. राणा
37. महाबीर
38. कंकतल्ला 1 और 2
39. तारा
40. घंडाडीह ओ. का.
41. बरमुंडिया
42. दबोर ओ. का.
43. गंगाराम चक
44. पोईडीह ओ. का.
45. रानीपुर
46. दलूरबंद ओ. का.
47. पलासथली
48. चापापुर–1
49. बदजना/पुसई ओ. का.
50. कपासरा ओ. का.
51. लालमटिया भू. ग.
52. लालमटिया ओ. का.
53. श्यामपुर–ए
54. डालमिया ओ. का.
55. मनोरा
56. डमरा
57. संग्रामगढ़ ओ. का.
58. नूतनडंगा
59. कंकरतला
60. पूरे सियरसोल
61. श्रीपुर
62. शिमला की इन्क्लाइन नं. 3

भारत कोकिंग कोल लि.

63. मुरलीडीह
64. बेरा ओ. का.
65. ईना
66. बसदेवपुर ओ. का.
67. लक्ष्मी ओ. का.
68. तसरा ओ. का.
69. ड्रानकुंडर ओ. का.
70. विक्टोरिया
71. कनकनी
72. केंदुआडीह
73. धर्माबंद
74. साउथ तिसरा
75. कुजमा
76. गैसलीटांड
77. भूरुगिया
78. तेतूरिया

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

79. दोमनारा ओ. का.
80. बूरहर नं. 3
81. रुंग्टा
82. नार्थ डाकराखंड
83. बुरहर नं. 1
84. पूरे चिरीमिरी
85. कोरबा 1 और 2
86. कोरबा 3 और 4
87. चचई ओ. का.
88. बंकी 5 और 6
89. जरवाही ओ. का.
90. न्यू झीमर
91. बंकी 7 और 8
92. एस. डाकराखंड–ओल्ड
93. रामनगर
94. झिमाई ओल्ड

95. राजगमर 8 और 9

वैस्टर्न कोलफील्डस लि.

96. बरकुही भू. ग.
97. बरकुही वेस्ट भू. ग.
98. भमोरी झांताछापा
99. डटला ईस्ट भू. ग.
100. डटला वेस्ट
101. द्याओ
102. शिबपुरी ओ. का.
103. घोरावरी हिरदागर
104. घोरावरी कलान
105. बल्लारपुर ओ. का.
106. कालीचापर
107. न्यूटन चिकली
108. एन. चंदामेट्टा
109. नंदोरा
110. सियाल घोघरी
111. नकोदा ओ. का.
112. सास्तीपिट
113. बल्लारपुर 1 और 2
114. पोबर्टसन इन्क./बेलबेरा, इन्क./घुघुस
115. कुम्दा ओ. का.
116. न्यू माजरी नं. 1
117. घुपताला ओ. का.
118. शिबपुरी–2 ओ. का.
119. तरोदा ओ. का.
120. सेतिया ओ. का.
121. बेल्लोरा ओ. का.
122. एन. घुपताला आरआरआर ओ. का.
123. राखीकोले
124. चिकलमऊ
125. उमरेर
126. सतपुरा–1 भू. ग.
127. सुकरी भू. ग.
128. चिंचोली भू. ग.

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.

129. सेमरा
130. पकरी बरवाडीह
131. सुगई ओ. का.
132. पूरे धोरी
133. मईल भू. ग.
134. चलकारी
135. करकट्टा
136. धोदीडीह
137. गिडहानिया
138. राऊता

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.

139. गोरबी

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

1. कोठागुडेम–5–ए इन्क्लाइन
2. गौतमखानी भू. ग.
3. कल्याण खानी–2 ए
4. महावीर खानी–3 इन्क्लाइन
5. महावीर खानी–2 इन्क्लाइन

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि इन्होंने जो जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि झरिया की खान के अंदर आग बुझ चुकी है, लेकिन अभी वहां सतत् आग लगी हुई है। इसलिए मेरा कहना है कि अब तक आग बुझाने के लिए आप कितने मिलियन रुपए खर्च कर चुके हैं और इसमें कितने माफियाज उस आग को बुझाने के लिए सम्मिलित हैं तथा उनके ऊपर सरकार का कितना खर्च हुआ है, मैं मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इसमें आपको पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने वह खर्चा नहीं किया है, पहले की जो यू. एफ. और कांग्रेस सरकारों ने खर्चा किया है मैं उसकी जानकारी आपसे जानना चाहता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या झरिया शहर का अस्तित्व इस आग के कारण खतरे में पड़ गया है, यह मेरा प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, ये आग लगभग 70–80 वर्ष पूर्व निजी खान मालिकों द्वारा खानों का गैर वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के कारण लगी थी। आग की पहली घटना की जानकारी 1916 में लगी थी। मैंने अपने वक्तव्य में यह उल्लेख नहीं किया था कि आग बुझा दी गई है। राष्ट्रीयकरण के बाद, हमने उन स्थानों में आग की स्थिति का अध्ययन किया जहां पर आग लगी हुई है और हमने पाया कि 70 अग्निकाण्ड 17

वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन अग्निकांडों के कारण, 42 मिलियन टन कोयले का नुकसान हुआ और 1864 मिलियन टन कोयला रुक गया है। हमने वर्ष 1976 में लगभग 115 करोड़ रुपये की लागत से 22 अग्नि शमन परियोजनाएं प्रारम्भ की। इस धनराशि में से लगभग 75 करोड़ खर्च हो गए हैं और 70 स्थानों में से दस स्थानों पर आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई है। अन्य स्थानों पर आग पर लगभग क़ाबू पा लिया गया है। यद्यपि अभी भी आग लगी हुई है लेकिन नियंत्रण में है।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस समय हमने इस आग का पता लगाया तो 1960 में झोक्ता और लोडना क्षेत्रों जैसे कुछ स्थानों पर आग की लपटें लगभग 60–70 फुट ऊंची उठ रही थी। अग्निशमन की इन परियोजनाओं को शुरू करके हमने 17 वर्ग किमी. अग्नि प्रभावित क्षेत्र को कम करके 8.9 वर्ग किमी. पर ले आए हैं। चूंकि यह पेचीदा मामला है और इसमें व्यापक क्षेत्र सम्मिलित है, अतः हमने इन परियोजनाओं के लिए गैल–मेटकम और नार्वेस्ट माइन सर्विसेज जैसे अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि आग बुझाने में कितना खर्च हुआ ?...*(व्यवधान)*

श्री दिलीप राय : यह तो बता दिया है।

[अनुवाद]

मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि आग बुझाने के लिए लगभग 115 करोड़ रुपये की लागत से 22 अग्निशमन परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : वह 1976 में हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको एक अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

श्री दिलीप राय : 115 करोड़ रुपये में से हमने 75 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और 10 स्थानों पर आग बुझा दी गई है। अभी जो इंटरनेशनल कंसलटेंट्स है–गैल–मेटकेम और नार्वेस्ट, उन्होंने एक हिसाब दिया है हमें 4071 करोड़ रुपए चाहिए, इस आग को बुझाने के लिए, यह पुरानी रिपोर्ट है। यह खर्च 6000 करोड़ तक जा सकता है। विश्व बैंक सहायता योजना के अन्तर्गत हमें झरिया खान अग्नि नियंत्रण तकनीक सहायता परियोजना के तहत 12 मिलियन डालर प्राप्त हुए हैं। पिछले साल हम लोगों ने 33 से 34 करोड़ रुपये ई. सी. एल. एण्ड वी. सी. सी. एल. के लिए खर्च किया है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मंत्री जी से मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो आग लगी हुई है, इसे बुझाने में मंत्री जी ने कहा कि 100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अभी और भी खर्च होने का अनुमान है। मैं कह रहा हूं कि यह झरिया आग नहीं घोटाला है। मैं दो जांच मंत्री जी से चाहता हूं–एक मैं चाहता हूं कि झरिया की आग को बुझाने के लिए जितना रुपया खर्च किया है उसकी जांच की जाए और दूसरा यह चाहता हूं कि वहां पर जो अवैध रूप से खनन हो रहा है तथा जिसके पीछे बड़े माफिया का संरक्षण है, उसे रोकने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं, जिसके कारण आपके भण्डार निरन्तर कम होते जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, अवैध खनन, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, दो प्रकार के होते हैं। एक परित्यक्त खानें है। पहले ये खानें निजी खान मालिकों की होती थीं। यह हमारे पट्टा भूमि क्षेत्र में नहीं आता। हमने कई बार राज्य सरकारों के साथ उन पट्टे वाली खानों की देखभाल करने का मामला उठाया है जो हमारी पट्टा भूमि क्षेत्र से बाहर है क्योंकि वहां पर कोई पुलिस शक्ति नहीं है।

[हिन्दी]

जो हमारी लीज के एरिया में है, और खाली हो गया है, उसके लिए माफिया के साथ मिलकर गांव वाले गैर कानूनी माइनिंग कर रहे हैं, हम डोजर से ठेलकर उनको बन्द कर रहे हैं, पिट माउथ को बन्द कर रहे हैं, माइन्स को सिक्योरिटी भी दी गई है और सी. आई. एस. एफ. को भी राउंड करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, क्या सरकार को तमिलनाडु में विशेषकर तिरुवल्लूर जिले में मनारगुडी में भू–वैज्ञानिकों की नवीनतम खोजों की जानकारी है जहां पर उन्होंने 19.2 बिलियन टन लिगनाइट का पता लगाया है ?

मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 10000 मेगावाट की एन. टी. पी. सी. तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी!

श्री दिलीप राय : यह तो बिल्कुल अलग प्रश्न है। यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री टी. आर. बालू : क्या आपको इसकी जानकारी है ?

श्री दिलीप राय : मुझे इसका पता है। परन्तु यह अलग प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : सर, झरिया क्षेत्र के सांसद बैठे हैं, उनका नाम पुकारिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर पढ़ा गया है, कोल के भंडारण और अन्वेषण के बारे में, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोल की जो खोज होती है, अन्वेषण होता है, अन्वेषण के बाद भंडारण के लिए उसे रेखांकित कर दिया जाता है। सुरक्षा की व्यवस्था न होने की वजह से वहां अवैध खनन होता है। आग लगने की प्रक्रिया अंदर खनन में ही नहीं होती है, कोयले का उत्पादन होने के बाद जो भंडारण होता है वहां भी आग लग जाती है, और कोल के उत्पादन में जो खर्च होता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए, क्योंकि समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि कोयले के भंडारण के समय जो आग लग जाती है, उसको रोकने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, कोयले की आग को रोकने के लिए जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, अक्सर यह जवाब मिलता है कि आग पुराने कोलरी मालिकों के समय लगी, उस समय की देन है, यह उत्तर पूरी तरह से सही नहीं है। हमारी पहले की सरकारों ने, जिसमें कांग्रेस की सरकार भी रही है, इसमें अच्छा योगदान किया है। मुनीडीह कोलरी प्रोजेक्ट में माइन की दीवार की मोटाई पांच मीटर है। जिसके लिए ऐसी मशीन खरीदी जानी चाहिए थी जो पांच मीटर थिक्नैस का कोल काट सके। पता नहीं क्या सोचकर साढ़े तीन मीटर कोल काटने वाली मशीनें खरीदी गयीं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मुनीडीह में गलत मशीनें खरीदने का कारण क्या था जिससे एक ऐसी माइन जो भारत कुकिंग कोल की शो–पीस थी और उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वह आज गैसीमाइन हो गयी है, प्रोडक्शन बंद हो गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वे इसकी जांच कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, यह हमारी सूचना में पहले ही आ चुका है और हम इसकी जांच कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाटन रोधी निदेशालय

***145. श्री जगत्तवीर सिंह द्रोण :**

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाटन रोधी मामलों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र महानिदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी रचना और कृत्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) सरकार दिनांक 13.4.98 से वाणिज्य मंत्रालय के तहत पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय की स्थापना कर चुकी है।

इस महानिदेशालय का गठन पाटित वस्तुओं के प्रभाव से घरेलू उद्योग को और राहत देने तथा प्रणाली को संस्था का रूप देने के लिए किया गया था।

महानिदेशालय के अध्यक्ष वाणिज्य मंत्रालय के अपर–सचिव निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में हैं तथा उनकी सहायता दो उप–सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारी करते हैं। पाटन रोधी कानूनों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आदेश पारित करते हैं और इनके आदेशों पर अपील सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईजीएटी) में की जा सकती है।

चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

***146. श्री मोती लाल वोरा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना के लिए दिसम्बर, 1997 में स्थानवार, कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) जिन अन्य राज्यों को चालू वर्ष के दौरान चीनी मिलों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है और राज्यवार उनकी पेराई क्षमता कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा दिसम्बर, 1997 में राज्यवार विशेष रूप से मध्य प्रदेश में स्थापना हेतु कितने निर्यातोन्मुखी एककों को स्वीकृति दी गई है और इनका प्रतिशत कितना है;

(घ) उत्तर प्रदेश में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिसम्बर 1997 की तुलना में जनवरी, 1998 में विभिन्न राज्यों में उद्योगों की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों में कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केन्द्र सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के तहत मध्य प्रदेश राज्य में दिसंबर, 1997 में चीनी मिल स्थापित करने के लिए 6 आशय–पत्र मंजूर किये थे। जारी किये गये आशय–पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिये गये हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान अर्थात् 1998 में (मई, 1998 तक) विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों के लिए 9 आशय–पत्र जारी किये गये हैं, जारी किये गये आशय–पत्रों का राज्य–वार विवरण तथा प्रत्येक राज्य की कुल पेराई क्षमता संलग्न विवरण–II में दर्शाई गई है।

(ग) मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों से संबंधित 100% निर्यातोन्मुख एककों के लिए अनुमोदनों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण–III पर दिये गये हैं। तथापि, दिसंबर, 1997 में अनुमोदित कोई भी निर्यातोन्मुख एकक चीनी का उत्पादन किए जाने के लिए नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 1996 में 27, 1997 में 24 और जनवरी–मार्च, 1998 के बीच की अवधि में 1 निर्यातोन्मुख एकक अनुमोदित किया गया। ये निर्यातोन्मुख एकक भिन्न–भिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए हैं जैसे कि वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत उपकरण, आदि।

(ङ) और (च) जनवरी, 1998 में दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा जारी किये गये आशय–पत्रों की कुल संख्या 221 है, जबकि दिसंबर, 1997 में इनकी संख्या 310 थी। आंशिक रूप से यह कमी दिसंबर, 1997 में लघु क्षेत्र की निवेश की सीमा में 60 लाख रु. से ऊर्ध्वगामी रूप में संशोधन करके 3 करोड़ रु. तक की राशि किए जाने के कारण हो सकती है, क्योंकि इसके कारण अनेक उद्यमी जिनके लिए अन्यथा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किया जाना अथवा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, अब उनके निवेश को लघु क्षेत्र के लिए बढ़ाई गई सीमा के अधीन आने के कारण ऐसी अपेक्षाओं से छूट मिल जाएगी।

विवरण-I

दिसंबर, 1997 में मध्य प्रदेश राज्य में चीनी उत्पादन के लिए नये एककों की स्थापनार्थ जारी किये गये आशय–पत्रों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	उपक्रम/ आवेदक का नाम	प्रस्तावित स्थापना–स्थल	टी. सी. डी.* में पेराई क्षमता	आशय–पत्रों की संख्या तथा तारीख
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज लि., भोपाल	शिवपुर–कला जिला मुरैना	2500	एल. आई. 309/97 तारीख 5.12.97
2.	मैसर्स कृषक सहकारी शक्कर कारखाना, मर्यादित, जिला गुना	नारायणपुर रगोगढ़, जिला गुना	2500	एल आई.– 310/97 ता : 5.12.97
3.	मैसर्स छतीसगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना, मर्यादित, जिला रायपुर	कुर्द, जिला रायपुर	2500	एल. आई.– 311/97 ता : 5.12.97
4.	मैसर्स नेपा लि., जिला खण्डवा	नेपानगर, बरहानपुर जिला खण्डवा	2500	एल. आई.– 312/97 ता : 8.12.97
5.	श्री नवीन जिन्दल नई दिल्ली	सारंग गढ़ जिला रायगढ़	2500	एल. आई.– 313/97 ता : 8.12.97

1	2	3	4	5
6.	श्री मोहन पटेल, चेयरमैन, मैसर्स रायगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना, मर्यादित, जिला रायगढ़	सलहियोना सारानगर जिला रायगढ़	2500	एल. आई.– 314/97 ता : 8.12.97

*टी. सी. डी. = प्रतिदिन पेराई क्षमता टन में।

विवरण-II

चालू वर्ष (अर्थात् मई, 1998 तक) की अवधि में चीनी उत्पादन के लिए राज्यवार जारी किये गये आशय–पत्रों तथा प्रतिदिन पेराई क्षमता (टी. सी. डी.) को टन में दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	नये एककों के लिए जारी किए गये आशय–पत्रों की संख्या	टी. सी. डी.* में पेराई क्षमता	पर्याप्त विस्तार के लिए जारी किए गए आशय–पत्रों की संख्या	टी. सी. डी.* में पेराई क्षमता
1.	आन्ध्र प्रदेश			1	1,250
2.	महाराष्ट्र			5	9,984
3.	तमिलनाडु	1	2,500	1	2,500
4.	उत्तर प्रदेश			1	2,500
	योग :	1	2,500	8	16,234

*टी. सी. डी. = प्रतिदिन पेराई क्षमता टन में।

विवरण-III

दिसम्बर, 1997 के दौरान अनुमोदित किये गये 100% निर्यातोन्मुख एककों का राज्य–वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनुमोदित 100% निर्यातोन्मुख प्रस्तावों की संख्या	दिसम्बर, 1997 में किये गये कुल अनुमोदनों की तुलना में प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	5.00
2.	गुजरात	11	27.5
3.	हरियाणा	2	5.00
4.	कर्नाटक	5	12.5
5.	मध्य प्रदेश	5	12.5
6.	महाराष्ट्र	2	5.0
7.	उड़ीसा	1	2.5
8.	पंजाब	1	2.5
9.	तमिलनाडु	8	20.0
10.	उत्तर प्रदेश	1	2.5
11.	पश्चिम बंगाल	1	2.5
12.	दमन और दीव	1	2.5
	योग	40	100

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले का आबंटन

***147. डॉ. बल्लभभाई कथीरिया :**

श्री सतनाम सिंह कैंथ :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए कोयला लिंकेज का तिमाही आबंटन करने संबंधी मानदंड क्या है;

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की कोयले की तिमाही मांग तथा इसका राज्यवार एवं परियोजनावार किया गया वास्तविक आबंटन कितना था;

(ग) क्या कई विद्युत परियोजनाओं विशेषकर गुजरात तथा पंजाब को कोयला लिंकेज का आबंटन पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विद्युत परियोजनाओं को विशेषकर गुजरात और पंजाब की विद्युत परियोजनाओं को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) प्रत्येक विद्युत संयंत्र हेतु कोयले के आबंटन के लिए सी. ई. ए. द्वारा की गई सिफारिशों पर एक अंतर–मंत्रालयीय निकाय में जिसमें विद्युत, रेलवे तथा कोयला मंत्रालय, सी. ई. ए. तथा कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, विचार–विमर्श किया जाता है। यह समिति विद्युत–गृह स्थल पर कोयला स्टाक, संभावित उत्पादन, कोयला कंपनियों में कोयले की उपलब्धता तथा परिवहन संबंधी अवरोधों के आधार पर सी. ई. ए. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों पर विचार करने के बाद प्रत्येक विद्युत गृह के लिए संयोजन के प्रस्तावों का निर्धारण करती है। निर्धारित प्रस्तावों पर इसके बाद और अधिक विचार–विमर्श करने के लिए मुख्य स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) के समक्ष इसे रखा जाता है, जिसमें विद्युत उपयोगिताओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं और वैयक्तिक विद्युत गृहों हेतु तिमाही संयोजनों का निर्धारण किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न विद्युत गृहों को दिए गए तिमाही–वार स्वीकृत संयोजन तथा वास्तविक आपूर्ति के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात तथा पंजाब के विद्युत गृहों को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध करवाया गया है, तथा जैसाकि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है, गुजरात तथा पंजाब के सभी विद्युत गृहों में स्टाक की स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ है :–

(आंकड़े मात्रा "000 टन में)

विद्युत गृह	1.4.96 को स्टाक की स्थिति		1.4.97 को स्टाक की स्थिति		1.4.98को स्टाक की स्थिति	
	मात्रा	दिनों की सं.	मात्रा	दिनों की सं.	मात्रा	दिनों की सं.
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब						
भटिंडा	39	6	36	5	272	82
रोपड़	68	5	57	3	463	31
गुजरात						
सिक्का	0	0	9	3	159	64
उकई	4	0	40	4	205	21
गांधीनगर	4	1	41	5	420	51
वानकबोरी	20	1	134	8	433	24
अहमदाबाद (ए. ई. सी.)	2	0	73	14	104	18

(ङ) गुजरात और पंजाब सहित देश में विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखा जाता है। अंतर–मंत्रालयीय समिति द्वारा विद्युत–गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने की समीक्षा भी नियमित रूप से की जाती है तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो, कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

वास्तविक आपूर्ति की तुलना में विद्युत गृह तथा तिमाही–वार अनुमोदित मासिक संयोजन

(अनंतिम) ('000 टन में)

विद्युत गृह का नाम	पहली तिमाही 1995–96		दूसरी तिमाही 1995–96		तीसरी तिमाही 1995–96		चौथी तिमाही 1995–96	
	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बदरपुर	1050	809	810	496	810	686	810	885
आई. पी. स्टेशन	360	303	270	274	270	255	285	248
राजघाट	210	196	180	130	180	160	180	217
फरीदाबाद	310	203	240	184	180	148	180	167
पानीपत	750	450	690	440	300	510	600	461
भटिंडा	570	473	615	453	510	440	570	403
रोपड़	1350	1054	1350	1175	1200	1151	1350	1216
कोटा	1350	1019	1200	717	1140	917	1200	1257
हरदुआगंज	300	252	240	221	240	167	240	276
पिंकी	105	88	30	24	30	34	30	12
पंकी विस्तार	180	79	150	64	180	135	165	197
परीचा	120	5	120	112	150	108	150	106
टांडा	300	157	225	198	240	268	405	366
ऊंचाहार	600	622	540	458	510	560	540	441
ओबरा	1080	825	900	905	1260	1113	1140	1220
अनपारा	1860	1723	1650	1618	1770	2001	1785	2428
सिंगरौली एसटीपीएस	2250	2206	1950	1915	2070	2471	2400	2539
रिहंद	1110	1155	970	1038	1050	1471	1065	1373
एन.सी.टी.पी.पी. (दादरी)	810	741	810	676	600	649	900	812
अहमदाबाद	450	409	450	498	375	352	420	290
गांधीनगर	720	880	720	668	660	763	660	685
उकाई	990	769	900	827	900	1132	1050	925
वानकबोरी	1620	1223	1350	891	1360	1166	1350	1163
सिक्का रिप्लेसमेंट	360	332	270	186	240	251	270	274
अमरकंटक	300	241	300	288	270	179	300	261
एस. गांधी बिरसिंहपुर	390	388	390	283	330	325	330	508
कोरबा ईस्ट	540	471	540	434	540	561	585	669
कोरबा वेस्ट	900	762	720	619	900	723	885	1015
सतपुरा	1350	1167	1200	1232	1050	1300	1200	1688

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कोरबा एसटीपीएस	2430	2761	2250	2584	2460	3380	2325	3419
विंध्याचल एसटीपीएस	1170	1187	1050	1378	1170	1423	1200	1599
भूसावल	690	400	540	241	660	386	630	481
चन्द्रपुर (एमएसईबी)	2850	2452	2520	2060	2475	2571	2580	3049
कोराडीह	1350	1755	1320	1978	1350	1964	1350	1968
कपाड़खेड़ा	630	141	540	102	540	120	645	97
नासिक	1080	1045	1140	909	1050	1039	1050	1110
पर्ली	1050	805	1140	646	720	448	930	742
पारस	90	48	60	46	60	43	60	64
ट्राम्बे	150	33	150	63	150	57	165	58
धानू	225	35	270	148	450	265	540	393
कोठागुडेम	930	1049	930	827	990	716	1170	1154
रमागुंडम "बी"	90	46	60	69	90	51	90	85
विजयवाड़ा	1785	1767	1620	1912	1800	1916	2010	2579
मुंडानूर	150	19	360	30	375	250	540	420
नेल्लोरे	45	13	30	22	30	13	60	22
रामागुंडम एसटीपीएस	2400	2014	1980	2134	2220	1983	2400	3142
रायचुर	1050	945	1200	871	1125	1047	1200	970
एन्नोरे	750	794	750	712	510	763	570	856
तूतीकोरिन	1260	657	1020	592	1050	756	1350	812
मेट्टूर	1140	855	1140	1035	1020	1129	1140	1205
नार्थ मद्रास	90	—	90	—	150	—	180	—
बरौनी	150	141	135	101	180	121	180	153
मुज्जफरपुर	120	27	90	63	150	106	150	220
पतरातू	270	201	270	322	360	371	405	352
कहलगांव	360	441	360	394	420	354	660	711
पटना	15	4	15	4	15	2	15	2
बोकारो ए एण्ड बी	720	363	600	557	600	579	735	963
चन्द्रपुर	330	337	330	303	240	310	435	501
दुर्गापुर (डीवीसी)	450	288	270	210	240	212	345	385
मेजिया (डीवीसी)	—	0	—	0	—	0	135	0
तलचर	390	209	360	246	390	281	450	398
आई. बी. वैली	165	262	—	165	—	328	240	365
तलचर (एसटीपीएस)	270	163	210	353	270	78	—	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बंडेल	360	275	360	289	300	304	360	235
संथालडीह	270	245	270	178	240	208	270	265
कोलाघाट	1215	1238	1335	1117	1350	1210	1200	1124
कलकत्ता (सीईएससी)	240	272	240	250	180	243	255	238
सा. जेन. स्टेशन	165	142	165	140	135	154	150	132
टीटागढ़	240	237	270	249	180	205	225	218
दुर्गापुर (डीपीएल)	150	176	270	124	150	138	150	268
फरक्का–एसटीपीएस	1440	1202	1260	1093	1500	1320	1605	1559
बंगईगांव	180	104	150	91	150	98	150	108

विवरण-II

वास्तविक आपूर्ति की तुलना में विद्युत गृह तथा तिमाही–वार अनुमोदित मासिक संयोजन

(अनंतिम) ("000 टन में)

विद्युत गृह का नाम	पहली तिमाही 1996–97		दूसरी तिमाही 1996–97		तीसरी तिमाही 1996–97		चौथी तिमाही 1996–97	
	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बदरपुर	810	690	—	768	810	717	900	1029
आई. पी. स्टेशन	255	326	285	271	270	173	270	155
राजघाट	180	188	180	192	210	179	210	146
फरीदाबाद	195	197	210	196	210	92	210	195
पानीपत	630	577	690	695	720	512	780	713
भटिंडा	450	439	540	669	600	475	510	685
रोपड़	1140	1035	1350	1387	1350	1117	1350	1303
कोटा	1050	1006	990	2181	1350	294	1350	896
हरदुआगंज	120	232	120	138	180	227	180	175
पानकी	30	29	30	24	30	31	30	20
पानकी विस्तार	120	121	120	96	120	119	120	136
परीचा	120	134	150	135	150	138	150	167
टांडा	210	265	210	222	210	342	210	229
ऊंचाहार	450	444	510	437	600	581	750	642
ओबरा	1080	783	1080	428	1080	831	1080	1326
अनपाडा	1650	1634	1650	1936	1650	2157	1650	2474
सिंगरौली एसटीपीएस	2100	2367	1995	2170	2220	2563	2280	2700
रिहंद	870	1168	810	926	1290	1505	1470	1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एन.सी.टी.पी.पी. (दादरी)	1035	873	1200	976	1260	1216	1320	1200
अहमदाबाद	390	424	435	458	480	515	480	261
गांधीनगर	720	525	630	382	630	611	690	642
उकाई	825	987	810	383	810	816	960	808
वानकबोरी	1200	1253	1200	1125	1350	1381	1355	1496
सिक्का रिप्लेसमेंट	225	308	225	361	240	277	270	353
अमरकंटक	195	179	255	104	270	48	270	139
एस. गांधी बिरसिंहपुर	405	427	255	280	270	386	270	486
	480	765	495	191	570	595	630	645
	810	633	660	852	1050	858	1050	1130
सतपुरा	1200	1297	1125	1296	1320	1515	1440	1942
कोरबा एसटीपीएस	2250	3139	2400	2941	2400	3081	2700	1325
विंध्याचल (एसटीपीएस)	1200	1286	1200	1315	1500	1740	1620	1819
भुसावल	480	561	480	260	375	467	630	614
चन्द्रपुर एमएसईबी	2250	2220	2250	1761	2460	2833	2850	3000
कोराडीह	1260	1410	1200	2179	1350	1558	1350	2858
कापरखेड़ा	525	91	570	435	600	365	540	196
नासिक	870	1076	870	850	960	819	1050	985
पर्ली	720	726	720	884	900	810	900	913
पारस	45	33	45	46	30	30	45	71
ट्राम्बे	105	22	45	3	45	10	60	7
धानू	540	385	570	532	600	561	600	472
कोठागुंडेम	1080	1175	900	8870	900	7800	1020	3103
रामागुंडम "बी"	75	83	90	76	45	60	75	72
विजयवाडा	1800	2015	1650	1947	1920	2119	2085	2780
मुड्डानूर	600	476	600	321	750	353	795	134
नेल्लोर	54	29	45	6	30	25	45	25
रामागुंडम (एसटीपीएस)	2400	2468	1875	1861	2400	2505	2700	3308
रायचुर	1275	869	1200	984	1425	1034	1500	1379
एन्नोरे	670	689	600	811	600	906	525	868
तूतीकोरिन	1335	710	900	757	810	918	1275	915
मेट्टूर	1080	949	1080	1100	1080	1324	1050	1120
नार्थ मद्रास	510	—	300	—	510	—	390	—
बरौनी	240	162	165	116	210	93	210	193
मुज्जफरपुर	150	76	60	54	60	65	180	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पतरातू	420	309	210	304	210	150	315	524
कहलगांव	540	645	360	703	855	696	900	1050
पटना	15	2	15	6	15	2	15	2
तेनूघाट	135	23	90	63	285	147	315	247
बोकारो ए एण्ड बी	630	394	345	445	330	489	450	710
चन्द्रपुर	450	436	285	356	300	487	600	644
दुर्गापुर (डीवीसी)	345	244	270	189	225	238	300	414
मेजिया (डीवीसी)	125	—	45	—	60	37	105	91
तलचर (एसटीपीएस)	510	398	510	373	420	367	450	423
आई. बी. घाटी	240	336	270	443	465	555	450	610
तलचर एसटीपीएस	390	0	300	99	300	299	450	309
बंडेल	375	330	300	341	420	302	420	416
संथालडीह	270	268	270	249	330	161	300	78
कोलाघाट	1320	1224	1440	1279	1440	1226	1440	1196
बज्ज–बज्ज	90	—	30	—	30	—	90	16
कलकत्ता (सीईएससी)	240	249	240	251	255	258	270	284
सा. जेन. स्टेशन	150	126	150	152	150	115	135	86
टीटागढ़	255	280	255	278	240	272	255	202
दुर्गापुर (डीपीएल)	210	168	240	172	330	144	330	216
फरक्का–एसटीपीएस	1560	1473	1590	1270	1440	1479	1800	1528
बंगईगांव	150	89	120	88	135	97	150	96

विवरण-III

वास्तविक आपूर्ति की तुलना में विद्युत गृह तथा तिमाही-वार अनुमोदित मासिक संयोजन

(अनंतिम) ('000 टन में)

विद्युत गृह का नाम	पहली तिमाही 1997–98		दूसरी तिमाही 1997–98		तीसरी तिमाही 1997–98		चौथी तिमाही 1997–98	
	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति	संयोजन	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बदरपुर	1050	750	1110	1294	1110	677	900	756
आई. पी. स्टेशन	255	253	300	266	300	305	255	251
राजघाट	195	200	195	181	210	173	210	135
फरीदाबाद	210	171	210	189	210	118	180	149
पानीपत	720	629	720	589	870	686	780	658
भटिंडा	570	761	600	656	420	490	300	453

1	2	3	4	5	6	7	8	9
भटिंडा विस्तार	–	–	–	–	–	–	60	–
रोपड़	1350	1517	1500	1542	1275	1318	1350	1455
कोटा	1350	1212	1200	1089	1050	1113	1050	1077
सूरतगढ़	–	–	–	–	–	–	150	–
हरदुआगंज	120	194	120	200	120	141	255	151
पंकी	30	17	30	10	–	–	–	–
पंकी विस्तार	120	224	120	194	120	165	195	183
परीचा	120	154	120	144	120	154	240	253
टांडा	210	351	240	180	40	357	480	532
ऊंचाहार	630	598	660	557	660	602	510	572
[illegible] ओबरा	1080	1079	750	578	1440	993	1950	1257
	1650	1624	1890	1706	2130	2121	2490	2615
[illegible] एसटीपीएस	2100	1943	1920	3264	2400	2455	2700	2691
रिहंद	1305	1037	900	1044	1350	1313	1380	1369
एन.सी.टी.पी.पी. दादरी	1350	1323	1200	1085	1080	1036	1140	1056
अहमदाबाद	450	300	450	391	510	504	510	369
गांधीनगर	720	809	705	748	750	721	750	716
उकई	725	919	900	1067	900	814	900	1057
वानकबोरी	1200	1561	1440	1631	1500	1377	1650	1817
सिक्का रिप्लेसमेंट	225	304	270	280	270	376	225	141
अमरकंटक	300	127	255	69	270	150	360	246
एस. गांधी बिरसिंहपुर	300	391	450	311	600	369	690	482
कोरबा ईस्ट	570	496	660	428	720	573	750	585
कोरबा वेस्ट	930	898	990	761	1050	997	1320	1029
सतपुरा	1485	1512	1590	1678	1680	1848	1830	1907
कोरबा एसटीपीएस	2700	2842	2760	2871	2850	2841	3000	2892
विंध्याचल एसटीपीएस	1350	1331	1200	1225	1695	1333	1860	1722
भूसावल	600	479	630	641	630	553	630	604
चन्द्रपुर एमएसईबी	2550	2425	2490	2041	2700	2471	2910	2349
कोराडीह	1440	1912	1200	1458	1200	1606	1200	1628
कपरखेड़ा	600	190	600	560	600	573	360	571
नासिक	750	906	900	832	900	1032	1050	1117
पर्ली	1050	861	900	854	900	782	900	775
पारस	45	51	45	48	45	58	45	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ट्राम्बे	105	14	105	24	135	9	105	3
घानू	540	465	450	355	600	384	540	352
कोठागुडेम	1200	1107	1290	1107	1650	1294	1800	1597
रामागुडंम "बी"	90	78	105	68	60	61	105	73
विजयवाड़ा	2100	1967	1950	2219	1950	2209	2100	1876
मुंडानूर	690	166	540	245	690	301	735	778
नेल्लोरे	39	15	30	3	30	—	30	14
रामागुंडम एसटीपीएस	2760	2360	21	2224	2700	3046	3300	3403
रायचुर	1500	869	1395	961	1425	908	1650	1464
एन्नोरे	570	825	540	761	690	1057	750	1023
तूतीकोरिन	1500	936	1500	1141	1350	944	1500	1102
मेट्टूर	1200	1258	1200	1173	1200	1409	1650	1498
नार्थ मद्रास	270	—	510	169	810	—	930	258
बरौनी	150	61	120	18	120	57	180	169
मुज्जफरपुर	105	29	120	14	150	28	90	67
पतरातू	330	128	300	262	510	354	510	513
कहलगांव	1170	755	1110	764	1200	762	1200	692
पटना	15	5	15	—	15	4	15	4
तेनूघाट	330	218	450	214	420	367	540	431
बोकारो ए एण्ड बी	390	500	660	348	410	411	660	494
चन्द्रपुर	510	205	315	152	315	197	420	149
दुर्गापुर (डीवीसी)	360	399	360	147	360	193	360	404
मेजिया (डीवीसी)	240	24	240	40	240	72	240	50
तलचेर	510	499	540	485	570	501	600	581
आई. बी. वैली	735	536	630	626	660	530	660	472
तलचेर एसटीपीएस	750	479	900	585	810	674	735	1010
बुंदेल	390	329	270	356	390	350	330	240
संथालडीह	225	222	240	296	330	290	330	262
कोलाघाट	1200	1020	1260	912	1500	1040	1440	663
बज्ज–बज्ज	60	37	120	20	120	68	150	97
कलकत्ता (सीईएससी)	255	238	255	255	210	221	210	227
सा. जेन. स्टेशन	150	129	180	194	150	158	150	146
टीटागढ़	315	294	330	224	225	216	195	216
दुर्गापुर (डीपीएल)	330	166	330	158	330	176	330	113
फरक्का–एसटीपीएस	1800	1162	1890	1098	2010	1561	2100	1583
बंगईगांव	150	58	105	24	120	40	180	28

सुरक्षोपाय शुल्क लगाना

*148. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपए के अवमूल्यन को रोकने हेतु व्यापार एवं वित्तीय विशेषज्ञों ने पाटन रोधी शुल्क समेत विभिन्न सुरक्षोपाय शुल्क लगाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है तथा उसके अनुसरण में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) हमारी "गैट" [illegible]ताओं के अनुसार दी गई टैरिफ रियायतों के फलस्वरूप [illegible]चानक वृद्धि होने पर घरेलू उद्योग के संरक्षण के [illegible] सुरक्षोपाय शुल्क लगाए जाते हैं। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए उन सामानों के ऐसे आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाया जाता है जिनका उनके उत्पादक देश में विद्यमान् सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया जाता है जिनकी वजह से भारत में किसी उद्योग को मौद्रिक क्षति होती है अथवा क्षति होने की संभावना हो। ये शुल्क मुद्राओं के अवमूल्यन को ध्यान में रखकर नहीं लगाए जाते हैं।

तथापि, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ही विनिमय दर की स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखते हैं और बाजार में हस्तक्षेप करने के साथ-साथ समुचित नीतिगत उपाय करते हैं ताकि रुपए के विदेशी मूल्य में एक ऐसे उचित स्तर पर स्थिरता कायम रखी जा सके जो भारत की विदेशी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के समनुरूप हो।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित पड़े मामले

*149. **श्री राम टहल चौधरी :**

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े पैमाने के और लघु रुग्ण उद्योगों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनकी रुग्णता के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) आज की तारीख तक इसमें से अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों और बोर्ड के पास लंबित मामलों की राज्य-वार और उद्योगवार संख्या कितनी है;

(ङ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा किस आधार पर उद्योगों को रुग्ण घोषित किया जाता है; और

(च) औद्योगिक रुग्णता के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने सूचित किया है, 31 मार्च, 1997 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु पैमाने की रुग्ण औद्योगिक यूनिटों और लघु पैमाने से इतर रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को दिए गए वित्तयन की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 लघु पैमाने की औद्योगिक यूनिटों पर लागू नहीं है।

(ख) रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के बारे में आर. बी. आई. द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, रुग्ण एवं कमजोर एस. एस. आई. से इतर यूनिटों की औद्योगिक रुग्णता के मुख्य कारण, जैसा कि बैंकों ने बताया है, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों कारकों से संबंधित हैं। आन्तरिक कारकों में परियोजना के मूल्यांकन में कमियां और परियोजना प्रबंधन में कमियां होना शामिल है। बाह्य कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता न होना, बिजली की कमी, परिवहन बाधाएं, वित्तीय अड़चनें, श्रमिकों की कठिनाइयां और बाजार से संबंधित कठिनाइयां शामिल हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) द्वारा सूचित किया गया है, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान बाइफर के पास मामलों की संख्या और इन तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की राज्यवार और उद्योग-वार संख्या तथा 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त में से लम्बित मामले क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ङ) "सीका" के उपबंधों के अनुसार ऐसी औद्योगिक कम्पनी रुग्ण मानी जाएगी जो बाइफर के पास 5 वर्षों से पंजीकृत हो, किसी वित्तीय वर्ष के अंत में जिसकी संचित हानियां उसके कुल निवल सम्पत्ति के बराबर हों या उससे अधिक हों।

(च) बाइफर ने सूचित किया है कि वह सीका के उपबंधों के अनुसार मामलों पर शीघ्रता से विचार करता है। हालांकि, मामलों का निपटान प्रत्येक मामले की रुग्णता की प्रकृति वित्तीय व्यवस्था के प्रतिबन्धों के होते पुनरुत्थान योजना तैयार करने और सभी संबद्ध एजेंसियों द्वारा पुनरुद्धार पैकेजों के क्रियान्वित करने आदि पर निर्भर है।

विवरण-I

31.3.1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित गैर लघु रुग्ण औद्योगिक इकाइयों और लघु रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार संख्या दर्शानेवाला विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	गैर लघु रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या	लघु रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	225	15460
2.	असम	38	10133
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	26
4.	बिहार	55	22702
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	21	3943
6.	गोवा	3	604
7.	गुजरात	174	6510
8.	हरियाणा	66	2574
9.	हिमाचल प्रदेश	21	2206
10.	जम्मू व कश्मीर	7	761
11.	कर्नाटक	110	6937
12.	केरल	64	8908
13.	मध्य प्रदेश	91	12070
14.	महाराष्ट्र	340	19360
15.	मेघालय	1	5531
16.	मिजोरम	—	1199
17.	मणिपुर	1	2707
18.	नागालैंड	1	2738
19.	उड़ीसा	55	3408
20.	पंजाब	51	2466
21.	राजस्थान	67	14561
22.	सिक्किम	1	30
23.	तमिलनाडु	141	9809
24.	त्रिपुरा	6	3171
25.	उत्तर प्रदेश	170	23286
26.	पश्चिम बंगाल	216	53451
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप	—	13
2.	चण्डीगढ़	10	170
3.	दमन व दीव	1	4
4.	दादरा व नगर हवेली	1	1
5.	पाण्डिचेरी	9	293
6.	लक्षद्वीप	—	—
	कुल	1948	235032

विवरण-II

1995-96, 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान पंजीकृत और निपटाए गए मामलों की संख्या तथा इन मामलों में से 31.3.98 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995–96		1996–97		1997–98		1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान पंजीकृत मामलों में से लंबित मामले
	पंजीकृत	निपटाए गए	पंजीकृत	निपटाए गए	पंजीकृत	निपटाए गए	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	10	6	11	5	29	3	36
असम	1	1	—	—	2	—	2
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
बिहार	1	—	4	2	3	—	6

1	2	3	4	5	6	7	8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–	–	3	–	6	–	9
गोवा	1	1	–	–	2	–	2
गुजरात	12	10	11	4	20	–	29
हरियाणा	5	3	4	1	16	–	21
हिमाचल प्रदेश	4	3	1	1	4	1	4
जम्मू एवं कश्मीर	–	–	1	1	–	–	–
कर्नाटक	7	5	6	3	7	–	12
केरल	5	4	–	–	1	1	1
मध्य प्रदेश	10	8	12	6	17	2	23
महाराष्ट्र	14	9	20	5	44	5	59
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	–	–	1	1	1	1	–
नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	2	2	4	–	2	1	5
पंजाब	10	7	8	2	10	–	19
राजस्थान	6	5	4	–	14	–	19
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	5	3	6	3	33	3	35
त्रिपुरा	–	–	1	–	–	–	1
उत्तर प्रदेश	23	13	9	4	17	2	30
पश्चिम बंगाल	13	7	3	2	17	1	23
संघ राज्य क्षेत्र							
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	–	–	3	1	2
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–
दादरा एवं नगर हवेली	2	2	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	1	1	1	–	–	–	1
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
कुल	132	90	110	40	248	21	339

विवरण-III

1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान पंजीकृत और निपटाए गए मामलों का उद्योग-वार ब्यौरा तथा इन मामलों में से 31.3.98 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या

उद्योग	1995–96		1996–97		1997–98		1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान पंजीकृत मामलों में से लंबित मामले
	पंजीकृत	निपटाए गए	पंजीकृत	निपटाए गए	पंजीकृत	निपटाए गए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	धातुकर्मी	16	12	10	2	30	1	41
2.	बायलर और वाष्पजनित्र संयंत्र	0	0	0	0	1	0	1
3.	विद्युत उपस्कर	7	6	8	3	9	1	14
4.	दूर–संचार	2	2	1	0	5	1	5
5.	परिवहन	0	0	0	0	3	0	3
6.	औद्योगिक मशीनरी	0	0	0	0	2	0	2
7.	मशीन टूल्स	1	1	1	1	1	1	0
8.	खेतीबाड़ी की मशीनरी	0	0	1	1	0	0	0
9.	विविध यांत्रिकी और इंजीनियरी	0	0	1	0	0	0	1
10.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	0	0	0	0	1	0	1
11.	औद्योगिक संयंत्र	0	0	0	0	1	0	1
12.	उर्वरक	1	1	0	0	0	0	0
13.	रसायन	7	5	10	4	14	0	22
14.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म व पेपर	1	0	0	0	2	0	3
15.	रंगसाजी के सामान	0	0	0	0	1	0	1
16.	औषधियां एवं भेषज	1	1	7	2	10	2	13
17.	वस्त्र	20	12	8	2	41	3	52
18.	कागज व पल्प	6	5	3	3	9	2	8
19.	चीनी	6	2	3	1	3	0	9
20.	खाद्य संसाधन	9	7	5	2	13	2	16
21.	वनस्पति तेल व वनस्पति	2	1	8	2	15	1	21
22.	रबड़ के सामान	3	2	4	2	4	0	7
23.	चमड़ा व चमड़े का सामान	1	1	1	1	2	0	2
24.	शीशा	0	0	1	0	3	1	3
25.	चीनी के बर्तन	0	0	0	0	5	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	सीमेंट व जिप्सम	1	1	4	1	12	1	14
27.	विविध	37	24	28	11	53	3	80
28.	पटसन	2	1	1	0	0	0	2
29.	इलेक्ट्रॉनिक्स	9	6	5	2	8	2	12
30.	कुल :	132	90	110	40	248	21	30

लघु उद्योगों को ऋण

*150. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए ऋण का उपलब्ध न होना एक बड़ी समस्या है;

यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु उद्योगों को ऋण ा पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लघु उद्योगों को विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्थित लघु उद्योगों को ऋण दिए जाने पर निगरानी रखने हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है; और

(ङ) वर्ष 1998–99 हेतु अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य–योजना और रुग्ण लघु उद्योगों को फिर से चालू करने हेतु विचाराधीन नवीन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने सात सूत्री कार्य योजना के संदर्भ में ऋण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने पर विशेष बल देते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के लिये ऋण प्रवाह पर प्रभावी रूप से निगरानी रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपूर्ण देश के लिये तिमाही आधार पर तथा सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के लिये ऋण के प्रवाह में सुधार करने हेतु बैंकों के संबंध में सात सूत्री कार्य योजना के अंतर्गत निगरानी रखी जाती है। सात सूत्री कार्य योजना में एक–एक कार्य सूत्र यह है कि ऐसे 85 विनिर्दिष्ट किए गए जिलों में विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग की शाखाएं स्थापित की जानी हैं : जिनमें कि 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार 2000 से अधिक पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयां विद्यमान थीं। इनमें से, दो जिले बृहद बम्बई तथा पुणे महाराष्ट्र के हैं। तत्पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उन केन्द्रों में अधिक विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग शाखाएं संचालित करने की सलाह दी है जहां कि अधिक संख्या में लघु उद्योग के अंतर्गत ऋण लेने वालों को वित्त पोषण की सम्भावना है। मार्च, 1997 तक बैंकों ने महाराष्ट्र राज्य में 29 विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग शाखाएं खोली हैं।

(ङ) रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की समस्याओं से निपटने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्तर्गत व्यावहारिक कदम फरवरी, 1987 में दिशा–निर्देश जारी किये जिन्हें जून, 1989 तथा अप्रैल, 1993 में संशोधित किया जाना जिन मार्ग–निर्देशों में, अन्य बातों के अलावा, निम्न शामिल थे –रुग्ण इकाइयों की परिभाषा, व्यवहार्यता मानदण्ड प्रारम्भिक रुग्णता तथा सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण (लघु उद्योग) इकाइयों के मामले में पैकेज के कार्यान्वयन के लिये बैंकों/वित्तीय संस्थानों को राहत/रियायतें दिया जाना। इन्हें जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

नारियल जटा उद्योग

*151. **श्री वी. एम. सुधीरन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को नारियल जटा उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रमों हेतु नारियल जटा बोर्ड से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई या की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। कयर बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष कयर और कयर उत्पादों के निर्यात संबंधी संवर्धन कार्यक्रमों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं और सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाता है।

(ख) इन कार्यक्रमों में निम्न शामिल हैं–अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में भाग लेना, विशिष्ट उत्पादों पर संगोष्ठियां आयोजित करना, मीडिया के माध्यम से विदेशों में प्रचार किया जाना, निर्यात कार्य निष्पादन और संवर्धन हेतु पुरस्कार प्रदान किया जाना, आदि। वर्ष 1998–99 के दौरान कयर बोर्ड ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रस्ताव किया है :–

1. इंडिया एग्जिविशन, बाकू, अजरबैजान — 24 से 28 जून, 1998
2. इंटर बिल्ट आस्ट्रेलिया, 98 मेलबोर्न — 19 से 22 जुलाई, 1998
3. नेशनल हार्डवेयर शो, शिकागो, सं. रा. अमेरिका — 16 से 19 अगस्त, 1998

4.	थैस्सालोनिकी इंटरनेशनल फेयर, थैस्सालोनिकी, ग्रीस	सितम्बर, 1998
5.	कैरिबियन एक्सपो, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड	सितम्बर, 1998
6.	सैटैक्स–98, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका	20 से 24 अक्तूबर, 1998
7.	डोमोटैक्स हैनोवर, जर्मनी	जनवरी, 1999
8.	कुवैत इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, कुवैत	फरवरी/मार्च, 1999
9.	कार्पेट फेयर/मेड इन इंडिया प्रदर्शनी (भारतीय वाणिज्य दूतावास तथा सी. आई. आई. द्वारा आयोजित की जायेगी)	तारीख तय नहीं हुई है।
10.	कयर जियो टैक्सटाइल्स सं. रा. अमेरिका	तारीख तय नहीं हुई है।
11.	कयर जियो टैक्सटाइल्स इंग्लैंड	तारीख तय नहीं हुई है।

(ग) कयर बोर्ड ने जो कि एक सांविधिक निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कयर और कयर उत्पादों के निर्यात में त्वरिता लाने हेतु अनेक कदम उठाये हैं। बोर्ड द्वारा ब्रिटेन और जर्मन की कयर एसोसिएशनों के साथ उक्त देशों में भारतीय कयर उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु, संयुक्त रूप से प्रचार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कयर और कयर उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु बोर्ड विदेशों में महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनियों में भाग लेता है, बाजार विकास मिशनों में अधिकारी नियुक्त करता है, और प्रचार संबंधी कार्यक्रमों की शुरुआत करता है।

नयी कपड़ा नीति

*152. **डॉ. जयन्त रंगपी :**

श्री नरेश पुगलीया :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नयी कपड़ा नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नयी कपड़ा नीति कब तक घोषित और लागू कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या मिलों, विद्युतकरघा तथा हथकरघा क्षेत्रों के कोटा आबंटित करने और मदों को आरक्षित करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एक नई वस्त्र नीति बनाने में समर्थ होने के उद्देश्य से श्री एस. आर. सत्यम् की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह बनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी संरचना और विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) से (ङ) हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन के लिए 11 मदों और अपरिष्कृत कपास तथा कम काउंट के सूती यार्न निर्यात के कोटों को छोड़कर, मिलों, विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्र के लिए कोटे आबंटित करने और मदों का आरक्षण करने की कोई नई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

घरेलू उद्योग को संरक्षण

*153. **श्री रामपाल सिंह :**

श्री वी. वी. राघवन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परियोजना संबंधी आयातों और तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी कमी किए जाने का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधान लाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में लघु उद्योगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (च) पूंजीगत माल उद्योग की ओर से आयात शुल्क की दरों में कमी किए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। अभी हाल के बजट में काफी वस्तुओं के आयात पर 8 प्रतिशत गैर–मोडवेट योग्य लेवी सहित कई नीतिगत पहलों का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

एल. सी. गुप्ता समिति

*154. **डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :**

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियुक्त एल. सी. गुप्ता समिति ने भारतीय पूंजी बाजार में इक्विटी बेस्ट

डेरिवेटिव को लागू करने संबंधी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है तथा इसे प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त डेरिवेटिव्स कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारत में व्युत्पाद कारोबार शुरू करने हेतु एक उपयुक्त विनियामक ढांचे की सिफारिश करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित "एल. सी. गुप्त समिति" ने अपनी रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस समिति की रिपोर्ट के दो भाग हैं। रिपोर्ट के में भारत में व्युत्पाद कारोबार शुरू करने के आर्थिक : और उसके विनियामक ढांचे पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा भाग II में व्युत्पाद संविदाओं के कारोबार एवं निपटान के विनियमन और नियंत्रण हेतु सुझाई गई उप–विधियां शामिल हैं। इन सिफारिशों में ये शामिल हैं–इक्विटी व्युत्पादों को चरणबद्ध रूप से शुरू करना, सेबी के समग्र पर्यवेक्षण में कारगर स्व–विनियामक संगठन के रूप में व्युत्पाद एक्सचेंजों का प्रचालन, व्युत्पाद बाजार के लिए ब्रोकरों/डीलरों हेतु प्रवेश संबंधी कड़ी अपेक्षाएं, मूलभूत नकदी बाजार में सुधार आदि। इस रिपोर्ट की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

(ग) सेबी बोर्ड ने 11 मई, 1998 को हुई अपनी बैठक में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

(घ) व्युत्पाद कारोबार के लिए जब सर्वांगीण, संस्थागत और विनियामक व्यवस्था कर ली जाएगी तब सेबी उपयुक्त निर्णय लेगा।

विभिन्न उत्पादों का पेटेंट

***155. श्री सुशील कुमार शिन्दे :**

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश विभिन्न शाक–सब्जियों और अन्य वानस्पतिक उत्पादों जैसे नीम, हल्दी और उनके अन्य फार्मूलेशनों का जिनका पहले से ही आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रयोग किया जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से पेटेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में ऐसे पेटेंट कराने के कार्य में लगे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पेटेंट प्राप्त उत्पादों को अमेरिकी कानून से मुक्त कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) पेटेंट न तो नीम और हल्दी के पौधों के लिए प्रदान किये जा सकते हैं और न ही ऐसे पदार्थों के लिए प्रदान किये जा सकते हैं जो कि पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। देशों द्वारा अपने कानूनों के अंतर्गत पेटेंट प्रदान किए जाते हैं। पेटेंट पाने वालों को दिये गये अधिकार उस देश के भू–भाग तक सीमित होते हैं।

(ग) और (घ) इस संबंध में सुनिश्चित रूप में सूचना रखी जाना कठिन है।

(ङ) और (च) जब कभी उन कुछेक उत्पादों, जिन्हें पेटेंट–योग्य नहीं समझा जाता है, पर पेटेंट लेने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो इस बात को निश्चित करने के प्रयास किये जाते हैं कि क्या पेटेंट प्रदान करने को चुनौती दी जा सकती है। इस संबंध में पर्याप्त सामग्री एकत्रित किए जाने के बाद उस देश में पेटेंट की पुनः जांच कराए जाने और अन्ततः उसे रद्द करने हेतु एक याचिका दायर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाइयों का बन्द होना

***156. श्री बेनी प्रसाद वर्मा :**

श्री बासवराज पाटील सेडाम :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की कुल कितनी इकाइयां काम कर रही हैं;

(ख) 1987 से 1997 की अवधि के दौरान इनमें से कितनी इकाइयों को बन्द कर दिया गया;

(ग) इन्हें बन्द करने के क्या कारण थे; और

(घ) उन्हें दोबारा चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 10

(ख) कोई नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को 1996 में

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) को संदर्भित कर दिया गया था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) को ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था और निदेश दिया था कि एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार करें। ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा तैयार किया गया पुनरुद्धार पैकेज बी. आई. एफ. आर. के विचाराधीन है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अर्जित लाभ

*157. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

डॉ. चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1997–98 के दौरान लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान बैंक की अनुपयोज्य आस्तियों में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह पिछले वर्ष की तुलना में कितनी ज्यादा थी;

(ङ) 1997–98 के दौरान दिए गए कुल ऋण की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों की कुल मूल्य की प्रतिशतता कितनी है; और

(च) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कर के पश्चात् लाभ 1501.29 करोड़ रु. था।

(ग) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋण और अन्य सहायता पोर्टफोलियो के प्रतिशत के रूप में अनुपयोज्य आस्तियों में वर्ष 1996–97 के 10.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1997–98 में 10.1 प्रतिशत की आंशिक कमी आई है, लेकिन निरपेक्ष रूप से अनुपयोज्य आस्तियों में वर्ष 1996–97 के स्तरों की तुलना में वर्ष 1997–98 में 735.7 करोड़ रु. तक की वृद्धि हुई।

(च) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि सहायता प्राप्त एककों से अपनी देयराशियों की वसूली के लिए वर्ष के दौरान संगठित प्रयास किए गए थे। आई. डी. बी. आई. ने अपने प्रधान कार्यालय और अंचल/शाखा कार्यालय दोनों में विशेष वसूली कक्षों की स्थापना की है। प्रधान कार्यालय में ऋण समिति और अंचल स्तर पर आंचलिक समितियों द्वारा वसूली कार्य की सूक्ष्म निगरानी भी की जा रही है। इससे आई. डी. बी. आई. वर्ष में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को रोक पाने में समर्थ हुआ है जबकि कई प्रमुख औद्योगिक खंडों को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था।

[अनुवाद]

टी. वी. चैनलों के विरुद्ध ''फेरा'' मामले

*158. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशी टी. वी. चैनलों पर विज्ञापन दिये जाने के कारण भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ''फेरा'' के अधीन कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशी टी. वी. चैनलों पर विज्ञापन दिये जाने के संबंध में एक व्यापक नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (एफ. ई. आर. ए.) के उपबंधों के संदिग्ध उल्लंघनों के लिए सात विदेशी टी. वी. चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

(ग) और (घ) इस समय वे निर्यातक जिनकी पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात से आय 10 लाख रुपये अथवा अधिक है अथवा जो निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा (ई. ई. एफ. सी.) लेखे रखते हैं, वे विदेशी टी. वी. चैनलों पर विज्ञापन देने के लिए पात्र हैं।

रबड़ आधारित उत्पादों का निर्यात

*159. **श्री पी. सी. थॉमस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ आधारित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''रबरवुड'' उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। रबड़ आधारित उत्पादों का निर्यात 1996–97 में 1225.2 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 1997–98 के दौरान 1338 करोड़ रुपया हो गया है।

(स्रोत : रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता)

(ग) और (घ) जी, हां। रबरवुड उत्पादों का निर्यात कुर्सियों, ब्रश ब्लाकों, रसोई की आलमारी के परदों, लकड़ी के फर्श, इमारती लकड़ी के ब्लाकों इत्यादि के रूप में किया जा रहा है।

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयास के कार्य के रूप में ये उपाय किए गए हैं–निर्यातों से संबंधित समस्याओं का लगाने और उनका निराकरण करने के लिए व्यापार और साथ लगातार सम्पर्क रखना : व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों म भागीदारी के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद् के माध्यम से बाजार विकास सहायता निर्यातक समुदाय तक बढ़ाना; क्रेता विक्रेता बैठकों और अन्य बाजार संवर्द्धन क्रियाकलापों का आयोजन करना।

[हिन्दी]

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

*160. **श्री मणी भाई रामजीभाई चौधरी :**

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने संबंधी नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान नीति में संशोधन करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में विदेशी साम्य पूंजी

*161. **श्री नरेन्द्र बुडानिया :**

श्री सुरेश चन्देल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खनन क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु भविष्य में और लाइसेंस जारी करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(घ) कोयला खनन क्षेत्र में विदेशी साम्य पूंजी की मंजूरी कब दी जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सरकार द्वारा, कोयला खनन क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति प्रदान करने संबंधी अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनियों जिसमें 100% सहायक कंपनियां शामिल हैं, के माध्यम से विदेशी धारक कंपनियों द्वारा किए जाने वाले सभी अनुप्रवाही निवेशों के लिए विदेशी निवेश में संवर्द्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) से पूर्व में अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(ख) निजी क्षेत्र में ग्रहीत कोयला खनन परियोजनाओं में 100% विदेशी इक्विटी पूंजी की अनुमति प्रदान करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न (ख) भाग के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

व्यापार संधियां

1463. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1998 तक सरकार ने किन–किन देशों के साथ और किन–किन क्षेत्रों में व्यापार संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) इन संधियों के अंतर्गत किन–किन वस्तुओं का निर्यात अथवा आयात किया जायेगा;

(ग) ये संधियां कितनी अवधि के लिये हैं; और

(घ) प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में कौन–कौन सी वस्तुएं शामिल हैं और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ग) भाग (क) और (ग) के उत्तर में दिया जाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (घ) व्यापार करारों में निर्यात तथा आयात के लिए जिन मदों पर सहमति होती है, उनमें समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है, जब संयुक्त आयोग/संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में द्विपक्षीय मामलों की समीक्षा होती है। किन्ही मदों के आयात तथा निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबंध एक्जिम नीति में संचालित होते हैं।

विवरण

क्र. सं.	देश का नाम	करार का स्वरूप	हस्ताक्षर की तारीख	वैधता की अवधि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य (भूतपूर्व)	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	4.11.72	1.1.73	एक बार में एक वर्ष के लिए स्वतः नवीकरण
2.	हंगरी	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	15.12.77	1.1.78 से 31.12.80	—वही—
3.	पोलैंड	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	26.11.90	अनिश्चितकाल अवधि	दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा लिखित नोटिस दिए जाने पर रद्द किया जा सकता है।
4.	रोमानिया	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	23.2.93	अनिश्चितकाल अवधि	—वही—
5.	चैक गणराज्य	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	15.3.93	14.3.98	एक बार में एक वर्ष के लिए स्वतः नवीकरण।
6.	स्लोवाक गणराज्य	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	14.5.93	13.5.98	एक बार में पांच वर्ष के लिए स्वतः नवीकरण।
7.	स्लोवेनिया	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	7.12.93	6.12.98	—वही—
8.	क्रोएट्टा	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	16.9.94	15.9.99	—वही—
9.	बुल्गारिया	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	4.12.96	3.12.2001	—वही—
10.	ब्राजील	व्यापार सहयोग	3.2.68	—	ये करार सामान्यतः एक निश्चित
11.	कोलम्बिया	व्यापार सहयोग	14.7.70	—	अवधि के लिए किए जाते हैं, लेकिन इनका स्वतः नवीकरण
12.	पेरु	व्यापार सहयोग	4.11.71	—	होता रहता है जब तक कि कोई संविदाकारी पक्ष दूसरे पक्ष को
13.	क्यूबा	व्यापार सहयोग	9.7.79	—	लिखित में इसे रद्द करने की
14.	ग्वाटेमामा	व्यापार सहयोग	23.4.81	—	अपनी इच्छा न बतलाए।
15.	अर्जेन्टिना	व्यापार सहयोग	28.7.81	—	
16.	ट्रिनिडाड एंड टोबेगो	व्यापार सहयोग	24.1.97	—	
17.	अफगानिस्तान	व्यापार करार	24.6.78	शुरू में एक वर्ष के लिए वैध	हर बार एक वर्ष के लिए स्वतः नवीकरण होता रहता है जब तक कि कोई पक्ष उसे रद्द करने के लिए नोटिस न दे।
18.	श्री लंका	व्यापार करार	28.10.61	—	शास्वत रूप से वैध जब तक कोई भी पक्ष नोटिस के जरिए इसे रद्द न करे।
19.	बांग्लादेश	व्यापार करार	4.10.80	3.10.98	आवधिक रूप से नवीकृत
20.	मालदीव	व्यापार करार	31.3.81	शुरू में एक	शास्वत रूप से वैध जब तक कोई

1	2	3	4	5	6
				वर्ष के लिए वैध	भी पक्ष नोटिस के जरिए इसे रद्द न करे।
21.	भूटान	व्यापार करार	2.3.95	10 वर्ष	—वही—
22.	नेपाल	व्यापार संधि	6.12.97	5.12.2001	एक ही बार में 5 वर्ष के लिए स्वतः नवीकरण होता है।
23.	कोरिया गणराज्य	व्यापार संवर्धन, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग	12.8.74	शुरू में 2 वर्ष के लिए वैध है।	प्रथम बार और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कोई भी पक्ष कम से कम 90 दिन का इस आशय का लिखित नोटिस नहीं देता है कि वह करार को रद्द करना चाहता है।
	कोरिया	व्यापार सहयोग	3.2.78	इस समय लागू है	प्रथम बार और यह तब तक लागू जब तक कोई भी पक्ष कम से कम 90 दिन का इस आशय का लिखित नोटिस नहीं देता है कि वह करार को रद्द करना चाहता है।
25.	चीन गणराज्य	आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग	15.8.84	इस समय लागू है	—
26.	मंगोलिया	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	16.9.96	इस समय	—
27.	इजरांइल	परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार, शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान, मेलों में भागी–दारी, आर्थिक/ औद्योगिक सहयोग आदि।	21.12.94	लागू है।	शुरू में 5 वर्ष अगले 5 वर्ष के लिए अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी जब तक कोई पक्ष इसे रद्द न करे।
28.	ट्यूनिशिया	—वही—	20.9.94	शुरू में 5 वर्ष	
29.	मिस्र	परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार, मेलों में भागीदारी आदि।	12.3.78	शुरू में 5 वर्ष	अगले एक वर्ष के लिए अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी जब तक कोई पक्ष इसे रद्द न करे।
30.	अल्जीरिया	एम. एफ. एन. व्यवहार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी सूचना का आदान–प्रदान आदि।	10.2.76	शुरू में एक वर्ष	—वही—

1	2	3	4	5	6
31.	जार्डन	एम. एफ. एन. व्यवहार, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, सूचना का आदान–प्रदान, संयुक्त उद्यम आदि।	24.2.76	शुरू में 5 वर्ष	अगले एक वर्ष के लिए अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी जब तक कोई पक्ष इसे रद्द न करे।
32.	मोरक्को	एम. एफ. एन. व्यवहार, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, व्यापारियों की यात्राओं को प्रोत्साहन देना आदि।	17.11.81	शुरू में तीन वर्ष	–वही–
33.	सीरिया	एम. एफ. एन. व्यवहार, सूचना का आदान–प्रदान, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि।	20.4.78	शुरू में तीन वर्ष	–वही–
34.	लीबिया	एम. एफ. एन. व्यवहार, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आदान–प्रदान, संयुक्त उद्यमों की स्थापना आदि।	19.7.78	शुरू में एक वर्ष	–वही–
35.	ओमान	आर्थिक, व्यापार एवं तकनीकी सहयोग संबंधी करार	15.6.93	5 वर्ष	ऐसी ही अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी जब तक चालू अवधि समाप्त होने से पहले किसी एक पक्ष द्वारा इसे रद्द करने का लिखित नोटिस नहीं दिया जाए।
36.	कुवैत	व्यापार करार	13.2.74	3 वर्ष	–वही–
37.	इराक	व्यापार करार	24.9.71	3 वर्ष	–वही–
38.	बेहरीन	आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करार	28.4.81	5 वर्ष	–वही–
39.	सऊदी अरब	आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करार	14.4.81	3 वर्ष	–वही–
40.	ईरान	व्यापार करार	31.8.74	5 वर्ष	–वही–
41.	कैमरुन	व्यापार करार	22.2.68	–	स्वतः नवीकरण होता रहेगा जब तक कोई एक संविदाकारी पक्ष उसे रद्द करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना दूसरे पक्ष को नहीं देता।

1	2	3	4	5	6
42.	सेनेगल	व्यापार करार	22.5.74	—	—वही—
43.	जाम्बिया	व्यापार करार	8.12.78	—	—वही—
44.	केन्या	—वही—	24.2.81	—	—वही—
45.	जिम्बाब्वे	—वही—	22.5.81	—	—वही—
46.	पाना	—वही—	12.10.81	—	—वही—
47.	मोजाम्बिक	—वही—	28.10.81	—	—वही—
48.	लाइबेरिया	व्यापार करार	16.11.81	—	—वही—
49.	युगांडा	व्यापार करार	24.11.81	—	—वही—
50.	नाइजीरिया	व्यापार करार	27.1.83	—	—वही—
51	अंगोला	व्यापार करार	4.10.86	—	—वही—
	रवांडा	—वही—	13.6.90	—	—वही—
	आइवरी कोस्ट	—वही—	17.2.93	—	—वही—
54.	दक्षिण अफ्रीका	—वही—	22.8.94	—	—वही—
55.	बुर्कीनिया फासो	—वही—	4.11.95	—	—वही—
56.	नामीबिया	—वही—	27.11.95	—	—वही—
57.	इथोपिया	—वही—	6.3.95	—	—वही—
58.	इंडोनेशिया	—वही—	1978	एक वर्ष	वार्षिक आधार पर अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी जब तक दूसरा पक्ष इसे रद्द करने हेतु नोटिस नहीं देता।
59.	थाईलैंड	—वही—	—	एक वर्ष	—वही—
60.	फिलिपींस	व्यापार करार	1979	एक वर्ष	—वही—
61.	वियतनाम	—वही—	8.3.97	5 वर्ष	—वही—
62.	म्यांमार	व्यापार, करार और सीमावर्ती व्यापार करार	1970	एक वर्ष	—वही—
63.	न्यूजीलैण्ड	व्यापार करार	17.10.86	5 वर्ष	यदि कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे रद्द करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना दूसरे पक्ष को देता है तो इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी।
64.	आस्ट्रेलिया	व्यापार करार	2.8.76	2 वर्ष	—वही—
65.	इटली	व्यापार करार	6.10.59	—	—
66.	स्विट्जरलैण्ड	व्यापार करार	13.4.70	—	—
67.	स्पेन	व्यापार करार	14.12.72	—	—
68.	फिनलैण्ड	व्यापार करार	22.5.74	—	—
69.	यूनाईटेड किंगडम	व्यापार करार	6.1.76	—	—
70.	पुर्तगाल	व्यापार तथा आर्थिक औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग करार	7.4.77	—	—

1	2	3	4	5	6
71.	फ्रांस	औद्योगिक तथा वाणिज्यिक सहयोग	28.1.80	–	–
72.	निदरलैण्ड	आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करार	8.2.83	–	–
73.	स्वीडन	कुछ सूती वस्त्र उत्पादों के निर्यात संबंधी करार	14.3.83	–	–
74.	हैलेनिक	आर्थिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग करार	23.9.83	–	–
75.	जर्मनी	तकनीकी सहयोग	–	–	–
76.	यूरोपीय संघ	सहयोग करार	27.8.94		– –
77.	रूसी संघ	व्यापार एवं आर्थिक करार	4.5.92	वैधता 31–12–96 तक	अगली पांच–पांच वर्ष की अवधियों के लिए स्वतः नवीकरण
78.	रिपब्लिक ऑफ लैटिविया	आर्थिक सहयोग	10.9.93	–	हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष और बाद में एक–एक वर्ष की अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी।
79.	लिथुआनिया गणराज्य	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	2.7.93	–	–वही–
80.	एस्टोनिया	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	15.10.93	–	–वही–
81.	उजबेकिस्तान गणराज्य	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	24.5.93	–	–वही–
82.	किरगिस्तान गणराज्य	व्यापार, आर्थिक संबंध तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	18.3.92	–	हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष और बाद में पांच–पांच वर्ष की अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी।
83.	तजाकिस्तान गणराज्य	व्यापार, आर्थिक सहयोग	15.2.93	–	हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष और बाद में एक–एक वर्ष की अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी।
84.	तुर्कमेनिस्तान	व्यापार और आर्थिक सहयोग	20.4.92	–	–वही–
85.	कजाकिस्तान गणराज्य	व्यापार, आर्थिक संबंध तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	22.2.92	–	हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष और बाद में पांच–पांच वर्ष की अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी।
86.	मॉल्डोवा गणराज्य	व्यापार तथा आर्थिक सहयोग	19.3.93	–	हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष और बाद में एक–एक वर्ष की अवधि स्वतः बढ़ती रहेगी।

1	2	3	4	5	6
87.	उक्रेन	व्यापार और आर्थिक सहयोग	27.3.92	—	—वही—
88.	बेलारूस	व्यापार और आर्थिक सहयोग	14.5.93	—	—वही—
89.	आर्मीनिया	व्यापार और आर्थिक सहयोग	11.3.93	—	—वही—
90.	जोर्जिया	व्यापार और आर्थिक सहयोग	15.8.95	—	—वही—
91.	अजरबैजान के साथ व्यापार करार अभी होना है।				

भारत-बेल्जियम व्यापार संबंध

1464. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बेल्जियम के बीच किन-किन क्षेत्रों में व्यापार संबंध स्थापित हुए हैं;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने के लिये किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिये भारत और बेल्जियम के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) भारत-बेल्जियम व्यापार के मुख्य क्षेत्र हैं : स्वर्ण एवं आभूषण, वस्त्र, रसायन, कृषि एवं समुद्री उत्पाद तथा खनिज एवं धातु।

(ख) जी, हां। शिष्टमंडलों के द्विपक्षीय आदान-प्रदान, व्यापार मेलों में भागीदारी, सेमिनार और क्रेता-विक्रेता बैठकें इत्यादि आयोजित करने के अलावा सरकारी स्तर पर एक भारतीय-ब्ल्यू (भारत-बेल्जियम और लग्जेमबर्ग) संयुक्त आयोग दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विकास का निरीक्षण करने के लिए कार्यरत है जिसकी पिछली बैठक मार्च, 1995 में नई दिल्ली में हुई थी।

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार-संबंध के विस्तार के लिए अभिज्ञात किए गए क्षेत्र हैं : कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, इंजीनियारिंग उत्पाद, हस्तशिल्प, भेषजीय एवं बल्क औषधियां और चमड़ा।

(घ) और (ङ) हालांकि भारत और बेल्जियम के बीच कोई व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है फिर भी अप्रैल, 1993 में दोहरे कराधान से बचने के करार पर हस्ताक्षर किए गए थे (बेल्जियम संसद द्वारा अगस्त, 1997 में अभिपुष्टि की गई) और निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण करार नवम्बर, 1997 में किया गया। इसके अलावा, भारत ने वर्ष 1994 में यूरोपीय संघ के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं और बेल्जियम उसका एक सदृश्य राष्ट्र होने के नाते इस करार में कवर हो गया है। इन सभी करारों से भारत-ब्ल्यू आर्थिक एवं व्यापार संबंधों में वृद्धि होने की आशा है।

रबड़ की कीमतें

1465. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे रबड़ के आयात की अनुमति दी है;

(ख) क्या नई आयात-निर्यात नीति के कारण घरेलू बाजार में रबड़ की कीमतों में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या रबड़ की बेहतर कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए केरल के रबड़ उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रबड़ का निर्यात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट मुख्य रूप से उपभोक्ता उद्योगों द्वारा की गयी प्राकृतिक रबड़ की कम खपत के कारण आयी है।

(ग) रबड़ की अच्छी कीमत सुनिश्चित करने के लिए केरल के रबड़ उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) रबड़ का निर्यात पहले से ही खुले सामान्य लाईसेंस (ओ. जी. एल.) के अंतर्गत आता है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों की मंजूरी में कमी

1466. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1996–97 की तुलना में 1997–98 के दौरान संस्थानवार कुल कितना ऋण मंजूर किया गया;

(ख) क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1996–97 के दौरान मंजूर किए गए ऋण में लगभग 15 प्रतिशत तक की कमी आई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1996–97 की तुलना में 1997–98 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता का संस्था–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1996–97 के दौरान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूरियों में 14.9% की गिरावट आई है।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि 1996–97 में मंजूरियों में हुई गिरावट, बड़ी परियोजनाओं के लिए गिरा हुआ निवेश वातावरण और गैर–परियोजना ऋणों के अंतर्गत परिचालनों और पूंजी बाजार उत्पादों में गिरावट आदि के कारण हैं। तथापि, सरकार का मूलभूत क्षेत्र को निजी क्षेत्र निवेश के लिए खोलने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संस्थाओं को, उद्योग को कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए योजना परिचालित करने की अनुमति देने से पिछले वर्ष की तुलना में 1997–98 के दौरान संस्थागत मंजूरियों में 48% की महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई।

विवरण

अप्रैल–मार्च 1996–97 और 1997–98 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता।

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	संस्था	अप्रैल–मार्च 1996–97	अप्रैल–मार्च 1997–98	प्रति–शतता
मंजूरियां				
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	17049.9	24198.5	41.9
2.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.	7212.3	10982.6	52.3
3.	भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि.	14313.1	25532.0	78.4
4.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	6485.3	7482.6	15.4
5.	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	816.0	2061.0	152.6
6.	जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त नि. लि.	30.5	10.8	–64.6
7.	टी. डी. आई. सी. आई. लि.	16.6	42.8	157.8
8.	भारतीय	303.5	320.1	5.5
9.	भारतीय जीवन बीमा निगम	2820.8	3563.1	26.3
10.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	3669.1	4229.1	15.3
11.	भारतीय साधारण बीमा निगम	1035.2	1148.8	11.0
		53752.3	79571.4	48.0

नोट : आकड़े अनन्तिम

वित्तीय संस्थानों को चुस्त दुरुस्त बनाना

1467. श्री के. पी. नायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थानों को बैंक धोखाधड़ी संबंधी सलाहकार बोर्ड की लेखा परीक्षा के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो वित्तीय संस्थानों को इसके अंतर्गत न लाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्तीय संस्थानों के लेखों में अत्यधिक अशोध ऋण है;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय संस्थानों को चुस्त–दुरुस्त बनाने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या वित्तीय संस्थानों ने भारी मात्रा में गुप्त ऋण दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के महाप्रबंधक और उससे ऊपर के रैंक के बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने/मामले दर्ज करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या वित्त मंत्रालय के माध्यम से भेजे गए मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह देने के लिए फरवरी [illegible]ीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक धोखाधड़ी संबंधी सलाहकार [illegible]क) का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों को एबीबीएफ के दायरे में नहीं लाया गया था और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों से संबंधित कोई मामला भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं भेजा गया है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अफीम का उत्पादन/निर्यात

1468. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी समझौते के अनुसार 600 टन अफीम का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान हुआ अफीम का उत्पादन गत वर्ष के मुकाबले काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। अफीम के निर्यात के लिए किसी समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) तीन अफीम उत्पादक राज्यों में चालू फसल वर्ष के दौरान 70° संशक्ति वाली अफीम का कुल उत्पादन निम्नानुसार है :–

वर्ष	म. प्र.	राजस्थान	उ. प्र.	कुल (मीट्रिक टन)
1997–98 अनंतिम	128.042	188.914	48.048	365.004

कुल लाइसेंस शुदा क्षेत्र के करीब 33% क्षेत्र में खेती करने तथा खराब मौसम, बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि तथा पौधों में रोग लगने की वजह से अफीम की फसल को नुकसान होने के कारण वर्ष 1997–98 के दौरान अफीम का कम उत्पादन हुआ।

[अनुवाद]

नई वस्त्र मिलों को स्थापित करना

1469. श्री माधव राव पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नौवीं योजना के दौरान देश में नई कपड़ा मिलों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुग्ण कपड़ा मिलों को फिर से चालू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को चालू वर्ष तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान दिए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार रुग्ण वस्त्र एककों के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान नहीं करती है।

वित्तीय घाटा

1470. श्री नरेन्द्र बुडानिया :

श्री सुरेश चन्देल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार को वार्षिक वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसी सहायता की सीमा निर्धारित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण बाजार ऋणों,

लघु बचतों, भविष्य निधियों और विशेष जमाओं जैसी अन्य देयताओं, विदेशी सहायता के माध्यम से तथा 1996–97 तक तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से किया जाता है। 1 अप्रैल, 1997 से, तदर्थ राजकोषीय हुंडियों को जारी करने की प्रणाली के स्थान पर प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन की स्थिति को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू. एम. ए.) की प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋण कार्यक्रम को भी सहायता देता है जो केन्द्रीय सरकार को निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण अथवा मौद्रिकृत घाटे में प्रतिबिम्बित होता है। 1997–98 के लिए संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय सरकार के सकल राजकोषीय घाटे को 86,345 करोड़ रुपए आंका गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्डों के अनुसार, मौद्रिकृत घाटा, जो केन्द्र को निवल भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण है, मार्च, 1998 के अंत में 12,914 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त डब्ल्यू. एम. ए. के लिए सीमा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पारस्परिक सहमति पर आधारित होती है। चालू राजकोषीय वर्ष (1998–99) के लिए, पहली छमाही और दूसरी छमाही के लिए डब्ल्यू. एम. ए. सीमा क्रमशः 11,000 करोड़ रुपए और 7,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। डब्ल्यू. एम. ए. की नई प्रणाली घाटे के मौद्रीकरण में अंशदान किए बिना केन्द्रीय सरकार की प्राप्ति और व्यय में अस्थायी असंतुलन की स्थिति को दूर करने का प्रयत्न करती है। इससे सरकार के राजकोषीय परिचालन में पर्याप्त पारदर्शिता आती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के निमित्त डब्ल्यू. एम. ए. प्रणाली बेहतर राजकोषीय–मौद्रिक नीति समन्वय में सहायक होती है।

ऋण-जमा अनुपात

1471. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री मोइनुल हसन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण–जमा अनुपात की दर क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य में ऋण–जमा अनुपात (प्रतिशत) की दरों में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऋण–जमा अनुपात की दरों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) मार्च, 1996 और मार्च, 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार जमाराशियां, ऋण और ऋण जमा अनुपात विवरण में दिया गया है। मार्च, 1996 से मार्च, 1997 तक की अवधि के दौरान, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 25 में ऋण जमा अनुपात में गिरावट आई है और यह समग्र देश के लिए 61.9 प्रतिशत से 57.3 प्रतिशत हो गया है। चंडीगढ़ को छोड़कर इस अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों में वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात में गिरावट के लिए इसी अवधि के दौरान ऋणों में वृद्धि की तुलना में इन बैंकों के जमा आधार में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि को उत्तरदायी ठहराया जाता है।

(घ) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जिसमें किसी विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत बैंकों के प्रतिनिधि तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, नियमित बैंकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात सहित बैंक ऋण के सभी पहलुओं की समीक्षा करती है।

विवरण

मार्च, 1996 और मार्च, 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र–वार जमाराशियां, बैंक ऋण और ऋण जमा अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1996			मार्च 1997		
	जमा राशियां (करोड़ रु. में)	ऋण	ऋण जमा अनुपात (%)	जमा राशियां	ऋण (करोड़ रु. में)	ऋण जमा अनुपात (%)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	21605	17461	80.8	25850	20061	77.6
2. हिमाचल प्रदेश	360	37	10.4	394	42	10.7
3. असम	4393	1726	39.3	5084	1789	35.2

1	2	3	4	5	6	7
4. बिहार	17922	5732	32.0	21222	6467	30.5
5. गोवा	3127	842	26.9	3834	957	25.0
6. गुजरात	25265	13393	53.0	29059	14449	49.7
7. हरियाणा	8930	4108	46.0	10354	4422	42.7
8. हिमाचल प्रदेश	3139	810	25.8	3676	861	23.4
9. जम्मू एवं कश्मीर	4031	1540	38.2	4717	1829	38.8
10. कर्नाटक	23258	16205	69.7	26357	18842	71.5
11 केरल	19793	8985	45.4	22995	10783	46.9
प्रदेश	15651	8934	57.1	18127	9486	52.3
13. महाराष्ट्र	89173	67519	75.7	101954	69998	68.7
14. मणिपुर	231	124	53.7	264	152	57.6
15. मेघालय	730	105	14.4	892	127	14.3
16. मिजोरम	209	34	16.2	285	40	14.0
17. नागालैंड	377	103	27.4	490	118	24.0
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	42477	31745	74.7	48847	32676	66.9
19. उड़ीसा	6006	3292	54.8	7153	3504	49.0
20. पंजाब	20075	8407	41.9	23043	9015	39.1
21. राजस्थान	12017	5602	46.6	14055	6215	44.2
22. सिक्किम	206	40	19.3	240	42	17.7
23. तमिलनाडु	29052	29410	01.2	32487	32597	100.3
24. त्रिपुरा	581	245	42.1	694	262	37.7
25. उत्तर प्रदेश	41451	14195	34.2	48304	15269	31.6
26. पंश्चिम बंगाल	31127	17352	55.7	36450	18241	50.0
27. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	153	25	16.5	189	30	15.0
28. चंडीगढ़	3751	5205	130.8	4061	3574	88.0
29. दादर एवं नगर हवेली	60	12	20.7	82	15	18.6
30. दमन एवं दीव	168	39	23.3	206	45	21.9
31. लक्षद्वीप	25	2	9.6	31	3	8.8
32. पांडिचेरी	729	306	41.9	831	324	39.0
अखिल भारत	426073	263533	61.9	492227	282237	57.3

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नया पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन संस्थान

1472. श्री अशोक प्रधान : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नये पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार विशेषरूप से उत्तर प्रदेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी अभी नए पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान खोलने/गठन करने का प्रस्ताव नहीं है।

भारत सरकार द्वारा समर्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर से सम्बद्ध एक शाखा लखनऊ में है जो इस क्षेत्र के पर्यटन प्रशिक्षण की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगमों की मिलों का पुनरुद्धार

1473. डॉ. जयंत रंगपी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मजदूरी के रूप में कितनी राशि बिना काम कराए दी गई;

(ख) 1994 में तैयार की गई राष्ट्रीय वस्त्र निगम की पुनरुद्धार हेतु योजना की अनुमानित लागत क्या थी;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम हेतु पुनरुद्धार योजना क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन मिलों के नाम क्या हैं जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है तथा जिन्हें प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बन्द किया जाना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा एन. टी. सी. को वर्ष 1992–93 से 1997–98 तक वेतन और मजदूरियों का भुगतान करने के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता प्रदान की गई।

(ख) से (ङ) निबल पूंजी की कमी के कारण एन. टी. सी. के 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले बी. आई. एफ. आर. को भेजे गए हैं जिसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है। सरकार ने मई, 1995 में एन. टी. सी. के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया था जिसमें 2005.72 करोड़ रुपए के परिव्यय से 79 मिलों का आधुनिकीकरण करना निहित था। यह योजना बी. आई. एफ. आर. के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी। पुनर्वासन के लिए निधियों की व्यवस्था एन. टी. सी. की मिलों की बेशी भूमि और परिसम्पत्तियों की बिक्री से की जानी थी। बी. आई. एफ. आर. ने 4 सहायक निगमों अर्थात् एन. टी. सी. (एम. पी.), एन. टी. सी. (गुजरात), एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. एण्ड ओ.) और एन. टी. सी. (यू. पी.) के मामले में पुनर्वासन योजना को अर्थक्षम नहीं पाया तथा इन चार सहायक निगमों को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। शेष 4 सहायक निगमों अर्थात् एन. टी. सी. (डी. पी. आर.), एन. टी. सी. (ए. पी. के. के. एण्ड एम.), एन. टी. सी. (एम. एन.) और एन. टी. सी. (एस. एम.) के मामले में बी. आई. एफ. आर. ने कुछ राहत तथा रियायतें प्राप्त करने के लिए मसौदा पुनर्वासन योजनाएं प्रकाशित की थीं। लेकिन बी. आई. एफ. आर. से अनुमोदन प्राप्त न होने तथा बिक्री आय से निधियां उपलब्ध न होने के कारण पुनर्वासन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इसलिए सरकार एन. टी. सी. द्वारा किए गए एकक–वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर एन. टी. सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है, जिसके लिए बी. आई. एफ. आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निबल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी. आई. एफ. आर. के मानदण्डों को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

इलायची का आयात

1474. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घरेलू बाजार में इलायची की मांग की अनदेखी करते हुए भारी मात्रा में इलायची का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलायची के अनियंत्रित आयात के कारण केरल के इलायची उत्पादक बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने इलायची की खेती करना छोड़ दिया है; और

(ग) यदि हां, तो केरल के इलायची उत्पादकों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) इलायची की आयात नीति प्रतिबंधित है और वर्ष 1997–98 के दौरान इलायची के आयात के लिए कोई विशेष आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। किन्तु, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत, ऐसा कोई निर्यातक, जिसे निर्यात उत्पादन के लिए किसी निविष्टि के रूप में इलायची की आवश्यकता है, ऐसे निर्यात माल के विनिर्माण के लिए इलायची का आयात करने का हकदार है। इस प्रकार, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत इलायची के आयात

के कारण घरेलू इलायची उत्पादनकर्ताओं को कोई खतरा नहीं हो सकता।

भारत कोकिंग कोल लि. में उत्पादन में गिरावट

1475. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत आपूर्ति ठप्प होने, मशीनरी बंद होने, भूमि विवाद, अनुपस्थिति और औद्योगिक संबंधों के विशेष संदर्भ में भारत कोकिंग कोल लि. में उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारणों का वर्षवार और मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के लिए बकाया वेतन का भुगतान करने के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया वेतन और अनुपस्थिति के कारण हानि का औचित्य क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) ...ने लि. में पिछले तीन वर्षों से विभिन्न कारणों से ...ी हानि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े '000 टन में)

वर्ष	बिजली का फेल होना	मशीन के बंद होने से	भूमि विवाद (अनुपलब्धता)	अनुपस्थिति	औद्योगिक संबंध
1995–96	463.3	998.4	112.0	351.6	20
1996–97	359.3	754.4	1065.0	314.7	1.7
1997–98	237.7	462.5	93.0	177.9	2.3

(ख) उक्त अवधि के दौरान बकाया वेतन के भुगतान के कारण हुई हानि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(लाख रु. में)

1995–96	1996–97	1997–98
133	301	293

(ग) बकाया वेतन के भुगतान और अनुपस्थिति के कारण हुई दोनों प्रकार की हानि की औचित्यता का ब्यौरा निम्न है :—

(i) कामगारों द्वारा शिफ्ट की ड्यूटी पर उपस्थित होने के बाद, लंबी अवधि तक बिजली का चला जाना।

(ii) कामगारों द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित होने के बाद बड़ी मशीनों का बंद होना।

(iii) ज्वलनशील गैस का पता लगने पर कामगारों को खान से बाहर निकालना पड़ता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजीगत समर्थन

1476. श्री मोइनुल हसन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पूंजी में भागीदारी न किये जाने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत समर्थन प्राप्त नहीं हुआ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने आनुपातिक आधार पर अपने हिस्से की पिछले तीन वर्षों की अतिरिक्त शेयर पूंजी अभी तक प्रदान नहीं की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से भारत सरकार ने वर्ष 1994–95 (49 क्षे. ग्रा. बैंक) 1995–96 (53 क्षे. ग्रा. बैंक) तथा 1996–97 (34 क्षे. ग्रा. बैंक) के दौरान 136 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त इक्विटी सहायता प्रदान की ताकि वे अपने तुलन पत्रों को परिमार्जित कर सकें। जैसा कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है, इन 136 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 14 राज्य सरकारों से अतिरिक्त इक्विटी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अलावा, विगत वर्षों के दौरान शामिल किए गए 90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की गई अनुपूरक पूंजीगत सहायता के अतिरिक्त 15 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एक समूह को भी 1997–98 के दौरान सरकार की ओर से 200 करोड़ रु. की अतिरिक्त इक्विटी सहायता प्रदान की गई। ऐसी आशा की जा रही है कि चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारें इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनका उपयुक्त हिस्सा प्रदान कर देंगी।

विवरण

उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम जिन्हें राज्य सरकारों की ओर से अतिरिक्त इक्विटी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	नागार्जुन ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
2.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
3.	श्री सत्यवहाना ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
4.	प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक	असम
5.	सुवंसीरी गांवलिया बैंक	असम
6.	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	असम
7.	कछार ग्रामीण बैंक	असम
8.	बेगुसराय ग्रामीण बैंक	बिहार

1	2	3
9.	गिरीडीह ग्रामीण बैंक	बिहार
10.	हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार
11.	संथाल परगना ग्रामीण बैंक	बिहार
12.	पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक	बिहार
13.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	बिहार
14.	सीवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार
15.	वंसकान्ता मेहसाणा ग्रामीण बैंक	गुजरात
16.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	हरियाणा
17.	अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक	हरियाणा
18.	हिसार सिरसा ग्रामीण बैंक	हरियाणा
19.	जम्मू ग्रामीण बैंक	जम्मू एंड कश्मीर
20.	नेत्रावती ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
21.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
22.	दक्षिण मालावार ग्रामीण बैंक	केरल
23.	रायगढ़ ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
24.	शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
25.	देमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
26.	विलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
27.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगावाद	मध्य प्रदेश
28.	बुदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
29.	दुर्ग राजनंद गांव ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
30.	कटक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उड़ीसा
31.	कोरापुत पंचवटी ग्रामीण बैंक	उड़ीसा
32.	धेनकानल ग्राम्य बैंक	उड़ीसा
33.	रूशीकुल्या ग्राम्य बैंक	उड़ीसा
34.	कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक	उड़ीसा
35.	गुरुदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब
36.	कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब
37.	जयपुर नागौड आंचलिक ग्रामीण बैंक	राजस्थान
38.	शेखावती ग्रामीण बैंक	राजस्थान
39.	भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राजस्थान
40.	बुंदी चित्तौरगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राजस्थान
41.	डूंगरपुर बंसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राजस्थान
42.	जमुना ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
43.	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
44.	किसान ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
45.	मलभूम ग्रामीण बैंक	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

नयी कोयला खानें

1477. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998–99 के दौरान नयी कोयला खानें आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित कोयला खानों की उत्पादन क्षमता एवं अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन कोयला खानों में कब तक उत्पादन आरंभ किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) नई परियोजनाओं जहां वर्ष 1998–99 में उत्पादन होने की संभावना है, का स्थल–वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:–

	परियोजनाएं	कंपनी	राज्य
1.	गंगा	भा. को. को. लि.	बिहार
2.	सुलुंगा जीनागोरा ओ. का.	भा. को. को. लि.	बिहार
3.	कारो–I	से. को. लि.	बिहार
4.	टावा भू. ग.	वे. को. लि.	मध्य प्रदेश
5.	हिंगुला–I	म. को. लि.	उड़ीसा

(ग) वर्ष 1998–99 में होने वाले उत्पादन में, नई परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता और अनुमानित लागत का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1998–99 के उत्पादन में योगदान देने वाली परियोजनाओं के नाम	क्षमता (मि. ट. प्रतिवर्ष)	प्रत्याशित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
गंगा	0.36	17.48
सुलुंगा जीनागोरा ओ. का.	0.70	41.60
कारो–I	1.50	79.22
टावा भू. ग. **	0.59	79.10
	(0.80)	(98.08)
हिंगुला–I	4.00	201.27

**टावा चरण–I, एक चालू परियोजना है जिसमें 18.98 करोड़ रु. के पूंजीगत परिव्यय के साथ 0.21 मि. ट. प्रतिवर्ष की क्षमता शामिल है।

उपर्युक्त परियोजनाएं वर्ष 1998–99 में उत्पादन देने लगने की गई हैं।

[अनुवाद]

यूनाइटिड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में सफाई कर्मचारी

1478. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस लिमिटेड के अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को यद्यपि स्थायी आधार पर नियमित तो कर दिया गया, परन्तु उन्हें वेतन और अन्य भत्ते आबंटित निर्धारित कार्य घंटों के अनुपात में यथानुपात आधार पर दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हीं ग्रेडों के अन्य कर्मचारियों के बराबर इनके वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा स्थायी आधार पर नियोजित अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य भत्ते उप–स्टाफ के कैडर में नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को देय मासिक सकल परिलब्धियों की प्रतिशतता के रूप में दिये जाते हैं। अंशकालिक कर्मचारियों को प्रदान की गयी ऐसी अदायगी को निम्न वेतनमानों में उन कार्य–घंटों से सम्बद्ध किया जाता है जिस हेतु उन्हें काम पर बुलाया जाता है।

प्रतिदिन कार्य के घंटे	वेतनमान प्रति मास देय कुल मेहनताना की राशि समनुरूप कैडर में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त कामगारों के लागू न्यूनतम वेतनमान पर मासिक सकल पारलब्धियों की प्रतिशतता के रूप में है।
2 घंटे	24%
3 घंटे	36%
4 घंटे	48%

(ग) अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालिक मजदूरी की अदायगी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का कार्यनिष्पादन

1479. श्री एम. राजैया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, हैदराबाद घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कंपनी का वर्तमान वित्तीय निष्पादन क्या है; और

(घ) कंपनी को घाटे की स्थिति से उबारने और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एच. सी. एल.) के घाटे के मुख्य कारण हैं : क्षमता का अपर्याप्त उपयोग, कार्यशील पूंजी की पूर्णतः कमी, उच्च वित्तीय देनदारियां और उत्पादन के मूल्य के मुकाबले कार्मिकों पर उच्च लागत का होना।

(ग) कंपनी का वर्तमान वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपयों में)

1997–98 (अस्थायी)	अप्रैल 1998 (अस्थायी)
घाटा (–) लाभ (+)	घाटा (–) लाभ (+)
(–) 174.80	(–) 14.95

(घ) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की वित्तीय पुनर्संरचना और अन्य उपायों के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

जम्मू-कश्मीर में पर्यटन संस्थान की स्थापना

1480. श्री चमन लाल गुप्त : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन संबंधी पहलुओं पर शिक्षण

एवं प्रशिक्षण देने के लिए जम्मू–कश्मीर में पर्यटन संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में राज्य में उक्त संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह मुख्यतः, संसाधनों की कमी के कारण हुआ।

आवास निर्माण ऋण

1481. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निजी और सरकारी क्षेत्र में अनेक बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण नहीं दे रहे हैं जो कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के सदस्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस विषय पर यदि कोई नियम बनाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ये बैंक अपने उन कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण देने से मना न करें जो कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के सदस्य हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित कोई ऐसी शिकायत हाल में सरकार की जानकारी में आई हुई प्रतीत नहीं होती है।

(ख) और (ग) जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, इस प्रकार का कोई प्रतिबंध विद्यमान नहीं है। गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऐसी योजनाओं से वित्त मंत्रालय प्रशासनिक रूप से संबंधित नहीं है।

वेतन भुगतान संबंधी बैंक अधिकारियों की मांग

1482. श्री के. एस. राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अधिकारी संघ ने उद्योग–वार वेतन भुगतान की वर्तमान पद्धति जारी रखने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मांगों पर भारतीय बैंक संघ की प्रतिक्रिया क्या है,

(घ) क्या भारतीय बैंक संघ ने इस संबंध में विभिन्न बैंकों द्वारा अनुपालन कराने हेतु कोई दिशा–निर्देश निर्धारित किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय बैंक संघ (आई. बी. ए.) ने सूचित किया है कि बैंक अधिकारी संघ ने वेतन पुनरीक्षण की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का अनुरोध किया है।

(ख) भारतीय बैंक संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अधिकारी संघ द्वारा भारतीय बैंक संघ को दिए गए मांगपत्र में उठाई गई मुख्य मांगों में अन्य बातों के साथ–साथ, अधिकारियों के वर्तमान सात वेतनमानों को कम करके तीन करना, महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय, निम्नतम तथा अधिकतम मूल वेतन में वृद्धि, वेतनमान के सभी स्तरों पर महंगाई भत्ते का शत–प्रतिशत अप्रभावीकरण, अधिकारियों के लिए निःशुल्क सुसज्जित आवास का प्रावधान तथा मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति तथा कई अन्य भत्तों में वृद्धि करना शामिल है।

(ग) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि अधिकारी संघ के साथ विचार–विमर्श के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतीय बैंक संघ और अधिकारियों, दोनों की ओर से वास्तविक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है तथा उद्योग स्तर पर केवल मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते पर विचार–विमर्श होगा। भारतीय बैंक संघ द्वारा संघों को यह भी सूचित किया गया था कि वर्तमान विचार–विमर्श में सभी बैंक शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि कुछ बैंकों को छोड़े जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) भारतीय बैंक संघ ने आगे सूचित किया है कि इस संबंध में विभिन्न बैंकों के अनुसरण के लिए उन्होंने कोई दिशा–निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं।

(च) विचार–विमर्श को पूरा करना भारतीय बैंक संघ तथा संघों पर निर्भर करता है और कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

पेटेंट एक्ट का उल्लंघन

1483. श्री चंदूलाल अजमीरा :

श्री के. पी. नायडू :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत में इंटरनेशनल पेटेंट एक्ट की चोरी के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने के संबंध में वैज्ञानिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। कोई अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट अधिनियम नहीं है। संबंधित सरकारों द्वारा उनके पेटेंट कानूनों के अन्तर्गत पेटेंट प्रदान किये जाते हैं पेटेंट अधिकारों के उल्लंघन को प्रभावित पार्टियों द्वारा उन कानूनों के अन्तर्गत चुनौती भी दी जाती है।

मूल्य संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का लीक होना

1484. श्री के. एस. राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि स्टाक एक्सचेंजों के अधिकारियों द्वारा मूल्य से संबंधित कतिपय महत्त्वपूर्ण सूचनाएं दलालों को लीक कर दी जाती हैं जिससे बाजार में संकट तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने और भविष्य में मुद्रा बाजार में सूचनाओं के लीक किये जाने को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) सेबी के अनुसार ये आरोप सामान्य स्वरूप के हैं और इसलिए विशिष्ट ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सेबी ने सूचित किया है कि उन्होंने स्टाक एक्सचेंजों के साथ इस मामले पर विचार–विमर्श किया है। उन्होंने सूचनाओं के ऐसे प्रकटन की सम्भावनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) स्टाक एक्सचेंजों को सलाह दी गई है कि वे अपने निगरानी विभागों को मजबूत बनाएं तथा योजनाबद्ध परिवर्तन करें ताकि मूल्य संवेदी सूचना की प्राप्ति केवल कुछ अभिज्ञात अधिकारियों तक ही सीमित की जा सके।

(ii) स्टाक एक्सचेंजों के निदेशकों और प्रमुख कर्मचारियों के लिए नैतिक आचरण की संहिता बनाने हेतु प्रमुख स्टाफ एक्सचेंजों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह गठित किया गया है जो ऐसी सूचना का दुरुपयोग करने में उन पर आत्म–नियंत्रण लगाएगा।

[हिन्दी]

कॉफी के उत्पादन में कमी

1485. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कॉफी के उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कॉफी के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु जैव–प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कॉफी बोर्ड ने मैसूर (कर्नाटक) में जैव–प्रौद्योगिकी में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त सुयोग्य वैज्ञानिकों तथा अद्यतन उपकरणों से सुसज्जित एक पूर्ण–विकसित जैव–प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला स्थापित की है। वे सूक्ष्म प्रवर्धन (माइक्रोप्रोपेगेशन) प्रजनन के उद्देश्यों के लिए हेटलॉयड्स और सोमाक्लोनल परिवर्तकों के उत्पादन, एमब्रिओ कल्चर के द्वारा अन्तः विशिष्ट मिश्रित किस्मों के उत्पादन और मिश्रित किस्मों के एग्रोनॉमिक लक्षणों को प्राप्त करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध किस्मों के प्रजनन के लिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर और सोमेटिक संकरण तकनीक का उपयोग करके क्लोन संबंधी गुणन के बारे में अनुसंधान अध्ययन करते हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों का उद्देश्य अधिक उत्पादकता वाली और बेहतर गुणवत्ता वाली कॉफी की किस्मों को विकसित करना है। कॉफी बोर्ड में आठवीं योजना समयावधि ही एक विस्तृत जैव–प्रौद्योगिकीय योजना भी चल रही है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेश

1486. श्री राजवीर सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या निवेशकों में पिछड़े राज्यों में निवेश करने के बारे में कोई हिचकिचाहट है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई. ई. एम.) तथा जारी किये गये आशय पत्रों (एल. ओ. आई.) के राज्यवार ब्यौरे (जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं) संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) राज्य के विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। भारत सरकार विकास केन्द्र योजना के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं को पूरा करती है। राज्य सरकार के विचार–विमर्श से विकास केन्द्रों की पहचान की जाती है। सरकार कर प्रोत्साहन के माध्यम से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।

विवरण

वर्ष 1995 से 1997 तक के दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में किए गए राज्यवार प्रस्तावित निवेश दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	1995 (करोड़ रुपये में)		1996 (करोड़ रुपये में)		1997 (करोड़ रुपये में)	
		एल.ओ.आई.	आई.ई.एम.	एल.ओ.आई.	आई.ई.एम.	एल.ओ.आई	आई.ई.एम.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	551	8918	2993	7079	611	6268
2.	असम	0	1464	578	38	0	33
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	3
4.	बिहार	1	1009	276	735	1016	160
5.	दिल्ली	3	595	0	0	0	19
6.	गोवा	3	904	7	484	0	356
7.	गुजरात	5169	33833	1674	16228	1714	6807
8.	हरियाणा	740	2641	1371	3113	200	2073
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1594	50	717	105	201
10.	जम्मू और कश्मीर	5	55	5	53	55	45
11.	कर्नाटक	295	6148	4311	5602	845	4205
12.	केरल	69	1572	397	316	750	251
13.	मध्य प्रदेश	124	6257	1673	5288	716	2784
14.	महाराष्ट्र	696	19414	6085	11588	270	5418
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	188	0	14	0	4
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैण्ड	0	0	0	46	0	42
19.	उड़ीसा	9	2495	1321	1493	439	1468
20.	पांडिचेरी	85	1929	816	284	0	1025
21.	पंजाब	476	3412	1477	2101	322	1804
22.	राजस्थान	6	6669	138	2130	51	1882
23.	सिक्किम	0	3	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	3204	9429	1432	4888	759	6916
25.	त्रिपुरा	0	0	0	2	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1801	7963	3323	6504	1065	5155
27.	प. बंगाल	1000	6099	1953	2182	587	2261
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	0	48	0	23	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	चण्डीगढ़	0	1	0	74	0	10
30.	दादर और न. हवेली	10	2632	41	2045	23	2613
31.	दमन और दीव	14	237	11	251	0	576
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
0.	एक से अधिक राज्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	14265	125509	29932	73278	9528	52379

टिप्पणी : एल. ओ. आई. : आशय पत्र

आई. ई. एम. : औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

रबड़ उत्पादन

1487. **डॉ. असीम बाला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारत के प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक रबड़ का कितना उत्पादन हुआ था; और

(घ) देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार की क्या योजना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़ का उत्पादन निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन मी. टन में
1995–96	5,06,910
1996–97	5,49,425
1997–98	5,84,000 (अनन्तिम)

(घ) रबड़ बोर्ड प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और उसकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों का कार्यान्वयन कर रहा है। अल्पकालिक उपाय में प्रौद्योगिकी अंतराल को समाप्त करने से संबंधित योजनाएं शामिल होती हैं और दीर्घकालिक उपाय में क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान होता है।

दुग्ध पाउडर/बटर-ऑयल का आयात

1488. **श्री राघवेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयातित दुग्ध पाउडर और बटर–ऑयल का बाजार मूल्य क्या था; और

(ख) विभिन्न एजेंसियों को आयातित दुग्ध पाउडर और बटर–ऑयल किस प्रकार वितरित किए गए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 (अप्रैल, 97 जुलाई, 97) के दौरान आयातित दूध पाउडर और बटर ऑयल का सी. आई. एफ. मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) पाउडर, दानेदार और ठोस रूप में दुग्ध पाउडर का आयात हमेशा प्रतिबंधित सूची में रहा है। दूध में उत्पन्न बटर ऑयल 1995 से मुक्त सूची में रहा है। इनमें से कोई भी मद पशुपालन और डेयरी विभाग या एन. डी. डी. बी. द्वारा वर्ष 1996–97 और 1998 (अब तक) के दौरान आयात नहीं की गई है। इसलिए इन आयातित वस्तुओं के वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1995–96 से 1997–98 के दौरान दुग्ध पाउडर और बटर ऑ ल का आयात दर्शाने वाला विवरण

मूल्य : लाख रुपये में

	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4
1. दूध और क्रीम, सान्द्रित या चीनी या अन्य मीठे पदार्थ से युक्त			
(क) पाउडर, दानेदार या अन्य ठोस रूपों में जिसमें वसा पदार्थ का वजन 1.5% से अधिक न हो।	840.14	196.40	294.12
(ख) पाउडर, दानेदार			

1	2	3	4
या अन्य ठोस रूपों में जिसमें वसा पदार्थ का वजन 1.5% से अधिक न हो।			
(i) जिसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ नहीं हो	2513.03	0.84	—
(ii) अन्य	280.39	42.65	—
(iii) जिसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ न हो	1.52	—	—
(iv) अन्य	28.40	9.67	40.42
2. बटर ऑयल	2421.51	—	344.51

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस.)

[हिन्दी]

संगमरमर का निर्यात

1489. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संगमरमर का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मूल्य का संगमरमर निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार अपरिष्कृत संगमरमर के स्थान पर परिष्कृत संगमरमर का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत से हुए संगमरमर का निर्यात निम्नानुसार है :

(मात्रा : मी. टन)
मूल्य : करोड़ रु. में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1994–95	54,744	37.84
1995–96	35,883	29.25
1996–97	36,714	32.87

(स्रोत डी.जी.सी. आई. एण्ड एस.)

(ग) और (घ) दर्तमान नीति के अनुसार, संगमरमर और इससे बने उत्पाद निर्यात योग्य वस्तुएं हैं।

[अनुवाद]

राज्यों का वित्तीय घाटा

1490. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य के वित्त संबंधी अपने प्रतिवेदन में निवल प्राथमिक घाटे पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है जो किए गए प्राकलनों से बढ़कर 64.9 प्रतिशत होकर 16,124 करोड़ रुपये तक पहुंच गया;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों के वित्तीय घाटा कर 1996–97 में 11,632 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था और इसे संशोधित कर 15,855 करोड़ रुपये दर्शाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या संशोधित प्राकलन यह दर्शाते हैं कि राज्य के संचित वित्तीय और राजस्व घाटों में क्रमशः 8.0 प्रतिशत और 36.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) राज्यों के समेकित राजकोषीय और राजस्व घाटे की स्थिति में बिगड़ाव मुख्य रूप से बढ़े हुए विकास सम्बन्धी व्यय के कारण बजटीय अनुमानों की तुलना में संशोधित व्यय के पार कर जाने के कारण आया है।

(ङ) सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियों के अन्तरण तथा अतिरिक्त या वैकल्पिक साधनों जिससे राज्य अधिक संसाधन जुटा सकते हैं, के लिए उपायों की जांच और सिफारिश करने के लिए राज्यों को शक्तियों के अन्तरण सम्बन्धी एक विशेष टास्क फोर्स की नियुक्ति पहले ही कर दी है। टास्क फोर्स की प्रथम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

कलकत्ता और चेन्नई शहरों का दर्जा बढ़ाना

1491. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और चेन्नई शहरों को "ए–I" शहर का दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे; और

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य राज्यों की राजधानियों को भी "ए–I" शहर का दर्जा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या–क्या नाम हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता और चेन्नई में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मूलवेतन के 30% की दर से मकान किराया भत्ता पाने के हकदार होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र

1492. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों के लिए वहां के उद्योगों में रोजगार हेतु किसी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) प्रशिक्षण केन्द्र भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से बजट संबंधी साथ प्रदान की गई वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों किये जाते हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय नौजवानों की सहायता के लिए 6 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान 88.68 लाख रुपये जारी किये। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) भी इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आयोग को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से बिलासपुर जिले में, जो पूर्ण प्रभावी जनजातीय क्षेत्र है, एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को के. वी. आई. सी. द्वारा उनको प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमति दिये जाने से पूर्व कुछ मानदंड अभी भी पूरे करने हैं।

हिन्दी का प्रयोग

1493. श्री रामानन्द सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों को उनके उत्पादों पर उत्पादक का नाम तथा अन्य विवरण हिन्दी में लिखे जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जो अपने उत्पादों पर हिन्दी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री **(श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) और (ख) सरकारी उद्यम विभाग द्वारा 9 मई, 1989 को यह अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं कि सरकारी उद्यमों को उनके द्वारा निर्मित समी वस्तुओं मदों पर अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में भी विवरण देना चाहिए।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

1494. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20.3.98 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित "आस्ट्रेलिया सेज सोल्ड सम व्हीट टू इंडिया" शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित खबर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किए जाने का प्रस्ताव है; इसका देश–वार ब्यौरा क्या है तथा इन आयातों के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक की स्थिति की निर्धारित न्यूनतम बफर मापदण्डों, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, खरीद रुझान, सार्वजनिक आबंटन प्रणाली/अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता, खुले बाजार मूल्यों इत्यादि के साथ तुलना करते हुए नियमित रूप से समीक्षा करती है तथा समग्र स्थिति के आधार पर खाद्यान्नों के आयात का निर्णय लिया जाता है। बुआई सीजन के दौरान असमय वर्षा के कारण कृषि मंत्रालय ने आरंभिक रूप से यह अनुमान लगाया था कि पिछले वर्ष हुए 69.27 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में वर्तमान रबी की सीजन के दौरान गेहूं का उत्पादन 64.51% मिलियन टन होने की संभावना है। अतः सरकार ने मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षित भण्डार स्थापित करने के निमित्त वर्ष 1998–99 के दौरान 2.0 मिलियन टन गेहूं के आयात का निर्णय लिया है। इस प्राधिकार पर एस. टी. सी. ने आस्ट्रेलिया से 1.5 मिलियन टन एम. टी. +/–5% गेहूं के आयात की संविदा की है।

तम्बाकू निर्यात

1495. श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) पिछले

तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गयी तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की मात्रा और उसका मूल्य निम्नानुसार है :

(मात्रा : टनों में; मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	अनिर्मित तम्बाकू		विनिर्मित तम्बाकू		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1995–96	77,665	378.69	9,429	68.13	87,094	446.82
1996–97	77,093	445.98	9,850	91.83	86,943	537.81
1997–98	1,32,533	910.49	10,363	148.01	1,42,896	1058.50

(अप्रैल–मार्च)

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस.)

(ग) वर्ष 1998–99 के लिए अनुमानित निर्यात निम्नानुसार है :

	अनिर्मित तम्बाकू	विनिर्मित तम्बाकू	योग
मात्रा (टनों में)	1,00,000	9,900	109900
मूल्य (करोड़ रु. में)	600.00	125.00	725.00

बासमती चावल का निर्यात

1496. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्ष के दौरान वर्षवार बासमती और गैर बासमती चावल का अलग–अलग कितना निर्यात हुआ तथा इसकी दर क्या थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चावल और गेहूं का कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा गुणवत्ता आयात का स्रोत और आयात पर व्यय की गई धनराशि का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) चावल के निर्यात किए जाने के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा गेहूं के आयात में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(घ) दोनों सौदों में प्रतिटन लागत बीमा भाड़ा और पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित बासमती तथा गैर–बासमती चावल की कुल मात्रा, मूल्य तथा दरें निम्नलिखित हैं :

मात्रा : लाख मी. टन

मूल्य : लाख रु. में

दर : रुपए/टन

वर्ष	मात्रा	बासमती मूल्य	दर	मात्रा	गैर–बासमती मूल्य	दर
1995–96	3.73	85067	22806	45.41	371741	8186
1996–97	5.23	124764	23850	19.89	192472	9680
1997–98	5.82	167435	28780	17.22	160038	9294

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. कलकत्ता)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित बासमती तथा गैर–बासमती चावल की कुल मात्रा, मूल्य तथा दरें निम्नलिखित हैं :

मात्रा : मी. टन में

मूल्य : लाख रु. में

वर्ष	चावल		गेहूं	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1995–96	80	4.69	8240	1039.19
1996–97	2	1.87	612676	40375.93
1997–98	77	7.28	1344546	97096.26

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस., कलकत्ता)

आयातों के देश–वार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एण्ड एस.) कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार आंकड़ों के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंक में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसद की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। गेहूं का आयात मुख्यतः आस्ट्रेलिया से "आस्ट्रेलियन स्टेन्डर्ड व्हाइट", कनाडा से "कनाडियन वेस्टर्न रेड स्प्रिंग (ग्रेड I तथा II)" तथा अर्जेन्टीना से "हार्ड रेड व्हीट" का रहा है। आयातित चावल की गुणवत्ता के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) चावल के निर्यात के परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा की वास्तविक प्राप्ति तथा गेहूं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के वहिर्गमन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

मूल्य : लाख रु. में

वर्ष	चावल का निर्यात	गेहूं का आयात
1995–96	456808	1039.19
1996–97	317236	40375.93
1997–98	327473	97096.26

(घ) चावल का निर्यात तथा गेहूं का आयात अलग–अलग आयातकों/निर्यातकों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया है।

नैनी झील और रोशनआरा बाग, दिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

1497. श्री डी. एस. अहिरे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मई, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि माडल टाउन में रोशनआरा और नैनी झील के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाये;

(ख) इस दिशा में शुरू किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की

क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में और पर्यटन स्थल विकसित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार से विकास की योजना (ब्लू प्रिंट) तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने अभी हाल में बोट क्लब बिल्डिंग का नवीकरण तथा नैनी लेक (झील) में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन किया है।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटक स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। चालू वर्ष के दौरान सभी राज्य सरकारों ने वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय इस संदर्भ में पहले कोई धन राशि आबंटित नहीं करता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए खाली पद

1498. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े पदों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.9.1997 की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) अ. जा./अ. ज. जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती के लिए पिछली बकाया रिक्तियों का संवर्गवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कुछ बैंक भर्ती पर रोक, कुछ अ. जा./अ. ज. जा. अभ्यर्थियों द्वारा चयन के बाद कार्यभार ग्रहण न करना और किसी भी प्रोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण के प्रतिशत पर रोक आदि के कारण पिछली बकाया रिक्तियां शेष रह गईं। तथापि बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि सभी औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न चैनलों के माध्यम से अ. जा./अ. ज. जा. के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण-I

दिनांक 30.9.1997 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों की राज्यवार पिछली बकाया रिक्तियों का विवरण।

(आंकड़े अनन्तिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लिपिक			अधीनस्थ कर्मचारी		
	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़े वर्ग	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़े वर्ग
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	32	28	120	15	25	68
असम	13	11	14	6	23	18

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	49	33	70	21	15	56
गुजरात	9	31	135	10	68	187
हरियाणा	51	2	43	8	–	30
हिमाचल प्रदेश	9	4	6	16	10	18
जम्मू व कश्मीर	1	6	5	1	4	–
कर्नाटक	71	25	89	48	56	67
केरल	10	4	20	11	6	37
मध्य प्रदेश	43	105	65	59	120	49
महाराष्ट्र	33	97	153	18	148	137
मणिपुर	1	3	–	2	5	–
मेघालय	2	1	–	1	11	2
नागालैण्ड	–	4	–	–	1	–
उड़ीसा	81	139	6	14	145	3
पंजाब	55	–	63	8	1	55
राजस्थान	24	15	15	17	24	23
तमिलनाडु	57	17	23	9	31	65
त्रिपुरा	3	6	4	2	–	–
उत्तर प्रदेश	122	21	199	53	16	98
पश्चिम बंगाल	87	33	88	76	46	83
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	–	2	2	–	1	–
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	58	53	62	23	45	91
चंडीगढ़	8	1	5	5	–	16
दादर व नगर हवेली	1	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	4	–	1	2	–	–
गोवा	4	8	9	5	6	3
कुल :	828	649	1197	430	807	1106

नोट : भारतीय स्टेट बैंक राज्य–वार आंकड़े नहीं रखता है इसके स्थान पर उसके 13 स्थानीय प्रधान कार्यालय कलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी और बंगलूर में हैं। संबंधित स्थानीय प्रधान कार्यालय के आंकड़े उस राज्य के सामने दिए गए हैं जिस राज्य में वह कार्यालय स्थित हैं।

अधिकारी संवर्ग में पिछली बकाया रिक्तियां

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारी संवर्ग की भर्ती अखिल भारत आधार पर की गई थी। दिनांक 30.9.1997 की स्थिति के अनुसार अ. जा. की 207, अ. ज. जा. की 287 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 131 रिक्तियां थीं।

विवरण-II

दिनांक 30.9.97 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम में पिछली बकाया रिक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे।

(आंकड़े अनन्तिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	श्रेणी–II			श्रेणी–III			श्रेणी–IV			श्रेणी–IV (एस)		
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग
पश्चिम बंगाल	–	1	5	9	7	25	–	–	6	3	4	–
बिहार	–	–	–	8	5	20	2	3	29	–	–	–
उड़ीसा	–	–	1	2	6	4	–	–	2	–	1	–
असम	–	–	–	4	4	4	1	1	–	–	1	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मणिपर	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अंडमान	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
गोवा	–	1	1	1	5	11	–	–	–	–	1	–
गुजरात	–	11	1	4	28	25	1	3	1	–	3	–
महाराष्ट्र	2	23	15	15	44	130	1	9	15	2	1	4
राजस्थान	2	1	1	31	32	22	1	–	30	1	–	–
पंजाब	3	–	8	31	–	19	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	10	–	27	1	–	1	–	–	–
जम्मू व कश्मीर	–	8	2	–	2	7	–	–	5	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	3	1	4	–	1	–	–	–	–
नई दिल्ली (सं.शा.क्षेत्र)	1	4	13	19	13	10	–	–	9	–	2	1
चण्डीगढ़ (सं. शा. क्षे.)	–	–	–	1	–	8	2	–	10	–	–	1
केरल	–	4	7	3	5	7	–	2	2	–	–	–
तमिलनाडु	3	4	1	44	5	11	–	–	4	1	–	–
मध्य प्रदेश	8	26	2	4	27	2	1	2	–	–	3	–
उत्तर प्रदेश	2	2	–	43	7	23	3	3	3	–	–	–
आन्ध्र प्रदेश	1	–	1	4	9	72	2	1	–	–	1	3
कर्नाटक	–	–	1	7	3	8	3	3	4	1	–	–
कुल	22	85	59	244	206	440	18	29	121	8	17	9

नोट :– तमिलनाडु के लिए दर्शाए गए आंकड़ों में संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

वेल्लूर डिवीजन के अंतर्गत जिसमें तमिलनाडु राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी शामिल है, श्रेणी–III के 8 अ. जा. और 7 अ. ज. जा. तथा श्रेणी–II के अंतर्गत 1 अ. जा. और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां, इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यटन सर्किटों के विकास की आवश्यकता

1499. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित किए गए पर्यटन सर्किटों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और राष्ट्रीय पर्यटन सर्किटों के विकास का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पर्यटन सर्किटों की राज्यवार संख्या क्या है जिनको विकास के लिए चुना गया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर्यटन सर्किटों के विकास हेतु आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) से (ग) वर्ष 1992 के लिए पर्यटन की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसरण में सरकार ने 19 पर्यटक शृंखला को इसलिए निर्दिष्ट किया है कि केन्द्र, राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से उनका गहन विकास किया जा सके। अब तक निर्दिष्ट पर्यटक शृंखलाएं इस प्रकार हैं :–

1. कुल्लु–मनाली–लाहोल/स्फिति–लेह–मोनास्टिक सर्किट
2. ग्वालियर–शिवपुरी–ओरछा–खजुराहो
3. बागडोगरा–सिक्किम–दार्जिलिंग–कालिमपोंग
4. भुवनेश्वर–पुरी–कोणार्क
5. हैदराबाद–नागार्जुनसागर–तिरुपति
6. मद्रास–महाबलीपुरम–कांचीपुरम–वैल्लूर–तिरुवनमल्लाई –जिंजी पांडिचेरी

   (दक्षिण हेरिटेज शृंखला)
7. ऋषिकेश–नरेन्द्रनगर–गंगोत्री–बदरीनाथ
8. भोपाल–सांची–इंदौर–उज्जैन–महेश्वर–ओंकारेश्वर–मांडु –(भोपाल और सांची)
9. जैसलमेर–जोधपुर–बिकानेर–बाड़मेर
10. बंगलौर–मैसूर–हसन
11. रायगढ़ किला–जंजीरा किला–कुडा गुफाएं–श्रीवर्धन–हरिहरेश्वर–सिंधुदुर्ग
12. वाराणसी/सारनाथ–गोरखपुर–कुशीनगर–सोनौली–पिपरहवा (कपिलवस्तु), संकिस कौशाम्बी–श्रावस्ती–लखनऊ (बौद्ध शृंखला)
13. पटना–बोधगया–नालंदा–राजगीर–वैशाली (बौद्ध शृंखला)
14. भुवनेश्वर–ललितगिरि–रत्नगिरि–उदयगिरि–केन्द्रपाड़ा–चांदवाली भद्रक (सूर्य मंदिर)
15. कोचीन–टेकडी–मदुराई–रामेश्वरम।
16. हरिशंकर–नरसिंहनाथ–हिराकुण्ड–सम्बलपुर–बेद व्यास (गंधमर्धन शृंखला)
17. स्वरनचुद शृंखला–चांदीपुर–चन्दनेश्वर–पंचलिंगेश्वर–शिमलीपाल अभ्यारण्य खिंचिंग
18. कोरापट–अराकू घाटी–नन्दपुर–गुप्तेश्वर–रायगढ़ (पंचवटी शृंखला)
19. गुवाहाटी–काजिरंगा–शिलांग–तवांग

(घ) पर्यटन मंत्रालय किसी विशिष्ट पर्यटक शृंखला या राज्य के विकास कार्य के लिए पहले से धन नियतन/आबंटन नहीं करता है। तथापि, राज्यों/संघ शासित राज्यों को उनसे प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है तथा निर्दिष्ट यात्रा शृंखला में स्थित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

हथकरघा बुनकरों की समस्याएं

1500. श्री एन. डेनिस : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा बुनकरों द्वारा तैयार माल के इकट्ठा होने की समस्या तथा सूत प्राप्त करने की समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : सरकार बुनकरों को उनके उत्पादों की बिक्री तथा उनके संचित भंडारों को परिसमापन करने में सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों, जिला स्तर के मेलों, उत्पाद विशेष प्रदर्शनियों और शिल्प मेलों का आयोजन करके अपेक्षित विपणन सहायता प्रदान करती है। धागे के प्रबंधन में बुनकरों को सहयोग देने के उद्देश्य से, सरकार हैंक यार्न बाध्यता आदेश तथा मिल गेट मूल्य योजना कार्यान्वित कर रही है।

खोट्टाडीह कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना

1501. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खोट्टाडीह कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

आयात लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध

1502. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं हेतु आयात लाइसेंस जारी करने संबंधी प्रतिबंधों के बारे में यूरोपीय संघ और आस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान निकाल लिया गया है।

(ख) विवाद निपटान व्यवस्था के अन्तर्गत हुई द्विपक्षीय औपचारिक वार्ताओं के दौरान भारत ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय समुदायों, न्यूजीलैण्ड और स्विट्जरलैण्ड के साथ–साथ जापान, जो विवादों का अन्य पक्ष था, के साथ भी 3 वर्ष, 2 वर्ष और एक वर्ष के क्रमिक चरणों 1 अप्रैल, 1997 से प्रारम्भ हुई 6 वर्ष [illegible]सूची के भीतर संतुलित तरीके से उपभोक्ता सामान [illegible]पड़ा और औद्योगिक उत्पादों पर भुगतान संतुलन [illegible] प्रयोजनों के लिए लगाए गए सभी अवशिष्ट आयात प्रतिबंधों को हटाने के बारे में पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान निकाल लिया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का विकास

1503. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किसी पर्यटन विकास की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशासन द्वारा यू. एन. डी. पी. की रिपोर्ट जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) वर्ष 1997–98 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने अण्डमान द्वीपसमूह में सेल्यूलर जेल पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन के कार्यान्वयन हेतु 60 लाख रुपए स्वीकृत किए।

(ग) और (घ) "अण्डमान में पर्यावरणीय पोषणीय पर्यटन पर विकास नीति" पर अध्ययन रिपोर्ट यू. एन. डी. पी. द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अण्डमान द्वीपसमूह में पांच चुने हुए क्षेत्रों के विकास हेतु नीति रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। इस हेतु तैयार कार्य–योजना में शामिल हैं–योजना कार्यान्वयन के लिए सांस्थानिक पुनर्गठन, सांस्थानिक अड़चनों/बाधाओं को दूर किया जाना अथवा कम किया जाना, प्रशिक्षण, नियोजन और विकास परिक्षेत्र का डिजाइन तैयार करना तथा विकास कार्यक्रमों को शुरू करना।

फर्जी वित्तीय कंपनियां/बैंक

1504. श्री दादा बाबूराव परांजपे :
कर्नल सोनाराम चौधरी:
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :
श्री पृथ्वीराज दा चव्हाण :
प्रो. पी. जे. कुरियन :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री बेनी प्रसाद वर्मा :
डॉ. महन्त चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फर्जी वित्तीय संस्थानों/निजी बैंकों/वृक्षारोपण कंपनियों और कुछ अन्य गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेशकर्ताओं के निवेश का पुनर्भुगतान करने संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में वर्ष 1997–98 के दौरान आए ऐसे मामलों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे फर्जी वित्तीय संस्थानों/निजी बैंकों/वृक्षारोपण कंपनियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार निवेशकर्ताओं को उनकी गाढ़ी कमाई से धोखाधड़ी द्वारा वंचित होने से बचाने के लिए निवेश ऐसी कंपनियों की सत्यता तथा वास्तविकता की जांच करने तथा उनके कार्यकलापों को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को जमाकर्ताओं, जमाकर्ता संघों और संसद सदस्यों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि कई गैर बैंककारी वित्तीय संस्थाएं लोगों की जमाराशियों और उस पर ब्याज की राशि की वापसी अदायगी में देरी करती रही हैं।

(ख) और (ग) गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध बड़ी संख्या में जमाराशियों/उस पर ब्याज की नावापसी की शिकायतें समय–समय पर प्राप्त हो रही हैं। जमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी विधि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में अपने दावे दायर कराएं जहां कंपनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 घ क के अंतर्गत उन गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय स्थित हैं। इनके पश्चात कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि जमाराशि

की नावापसी का कारण बताने के लिए वे बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों। इस राशि की वापसी के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाएं अनुमोदित की जाती हैं। कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के गैर–बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित महाप्रबंधक के पास कंपनी विधि बोर्ड के आदेश के अनुपालन संबंधी शपथपत्र दायर करें। सी. एल. बी. के आदेश की अनुपालना न करने के लिए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम, 1997 की धारा 58 ख (4 क क क) के अंतर्गत दी गई है। जनवरी से दिसम्बर, 1997 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 चूककर्ता एन. बी. एफ. सी. के संबंध में प्रतिबंधक आदेश जारी किए हैं जिसमें उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए जमाराशियां स्वीकार करने से मना किया गया है और एन. बी. एफ. सी. को निदेश दिया गया है कि वे अपनी आस्तियों को अन्य संक्रामण न करें। इसी तरह से, जनवरी, 1998 से 3 चूककर्ता एन. बी. एफ. सी. के संबंध में प्रतिबंधक आदेश जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधन से भारतीय रिजर्व बैंक में और शक्तियां निहित हो गई हैं। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उपलब्ध कराया गया है :

(i) 25 लाख रुपए और उससे अधिक की शुद्ध स्व–धारित निधि वाली एन. बी. एफ. सी. का अनिवार्य पंजीकरण।

(ii) आरक्षित निधि का सृजन और उक्त आरक्षित निधि में लाभों का कम से कम 20% का अंतरण।

(iii) कंपनी विधि बोर्ड को यह प्राधिकार देना कि वह चूककर्ता एन. बी. एफ. सी. को जमाराशियों को चुकाने का निदेश दे।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करना:

(क) विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में एन. बी. एफ. सी. को निदेश देना।

(ख) तुलनपत्रों से संबंधित मामलों पर एन. बी. एफ. सी. और उनके लेखा–परीक्षकों को निदेश देना और विशेष लेखा परीक्षा करना और साथ ही चूककर्ता लेखा परीक्षकों पर दण्ड लगाना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन करने वाली एन. बी. एफ. सी. को जमाराशियों को स्वीकार करने से मना करना और एन. बी. एफ. सी. को यह निदेश देना कि वे अपने आस्तियों का अन्य संक्रामण न करें।

(घ) चूककर्ता एन. बी. एफ. सी. के विरुद्ध परिसमापन याचिका दायर करना।

(ङ) चूककर्ता एन. बी. एफ. सी. पर सीधे ही दण्ड लगाना, आदि।

[हिन्दी]

कोयले का आयात

1505. श्री पंकज चौधरी :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयातित कोयले की अनुमानित वार्षिक मात्रा कितनी है और उस पर कितनी विदेशी पूंजी खर्च की जाती है;

(ख) क्या सरकार ने कोयले के आयात को कम करने और देश में कोयले के भंडारों को खोजने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोककर और अकोककर कोयले के आयात किए जाने का विवरण निम्न है :–

	1995–96	1996–97 (अनंतिम)	1997–98
मात्रा (मिलियन टन में)	12.51	14.41	सूचना एकत्र की
कीमत	925.6 मिलियन अमरीकी डालर	3532 करोड़ रु.	जा रही है और समा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) आयातित कोयले की एक बड़ी मात्रा कोककर कोयले की होती है, जिसकी अपेक्षा इस्पात संयंत्रों को होती है। कोयले का घरेलू उत्पादन इस्पात क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

धातुकर्मीय उद्देश्य से अपेक्षित कोककर कोयले के आयात को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए देशी कोयले के साथ इसका मिश्रण किया जाता है। भारत में कोककर कोयले के साथ–साथ उत्तम ग्रेड के अकोककर कोयले के भंडार सीमित हैं। किन्तु, इन ग्रेडों के कोयले का यथोचित रूप से देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपायों में, नई खानों को खोलने, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण कराने एवं आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाकर उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के क्रियाकलाप शामिल हैं। लौह और इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत उत्पादन से जुड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों को ग्रहीत उपभोग हेतु कोयले के खनन करने की अनुमति दी गई है। इनके सम्मिलित प्रयास से घरेलू कोककर कोयले और कोयले का उत्पादन बढ़ाने की संभावना है।

[अनुवाद]

कम मूल्य वर्ग के नोटों की कमी

1506. कर्नल सोनाराम चौधरी :

श्री सतनाम सिंह कैंथ :

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम मूल्य वर्ग के विशेषकर एक रुपया, दो रुपया और पांच रुपया करेंसी नोटों की बहुत कमी है जिसके कारण कटे–फटे/सड़े–गले नोट प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है; और

कटे–फटे/सड़े–गले करेंसी नोटों के प्रचलन को क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) 1 रु., 2 रु. और 5 रु. के कम मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण किया गया है और इस प्रकार बची हुई क्षमता का उपयोग उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों के उत्पादन के लिए किया गया है। इसलिए, इन नोटों की छपाई (1 रु. की सितम्बर, 1994 से; 2 रु. की जनवरी, 1995 से और 5 रु. की नवम्बर, 1995 से) बन्द कर दी गई है।

करेंसी नोटों/सिक्कों की आपूर्ति में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे (i) नासिक और देवास स्थित वर्तमान दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण, (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन दो और नोट प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना (अर्थात् एक कर्नाटक में मैसूर में और दूसरी पश्चिम बंगाल में सालबोनी में); (iii) कलकत्ता, हैदराबाद और मुम्बई स्थित भारत सरकार टक्सालों का आधुनिकीकरण; (iv) 1 रु., 2 रु. और 5 रु. का पूरा तरह से सिक्काकरण और इस अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए करना; तथा (v) एक बारगी उपाय के रूप में 3600 मिलियन अदद की सीमा तक मुद्रित नोटों (कुल अंकित मूल्य 1,00,000 करोड़ रु.) तथा 2000 मिलियन अदद सिक्कों (कुल अंकित मूल्य 260 करोड़ रु.) का आयात।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी अधिनियम, 1975 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने मैले, फटे और पुराने नोटों के विनिमय के लिए जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु करेंसी तिजौरी रखने वाले सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अन्य सभी शाखाओं को भी मैले और थोड़े कटे–फटे नोटों को बदलने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ये अनुदेश सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर भेजे जाते हैं ताकि ऐसे अधिकारों को उनके द्वारा वास्तविकता में लागू किया जाए। उक्त नियमों के तदनुरूप कार्य करने में असमर्थ संबंधित बैंकों की सभी शिकायतें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के साथ तत्परतापूर्वक उठाई जाती है।

उत्पाद शुल्क अपवंचन

1507. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पाद शुल्क अपवंचन पर अंकुश लगाने के लिए देश भर के लगभग 100 बड़े और मध्यम स्तर के निगमित घरानों (कार्पोरेट हाउसेस) की विशेष लेखा परीक्षा करवायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) अद्यतन जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उत्तरी बंगाल में भूटान के नोटों और सिक्कों की भरमार

1508. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल में विशेषतया जलपाईगुड़ी, कूचबिहार तथा दार्जिलिंग जिलों में भूटान के नोटों और सिक्कों की भरमार हो गई है और उन्हें खरीद के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में भारतीय मुद्रा नोटों और सिक्कों की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने में बड़े गिरोहों का हाथ है;

(घ) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का उत्तरी बंगाल में मुद्रा और सिक्कों की स्थिति में सुधार लाने के लिए वहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की कोई शाखा खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो उक्त शाखा कब तक खोल दी जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अखबारी कागज का आयात

1509. श्री अजीत जोगी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996–97 के दौरान काफी बड़ी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विदेशी अखबारी कागजों का भण्डार वांछित मात्रा से अधिक है जिसके कारण अखबारी कागज का घरेलू उत्पादन भी प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी अखबारी कागज का आयात करने के कारण क्या थे;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) 01.05.1996 से 28.01.97 तक की अवधि के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के अखबारी कागज मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष के दौरान अप्रैल, 1996 से मार्च, 1997 तक आयातित अखबारी कागज की कुल मात्रा 494038 मी. टन थी।

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस.)।

(ग) और (घ) अखबारी कागज का आयात मुक्त होने के कारण यह कहना मुश्किल है कि क्या आयातों के परिणामस्वरूप देश में विदेशी अखबारी कागज का बेशी स्टॉक हुआ है, जिससे घरेलू अखबारी कागज का उत्पादन प्रभावित हो रहा है या नहीं। परन्तु, घरेलू अखबारी कागज उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 29.1.97 से अखबारी कागज का आयात ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं तक ही सीमित कर दिया गया है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अखबारी कागज रजिस्ट्रार (आर. एन. आई.) द्वारा जारी किए गए "पंजीकरण प्रमाणपत्र" के धारक हैं। इस प्रतिबंध के प्रभावी होने के बाद इस वर्ष 1997–98 के दौरान हुआ आयात 497611 मी. टन का था।

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस.)।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

हिन्दी का उपयोग

1510. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के हिन्दी विभाग द्वारा कितनी हिन्दी पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं; और

(ख) उनके मंत्रालय में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा कोई पत्र/पत्रिका प्रकाशित नहीं की जा रही हैं। तथापि, इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों द्वारा 7 पत्रिकाओं का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है।

(ख) मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं जैसे कि कार्यशालाओं/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन करना, राजभाषा क्रियान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन कर उसमें हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना, विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नामित करना, कर्मचारियों को द्विभाषीय उपकरण प्रदान करना आदि।

निवेश सुरक्षा समझौता

1511. श्री महेश कनोडिया :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ताइवान ने "निवेश सुरक्षा समझौते" पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

व्यापार अन्तर

1512. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97 के मुकाबले वर्ष 1997–98 के दौरान व्यापार अन्तर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) वाणिज्यिक सतर्कता और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एण्ड एस.) से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान व्यापार घाटा रुपये और डॉलर के रूप में इस प्रकार है :

वर्ष	मूल्य	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	करोड़ रुपये
1996–97	5442	19319
1997–98	6799	25268

व्यापार घाटा निर्यात से अधिक आयात होने के कारण होता है। व्यापार घाटे में वृद्धि पूंजीगत सामान, कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती उत्पादों के अतिरिक्त मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़े हुए आयात के कारण है। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता थी, जो कि एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषता है। व्यापार–घाटे को कम करने का मूल सिद्धान्त संवर्धित निर्यात वृद्धि में निहित होता है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा देश की निर्यात वृद्धि को बढ़ाने के लिए एक सतत् आधार पर निर्यात संवर्धन संबंधी उपाय शुरू किए जाते हैं। इन उपायों में निर्यातक के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करने के लिए नीतिगत उदारीकरण और प्रक्रियाओं का सरलीकरण सम्मिलित है। निर्यात संवर्धन संबंधी उपाय सरकार द्वारा स्थापित [illegible] और निर्यात संवर्धन संगठनों के साथ निरन्तर आधार पर शुरू किए जाते हैं।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के छंटनी किए कर्मचारी

1513. श्री कमल नाथ : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के कर्मचारियों की चिकित्सीय रूप से अयोग्य होने के कारण छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान प्रक्रिया को बदले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोयला कंपनियों में स्वास्थ्य के आधार पर कामगारों की छंटनी किए जाने की कोई नीति नहीं है, लेकिन जो कामगार स्वास्थ्य के आधार पर स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, उनके आश्रितों में से एक सदस्य को, केन्द्रीय कोयला मजदूरी समझौता–U (एन. सी. डब्ल्यू. ए.) की धारा 9.4.0 के अंतर्गत रोजगार का लाभ दिया जाता है।

(ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे. को. लि.) में 1996–97 से 29.5.98 तक 378 कामगारों को, एन. सी. डब्ल्यू. ए.–U की धारा 9.4.0 के अंतर्गत ऐसी सुविधाएं दी गईं।

(ग) एन. सी. डब्ल्यू. ए.–U की धारा 9.4.0 के अंतर्गत उक्त लाभ को प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारी इसके लिए आवेदन करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उन आवेदन–पत्रों की जांच कर लिए जाने के बाद, मुख्यालय के स्तर पर एक मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जाती है। उनके द्वारा स्थायी रूप से सेवा के अयोग्य पाए जाने पर कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

(घ) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर की बकाया राशि

1514. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

श्री दिलीप संघानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1997 तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध एक लाख से भी अधिक राशि का आयकर बकाया था;

(ख) क्या सरकार इस धनराशि की वसूली नहीं कर पा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) दिनांक 30.9.1997 की स्थिति के अनुसार कुल 1,11,290 व्यष्टियों की तरफ एक लाख रुपये और उससे अधिक आयकर की धनराशि बकाया थी।

(नवीनतम उपलब्ध आंकड़े)

(ख) और (ग) बकाया मांग के सामान्यतया कारण निम्नानुसार हैं :

(i) मांग जो भुगतान के लिए देय नहीं हुई है;

(ii) मांगें जिनके भुगतान किये जाने का दावा किया गया है, परन्तु सत्यापन के लिए लम्बित हैं;

(iii) न्यायालयों, समझौता आयोग, ट्रिब्यूनल और आयकर प्राधिकारियों द्वारा स्थगित मांगें;

(iv) मांगें जिनके लिए किस्तों की अनुमति दी गई है।

बकाया मांग में कमी करने/संग्रहण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :–

आयकर अधिनियम में करों के संग्रहण और वसूली के लिए एक सांविधिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बकाया करों की वसूली एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मांग नोटिस भेजने के 30 दिन बाद देय होने वाली मांग के बाद आरम्भ होती है। इसके बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बैंक खातों की कुर्की करने, ब्याज लगाने, अर्थदण्ड लगाने आदि द्वारा गैर स्थगित मांग के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है। कठिन मामलों में, मामला कर वसूली अधिकारी के पास भेजा जाता है जिसके द्वारा अधिनियम के अनुसार चूककर्त्ता की चल और अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, चूककर्त्ता की गिरफ्तारी और उसकी नजरबन्दी, चूककर्त्ता की चल और अचल संपत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति जैसे विभिन्न बाध्यकारी उपाय किए

हैं। कर निर्धारण अधिकारियों और कर वसूली अधिकारियों द्वारा की गई वसूली कार्रवाई पर उच्च आयकर प्राधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

इसके अतिरिक्त, 10 लाख रु. और उससे अधिक की बकाया मांग वाले डोजियर मामलों की नियमित आवधिक आधार पर उच्च प्राधिकारियों द्वारा निगरानी की जाती है और मांग की वसूली हेतु विभिन्न बाध्यकारी उपाय करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

नई पर्यटन नीति

1515. **श्री मुकुल वासनिक :**

श्री पंकज चौधरी :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई पर्यटन नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को विश्वव्यापी पर्यटक केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु नई बनाई जा रही नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने दिल्ली और अन्य राज्यों की राजधानियों में पर्यटन स्वागत केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी पर्यटकों को सहायता और सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या हाल ही में अनेक विदेशी पर्यटकों के साथ भारत में दुर्व्यवहार किया गया था जिसके कारण दूसरे देशों में भारत की गलत छवि प्रस्तुत होती है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों में कितने पर्यटकों ने भारत का दौरा किया?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) भारत पहले ही एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण एवं विश्वदाय सम्पदा का संरक्षण एवं बचाव करते हुए, स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों–पर्यटन के विकास के माध्यम से, निरंतर आर्थिक विकास और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन प्राप्त किया जाये।

(ग) और (घ) पर्यटकों को एक ही स्थान पर सूचना सेवाएं तथा हवाई एवं रेल आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली में एक भारत पर्यटन भवन स्थापित करने का प्रस्ताव है। पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों के सूचना काउंटरों को भी भारत पर्यटन भवन में स्थान दिया जायेगा। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों में पर्यटक स्वागत केन्द्रों तथा सस्ती दरों पर आवास एककों के निर्माण के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ङ) और (च) ऐसी कुछ घटनाएं पर्यटन मंत्रालय के ध्यान में लाई गई हैं और यह मामला दोषियों को दण्डित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ उठाया गया।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन निम्न प्रकार से था :

वर्ष	आगमन
1995	2123683
1996	2287860
1997	2374094

अनुप्रयोज्य आस्तियां

1516. **श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री मोइनुल हसन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से बैंकिंग उद्योग एवं वित्तीय संस्थानों में अनुप्रयोज्य आस्तियां बढ़ती रही हैं और इस स्थिति ने गंभीर रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विशेष रूप से महाराष्ट्र में सरकारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों को हो रही समस्याओं के परिणाम की प्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की संख्या क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान स्थान–वार उनके कार्य–निष्पादन की समीक्षा क्या है;

(घ) क्या महानगरों में भी अभी तक ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना नहीं हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऋण वसूली की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु ऋण न्यायाधिकरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन/विस्तार के लिये प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनिष्पादित आस्तियों में समग्र रूप से पिछले 3 वर्षों में वृद्धि हुई है, तथापि उसी अवधि के दौरान कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में गिरावट आई है। वर्ष 1994–95 से 1996–97 तक

की तीन वर्ष की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों की राशि में वृद्धि तद्नुरूपी अवधि के दौरान अग्रिमों में 46812 करोड़ रु. की वृद्धि की तुलना में 5192 करोड़ रु. थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अधिकांश वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों में भी प्रतिशतता के क्रम में इन वर्षों में कमी आई है।

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन अहमदाबाद, बेंगलूर, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, जबलपुर और पटना में 9 ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है। मुम्बई में एक अपीलीय प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है पिछले तीन वर्ष के लिए इन अधिकरणों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार था :

		अप्रैल, 94 से मार्च 95	अप्रैल, 95 से मार्च 96	अप्रैल, 96 से मार्च 97
1.	दायर मामलों की संख्या	2036	6768	5685
2.	अन्तर्ग्रस्त राशि (रु. करोड़ में)	1468.46	4526.58	5690.00
3.	निपटाए गए मामलों की संख्या	61	224	1556
4.	वसूल की गई राशि	21.15	86.51	74.39

(ङ) देश में 10 स्थानों पर ऋण वसूली अधिकरणों को सरकार ने अनुमोदित कर दिया था। 9 अधिकरणों की स्थापना की जा चुकी है। अभी मुम्बई में अधिकरण की स्थापना की जानी शेष है। मुम्बई में भी अधिकरण की स्थापना शीघ्र ही हो जाने की संभावना है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक कार्यकारी समूह का गठन किया है जो विधायी संशोधनों सहित ऋण वसूली अधिकरणों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की जांच कर रहा है। इस कार्यकारी समूह की सिफारिशों के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् यह निर्णय लिया जाएगा कि ऋण वसूली अधिकरणों को अधिक प्रभावी बनाने और साथ ही देश में अधिक ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना करने के लिए इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं।

[हिन्दी]

बिहार में कोयला डिपो

1517. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों के परिरक्षण के उद्देश्य से किसानों और ग्रामीण लोगों को ईंधन उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के अनुसार बिहार के गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिलों के ब्लाक मुख्यालयों मे कोयला डिपो खोले गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ईंधन की कमी के कारण वनों की अवैध कटाई पर रोक को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (घ) कोयला कंपनियां शुरू से ही घरेलू ईंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साफ्ट कोक उत्पादन तथा उनकी आपूर्ति कर रही हैं। तथापि, वर्षों से साफ्ट कोक का उत्पादन घटता जा रहा है, क्योंकि इसे बनाने की प्रक्रिया प्रदूषण रहित नहीं है। किन्तु, इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए, विशेषकर कुछ उत्तरी राज्यों हेतु, जहां के निवासी साफ्ट कोक का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, एस. एस, एफ. प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी से प्राप्त ईंधन का उत्पादन साफ्ट कोक का एक उपयुक्त अनुकल्प है। अपेक्षित कोयले का संयोजन को. इं. लि. द्वारा दिया जा रहा है। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. इन संयंत्रों की स्थापना हेतु अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कोल इंडिया लि. भी उन बिक्रेटिंग यूनिटों को संयोजन प्रदान करती है, जिनके उत्पाद साफ्ट कोक के अनुकल्प हैं। इसके अलावा, उदारीकृत बिक्री योजना के माध्यम से कोयले की पेशकश किए जाने के लिए और अधिक कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

आधारभूत ढांचे के विकास हेतु धनराशि

1518. श्री हरिन पाठक :

श्री ए. सी. जोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि जैसी वित्तीय संस्थाएं विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वित्त-पोषण कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त प्रयोजनार्थ इन वित्तीय संस्थाओं से किन-किन राज्यों द्वारा वित्तीय

सहायता प्राप्त की गई और प्रत्येक संस्था से प्रत्येक राज्य को प्राप्त सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगले वर्ष के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 5000 करोड़ रुपए के वितरण हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु चयन किए गए क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वायु और समुद्री मार्गों से निर्यात को बढ़ावा

1519. प्रो. पृथ्वीराज दा. चव्हाण :

श्री. पी. जे. कुरियन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बुनियादी कमियों को दूर करने और वायु और समुद्रीय मार्गों से निर्यात के संवर्धन हेतु अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए उपाय सुझाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा दिये गये सुझावों तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एयर कार्गो कॉम्पलेक्स में न्यूनतम सुविधाएं देने हेतु कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि बागवानी तथा पुष्प कृषि निर्यात की वस्तुओं हेतु कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सरकार ने वायु और समुद्री मार्गों से निर्यात के लिए हाल में कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की है। तथापि, बुनियादी कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अधीन वायु और समुद्री मार्गों से निर्यात के संवर्धन हेतु (स्कोप एअर एवं स्कोप शिपिंग के रूप में लोकाप्रय) दो स्थायी समितियां कार्य कर रही हैं। ये समितियां समय-समय पर बैठकें करती हैं और वाणिज्य मंत्रालय इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय करता है।

(ग) और (घ) एयर कार्गो कॉम्पलैक्स की न्यूनतम सुविधाएं आई. सी. ए. ओ. (अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन) दस्तावेज़ के अनुबंध 9 में उद्धृत सिफारिशों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं।

(ङ) और (च) नष्ट होने वाली वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन करने के उद्देश्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, गुवाहाटी, हैदराबाद और चेन्नई में नष्ट होने वाले कार्गो के टर्मिनलों को स्थापित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर यह सुविधा हाल ही में शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, एपीडा ने त्रिवेन्द्रम में नष्ट होने वाले कार्गो के एक टर्मिनल के लिए केरल राज्य औद्योगिक उद्यम के साथ भी एक समझौता-ज्ञापन का निष्पादन किया है। एपीडा ने आई. जी. आई. ए., मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में पहले ही वाकइन-टाइप शीतागार उपलब्ध करवा दिए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास वित्त निगम

1520. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995 में गुवाहाटी में स्थापित किए गए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास वित्त निगम की प्रगति का मूल्यांकन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय उद्यमियों और उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने असम में किसी निजी बैंक की स्थापना के लिए बैंकर्स को प्रोत्साहित और प्रायोजित करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सरकर के अनुरोध पर, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. के सबसे बड़े शेयर धारक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पिछले वर्ष पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. के परिचालनों और कार्यकरण की समीक्षा की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र उपचारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया गया है कि पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने तथा जिन उद्देश्यों के लिए उसकी स्थापना की गई थी, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. के कार्यनिष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा और गिनरानी करने के लिए भी कहा गया है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. को 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ 1995 में निगमित किया गया था। 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक चुकता पूंजी का अंशदान प्रवर्तक संस्थाओं द्वारा किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस समय पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. की निधि संबंधी स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है।

(ङ) और (च) गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना से संबंधित मार्गनिर्देश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1995 में एक कंपनी को गुवाहाटी में उसके मुख्यालय के साथ एक नया बैंक स्थापित करने के लिए "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्रदान किया था, परंतु, चूंकि उक्त कंपनी डेढ़ वर्ष से अधिक की अवधि के बाद भी बैंक की स्थापना से संबंधित औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सकी, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई, 1997 में अनुमोदन को वापिस ले लिया गया।

आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

1521. **श्री के. येरननायडू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियाई गेहूं की कीमतें अधिक महंगी निर्धारित की गई हैं;

(ख) इस संबंध में राज्य व्यापार निगम के ठेकों का मानदण्ड क्या है; और

(ग) माल की सुपुर्दगी के लिए निर्धारित कार्यक्रम तथा लक्ष्य क्या हैं और अभी तक प्राप्त की गई वास्तविक सुपुर्दगी कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) एस. टी. सी. द्वारा सी. एंड एफ. लागत आधार पर आधारित कीमत प्रतिस्पर्द्धात्मकता, स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप इसका होना तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1955 और पी. एफ. एस. (पौधा, खाद, बीज) आदेश, 1989 के अनुसार निर्धारित फिटोसेनिटरी मानदंडों के अनुसार आस्ट्रेलियायी गेहूं बोर्ड के साथ संविदा की गई है।

(ग) संविदा को अन्तिम रूप देते समय 1 मि. मी. टन की सुपुर्दगी के लिए मार्च-अप्रैल, 1998 की अवधि निर्धारित की गई थी और 0.5 मि. मी. टन के लिए मई से 15 जून, 1998 जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई, 1998 तक किया जा सकता है। वर्तमान संकेतों के अनुसार जून, 98 के अंत तक आस्ट्रेलिया तट से 10.5 लाख मी. टन जहाज से भेजा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा एफ. सी. आई. के निर्देशानुसार शेष मात्रा 15 अगस्त-15 अक्तूबर, 1998 से शुरू होने वाले मानसून सत्र की अवधि के बाद भेजा जाएगा। दिनांक 25.5.98 की स्थिति के अनुसार 3.14 लाख मी. टन की मात्रा भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंच चुकी है।

प्रतिभूति घोटाला

1522. **श्री सुरेन्द्रन चेंगारा :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले से संबंधित मामलों को निपटाने हेतु एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किये गये हैं और कितने मामलों का निपटारा किया गया है और विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गंवाई गई कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) प्रतिभूति लेन देनों और उससे जुड़े मामलों से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1992 में विशेष अदालत का गठन किया गया था।

(ख) अभिरक्षक ने कार्यालय में सूचित किया है कि वर्ष 1992 और 1998 (31 मार्च, 1998 तक) के बीच 104 मुकदमे और 31 आपराधिक मामले दायर किए गए थे। इनमें से 37 मुकदमों और 3 आपराधिक मामलों को अब तक निपटाया जा चुका है।

जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित 52 व्यक्तियों में से 41 की कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 3037 करोड़ रु. है। अभिरक्षक ने विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया है जिसमें शेष 11 अधिसूचित व्यक्तियों के आस्तियों की घोषणा करवाने के लिए न्यायालय से निदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। विशेष न्यायालय ने आदेश दिया है जिसमें इन पार्टियों को अपनी आस्तियों की घोषणा करने का निदेश दिया गया है। हर्षद मेहता समूह, दलाल समूह और फेयर ग्रोथ फाइनेंसियल सर्विसेज के विरुद्ध अभिरक्षक/विशेष न्यायालय के पास बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्यों द्वारा दर्ज कराए गए दावे 3478.93 करोड़ रु. के हैं।

कोयले की चोरी

1523. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खान क्षेत्रों पर रेल वैगनों और खानों के मुहानों से भारी मात्रा में की जा रही कोयले की चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान अभी तक राज्य-वार ऐसी कितनी घटनायें सरकार की जानकारी में आई हैं; और

(ग) कोयले की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए, उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार साइडिंग स्थित रेलवे वैगनों से तथा कोलियरी पिट–हैड से कोयले की चोरी अथवा उठाईगिरी, चोरी–छिपे की जा रही है। वर्ष 1997–98 के दौरान और अप्रैल, 1998 में कोयले की चोरी और उठाईगिरी के मामलों की राज्य–वार संख्या नीचे दर्शायी गई है :

राज्य	1997–98 में कोयले की चोरी और उठाईगिरी के मामलों की संख्या	अप्रैल, 1998 में कोयले की चोरी और उठाईगिरी के मामलों की सं.
प. बंगाल	390	62
बिहार	301	21
उड़ीसा	32	7
मध्यप्रदेश	3	शून्य
असम	11	शून्य

(ग) को. इं. लि. में चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) अवैध कोयला डिपो और कोयले के अवैध संचलन संबंधी आसूचना रिपोर्टों को एकत्र करना तथा इसे रोकने के लिए उक्त की सूचना जिला प्राधिकारियों को देना।

(ii) परिवहन संबंधी दस्तावेजों की जांच के लिए अति संवेदनशील स्थलों पर चैक पोस्ट की स्थापना।

(iii) कोयला एकत्र करने के स्थल के चारों ओर बुर्जों का निर्माण, रोशनी की व्यवस्था करना, पिटहैड डिपो के चारों ओर कांटेदार तार लगाना/दीवार खड़ी करना, रात में सशस्त्र गार्डों सहित स्थाई रूप से सुरक्षा कार्मिक लगाना, रेलवे वे–ब्रिजों तक लदे हुए रेकों का सशस्त्र गार्डों द्वारा मार्ग रक्षण करना, लंबी दूरी की रेलवे पटरियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल द्वारा संयुक्त रूप से उन स्थलों पर गश्त लगाना जहां बैंगनों के लूटने के मामले सामने आते हैं।

(iv) अवैध खनन स्थलों को सील करना।

(v) रेलवे सुरक्षा दल और जिला पुलिस अधिकारियों के साथ परस्पर सहयोग करना और औचक निरीक्षण अथवा छापा मारना।

(vi) चोरी अथवा उठाईगिरी करने वाले परिवहनों के पकड़े जाने पर, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना।

(vii) इन खतरों को दूर करने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करना, संवेदनशील स्थलों पर राज्य पुलिस के साथ सहयोग से औचक निरीक्षण करना/छापे मारना।

(viii) महिलाओं और बच्चों को कोयले की चोरी/उठाईगिरी करने से रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करके सुरक्षा विभाग को सुदृढ़ करना, सुरक्षा कार्य के प्रति अभिरुचि के साथ अधिकारियों के अनुभवों का उपयोग तथा कनिष्ठ, मध्यम और वरिष्ठ स्तर के योग्यता प्राप्त सुरक्षा कार्मिकों को नियुक्त करना।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में सुरक्षा दस्तावेज पर लगाए जाने वाले रोड चालान पर जल–चि शुरू किया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विद्यमान सुरक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सी. आई. एस. एफ. कार्मिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा आवधिक अंतराल से सुरक्षा विषय पर नए रंगरूटों को मूल प्रशिक्षण देना।

विदेशी बैंकों की शाखाएं

1524. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किन्हीं विदेशी बैंकों को भारत में चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की भारत में विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने की अनुमति देने के सम्बन्ध में क्या नीति है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। वित्तीय वर्ष 1.4.97 से 31.3.98 के दौरान भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए नए विदेशी बैंकों/विद्यमान विदेशी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन दिया गया है :

(i) **नए विदेशी बैंकों को दिया गया अनुमोदन**

बैंक मस्कट अलअहली अल ओमानी–बेंगलूर

(ii) **विद्यमान विदेशी बैंक को अतिरिक्त शाखा के लिए दिया गया अनुमोदन**

ड्यूश बैंक	चेन्नई
बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	चेन्नई
आई. एन. जी. बैंक	नई दिल्ली
कामर्ज बैंक	नई दिल्ली
स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस	हैदराबाद

ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट	नई दिल्ली
सिटी बैंक	पुणे
बैंक ऑफ नोवा स्काशिया	बेंगलूर
क्रेडिट लियोनिश	कलकत्ता
ए. बी. एन. एमरो बैंक	बड़ौदा

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक कतिपय मानदंडों पर जोर देते हुए भारत में अपनी नई शाखाएं खोलने संबंधी विदेशी बैंकों के अनुरोध पर विचार करते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता, अन्तर्राष्ट्रीय हैसियत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनैतिक संबंध बैंक की स्थापना वाले देश में पर्यवेक्षण मानदंड आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निगमन वाले देश को भारतीय बैंकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।

नए बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा तीन शाखाओं के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डालर होनी है :

(i) प्रथम शाखा के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डालर

(ii) दूसरी शाखा के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन अमेरिकी डालर

(iii) तीसरी शाखा के लिए अतिरिक्त 5 मिलियन अमेरिकी डालर

बैंक की वित्तीय स्थिति और उसके पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए विद्यमान विदेशी बैंकों के आवेदनों पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

सीमा-शुल्क विभाग में रिक्तियां

1525. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सहायक आयुक्त सीमा-शुल्क के पद बड़ी संख्या में काफी लम्बे समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सारे पदों को कब तक और कैसे भरे जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) गुजरात में सहायक आयुक्तों के चार पद-अहमदाबाद तथा कांडला दोनों सीमा शुल्क कार्यालयों में दो-दो पद, प्रशासनिक कारणों से गत कुछ माह से रिक्त पड़े हैं और इन पदों को एक पखवाड़े में भर दिए जाने की आशा है।

सांविधिक निकायों की भूमिका

1526. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सांविधिक निकायों की भूमिका उत्साहजनक नहीं है जिनका कार्य निजी वित्तीय संस्थानों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखना है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने विशेषकर दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जनवरी, 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक में अतिरिक्त शक्तियां निहित कर दी गई थीं और भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को विनियमित करने के लिए हाल ही में व्यापक विनियम तैयार किए हैं। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विनियमन के संबंध में टिप्पणियां और सुझाव दिए हैं।

(ग) अन्य स्रोतों से प्राप्त सुझावों सहित दिल्ली के उप-राज्यपाल का पत्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी क्षेत्र का अधिकाधिक विनियमन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सतत् प्रयत्नों में बहुमूल्य योगदान प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

सी. सी. एल. के कामगारों को मुआवजा

1527. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अप्रैल, 1998 तक कितने विस्थापितों व उनके आश्रितों को मुआवजा दिया गया तथा अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई;

(ख) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत इस प्रकार के कितनी मामले लम्बित पड़े हैं;

(ग) इस प्रकार के लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार के लंबित पड़े मामलों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले वर्षों के दौरान और अप्रैल, 1998 तक सी. बी. ए. अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के एवज में 593 व्यक्तियों को मुआवजे

का भुगतान किया गया। से. को. लि. ने इस अवधि में 432 भू–दंचित व्यक्तियों को रोजगार दिया।

(ख) सी. वी. ए. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लगभग 625 अवार्ड प्राप्त करने वालों को निम्नलिखित विवादों के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है : भू–स्वामित्व, भूमि का उपयुक्त रिकार्ड तथा वैधानिक उत्तराधिकारी की संख्या संबंधी विवाद। उपर्युक्त के अलावा, न्यायाधिकरण के पास मुआवजे की राशि में संशोधन संबंधी तथा भू–स्वामित्व के विवादों का निपटारा किए जाने से संबंधित 537 मामले लंबित पड़े हुए हैं।

(ग) से. को. लि. द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) से. को. लि. प्रत्येक गांव में नियमित अंतराल से अवार्ड प्राप्त करने वालों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए शिविर लगा रही है।

(2) अवार्ड प्राप्त करने वालों से निजी तौर पर संपर्क किया जाता है तथा उनके द्वारा भूमि संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत करने के उपरांत उन्हें भुगतान की धनराशि स्वीकार करने के लिए राजी किया जाता है।

(3) कभी–कभी स्थानीय राज्य प्राधिकरणों, सम्मानित नागरिकों के साथ–साथ एन. जी. ओ. को अनुरोध किया जाता है कि वे अवार्ड प्राप्त करने वालों को इस प्रकार विश्वास दिलाएं जिससे कि वे भुगतान की राशि स्वीकार करने के लिए राजी हो जाएं।

(4) न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामलों, जो कि मुआवजे की राशि में संशोधन किए जाने से संबंधित है, को शीघ्र निपटाने के लिए उन पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।

(घ) एक उपयुक्त समय के अंदर मुआवजे की राशि के भुगतान हेतु लंबित मामलों पर जोर–शोर से कार्रवाई की जा रही है। किन्तु, न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामलों को निपटाया जाना पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कोयले पर लगने वाले उपकर की समाप्ति

1528. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले पर लगने वाले उपकर को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त निर्णय से कोयला उत्पादक राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए इस निर्णय से कोयला उत्पादक राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) कई राज्य सरकारों द्वारा विगत में कोयले पर उपकर लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के उपकर अधिनियमों को समाप्त कर दिया है। असम तथा मेघालय सरकारों ने कोयले पर लगाए जाने वाले उपकरों को बंद कर दिया है। कोयला उत्पादक राज्यों में से पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है, जहां उपकर की वसूली इस आधार पर जारी है कि पश्चिम बंगाल के उपकर अधिनियम को समाप्त किए जाने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में की गई अपील पर स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है। वर्ष 1991 में रॉयल्टी की दरों को बढ़ाने का मुख्य कारण, न्यायालय द्वारा उपकरों की वसूली समाप्त करने के कारण राज्य सरकारों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना था।

[हिन्दी]

रुग्ण एकक

1529. श्री जयसिंहजी चौहान :

श्री दना मेघे ·

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण एककों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता देने का है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण एककों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता देने संबंधी कुछ प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है, और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा पेटेंट

1530. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4.4.98 के "आब्जर्वर ऑफ बिजनेस एण्ड पालिटिक्स", में "अमरीकन कंपनीज रौबिंग इंडियाज नेचुरल वेल्थ एस. जे. एम." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संबंधित सरकारें अपने पेटेंट कानूनों के अंतर्गत पेटेंट प्रदान करती हैं। जब कभी उन कतिपय उत्पादों, जिन्हें पेटेंट योग्य नहीं समझा जाता है, पर पेटेंट लेने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो इस बात को निश्चित करने के लिए उपाय किये जाते हैं कि क्या पेटेंट प्रदान करने को चुनौती दी जा सकती है। पर्याप्त सामग्री प्राप्त होने पर, उस देश में पेटेंट की पुनः जांच और अन्ततः उसे रद्द करने के लिए याचिका दायर करने हेतु उपाय किये जाते हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री विजय गोयल :

श्री मोहन सिंह :

श्री कृष्ण कुमार चौधरी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रतिवर्ष देश में राज्यवार कुल कितना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया;

(ख) यह निवेश किन-किन क्षेत्रों में किया गया;

(ग) ऐसा निवेश करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पास विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत कर लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) महोदय, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995, 1996, 1997 तथा, 1998 (मार्च तक) के लिये अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कुल राशि इस प्रकार है :

वर्ष	प्रस्ताव अनुमोदित	कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (करोड़ में.)
1995	1355	32071.72
1996	1559	36146.81
1997	1665	54891.35
1998 (31 मार्च तक)	298	8187.61

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः विदेशी सहयोगकर्ता का नाम तथा देश इक्यूटी की प्रतिशतता, विनिर्माण/क्रियाकलाप की मदें तथा परियोजना स्थल, मासिक आधार पर एस. आई. ए. पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं जिन्हें संसद पुस्तकालय सहित बड़े पैमाने पर परिचालित किया जाता है।

(घ) और (ङ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के समक्ष कुल 97 प्रस्ताव लम्बित हैं। अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकार का निर्णय बताने के लिए 6 माह की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार

1532. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने कपड़ा यूनियनों के साथ विचार-विमर्श करके केन्द्रीय बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान करने हेतु कपड़ा मिल परियोजना नामक कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की है ताकि इन मिलों को फिर से चालू किया जा सके तथा उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना को मंजूरी मिल गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) कोई ऐसी रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रुप "डी" कर्मचारियों की भर्ती

1533. श्री कड़िया मुण्डा : क्या **वित्त** मंत्री 14 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6063 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे उम्मीदवार जिनका साक्षात्कार अगस्त, 1997 में लिया जा चुका था और जिन्हें चयनित घोषित किया गया था चयन संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है; और

(ग) ऐसे सभी उम्मीदवारों की भर्ती कब तक किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मजदूर/खिदमतगार संवर्ग में नियुक्ति हेतु अगस्त, 1997 में आयोजित साक्षात्कार के पश्चात् चयनित घोषित किए गए 80 उम्मीदवारों में से 18 को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। 6 और उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि शेष 56 उम्मीदवारों को उक्त संवर्ग में स्थान रिक्त होने पर नियुक्ति दे दी जाएगी।

बासमती का आयात

1534. डॉ. संजय सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारी पाकिस्तान से बासमती चावल आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर कितने चावल का आयात किया गया है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय किसानों में उक्त आयात के प्रति भारी रोष की जानकारी है जो कि उन पर दुष्प्रभाव डाल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काली मिर्च का उत्पादन और निर्यात

1535. श्री ए. सी. जोस : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार, काली मिर्च का कितना उत्पादन तथा निर्यात किया गया;

(ख) काली मिर्च के उत्पादन में सुधार हेतु अब तक काली मिर्च प्रौद्योगिकी मिशन के क्या क्रियाकलाप रहे;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च उत्पादन के क्षेत्र में मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन-कौन हैं;

(घ) भारत में काली मिर्च के उत्पादन में प्रमुख बाधाएं क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने काली मिर्च के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) काली मिर्च के उत्पादन एवं निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जबकि इण्डोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील और वियतनाम मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, थाइलैण्ड, श्रीलंका, चीन और मैडागासकर देश की काली मिर्च का उत्पादन एवं निर्यात करते हैं।

(घ) देश में काली मिर्च के उत्पादन में अभिज्ञात की गई प्रमुख बाधाएं हैं :

(i) कम उत्पादकता; (ii) कीटों एवं रोगों का प्रचलन; (iii) वैज्ञानिक फसल उत्पादन प्रणाली को नहीं अपनाना; (iv) बड़ी संख्या में अनुत्पादक जराजीर्ण/रोगग्रस्त लताओं का रहना और (v) रोग-अवरोधक/उसे बर्दाश्त करने वाली किस्मों का अभाव।

(ख) और (ङ) काली मिर्च सहित विभिन्न मसालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मसालों के विकास के लिए एक केन्द्रीय रूप से प्रयोजित एकीकृत कार्यक्रम (आई. पी. डी. एस.) को लागू किया जा रहा है। काली मिर्च के विकास के लिए लागू किए जा रहे उपाय हैं :

(i) उच्च उपज वाली किस्मों की जड़ वाली काली मिर्च की कलमों का उत्पादन।

(ii) काली मिर्च के पुराने बागानों को पुनः स्थापित करना।

(iii) इनपुट-किस्म का वितरण।

(iv) क्विक विल्ट बीमारी से पौधे की सुरक्षा के उपाय।

(v) लिटिल लीफ बीमारी को समाप्त करना।

(vi) किसानों के खेतों में प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना और रखरखाव; तथा

(vii) क्षेत्र विस्तार।

वर्ष 1997-98 के दौरान आई. पी. डी. एस. के अंतर्गत 30 करोड़ रु. के कुल आबंटन में से 11.34 करोड़ रु. काली मिर्च के विकास के लिए आबंटित किए गए थे। वर्ष 1998-99 के दौरान भी इन कार्यक्रमों को जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

(i) काली मिर्च का राज्यवार उत्पादन ('000 टन)

	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
(i)	कर्नाटक	0.76	0.88	0.87
(ii)	केरल	59.26	59.94	53.77
(iii)	तमिलनाडु	0.64	0.67	0.64
(iv)	अ. नि. द्वीपसमूह	0.08	0.08	0.08
(v)	पाण्डिचेरी	शून्य	0.01	0.01
	कुल :	60.74	61.58	55.37

स्रोत : कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली

(ii) भारत से काली मिर्च का निर्यात

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1995–96	26,244	196.30
1996–97	47,893	412.32
1997–98 (अनुमानित)	34,250	479.56

स्रोत : मसाला बोर्ड

नोट : राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

वाहन निर्यात

1536. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997–98 के दौरान निर्यात की गई कारों और अन्य वाहनों की संख्या और उनका कुल मूल्य क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने वाहनों का आयात किया गया;

(ग) उक्त उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान इन उद्योगो ने विभिन्न वाहनों के कलपुर्जों का आयात किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका आयात मूल्य क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1997–98 के दौरान विभिन्न देशों को 1421.72 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के कुल 1,89,684 विभिन्न प्रकार के वाहनों का निर्यात किया गया था।

(ख) 1997–98 के दौरान आयातित वाहनों से संबंधित आंकड़े विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) आटोमोबाइल्स क्षेत्र 2 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार तथा एक करोड़ तक अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करता है।

(घ) और (ङ) कलपुर्जों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आता है, इस प्रकार उनके आयात हेतु सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा ऐसे आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में लिग्नाइट के भंडार

1537. **श्री टी. आर. बालू** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू–विज्ञान विशेषज्ञों ने तमिलनाडु में मन्नारगुडी क्षेत्र में लिग्नाइट के भारी मात्रा में भंडार पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन भंडारों की गुणवत्ता और मात्रा क्या है; और

(ग) वहां खुदाई संबंधी गतिविधियां कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) मन्नारगुडी में लिग्नाइट की गुणवत्ता के संबंध में विवरण निम्न है :

क	आर्द्रता	–	40–50%
ख.	राख	–	4–12%
ग.	वाष्पशील पदार्थ	–	18–23%
घ.	निर्धारित कार्बन	–	17–22%
ङ.	कैलोरिफिक मान	–	2200–3200 कि. कैलो./कि. ग्रा.
च.	परिणाम घनत्व	–	1.15–1.20 ग्राम/सी. सी.
छ.	कुल गंधक	–	0.7–1.4

भंडारों की कुल मात्रा को लगभग 19,500 मिलियन टन पर विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) उस क्षेत्र का अन्वेषण अभी पूरा नहीं हुआ है। चूंकि भंडार आवासीय और कृषि क्षेत्र में स्थित हैं अतः उनका दोहन किया जाना कठिन है। मन्नारगुडी में दोहन किए जाने हेतु अन्वेषण और ब्लाकों को विनिर्दिष्ट करने की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कोयले का उत्पादन

1538. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में वर्ष–वार कितने कोयले का उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन खानों के निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क)

वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे. को. लि.) के खानों में उत्पादित कोयले का ब्यौरा निम्न है :

(मिलियन टन में)

1996–97	28.58
1997–98 (अनंतिम)	26.173

(ख) महाराष्ट्र राज्य में वे. को. लि. के खानों के आस–पास के क्षेत्रों के विकास पर सामाजिक क्रियाकलापों (पूंजीगत व्यय) के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न है :

(लाख रु. में)

		1996–97	1997–98 (अनंतिम)
1.	आवासीय भवन	960.29	1741.29
2.	जलापूर्ति	170.90	173.50
3.	चिकित्सा	111.02	86.96
4.	शिक्षा	64.49	103.50
5.	सड़क और पुलिया	342.56	360.43
6.	अन्य	14.83	68.56
	जोड़ :	1664.09	2534.24

महाराष्ट्र राज्य में अनु. जाति/अनु. जन जाति और सामुदायिक विकास पर निम्नलिखित धनराशि खर्च की गई :

(लाख रु. में)

		1996–97	1997–98 (अनंतिम)
1.	सामुदायिक विकास	15.00	4.18
2.	अनु. जाति/अनु. जन. जाति (धनराशि उन परिसरीय क्षेत्रों के विकास पर व्यय की गई जहां अनु. जाति/अनु. जन. जाति की आबादी सर्वाधिक है।)	22.00	0.82
	जोड़ :	37.00	5.00

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

1539. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम को भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या यह सहायता आनुपातिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण भंडार

1540. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 को तथा वर्तमान में देश में विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण भंडार की क्या स्थिति है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में विदेशी तथा आंतरिक ऋण देयता कितनी है;

(ग) देश में विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण भंडार में वृद्धि के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण भंडार के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार (एस. डी. आर.) सहित भारत के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार की राशि 1 जनवरी, 1995 को 23.42 बिलियन अमरीकी डालर और 22 मई, 1998 को 28.72 बिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) 31.3.1995 और 31.3.1998 को केन्द्रीय सरकार की बकाया आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं तथा विदेशी ऋण देयताएं निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

की स्थिति के अनुसार	आंतरिक	विदेशी*
31.3.1995	487682	50929
31.3.1998 (स. अ.)	718299	55242

*विनिमय की ऐतिहासिक दरों पर आधारित।

(ग) और (घ) किसी निश्चित अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार में हुआ उतार–चढ़ाव समग्र भुगतान संतुलन में

हुए घटनाक्रम को परिलक्षित करता है, जिसकी सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों के द्वारा लगातार अनुवीक्षा की जाती है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार के प्रबंध से संबंधित नीति के तहत यह अपेक्षित है कि किसी भी समय विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार का स्तर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान से उत्पन्न अप्रत्याशित आकस्मिकता का सामना करने के लिए पर्याप्त हो, विदेशी मुद्रा बाजार में अल्पावधि मांग आपूर्ति संतुलन के लिए अवलम्बन का कार्य कर सके और विदेशी मुद्रा दर नीति के संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक लचीलापन प्रदान कर सके। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार के स्तर की वजह से अतिशय घरेलू मुद्रा आपूर्ति की स्थिति न बने जिससे भी मूल्य स्थिरता को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार के स्तर को उक्त मापदण्ड के अनुरूप रखा जाता है।

हस्तशिल्प निर्यात

1541. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1996–97 और 1997–98 की तुलना में 1998–99 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और क्या निर्यात संवर्धन परिषद् से भी कहा गया है कि वह भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय ढूंढे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हस्तशिल्प निर्यातकों ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिये निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कुछ उपाय सुझाये हैं;

(घ) यदि हां, तो हस्तशिल्प निर्यातकों द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव क्या थे;

(ङ) सरकार किस हद तक उनके सुझावों को क्रियान्वित करने पर सहमत हुई है;

(च) हस्तशिल्प निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान, हस्तशिल्प वस्तुओं (हाथ से बुने कालीनों सहित) के क्रमशः 5628.62 करोड़ रुपये और 6457.65 करोड़ रुपये के निर्यात की तुलना में वर्ष 1998–99 के लिए 7776.00 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् को ऐसे क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने हेतु नए सिरे से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं, जिनके पास और अधिक निर्यात बढ़ाने की क्षमता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। निर्यात बढ़ाने हेतु, हस्तशिल्प निर्यातकों के प्रमुख सुझावों में, मौसमी कार्य–भार के अनुकूल लचीले श्रम कानून बनाना, शुल्क वापसी हेतु कलात्मक धातु वस्तुओं का समुचित वर्गीकरण, लौह एवं अलौह धातुओं तथा अन्य पदार्थों के मिश्रण से निर्मित कलात्मक वस्तुओं पर उपयुक्त शुल्क वापसी, मोडवेट सुविधा उपलब्ध न होने पर प्रमाणीकरण की शर्त समाप्त करना और ढांचागत सुविधाओं आदि में सुधार शामिल हैं।

सरकार समस्याओं से अवगत है और उन्हें हल करने के संयुक्त प्रयास कर रही है।

(च) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करते हुए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में विदेश में बिक्री–सह–अध्ययन दल प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन विदेशों में प्रचार एवं कैटलॉग का प्रकाशन, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन, और वार्षिक विशेषता के रूप में भारतीय हस्तशिल्प उपहार मेले और भारतीय कालीन एक्सपो का आयोजन शामिल है।

जापान के साथ समझौता

1542. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जापान के साथ आर्थिक सहयोग में विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में जापान द्वारा भारत सरकार को मंजूर की गई सहायता/ऋण का वितरण क्या है; और

(ग) जापान द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जापान सरकार ने भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण नए येन ऋण/अनुदान अनुपलब्ध बना दिए हैं। तथापि, आपात–काल तथा मानवीय सहायता के लिए अनुदान, आधारभूत परियोजनाओं, चल रही ऋण और अनुदान परियोजनाओं के लिए अनुदान तथा परियोजना किस्म की तकनीकी सहायता का दिया जाना जारी रहेगा। चल रही परियोजनाओं के लिए दूसरे और अनुवर्ती ट्रांश ऋणों के संबंध में मामला–दर–मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(ख) 1998–99 के ऋण पैकेज के लिए जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहायता सहयोग निधि द्वारा नौ परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है जिसमें से चार परियोजनाएं दूसरी ट्रांश की हैं। दूसरी ट्रांश परियोजनाओं के लिए वचनबद्धता "भारत विकास मंच;" की अगली बैठक में की जाएगी।

(ग) गत तीन वर्षों में सरकारी विकास सहायता के तहत राज्य–वार संवितरण निम्नानुसार है :

(मिलियन येन)

राज्य	1995–96	1996–97	1997–98
आन्ध्र प्रदेश	11011.6	8566.7	10993.3
असम	6290.5	4603.7	1981.7
बिहार		9.1	
गुजरात	6033.9	4264.3	5886.6
हरियाणा			2991.3
कर्नाटक	1190.6	1096.5	2544.1
केरल	3608.3	5830.2	2617.9
मध्य प्रदेश	77.3	265.1	340.8
महाराष्ट्र	1239.9	1919.4	1253.9
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	882.0	2111.4	2172.6
उड़ीसा	600.9	674.4	1084.7
पंजाब			63.3
राजस्थान	2328.9	2390.6	2665.1
तमिलनाडु	2518.4	703.3	2566.4
उत्तर प्रदेश	3685.6	11940.0	13287.3
पश्चिम बंगाल	705.6	6456.1	17338.5
समग्र भारत (बहु राज्य)	40261.8	17161.4	24612.6

सीमेंट उद्योग

1543. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998–99 के दौरान देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में सीमेंट परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंगूर का निर्यात

1544. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में आंध्र प्रदेश से अंगूर के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन–किन देशों को अंगूर निर्यात किए गए;

(ग) क्या कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को अंगूर के उत्पादन की नई तकनीक पर प्रशिक्षण दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण किसानों के लिए नए कार्यक्रमों को आरंभ करने पर विचार कर रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन कार्यक्रमों द्वारा किस हद तक आंध्र प्रदेश में अंगूर के उत्पादन में वृद्धि की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश से अंगूरों के निर्यात 1996–97 के दौरान हुए 15 मी. टन के निर्यातों से बढ़कर वर्ष 1997–98 में 440 मी. टन के हुए। आंध्र प्रदेश से अंगूरों के निर्यात मुख्य रूप से यूरोप को किए गए हैं।

(ग) और (घ) एपीडा ने नेशनल रिसर्च सैंटर, पुणे तथा आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की तकनीकी सहायता तथा स्टेट होर्टीकल्चर डिपार्टमेंट तथा अंगूर के अन्य सक्रिय निर्यातकों के सहयोग से आंध्र प्रदेश में अंगूर के उपजकर्ताओं को 1996–97 के दौरान क्वालिटी तथा रोग–मुक्त अंगूरों के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है।

(ङ) से (छ) वर्ष 1997–98 के दौरान एपीडा ने आंध्र प्रदेश के अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों से क्वालिटी तथा रोगमुक्त अंगूरों के उत्पादन के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाया है। इसने किस्म–विशेष संबंधी समेकित, कटाई पूर्व, कटाई के समय तथा कटाई के पश्चात् प्रबंध के लिए दीर्घावधि कार्यनीति तैयार की है। इस संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यनीति में एक तकनीकी समन्वयकर्त्ता की पहचान तथा नियुक्ति शामिल है जो कि इस कार्यक्रम के पूर्ण प्रभारी होंगे तथा इस पर निगरानी रखेंगे। फलों का चयन इस कार्यक्रम में शामिल अनुसंधान संस्थाओं तथा राज्य सरकार के अभिकरणों जैसे संगठनों के साथ परामर्श करके तकनीकी समन्वयकर्ता की सहायता से किया जाएगा। फसल के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं में दिया जाएगा। कटाई पूर्व, कटाई के समय तथा कटाई के पश्चात् की प्रोसेसिंग सम्बन्धी क्रियाकलापों के तैयार साहित्य इश्तहार के रूप में प्रगतिशील किसानों को वितरित किए जाएंगे। इन उपायों से क्वालिटी फलों के उत्पादन तथा उन्नत हैंडलिंग प्रणालियां शुरू होने की संभावना है जिससे फसल के संरक्षण में मदद मिलेगी।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1545. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी राशि के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात निम्नानुसार रहा है :

	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा (मिलियन अमरीकी डालर में)
1997–98	385818*	4697.48	1295.86
1996–97	378199	4121.36	1152.83
1995–96	296277	3501.11	1111.46

*अनन्तिम आंकड़े

स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं :

निर्यात के लिए गुणवत्ता वाले मत्स्य और मत्स्य उत्पादन करने में मदद करने के प्रयोजन से मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों को एम्पीडा के जरिए विविध इमदाद योजनाओं का कार्यान्वयन, अर्थात् कैप्टिव पीलिंग शेडों, शीतागारों, छोटे प्रयोगशालाओं, जेनरेटर सेटों की स्थापना करने, ऊष्मारोधी मत्स्य बॉक्स और फ्लेक/चिप/ट्यूब बर्फ बनाने वाली मशीनों को मुहैया कराने, निजी तीव्र प्रशीतक (आई. क्यू. एफ.) एककों, प्रशीतित ट्रक और आधुनिकीकरण के लिए उपस्कर और मशीनरी की खरीद तथा मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात इत्यादि के लिए योजनाएं।

(2) मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों द्वारा अपनी सुविधाओं के उन्नयन के निमित्त लिए गए ऋणों पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए ब्याज के भाग पर इमदाद देने के लिए एक योजना को स्वीकृति दी गई है।

(3) चालू वर्ष की एग्जिम नीति में निम्नलिखित सहित अनेकों प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है :

(i) अनिवार्य मशीनरी और उपस्कर का आयात करने के लिए निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अधीन शून्य आयात शुल्क के लिए न्यूनतम सीमा को पूर्ववर्ती 20 करोड़ रु. से घटाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(ii) निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत गुणवत्ता मानदंडों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एच. ए. सी. सी. पी. (जोखिम विश्लेषण और अनिवार्य नियंत्रण बिन्दु) पर आधारित गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों वाले मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों को 5% अतिरिक्त विशेष आयात लाइसेंस (एस. आई. एल.) की स्वीकृति के लिए पात्र बनाया गया है।

(iii) समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए शुल्क पात्रता पास बुक (डी. ई. पी. बी.) दरों को अधिसूचित किया गया है।

(4) मत्स्यखोजी, वैश्विक स्थिति संबंधी प्रणालियों, रेडियो संचार सेटों इत्यादि जैसे उपस्कर लगाने के लिए यांत्रिकृत फिशिंग जलयान के मालिकों को सहायता प्रदान कर समुद्र में कम अन्वेषित संसाधनों का दोहन करने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए एम्पीडा के माध्यम से एक इमदाद योजना का कार्यान्वयन।

(5) नए बाजारों में प्रवेश और मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उद्योग को एम्पीडा के द्वारा संगत बाजार जानकारी उपलब्ध की जा रही है। इस प्रयोजन से एम्पीडा समुद्री खाद्य उद्योग के साथ विदेशों में व्यापार मेलों में भागीदारी करता है और व्यापार शिष्टमंडलों को बुलाता और भेजता भी है। न्यूयार्क और टोकियो स्थित एम्पीडा के दो प्रतिनिधि कार्यालय निर्यातकों को उन्हें आवश्यक बाजार जानकारी/छानबीन को मुहैया कराकर मदद भी करते हैं।

(6) मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों की जांच और मॉनीटरिंग करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई. आई. सी.) और उसके निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (ई. आई. ए.) की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया गया है जिसके तहत मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों को खाद्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मापदंडों के अनुरूप बनाया गया है। ई. आई. सी., ई. आई. ए., एम्पीडा के कर्मचारियों और मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों के व्यक्तियों को एच. ए. सी. सी. पी. पर आधारित गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों में प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

(7) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए और मत्स्य फार्मों के विकास के लिए एम्पीडा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा मत्स्यपालकों को सहायता प्राप्त हैचरी से रोग रहित बीज उपलब्ध करवाकर पारिस्थितिक अनुकूल और दीर्घावधिक मत्स्य पालन और मत्स्यपालन के विविधीकरण को प्रोत्साहन देना।

सहकारी संस्थाओं को पूंजी सहायता

1546. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का सहकारी संस्थाओं को भी पर्याप्त पूंजी सहायता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) संभवतः, माननीय सदस्य का आशय सहकारी बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाए जाने से है। सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विपरीत, जहां केन्द्रीय सरकार शेयर पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान करती है, राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला

सहकारी बैंकों की शेयरधारिता में उनके सदस्यों और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। कुछ हद तक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्पूंजीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उत्तरदायी नहीं है।

[हिन्दी]

भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक का भवन

1547. श्री मोतीलाल वोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल के कार्यालय भवन का निर्माण मई, 1992 में पूरा हो गया था और दिसम्बर, 1992 से यह कार्यालय इसी भवन में कार्यरत है;

(ख) क्या इस शाखा में अब तक इश्यू डिपार्टमेंट, बैंकिंग लोन एकाउंट्स डिपार्टमेंट (बीएलएडी), डिपाजिट एकाउंट्स डिपार्टमेंट्स (डीएडी), पब्लिक लोन डिपार्टमेंट (पीएलडी) आदि जैसे महत्वपूर्ण विभाग अभी तक खोले नहीं गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से एक वर्ष पहले अनुरोध किया था;

(ङ) यदि हां, तो भोपाल कार्यालय में इन विभागों को कब तक खोल दिए जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य अगस्त, 1992 में पूरा हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय इसी भवन में दिसम्बर, 1992 से स्थित है। कुछ अनुभाग इसका निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले ही इस भवन में चले गए थे।

(ख), (ग), (ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भोपाल में निर्गम विभाग खोलने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। इस बीच करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो ने पहली जून, 1998 से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, जमा लेखा विभाग ने पहली जून, 1998 से आंशिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। चूंकि बैंकिंग विभाग खोलने के लिए निर्गम कार्यालय का होना एक पूर्व–अपेक्षा है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दिशा में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि इस समय लोक लेखा विभाग और लोक ऋण कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, हां।

[अनुवाद]

बी. सी. सी. एल. द्वारा मशीनों की खरीद

1548. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी. सी. सी. एल. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से अमलाबाद तथा मूनीडीह परियोजनाओं के लिए खरीदी गई मशीनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मशीन की खरीद पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) इनमें से कितनी मशीनें विदेशों से खरीदी गईं;

(घ) इनमें से कितनी मशीनें अनुप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ङ) 31.3.1998 को अनुप्रयुक्त मशीनों में कितनी पूंजी फंसी हुई है; और

(च) इन मशीनों द्वारा कितने मोटे कोयलों को काटा जा सकता है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) अमलाबाद और मूनीडीह परियोजनाओं हेतु भा. को. को. लि. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी मशीन की खरीद नहीं की गई।

(ख) से (च) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

1549. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार स्थापित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई अनुरोध सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार ने केरल में इस संस्थान की शाखाएं खोलने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार के निर्णय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) राष्ट्रीय फैशन

टेक्नोलाजी संस्थान (निफ्ट) ने नई दिल्ली में अपने केन्द्र के अतिरिक्त 6 केन्द्र स्थापित किए हैं जो कि मुंबई, चेन्नई, गांधी नगर, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर में हैं।

(ख) से (ङ) जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा की राज्य सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में निफ्ट के केन्द्रों की स्थापना करने के अनुरोध किए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

भारतीय जूट निगम के विभागी खरीद केन्द्र

1550. श्री मोइनुल हसन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय जूट निगम के 43 विभागीय खरीद केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

सरकार ने इन केन्द्रों पर कार्य करने वाले 400 से ारियों के पुनर्नियोजन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पिछले एक दशक से जे. सी. आई. के समस्त क्रय केन्द्रों द्वारा दी गई अधिप्राप्ति का विश्लेषण करने के बाद अभी हाल ही में यह निर्णय लिया है कि जे. सी. आई. के ऐसे 43 खर्चीले विभागीय क्रय केन्द्रों को बंद कर दिया जाए जिनमें यह देखा गया है कि इन सभी 43 केन्द्रों की अधिप्राप्ति मूल्य समर्थन प्रचालन तथा वाणिज्यिक प्रचालन दोनों में ही लगातार वांछित स्तर से नीचे रही है।

(ग) इन क्रय केन्द्रों में तैनात लगभग 200 नामित कर्मचारियों को सुविधानुसार पुनः तैनात करने के लिए की गई कार्रवाई प्रगति पर है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद का निष्पादन

1551. श्री एम. राजैया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्तमान में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एच. एम. टी. लि. की हैदराबाद में तीन इकाइयां हैं अर्थात् मशीन टूल यूनिट, प्रेस यूनिट तथा लैम्प यूनिट हैं। मशीन टूल यूनिट और प्रेस यूनिट ने गत वर्ष में न्यूनतम लाभ कमाया है। लैम्प यूनिट अपनी स्थापना से निरन्तर घाटे में चलती रही है।

(ख) और (ग) जी, हां। एच. एम. टी. फालतू कर्मचारियों, उच्च ब्याज के देनदारों, कार्यशील पूंजी की बाधाओं और कुछ यूनिटों में पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण समस्याओं का सामना करती रही है।

(घ) सरकार एच. एम. टी. के निष्पादन की निगरानी एवं समीक्षा नियमित रूप से करती है।

रेज़िन उद्योग

1552. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधारभूत कच्चा माल (वनाधारित) की भारी कमी और आयातित कच्चा माल ऊंचे मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण घरेलू रेज़िन तारपीन और कपूर उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने एकक बंद हो गये हैं;

(घ) क्या संसद सदस्यों और उद्योगपतियों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) आलियो पाइन रेजिन के घरेलू उत्पादन, रेजिन, तारपीन तथा कपूर के लिए आधारभूत कच्चा माल मांग से कम होता है। फिर भी, इस कमी को 10% सीमा शुल्क की दर पर ओलियो पाइन रेजिन के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन वस्तुओं को उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योगों के हितों के संरक्षण के लिए रेजिन, तारपीन तथा कपूर पर आयात शुल्क 30% रखा गया है।

(घ) से (च) ओलियो पाइन रेजिन पर सीमा शुल्क समाप्त करने के लिए अनुरोध करते हुए सांसदों तथा भारतीय व्यापार तथा उद्योग चेम्बर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तद्नुसार, ओलियो पाइन रेजिन पर आयात शुल्क 10% के स्तर तक कम कर दिया गया है।

जालान समिति का प्रतिवेदन

1553. श्री संदीपान थोरात : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्याज संबंधी नीति के बारे में जालान समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) न तो सरकार और न भारतीय रिजर्व बैंक को ही ब्याज संबंधी नीति के बारे में किसी जालान समिति की जानकारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु रियायत देना

1554. श्री चिन्ता मोहन :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दू माजरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु नई निर्यात–आयात (एग्जिम) नीति के अंतर्गत अनेक तरह की रियायतों की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के अंतर्गत घोषित 340 मदों में से 100 मदें कृषि आधारित उत्पाद हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। शून्य शुल्क ई. पी. सी. जी. योजना के तहत कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की प्रारंगिक सीमा 5 करोड़ रु. से घटाकर 1 करोड़ रु. कर दी गई है। इसके साथ–साथ कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से निर्यात अभिमुख इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की इकाइयों को सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा के आधार पर अनुमति दी जाएगी। तदनुसार, इस क्षेत्र के लिए 20% की न्यूनतम विदेशी मुद्रा आय की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) 340 मदों में से जो 51 मदें इस वर्ष 13.4.98 को की गई एग्जिम नीति की घोषणा के एक भाग के रूप में प्रतिबंधित सूची से मुक्त सूची में अन्तरित की गई हैं, वे अब कृषि उत्पादों की श्रेणी में आ गई हैं। इन 51 मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं	एग्जिम कोड	मदों की सूची विवरण	नीति
1	2	3	4
1.	06031000	ताजे कट फ्लावर्स तथा फूलों की कलियां	मुक्त
2.	06039000	अन्य	मुक्त
3.	06041000	मोसिज तथा लिचेनस	मुक्त
4.	06049100	काजू	मुक्त
5.	06049900	अन्य	मुक्त
6.	07099004	हरी मिर्च	मुक्त
7.	07111000	प्याज	मुक्त
8.	07112000	ओलिव	मुक्त
9.	07113000	केपर्स	मुक्त
10.	07114000	खीरा तथा छोटी ककड़ी	मुक्त
11.	07119001	हरी मिर्च ब्राइन में	मुक्त
12.	07119002	असोरटिड डिब्बाबंद सब्जियां	मुक्त
13.	07119009	सब्जियां अनंतिम रूप से ब्राइन में सल्फर जल/अन्य परिरक्षित घोल में परिरक्षित परन्तु तत्काल उपयोग के लिए अनुपयुक्त	मुक्त
14.	07123001	खुम्बी (मोरेल्स सहित)	मुक्त
15.	07123002	सुखाए गए ट्रफल्स	मुक्त
16.	07129001	सूखा शतावर	मुक्त
17.	07129005	मरजोरम, ओरेगानो	मुक्त
18.	07129009	अन्य, सुखाया गया	मुक्त
19.	07141000	मेनिओक (कसेवा)	मुक्त
20.	07149001	सागोपित	मुक्त
21.	08012100	शैल में	मुक्त
22.	08012200	शैल्ड	मुक्त
23.	08029009	अन्य	मुक्त
24.	08105000	किवीफ्रूट	मुक्त
25.	13019031	बालसन आफ टोलू/पेरु/कोपाइबा/गुरजन	मुक्त

1	2	3	4
26.	15156000	जोजोबा आयल एंड इट्स फ्रैक्संस	मुक्त
27.	15159002	छुल मोगरा आयल	मुक्त
28.	15159003	मोवरा तेल	मुक्त
29.	15159004	कोकम तेल	मुक्त
30.	15159013	मिर्च/मिर्च तेल	मुक्त
31.	15159014	हल्दी का तेल	मुक्त
32.	15159016	अजवाइन के बीज का तेल	मुक्त
33.	15159017	लहसुन का तेल	मुक्त
	220	अन्य	मुक्त
	90		
35.	17049001	मुरब्बा (स्वीट मीट)	मुक्त
36.	19041002	पावा, मुडी आदि	मुक्त
37.	19053001	कम्यूनियन सीलिंग वेफर्स आदि	मुक्त
38.	20083009	तैयार या परिरक्षित अन्य खट्टे फल	मुक्त
39.	20084000	तैयार या परिरक्षित नासपाती	मुक्त
40.	20085000	खुबानी	मुक्त
41.	20086000	चेरीज	मुक्त
42.	20087000	आडू	मुक्त
43.	20088000	स्ट्राबेरीज	मुक्त
44.	20089912	तैयार या परिरक्षित अंगूर	मुक्त
45.	20089913	तैयार या परिरक्षित सेव	मुक्त
46.	20089914	तैयार परिरक्षित अमरूद	मुक्त
47.	20089919	तैयार या परिरक्षित अन्य फल	मुक्त
48.	20091100	प्रशीतित	मुक्त
49.	20091900	अन्य	मुक्त
50.	20097000	सेव का रस	मुक्त
51.	20098001	आम का रस	मुक्त

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

1555. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री रामानन्द सिंह :
श्रीमती कमल रानी :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उपलब्धि कितनी रही;

(ख) इस लक्ष्य को पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य–वार ऋण स्वीकृत किए गए कुल उद्यमियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने उद्यमी हैं; और

(घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत गत तीन वर्षों, अर्थात् 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान राज्य–वार निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण–I में दी गयी हैं। अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में स्वीकृतियों के प्रति लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं, कुछ मामलों में युवाओं द्वारा कम भागीदारी, राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा निम्न बैंकीय आयोजनाओं और बैंकों द्वारा कम स्वीकृतियों के कारण कमी दर्ज की गई है।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण प्रदान किये गये। कुल उद्यमियों में से अ. जा./अ. ज. जा. उद्यमियों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(घ) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रशिक्षण, परियोजना खाके तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण, समवर्ती मूल्यांकन प्रचालन उद्देश्यों हेतु आपातकालीन कोष इत्यादि के लिए निधियां जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आबंटित निधियों का राज्य–वार विवरण ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रति लाभ–भोगी 7,500 रु. की उच्चतम सीलिंग की शर्त के तहत 15% की दर से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को राजसहायता के लिए निधियां जारी की जाती हैं। भा. रि. बैंक विभिन्न बैंकों को निधियां आबंटित करता है, जो एक अथवा एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रहे हो सकते हैं।

विवरण-I

वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा यथा सूचित राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1995–96		1996–97		1997–98	
		लक्ष्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लक्ष्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लक्ष्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	31900	32556	31900	30754	34200	29628
2.	असम	9900	9852	15000	13550	13400	12364
3.	बिहार	22150	17924	22150	18818	21500	10229
4.	दिल्ली	4550	4143	4550	735	4700	668
5.	गोवा	550	499	550	461	600	306
6.	गुजरात	8500	10190	8500	9815	12600	10912
7.	हरियाणा	7200	9353	7200	8420	6300	6395
8.	हिमाचल प्रदेश	2100	2578	2100	2405	2300	2315
9.	जम्मू और कश्मीर	3100	2586	3500	1598	3500	2452
10.	कर्नाटक	17700	17000	17700	17363	22000	18346
11.	केरल	15000	14337	15000	15099	16000	14598
12.	मध्य प्रदेश	27050	31566	27050	33604	31500	33174
13.	महाराष्ट्र	35900	40392	35900	39174	42600	42502
14.	मणिपुर	4000	1753	3000	2082	1300	933
15.	मिजोरम	250	242	375	335	400	281
16.	उड़ीसा	8250	8267	8250	7989	9250	8092
17.	पंजाब	15000	15603	8600	9402	9000	10192
18.	राजस्थान	10400	10273	10400	10632	14300	13266
19.	तमिलनाडु	21800	19304	21800	19438	27700	16362
20.	त्रिपुरा	1300	1238	1950	1676	1300	955
21.	उत्तर प्रदेश	35813	37324	35813	37490	45200	43620
22.	प. बंगाल	22900	10184	22900	7900	23000	3620
23.	अण्डमान और निकोबार	100	101	100	60	100	81
24.	अरुणाचल प्रदेश	300	287	450	409	300	217
25.	चण्डीगढ़	150	171	150	162	200	169
26.	दादरा और नगर हवेली	150	157	150	151	50	59
27.	दमन और दीव	100	116	100	99	50	53

1	2	3	4
26.	15156000	जोजोबा आयल एंड इट्स फ्रैक्संस	मुक्त
27.	15159002	छुल मोगरा आयल	मुक्त
28.	15159003	मोवरा तेल	मुक्त
29.	15159004	कोकम तेल	मुक्त
30.	15159013	मिर्च/मिर्च तेल	मुक्त
31.	15159014	हल्दी का तेल	मुक्त
32.	15159016	अजवाइन के बीज का तेल	मुक्त
33.	15159017	लहसुन का तेल	मुक्त
34.	170220	अन्य	मुक्त
35.	17049001	मुरब्बा (स्वीट मीट)	मुक्त
36.	19041002	पावा, मुडी आदि	मुक्त
37.	19053001	कम्यूनियन सीलिंग वेफर्स आदि	मुक्त
38.	20083009	तैयार या परिरक्षित अन्य खट्टे फल	मुक्त
39.	20084000	तैयार या परिरक्षित नासपाती	मुक्त
40.	20085000	खुबानी	मुक्त
41.	20086000	चेरीज	मुक्त
42.	20087000	आडू	मुक्त
43.	20088000	स्ट्राबेरीज	मुक्त
44.	20089912	तैयार या परिरक्षित अंगूर	मुक्त
45.	20089913	तैयार या परिरक्षित सेव	मुक्त
46.	20089914	तैयार परिरक्षित अमरूद	मुक्त
47.	20089919	तैयार या परिरक्षित अन्य फल	मुक्त
48.	20091100	प्रशीतित	मुक्त
49.	20091900	अन्य	मुक्त
50.	20097000	सेव का रस	मुक्त
51.	20098001	आम का रस	मुक्त

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

1555. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री रामानन्द सिंह :
श्रीमती कमल रानी :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उपलब्धि कितनी रही;

(ख) इस लक्ष्य को पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य–वार ऋण स्वीकृत किए गए कुल उद्यमियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने उद्यमी हैं; और

(घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत गत तीन वर्षों, अर्थात् 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान राज्य–वार निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण–I में दी गयी हैं। अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में स्वीकृतियों के प्रति लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं, कुछ मामलों में युवाओं द्वारा कम भागीदारी, राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा निम्न बैंकीय आयोजनाओं और बैंकों द्वारा कम स्वीकृतियों के कारण कमी दर्ज की गई है।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण प्रदान किये गये। कुल उद्यमियों में से अ. जा./अ. ज. जा. उद्यमियों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(घ) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रशिक्षण, परियोजना खाके तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण, समवर्ती मूल्यांकन प्रचालन उद्देश्यों हेतु आपातकालीन कोष इत्यादि के लिए निधियां जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आबंटित निधियों का राज्य–वार विवरण ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रति लाभ–भोगी 7,500 रु. की उच्चतम सीलिंग की शर्त के तहत 15% की दर से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को राजसहायता के लिए निधियां जारी की जाती हैं। भा. रि. बैंक विभिन्न बैंकों को निधियां आबंटित करता है, जो एक अथवा एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रहे हो सकते हैं।

विवरण-I

वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा यथा सूचित राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1995–96		1996–97		1997–98	
		लक्ष्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लक्ष्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लक्ष्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	31900	32556	31900	30754	34200	29628
2.	असम	9900	9852	15000	13550	13400	12364
3.	बिहार	22150	17924	22150	18818	21500	10229
4.	दिल्ली	4550	4143	4550	735	4700	668
5.	गोवा	550	499	550	461	600	306
6.	गुजरात	8500	10190	8500	9815	12600	10912
7.	हरियाणा	7200	9353	7200	8420	6300	6395
8.	हिमाचल प्रदेश	2100	2578	2100	2405	2300	2315
9.	जम्मू और कश्मीर	3100	2586	3500	1598	3500	2452
10.	कर्नाटक	17700	17000	17700	17363	22000	18346
11.	केरल	15000	14337	15000	15099	16000	14598
12.	मध्य प्रदेश	27050	31566	27050	33604	31500	33174
13.	महाराष्ट्र	35900	40392	35900	39174	42600	42502
14.	मणिपुर	4000	1753	3000	2082	1300	933
15.	मिजोरम	250	242	375	335	400	281
16.	उड़ीसा	8250	8267	8250	7989	9250	8092
17.	पंजाब	15000	15603	8600	9402	9000	10192
18.	राजस्थान	10400	10273	10400	10632	14300	13266
19.	तमिलनाडु	21800	19304	21800	19438	27700	16362
20.	त्रिपुरा	1300	1238	1950	1676	1300	955
21.	उत्तर प्रदेश	35813	37324	35813	37490	45200	43620
22.	प. बंगाल	22900	10184	22900	7900	23000	3620
23.	अण्डमान और निकोबार	100	101	100	60	100	81
24.	अरुणाचल प्रदेश	300	287	450	409	300	217
25.	चण्डीगढ़	150	171	150	162	200	169
26.	दादरा और नगर हवेली	150	157	150	151	50	59
27.	दमन और दीव	100	116	100	99	50	53

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	नागालैंड	300	309	450	427	450	30
29.	लक्षद्वीप	50	35	50	36	50	48
30.	मेघालय	550	561	550	591	550	407
31.	पाण्डिचेरी	500	513	500	502	500	505
32.	सिक्किम	200	169	200	132	100	93

विवरण-II

*वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अ. जा./अ. ज. जा. मामलों की राज्यवार प्रगति**

		स्वीकृत मामलों की संख्या					
क्रम	राज्य/के. शा.	1995–96		1996–97		1997–98	
	क्षेत्र	कुल	अ.जा./अ.ज.जा.	कुल	अ.जा./अ.ज.जा.	कुल	अ.जा./अ.ज.जा.
	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	32556	3425	30754	2928	29618	2712
2.	असम	9852	2217	689	31	—	NR
3.	बिहार	17924	902	18818	858	6526	276
4.	दिल्ली	—	NR	--	NR	668	NR
5.	गोवा	499	2	461	2	306	NIL
6.	गुजरात	10190	1312	9815	1659	10912	2322
7.	हरियाणा	9333	666	8420	632	6395	500
8.	हिमाचल प्रदेश	2578	354	2405	377	628	94
9.	कर्नाटक	17000	1858	17363	2214	10758	978
10.	केरल	14337	590	15099	737	8801	674
11.	मध्य प्रदेश	31566	4127	33604	3970	33174	4005
12.	महाराष्ट्र	40392	4450	39174	4594	5978	698
13.	मणिपुर	1753	700	2082	851	NR	NR
14.	मिजोरम	242	242	337	335	175	175
15.	उड़ीसा	8267	975	7989	1047	23	08
16.	पंजाब	15550	1702	9279	1231	10196	1274
17.	राजस्थान	10273	1933	10632	1931	6465	981
18.	तमिलनाडु	19304	1368	19438	1518	3471	351
19.	त्रिपुरा	1238	176	1676	171	222	27
20.	उत्तर प्रदेश	37324	4833	37490	3612	43482	4243

1	2		3		4		5
21.	प. बंगाल	—	NR	3720	108	2059	42
22.	अण्डमान और निकोबार	97	18	60	01	81	NR
23.	चण्डीगढ़	171	2	162	12	21	02
24.	दादरा और नगर हवेली	156	76	151	77	41	23
25.	दमन और दीव	116	12	34	04	53	09
26.	नागालैण्ड	309	309	427	427	NR	NR
27.	मेघालय	561	550	563	557	407	390
28.	पाण्डिचेरी	513	64	502	64	505	49
29.	सिक्किम	173	65	39	21	68	16

एन. आर. : सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*इस अनुबंध की स्वीकृतियां अनुबन्ध–I से भिन्न हो सकती हैं क्योंकि इस अनुबन्ध में तालिकाबद्ध स्वीकृतियां केवल उन्हीं मामलों से संबंधित हैं जिनके संबंध में अ. जा./अ. ज. जा. लाभभोगियों से संबंधित सूचना दी गई है।

विवरण-III

*वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान उद्यमिता विकास हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान**

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	30399.45	23403.00	18247.50
2.	असम	9848.00	10443.63	5717.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	268.50	332.35	342.65
4.	बिहार	11047.70	11188.88	3395.00
5.	दिल्ली	3362.60	854.25	Nil
6.	गोवा	388.75	228.73	180.00
7.	गुजरात	6971.35	5052.75	1957.50
8.	हरियाणा	6642.50	5700.05	4204.25
9.	हिमाचल प्रदेश	2275.90	571.00	484.00
10.	जम्मू और कश्मीर	2863.40	1733.75	186.50
11.	कर्नाटक	16190.65	10727.03	11985.25
12.	केरल	10121.90	3515.15	3125.25
13.	मध्य प्रदेश	26737.70	24754.06	17199.09

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	19276.10	7911.45	6934.75
15.	मणिपुर	4515.55	1638.80	536.75
16.	मेघालय	449.25	897.08	420.75
17.	मिजोरम	164.85	267.08	312.42
18.	नागालैण्ड	21.20	377.75	282.00
19.	उड़ीसा	7145.70	4814.85	6850.40
20.	पंजाब	13015.40	3802.45	8613.10
21.	राजस्थान	9262.55	4738.60	8196.50
22.	तमिलनाडु	15965.20	7912.85	11806.50
23.	त्रिपुरा	1173.30	2003.08	680.25
24	उत्तर प्रदेश	40371.80	26040.04	36894.91
	प. बंगाल	8002.75	7820.70	8095.75
26.	अण्डमान और निकोबार	108.50	72.10	83.25
27.	चण्डीगढ़	189.05	159.40	91.00
28.	दमन और दीव	84.20	236.45	190.50
29.	दादरा और नगर हवेली	129.40	141.95	48.75
30.	लक्षद्वीप	34.20	24.48	37.25
31.	पाण्डिचेरी	453.50	404.03	266.47
32.	सिक्किम	75.80	132.23	57.50

*योजना के तहत राजसहायता भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जाती है जो इसे बैंकों में बांटता है।

कपास का निर्यात/आयात

1556. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1998 के दौरान कपड़े का निर्यात वस्तुतः ठप्प हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके ठप्प होने का एक मुख्य कारण घरेलू बाजार में कपास के मूल्य में भारी वृद्धि रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने कपास के मूल्यों में कमी नहीं होने पर इसका आयात करने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अभी तक कुल कितना आयात हुआ है और कपास की मूल्य वृद्धि में कितनी कमी पाई गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) यद्यपि, जनवरी, 1998 में देश से कपास के कुछ निर्यात हुए लेकिन उनका लदान धीमा था। इसका मुख्य कारण कपास की विभिन्न किस्मों की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतें सामान्यतः घरेलू कीमतों से कम थीं।

(ग) से (ङ) कपास का आयात शून्य शुल्क पर ओ. जी. एल. के अंतर्गत है। हालांकि भारत कपास का एक निर्यातक है, फिर भी प्रत्येक वर्ष कुछ कताई मिलें अपनी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर कपास की कुछ मात्रा का आयात कर ही लेती हैं। आयात की मात्रा अलग–अलग वर्ष भिन्न होती है और यह अनेक कारकों पर निर्भर करती है जिनमें उसकी मांग तथा विशेष किस्मों की कपास की घरेलू उपलब्धता, कपास की घरेलू और

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भिन्नता होना आदि शामिल हैं। कपास सलाहकार बोर्ड ने 6.3.1998 को हुई अपनी पिछली बैठक में यह अनुमान लगाया था कि कपास वर्ष (अक्टूबर, 97 से सितम्बर, 98 तक) के दौरान कपास की 5 लाख गांठों का आयात होगा।

जनता क्लॉथ कोटा

1557. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री मोतीलाल वोरा :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनकरों को उचित रोजगार देने के लिए विभिन्न राज्यों को जनता क्लॉथ के कोटे का आबंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर मध्य प्रदेश के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश को वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान इस कोटे का आबंटन नहीं किया गया जबकि वहां बड़ी संख्या में बुनकर हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र गुजरात और अन्य राज्यों को आबंटित किए गए जनता क्लॉथ कोटे का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 के लिए क्रमशः 3.75 मिलियन वर्ग मीटर तथा 1.75 मिलियन वर्ग मीटर का कोटा आबंटित किया गया था। जनता कपड़ा योजना 1 अप्रैल, 1998 से प्रभावी रूप से समाप्त कर दी गई है।

(ङ) वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित जनता कपड़े का कोटा निम्नलिखित है :

(आबंटित कोटा मिलियन वर्ग मीटर में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1996–97	1997–98
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.72	—
2.	असम	14.43	9.00
3.	बिहार	3.40	3.00
4.	गुजरात	1.27	0.20
5.	जम्मू व कश्मीर	0.50	0.50
6.	कर्नाटक	19.48	14.00
7.	मध्य प्रदेश	3.75	1.75
8.	महाराष्ट्र	15.66	8.00
9.	उड़ीसा	14.85	1.00
10.	पंजाब	0.68	0.25
11.	राजस्थान	2.33	0.80*
12.	तमिलनाडु	22.91	18.00
13.	त्रिपुरा	1.65	0.80
14.	उत्तर प्रदेश	37.76	2.00
15.	पश्चिम बंगाल	10.77	6.00

*(ऊनी मदें)

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत निधि की गैर-अदायगी

1558. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत देश भर में पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए 70 प्रतिशत ऋणों की अदायगी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत जारी राशि से प्राप्त लाभों का कोई मूल्यांकन अध्ययन किया है तथा बैंकों द्वारा वित्त पोषित ऋण पर कुल कितनी राज सहायता दी गई तथा वर्ष 1980 से कितनी राशि वसूल की गई तथा इसके क्या प्रभाव रहे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास योजना (आई. आर. डी. पी.) के अंतर्गत की गई वसूली 30 प्रतिशत रही है। कम वसूली होने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं :

(i) आस्तियों का निर्माणोत्तर होना/उधारकर्ता द्वारा लक्ष्य के लिए ऋणों का प्रयोग न किया जाना;

(ii) ऋणों की वापसी अदायगी किए बिना सृजित/अर्जित आस्तियों का निपटान;

(iii) उधारकर्ता प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के न होने तथा उधारकर्ता के स्वयं के झुकाव के अभाव के कारण वे ऋणों की समय पर वापसी अदायगी नहीं करते हैं।

(iv) ऋण की माफी भी ऋणों की वापसी अदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

(v) सहयोगी मूलभूत ढांचा, विनिर्माण और विपणन परियोजना सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण परियोजनाएं असफल हो जाती हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूरिया आयात में संलिप्त राज्य व्यापार निगम के अधिकारी

1559. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरिया और खाद्य तेल के आयात के सौदे में अधिकारियों के भ्रष्ट आचरणों में संलिप्त होने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का कोई अधिकारी उपरोक्त लिप्त है;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप राजस्व की कितनी राशि की हानि हुई; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम के भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) वर्ष 1997–98 में वाणिज्य मंत्रालय में यूरिया और खाद्य तेलों के आयात के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

एस. टी. सी. द्वारा 1997 में किए गए यूरिया के आयात के संबंध में सी. बी. आई. ने भी गहन जांच पड़ताल की थी, जिसने प्रथम–दृष्टया कोई मामला सिद्ध नहीं किया था और सी. बी. आई. द्वारा मामला बंद कर दिया गया था।

खाद्य तेल के आयातों के बारे में एक शिकायत की इस समय जांच की जा रही है।

राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात

1560. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान के लिए कम ऋण जमा अनुपात के कारणों का पता लगाने और ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों ने कार्यबल की सिफारिशों का पालन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने दोषी वाणिज्यिक बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों को राज्य में निवेश करने के लिए समझाने का अनुरोध किया है ताकि राज्य के ऋण जमा अनुपात के मापदंडों के अनुसार सुधारा जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान राज्य में काम कर रही वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यबल की सिफारिशें नियमित रूप से अपनाई जा रही हैं और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस. एल. बी. सी.) में ऋण जमा अनुपात के सुधार पर चर्चा होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा स्थापित कार्यबल की सिफारिशों और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/संचालन समिति द्वारा सतत् निगरानी रखी जाती है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान के संयोजक बैंक ने मार्च 1995 के बाद से ऋण जमा अनुपात में कुछ बढ़ोतरी दिखलाई है।

सामान की तस्करी

1561. श्री चन्द्रशेखर साहू :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1998 से आज की तारीख तक सोना, चांदी, हेरोइन, विदेशी मुद्रा और आग्नेयास्त्रों की तस्करी करके देश में लाए जाने के कितने मामलों का पता चला है तथा ये कितनी मात्रा में जब्त किए गए;

(ख) तस्करी के ऐसे सामान का मूल्य कितना है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) किन–किन मामलों में पड़ोसी देश शामिल थे;

(ङ) क्या स्वचालित हथियारों की तस्करी में भारी वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा हथियारों की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) जब्त किए गए सामान को किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) 1.1.1998 से 27.5.1998 तक की अवधि के दौरान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा पता लगाए गए निषिद्ध माल, अर्थात् सोना, चांदी, हेरोइन, विदेशी मुद्रा और आग्नेयास्त्रों को उतारने/तस्करी करके लाने के मामलों की संख्या के ब्यौरे, इस तरह उतारे गए/तस्करी किये गये माल का मूल्य और प्रत्येक मामले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्राप्त रिपोर्टों से तस्करी की गतिविधि में किसी पड़ौसी देश के शामिल होने का पता नहीं चलता है। तथापि, कुछेक विदेशी राष्ट्रिकों को सोने, हेरोइन, और विदेशी मुद्रा की तस्करी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। सोने के अभिग्रहण से संबंधित दो मामलों में, श्रीलंका और मलयेशिया के एक-एक नागरिक को तस्करी में शामिल पाया गया था। इसी प्रकार, हेरोइन के अभिग्रहण के एक मामले में, श्रीलंका के एक नागरिक को शामिल पाया गया था। 5 नेपालियों को भी क्रमशः सोने और चांदी की तस्करी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।

(ङ) प्राप्त रिपोर्टों से स्वचालित हथियारों की तस्करी में कोई वृद्धि होने का पता नहीं चलता है।

(च) ऊपर भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए "शून्य"। किन्तु, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वचालित हथियारों की तस्करी सहित सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने एवं उसका पता लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

(छ) कानून की प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद, पकड़ा गया सोना/चांदी आदि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत सामान्यतया जब्त हो जाएगा। इसके बाद ही इनका निर्धारित सरकारी नीति के अनुसार निपटान किया जाएगा। इस प्रकार, जब्त किया गया सोना/चांदी सीमा शुल्क की खुदरा दुकानों के जरिए पात्र क्रेताओं को बेच दिया जाएगा। जब्त की गई विदेशी मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर दिया जाएगा। अभिहित न्यायालयों से आदेश प्राप्त करने के बाद हेरोइन को नष्ट कर दिया जाएगा। जहां तक आग्नेयास्त्रों का संबंध है, गैर-निषिद्ध बोर वाले हथियारों को आमतौर पर तस्करी-रोधी कार्यों के लिए विभागीय अधिकारियों को उधार के रूप में दिया जाता है। अनुरोध प्राप्त होने और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, इन हथियारों को पुनः "बिक्री न करने" की शर्त पर संसद सदस्यों को उनके निजी उपयोग के लिए भी बेचा जाता है। निषिद्ध बोर वाले हथियारों को आयुध कारखानों को बेच दिया जाता है।

विवरण

(आंकड़े अनंतिम हैं)

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अधिग्रहण के मामलों की संख्या	पकड़े गए तस्करी के माल का मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1.	सोना	579	907.32	67
2.	चांदी	5	9.33	4
3.	हेरोइन	26	999.61	30
4.	विदेशी मुद्रा	487	1013.08	65
5.	आग्नेयास्त्र	5	3.28	शून्य
	जोड़ :	1102	2932.62	166

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को अभिहित मजिस्ट्रेटों के समक्ष पेश किया गया था और उन्हें या तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, अथवा कुछेक मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सोने/चांदी/विदेशी शुल्क की तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां भी की जा रही हैं। हेरोइन की तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी द्रव्यपदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा।

सूचीबद्ध-गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर

1562. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट और आई. सी. आई. सी. आई. द्वारा पृथक-पृथक खरीदे गए गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/परिदर्तनीय डिबेन्चरों का औसत मूल्य क्या था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट और आई. सी. आई. सी. आई. द्वारा पृथक-पृथक निजी क्षेत्र के माध्यम से खरीदे गए सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेन्चरों का औसत मूल्य क्या था; और

(ग) इसी अवधि के दौरान इन कंपनियों को पृथक–पृथक कितना औसत लाभांश प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि 1.7.1992 से 30.6.1996 तक उनके द्वारा खरीदे गए विभिन्न प्रपत्रों तथा प्राप्त लाभांशों की कुल लागत निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

(i)	असूचीबद्ध इक्विटी शेयर	75.23
(ii)	असूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचर	0.00
(iii)	निजी क्षेत्र/खरीद सौदों के जरिए खरीदे गए सूचीबद्ध इक्विटी शेयर	1258.60
(iv)	निजी क्षेत्र/खरीद सौदों के जरिए अभिदत्त सूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचर	462.27
(v)	ऊपर (i) के संबंध में लाभांश	0.10
	ऊपर (iii) के संबंध में लाभांश	58.99

आई. सी. आई. सी. आई. ने सूचित किया है कि 1.4.1992 से 31.3.1996 के दौरान उन्हें अभिदत्त विभिन्न प्रपत्रो तथा उनके द्वारा प्राप्त लाभांशों की कुल लागत निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

(i)	असूचीबद्ध इक्विटी शेयर	385.00
(ii)	असूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचर	136.77
(iii)	निजी क्षेत्र/खरीद सौदों के जरिए खरीदे गए सूचीबद्ध इक्विटी शेयर	131.75
(iv)	निजी क्षेत्र/खरीद सौदों के जरिए अभिदत्त सूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचर	0.00
(v)	ऊपर (i) के संबंध में लाभांश	4.98
(vi)	ऊपर (iii) के संबंध में लाभांश	1.12

निर्यात चूककर्ता

1563. डॉ. वल्लभभाई कथीरिया :

श्री दिनशा पटेल :

श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात चूककर्ताओं द्वारा अभी तक अपने निर्यात दायित्व पूरा नहीं कर पाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है;

(ख) क्या निर्यात दायित्व पूरा नहीं कर पाने वाले निर्यातकों ने इस संबंध में एक बार समय बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितना राजकोषीय घाटा हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) इस प्रकार की कार्रवाई एक्जिम नीति में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार नियमित रूप से की जाती है।

(ख) जी, हां। इस मांग के प्रत्युत्तर में सरकार ने दिनांक 24–4–98 को सार्वजनिक सूचना सं. 7 (आई. ई.–98, 1997–2002 जारी की है जिसकी शर्तों के अनुसार निर्धारित संयोजन शुल्क का भुगतान करने पर लंबित अग्रिम लाइसेंसों को नियमित करने के लिए 30–9–98 तक निर्यात दायित्व की अवधि में एक सनय की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा केवल उन लाइसेंस धारकों को उपलब्ध होती है जिन्होंने कम से कम 50% तक निर्यात दायित्व को पूरा किया है।

(ग) सीमाशुल्क की वसूली का प्रश्न केवल उन मामलों में उठता है जहां शुल्क मुक्त आयातों के लिए निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया जाता है। भाग (ख) में उल्लिखित चूक के मामलों में यदि निर्यातक उनको दिए गए वर्द्धित समय के भीतर अपने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करते हैं तो विदेशी व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दंड लगाने के अतिरिक्त सीमाशुल्क की वसूली उस पर देय ब्याज सहित की जाएगी।

[हिन्दी]

छोटे किसानों को बैंक ऋण

1564. श्री रामटहल चौधरी :

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री रंजीब बिस्वाल :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे किसानों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और इससे कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ख) क्या सरकार ने छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी लक्ष्य धनराशि के निर्धारण के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा छोटे किसानों को और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जून, 1994, जून, 1995 और जून, 1996 (अद्यतन उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे और सीमांतक किसानों को संवितरित ऋणों की राशि के साथ–साथ कृषि खातों की संख्या निम्नानुसार है :

अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	राशि (रु. करोड़)
जून 1994	3227442	2487.31
जून 1995	3550062	3166.25
जून 1996	3713138	3953.40

(ख) और (ग) छोटे और सीमांतक किसानों को ऋण का समय से और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कई रियायतें प्रदान की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) छोटे और सीमांतक किसानों को प्रदान किए गए 10,000 रु. तक के फसल ऋणों/सावधि ऋणों के लिए बैंकों को मार्जिन राशि लेनी चाहिए;

(ii) 25,000 रु. तक के फसल ऋणों के लिए बैंकों को समपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए। प्रतिभूति के रूप में फसल का दृष्टिबंधन किया जा सकता है;

(iii) नियत ऋण किस्तों की वापसी अदायगी के समय ही ब्याज के भुगतान पर जोर दिया जाना चाहिए;

(iv) फसल ऋणों की चालू देय राशि और किस्तों, जो सावधि ऋणों के लिए देय नहीं है, पर बैंक को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाना चाहिए और ब्याज सिर्फ वार्षिक दरों पर ही लगाए जाने चाहिए।

(v) छोटे और सीमांतक किसानों के खातों में डाला गया कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए;

(vi) नाबार्ड ने छोटे/सीमांतक किसानों को पुनर्वित्त प्रदान किए जाने पर जोर दिया है। नाबार्ड यह भी सुनिश्चित करता रहा है कि योजनागत उधार परिचालनों के अंतर्गत इसके पुनर्वित्त का 60 प्रतिशत से अधिक छोटे ओर सीमांतक किसानों को दिया जाए।

[अनुवाद]

पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन

1565. श्री जी. गंगा रेड्डी :

श्री चंदू लाल अजमीरा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने के उद्देश्य से कुछ और समय प्राप्त करने के लिए एक पंचाट नियुक्त करने के लिए विश्व व्यापार संगठन से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में देश के मौलिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत विश्व व्यापार संगठन के साथ–साथ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमर्श में सक्रिय भागीदारी द्वारा तथा राजनैयिक संबंधों के माध्यम से अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श तथा बातचीत द्वारा अपने आर्थिक और वाणिज्यिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करता है।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों की स्थिति में सुधार

1566. श्री रामपाल सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटन स्थलों की खराब स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यटन स्थलों की स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य योजना को कब से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विशिष्ट पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और अधिकांश वितरण पद्धतियां (प्रणालियां) उनके नियंत्रणाधीन हैं। तथापि केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, पर्यटक स्थलों पर सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं में, तीर्थ केन्द्रों का विकास, स्मारकों का सौंदर्यीकरण, पर्यटक परिसरों, यात्री निवासों, मार्गस्थ सुख–सुविधाएं आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन नीति

1567. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चिर-प्रतीक्षित पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्राप्त उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में नई नीति के तहत अगले तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में वित्तीय अनियमितताएं

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1984 से 1997 तक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितताओं/घपलेबाजी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वित्तीय अनियमितताओं की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

(ख) से (च) सरकार ने जांच कराई है तथा पहली दृष्टि में ही जवाबदेही निर्धारित कर दी गई है। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

विदेशी ऋण में वृद्धि

1569. प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

श्री चिन्ता मोहन :

श्री रामानन्द सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने **वर्ष** 1997-98 के दौरान रुपए के अवमूल्यन के कारण पूर्व अनुमानित राशि से अधिक विदेशी ऋण का भुगतान किया था;

(ख) यदि हां, तो पूर्व अनुमानित बकाया तथा इस पर लगने वाले ब्याज का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी ऋण की वास्तविक राशि तथा इस पर लगने वाले ब्याज की राशि का विवरण क्या है; और

(घ) ऋण की राशि के पुनर्भुगतान और भविष्य में ऋण के भार से बचने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) बजट अनुमान वर्ष 1997-98 के दौरान 7464.45 करोड़ रुपए की विदेशी ऋणों पर मूलधन की वापसी अदायगी के विरुद्ध संशोधित अनुमानों में वापसी अदायगी 6885.50 करोड़ रुपए थी।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी खाते पर विदेशी ऋणों के मूलधन की वापसी अदायगी की राशि और उस पर ब्याज भुगतान क्रमशः 6885.50 करोड़ रुपए और 4150.12 करोड़ रुपए था जिसे वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों में दिखाया गया है।

(घ) सरकार देश के कुल विदेशी ऋण के प्रबन्धन के लिए विवेक सम्मत नीति का पालन कर रही है। सकल घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में विदेशी ऋण का अनुपात और चालू प्राप्तियों के सम्बन्ध में ऋण अदायगी में गिरावट रही है।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1570. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुछ गांवों को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों की पिछले तीन **वर्षों** के दौरान क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या उक्त बैंकों को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू योजना अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की महाराष्ट्र के लिए क्या ऋण योजना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के लिए संयोजक बैंक-बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गहन विकास के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के तहत महाराष्ट्र में सभी गांव बैंकों को आबंटित कर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन

बैंकों की उपलब्धियों अर्थात् वित्तीय सहायता को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सभी बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक (स्टेट बैंक समूह तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1995–96	178.82	160.60	89	134.67	120.49	89
1996–97	200.00	174.64	87	150.70	136.42	90
1997–98	226.30	188.37	83	170.90	143.62	84

(ग) और (घ) बैंकों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) जैसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने में कुछ कठिनाइयां हुई हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) चरणबद्ध तरीके से प्रस्तावों का अपर्याप्त प्रयोजन, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में आवेदनपत्र इकट्ठे हो जाते हैं।

(ii) परम्परागत क्रियाकलापों वाले आवेदनपत्रों को अग्रेषित करना, जो कि अर्थक्षम एवं बैंकों के लिए स्वीकार्य नहीं पाए जाते। ऐसा लगता है कि कार्यान्वयन अभिकरणों में कुछ परम्परागत क्रियाकलापों में संकेन्द्रण से बचने के लिए नवीन क्रियाकलापों का पता लगाने हेतु समन्वय का अभाव।

(iii) विनिर्माण एवं विपणन सुविधाओं में आधारभूत कमियां, तैयार उत्पादों के लिए बाजार–तालमेल की अनुपलब्धता भी एक प्रमुख कठिनाई रही है।

(iv) बहुत कम वसूली होना।

(ङ) वार्षिक ऋण योजना 1998–99 के तहत नाबार्ड की संभाव्यता से जुड़ी योजना के आधार पर महाराष्ट्र के लिए ऋण अनुमान निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए में)

	वार्षिक ऋण योजना 1998–99	
	सभी बैंक (स्टेट बैंक समूह तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	राष्ट्रीयकृत बैंक
महाराष्ट्र	4939.75	1921.57

यूरोपीय संघ द्वारा आयात पर लगाया गया नया शुल्क

1571. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय संघ के नये शुल्क के जिससे देश से बासमती चावल के निर्यात को भारी आघात पहुंच रहा है; मुद्दे को हल करने के लिए क्या सरकार ने ब्रिटेन की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय संघ द्वारा लगाये गये नये शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में ब्रिटेन सरकार के साथ कोई बैठक की गई है;

(घ) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) चावल निर्यातकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 01.07.97 से प्रभावी बनाई गई बासमती चावल की नई आयात व्यवस्था के मुद्दे पर राजनयिक माध्यमों के द्वारा यूरोपीय समुदाय को (युनाइटेड किंगडम सहित) अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। भूसी निकाले गए भारतीय बासमती चावल का आयात जिस पर ई. सी. यू. 250 प्रति मी. टन की शुल्क कटौती मिलती है, पर ई. यू. के आयात शुल्क का कार्यक्रम निम्नानुसार है :

सी. एन. कोड	विवरण	31–12–97 तक वैध शुल्क की दर	1.1.98 से 30.6.98 तक शुल्क की दर	शुल्क की दर 1.7.98 से 31.12.98 तक
10062017	लम्बे दाने वाला भूसी निकाला हुआ भूरा चावल, लम्बाई/चौड़ाई का अनुपात > = 3 (उसना हुआ)	परिवर्तनीय जो कि 338.5 ई. सी. यू./एम. टी. से ज्यादा नहीं होगा।	परिवर्तनीय 338.5 ई. सी. यू./ एम. टी. से ज्यादा नहीं।	परिवर्तनीय 313.7 ई. सी. यू./ एम. टी. से ज्यादा नहीं।
10062098	लम्बे दाने वाला भूसी निकाला हुआ भूरा चावल, लम्बाई/चौड़ाई का अनुपात > = 3	परिवर्तनीय जो कि 338.5 ई. सी. यू./एम. टी. से ज्यादा नहीं होगा।	परिवर्तनीय 338.5 ई. सी. यू./ एम. टी. से ज्यादा नहीं।	परिवर्तनीय 313.7 ई. सी. यू./ एम. टी. से ज्यादा नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चावल निर्यातकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ ग्रीस, यू. के. में अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बासमती के समान विभिन्न ट्रेडमार्क्स पंजीकरण का विरोध करना, प्रचार अभियान करना, विदेशों में प्रतिनिधि मंडलों को भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित खरीदारों को आमन्त्रित करना और क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना शामिल है।

साबरीमाला और एरुमेली को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना

1572. श्री पी. सी. थामस :

श्री ए. सी. जोस :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता हेतु कोई पर्यटन परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसिद्ध तीर्थस्थलों साबरीमाला और एरुमेली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) केरल सरकार ने वर्ष 1997–98 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए 11 परियोजनाओं को प्रस्तुत किया है। इनमें शामिल हैं–नालुकेटू हैरिटेज बिल्डिंग का उन्नयन, कुमाराकोम में पर्यटक परिसर, नेलिमपथी में यात्री निवास, थन्नुरमुकम में मार्गस्थ सुविधाएं, अलपुजा में नेहरू सेन्टीनरी पैवेलियन राइस बोट की खरीद, सचिवालय भवन की प्रकाश पुंज व्यवस्था सिग्नेजेज आदि, इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।

(ग) और (घ) केरल सरकार एरुमेली में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को राज्य के योजनागत बजट के तहत 25.00 लाख रुपए मुहैया करा कर जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् के माध्यम से विकसित कर रही है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1573. श्री डी. एस. अहिरे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 1998 के "दा हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे "वर्ल्ड बैंक कम्स टू एड ऑफ दहेलीटीज" समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें बताये गए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) देश में राज्य–वार, विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना में कितना धन लगा;

(ङ) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए पड़ी राज्यवार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) इनमें देरी के क्या कारण हैं;

(छ) क्या दिल्ली सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से कुछ अन्य परियोजनाएं स्थापित की हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सरकार दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक से सहायता की संभावनाओं को तलाश रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, आर्थिक कार्य विभाग और विश्व बैंक के बीच दिल्ली सरकार को विश्व बैंक की संभव सहायता पर चर्चा करने के लिए अनेक बैठकें हुई हैं। विश्व बैंक के समक्ष दिल्ली की जलापूर्ति और मल व्ययन के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की गयी है जिस पर अब विश्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एन. आई. पी. एफ. पी. की सहायता से विश्व बैंक दिल्ली की वित्त व्यवस्था पर एक अध्ययन भी कर रहा है।

(ग) और (घ) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) सभी अपेक्षित स्वीकृतियों के लिए आर्थिक कार्य विभाग में प्राप्त होने वाली प्रत्येक परियोजना को तत्काल ही आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विश्व बैंक के समक्ष पेश कर दिया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) दिल्ली सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए जलापूर्ति, मल व्ययन, सड़क सुधार, गंदी बस्तियों का सुधार, ठोस अपशिष्ट पदार्थों की व्यवस्था, विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन और सुधार, मल व्ययन व्यवस्था और वायु प्रदूषण के विशेष संदर्भ सहित जल प्रदूषण जैसे क्षेत्रों में रुचि प्रकट की है।

(ज) विश्व बैंक के समक्ष 1000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए जलापूर्ति और मल व्ययन हेतु एक परियोजना प्रस्तुत की गयी है।

विवरण

वित्त मत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) सहायता लेखा तथा लेखा–परीक्षा प्रभाग

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

राज्यवार मासिक संवितरण का विवरण

डी. सी. के आंकड़े मिलियन में और रुपए करोड़ में हैं।

क्रम सं.	क्षेत्र	स्रोत	ऋण का विवरण	करेंसी	ऋण/ अनुदान की राशि	वितरण की अंतिम तारीख	वर्ष के लिए बजट अनुमान	अनाहरित शेष उपयोग: मास के दौरान डीसी में रुपए में	अनाहरित शेष उपयोग: मास के अंत डीसी में रुपए में	अनाहरित शेष उपयोग: समग्र निकासी डीसी. में	शेष राशि: डीसी में	शेष राशि: रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश												
31.3.1998 की स्थिति के अनुसार												
1.	कृषि	आई. डी. ए.	2950–आई.एन. आंध्र प्रदेश संकट शमन तथा आपातकालीन तूफान दिनांक 9.7.1997	अमरीकी डालर	100.000	21/07/2000	0.000 0.00	0.249 0.98	8.595 31.41	8.595	91.405	360.50
2.		आई. डी. ए.	2573–आई. एन. आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना दिनांक 9.3.1994	अमरीकी डालर	77.640	30/09/2000	15.143 54.00	6.867 27.05	15.9[illegible] 60.7[illegible]	38.01[illegible]	9.622	156.27
3.	सड़कें	आई. बी. आर. डी.	4192–आई. एन. आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग परियोजना दि. 30.7.97	अमरीकी डालर	350.000	31/01/2003	0.000 0.00	0.000 0.00	12.347 45.95	12.347	337.653	1331.70
4.	सिंचाई	आई. डी. ए.	*2115–आई. एन. हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई (आर. एफ.) दि. 25.5.90	अमरीकी डालर	89.365	31/03/1998	12.058 43.00	2.500 9.86	9.950 37.13	75.146	14.219	56.08
5.	सिंचाई	आई. डी. ए.	2952–आई. एन. आंध्र प्रदेश सिंचाई–III दिनांक 3.6.1997	अमरीकी डालर	150.000	31/01/2003	0.000 0.00	2.034 8.03	58.831 216.60	58.831	91.169	359.57
6.	सामाजिक	आई. डी. ए.	2663–आई. एन. आंध्र प्रदेश परामर्शी स्वास्थ्य प्रणाली दि. 22.12.1994	अमरीकी डालर	125.679	12/04/2002	7.992 28.50	7.618 [illegible]02	18.628 70.79	26.737	98.942	390.23
				जोड़ :		125.50	75.94		462.60			2654.35
असम												
31.3.1998 की स्थिति के अनुसार												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कृषि	आई. डी. ए.	2733–ओ. आई. एन. असम ग्रामीण अवसंरचना दिनांक 6.6.1995	अमरीकी डालर	112.185	31.12.2003	17.947 64.0[illegible]	0.000 0.00	1.628 [illegible].23	5.674	106.511	[illegible]
				जोड़ :			64.00	0.00	6.23			420.08

*दिखाए गए संवितरण आंकड़ों में विश्व बैंक से परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम जमा राशियां शामिल हैं।

बिहार

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कृषि	आई. डी. ए.	2439–आई. एन. बिहार पठार विकास दि. 7.12.1992	अमरीकी डालर	112.425	30.6.1998	18.508 66.00	0.976 3.85	13.597 50.08	35.868	76.557	301.94
2.	सामाजिक	आई. डी. ए.	3012–आई. एन. डी. पी. ई. पी.–III दिनांक 23.2.1998	अमरीकी डालर	152.000	31.3.2003	0.000 0.00	4.500 17.75	4.500 17.75	4.500	147.500	581.74
					जोड़ :		66.00	21.60	67.83			883.68

गुजरात

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	सामाजिक	आई. डी. ए.	2030–आई. एन. पर्यावरणात्मक प्रबन्ध क्षमता निर्माण दिनांक 14.3.97	अमरीकी डालर	48.000	30.6.2003	0.000 0.00	0.000 0.00	3.000 10.73	3.000	45.000	177.48
					जोड़ :		0.00	0.00	10.73			177.48

हरियाणा

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	विद्युत	आई. बी. आर. डी.	42'/1–आई. एन. हरियाणा विद्युत पुनर्निर्माण परियोजना दिनांक 16.1.1998	अमरीकी डालर	60.000	31.12.2000	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000	60.000	236.64
2.	सिंचाई	आई. डी. ए.	2592–आई. एन. जल संसाधन संगेकन दिनांक 6.7.1994	अमरीकी डालर	262.148	31.12.2000	38.699 138.00	6.565 25.86	28.441 105.46	91.567	170.581	672.77
					जोड़ :		138.00	25.86	105.46			909.41

कर्नाटक

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	सिंचाई	आई. डी. ए.	2483–आई. एन. कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई दिनांक 4.6.1993	अमरीकी डालर	92.401	31.12.1999	36.736 131.00	2.761 10.88	8.134 30.75	30.659	61.742	243.51
2.	सिंचाई	आई. बी. आर. डी.	3050–आई. एन. ऊपरी कृष्णा चरण–III दिनांक–16.6.1989	अमरीकी डालर	45.000	30.6.1997	29.445 105.00	0.000 0.00	3.460 12.36	6.818	38.182	150.59
					जोड़ :		236.00	10.88	43.11			394.10

मध्य प्रदेश

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		आई. डी. ए.	2700–आई. एन. मध्य प्रदेश वानिकी दिनांक 11.4.1995	अमरीकी डालर	54.919	31.12.1999	15.984 57.00	3.905 15.40	10.467 39.50	20.641	34.278	135.19
					जोड़		57.00	15.40	39.50			135.19

*दिखाए गए संवितरण आंकड़ों में विश्व बैंक से परिक्रामी निधि के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम जमा राशियां शामिल हैं।

महाराष्ट्र

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		आई. डी. ए.	2328–ओ. महाराष्ट्र यानिकी दिनांक 29.1.92	अमरीकी डालर	109.059	30.09.1998	29.725 106.00	1.378 5.43	8.507 30.99	54.579	54.480	214.87
2.	विद्युत	आई. बी. आर. डी.	*3096–आई. एन. महाराष्ट्र विद्युत (आर. एफ.) दिनांक 11.9.89	अमरीकी डालर	337.330	31.12 1998	42.064 150.00	3.602 14.22	62.513 230.34	294.685	42.645	168.19
3.	विद्युत	आई. बी. आर. डी.	3498 आई. एन. द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत परियोजना दिनांक–8.7.92	अमरीकी डालर	350.000	30.06.1998	117.218 418.00	0.000 0.00	0.000 0.00	112.254	237.746	937.67
4.	उद्योग	आई. डी. ए.	2838–आई. एन. औद्योगिक परियोजना दिनांक–10.7.96	अमरीकी डालर	4.703	30.09.2001	0.561 2.00	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000	4.703	18.55
5.	सिंचाई	आई. डी. ए.	*2234–आई. एन. महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति (आर. एफ.) दिनांक 5.6.91	अमरीकी डालर	107.461	30.06.1998	24.117 86.00	3.058 12.06	13.024 49.96	77.616	29.845	117.71
6.	सिंचाई	आई. डी. ए.	2763–आई. एन. बम्बई मल व्ययन दिनांक 28.12.95	अमरीकी डालर	22.884	31.12.2002	35.334 126.00	0.000 0.00	0.070 0.25	22.885	–0.001	–0.00
7.	सिंचाई	आई. बी. आर. डी.	3923–आई. एन. बम्बई मल व्ययन दि. 28.12.95	अमरीकी डालर	167.000	31.12.2002	0.000 0.00	7.096 27.98	26.803 100.07	31.714	135.286	533.57
8.	शहरी विकास	आई. डी. ए.	2594–महाराष्ट्र आपातकालीन भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना दिनाक 6.4.94	अमरीकी डालर	250.669	30.06.1998	50.477 180.00	4.979 19.65	44.686 165.20	197.441	53.228	209.93
				जोड़ :			1068.00	79.34	576.81			2290.48

उड़ीसा

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	विद्युत	आई. बी. आर. डी.	4014–आई. एन. उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना दिनांक 1.7.96	अमरीकी डालर	350.000	31.12.2002	24.537 87.50	0.000 0.00	4.279 15.66	16.389	333.611	1315.76
2.	सिंचाई	आई. डी. ए.	2801–आई. एन. उड़ीसा जल संसाधन समकेन दिनांक–5.1.96	अमरीकी डालर	270.578	30.9.2002	34.492 123.00	17.005 67.01	40.767 153.53	74.993	195.585	771.39
				जोड़ :			210.50	67.01	169.19			2087.15

पंजाब

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	सिंचाई	आई. डी. ए.	*2076 आई. एन. पंजाब सिंचाई परियोजना (आर. एफ.) एल/डब्ल्यू 3144–आई. एन. दिनांक–9.2.90	अमरीकी डालर	161.679	31.3.1998	35.053 125.00	6.657 26.26	16.402 61.39	139.509	22.170	87.44
				जोड़ :			125.00	26.26	61.39			87.44

*दिखाए गए संवितरण आकड़ों में विश्व बैंक से परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम जमा राशियां शामिल हैं।

राजस्थान

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कृषि	आई. डी. ए.	2433—आई. एन. ए. डी. पी. राजस्थान कृषि विकास दिनांक 17.12.92	अमरीकी डालर	104.015	30.9.99	15.423 55.00	5.934 23.39	11.155 42.38	67.059	36.956	145.75
				जोड़ :			55.00	23.39	42.38			145.75

तमिलनाडु

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कृषि	आई. डी. ए.	*2215—आई. एन. तमिलनाडु कृषि विकास (आर. एफ.) दि.	अमरीकी डालर	91.249	30.09.1998	25.799 92.00	2.173 8.57	11.094 41.33	85.405	5.844	23.05
2.	कृषि	आई. बी. आर. डी.	*3300—आई. एन. तमिलनाडु कृषि विकास (आर. एफ.) दि.	अमरीकी डालर	20.000	30.09.1998	4.767 17.00	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000	20.000	78.88
3.	सिंचाई	आई. डी. ए.	2745—आई. एन. तमिलनाडु जल संसाधन समेकन दिनांक—22.9.95	अमरीकी डालर	252.303	31.03.2002	40.101 143.00	0.043 0.17	1.939 7.41	16.441	235.862	930.24
4.	सिंचाई	आई. बी. आर. डी.	3907—आई. एन. द्वितीय मद्रास जलापूर्ति दिनांक—20.11.95	अमरीकी डालर	86.500	30.06.2002	0.000 0.00	3.303 13.02	9.713 36.79	16.646	69.854	275.50
5.	सामाजिक	आई. डी. ए.	*2158 आई. एन. द्वितीय तमिलनाडु पोषाहार परियोजना (आर. एफ.) दिनांक 14.9.90	अमरीकी डालर	72.844	31.12.1997	10.011 35.70	0.216 0.85	4.552 16.54	72.801	0.043	0.17
6.	शहरी विकास	आई. डी. ए.	*1923—आई. एन. तमिलनाडु शहरी विकास (आर. एफ.) दिनांक—16.9.88	अमरीकी डालर	255.667	30.09.1997	0.000 0.00	2.676 10.55	25.467 97.56	255.157	0.510	2.01
				जोड़ :			287.70	33.17	199.64			1309.85

उत्तर प्रदेश

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कृषि	आई. डी. ए.	2510—आई. एन. उत्तर प्रदेश लवणीय भूमि पुनरूद्धार परियोजना दिनांक 24.6.93	अमरीकी डालर	55.527	31.03.2001	7.572 27.00	2.629 10.38	8.076 30.43	29.737	25.790	101.72
2.		आई. डी. ए.	3018—आई. एन. उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना दिनांक 30.12.97	अमरीकी डालर	52.940	31/07/2002	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000	52.940	208.80
3.	सिंचाई	आई. बी. आर. डी.	4056—आई. एन. उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण सुरक्षा परियोजना दि. 22.7.96	अमरीकी डालर	59.600	31.05.2002	4.487 16.00	0.000 0.00	0.703 2.62	3.106	56.494	272.81

*दिखाए गए संवितरण आंकड़ों में विश्व बैंक से परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम जमा राशियां शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	सामाजिक	आई. डी. ए.	2509–आई. एन. उत्तर प्रदेश शिक्षा दिनांक 7.7.93	अमरीकी डालर	165.398	30/09/2000	22.995 82.00	10.680 42.16	32.636 124.90	122.306	43.092	169.95
5.	सामाजिक	आई. डी. ए.	3013–आई. एन. उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा–II दि. 3.3.98	अमरीकी डालर	59.400	31.03.2000	0.000 0.00	7.500 29.58	7.500 29.58	7.500	51.900	204.69
				जोड़ :			125.00	82.12	187.52			907.97

पश्चिम बंगाल

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		आई. डी. ए.	*2341 आई. एन. पश्चिम बंगाल वानिकी (आर. एफ.) दिनांक 25.3.92	अमरीकी डालर	35.014	30.9.1997	3.926 14.00	0.000 0.00	3.474 13.75	33.856	1.158	4.57
				जोड़ :			14.00	0.00	13.75			4.57

अन्य

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कृषि	आई. डी. ए.	नया अनुबंध दिनांक	अमरीकी डालर	0.000		0.000 0.00	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000	0.000	0.00
2.		आई. डी. ए.	नया अनुबंध दिनांक	अमरीकी डालर	0.000		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.000	0.000	0.000
3.	कोयला	आई. बी. आर. डी.	नये ऋण दिनांक	अमरीकी डालर	0.000		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.000	0.000	0.000
4.	विद्युत	आई. बी. आर. डी.	नये अनुबंध दिनांक	अमरीकी डालर	0.000		0.000 0.00	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000	0.000	0.00
5.	सामाजिक	आई. डी. ए.	महिला और बाल विकास दिनांक	अमरीकी डालर	0.000		0.000 0.00	0.000 0.00	0.000 0.00	0.000	0.000	0.00
				जोड़ :	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00

*दिखाए गए संवितरण आंकड़ों में विश्व बैंक से परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम जमा राशियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

जाली आयात लाइसेंस

1574. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाली आयात लाइसेंस का व्यापार देश में अपनी चरम सीमा पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने हेतु कदम उठाया है/उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। किन्तु, राजस्व गुप्तचर्या महानिदेशालय के कार्यालय ने जाली/बोगस आयात लाइसेंसों के आधार पर विभिन्न प्रतिबंधित मदों के आयात के कुछ मामलों का पता लगाया है और इस संबंध में कुछ दलालों से पूछताछ की है।

(ख) और (ग) यह सूचना मिलने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय ने डी. आर. आई. क्षेत्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों और इण्डिया सेक्यूरिटी प्रेस, नासिक के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किए। इस बीच निम्नानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

1. राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय जांच में तेजी लाएगा और डीजीएफटी के सभी कार्यालय यह पता लगाने में सहायता करेंगे कि क्या संबंधित लाइसेंस उनके द्वारा जारी किए गए थे।

2. विशेष आयात लाइसेंस के प्रारूप का डिजाइन फिर से तैयार किया जाए जिसमें अन्य सुरक्षा उपाय समाहित किए जाएं, जिसकी जांच की जा सके। इन सुरक्षा उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि इन लाइसेंसों की रंगीन छाया प्रति बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि पुनः डिजाइन किए गए विशेष आयात लाइसेंसों में समाहित किए गए सुरक्षा उपाय छाया प्रति किए गए विशेष आयात लाइसेंस में नहीं दिखेंगे, इन लाइसेंसों के क्रमांक सरकारी मुद्रणालय में क्रमानुसार किए जाने चाहिए और इन लाइसेंसों के वितरण को डी. जी. एफ. टी. के मुख्यालय में केन्द्रित किया जाए।

[अनुवाद]

जूट की बोरियां

1575. **डॉ. असीम बाला** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ जूट मिलें जूट की बोरियों की आपूर्ति नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी बोरियों की आपूर्ति की ओर ध्यान न देने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बोरियों की आपूर्ति संबंधी संकट को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम एहतियाती कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) रबी के मौसम में खरीद के लिए एफ. सी. आई. तथा अन्य राज्य सरकारों की खरीद एजेंसियों को नवंबर, 1997 से मार्च, 1998 तक कुछ पटसन मिलों द्वारा बी. ट्रिवल गन्नी बोरों की आपूर्ति करने में विलंब हुआ। जबकि किसी भी पटसन मिल ने गन्नी बोरों की पूरी तरह से अनदेखी नहीं की थी, फिर भी अनेक कारणों से विलंब हो गया जैसे कि बड़ी मात्रा में फुटकर आर्डरों का मिल जाना, कुछ मिलों में श्रमिक समस्या के कारण ब्राण्ड बोरों के निर्माण में समस्याएं, आई. एस. आई. पार्क के बोरों के विनिर्माण के लिए कुछ मिलों के आई. एस. आई. लाइसेंस का अस्थगन, भुगतान में विलंब, निरीक्षण की समस्याएं आदि।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गन्नी बोरों की आपूर्ति के संकट को दूर करने के लिए वस्त्र मंत्रालय तथा खाद्य और पूर्ति मंत्रालय में अनेक बैठकों के दौरान इस मामले की उच्चतर स्तर पर निरंतर पुनरीक्षा की जाती रही। मिलों के साथ नियमित रूप से संपर्क स्थापित करके रोजाना मिलों की आपूर्ति की स्थिति की बारीकी से मानीटरी की जाती थी तथा पटसन आयुक्त द्वारा दोषी मिलों को यह परामर्श दिया गया कि वे बकाया आपूर्ति तेजी से करें और यदि वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो उस स्थिति में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपूर्ति तेजी से की जाए, पटसन (लाइसेंस व नियंत्रण) आदेश, 1961 के अंतर्गत दिनांक 26.2.98 और 12.3.98 को आदेश जारी किए गए जिनमें पटसन मिलों को निर्देश दिया गया कि वे तब तक डी. जी. एस. एंड डी. के खाते पर केवल बी ट्रिवल बोरों का ही उत्पादन करें तथा किसी अन्य सैकिंग मद का नहीं। जब तक पिछले आदेशों के अनुसार आपूर्ति नहीं कर दी जाती तथा वे पटसन आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना अपने पास उपलब्ध सैकिंग कपड़े की किसी भी मद अथवा बोरों के पूरे स्टाक को अथवा उसके किसी अंश को किसी भी व्यक्ति को न तो बेचेंगे और न ही वितरित करेंगे। इन सभी कठोर उपायों के वांछित परिणाम निकले तथा 30.4.1998 तक बढ़ाई गई सुपुदर्गी की अवधि के भीतर इन एजेंसियों की लगभग समस्त मांग के अनुसार प्रेषण कर दिया गया।

[हिन्दी]

पर्यटन परियोजनाएं

1576. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी** :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को पर्यटन संबंधी कुछ परियोजनाएं अनुमोदनार्थ भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वनांचल (बिहार) में पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1997–98 के दौरान बिहार में 11 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 233.07 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों को, दिशा–निर्देशों के अनुसार उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वनांचल के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

एम. एम. टी. सी. द्वारा लोहे की प्राप्ति

1577. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. एम. टी. सी. निर्यात के उद्देश्य से लौह अयस्क पैदा करने वाले विभिन्न राज्यों से लोहे की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो एम. एम. टी. सी. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उन राज्यों से कितनी मात्रा में लौह अयस्क खरीदा गया;

(ग) वे कौन-कौन से बंदरगाह हैं जिनके माध्यम से एम. एम. टी. सी. ने उपरोक्त अवधि में विभिन्न देशों को लौह अयस्क निर्यात किया है;

(घ) उड़ीसा में विभिन्न खनिज क्षेत्रों से लौह अयस्क कितनी मात्रा में खरीदा गया और उपर्युक्त अवधि में पारादीप पत्तन से कितना निर्यात किया गया; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) एम. एम. टी. सी. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त की गयी लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा : लाख मी. टन में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
उड़ीसा	7.37	9.49	6.09
बिहार	2.01	2.94	4.63
मध्य प्रदेश	39.84	38.73	37.18
कर्नाटक	46.87	54.79	63.00
गोवा	4.72	2.33	4.22
योग	100.81	108.28	115.12

(ग) एम. एम. टी. सी. ने चेन्नई, विजाग, गोवा हजीरा और पारादीप पत्तनों के माध्यम से विभिन्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के विभिन्न खनिज क्षेत्रों से प्राप्त किए गए और पारादीप पत्तन से निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा : लाख मी. टन में)

	1995-96	1996-97	1997-98
बारबिल	6.00	8.24	5.98
बांसपाणि क्षेत्र			
गंधा मार्धन क्षेत्र	0.43	0.09	—
उड़ीसा राज्य में अन्य (खानें)			
दायत्री	0.94	1.16	0.11
योग	7.37	9.49	6.09

विशेष आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग तथा जालसाजी

1578. श्री के. एस. राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिबंधित वस्तुओं के लिये जारी किये गये विशेष आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग और जालसाजी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों में कितने विशेष आयात लाइसेंस बतौर जाली पकड़े गये हैं और इनकी कार्य पद्धति क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में विशेष आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग और जालसाजी को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। विशेष आयात लाइसेंसों (वि. आ. ला.) के जालसाजी के सत्तावन (अनंतिम) मामलों का पता लगाया गया है। अपनायी गयी कुछेक कार्य पद्धतियां इस प्रकार हैं :

(i) जाली लाइसेंस नम्बर का प्रयोग करना;

(ii) विशेष आयात लाइसेंसों के उन्हीं नम्बरों का दुबारा/जाली प्रयोग करना; और

(iii) विशेष आयात लाइसेंसों की रंगीन फोटो प्रतियों का प्रयोग करना।

(ग) अब तक ग्यारह व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइसेंस को आस्थगित/रद्द करने तथा अर्थ दण्ड लगाए जाने संबंधी अन्य कार्रवाई महानिदेशक, विदेश व्यापार (महा. नि. वि. व्या.) द्वारा की जाती है।

(घ) क्षेत्रीय कार्यालयों को इन कदाचारों के बारे में सतर्क कर दिया गया है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया गया है :

(i) लाइसेंस के प्रपत्र का दुबारा ऐसा डिजाइन तैयार करना जिससे रंगीन फोटो कापी न हो सके ताकि जालसाजी से बचा जा सके;

(ii) अनुक्रमिक संख्या वाले लाइसेंसों का प्रयोग करना; और

(iii) महानिदेशालय, विदेश व्यापार मुख्यालय में इन लाइसेंसों का केन्द्रीकृत वितरण करना।

विदेशी पर्यटकों द्वारा भ्रमण

1579. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटक भारत

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आए पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की कोई नई योजना तैयार करने का है;

(घ) क्या महाराष्ट्र तथा गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान भारत आए विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या और पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	अनुमानित विदेशी मुद्रा आय
		(रुपए करोड़ों में)
1995	2123683	8633.30
1996	2287860	10049.95
1997	2374094	11051.43

(ग) पर्यटन का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने, प्रचार और मानव संसाधनों के संवर्धन एवं विकास से संबंधित कई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) किसी भी स्थान विशेष पर पर्यटक सुविधाओं का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों को, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। वर्ष 1997-98 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए 169.84 लाख रुपए तथा गुजरात के लिए 111.84 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।

(च) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान, पर्यटन के विकास के लिए, राज्य सरकारों को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14.52	125.50	206.70
2.	असम	70.24	155.96	288.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	52.26	2.00	271.00
4.	बिहार	115.84	72.53	233.07
5.	गोवा	221.55	101.46	144.62
6.	गुजरात	7.98	82.21	111.84
7.	हरियाणा	126.91	146.23	108.24
8.	हिमाचल प्रदेश	485.91	196.93	119.00
9.	जम्मू और कश्मीर	99.09	88.47	293.35
10.	कर्नाटक	229.36	356.86	130.78
11.	केरल	209.94	235.59	282.00
12.	मध्य प्रदेश	—	—	119.31
13.	महाराष्ट्र	63.75	187.69	169.84
14.	मणिपुर	75.81	51.90	186.11
15.	मेघालय	4.08	88.81	85.70
16.	मिजोरम	100.86	107.18	142.45
17.	नागालैण्ड	51.58	100.62	116.90
18.	उड़ीसा	108.86	453.28	557.05
19.	पंजाब	140.49	47.83	52.87
20.	राजस्थान	230.75	103.89	80.36
21.	सिक्किम	29.61	93.09	65.20

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	250.11	190.20	59.74
23.	त्रिपुरा	25.60	105.40	126.68
24.	उत्तर प्रदेश	31.10	237.78	221.10
25.	पश्चिम बंगाल	184.88	199.72	157.76
26.	अण्डमान और निकोबार	45.00	2.00	60.00
27.	चंडीगढ़	17.20	3.00	3.00
28.	दादर और नगर हवेली	–	84.66	5.20
29.	दिल्ली	28.23	6.28	229.43
30.	दमन और दीव	48.21	15.00	60.17
31.	लक्षद्वीप	24.65	123.81	5.00
32.	पांडिचेरी	28.12	4.00	35.64
	कुल जोड़	3122.49	3769.88	4728.99

राजस्थान में पर्यटन का विकास

1580. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से कुछ जिलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम/प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1997–98 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्राप्त एवं स्वीकृत परियोजनाओं में सम्मिलित हैं :–

(1) सवाई माधोपुर के किला झूमर बाओडी का उन्नयन।

(2) मंगलवार में मार्गस्थ सुख–सुविधाएं।

(3) भरतपुर में दीघ किले का सौन्दर्यीकरण।

(4) टोंक में सुनहरी कोठी का सौंदर्यीकरण।

(5) जैसलमेर किले में रानी का महल का सौन्दर्यीकरण।

(6) आमेर में महल परिसर का सौन्दर्यीकरण।

विनिवेश आयोग

1581. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपने शेयरों को कहीं और लगाने के बारे में गंभीर रूप से विचार नहीं कर रही है;

(ख) क्या विनिवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश को शामिल करते हुए विनिवेश निधि की सिफारिश की है;

(ग) क्या इस बात के बावजूद कि विनिवेश आयोग ने वर्तमान स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना की समग्र रूप से समीक्षा करने और इसे पेंशन अथवा बीमा योजना में बदलने की सिफारिश की थी ताकि यह और व्यवहार्य और कारगर बने, मूल्य निर्धारण उत्पादों और सेवाओं के मामले में असांविधिक सरकारी नियंत्रण पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बोर्ड और अनेक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रावधान किया था;

(घ) क्या अब तक इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या विनिवेश आयोग के गठन से कोई मदद नहीं मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) सरकार समय–समय पर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में अपने शेयरों का विनिवेश कर रही है।

(ख) विनिवेश आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय में से विनिवेश–निधि की स्थापना करने की सिफारिश की।

(ग) विनिवेश आयोग में पेंशन–स्वरूप की एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अथवा बीमा योजना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों के व्यावसायीकरण और निर्णय लेने में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों से संबंधित बोर्डों को अधिक स्वायत्तता देने की सिफारिश की है।

(घ) कुछ सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) विनिवेश आयोग की सिफारिशें सरकार की विनिवेश नीति के आधार हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का वित्त पोषण

1582. श्री पंकज चौधरी :

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बैंक लघु उद्योगों को वित्त पोषण करने

संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे बैंकों की पहचान कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे बैंकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि सभी बैंक लघु उद्योग क्षेत्र का वित्तपोषण करने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं ?

(ख) और (ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[अनवाद]

स्थान में पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करना

1583. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध शहर जैसलमेर में होस्टलों और होटलों के न होने के कारण पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने जैसलमेर की यात्रा की; और

(ग) इस ऐतिहासिक और मरुस्थलीय जिले जैसलमेर के प्रति और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जैसलमेर आए विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :–

1995	48,001
1996	49,486
1997	51,465 (अनुमानित)

(ग) जैसलमेर में सभी आधारभूत सुविधाओं और पर्यटन से सम्बन्धित आधारभूत संरचना का विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार धन की उपलब्धता सम्बन्धी कार्रवाई पूरी करके और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करता है। देश व विदेश स्थित भारत सरकार के सभी पर्यटक कार्यालय पर्यटन संवर्धन तथा प्रचार कार्यक्रमों द्वारा जैसलमेर और इसके साथ–साथ राजस्थान के अन्य पर्यटक स्थलों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उच्च प्राथमिकता देते हैं।

सौंदर्य प्रसाधन उत्पादकों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन

1584. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सौंदर्य प्रसाधनों के कुछ प्रमुख उत्पादकों के विरुद्ध उत्पाद शुल्क अपवंचन के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कम्पनियों के निदेशक को अब तक गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) अद्यतन जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है तथा सभा–पटल पर रख दिया जाएगा।

पर्यटन विकास हेतु कार्य योजनाएं

1585. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और सिक्किम में अलग–अलग पर्यटन विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई कार्य योजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) इस उद्देश्यार्थ राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) इस संबंध में, राज्यवार, उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में राज्य–वार चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) से (ङ) प्रत्येक राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, उनसे प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु, धन की उपलब्धता की शर्त पर, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और सिक्किम राज्यों में स्वीकृत/रिलीज की गई राशि के ब्यौरे, चल रही परियोजनाओं की संख्या के साथ, स्वीकृत ऐसी परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य	परियोजनाओं की संख्या		राशि	
	स्वीकृत	चल रही	स्वीकृत (रुपए लाखों में)	रिलीज की गई
पश्चिम बंगाल	35	25	726.42	307.66
असम	25	19	437.37	184.41
मेघालय	10	07	110.36	43.39
सिक्किम	26	17	321.79	194.31

[हिन्दी]

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

1586. श्री अजीत जोगी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़े की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम यू. एन. डी. पी. से प्राप्त की गयी 15 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता से जून, 1992 में शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे।

(1) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन और उनका संवर्धन।

(2) संघटक उद्योग और सहायता सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

(3) निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना।

(4) पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विचार करना।

(5) देश में मशीन निर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

समेकित उत्पाद विकास और विपणन अभियान, संयुक्त उद्यमों के संवर्धन, नए बाजारों की खोज, उच्चस्तरीय बाजार अध्ययन दल को प्रायोजित करना इत्यादि के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे। इस समय बाजार विस्तार के लिए लैटिन अमरीकी देशों को लक्ष्य बनाया गया है।

भारतीय चमड़ा उद्योग की खासकर चर्मशोधन के क्षेत्र में अन्तर्निहित क्षमताओं को उपयुक्त कार्य योजनाएं तैयार करने और विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के निमित्त ध्यान में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत प्रतिस्पर्द्धा के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन से उत्पादन क्षमता में गुणवत्ता संवर्द्धन और मात्रात्मक सुधार के लिए चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने की दिशा में संयुक्त प्रयास शुरू किये गये हैं।

हाल में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए चमड़ा और चमड़ा उत्पाद संबंधी कार्यकारी दल द्वारा चमड़ा उद्योग के पिछले 20 वर्षों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गयी थी। वर्ष 2001–2002 के लिए 4–5 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का अनुमान लगाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ललमटिया चित्रद कोयला खान

1587. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ललमटिया चित्रद कोयला खान को एक पृथक क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को बाद में वापिस ले लिये जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इसे पुनः पृथक क्षेत्र बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ङ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई. को. लि.) की राजमहल परियोजना, बिहार में लालमटिया में स्थित है। ई. को. लि. के राजमहल कोलफील्ड्स और देवगढ़ कोलफील्ड्स के साथ एक नई कंपनी के प्रस्ताव को कोल इंडिया लि. के निदेशक मंडल की दिनांक 29.8.1992 की आयोजित 124वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। खानों से पर्याप्त मात्रा में उत्पादन न होने के कारण बोर्ड ने पृथक कंपनी की स्थापना के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी नहीं दी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

1588. श्री अशोक प्रधान :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **पर्यटनन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं पर काम कब तक शुरू किया जाएगा और इसमें होने वाली परियोजना–वार लागत क्या है;

(घ) गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता से विकसित किये जा रहे पर्यटन स्थलों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या जापान सरकार ने प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ–स्थल कुशीनगर और लुम्बिनी को उत्तर प्रदेश में रेल से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) से (घ) वर्ष 1997–98 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की है :

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	प्रदान राशि
	वृन्दावन (मथुरा) में पर्यटक परिसर	38.22	11.50
	आगरा में पर्यटक परिसर	34.62	11.50
3.	मथुरा में पर्यटक स्वागत केन्द्र	23.50	8.00
4.	पर्यटक केन्द्र, आगरा	20.92	6.27
5.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, हरिद्वार	23.50	10.00
6.	कुशीनगर में आगंतुक केन्द्र	39.84	13.40
7.	पटना पक्षी बिहार, एटा में पर्यटक सुविधाएं	10.50	5.50
8.	कपिलवस्तु (पिपरवाह), सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का सौंदर्यीकरण एवं भू–दृश्यांकन	20.00	5.00
9.	झांसी महोत्सव	2.00	1.00
10.	अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह	2.00	1.00
11.	लखनऊ उत्सव	2.00	1.00
12.	कुमायूं उत्सव	2.00	1.00
13.	गढ़वाल उत्सव	2.00	1.00
		221.10	76.17

ये परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानी है।

(ङ) और (च) उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के आधारभूत विकास के लिए चल रही ओ. ई. सी. एफ. परियोजना, कुशीनगर और लुम्बिनी को रेल द्वारा नहीं जोड़ती है।

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन/खपत

1589. श्री मोहन सिंह :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का वार्षिक घरेलू उत्पादन एवं खपत की अलग–अलग मात्रा क्या है;

(ख) क्या देश का कुल वार्षिक कोयला उत्पादन वार्षिक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो देश के कोयले की वार्षिक मांग को पूरी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) देश में 1997–98 के दौरान हुए कोयले का वार्षिक उत्पादन तथा विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किए गए कोयले के लदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	(मिलियन टन में) (आंकड़े अनंतिम)
उत्पादन	295.93
विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कोयले	294.64
का लदान	(3.59)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मिडलिंग्स को दर्शाते हैं)

(ख) और (ग) कोककर और उच्च ग्रेड के कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल है, जिसे कम करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में अन्य कदमों के अलावा निम्न कदम शामिल हैं : नई खानों का खोलना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी की उन्नति, आगतों और अवसंरचनात्मक ढांचे की सुविधाओं को समय से उपलब्ध करवाना, बेहतर क्षमता उपयोगिता उत्पादकता में सुधार और अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखना। विद्युत, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों द्वारा कोयले के ग्रहीत खनन से भी कोक/कोयले के उत्पादन में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

बैंकिंग क्षेत्र की लेखा परीक्षा प्रणाली

1590. श्री मुकुल वासनिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकिंग क्षेत्र व्यावसायिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्तमान लेखा–परीक्षा प्रणाली बैंकिंग क्षेत्र के लिये अनुपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र के निदेशक मंडल को अपना लेखा–परीक्षक चुनने का अधिकार देने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) इस समय भारत

के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लेखा परीक्षा की कोई प्रणाली नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन के स्वरूप को देखते हुए सरकार का विचार है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लेखा परीक्षा किया जाना उचित नहीं होगा।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति सम्बद्ध संविधि के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में ऐसे लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से, संबंधित बैंक द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक के मामले में ऐसे लेखा परीक्षकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के मामले में इनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है।

विकसित देशों द्वारा व्यापारिक अड़चनें

1591. श्री नरेश पुगलीया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकसित देशों द्वारा नई व्यापारिक अड़चनें खड़ी करने की प्रवृत्ति पर चिन्ता जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विकसित देशों द्वारा खड़ी की जा रही व्यापारिक अड़चनों में वृद्धि का सामना करने के लिए नई रणनीति बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यापारिक अवरोधों को हटाने के लिए अन्य देशों को प्रोत्साहित करने के निमित्त हमारी कार्ययोजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं

(i) विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से विवाद निपटान की प्रक्रिया।

(ii) विशेषकर संयुक्त आयोगों की क्रिया विधि के माध्यम से *द्विपक्षीय संविदाएं।*

(iii) विदेशों में हमारे मिशनों के जरिए राजनयिक कार्यकलाप।

(iv) उपयुक्त डब्ल्यू. टी. ओ. की समिति में मुद्दों को उठाना।

पंजाब में भारी उद्योग

1592. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में विशेष रूप से जालंधर, नवांशहर जिलों में इस राज्य के लोगों की सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग स्थापित करने के संबंध में भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। इस समय राज्य में विशेष रूप से जालंधर तथा नवां शहर जिले में सरकारी क्षेत्र का भारी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

एम. एम. टी. सी. तथा एस. टी. सी. का विलय

1593. श्री रामचन्द्र बीरप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम का धातु तथा खनिज व्यापार निगम के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आय की तुलना में हाल में भारी हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस घाटे को पूरा करने के लिए तथा निगम को लाभदायक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) एस. टी. सी. एक लाभ कमाने वाला निगम है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा प्राप्त किए गए व्यापार लाभ निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	व्यापार लाभ
1995–96	36.00
1996–97	48.00
1997–98 (अनंतिम)	29.00

समेकित आधारभूत ढांचा विकास केन्द्र

1594. श्री वी. वेंकटेश नायक : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक में लघु इकाइयों के लिए समेकित आधारभूत ढांचा विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस विकास के लिए कौन–सा क्षेत्र चुना गया है और इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गयी है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्य के कुछ और क्षेत्रों को शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। सरकार ने देश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु तथा अति लघु एककों की स्थापना के लिए सामूहिक आधार पर मूल आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1994 में एकीकृत आधारभूत विकास (आई. आई. डी.) योजना आरम्भ की।

(ख) कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कर्नाटक के लिए बेलगांम, बीजापुर तथा कोलार जिलों में प्रत्येक में एक–एक अर्थात् 3 आई. आई. डी. केन्द्रों की अनुमति दी गई है। प्रत्येक आई. आई. डी. केन्द्र के लिए केन्द्र सरकार रुपये तक की राजसहायता प्रदान करती है। कर्नाटक [illegible] किये जा रहे 3 केन्द्रों में से जिला बेलगांम तथा [illegible] में प्रत्येक आई. आई. डी. केन्द्र के 2.00 करोड़ रुपये [illegible] की पूरी राशि जारी की जा चुकी है तथा कोलार स्थित आई. आई. डी. केन्द्र के लिए 1.00 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं क्योंकि इस परियोजना पर कार्य अभी हाल ही में [illegible] है।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केरल में विदेशी निवेश

1595. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र वर्ष–वार कितना विदेशी निवेश हुआ है;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों का हमारी सभ्यता तथा संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ऐसा अध्ययन कब तक कराएगी;

(च) 8वीं योजना के दौरान पर्यटन के विकास के लिए केरल को वर्ष–वार कितनी राशि आबंटित की गई;

(छ) राज्य द्वारा वास्तविक रूप से वर्ष–वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ज) क्या केरल की पर्यटन संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क)

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1994–95	24.00 रुपये
1995–96	600.00 रुपये
1996–97	5.10 रुपये

(ख) केरल के विभिन्न भागों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अच्छी अतसंरचनात्मक सुविधाएं यथा आवास एवं परिवहन, उपलब्ध करायी गयी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केरल सरकार ने वर्ष के दौरान अध्ययन कराने का प्रस्ताव किया है।

(च) आठवीं योजना अवधि के दौरान केरल के लिए स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता :

वर्ष	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति राशि (लाख रुपए में)
1992–93	*128.80*
1993–94	133.40
1994–95	289.40
1995–96	212.44
1996–97	235.59

(छ)

वर्ष	राज्य के भाग सहित उपयोग में लाई गई राशि (लाख रुपए में)
1992–93	96.89
1993–94	65.95
1994–95	231.05
1995–96	79.00
1996–97	116.28

(ज) केरल सरकार ने राज्य की पर्यटन सम्भावनाओं को उभारने/अधिक उपयोग में लाए जाने के लिए एक विस्तृत पर्यटन मास्टर प्लान बनाने की तैयारी से संबंधित एक परियोजना शुरू की है।

आन्ध्र प्रदेश में कॉफी बागान

1596. श्री के. येरननायडू : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कॉफी की कमी है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कॉफी बागानों में वृद्धि करने हेतु कौन-कौन से नए कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या कॉफी बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में इस उद्देश्य के लिए कुछ उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) कॉफी बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहले ही पहचान कर ली है और आज की तारीख तक लगभग 10,000 हैक्टे. क्षेत्र को कॉफी के अन्तर्गत लाया जा चुका है। बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में कॉफी के लिए अनुसंधान, विस्तार और विकासपरक कार्यकलापों में सहायता के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं स्थापित की हैं।

2. कॉफी बोर्ड नौवीं योजना के दौरान संभावित जनजातीय कॉफी उत्पादकों, को 15,000 रुपये प्रति हैक्टेयर का एक बारगी अनुदान प्रदान करके आंध्र प्रदेश में 3,000 हैक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती का विस्तार करने के लिए एक विशेष पैकेज स्कीम का समर्थन कर रहा होगा। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कॉफी क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बोर्ड नौवीं योजना के दौरान 3000 हैक्टेयर के कॉफी क्षेत्रों के नवीकरण/समेकन के लिए भी उतनी ही धनराशि का एकबारगी अनुदान प्रदान कर रहा होगा।

जनता कपड़ा योजना

1597. श्री तथागत सत्पथी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जनता कपड़ा योजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को उचित मूल्य पर कपड़ा प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक योजना शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जनता कपड़ा योजना की समीक्षा करने के बाद वर्ष 1991 में स्थापित समिति के अनुसार निम्न एक मूल्य के कपड़े के उत्पादन में चूंकि कमी पाई गई, अतः इस योजना को समाप्त करने की सिफारिश की गई। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों की जांच किये जाने के बाद वर्ष 1993-94 में जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत पैकेज-II योजना आरम्भ की जिसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को उच्च मूल्य के कपड़े के उत्पादन में क्रमबद्ध किया जा सके तथा जनता कपड़ा योजना के समाप्त किये जाने के कारण हथकरघा बुनकरों के विस्थापितों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया किया जा सके तथा 1996-97 तक जनता कपड़ा योजना को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। यद्यपि सरकार ने वर्ष 1997-98 के लिये योजना बढ़ा दी गई है जिससे परिवर्तन में सुविधा हो सके।

(ग) और (घ) जनता कपड़ा योजना को धीरे-धीरे समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप, हथकरघा बुनकरों की एकीकृत तथा समन्वित तरीके से नाजुक स्थिति में सहायता मुहैया कराने, लोगों को, गरीबी लाइन के नीचे सहित उनके सभी उत्पादों की बिक्री के लिये विपणन सहायता सहित, सरकार ने दो मुख्य विकासात्मक योजनायें-1991-92 से प्रभावी प्रोजैक्ट पैकेज योजना तथा 1993-94 से प्रभावी हथकरघा विकास केन्द्र योजना आरम्भ की।

जोखिम पूंजी कोष

1598. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम चयन बोर्ड ने भारतीय कंपनियों तथा वैज्ञानिकों को अमेरीका तथा अन्य विकसित देशों में पेटेंट प्राप्त करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये के जोखिम पूंजी कोष की स्थापना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजमहल परियोजना के अंतर्गत हुर्रा (एच. यू. आर. आर. ए.) योजना

1599. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजमहल परियोजना के अंतर्गत हुर्रा (एच. यू. आर. आर. ए.) योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) वर्तमान में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत

हुर्रा "सी" ओ. का. परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) हुर्रा "सी" ओ. का. परियोजना के कोयले निम्न गुणवत्ता (एफ. और जी. ग्रेड) वाले हैं। कोयले के इस ग्रेड के साथ परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसीलिए इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निवेशगत निर्णय नहीं लिए जा सके। यह परियोजना खनन हेतु केवल उसी समय शुरू की जा सकती है जब कोई उपभोक्ता इस परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए लागत के साथ कीमत के भुगतान पर सहमत हो।

सहायक का वेतनमान

1600. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र सरकार में सहायक के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों में वृद्धि संबंधी उनके अभ्यावेदन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जूट रिजर्वेशन आर्डर, 1987

1601. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जूट रिजर्वेशन आर्डर, 1987 के क्रियान्वयन हेतु कोई विस्तृत योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीमेंट पैकिंग में 50 प्रतिशत जूट के थैलों का उपयोग करने संबंधी शुरू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जूट रिजर्वेशन आर्डर, 1987 का कड़ाई से अनुपालन हेतु उर्वरक मंत्रालय को सलाह दिए जाने संबंधी क्या उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट उत्पादन के 50 प्रतिशत तक पटसन बोरों में सीमेंट पैकेजिंग करने के आरक्षण आदेश का क्रियान्वयन अनेक कारणों से असंतोषजनक रहा है। सीमेंट मजदूर संघों, उपभोक्ता निकायों आदि द्वारा विविध उच्च न्यायालयों में लगभग 30 मुकदमे दायर हुए हैं। इन मामलों से उचित ढंग से लड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्हीं प्रकार के मामलों को स्थानांतरित करने का आवेदन भी किया गया है।

(ग) इस मंत्रालय के निर्देशानुसार रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग ने पटसन आरक्षण आदेश 1987 का सख्ती से अनुपालन करने के लिए देश में समस्त यूरिया निर्यात एककों को उचित अनुदेश जारी किए हैं।

कोयला खानों में मौतें

1602. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में दुर्घटनाओं में मारे गए तथा घायल हुए लोगों की खान-वार, वर्ष-वार संख्या क्या है; और

(ख) मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को कितना मुआवजा दिया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया (को. इं. लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं. को. कं. लि.) में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्न है :

वर्ष	कंपनी	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
1995	को. इ. लि.	192	612
	सिं. को. कं. लि.	21	191
1996	को. इं. लि.	110	505
	सिं. को. कं. लि.	29	147
1997	को. इं. लि.	112	437
	सिं. को. कं. लि.	35	125

इस संबंध में कोलियरी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मृतक के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे की राशि का ब्यौरा निम्न है :

वर्ष	भुगतान की गई मुआवजे की राशि (लाख रु. में)	
	को.इं.लि.*	सिं.को.कं.लि.
1995	138.92	290.69
1996	128.12	379.33
1997	157.67	380.13

*मृतक के परिवारों को दी गई राशि।

विवरण

को. इं. लि. की खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए दुर्घटनाओं में मृतकों तथा घायलों की खान–वार और वर्ष–वार संख्या

कोलियरी का नाम	दुर्घटनाएं					
	1995		1996		1997	
	मृ.	घा.	मृ.	घा.	मृ.	घा.
1	2	3	4	5	6	7
भाकोकोलि						
अंगरपाथरा	–	–	–	–	2	–
अकाशकिनारी	1	–	1	–	1	–
अंगरपातरा	–	–	1	–	1	–
अलकुसा	–	–	2	1	–	–
अमलाबाद	–	–	2	–	–	–
बरारी	1	1	1	–	–	–
बरारी	1	–	–	–	–	–
बसंतीमाता	1	1	–	–	–	–
बेरा	1	–	1	–	–	–
बुरागढ़	–	–	1	–	–	–
बनछीहं ओसीपी	–	–	1	–	–	–
ब्लाक–II	–	–	1	–	–	–
भंवरा साउथ	–	–	–	–	1	–
भवरा एस. ओ. सी. पी.	–	–	–	–	1	–
भंवरा ना.	–	–	–	–	1	–
ब्लाक–4 ओ. सी. पी.	–	–	–	–	1	–
भलगोरा	–	–	–	–	1	–
बुस्सेरिया	–	–	–	–	1	–
दामोदा ओ. सी. पी.	1	–	–	–	–	–
दोबारी	1	–	–	–	1	–
दहीबारी	–	–	1	–	1	–
धनसर	–	–	–	–	1	–
ईस्ट बसुरिया	1	–	–	–	–	–
ईस्ट भगातोई	–	–	1	–	–	–
गैसलीटीड	64	–	–	–	–	–
गानडीह	1	–	–	–	3	–
गोविन्दपुर	1	–	–	–	–	–
गोघुर	–	–	1	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
गोंडी	–	–	1	–	–	–
गोपालीचक	–	–	1	–	–	–
हेरीलाडीह	1	–	–	–	–	–
कंकारी	2	–	–	–	–	–
कटरास चौथडीह	4	–	–	–	–	–
कटरास घोतूडीह	–	–	1	–	–	–
केसुलपुर	1	–	–	–	1	1
कुसुडा ओ. सी. पी.	4	4	4	5	1	–
खास कंसुडा	–	–	–	–	–	–
कच्ची बलिहारी	–	–	1	–	–	–
खरखरी	–	–	1	–	–	–
	–	–	3	1	–	–
	1	–	–	–	–	–
लोयाबाद	2	–	1	–	–	–
लोहापट्टी	–	–	–	–	1	–
मधुबंद	1	–	–	–	–	–
मुरईडीह	–	–	1	2	1	–
मुरलीडीह 20/21 पिट	–	–	–	–	1	–
नरुलीडीह	1	–	–	–	–	–
निचितपुर	2	–	–	–	1	–
नार्थ तिसरा ओ. सी. पी.	–	–	2	–	–	–
पाथरडीह	1	–	1	–	1	–
फुलारीटांड	1	1	–	–	1	–
पुटकी	–	–	2	2	–	–
रनकनाली	3	1	–	–	1	–
राजापुर ओ. सी. पी.	–	–	–	–	1	–
एस. गोविंदपुर	3	0	–	–	–	–
सदामडीह इन्क.	1	1	–	–	–	–
सिमलाबहल	–	–	1	–	–	–
संद्रा बंसगोरा	–	–	–	–	1	–
तेतूलमारी	–	–	–	–	2	–
विक्टोरिया वेस्ट	–	–	2	–	–	–
वेस्ट मुदडीह	–	–	1	–	–	–
जीलगोरी	–	–	–	–	1	–
जयरामपुर	–	–	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
सी. सी. एल.						
अशोक ओ. सी. पी.	–	–	2	–	1	–
आरा	–	–	–	–	3	2
भरकुंदा ओ. सी. पी.	–	–	1	–	–	–
बोकारो	1	–	–	–	–	–
चूरी	1	–	–	–	–	–
डकरा बुक बुका	1	–	2	–	–	–
गोविंदपुर	1	–	–	–	–	–
हटार	1	–	–	–	1	–
हिंदेगिर	–	–	1	1	–	–
जारंगडीह	–	–	–	–	1	–
कारो स्पेशल–II	3	–	–	–	–	–
कथारा ओका	1	–	1	–	–	–
केडी हसलोंग	1	–	–	–	1	–
केडी ओका	–	–	2	–	–	–
कूंजू	1	–	–	–	–	–
कल्याणी	–	–	1	–	–	–
करगली ओका	–	–	1	–	–	–
करगली भूग	–	–	2	2	–	–
कारो ओ. सी. पी.	–	–	–	–	1	–
केडला ओ. सी. पी.	–	–	–	–	1	–
कबरीबाद ओ. सी. पी.	–	–	–	–	1	1
पिंडरा	2	–	–	–	–	–
पिपरवार	1	–	–	–	–	–
पूंडी	–	–	–	–	1	–
राजरप्पा ओ. सी. पी.	1	–	–	–	–	–
रे–बचरा	2	–	–	–	–	–
सौंदा ए. के.	1	–	–	–	1	–
सौंदा "डी"	1	–	–	–	1	–
सेलेक्टेड धोरी ओका	2	–	–	–	–	–
सरुबेरा	–	–	1	–	–	–
सियालडीह	–	–	1	1	–	–
सिरका	–	–	1	–	5	1
सिरका भूग	–	–	1	1	–	–
टर्की	–	–	1	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
उरीमारी ओका	–	–	1	–	2	–
उरगादा	1	–	–	–	–	–
ई. को. लि.						
बेजडीह	1	–	–	–	–	–
बी. सी. इन्क.	–	–	1	–	–	–
मनोरा	–	–	1	–	–	–
चकबाल ऊपुर	1	3	–	–	–	–
चोरा	–	–	–	–	1	–
चपुई खास	–	–	–		1	–
चीनाकुरी खान सं. 1	–	–	–	--	1	–
" सं. 3	–	–	–	–	1	–
[illegible] इन्क.						
छापापुर–II	–	–	–	–	1	–
दालरबंद	1	–	–	--	–	–
धेमोमेन	1	2	1	--	1	3
डाबोर	–	–	2	–	–	–
दलोरा बन	–	–	1	–	–	–
घुसिक	–	–	–	–	1	–
हरियाजाम	1	3	–	–	–	–
जाम्बाद	1	1	–	–	–	–
जमूरिया	1	2	–	–	–	–
जे. के. नगर	–	–	–	–	2	–
खुदिया	1	1	–	–	–	–
खरदी	–	–	1	–	–	–
कोटाडीह	1	–	–	–	3	4
कुमारदुबी 5 आर इन्क.	–	–	–	–	1	–
खैराबाद	–	–	–	–	2	–
कापासरा	–	–	–	–	1	1
मदईपुर	1	–	1	–	–	–
मधुसुदनपुर	–	–	1	–	–	–
मडरबोनी	–	–	–	–	1	–
मधुजोरे	–	–	–	–	1	–
न्यू केंडा	1	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
नूतनडंगरा	1	—	—	—	—	—
नाबाकजोरा	—	—	1	—	—	—
नार्थ सियरसोल	—	—	1	—	1	—
निंगा	—	—	—	—	1	—
हिंगरा	—	—	1	3	—	—
पारसकोले	1	—	—	—	—	—
परासिया	1	—	—	—	—	—
पथोरना	—	—	1	—	1	—
संग्रामगढ़	1	3	—	—	—	—
शकरपुर	1	—	—	—	—	—
सोदेपुर	3	—	—	—	—	—
सोहनपुर बाजारी	1	—	2	—	—	—
सतग्राम इन्क.	—	—	4	—	1	—
सतग्राम प्रोजेक्ट	—	—	1	—	—	—
श्रीपुर	—	—	—	—	1	—
एम. सी. एल.						
दयोलबेरा	—	—	—	—	2	—
जगन्नाथ ओ. सी. पी.	1	—	—	—	3	—
लिंगराज ओ. सी. पी.	1	—	2	—	1	—
बालंदा ओ.सी. पी.	—	—	1	—	—	—
भरतपुर	—	—	1	—	—	—
समलेश्वरी ओ. सी. पी.	—	—	3	—	—	—
अनंता ओ. सी. पी.	1	—	—	—	—	—
बेलपहाड़	1	—	—	—	—	—
हिंगरामपुर	1	—	—	—	—	—
लच्छकुरा ओ. सी. पी.	1	—	—	—	—	—
ओरिएंट ओ. सी. पी.	1	—	—	—	—	—
तलचर ओ. सी. पी.	1	—	—	—	—	—
एन. सी. एल.						
अमलोहरी ओ. सी. पी.	—	—	1	—	—	—
झिंगुर्दा	—	—	1	1	1	—
खादिया ओ. सी. पी.	—	—	—	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7
एन. ई. सी.						
लेडो	1	–	–	–	1	–
टिपांग	–	–	2	1	–	–
टिरेप ओ. सी. पी.	–	–	1	–	–	–
एस. ई. सी. एल.						
गेवरा	1	–	–	–	2	–
जयनगर न्यू	–	–	–	–	1	–
जमना ओका	–	–	–	–	1	–
कोटमा ओका	1	–	–	–	1	–
मीरा इन्क.	–	–	–	–	1	–
[illegible] सी. पी.	1	–	–	–	–	–
ओल्ड इन्क.	–	–	1	–	1	–
सुराकाचर 5/6	–	–	–	–	–	–
सुराकाचर मेन	–	–	–	–	1	–
अमलई भूग	–	–	1	–	–	–
चिरीमिरी ओका	2	1	2	–	–	–
जैमनगर 3/4	–	–	1	–	–	–
जमना 9 और 10	–	–	1	–	–	–
कोरिया	–	–	1	–	–	–
कुसमंडा ओ. सी. पी.	1	–	1	–	–	–
लक्ष्मण ओका	–	–	3	2	1	–
नार्थ चिरीमिरी	–	–	2	2	–	–
सराकाचर 3 और 4	–	–	1	1	–	–
भद्रा भू. ग.	–	–	–	–	2	–
कोटमा वेस्ट	–	–	–	–	1	–
वेस्ट जेकेडी	–	–	–	–	1	–
कोटमा ओल्ड	–	–	–	–	1	2
मानिकपुर ओका	1	–	–	–	1	–
दीपका ओग.	–	–	–	–	1	–
पांडवपारा	–	–	–	–	1	–
कपिलधारा	2	–	–	–	–	–
बालगी	1	–	–	–	–	–
विश्रामपुर ओ. सी. पी.	1	–	–	–	–	–
कपिलधारा	2	1	–	–	–	–
कटकोना	1	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
नवागांव	1	—	—	—	—	—
एन. सी. पी. एच.	1	—	—	—	—	—
ओल्ड जिमहन	1	—	—	—	—	—
राजेन्द्र भूग	2	—	—	—	—	—
राजगमर 6/7 इन्क.	1	1	—	—	—	—
वेस्ट चिरीमिरी	2	1	—	—	—	—
वेस्ट चिरीमिरी 7/8	1	—	—	—	—	—
वेस्ट झागराखंड	1	—	—	—		—
महामाया	1	—	—	—	—	—
वे. को. लि.						
चांदामेटा	1	1	—	—	—	
छिनिंदा	1	—	—	—	1	—
थमूहान	1	—	—	—	—	
ई. डी. सी.	1	1	4	—	—	—
गौरी ओ. सी. पी.	1	—	—	—	—	—
सस्ती ओ. सी. पी.	1	—	—	—	—	—
सस्ती भू. ग.	2	1	—	—	—	—
सकरी	1	—	—	—	—	—
उमरेर ओ. सी. पी.	1	1	—	—	—	—
अम्बारा	—	—	1	—	—	—
डी. आर. सी.	—	—	1	—	—	—
गौरी 1 ओका	—	—	1	—	—	—
गौरी 2 ओका	—	—	1	—	—	
पेंच ईस्ट ओका	—	—	1	—	—	—
पिंपलगांव ओका	—	—	1	—	—	—
शोभापुर	—	—	1	—	1	—
टावां	—	—	1	—	1	—
दमुआ	—	—	—	—	1	—
भतादी ओका	—	—	—	—	1	—
महादेवपुरी	—	—	—	—	1	—
दुर्गापुर ओका	—	—	—	—	1	—
गनीपती	—	—	—	—	1	—
नंदन	—	—	—	—	1	—
बल्लारपुर 3/4 पिट	—	—	—	—	1	—
डी. आर. सी. रेयतवाड़ी	—	—	—	—	1	—
कुल जोड़ :	192	32	110	26	112	13

मृ. =/मृतक, घा. = घायल

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की खानों में हुई दुर्घटना में मरने वालों और घायलों की खान–वार और वर्ष–वार संख्या

कोलियरी का नाम	दुर्घटनाएं					
	1995		1996		1997	
	मृ.	घा.	मृ.	घा.	मृ.	घा.
1	2	3	4	5	6	7
कोठागुडेम						
5 इन्क.	–	4	1	3	–	–
5 बी. इन्क.	–	1	–	1	–	–
वी. के. 7 इन्क.	–	2	1	–	–	2
एच. सी. पी. खान	–	2	–	2	–	1
जे. के. ओ. सी. पी.	1	–	–	–	–	–
[illegible]	–	1	–	4	–	2
पी. पी. खान	–	2	–	–	2	1
जे. के. 5	–	2	–	6	1	4
जे. के. ओ. सी. पी.	1	2	2	–	–	–
एम. एन. जी.						
पी. के. 1 इन्क.	1	–	–	–	–	1
पी. के. 2 इन्क.	–	1	–	2	–	1
पी. के. ओ. सी. पी. I	1	2	–	3	–	–
पी. के. ओ. सी. पी. II	–	2	–	4	–	4
सैंट्र. ओ. सी. पी.	–	1	–	1	–	1
बी. पी. ए.						
एम. पिट	–	1	–	3	–	1
जाईपल्ली	–	–	–	–	–	–
एस. के. खान	–	2	1	–	1	1
एम. वी. के. 1	–	2	1	2	1	4
एम. वी. के. 2	–	–	–	1	–	–
एम. वी. के. 3	–	6	–	–	–	–
एम. वी. के. 5	–	6	–	5	–	3
एम. वी. के. 6	–	3	–	2	–	2
गोल. 1	–	–	1	3	–	6
गोल. 2	–	4	–	–	–	–
बी. पी. ए. ओका	–	1	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7
एम. एम.						
एस. एम. जी. 1	1	5	—	3	4	—
एस. एम. जी. 3	1	4	—	1	2	—
के. के. 1	--	5	--	3	—	2
के. के. 2	—	7	1	3	1	2
के. के. 2 ए.	—	—	—	—	—	—
के. के. 5	—	9	2	2	3	2
के. के. 5 ए	2	2	—	3	--	—
कसीपेट	—	—	—	—	—	1
आर. के. पी.						
आर. के. 1	—	2	—	—	—	1
आर. के. 1 ए	—	3	1	1	—	2
आर. के. 3	—	--	—	1	—	—
आर. के. 4	1	2	--	—	1	1
एम. के. 4	—	2	—	1	—	1
आर. के. 5	—	6	—	2	—	1
आर. के. 6	—	1	1	—	1	—
एस. आर. पी.						
आर. के. 7	—	2	—	4	—	1
आर. के. एन. टी.	—	3	—	3	—	3
आर. के. 8	—	4	—	4	—	1
एस. आर. पी. 1	—	1	1	—	1	1
एस. आर. पी. 2	1	—	—	2	—	2
एस. आर. पी. 2 ए	—	1	—	3	—	—
एस. आर. पी. 3 और 3 ए	—	1	—	1	1	3
आई. के. 1	—	1	1	1	—	—
आई. के. 1 ए	—	1	—	—	—	1
चिन्नर. 1 और 1 ए	—	1	—	—	—	—
आर. जी. 1						
जी. डी. के. 1	2	3	—	1	1	—
जी. डी. के. 2	1	3	—	1	—	5
जी. डी. के. 2 ए	—	3	—	5	1	1
जी. डी. के. 3	—	2	—	1	—	1
जी. डी. के. 5	2	2	1	1	—	1
जी. डी. के. 5 ए	—	—	1	2	1	4

1	2	3	4	5	6	7
जी. डी. के. 6	—	3	—	1	—	1
जी. डी. के. 6 ए	—	1	1	—	1	4
जी. डी. के. 6 बी	1	4	—	—	—	—
जी. डी. के. 7 एल. ई. पी.	—	1	—	1	—	1
आर. जी. II						
जी. डी. के. 9	—	13	2	11	2	9
जी. डी. के. 10 ए	—	7	—	9	1	4
जी. डी. के. 11 ए	—	8	2	3	2	1
आर. जी. III						
ओ. सी. पी. I	—	2	1	2	—	5
ओ. सी. पी.	—	—	1	4	2	2
ओ. पी. II	—	1	1	3	—	1
ओ. सी. पी. III	1	2	—	—	3	—
आर. जी.-4						
जी. डी. के. 8	2	1	—	4	1	4
जी. डी. के. 8 ए	—	8	1	1	1	1
जी. डी. के. 10	—	16	—	4	—	8
के. टी. के. 1 और 1 ए	—	1	—	3	—	3
के. टी. के. 5	—	—	—	—	—	1
के. टी. के. 2 ए	1	—	—	1	—	—
खान जोड़ :	20	191	25	139	35	115
विभाग जोड़ :	1	—	4	8	—	10
जोड़ (खान + विभाग)	21	191	29	147	35	125

मृ. = मृतकों की संख्या, घा. = घायलों की संख्या

[हिन्दी]

सीमेंट की मांग और आपूर्ति

1603. श्री दत्ता मेघे : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की कुल कितनी मांग और आपूर्ति है; और

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा का आयात/निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पिछले दो वर्षों में सीमेंट का उत्पादन तथा खपत निम्न प्रकार रही हैं :

(मिलियन टनों में)

वर्ष	उत्पादन	खपत/मांग
1996–97	76.22	74.39
1997–98	83.15	80.35

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान आयात/निर्यात किये गये सीमेंट तथा किलिन्कर की मात्रा दी गई है :

वर्ष	आयात (मीट्रिक टन में)	निर्यात (मिलियन टन में)
1996–97	2942	2.7
1997–98 (अप्रैल–जून 97)	643	4.2

[अनुवाद]

कर्नाटक के लिए पेयजल परियोजना

1604. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक सरकार ने विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, (ओ. ई. सी. एफ.) जापान से कावेरी चतुर्थ चरण पेय जलापूर्ति परियोजना के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने उपरोक्त परियोजना के लिए सहायता स्वीकृत करने के विरुद्ध सीधे ओ.ई.सी.एफ. को पत्र लिखा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई राज्य सरकार किसी अन्य राज्य को धनराशि स्वीकृत किए जाने के विरुद्ध किसी विदेशी एजेंसी को पत्र लिख सकती है;

(घ) क्या सरकार ने ओ. ई. सी. एफ. जापान को अपनी स्थिति स्पष्ट की है; और

(ड) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना के लिए ओ. ई. सी. एफ. से सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ. ई. सी. एफ.) बंगलौर जलापूर्ति और मल-निर्यास बोर्ड के बंगलौर जलापूर्ति और स्वच्छता सुधार कार्यक्रम के लिए 28,452 मिलियन येन का ऋण प्रदान किया है, जिस पर 25.1.1996 को हस्ताक्षर किए गए।

(ख) जी, हां।

(ग) अब तमिलनाडु सरकार ने यह अनुरोध किया है कि ऐसे सभी मुद्दे निधिकरण अभिकरण अर्थात् ओ. ई. सी. एफ. को सीधे न भेजकर वित्त मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

(घ) और (ड) जल संसाधन मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के प्राधिकारियों के साथ बैठक करें, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बैंक की ऋण दर

1605. श्री एस. सी. जोस : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्यतः अर्थव्यवस्था और विशेषकर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बैंक ऋण दर में एक प्रतिशत की कटौती सहित अनेक उपायों की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) 29 अप्रैल, 1998 को घोषित की गई 1998-99 के पूर्वार्ध की मुद्रा और ऋण नीति में भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने कई ऐसे दीर्घकालिक और अल्पकालिक किस्म के उपाय चालू किए हैं जिनसे आर्थिक विकास में सुधार लाने के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सके। दीर्घकालिक नीतिगत उपायों के उद्देश्य थे : वित्तीय बाजारों को सघन बनाना, बैंकों के जमा और ऋण परिचालन को और अधिक लचीला बनाना, विशेषकर कृषि, मझोले और छोटे क्षेत्रों के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रक्रिया में सुधार लाना और बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में सुधार करना।

इसके अतिरिक्त, ऋण नीति के बारे में कई निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण उपाय भी किए गए :

(i) बैंक-दर में 1% बिन्दु की कमी करके 10% से 9% करना जो 29 अप्रैल, 1998 से प्रभावी हुआ।

(ii) 29 अप्रैल, 1998 से प्रभावी, आर. बी. आई. से पुनर्वित्त सुविधा (निर्यात ऋण पुनर्वित्त और सामान्य पुनर्वित्त) में 1% बिन्दु की कमी।

(iii) 180 दिनों तक के लदान पूर्व निर्यात ऋण की ब्याज दरों को 30 अप्रैल, 1998 से 12% से घटाकर 11% करना।

बैंक दर में 1% बिन्दु की कमी किए जाने के अनुकरण के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने भी अपनी मूल ब्याज दरें कम कर दी हैं।

एस. ई. सी. एल. द्वारा भूमि अधिग्रहण

1606. श्री पुन्नुलाल मोहले : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस. ई. एस. एल., बिलासपुर, (मध्य प्रदेश) ने बिलासपुर के लिए तेलवाडी, भेजीनारा, सिंहाली और मकतीपुर क्षेत्रों तथा अम्बिकापुर के विश्रामपुर क्षेत्र में कोयला खनन के लिए भूमि पट्टे पर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कंपनी ने उन भू-स्वामियों के साथ जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया था, मुआवजा देने और रोजगार देने का करार किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कंपनी ने उक्त करार का उल्लंघन किया है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी यह माना है कि कंपनी द्वारा करार का उल्लंघन किया गया है;

(ड) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(च) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) एम. ई. सी. एल. ने बिलासपुर के ग्राम धेलवाडी (न कि तेलवाडी),

भेजीनारा और मनिकपुर (न कि मकतीपुर) तथा अम्बिकापुर के बिश्रामपुर में कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहीत की है।

(ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एस. ई. सी. एल. और भू-स्वामियों के बीच ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) से (च) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

राज्य सरकारों द्वारा बाजार से ऋण

1607. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों द्वारा बाजार से ऋण लेने की योजनाओं में और अधिक लचीलापन लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकारों ने बाजार से कुल कितना ऋण लिया; और

(घ) बाजार से ऋण लेने की योजनाओं में और अधिक लचीलापन लाने से राज्य सरकारों को किस हद तक मदद मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) ऋण लेने के लचीले रुख के तहत राज्य सरकारों को 1998-99 के राजस्व वर्ष के लिए अलग-अलग राज्यों को वैकल्पिक आधार पर निर्धारित राशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत और अधिकतम 35 प्रतिशत जुटाने का विकल्प रखा जाएगा।

(ग) वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा लिया गया कुल ऋण निम्नवत है :

वर्ष	करोड़ रुपए में राशि
1996-97	6,536
1997-98	7,749

(घ) बाजार से ऋण लेने की योजनाओं में लचीलेपन की वजह से राज्य सरकारों को दूसरी बातों के साथ-साथ समय, ब्याज और परिपक्वता के संबंध में आजादी मिलेगी।

विशाखापत्तनम में लुम्बिनी-98 उत्सव

1608. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने 11 मार्च, 1998 को विशाखापत्तनम के नजदीक बौद्ध स्थलों पर तीन दिन का लुम्बिनी उत्सव आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग द्वारा आन्ध्र प्रदेश में बौद्ध-दाय स्थलों की पर्यटन क्षमताओं के विकास की समस्याएं और संभावनाएं, पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य में 17 बौद्ध स्थलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बौद्ध स्मारकों के रूप में पता लगाया गया है जो कि उत्तर तटवर्ती आंध्र प्रदेश में स्थित है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार विशाखापत्तनम क्षेत्र में और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए इन स्थलों को पर्यटन केन्द्र बनाने के बारे में सोच रही है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए कब तक सहायता दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) पर्यटक स्थलों की पहचान और उनका विकास करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने आंध प्रदेश में विभिन्न बौद्ध स्थलों के विकास के लिए धन प्रदान किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्रम सं.	परियोजना	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1.	हुसैन सागर में जलक्रीड़ा उपकरण	26.00
2.	लुम्बिनी उत्सव	1.25
3.	नागार्जुनसागर के लिए लांचें	75.00
4.	नागार्जुनसागर में यात्री निवास	35.00
5.	अराकू में हाई मास्ट लाइटिंग	8.70

वृक्षारोपण कंपनियों को कारण बताओ नोटिस

1609. श्री एस. एस. ओवेशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कतिपय वृक्षारोपण कंपनियों को जनता से भारी धनराशि एकत्रित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों ने सेबी द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों को उनके लेखाओं को लेखा-परीक्षण के लिए प्राप्त करने में सहयोग देने से इंकार किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इन वृक्षारोपण कंपनियों ने जनता से कुल कितनी धनराशि एकत्रित की है और जनता के पैसे की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सेबी ने सूचित किया है कि निम्नलिखित 11 कंपनियों को एक "कारण बताओ" नोटिस जारी किया गया है जो विशेष अंकेक्षण के लिए अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही हैं :

(i) हेलिओस प्लांटेशन एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड
(ii) ऐरो ग्लोबल एग्रोटैक लिमिटेड
(iii) डी. एस. जे. एग्रोटैक लिमिटेड
(iv) विजेता एग्रो फार्म्स इंडिया लिमिटेड
(v) पगोडा फारेस्ट्स लिमिटेड
(vi) ग्रीन गोल्ड होर्टीकल्चर लिमिटेड
(vii) सुरभि फारेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
(viii) वसुंधरा मान प्रोडक्ट्स लिमिटेड
(ix) एस. पी. जी. ग्रीन गोल्ड प्लांटेशन्स लिमिटेड
(x) एडवांटेज एग्रो इंडिया लिमिटेड
(xi) यंग फार्मर्स फारेस्ट्स लिमिटेड

(घ) सेबी ने सेबी अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अंतर्गत इन कंपनियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ङ) 31 मार्च, 1998 तक सेबी के पास प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, 478 प्लांटेशन कंपनियों द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई गई है। सरकार ने सामूहिक निवेश योजनाओं, जिनमें प्लांटेशन कंपनियों द्वारा जारी प्रपत्र शामिल हैं, को नियमित करने के लिए सेबी को आदेश दिए हैं।

हथकरघा वस्त्र उद्योग का विकास

1610. श्री टी. गोविन्दन :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हथकरघा वस्त्र उद्योग के और विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हथकरघा उद्योग में लगे उद्यमियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दी जाने वाली सहायता का राज्य-वार विवरण क्या है; और

(घ) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के नाम क्या हैं, पिछले वर्ष ऐसी प्रत्येक योजना के लिए किय गया बजटीय प्रावधान क्या था तथा इस संबंध में वास्तविक व्यय कितना था ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। हथकरघा वस्त्र उद्योग के विकास को उन्नत करने के लिए अपेक्षा के आधार पर समय-समय पर अध्ययन किये जाते हैं। अभी हाल ही के अध्ययनों जिनमें विपणन विकास सहायता योजना और हथकरघा विकास केन्द्र योजना के अध्ययन शामिल हैं।

(ग) हथकरघा बुनकरों के कुशल उन्नयन हेतु विपणन आधारभूत सहायता तथा तकनीकी जानकारी आदि के लिए सहायता का प्रावधान सामान्यतः राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। आबंटन राज्यवार नहीं परंतु योजनावार है।

(घ) 1997-98 के दौरान जारी राशि तथा योजनावार बजटीय प्रावधान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1997-98 के दौरान जारी राशि तथा योजनावार बजटीय प्रावधान विवरण में दर्शाया गया है

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं.	योजना का नाम	1997-98 में बजटीय प्रावधान	1997-98 में जारी राशि
1.	मिल गेट मूल्य योजना	300.00	300.00
2.	कार्यशाला-सह-आवास योजना	1302.00	1302.00
3.	पी. पी. एस./आई. एच. वी. डी./एच. डी. सी. क्यू. डी. यू./एम. एम. डी. डब्ल्यू.	4380.00	4397.00
4.	समूह बीमा योजना	125.00	39.61
5.	स्वास्थ्य पैकेज योजना	300.00	281.09
6.	थ्रिफ्ट फंड योजना	300.00	390.48
7.	राज्य सरकारों को ऋण	600.00	600.00
8.	हथकरघा हेतु नई बीमा योजना	50.00	36.27
9.	विपणन विकास सहायता योजना	3550.00	3409.65
10.	जनता कपड़ा योजना	2800.00	2459.18
11.	हैंक यार्न योजना	14.00	12.13

"नाबार्ड"

1611. श्री संदीपान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने कृषक समुदाय की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और विशेष रूप से महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1998–99 तथा नौवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित कौन–कौन सी नई परियोजनाएं हैं; और

(घ) 1998–99 के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र में नाबार्ड के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए नीति संबंधी नई पहल का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर मंत्रालय, **लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य–वार एक विस्तृत ऋण योजना तैयार की है जिसमें कृषि, सम्बद्ध और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाया गया है। योजना पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त होगी और उसमें बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य, नई गतिविधियां और सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष अद्यतन/संशोधन किया जाएगा। महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1998–99 के लिए ऐसी योजना का क्षेत्रवार/गतिविधि संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र/गतिविधि	ऋण के लिए सम्भाव्य
कृषि	3579
सम्बद्ध कार्यकलाप	643
गैर–कृषि क्षेत्र	1126
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	669
	6017

(ग) और (घ) नाबार्ड ने गैर–पारम्परिक क्षेत्रों की पहचान की है जिनकी 1998–99 वर्ष के दौरान और साथ ही नौवीं योजना अवधि के दौरान नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए पर्याप्त सम्भाव्यता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं : कृषि संसाधन इकाई/मूल्य आधारित उत्पादों के विनिर्माण हेतु इकाइयां, बागवानी उत्पाद करने के लिए पूर्व–प्रशीतक इकाइयां, कुकुरमुत्ता उत्पादन, रेशम उत्पादन, पुष्पोत्पादन, काजू, ताड का तेल और रबड़ की खेती।

महाराष्ट्र में अपने कार्यनिष्पादनों को सुधारने के लिए नाबार्ड ने नई पहल की है। उनमें कुछ निम्नलिखित हैं :

(i) सभी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता में (1997–98) के 332.61 करोड़ रुपए से (1998–99) 390.9 करोड़ रुपए की वृद्धि।

(ii) सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) को अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता के अन्तर्गत 156.5 करोड़ रुपए (97–98) की सीमा की तुलना में 1998–99 के दौरान 187 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा।

(iii) ग्रामीण मूलभूत विकास निधि सहायता से सृजित हुई मूलभूत सुविधा से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देना;

(iv) ग्रामीण गोदामों, बाजार केन्द्रों, जैविक–खाद आदि के निर्माण के लिए योजनाओं को प्राथमिकता देना।

(v) छोटे/सीमांतक किसानों और ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों को लाभ देने वाली योजनाओं और आई. आर. डी. पी., पी. एम. आर. वाई. आदि जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना।

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य योजनाओं और विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों के लिए तैयार की गई अन्य योजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता देना।

कोल इंडिया लि. का कार्य निष्पादन

1612. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के मुकाबले वर्ष 1997–98 के दौरान कोल इंडिया लि. एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों का कार्य–निष्पादन क्या रहा है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/विदेशों से प्राप्त तकनीकी/वित्तीय सहायता से चलाई जा रही नई परियोजनाओं का कार्य–निष्पादन कैसा रहा है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कितनी राशि के विदेशी ऋणों एवं अनुदानों का उपयोग किया गया और सरकारी उपक्रमों द्वारा परियोजना–वार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ग) आठवीं योजना के दौरान अब तक कुल कितनी वित्तीय/तकनीकी सहायता का उपयोग किया गया तथा कोल इंडिया लि. को 1998–99 और नौवीं योजना के दौरान चल रही/नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित स्वीकृत निधि/दी जाने वाली निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 1998–99 और नौवीं योजना में कोयला क्षेत्र में निजी निवेश और निजीकरण की क्या भूमिका है; और

(ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा लागत में कमी की जाने संबंधी प्रयास का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक अनुषंगी कंपनियों की क्या उपलब्धि रही और चालू वर्ष में कोल इंडिया लि. के लिए लागत में कमी करने संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) तथा इसकी सहायक कंपनियों का कार्य–निष्पादन नीचे दिया गया है। वर्ष 1997–98 के संबंध में लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(वर्ष के दौरान लाभ/हानि)

(करोड़ रु. में)

कंपनी	1995–96	1996–97
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईकोलि)	154.67	(–) 341.15
भारत कोकिंग कोल लि. (भाकोकोलि)	102.26	(–) 322.81
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सेकोलि)	(–) 1.43	(–) 15.52
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (नाकोलि)	179.47	(+) 728.65
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वेकोलि)	98.59	(+) 525.21
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (साईकोलि)	76.96	(+) 580.72
महानदी कोलफील्ड्स लि. (मकोलि)	24.75	(+) 326.65
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (केखाआडिसंलि)	3.37	(+) 2.91
कोल इंडिया लि. (कोईलि)	(–) 27.20	(+) 442.06
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (नाईको)		
समग्र कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.)	(+) 611.44	(+) 1137.42

(ख) और (ग) वाहित सूचना क्रमशः विवरण–I तथा II में दी गई है।

(घ) विद्युत उत्पादन, लौह एवं इस्पात उत्पादन तथा सीमेंट उत्पादन हेतु राज्य विद्युत उपयोगिताओं सहित सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों की कंपनियों को गृहीत कोयला खनन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि निवेश का निर्णय निजी पार्टियों द्वारा लिया जाता है अतः इसे परिमाणित किया जाना संभव नहीं है।

(ङ) कोयला कंपनियों का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्पादन में वृद्धि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से श्रमशक्ति के युक्तिकरण, क्षमता उपयोगिता में सुधार किए जाने के माध्यम से उत्पादन की प्रति यूनिट लागत को मुद्रा–स्फीति दर के भीतर रखे जाने के द्वारा इसमें कमी की जाए और यह एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयले के उत्पादन की लागत, भारत कोकिंग कोल लि. (भाकोकोलि) तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सेकोलि) को छोड़कर पिछले तीन वर्षों में स्फीति दर के भीतर रही है। द्वितीय, लागत में कमी के एक उपाय के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वी. आर. एस. के माध्यम से भत्तों की लागत में कमी की गई है। वर्ष 1997–98 के दौरान ई. को. लि. में 1231 व्यक्ति तथा भा. को. को. लि. 3081 व्यक्तियों ने इन योजनाओं को अपनाया। इन दो कम्पनियों ने इस प्रकार की कटौतियों का प्रभाव लगभग 43 करोड़ रु. प्रतिवर्ष रहा है। 1998–99 में ई. को. लि. और भा. को. को. लि., प्रत्येक में 3800 व्यक्तियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से छंटनी करके श्रमशक्ति में कटौती किए जाने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। लागत में कटौती हेतु हाल ही में किए गए उपाय वर्ष 1998–99 के दौरान भी जारी रहेंगे। चालू वर्ष में इनसे पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव को चालू वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् 1998–99 में, जाना जा सकेगा।

विवरण-I

अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा वित्त-पोषित पर्यावरणीय तथा सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना (ई. एम. एस. पी.)

(आंकड़े मिलियन रु. में)

(i)	वर्ष 1996-87 से 2001-02 की अवधि हेतु पर्यावरणीय एवं सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना की कुल परियोजना लागत	2913.50
(ii)	मार्च, 1998 तक किया गया वास्तविक व्यय	156.50
(iii)	नौवीं योजनावधि हेतु परियोजना लागत	2757.00
(iv)	1998-99 के दौरान संभावित निधि की उपलब्धता	850.40

विदेशी सहायता परियोजना/तकनीकी/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले देश के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	परियोजना/देश का नाम जिसके द्वारा तकनीकी सहायता तथा अथवा ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया गया	उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता	सहायता की मात्रा	पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् 1995-96 से 1997-98) उपयोग में लाए गए ऋण/अनुदान	टिप्पणी
	1	2	3	4	5
1.	फ्रांस से ई.को.लि. में कोट्टाडीह मू. ग. परियोजना	ऋण	एफ.आर.एफ. 233.709 मिलियन	एफ. आर. एफ. 14.743 मि.	यह परियोजना अगस्त, 95 में पूरी कर ली गई थी। तीसरे फेस में विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाने के कारण वर्तमान में कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है।
2.	फ्रांस से ई. को. लि. के बुरधिरमो प्रशिक्षण केन्द्र	अनुदान/ऋण	एफ. आर. एफ. 3.944 मि. एफ. आर. एफ. 6.158 मि.	एफ. आर. एफ. 0.634 मि.	प्रशिक्षण केन्द्र 1995 में चालू किया गया था।
3.	फ्रांस से कोयले के ब्रिकेटिंग का व्यवहार्यता अध्ययन	अनुदान	एफ. आर. एफ. 1.20 मि.	एफ. आर. एफ. 1.20 मि. अ. डालर	व्यवहार्यता रिपोर्ट वर्ष 1995 में प्रस्तुत कर दी गई।
4.	चीन से सा. ई. को. लि. की 4 परियोजनाओं नामतः बलरामपुर परियोजना, राजेन्द्र परियोजना, न्यू केंडा परियोजना, चुरचा वेस्ट परियोजना में पी. एस. डब्ल्यू. एफ. का आरंभ	चार परियोजनाओं हेतु अनुबंध मूल्य के 85% के लिए चीनी बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया वाणिज्यिक ऋण 27.766 मि. अमरीकी डालर	6.181 मि. अमरिकी डालर 7.113 मि. अमरिकी डालर 6.181 मि. अमरिकी डालर 8.291 मि. अमरिकी डालर	6.181 मि. अ. डालर 7.118 मि. अ. डालर 6.181 मि. अ. डालर	चार अनुबंधों पर सितंबर 95 में हस्ताक्षर किए गए। उत्पादन बलरामपुर में मई 1998 में आरंभ हुआ। राजेन्द्र और न्यू केंडा से उत्पादन जुलाई तथा अगस्त, 98 में आरंभ हो जाना निश्चित हुआ है। हार्ड एफ नियंत्रण तकनीक हेतु डी. जी. एम. एस. अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण, चरणबद्ध हेतु अनुबंध को अभी मूल रूप नहीं दिया जा सका है।
5.	यू. के. से सा. ई. को. लि. के पूर्व-चुरचा वेस्ट उपकरणों का पुनर्नवीनीकरण	अनुदान	5.525 मि. पाउंड स्टर्लिंग	4.425 मि. पाउंड स्टर्लिंग	पुनर्नवीनीकृत उपकरणों को शीघ्र ही आरंभ किए जाने की संभावना है।
6.	आस्ट्रेलिया से सैं. को लि. की पिपरणर खान-सह-परिष्करण परियोजना	ऋण	206.6 मि. अ. डालर	21.137 मि. अ. डालर	खान तथा सी. एच. पी./ सी. पी. पी. पूर्ण किए जा चुके हैं।

विवरण-II

परियोजना का नाम	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–93 से 1996–97 के दौरान उपयोग की गई कुल वित्तीय/तकनीकी सहायता	चालू/नई परियोजनाओं हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा 1998–99 के दौरान को. इं. लि. को उपलब्ध कराए जाने वाली संभावित निधियां
1. कोटाडीह भूग, ई. को. लि.	एफ. आर. एफ. 233.744 मिलियन	पूर्ण परियोजना
2. मूराधेमो प्रशिक्षण केन्द्र, ई. को. लि.	एफ. आर. एफ. 4.802 मिलियन	पूर्ण परियोजना
3. पिपरवार परियोजना, से. को. लि.	137.351 मिलियन आस्ट्रेलियन डालर	पूर्ण परियोजना
4. राजमहल परियोजना, ई. को. लि.	17.701 मिलियन अमरीकी डालर	पूर्ण परियोजना
5. कोयले की ब्रिकेटिंग व्यवहार्यता अध्ययन	एफ. आर. एफ. 1.20 मिलियन	पूर्ण परियोजना
6. साईकोलि हेतु पी. एस. एल. डब्ल्यू. उपकरणों के चार सेटों की आपूर्ति	19.475 मिलियन अमरीकी डालर	8.291 मिलियन अमरीकी डालर
7. चुर्चा वेस्ट पी. एस. एल. डब्ल्यू. उपकरणों का पुनर्नवीनीकरण	4.125 पौंड स्टर्लिंग मिलियन (1997–98 में प्रयुक्त)	1998–99 में उपयोग किए जाने वाले 0.40 मिलियन पौंड स्टर्लिंग
8. चार हाइड्रोलिक शावेत को उपलब्ध करना		एफ. आर. एफ. 17.678 मिलियन
9. कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी. एस. आर. पी.) 1.06 बिलियन अमरीकी डालर	शून्य	959.63 करोड रु. 1998–99 के दौरान उपलब्ध होने की संभावना 3372 करोड़ रु. नौवीं योजना के दौरान व्यय किए जाने की संभावना

सा. ई. को. लि. के निम्नलिखित चार खानों के संबंध में प्रत्येक खान के सामने दर्शाये गए 50% उपकरण लागत (अनंतिम) संभरक ऋण के मार्फत से उपलब्ध होंगे

परियोजना		आयातित (मिलियन डालर में)	उपकरण लागत घरेलू (मिलियन रुपए में)
1.	कपिलधारा*	6.174	2.200
2.	विंध्या	7.841	—
3.	पिन्नौरा**	4.998	96.877
4.	चिनमिन	7.712	—

*कपिलधारा के मामले में देसी उपकरण की लागत को संभरक ऋण में शामिल नहीं किया गया है।

**पिन्नौरा हेतु संभरक ऋण भारतीय रुपए में प्राप्त किए जाएंगे।

कम्पनियों द्वारा निधियों का दुरुपयोग

1613. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1992 से मार्च, 1996 तक कितनी कम्पनियों ने अपने पब्लिक इश्यूज़ जारी किए लेकिन अपने इश्यूज सूचीबद्ध नहीं करवा सके;

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियां बन्द हो चुकी हैं; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी सूचीबद्ध कम्पनियों के खिलाफ अपने पब्लिक/राइट्ज इश्यूज़ के समय दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए धनराशि उपयोग न करने और धनराशि का दुरुपयोग करने के खिलाफ कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) सेबी ने सूचित किया है कि वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान ऐसी 84 कम्पनियां थीं, जिन्होंने बाजार में प्रवेश किया और जहां धनराशि वापस की गई।

(ख) सेबो द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर

1614. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को रियायती दरों पर लघु निवेशकों को देने के संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ख) उन सरकारी उपक्रमों का स्वरूप और ब्यौरा क्या है जिन्हें लघु निवेशकों को रियायती दरों पर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने सिद्धान्ततः सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के शेयरों की पेशकश करने का निर्णय लिया है, जिनमें छोटे निवेशकों के लिए सरकारी इक्विटी का विनिवेश बट्टे पर होता है। पेशकश के ब्यौरे प्रचलित बाजार परस्थितियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नए शेयर जारी करने की अपनी योजना और अन्य घटकों के संदर्भ में संगत समय पर परिकलित किए जाने हैं।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा भूमि का उपयोग

1615. श्री राम टहल चौधरी :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची अपने द्वारा अर्जित भूमि का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसानों से अर्जित की गई अतिशेष भूमि को उन्हें लौटाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस भूमि को निजी व्यक्तियों को लौटाने का प्रयास कर रही है जो न्यायोचित नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या स्पष्टीकरण है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की 6883.34 एकड़ भूमि में से 4138.08 एकड़ भूमि को पूरी तरह से विकिसत कर लिया गया है और उपयोग में लाया गया है, 1642.87 एकड़ भूमि को भविष्य की योजनाओं के लिए रख लिया गया है और शेष को नगर–आयोजन (टाउन प्लानिंग) के अनुसार खुले मैदान के लिए छोड़ दिया गया है।

(ग) से (च) जी, नहीं।

[अनुवाद]

अलपूजाह नेहरू ट्राफी नौका दौड़

1616. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में होने वाली अलपूजाह नेहरू ट्राफी नौका दौड़ जो कि एक अद्वितीय खेल है और इसमें पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में एक व्यापक अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996–97 में अलपूजाह नेहरू ट्राफी नौका दौड़ के आयोजन के लिए केरल राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 5 लाख रु. स्वीकृत किए। देश के अन्य भागों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ–साथ ब्रोशरों के वितरण, सीधी डाक सेवा, विज्ञापनों और प्रसिद्ध टुअरों (फेम टुअर्स) के माध्यम से विदेश के मुख्य बाजारों में भी इसका संवर्धन किया जाता है।

[हिन्दी]

एफ. डी. आई. संबंधी प्रक्रिया

1617. श्री राम पाल सिंह :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के उद्योगपतियों ने प्रसारण क्षेत्र में निवेश संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के वास्ते केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। संयुक्त राज्य अमरीका के उद्योगपतियों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की निवेश सीमा

1618. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री चमन लाल गुप्त

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की निवेश सीमा 3 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए मदों के आरक्षण को जारी रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जी, हां। प्रधानमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 29 अप्रैल, 1998 को घोषणा की थी कि लघु उद्योगों के लिये निवेश की सीमा को 3 करोड़ रुपये से घटाकर 1 करोड़ रु. किया जायेगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के आधार पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

(ख) और (ग) लघु उद्योग के बहुत से संघों द्वारा निवेश की अधिकतम सीमा को कम करने की मांग की जाती रही है क्योंकि उन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के नये खण्ड द्वारा ऋण को दरकिनार करने तथा उससे प्रतियोगिता की आशंका थी।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार की आरक्षण नीति जारी रहेगी। तथापि, प्रचलित आर्थिक तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुये आरक्षित मद सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के पास लंबित पड़े मृत्युदावों के मामले

1619. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास तीन वर्षों से अधिक से निपटान के लिए लम्बित पड़े हुए मृत्युदावों के मामलों की जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उसके पास दि. 31.3.98 की स्थिति के अनुसार तीन वर्षों से अधिक से निपटान के लिए लम्बित पड़े हुए मृत्युदावों के मामलों की कुल संख्या 917 है। अंचलवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	अंचल का नाम	मामले
1.	उत्तरी	44
2.	उत्तर केन्द्रीय	122
3.	केन्द्रीय	2
4.	दक्षिणी	29
5.	दक्षिण-केन्द्रीय	117
6.	पूर्वी	72
7.	पश्चिमी	471
	जोड़	917

(ख) ऐसे दावों के निपटान में विलम्ब के कारण साधारणतया दावाकर्ताओं से अपेक्षित जानकारी का प्राप्त न होना, पालिसी धनराशियों के शीर्षक के संबंध में कानूनी विवाद, दावाकर्ता का अद्यतन पता उपलब्ध न होना, पूर्व पेश किए दावों की जांच-पड़ताल आदि हैं।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम की एक नियमित अनुवर्ती व्यवस्था है जिसमें प्रभागीय कार्यालयों प्रबन्धक (दावा) और विपणन प्रबन्धकों द्वारा और आंचलिक कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रबन्धक (विपणन) द्वारा लम्बित मामलों पर कार्रवाई की जाती है। यह अनुवर्ती कार्यवाही आवधिक अन्तरालों पर दावाकर्ता से पत्र-व्यवहार के माध्यम द्वारा तथा जहां आवश्यक हो, वहां वैयक्तिक सम्पर्क द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा अधिकारियों के जरिए की जाती है ताकि दावाकर्ताओं को दावा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का ध्यान आर्थिक मापदंडों पर

1620. डॉ. असीम बाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक आय घोषणा योजना की सफलता के बाद केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आर्थिक मापदण्डों संबंधी योजना को एक लाभकारी मुहिम बनाते हुए इस ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वित्त वर्ष के दौरान 30 लाख नये करदाताओं को शामिल करने के लक्ष्य वाली यह योजना 28 फरवरी को समाप्त हो गयी;

(घ) क्या नये निर्धारितियों को आयकर सीमा में लाने और कर आधार को व्यापक बनाने के लिए इस योजना को देश के 12 प्रमुख नगरों में लागू किया जाना था; और

(ङ) यदि हां, तो यह योजना कितनी सफल रही ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। आर्थिक मानदण्डों संबंधी योजना का मूल उद्देश्य आयकर दाताओं को आय की विवरणियां दायर करने के संबंध में एक दायित्व सौंपना है और इससे कर आधार व्यापक बनाना है। इस योजना का मूल अनुमान यह है कि निर्धारित आर्थिक मानदण्डों को पूरा करने वाले कोई भी व्यक्ति के पास या तो कराधेय आय होनी अथवा उसे एक संभावित करदाता होना चाहिए। उक्त से न केवल कर–दाताओं की संख्या में वृद्धि होने, बल्कि अतिरिक्त राजस्व भी जुटाने की आशा की जाती है।

(ग) से (ङ) आर्थिक मानदण्ड संबंधी योजना, जिसका लक्ष्य नए और संभावित कर–दाताओं को शामिल करना था, का उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना था। यह योजना प्रथमतया 12 बड़े शहरों तथा उनकी शहरी बस्तियों में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जिस प्रथम वर्ष के संबंध में विवरणी दायर की जानी थी, वह कर–निर्धारण वर्ष 1997–98 था और इस वर्ष के लिए अन्तिम तारीख 28 फरवरी, 1998 थी। इस वर्ष में दायर की गई विवरणियों की संख्या में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में लगभग 20% की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई थी।

निर्यात प्रसंस्करण जोन

1621. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने निर्यात प्रसंस्करण जोनों की स्थापना की गई है;

(ख) ये निर्यात प्रसंस्करण जोन राज्य–वार कहां–कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कुछ निर्यात प्रसंस्करण जोनों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन निर्यात प्रसंस्करण जोनों की स्थापना किन–किन राज्यों में की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) देश में कार्य कर रहे सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई. पी. जेड.) कांडला (गुजरात), मुम्बई (महाराष्ट्र) नोएडा, (उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु) कोचीन (केरल), फाल्टा (प. बंगाल) और विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित हैं।

(ग) और (घ) निधियों की उपलब्धता और मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को ईष्टतम बनाए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश में नए क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए इस समय केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अब राज्य सरकारों या संयुक्त/निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

बंद पड़ी कोयला खानों को पुनः चालू करना

1622. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लि. की बंद पड़ी कोयला खानों को पुनः चालू करने का है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोल इंडिया लि. की उन कोयला खानों के क्या नाम हैं जो राष्ट्रीयकरण के समय से 31.3.1998 तक बंद पड़ी थीं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रौद्योगिकी–आर्थिक रूप से विचार करने के बाद कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) खानों को खोलने तथा बंद करने का निर्णय लेती है। वर्तमान में को. इं. लि. का उन खानों को खोलने का कोई विचार नहीं है, जिन्हें निम्नलिखित कारणों से बंद कर दिया गया था : खनन योग्य भण्डारों की समाप्ति, कठिन भू–गर्भीय खनन परिस्थितियां, प्रौद्योगिकी–आर्थिक अव्यवहार्यता और सुरक्षा। को. इं. लि. की कई कोयला खानों, जिन्हें भंडारों के समाप्त होने से भिन्न कारणों से बंद किया गया, को बाद में पुनः खोल दिया गया अथवा उन्हें समीपस्थ कोयला खानों के साथ मिला दिया गया।

(ग) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से 31.3.1998 तक को. इं. लि. की बंद पड़ी कोयला खानों के नाम विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

1. संकतोडिया
2. ईस्ट जमेहारी
3. रत्तीबत्ती 5 और 6
4. के. एल. एस. छल्लबलपुर
5. छल्लबलपुर खास
6. न्यू जमेहारीखास
7. पूरे सिरसोल
8. दमोदा
9. सीतलदास
10. बेलरुडीसेरगढ

11. नार्थ ब्राक
12. गोगला/एडज्वाय बैंक
13. मंडेरबोनी 1, 2 और 4
14. देओली
15. बी. धेमो/रामजीबनपुर
16. बैंकसिमुलिया 7 और 8
17. ब्राइट्स राणा
18. मधुसुदनपुर 1 और 2
19. सेंट्रल जमूरिया
20. नाबाकजोरा/घनश्याम
21. जोते जानकी
22. रत्तीबत्ती ओ. का.
23. पुरुषोत्तमपुर ओ. का.
24. निमचा ओ. का.
25. शिबपुर ओ. का.
26. महाबीर ओ. का.
27. न्यू/सेंट्रल सतग्राम
28. अलकुशा गोपालपुर ओ. का.
29. बेनाली
30. केंडा/दोबराना ओ. का.
31. दरुला
32. कृष्णानगर
33. शीतलपुर
34. शकरपुर
35. गिरीमिंट
36. राणा
37. महाबीर
38. कंकतल्ला 1 और 2
39. तारा
40. घंडाडीह ओ. का.
41. बरमुंडिया
42. दबोर ओ. का.
43. गंगाराम चक
44. पोईडीह ओ. का.
45. रानीपुर
46. दलूरबंद ओ. का.
47. पलासथली
48. चापापुर–1
49. बदजना/पुसई ओ. का.
50. कपासरा ओ. का.
51. लालमटिया भू. ग.
52. लालमटिया ओ. का.
53. श्यामपुर–ए
54. डालमिया ओ. का.
55. भनोरा
56. डमरा
57. संग्रामगढ़ ओ. का.

भारत कोकिंग कोल लि.

1. मुरलीडीह
2. बेरा ओ. का.
3. ईना
4. बसदेवपुर ओ. का.
5. लक्ष्मी ओ. का.
6. तसरा ओ. का.
7. झूनकुंडर ओ. का.
8. विक्टोरिया
9. कनकनी
10. केंदुआडीह
11. धर्माबंद
12. साउथ तिसरा
13. कुजमा
14. गैसलीटांड
15. भूरुंगिया
16. तेतूरिया

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

1. दोमनारा ओ. का.

2. बूरहर नं. 3
3. रुंग्टा
4. नार्थ डाकराखंड
5. बुरहर नं. 1
6. पूरे चिरीमिरी
7. कोरबा 1 और 2
8. कोरबा 3 और 4
9. चचई ओ. का.
10. बंकी 5 और 6
11. जरवाही ओ. का.
12. न्यू झीमर
13. बंकी 7 और 8
14. एस. डाकराखंड–ओल्ड
15. रामनगर
16. झिमर ओल्ड
17. राजगमर 8 और 9

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

1. बरकुही भू. ग.
2. बरकुही वेस्ट. भू. ग.
3. भमोरी झंताछापा
4. डटला ईस्ट भू. ग.
5. डटला वेस्ट
6. धाओ
7. शिबपुर ओ. का.
8. घोरावरी हिरदागर
9. घोरावरी कलान
10. वल्लारपुर ओ. का.
11. कालीचापर
12. न्यूटन चिकली
13. एन. चंदामेट्टा
14. नंदोरा
15. सिगाल घोघरी
16. नकोदा ओ. का.
17. सास्ती पिट
18. वल्लारपुर 1 और 2
19. रोबर्टसन इन्क./बेलब्रोरा, इन्क./घुघुस
20. कुम्दा ओ. का.
21. न्यू माजरी नं. 1
22. धुपताला ओ. का.
23. शिबपुरी–2 ओ. का.
24. तरोदा ओ. का.
25. सेतिया ओ. का.
26. बेल्लोरा ओ. का.
27. एन. धुपताला आर. आर. आर. ओ. का.
28. राखीकोले
29. चिकलमऊ
30. उमरेर
31. सतपुरा–1 भू. ग.
32. सुकरी भू. ग.
33. चिंचोली भू. ग.

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.

1. सेमरा
2. पकरी बरवाडीह
3. सुगई ओ. का.
4. पूरे धोरी
5. मईल भू. ग.
6. चलकारी
7. करकट्टा
8. धोदीडीह
9. गिडहानिया
10. राऊता

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.

1. गोरबी

परिमाणात्मक प्रतिबंध

1623. श्री के. पी. नायडू :
प्रो. पी. जे. कुरियन :
श्री सी. डी. गामीत :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका परिमाणात्मक प्रतिबंधों को दूर करने के लिए सहमत हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका

पहले जेनेवा में एक अनौपचारिक सरकारी स्तर की वार्ता में प्रतिबंधों को हटाने के एक छहवर्षीय कार्यक्रम पर सहमत हो गए थे;

(ग) यदि हां, तो यह सहमति किस हद तक हुई थी; और

(घ) भारत इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका को किस हद तक संतुष्ट कर सका है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारत कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों पर भुगतान संतुलन के उद्देश्यों से लगाए गए सभी अवशिष्ट आयात प्रतिबंधों को 1 अप्रैल, 1997 से शुरू हुयी 6 वर्षों की समय अनुसूची में हटाने के लिए सहमत हुआ है तथा विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत आयोजित औपचारिक द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के दौरान आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, न्यूजीलैंड तथा स्विट्जरलैंड के साथ-साथ जापान जो कि विवाद का अन्य पक्ष था, के साथ पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान निकाल लिया गया था। केवल संयुक्त राज्य के साथ कोई समाधान नहीं निकाला जा सका तथा इसके अनुरोध पर अमरीका के इस आरोप की जांच करने के लिए विश्व व्यापार संगठन में एक विवाद निपटान पेनल का गठन किया गया है कि भारत द्वारा आयातों पर निरंतर मात्रात्मक प्रतिबंध बनाए रखना डब्ल्यू. टी. ओ. करारों के अंतर्गत भारत के दायित्वों के अनुरूप नहीं है।

औद्योगिक एककों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन

1624. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं, जिन्हें आई. डी. बी. आई., आई. सी. आई. सी. आई. और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा देश के चार जोनों में 25 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का ऋण दिया गया है;

(ख) ये औद्योगिक एकक कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक औद्योगिक एकक को कितनी धन राशि प्रदान की गई है;

(ग) ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करने वाले एककों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ चूककर्ताओं को पुनः कोई धनराशि प्रदान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि प्रदान की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(च) यह ऋण किन मानदंडों और नीति के अंतर्गत दिए गए थे; और

(छ) चूककर्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (छ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय वित्तीय संस्थाओं* द्वारा दिनांक 31.03.1997 की स्थिति के अनुसार दी गई सहायता की 25 करोड़ रु. की बकाया राशि का अंचल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, बैंक में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधिओं के उपबंधों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसरण में, अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती है। मार्च, 1997 के अंत की स्थिति के अनुसार इन वित्तीय संस्थाओं का कुल बकाया 885 करोड़ रु. था जो 43,236.5 करोड़ रु. के कुल बकाया ऋण का 2 प्रतिशत है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधि ऋण आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय रूप से अर्थक्षम तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को मंजूर किया जाता है। वित्तीय अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने संबंधी महत्त्वपूर्ण पैरामीटरों में ये शामिल हैं : ऋण इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, आंतरिक वापसी दर आदि प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता इसकी तुलनात्मक लागत, उत्पाद की गुणवत्ता आदि के कोण से तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही प्रस्तावित उत्पादों के संबंध में वाणिज्यिक अर्थक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और परियोजना के आर्थिक औचित्य की जांच की जाती है।

आई. डी. बी. आई. ने आगे सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुक्रम में आस्तियों को मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों को अनुपयोज्य आस्तियां कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना देने के संबंध में 23 अप्रैल, 1994 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन उधार खातों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक को देने जिन्हें 1 करोड़ रु. या अधिक के बकाया (निधिबद्ध और गैर-निधिबद्ध दोनों) वाले संदिग्ध, हानि वाले या मुकदमा दायर खाते के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में इस सूचना को परिचालित करने की व्यवस्था है जिसका वे वर्तमान या नए ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त ऋण सीमाओं के लिए अनुरोध पर गुणावगुण के आधार पर विचार करते समय उपयोग कर सकते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के शीघ्र न्याय निर्णयन और वसूली को सुकर बनाने के लिए सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया है।

*शामिल की गई वित्तीय संस्थाएं हैं-आई. डी. बी. आई./आई. सी. आई. सी. आई., आई. एफ. सी. आई. और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आई. आई. बी. आई.)।

विवरण

दिनांक 31.3.97 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (आई. डी. बी. आई., आई. एफ. सी. आई. तथा आई. आई. बी. आई.) के संबंध में 25 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋण के अंचलवार और राज्यवार ब्यौरे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.डी.बी.आई.		आई.एफ.सी.आई.		आई.सी.आई.सी.आई.		आई.आई.बी.आई.	
	इकाई की सं.	बकाया	इकाई की सं.	बकाया	इकाई की सं.	बकाया	इकाई की सं.	बकाया
पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र								
असम	1	80.36	2	229.78	2	121.90	0	0.00
प. बंगाल	19	1475.15	6	541.28	9	619.73	0	0.00
बिहार	4	514.59	3	149.30	5	259.41	0	0.00
उड़ीसा	6	781.41	6	343.[illegible]	3	199.36	0	0.00
कुल :	30	2851.51	17	[illegible]	19	1200.40	0	0
	14	1232.51	8	212.49	3	136.38	0	0.00
हरियाणा	3	202.96	6	131.84	5	281.89	0	0.00
हि. प्र.	1	25.74	1	37.00	0	0.00	0	0.00
पंजाब	1	31.84	12	514.74	3	139.26	0	0.00
राजस्थान	5	297.37	14	800.69	13	761.98	0	0.00
उ. प्रं.	13	997.86	9	637.61	16	1487.76	0	0.00
चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	1	31.49	0	0.00
जम्मू व कश्मीर	0	0.00	1	10.61	0	0	0	0.00
कुल :	37	2788.28	71	2344.98	41	2838.76	0	0
दक्षिण क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	32	2286.03	13	459.78	17	1087.50	0	0.00
कर्नाटक	11	717.95	11	507.16	12	999.97	0	0.00
केरल	2	144.72	0	0.00	2	118.53	0	0.00
पांडिचेरी	1	31.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
तमिलनाडु	11	673.67	13	792.42	26	1433.96	0	0.00
कुल :	57	3853.40	37	1759.36	57	3639.96	0	0
पश्चिमी क्षेत्र								
दादरा	6	241.60	2	102.96	1	52.62	0	0.00
दीव	1	28.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00
गोवा	1	37.33	0	0.00	3	105.18	0	0.00
गुजरात	40	3977.41	23	1479.99	33	3076.35	0	0.00
म. प्र.	13	676.66	11	646.92	8	802.85	1	19.86
महाराष्ट्र	36	2266.70	21	1460.70	71	4686.54	1	33.35
कुल :	97	7228.29	57	3690.57	116	8723.54	2	53.21
कुल जोड़ :	**221**	**16721.48**	**182**	**10059.05**	**233**	**16402.66**	**2**	**53.21**

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बैंक ऋण

1625. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग केन्द्र सरकार की ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और ऐसे ऋणों की यदि कोई सीमा निर्धारित है, तो क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग लाभान्वित हुए; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य–वार अ. जा./अ. ज. जा. के लोगों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन की कई योजनाएं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालय संचालित करते हैं। ये मंत्रालय, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रशिक्षण, बाजार सुविधा तथा आर्थिक सहायता सहित विभिन्न आवश्यक निविष्टियां उपलब्ध करवाकर योजनाओं का संचालन करती हैं। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऋण से जुड़ी इन योजनाओं में ऋण संघटक प्रदान करें। कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं के आवश्यक ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सूचना संलग्न विवरण–II, III, IV तथा V में दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार योजनाओं का संचालन कर रहे मंत्रालयों ने बैंकों को चालू वर्ष के लक्ष्यों के विषय में नहीं बताया है।

विवरण-I

क्रम सं.	योजना का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ क्रियान्वयन एजेंसी
1	2	3
1.	**प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.)** इस योजना का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के आयु समूह वाले उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यष्टि उद्यमों में निरंतर रोजगार प्रदान करना है जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रु. से अनधिक है और वे हिताधिकारी इस योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं जिनके माता–पिता की आय 24,000 रु. वार्षिक तक है और जो तीन वर्ष से अधिक तक इस क्षेत्र का निवासी रहा हो। जबकि हिताधिकारियों से यह अपेक्षा होगी कि वे मार्जिन मनी के रूप में 5 प्रतिशत लाएं, सरकार 75,000 रु. अधिकतम के अध्यधीन परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से सब्सिडी देगी और 1 लाख रु. तक की परियोजना बैंक से वित्त पाने के लिए पात्र होगी। अ. जा./अ. ज. जा. के लिए 22.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण इस योजना में दिया गया है।	लघु उद्योग और कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग तथा उद्योग मंत्रालय
2.	**समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लघु और सीमांतिक किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों आदि के परिवारों वाले लक्ष्य समूह की सहायता करना है जिनकी पारिवारिक आय 11,000 रु. वार्षिक से कम है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की वर्तमान पद्धति नीचे दी गई है।	कृषि मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र और गरीबी उन्मूलन विभाग
3.	**मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए योजना (एस. एल. आर. एस.)** योजना का उद्देश्य मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को उनके विद्यमान पुश्तैनी और मैला और गंदगी को हाथ से उठाने के कारोबार से मुक्ति और पुनर्वास करना और वैकल्पिक और सम्मानित रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी	कल्याण मंत्रालय

1	2	3

अधिकतम 10,000 रु. की शर्त के अधीन परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक है। योजना के अंतर्गत 50,000 रु. तक परियोजना लागत का वित्तपोषण किया जाएगा।

4. विभेदक ब्याज दर योजना (डी. आर. आई.) :

योजना का उद्देश्य, उत्पादक और लाभप्रद कार्यकलापों में लगाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को 4.0 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त उपलब्ध कराना है जिससे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। प्रति हिताधिकारी अधिकतम वित्तीय सहायता 6500 रु. निर्धारित की गई है। बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उनके डी. आर. आई. अग्रिम का 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दें।

सब्सिडी की वर्तमान दरें

	प्रतिशत	मौद्रिक उच्चतम सीमा
छोटे किसान	25 प्रतिशत	सामान्य क्षेत्र में 4000 रुपए और सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में 5000 रुपए।
सीमांत किसान	33.33 प्रतिशत	
कृषि मजदूर		
गैर–कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर		
इनमें से :		
1. अनुसूचित जाति		
2. अनुसूचित जनजाति	50 प्रतिशत	6000 रुपए
3. विकलांग		
कक्षा VIII (उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण) तक शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवक	50 प्रतिशत	7500 रुपए अथवा परियोजना लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो।

विवरण-II

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अ. जा. और अ. ज. जा. हिताधिकारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अ. जा./अ. ज. जा. (सं.) को संवितरित ऋण		
		1995–96	1996–97	1997–98 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3048	1737	333
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	267	—
3.	असम	1304	1212	58

1	2	3	4	5
4.	बिहार	2095	1506	95
5.	गोवा	19	5	1
6.	गुजरात	1132	1027	260
7.	हरियाणा	581	491	66
8.	हिमाचल प्रदेश	370	243	28
9.	जम्मू एवं कश्मीर	54	74	7
10.	कर्नाटक	1647	1450	143
11.	केरल	1230	1228	149
12.	मध्य प्रदेश	3232	2827	88
13.	महाराष्ट्र	4695	3887	543
14.	मणिपुर	184	257	—
15.	मेघालय	174	329	1
16.	मिजोरम	106	197	—
17.	नागालैण्ड	172	189	—
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	253	86	22
19.	उड़ीसा	853	504	17
20.	पंजाब	1626	965	94
21.	राजस्थान	1086	817	325
22.	सिक्किम	22	88	—
23.	तमिलनाडु	1808	1084	265
24.	त्रिपुरा	150	312	8
25.	उत्तर प्रदेश	3341	2766	445
26.	पश्चिम बंगाल	1066	734	94
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	38	—
28.	चंडीगढ़	15	6	—
29.	दादरा व नगर हवेली	79	35	1
30.	दमन एवं दीव	6	—	—
31.	लक्षद्वीप	35	36	13
32.	पांडिचेरी	37	24	6

विवरण-III

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		(संख्या में)					
		1995–96		1996–97		1997–98*	
		सहायता प्राप्त अ. जा परि. की सं.	सहायता प्राप्त अ. ज. जा. परि. सं.	सहायता प्राप्त अ. जा परि. की सं.	सहायता प्राप्त अ. ज. जा. परि. सं.	सहायता प्राप्त अ. जा परि. की सं.	सहायता प्राप्त अ. ज. जा. परि. की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	43594	12827	70861	20624	41423	10513
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	14381	–	10695	–	5018
3.	असम	8894	14201	3196	5383	4006	6536
4.	बिहार	82045	47113	74640	36310	42902	25663
5.	गोवा	18	–	6	–	11	–
6.	गुजरात	9894	15188	7394	12047	5759	8664
7.	हरियाणा	14560	–	8424	–	3332	–
8.	हिमाचल प्रदेश	2705	585	2930	870	1973	448
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1769	1361	95	122	199	150
10.	कर्नाटक	36157	9021	33115	9036	24133	7598
11.	केरल	17498	1262	18068	1225	11898	829
12.	मध्य प्रदेश	52025	69801	33095	51243	18863	28312
13.	महाराष्ट्र	43786	28205	36362	25124	28321	18148
14.	मणिपुर	77	4222	122	5191	42	839
15.	मेघालय	15	4519	7	6815	8	3734
16.	मिजोरम	–	5085	–	3059	–	1514
17.	नागालैण्ड	–	2531	–	1997	–	835
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	30814	35843	23499	24474	11062	12581
20.	पंजाब	6287	–	3702	–	2648	–
21.	राजस्थान	30326	18748	21862	14515	12505	9096
22.	सिक्किम	153	1090	87	637	57	249
23.	तमिलनाडु	82792	3800	68807	2098	71355	2580

(*फरवरी, 1998 तक)

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	त्रिपुरा	2351	5327	2139	5047	924	1522
25.	उत्तर प्रदेश	180165	3300	196326	3404	161093	1817
26.	पश्चिम बंगाल	55591	9804	36656	8287	23725	3718
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	57	—	36	—	82
28.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
29.	दादरा व नगर हवेली	5	265	7	161	1	92
30.	दमन एवं दीव	58	102	33	51	18	66
31.	लक्षद्वीप	—	18	—	30	—	26
32.	पांडिचेरी	555	40	425	2	262	
	अखिल भारत :	705132	308696	635860	246543	466520	150630

विवरण-IV

मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की योजना के तहत अ. जा. और अ. ज. जा. के हिताधिकारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समाप्त वर्ष	
	मार्च 1996	मार्च 1997
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	252	477
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—
3. असम	140	56
4. बिहार	90	126
5. गोवा	2	—
6. गुजरात	521	1174
7. हरियाणा	1253	583
8. हिमाचल प्रदेश	212	126
9. जम्मू एवं कश्मीर	27	48
10. कर्नाटक	1148	1121
11. केरल	10	1
12. मध्य प्रदेश	7137	2501
13. महाराष्ट्र	1469	985
14. मणिपुर	—	—
15. मेघालय	—	—
16. मिजोरम	—	—
17. नागालैण्ड	—	—

1	2	3	4
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	303	—
19.	उड़ीसा	512	695
20.	पंजाब	471	302
21.	राजस्थान	1351	1919
22.	सिक्किम	—	—
23.	तमिलनाडु	3155	2596
24.	त्रिपुरा	2	—
25.	उत्तर प्रदेश	19495	17030
26.	पश्चिम बंगाल	81	81
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—
	[illegible]	19	—
	[illegible] व नगर हवेली	—	—
30.	दमन एवं दीव	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	2	—

विवरण-V

अखिल भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के तहत अ. जा./अ. ज. जा. के दिये गये अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण।

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(खातों की संख्या)		
		मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	25998	119585	31218
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	163	6
3.	असम	349	695	429
4.	बिहार	12597	9061	5002
5.	गोवा	50	230	186
6.	गुजरात	5886	5367	962
7.	हरियाणा	1118	1104	544
8.	हिमाचल प्रदेश	1600	1439	823
9.	जम्मू एवं कश्मीर	25	47	124
10.	कर्नाटक	9501	6698	7362
11.	केरल	36034	9173	7811
12.	मध्य प्रदेश	2581	1497	2729
13.	महाराष्ट्र	11497	12616	7684
14.	मणिपुर	261	203	22
15.	मेघालय	155	371	42

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	–	25	–
17.	नागालैण्ड	315	59	12
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	315	702	191
19.	उड़ीसा	39939	1876	2098
20.	पंजाब	3572	3389	1818
21.	राजस्थान	3073	1699	956
22.	सिक्किम	29	20	19
23.	तमिलनाडु	18498	21395	6819
24.	त्रिपुरा	275	62	24
25.	उत्तर प्रदेश	15647	19055	4750
26.	पश्चिम बंगाल	5144	1827	910
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	776	40	20
28.	चंडीगढ़	120	89	64
29.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–
30.	दमन एवं दीव	13	45	–
31.	लक्षद्वीप	11	10	34
32.	पांडिचेरी	200	130	48

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी विट्ठल समिति

1626. श्री मोहन रावले : क्या **उद्योग मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक **क्षेत्र के उपक्रमों** के दिशा–निर्देशों की समीक्षा के लिए गठित **विट्ठल समिति** का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विट्ठल समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी उद्यमों के लिए दिशा–निर्देश की समीक्षा हेतु समिति (जिसे विट्ठल समिति के नाम से जाना जाता है) का गठन दिनांक 28 मई, 1997 को पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम कार्यालय तथा वर्तमान सरकारी उद्यम विभाग द्वारा सरकारी उद्यमों के लिए जारी किए गए दिशा–निर्देशों की समीक्षा करने तथा वर्तमानतः अनावश्यक या अप्रासंगिक दिशा–निर्देशों को समाप्त करने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से उन्हें निरस्त करने, उनका पुनः प्रारूपण/सरलीकरण करने की अनुशंसा करने के लिए किया गया था। समिति से अपना कार्य तीन माह के अन्दर और यदि संभव हो तो उससे पहले पूरा कर लेने की आशा की गई थी। समिति ने 20 अगस्त, 1997 को निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ग) उक्त समिति ने 762 दिशा–निर्देशों को समाप्त करने, 25 दिशा–निर्देशों को परिवर्तित करने तथा 105 दिशा–निर्देशों को बनाए रखने की अनुशंसा की।

(घ) सरकार ने अनुशंसाओं पर विचार किया है तथा 696 दिशा–निर्देशों को समाप्त करने तथा 196 दिशा–निर्देशों को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

सोया खाद्य उत्पादों का निर्यात

1627. श्री अजीत जोगी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चीन को कितनी मात्रा में सोया खाद्य उत्पाद निर्यात किए गए;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई· और

(ग) सरकार द्वारा सोया खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) चीन को सोया खाद्य उत्पादों का 1995–96 और 1996–97 के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ है। किन्तु, 1997–98 के दौरान 4.83

लाख रु. (अनन्तिम) मूल्य के 33.44 मी. टन आटा और सोयाबीन खाद्य (आई. टी. सी. एच. एम.) कोड सं. 12081000 का चीन को निर्यात किया गया है।

(ग) सोया खाद्य उत्पादों सहित संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात का बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं;

निर्यातकों, उपजकर्ताओं, सरकारी समितियों और खाद्य-प्रसंस्करण एककों को अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना खाद्य प्रसंस्करण एककों के विस्तार/आधुनिकीकरण की स्थापना, क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारों जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना, आंकड़ा आधार के विकास में सहायता करना और बाजार सूचना का प्रसार।

हिन्दी का प्रयोग

1628. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक उपकरणों की स्थापना से उनके मंत्रालय में राजभाषा के प्रयोग में बाधा पहुंच रही है;

(ख) क्या सचिवालय में अधिकांश कार्य अंग्रेजी में ही होने से हिन्दी भाषी राज्य अपने बजट और परियोजनाएं अंग्रेजी में ही तैयार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभापति और सदस्यगण भी अपना मूल कार्य अंग्रेजी में ही करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का राजभाषा के प्रयोग के बढ़ावे को किस तरह से सुनिश्चित करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों सहित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार हिन्दी में मूल रूप से काम करने को प्रोत्साहित किया जाता है। रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी आग्रही तरीकों को अमल में लाया जाता है।

[अनुवाद]

मछली और इससे बने पदार्थों का निर्यात

1629. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान मछली और मछली से बने पदार्थों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) बिजली की कमी के कारण केरल राज्य में होने वाले मछली का निर्यात कितना प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत से निर्यात की गई मछली/समुद्री उत्पादन की खेप को किसी देश ने अस्वीकृत/वापिस कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः 4121.36 करोड़ रु. (1152.83 मिलियन अमरीकी डालर) और 4697.48 करोड़ रु. (1295.86 मिलियन अमरीकन डालर थी)।

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान केरल के बंदरगाहों में किए गए समुद्री खाद्य का निर्यात क्रमशः 92288 मीटरी टन जिसका मूल्य 936.22 करोड़ रु. (261.88 मिलियन यू. एस. डालर) और 89366 मीटरी टन जिसका मूल्य 943 करोड़ रु. (261.53 मिलियन अमरीकन डालर) था। जबकि 1996-97 की तुलना में 1997-98 में मात्रा के रूप में 3.17% और मूल्य के रूप में 0.13% की मामूली गिरावट हुई है, लेकिन रुपए के रूप में निर्यात में 1.26% की मामूली वृद्धि हुई है।

भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (एस. ई. ए. आई.) और एम्पीडा ने सूचित किया है कि संसाधित मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यात कुछ हद तक इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डीजल जेनरेटर सेट चलाने के कारण उन्हें ज्यादा खर्च वहन करना पड़ा और वे प्रतिस्पर्द्धा के योग्य नहीं रहे।

(ग) जी, हां।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों (1996-97 और 1997-98) के दौरान, भारतीय मात्स्यिकी उत्पाद प्रसंस्करण एककों की 40 मात्स्यिकी उत्पाद निर्यात खेपों को इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, बेल्जियम, यू. के., और डेनमार्क के गन्तव्य बंदरगाहों पर खराब होने या गलत ग्रेडिंग या कम वजन या माहक्रोबायलोजिकल संदूषण के कारण जीवाणु संबंधित जांच में असफल होने या सलमोनेला, स्टैफीलोकोसी, विब्रीओ नामक जीवाणु में से किसी एक के पाए जाने के कारण अस्वीकृत किया गया।

ऐसे मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों, जिनमें परेषणों को विदेशी पत्तनों पर अस्वीकृत कर दिया गया था, को दूषित होने के कारणों और खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा के निर्धारित मानकों के पूर्णतः अनुरूप प्रभावकारी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा मत्स्य उत्पादन प्रसंस्करण एककों के निरीक्षण और मानीटरिंग को भी सुदृढ़ बनाया गया था और ऐसे एककों की मानिटरिंग की बारम्बारता को बढ़ाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी निर्यातकर्ता एकक खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप

हैं। सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपचारात्मक कदमों में शामिल हैं निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई॰ आई॰ सी॰)/ई॰ आई॰ ए॰ और एम्पीडा में कार्यरत संबंधित तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जांच अधिकारियों तथा मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों के मार्गदर्शन और उपयोग के लिए व्यापक दिशा–निर्देश तथा अनुदेश जारी करना तथा निर्यात के लिए गुणवत्ता वाले मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का उत्पादन करने में मदद करने के प्रयोजन से मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों को एम्पीडा के जरिए विभिन्न इमदाद योजनाओं का कार्यान्वयन।

कोयले की कम आपूर्ति

1630. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लगभग सभी राज्य कोयले की कम आपूर्ति से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य को विभिन्न प्रकार के कोयले की आवश्यकता पूर्ति के संबंध में आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य की कोयले की मांग तथा पूर्ति के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य को विभिन्न किस्मों के कोयले की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं। विद्युत क्षेत्र, राज्यों में कोयले के बड़े उपभोक्ता हैं। इन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति करना सुनिश्चित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप देश के अधिकांश तापीय विद्युत गृहों में कोयले के पर्याप्त स्टाक हैं। कोल इंडिया लि॰ ने यह सूचित किया है कि उन्हें वर्ष 1997–98 के दौरान किसी भी राज्य में हुई कोयले की कम आपूर्ति संबंधी सूचना की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) कोयले की आवश्यकताओं का आकलन राज्य–वार नहीं किया जाता है। उनका मूल्यांकन देश में समग्र रूप से उद्योग/क्षेत्र–वार किया जाता है। कोल इंडिया लि॰ (को॰ इं॰ लि॰) कोयले की आपूर्ति, संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रयोजनों के अनुसार, उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के आधार पर करती हैं। विद्युत और सीमेंट उद्योगों को कोयले की आपूर्ति, इन क्षेत्रों के लिए स्थायी संयोजन समिति (एस॰ एल॰ सी॰) द्वारा स्थापित अल्पावधि स्वरूप के संयोजनों के आधार पर की जाती है।

(ग) वर्ष 1996–97 और वर्ष 1997–98 के दौरान को॰ इं॰ लि॰ द्वारा राज्यों को की गई कुल कोयले की आपूर्ति की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कोयला कंपनियां नई खानों को खोलकर तथा विद्यमान खानों से उत्पादन में वृद्धि करके कोयले का उत्पादन बढ़ाकर देश में सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा, कई कोलयरियों से कोयले की पेशकश उदारीकृत बिक्री योजना के अधीन की जाती है, जिसके अंतर्गत कोयले के आपूर्ति, बिना किसी अपेक्षित संयोजन/प्रायोजन के की जाती है।

विवरण

("000 टन में)

	राज्य	1996–97	1997–98 (अनंतिम)
1.	बिहार	21778	19662
2.	पश्चिम बंगाल	24413	21616
3.	उत्तर प्रदेश	43318	45013
4.	उड़ीसा	15483	17543
5.	मध्य प्रदेश	42521	44009
6.	महाराष्ट्र	32898	32297
7.	गुजरात	15967	17249
8.	राजस्थान	6508	6560
9.	दिल्ली	4927	5437
10.	पंजाब	8614	10081
11.	हरियाणा	4095	4223
12.	तमिलनाडु	11737	14186
13.	आंध्र प्रदेश	10303	11589
14.	कर्नाटक	2877	2308
15.	केरल	183	145
16.	जम्मू एवं कश्मीर	154	145
17.	हिमाचल प्रदेश	362	579
18.	असम	779	479
19.	अन्य	495	449

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस में घोटाला

1631. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मई, 1998 के "पायनीयर" में प्रकाशित समाचार "वैल्यू बेस्ड एडवांस लाइसेंस स्कैम : 2

कस्टम्स ऑफिशियल्स इन डॉक" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित खबरों में क्या तथ्य हैं;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या इस तरह के और मामलों जिनका पता नहीं है कि जांच का कोई प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक अपर सीमा–शुल्क आयुक्त तथा अन्यों के विरुद्ध इस आरोप के आधार पर एक मामला दर्ज किया है कि उन्होंने निर्यात का अधिक बीजक बनाया [illegible]–आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत कच्ची [illegible]ल्क आयात के लाभों में वृद्धि की जा सके। इस [illegible].3.97 से समाप्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम विपणन स्कंध

1632. श्री जयंत रंगपी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कितने विपणन स्कंध हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन स्कंधों द्वारा स्कंधवार कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी राष्ट्रीय वस्त्र निगम विपणन स्कंधों का पुनर्गठन कर एकल पृथक अनुषंगी स्कंध बनाने का है ताकि यह अधिक लाभप्रद बन सके;

(घ) यदि हां, तो यह पुनर्गठन कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन. टी. सी. की नौ सहायक निगमों के अधीन विभिन्न स्थानों पर स्थित 17 विपणन/मंडलीय कार्यालय हैं। इन कार्यालयों का स्थान तथा विगत पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा उठाए गए लाभ/घाटा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एन. टी. सी. की सहायक निगमें पृथक कंपनियां हैं तथा विपणन उनके स्वतंत्र क्रियाकलापों का एक अभिन्न हिस्सा है।

विवरण

विगत पांच वर्षों से एन. टी. सी. सहायक निगमों के विपणन मंडल द्वारा उठाया गया अनंतिम लाभ (+)/घाटा (–)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	सहायक निगम/मंडल	92–93	93–94	94–95	95–96	96–97
1	2	3	4	5	6	7
(1)	एन. टी. सी. (ए. पी. के. के. एम.) लि.					
1.	बेंगलूर	+16.87	+12.36	+33.64	+20.06	+12.15
2.	हैदराबाद	+20.92	+15.40	+24.12	+2.01	-62.31
(2)	एन. टी. सी. (डी. पी. आर.) लि.					
3.	दिल्ली	+40.76	+39.55	+33.58	+12.24	+11.55
4.	चंडीगढ़	+28.11	+22.12	+12.14	-4.47	-6.15
5.	जयपुर	+.11	-18.04	+35.77	+22.67	+9.77
(3)	एन. टी. सी. (गुजरात) लि.					
6.	अहमदाबाद	+3.65	+5.59	+3.46	+17.48	+3.59
(4)	एन. टी. सी. (एम. पी.) लि.					
7.	इंदौर	+1.84	+.35	+1.44	-3.95	-7.60d
(5)	एन. टी. सी. (एम. एन.) लि.					
8.	मुंबई	+7.11	+8.27	+5.09	-6.03	-25.09

1	2	3	4	5	6	7
(6)	एन. टी. सी. (एस. एम.)					
	9. मुंबई	+18.90	+36.53	+25.94	+9.09	+34.80
(7)	एन. टी. सी. (टी. एन. एवं पी.) लि.					
	10. कोयम्बटूर	+22.89	-71.27	+1.80	+53.92	+9.49
(8)	एन. टी. सी. (यू. पी.) लि.					
	11. कानपुर	-28.79	-39.05	-4.53	-31.41	-46.38
	12. वाराणसी	-30.52	-29.97	-34.53	-31.76	-32.39
	13. गाजियाबाद	-23.77	-21.25	-26.86	-13.44	-26.93
(9)	एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ओ.) लि.					
	14. कलकत्ता	-105.34	-116.31	-117.92	-115.70	134.74
	15. पटना	-15.25	-31.81	-75.52	-58.01	-72.07
	16. भुवनेश्वर	-8.04	-8.33	-11.80	-13.33	-12.07
	17. गुवाहाटी	+9.94	+2.16	+7.06	+3.31	-9.54

[हिन्दी]

बरेली में एक्सपोर्ट हाऊस की स्थापना

1633. श्री राजबीर सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जरदोजी, चिकन और कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और लखनऊ में एक्सपोर्ट हाऊस स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन्हें स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास व संवर्धन की देख–रेख विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करती हैं जिनमें प्रशिक्षण डिजाइन विकास, घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय विपणन आदि जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

कताई मिलों की स्थापना

1634. श्री तथागत सत्पथी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में कताई मिलों की स्थापना करने के लिए कोई अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार केन्द्रीय सहायता से कितनी कताई मिलें स्थापित की गई हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार विशेष रूप से उड़ीसा को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर में होटलों का निर्माण

1635. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना के दौरान पुरी, कोर्णाक और भुवनेश्वर में कुछ 'लग्जरी' होटलों का निर्माण करने का है;

(ख) क्या इन स्थलों का दौरा करके मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए कुछ होटलों/अतिथि गृहों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत पर्यटन विकास निगम की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में पुरी, कोणार्क तथा भुवनेश्वर में नए होटलों का निर्माण करने के लिए किसी स्कीम/प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम, उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित

3 सितारा वर्ग के दो होटलों का प्रचालन एवं प्रबंधन कर रहा है :

1. होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर।

2. होटल नीलांचल अशोक, पुरी (भारत पर्यटन विकास निगम उड़ीसा के सहयोग से संयुक्त उद्यम)।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को, उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर मितव्ययी एवं मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लाभार्थ, यात्री निवासों, पर्यटक बंगलों, पर्यटक परिसरों जैसी आवास सुविधाओं के निर्माण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1997–98 के लिए, पर्यटन विभाग, भारत [illegible] जिन परियोजनाओं/स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता उनमें कोई होटल/गैस्ट हाउस परियोजना शामिल नहीं है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

1636. श्री एम. राजैया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि., कोठागुडम के साथ औद्योगिक संबंध की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) किन खानों से कंपनी द्वारा इस समय कोयला निकाला जा रहा है;

(घ) क्या वारंगल जिले में कंपनी का कोई कोयला भंडार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) मजदूर संघों की अधिकता और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में अतिवादियों के क्रियाकलापों को दृष्टिगत करते हुए औद्योगिक संबंधों का संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रीय मजदूर संघों से संबद्ध पांच मजदूर संघों, जिनकी कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे. बी. सी. सी. आई.) की सदस्यता है, और अन्य फेडरेशन ऑफ क्राफ्ट एसोसिएशन, अर्थात् सिंगरेनी ऑल एसोसिएशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी (एस. ए. जे. ए. सी.) द्वारा कई मांगों के समर्थन में 25.5.1998 को अथवा उसके बाद हड़ताल करने का नोटिस अलग–अलग दिया है। अप्रैल/मई, 98 माह में समझौतों के लिए हुई बैठक के बावजूद, जिसमें मई, 1998 के अंत तक आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और श्रम आयुक्त (सी), हैदराबाद ने भी मध्यस्था की, लेकिन इस संबंध में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सका। कामगारों के यूनियन अभी हडताल पर हैं, यद्यपि तीन ओपनकास्ट खानों में कार्य आंशिक रूप से हो रहा है।

(ख) सिं. को. कं. लि. में 1995–96 और 1996–97 के दौरान क्रमशः 190.81 करोड़ रु. और 246.95 करोड़ रु. का घाटा हुआ। कंपनी ने 1997–98 के दौरान 102.76 करोड़ रु. (अनंतिम) का लाभ कमाया।

(ग) सिं. को. कं. लि. आंध्र प्रदेश के चार जिलों अर्थात् खम्माम, करीमनगर, आदिलाबाद और वारांगल, में कोयले का दोहन कर रही है। 1.6.1998 की स्थिति के अनुसार सिं. को. कं. लि. की 61 भूमिगत खानें और 12 ओपनकास्ट खानें हैं।

(घ) और (ङ) सिं. को. कं. लि. में प्रमाणित कोयले के भंडारों के साथ–साथ वारांगल जिले में, जिसे मुलगु कोयला पट्टी के नाम से जाना जाता है, 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार 49 वर्ग कि. मी. में फैले 10 ब्लाकों का अन्वेषण कर लिया गया है, जिसमें 584 मि. ट. कोयले के प्रमाणित भंडार हैं। के. टी. के.–1, 1 ए, 2 ए, 5 और 5 ए, के प्रमाणित ब्लॉकों में से भूपल्लपल्ली ब्लाक–I और III के भू–गर्भीय ब्लॉकों में इन्क्लाइन पहले ही खोले जा चुके हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिकों को वेतन पैकेज

1637. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कार्यरत वैज्ञानिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की शर्तों के अनुरूप वेतन पैकेज का अनुरोध कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) देश भर में केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कुल 839 वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

[अनुवाद]

लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार संबंध

1638. श्री ए. सी. जोस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और लैटिन अमरीकी देशों ने (इन देशों में व्यापार संबंधों संबंधी) किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) भारत द्वारा निम्नलिखित लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

देश	हस्ताक्षर की तिथि
1	2
ब्राजील	3 फरवरी, 1968
कोलम्बिया	14 जुलाई, 1970
पेरू	4 नवम्बर, 1971
क्यूबा	9 जुलाई, 1979
ग्वाटेमाला	23 अप्रैल, 1981
अर्जेन्टीना	28 जुलाई, 1981
त्रिनिदाद तथा टोबेगो	24 जनवरी, 1997

व्यापार करारों पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए जाते हैं।

पेटेन्ट प्रणाली की पुनर्संरचना

1639. श्री के. एस. राव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेटेन्ट प्रणाली की पुनर्संरचना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अन्य बातों के अलावा किन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी;

(ग) क्या इस पर बारीकी से विचार करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पुनः बनाई गई इस पेटेन्ट प्रणाली के देश में कब तक कार्य आरंभ कर देने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा देश में पेटेंट प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु कदम उठाये जाते रहे हैं। एक ऐसी योजना के माध्यम से पेटेंट कार्यालय के आधुनिकीकरण और मजबूतीकरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे आवश्यक योग्य कर्मचारी तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कार्यालयों के बीच कार्यों के आबंटन, प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण और पिछले लंबित पेटेंट आवेदनों को अलग करने से उपलब्ध संशोधनों का आदर्श उपयोग होगा। इस योजना को, जिसे पांच वर्षों की अवधि के भीतर क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है, सरकार से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के साथ गहन विचार–विमर्श के पश्चात् तैयार किया गया है।

विश्व विरासत शहर-आगरा

1640. श्री बेनी प्रसाद वर्मा : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्ततः आगरा को "विश्व विरासत शहर" बनाने की योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) इस दिशा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुख्य निर्देश क्या थे; और

(ङ) इनका किस हद तक अनुपालन किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उच्चतम न्यायालय ने अन्तिम निर्णय नहीं दिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र क्षेत्र के लिए तकनीकी उन्नयन निधि

1641. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25,000 करोड़ रुपए निवेश करके वस्त्र क्षेत्र के लिए तकनीकी उन्नयन निधि स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसे शीघ्र ही क्रियान्वित किए जाने का विचार है और वित्तीय संस्थाएं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पुनरुद्धार संबंधी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य तथा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की 35 वस्त्र इकाइयों की सहमति से अधिशेष भूमि को बेचकर संसाधन जुटाने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है तथा 25 वस्त्र इकाइयों का पुनरुद्धार किया जाना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए एक प्रस्ताव निर्माणाधीन है। इसका अभीष्ट उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना है ताकि निर्यात बाजार सहित इसे अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) निवल पूंजी के कम होने के कारण एन. टी. सी. के 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गए हैं जिन्हें उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है। मई, 1995 में सरकार ने एन. टी. सी. के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया था जिसमें 2005.72 करोड़ रु. के परिव्यय से 79 मिलों का आधुनिकीकरण निहित था इसे बी. आई. एफ. आर. के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। पुनर्वासन के लिए निधियों की व्यवस्था एन. टी. सी. की मिलों की बेसी भूमि और परिसंपत्तियों की बिक्री से की जानी

थी। बी. आई. एफ. आर. ने 4 सहायक निगमों अर्थात् एन. टी. सी. (एम. पी.) एन. टी. सी. (गुजरात), एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. एंड ओ.) और एन. टी. सी. (उ. प्र.) के मामलों में पुनर्वासन योजना को अर्थक्षम नहीं पाया तथा इन चारों सहायक निगमों को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। शेष 4 सहायक निगमों अर्थात् एन. टी. सी. (डी. पी. आर.) एन. टी. सी. (ए. पी. के. के. एंड एम.), एन. टी. सी. (एम. एन.) और एन. टी. सी. (एस. एम.) के संबंध में बी. आई. एफ. आर. ने कुछ राहत और रियायतें प्राप्त करने के लिए मसौदा पुनर्वासन योजनाएं प्रकाशित की हैं। तथापि, बी. आई. एफ. आर. से अनुमोदन न मिलने तथा बिक्री आय से निधियां उपलब्ध न होने के कारण पुनर्वासन योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। प्राप्त होने वाली 80 प्रतिशत से अधिक राशि भूमि को बेचने से मिलनी अपेक्षित है और इस संबंध में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

उपर्युक्त अड़चनों को ध्यान में रखते हुए सरकार एन. टी. सी. द्वारा किए गए एककवार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर एन. टी. सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसके लिए बी. आई. एफ. आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बनने के बी. आई. एफ. आर. के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

विनिवेश कोष

1642. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने किसी विनिवेश योजना को क्रियान्वित किए जाने से पूर्व सर्वप्रथम एक विनिवेश कोष का गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो कोष का स्वरूप और इसकी राशि कितनी होगी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) विनिवेश आयोग ने यह सिफारिश की है कि विनिवेश से होने वाली आय अलग से विनिवेश–निधि में रखी जाए।

(ख) और (ग) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विनिवेश के माध्यम से प्राप्त हुए राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक वर्ष विनिवेश–निधि के लिए अलग किया जाएगा, जिसका उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। इस निधि के लिए अपनाई जाने वाली प्रचालनात्मक रूपात्मकताएं तैयार की जा रही हैं।

विनिवेश नीति

1643. श्री संदीपान थोरात : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 के दौरान विनिवेश नीति के क्रियान्वयन से संबंधित मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस नीति परिवर्तन के बारे में व्यापार संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि. में सरकार द्वारा धारित 40 मिलियन शेयरों का जी. डी. आर. बाजार में विनिवेश कर दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के व्यापार संघों ने विनिवेश आयोग की कुछ सिफारिशों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं। इनकी जांच की जाती है तथा सरकार सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में विनिवेश के बारे में निर्णय लेते समय कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र

1644. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस दिसम्बर, 1997 में हुई संयुक्त भारत–रूस आयोग की बैठक में किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र के गठन पर सहमत हुए हैं जिसमें अन्य सी. आई. एस. देशों को भी शामिल किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे अन्य सी. आई. एस. देश कौन से हैं जिनकी मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था में शामिल होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातोन्मुख कृषि नीति

1645. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नई निर्यातोन्मुख नीति आरम्भ करने और कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति

से कौन से कृषि उत्पादों को शामिल करने की संभावना है;

(ग) इस नीति के कब तक लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या नौवीं योजना के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने से संबंधित सरकार की नीति प्रधानतः भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि आय को अधिकतम बनाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने से संबंधित पहलुओं द्वारा अधिशासित होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और तद्नुसार कृषि निर्यात को उत्तरोत्तर व्यवहार्य बनाने को मद्देनजर रखते हुए जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है, नीति संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं।

निर्यात नीति को निरन्तर अद्यतन बनाये रखा जा रहा है और कृषि उत्पादों के संबंध में निर्यात प्रक्रिया को उदार बनाया गया है। इस समय बहुत ही कम मदें निर्यात के लिए वर्जित हैं अथवा उनका निर्यात प्रतिबंधित है या मात्रात्मक परिसीमा के अधीन हैं। जिन मुख्य-मुख्य मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें ई॰ यू॰/यू॰ एस॰ ए॰ के लिए तरजीह कोटे के अंतर्गत निर्यात को छोड़कर गेहूं तथा गेहूं के उत्पाद तथा चीनी शामिल हैं।

भारत से निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में चाय, काफी, कच्चा सूत, चावल, (बासमती और गैर बासमती) मोटा अनाज, तम्बाकू, मसाले, काजू, तिल या रामतिल, तेल, खाद्य निस्सारण, चीनी, बागवानी तथा पुष्पोत्पाद ताजे फल और सब्जियां, प्रस्संकृत फल और रस शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। क्योंकि नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, नौवीं, पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि आय बढ़ाने, बेरोजगारी से निपटने और विदेशी मुद्रा का अर्जन किए जाने की व्यापक संभावना है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना

1646. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े पहाड़ी एवं मरुस्थली क्षेत्रों के विकास के लिए उद्योग स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा राज्य-वार किस तरह के उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) देश में पिछड़े, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये उद्योग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तीन योजनायें नामतः (1) विकास केन्द्र योजना (2) एकीकृत आधारभूत विकास योजना तथा (3) परिवहन राजसहायता योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों को भी प्रथम दोनों योजनाओं में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) 25 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने के लिये 71 औद्योगिक विकास केन्द्रों की घोषणा की गई है। पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत आधारभूत विकास योजना के अन्तर्गत 50 केन्द्रों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों के लिये स्थापना स्थल का चयन राज्य सरकार की सिफारिशों पर तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन के संयुक्त मापदण्ड, अवसंरचना की उपलब्धता तथा जनसंख्या आदि के आधार पर किया जाता है। परिवहन राजसहायता योजना उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जीलिंग जिला, उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में लागू होती हैं। सामान्यतया, इन क्षेत्रों में संसाधन तथा मांग आधारित उद्योग स्थापित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

1647. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अच्छा कार्य निष्पादन रहा;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों ने कितना-कितना लाभ अर्जित किया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों को घाटा हुआ; और

(घ) इस घाटे के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने वर्ष 1995-96 (नवीनतम वर्ष जिसके लिए सूचना एकत्रित की गई है) के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभ दिखाया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1995-96 तथा पिछले चार वर्षों के दौरान इन उपक्रमों के नाम और प्रत्येक उपक्रम द्वारा अर्जित किया गया तथा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1995-96 के विवरण 7क (पृष्ठ एस 49 से एस 54) तथा वर्ष 1995-96 तथा पिछले चार वर्षों के दौरान उन उपक्रमों के नाम और उठाई गई हानि का विवरण 7ख (पृष्ठ एस 55 से एस 59) में दिया गया है, जिसे संसद के दोनों सदनों में 5 सितम्बर, 1997 को प्रस्तुत किया गया था।

(घ) घाटा उठाए जाने के कारण उद्यम सापेक्ष हैं। तथापि, कुछ सामान्य कारण हैं :—पुरानी तथा अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी, अतिरिक्त मानव शक्ति, अधिक ब्याज का बोझ, उपयुक्त बाजार की कमी आदि।

रूस को कम्प्यूटरों का निर्यात

1648. श्री अजीत जोगी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस को निर्यात किए गए कम्प्यूटरों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) इसके मुख्य निर्यातकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रूस से अपने व्यापार को संचालित करने के लिए किसी भारतीय कम्पनी को अनुमति दी है; और

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (**श्री रामकृष्ण हेगड़े**) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में रूस को किए गए कम्प्यूटरों के निर्यात तथा उससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	(मूल्य लाख रुपये में)
1994–95	3666.92
1995–96	1423.37
1996–97	22.97
1997–98	उपलब्ध नहीं

[स्रोत : इलैक्ट्रानिक एंड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ई. पी. सी.]

(ख) रूस के लिए कम्प्यूटरों के मुख्य–मुख्य निर्यातकों में शामिल हैं :—सेंटर फार डिवेलपमेंट ऑफ एडवांस्ट कम्प्यूटिंग, एच. सी. एल. इन्फोसिस्टम्स लि., मोदी ओलीवैटी लि., पी. सी. एल. इण्डिया (प्रा.) लि. इत्यादि।

(ग) और (घ) सरकार ने मैसर्स कम्प्यूटर एडेड लर्निंग सिस्टम्स (प्रा.) लि. और के. ई. आई. सिस्टम्स (प्रा.) लि. को रूस में कम्प्यूटर से संबद्ध कार्यकलाप में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।

[अनुवाद]

जानकी रमन समिति

1649. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जानकी रमन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में प्रतिभूति लेन–देनों की जांच कर रही जानकी रमन समिति की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों में, अन्य उपायों के साथ–साथ, तैयार वायदा लेन–देनों में पर्याप्त सुरक्षा निर्धारित करना, भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय तथा बैंकों के निवेश संविभाग प्रबंध योजना कार्यों के संचालन को सुकर बनाना, बैंक–रसीद के प्रयोग के संबंध में नियमों को कड़ाई से लागू करना, अन्तर–बैंक प्रतिभूति लेन–देनों के संबंध में मार्ग–निर्देश जारी करना, अलग–अलग बैंकों द्वारा मान्य दलालों के साथ लेन–देन के लिए मानदंड निर्धारित करना तथा बैंकों में आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों की पुनरीक्षा करना शामिल है।

पर्यटन पर एशियाई वित्तीय संकट का असर

1650. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई वित्तीय संकट का असर विश्वभर की पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर पड़ा था, जिससे वर्ष 1997 में विकास दर प्रभावित हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 5.5% की वृद्धि हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1997–98 में वृद्धि दर में काफी कमी आई थी;

(घ) इससे भारतीय पर्यटन उद्योग किस सीमा तक प्रभावित हुआ; और

(ङ) वर्ष 1998–99 के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) से (घ) विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार, एशिया में वित्तीय संकट की वजह से, 1996 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 5.6% की वृद्धि की तुलना में, 1997 के दौरान पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों में 2.8% की बहुत कम वृद्धि थी। 1997 के दौरान के पर्यटक आगमनों से भी पता चलता है कि इस दौरान के पर्यटक आंकड़े गिरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की वृद्धि 1996 में 8.1% से कम होकर 1997 के दौरान 2.2% हो गई। विश्व पर्यटक संगठन की भविष्यवाणी के अनुसार यह रुकावट कम से कम आगामी तीन वर्षों तक पूरे विश्व में

पर्यटन को प्रभावित करेगी। भारत में भी पर्यटक आगमनों में, एशियाई वित्तीय संकट सहित, विभिन्न कारणों की वजह से 1996 में 7.7% की तुलना में 1997 में 3.8% की कम वृद्धि रिकार्ड की गई।

(ङ) पर्यटन आगमनों में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में, संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाना, पर्यटक उत्पादों का विविधीकरण व. .I, प्रचार प्रयत्नों को सुदृढ़ करना और निरंतर मानव संसाधन विकास करना सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूम

1651. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बहुत ही कम शोरूम हैं जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा निर्मित वस्त्र पूरी तरह से नहीं खरीदा जाता; और

(ख) यदि हां, तो अब तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम के राज्यवार कितने शोरूम खोले गए हैं और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के और शोरूम खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन. टी. सी. के विभिन्न राज्यों में स्थित 361 शोरूम हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। यह समझा जा रहा है कि एन. टी. सी. का कपड़ा वितरकों, थोक विक्रेताओं, उप थोक विक्रेताओं, आदि सहित अन्य माध्यमों द्वारा बेचा जाता है तथा एन. टी. सी. अपनी अनार्थिक बुनाई क्रियाकलापों को कम कर रही है तथा कार्यशील पूंजी के अभाव के कारण क्रियाकलापों को रोक दिया गया है, एन. टी. सी. के अधीन शोरूम की संख्या पर्याप्त मानी जाती है तथा और कोई शोरूम खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

एन. टी. सी. शोरूम की राज्यवार सूची

राज्य	शोरूम की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	26
कर्नाटक	22
केरल	18
चंडीगढ़ (केन्द्र शासित प्रदेश)	2
दिल्ली	16
हरियाणा	8
जम्मू एवं कश्मीर	2
पंजाब	5
राजस्थान	10
गुजरात	8
दमन एवं दीव (संघ शा. प्रदेश)	1
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	26
तमिलनाडु	62
पांडिचेरी (संघ शासित प्रदेश)	1
उत्तर प्रदेश	46
असम	3
बिहार	24
मेघालय	1
उड़ीसा	7
प. बंगाल	63
	361

[अनुवाद]

हस्तशिल्प निर्यात लक्ष्य और उपलब्धि

1652. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसकी उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्त्वपूर्ण किन्तु अपेक्षाकृत कम ज्ञात वाले शिल्प कामों वाली वस्तुओं जैसे जरी का काम, शाल, केन और बांस का शिल्प और चिकनकारी शिल्प की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि की जा सके;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने हस्तशिल्प आयुक्त से इस शिल्प के निर्यात को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प में निर्यात (हाथ से बुने कालीनों सहित) के निर्धारित व प्राप्त लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त
1.	1995–96	4850.00	4980.15
2.	1996–97	5660.00	5628.62
3.	1997–98	6500.00	6457.69 (अनंतिम)

(ख) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1998–99 के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात (हाथ से बुने कालीनों सहित) का लक्ष्य 776.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। अप्रैल, 1998 के दौरान 514.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

(ग) से (ङ) जी, हां। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् के परामर्श से, सेमीपार/कार्यशालाओं, प्रशिक्षण त विपणन कार्यक्रमों आदि जैसे उपायों के माध्यम से शिल्पों के संवर्धन हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी

निर्यात को बढ़ावा

1653. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने की सरकार की नीति का छोटे निर्यातकों द्वारा कड़ा विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे निर्यातकों ने यह कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों की लम्बी अवधि से लम्बित पड़ी मांगों को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या नई ऋण नीति के उपायों से बड़े निगमों और ट्रिपल–ए वर्ग की कम्पनियों को बढ़ावा मिलेगा लेकिन प्रत्यक्ष निर्यात में 40% का योगदान करने वाले छोटे और मध्यम निर्यातकों के लिए यह नीति पूरी तरह से निराशाजनक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने छोटे निर्यातकों के दृष्टिकोण पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांगों पर किस सीमा तक विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1998 को घोषित की गयी ऋण नीति में छोटे अथवा बड़े निर्यातकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है।

(घ) और (ङ) हाल ही में घोषित की गयी निर्यात आयात नीति में, छोटे तथा मध्यम निर्यातकों की निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के दायरे को सरल बनाने तथा उसका विस्तार करने जैसी लंबे समय से चल रही मांग पर विचार किया गया है। न्यूनतम सीमा को अब 20 करोड़ रुपए/5 करोड़ रुपए से घटाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयातित कच्ची सामग्री की आपूर्ति अल्प मात्रा में कच्ची सामग्री का आयात करने वाले निर्यातकों को करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी बांडेड भाण्डागार योजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, लघु क्षेत्र की ऋण संबंधी जरूरतों से संबंधित अनेक मुद्दों पर चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विचार किया गया है। नीति समीक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसे व्यापार तथा उद्योग एसोसिएशनों के साथ बातचीत के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

कोयला खानों का विकास

1654. श्री तथागत सत्पथी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विश्व बैंक ऋण की सहायता से कुछ कोयला खानों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो विकसित करने के लिए चुनी गई कोयला खानों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन कोयला खानों को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित ऋण की धनराशि कितनी है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) जी, हां। कोल इंडिया लि. की कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना में, जिनमें इसकी पांच कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों, नामतः, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से. को. लि.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (म. को. लि.), नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (ना. को. लि.), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सा. ई. को. लि.) तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे. को. लि.) की 24 परियोजनाएं शामिल हैं, में नीचे निर्दिष्ट वित्त–पोषण योजना के अनुसार, 1697.6 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया है :

(अमरीकी मिलियन डालर में)

वित्त का स्रोत	कुल लागत
आई. बी. आर. डी.	530.00
आई. डी. ए. ऋण	2.00
जेक्सिम	530.00
कोल इंडिया लि.	581.06
संभरक का ऋण	54.00
जोड़	1697.06

उपर्युक्त 24 कोयला परियोजनाओं में विस्तार कार्यक्रमों हेतु उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने, उत्पादन को बनाए रखने के लिए विद्यमान उपकरणों को बदलने तथा लक्षित उत्पाद को प्राप्त करने के लिए विकसित की जाने वाली खानों में उपकरण उपलब्ध कराने हेतु, उक्त निवेश को उपयोग में लाया जाएगा। 2 मिलियन अमरीकी डॉलर का आई. डी. ए. ऋण भारत के कोयला क्षेत्र में विनियमन संबंधी सुधारों के अध्ययन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश से निर्यात

1655. श्री एम. राजैया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अन्य देशों को गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्यात की गई मुख्य वस्तुएं कौन-कौन सी हैं; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात से देश को कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) देश के लिए निर्यात आंकड़े समग्र रूप से तैयार किए जाते हैं न कि राज्यवार। तथापि, आंध्र प्रदेश से वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए निर्यात की गई वस्तुओं की मुख्य मदें हैं : कृषि एवं कृषि आधारित उत्पाद, वन उत्पाद, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद, पशु एवं समुद्री उत्पाद, खनिज एवं खनिज उत्पाद, हथकरघा एवं वस्त्र सहित यार्न, हस्तशिल्प, औषधि, भेषज, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरी मदें और इलैक्ट्रॉनिक मदें, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर। आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 1996-97 में निर्यात लगभग 6700 करोड़ रु. का रहा।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

1556. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितना कारोबार किया गया;

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान वेतन, किराया कार्यालय खर्च जैसे प्रशासकीय कार्यों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान अब तक निगम से बाहर कितनी धनराशि का निवेश किया गया और उससे कितनी वार्षिक आय हुई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना विवरण-I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया नया कारोबार जिनके संबंध में खातों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, निम्न प्रकार है :

(अ) व्यक्तिगत बीमे :

वर्ष	पालिसियां (संख्या लाख में)	बीमित राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक प्रीमियम आय (करोड़ रु. में)
1996-97	122.81	56993.94	3360.78
1995-96	110.34	52071.53	2829.26
1994-95	108.88	55468.82	2548.83

(ब) व्यक्तिगत वार्षिकी

वर्ष	पालिसियां (संख्या लाख में)	बीमित राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक प्रीमियम आय (करोड़ रु. में)
1996-97	1.82	647.27	144.94
1995-96	0.11	10.80	1.83
1994-95	0.11	9.62	3.49

(स) समूह बीमा : नई योजनाएं

वर्ष	योजनाओं की सं.	सदस्यों की सं. (लाख में)	बीमित राशि (करोड़ रु.)
1996-97	8381	18.89	3237.59
1995-96	9078	11.77	2657.22
1994-95	6772	10.49	2773.06

(द) समूह अधिवार्षिकी योजना :

वर्ष	योजनाओं की संख्या	सदस्यों की संख्या	प्रति वर्ष अधिवार्षिकी (करोड़ रु.)
1996-97	373	125272	78.42
1995-96	353	75692	49.34
1994-95	328	31299	14.85

विवरण-II

जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबन्ध पर किया गया व्यय निम्न प्रकार हैं ।

		1996-97	1995-96	1994-95
				(राशि करोड़ रुपए में)
(क)	एजेंटों को कमीशन आदि	1450	1201	1064
(ख)	कर्मचारियों को वेतन आदि	1628	1396	1072
(ग)	अन्य प्रबन्ध व्यय	425	351	330
	जोड़	3504	2948	2466

उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित अन्य प्रबन्ध व्यय के अन्तर्गत मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विज्ञापन एवं प्रचार व्यय, आदि जैसे किराया, टेलीफोन शुल्क, बिजली शुल्क, डाक टिकटें एवं तार, कार्यालय व्यय शामिल हैं।

विवरण III

गत तीन वर्षों के अन्त में जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया निवेश और निवेश आय नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए में)

	श्रेणी	31.3.1997 की स्थिति के अनुसार	31.3.1996 की स्थिति के के अनुसार	31.3.1995 की स्थिति के अनुसार
	1	2	3	4
(क)	**सरकारी प्रतिभूतियां**			
(i)	केन्द्रीय सरकार (एन. एच. बी. सहित)	38291.75	30300.75.	24037.99
(ii)	राज्य सरकार	5860.73	4600.92	3665.48
(iii)	के. वी. पी.	142.50	142.50	142.50
(iv)	विशेष जमा	2140.41	1970.41	1839.41
(v)	अन्य सरकारी गारंटी शुदा बाजार प्रतिभूतियां	3818.90	3760.42	3644.38
(ख)	समाजोन्मुख क्षेत्र	12139.93	10810.55	9516.39
(ग)	**निगमित क्षेत्र**			
(i)	ऋण पत्र	7086.45	5200.28	3685.58
(ii)	अधिमान शेयर	15.45	15.55	19.04
(iii)	इक्विटी शेयर	4739.59	4113.53	3173.84
(iv)	विशेष इकाई (एम. एफ.)	—	—	—
(v)	आवधिक ऋण	3178.62	2782.33	2552.92

1		2	3	4
(vi)	अल्प/मध्यावधिक ऋण	456.61	335.53	159.52
(घ)	अन्य निवेश (पालिसी ऋणों सहित)	4794.23	4242.83	3745.39
	सकल जोड़ :	82665.17	68275.60	56182.44
	निगम की निवेश आय :	9396	7713	6336

अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन से सदस्यता वापिस लेना

1657. श्री के. एस. राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन से अपनी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में जूट का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न वर्गों ने सरकार के निर्णय पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की सदस्यता बरकरार रखने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत ने अप्रैल, 1998 में अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन (आई. जे. ओ.) से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए नोटिस दिया है।

आयातक देशों द्वारा कार्यकारी निदेशक के पद पर अपने उम्मीदवार को निर्वाचित करने का दबाव डालने के फलस्वरूप आई. जे. ओ. के कार्यकारी निदेशक के लिए भारतीय उम्मीदवार के चयन के लिए आई. जे. ओ. के सदस्यों के बीच कोई सहायता नहीं होने पर ही यह कदम उठाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी महसूस किया गया है कि कुछ समय से आई. जे. ओ. अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा है तथा पटसन उपजाने वाला एक प्रमुख देश होने के नाते भारत आई. जे. ओ. की अपेक्षा अपने निजी विविधीकरण तथा अनुसंधान व विकास कार्यक्रम से अधिक लाभ उठा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार को इस निर्णय के प्रति पटसन उद्योग का प्रतिकूल प्रक्रिया के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) सरकार अंतर्राष्ट्रीय पटसन संघटन से सदस्यता वापस लेने के अपने निर्णय की समीक्षा कर सकती है यदि अन्य सदस्य देश आई. जे. ओ. के कार्यकारी निदेशक के पद पर भारतीय उम्मीदवार के पक्ष में 90 दिनों की नोटिस अवधि के भीतर अपने रवैये को बदल लें। फिर भी, ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रुपए में बकाया ऋण को दुर्लभ मुद्रा में बदलना

1658. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के रुपये में बकाया ऋण को दुर्लभ मुद्रा वाले ऋण में बदलने के मामले पर गौर करने के लिए दो सदस्यीय इन्टर काउंटिंग पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पैनल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सिफारिशों पर लिए गए निर्णय की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनल की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) रूस सरकार द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें पारस्परिक सम्मत आधार पर पूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और रूसी परिसंघ द्वारा प्रदान किए गए राज्य ऋणों की वापसी अदायगी के लिए संशोधित आधार तय करने के लिए विचार–विमर्श आयोजित करने का सुझाव दिया गया था। तथापि, (क) को ध्यान में रखते हुए उस पर भारत–रूस पैनल की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश से सृजित धन

1659. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में वर्ष 1997–98 के दौरान विनिवेश से 7000 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए विनिवेश का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी धनराशि अर्जित की गई है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि. में 40 मिलियन शेयरों के विनिवेश द्वारा 910 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई।

अत्यंत अस्थिर एवं प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों की वजह से वर्ष 1997–98 के दौरान यथा आयोजित विनिवेश नहीं किया जा सका।

सूती धागा निर्यात नीति

1660. श्री संदीपान थोरात : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997–98 के दौरान सूती धागे के उत्पादन और निर्यात के लिए नीति में बड़े परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वास्तविक निर्यात की मात्रा और निर्यात से आय की तुलना में निर्यात खरीद हेतु जारी सूत के राज्यवार कोटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) 1998–99 के दौरान सूत निर्यात के लिए नई सरकार द्वारा कौन से नए परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) प्रस्तावित सूती धागा निर्यात नीति के प्रति सूत उत्पादक राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) दिसंबर, 1997 में सरकार ने ऐसी नीति तथा प्रक्रियाओं की घोषणा की है जिनसे सूती यार्न का उत्पादन करने वाले शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक अपने निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो कपास का समय पर आयात कर सकें। तद्नुसार 40 काउंटों और उससे कम के काउंटों के सूती यार्न का उत्पादन करने के लिए शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना करने के लिए अनुमति के पत्र अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तों पर जारी किए जा रहे हैं :

"परियोजना के प्रयोगार्थ अनुमति के लिए दी जाने वाली घरेलू खपत की मात्रा का निर्धारण पृथक रूप से वार्षिक आधार पर किया जाएगा जो कि उसके उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। शेष आवश्यकताओं के लिए आयातित कपास का प्रयोग किया जाएगा।"

तथापि, कलैंडर वर्ष के आधार पर निर्धारित मात्रा की उच्चतम वार्षिक सीमाओं के भीतर 40 काउंटों और उससे कम के सूती यार्न के निर्यात की अनुमति देने संबंधी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) समस्त देश से सूती यार्न के निर्यात की अनुमति देने के लिए कोटे अर्थात् (उच्चतम सीमा) का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया जाता है तथा इसकी रिलीज राज्यवार नहीं की जाती है। इसलिए राज्यवार निर्यात की मानीटरिंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समय सरकार सूती यार्न का निर्माण तथा निर्यात करने के लिए नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

1661. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री सुनील खां :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके आयात के क्या कारण हैं; और

(ग) उदारीकरण की इस नीति का स्वदेशी की भावना एवं घरेलू कामगारों पर क्या असर पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) जी, हां। निषेधात्मक सूची से आयातों की मुक्त सूची के अन्तर्गत लायी गयी 340 मदों में से अनेक मदें उपभोक्ता मदों की श्रेणी के अन्तर्गत आ जाएंगी।

ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं। व्यापारिक साझीदारों के साथ किए गए करारों के अनुसार वर्ष 2003 तक मात्रात्मक प्रतिबंधों को धीरे–धीरे समाप्त कर दिया जाएगा।

ऐसे आयातों पर लगाए गए सीमा–शुल्क से घरेलू उद्योग और उसमें कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध होती है।

विवरण

भारत के राजपत्र असाधारण भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड–2 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं॰ 3 (आर॰ ई॰–98)/97–02

नई दिल्ली : दिनांक 13 अप्रैल, 1998

सां॰ आ॰ (अ) : निर्यात और आयात नीति, 1997–2002 के पैराग्राफ 4.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार समय–समय पर संशोधित 31 मार्च, 1997 को प्रकाशित निर्यात और आयात मदों, 1997–2002 के आई॰ टी॰ सी॰ (एच॰ एस॰) वर्गीकरण में निम्नलिखित संशोधन करती है। निम्नलिखित कालम 3, 4, 5 में उल्लिखित एग्जिम कोड संख्याओं, नीति को निम्न अनुसार संशोधित किया जाएगा :

एग्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीति संबंधी शर्तें	विशेष आयात लाइसेंस/सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत आयात
1	2	3	4	5
03061301	श्रिम्प (सकाम्पीड) मेक्रोबेक्टिम फ्रोजन	मुक्त		
03061302	ए॰ एफ॰ डी॰ श्रिम्प फ्रोजन	मुक्त		
03061303	प्राऊनस फ्रोजन	मुक्त		
03061400	क्रेब्स	मुक्त		
03061900	अन्य मानव खपत हेतु उपयुक्त, आटा भेजन और क्रेस्टेसिअन्स के हिस्से	मुक्त		
03062900	अन्य मानव खपत हेतु उपयुक्त, आटा भेजन और क्रेस्टेसिअन्स के हिस्से	मुक्त		
03071000	ओस्टियर्स	मुक्त		
03072100	जीवित, ताजा अथवा प्रशीतित	मुक्त		
03072900	अन्य	मुक्त		
03073901	क्लैप्स–क्लैम मीट (बिवल्स–विक्टोरिजा स्प॰ आदि)	मुक्त		
03073909	ताजा भाव प्रशीतित छोड़कर अन्य मुसल्स	मुक्त		
03074101	कटल फिश, जीवित, ताजा अथवा प्रशीतित	मुक्त		
03074109	अन्य (स्क्विड, ताजा समेत)	मुक्त		
03074901	स्क्विड ट्यूब्स जमे हुए	मुक्त		
03074902	होल स्क्विड फ्रोजन	मुक्त		
03074903	डाइड स्क्विड्स	मुक्त		
03074909	अन्य स्क्विड्स	मुक्त		
03075900	अन्य	मुक्त		

1	2	3	4	5
03076000	घोंघा समुद्री घोंघा के अलावा	मुक्त		
03079100	जीवित, ताजा अथवा प्रशीतित	मुक्त		
03079909	अन्य	मुक्त		
06031000	ताजा	मुक्त		
06039000	अन्य	मुक्त		
06041000	प्रोसेस और शेवाक	मुक्त		
06049100	ताजा	मुक्त		
06049900	अन्य	मुक्त		
07099004	ग्रीन पीपर	मुक्त		
	प्याज	मुक्त		
07112000	जैतून	मुक्त		
07113000	कैपर्स	मुक्त		
07114000	ककड़ी और खीरा	मुक्त		
07119001	खारे पानी में ग्रीन पीपर	मुक्त		
07119002	डिब्बा बंद विभिन्न सब्जियां	मुक्त		
07119009	खारे पानी/सल्फर पानी/अन्य परिक्षक में संरक्षित घोल में रखी सब्जियां लेकिन तुरंत खपत हेतु उनुपयुक्त	मुक्त		
07123001	मशरूम (मोरेल्स समेत)	मुक्त		
07123002	शुष्क कवक	मुक्त		
07129001	शुष्क शतावर	मुक्त		
07129005	मेजोरम, ओरेगनो	मुक्त		
07129009	अन्य, शुष्क	मुक्त		
07141000	मेनोइओक (कसावा)	मुक्त		
07149001	साबूदाना	मुक्त		
08012100	बीज में	मुक्त		
08012200	बीज निकले	मुक्त		
08029009	अन्य	मुक्त		
08105000	किवीफ्रूट	मुक्त		
13019031	टोलू/पेरु/कोपेइबा/गुर्जन के बलासम	मुक्त		
13021400	रोटिनोन वाले पौधों की जड़ों के अथवा पाइरेथ्रम	हटा दिया गया है		
15156000	जोजोबा तेल और इसके घटक	मुक्त		
15159002	छल मोगरा तेल	मुक्त		
15159003	मोवरा तेल	मुक्त		

1	2	3	4	5
15159004	कोकम तेल	मुक्त		
15159013	मिर्ची/लाल मिर्च का तेल	मुक्त		
15159014	हल्दी का तेल	मुक्त		
15159016	अजवायन बीज का तेल	मुक्त		
15159017	लहसुन का तेल	मुक्त		
17022000.90	अन्य	मुक्त		
17049001	मिठाई	मुक्त		
19022000	स्टफ्ड पास्टा, चाहे पकाया हो या नहीं, अन्यथा तैयार किया गया हो।	प्रतिबंधित	विशेष आयात लाइसेंस के तहत अनुमत है	
19023000	अन्य पास्टा	प्रतिबंधित	–वही–	
19041002	पावा, मुडी आदि	मुक्त		
19053001	कोमूनियन वैफर्स सीलिंग वैफर्स आदि	मुक्त		
20083009	अन्य रस वाले फल तैयार या संरक्षित किए हुए	मुक्त		
20084000	नाशपाती तैयार या संरक्षित	मुक्त		
20085000	खुबानी	मुक्त		
20086000	चैरी	मुक्त		
20087000	आडू	मुक्त		
20088000	स्ट्राबेरी	मुक्त		
20089912	अंगूर, तैयार या संरक्षित	मुक्त		
20089913	सेब, तैयार या संरक्षित	मुक्त		
20089914	अमरूद, तैयार या संरक्षित	मुक्त		
20089919	अन्य फल, तैयार या संरक्षित	मुक्त		
20091100	प्रशीतित	मुक्त		
20091900	अन्य	मुक्त		
20097000	एप्पल जूस	मुक्त		
20098001	मैंगो जूस	मुक्त		
21069004	पेय तैयार करने हेतु मिश्रित घोल (गैर–अल्कोहल)	मुक्त		
22011000	मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर	प्रतिबंधित	विशेष आयात के तहत आयात अनुमत है	
22019009	अन्य जल (प्राकृतिक जल समेत)	मुक्त		
22021001	नींबू जल	मुक्त		
22021009	नींबू जल के अलावा	मुक्त		
2202900.10	मधुमेह रोगियों हेतु पेय पदार्थ (मधुमेह सीरप सहित)	मुक्त		

1	2	3	4	5
29173905	ट्राइमेलिटिक एंहायड्रिड	मुक्त		
29173906	इसोफेयलिक एसिड	मुक्त		
एग्जिम कोड 31039000 और 31049000 के अधीन मदें राज्य व्यापार निगम के तहत होंगी। समयबद्ध एजेंसी, एम. एम. टी. सी. इंडिया लिमिटेड इन मदों के आयात के संबंध में सामान्य वाणिज्यिक प्रणाली का अनुसरण करेंगी।				
32081002	निट्रोसेलूलोस लेक्वेयर्स	मुक्त		
32081009	अन्य	मुक्त		
32082002	वार्निस	मुकत		
32082003	प्राकृतिक रेसिन एनामेल	मुक्त		
32082009	एक्रिलिक/विनाइल पॉलिमर पर आधारित अन्य पेंट वार्निस	मुक्त		
[illegible]2	कृत्रिम एनामेल, अलदा व्हाइट पेंट्स	मुक्त		
32089003	कृत्रिम एनामिल, अन्य कलर्स	मुक्त		
32089009	अन्य पेंट्स, वार्निस (एनामेल और लेकवेयर्स समेत)	मुक्त		
32091001	प्लास्टिक इमल्शन पेंट्स, सभी प्रकार	मुक्त		
32091009	एक्रिलिक/विनाइल पॉलिमर पर आधारित अन्य पेंट्स	मुक्त		
32099001	डिस्पर्सन पेंट्स	मुक्त		
32099002	इमल्शन पेंट्स नेस	मुक्त		
32141000	ग्लेनियर्स पुट्टी, ग्राफटिंग पुट्टी, रेसिन सीमेंट्स, कोकिंग कंपाऊंड्स और अन्य मासटिक्स, पेंट्र्स, फिलिंग्स	मुक्त		
32149001	नॉन रिफ्रेक्टरी सरफेसिंग प्रिपरेशन, फैकेड्स आदि हेतु	मुक्त		
32149002	एडहेसिव सीमेंट	मुक्त		
एग्जिम कोड 33013002 और 33013003 को नए एग्जिम कोड 33013000 और 33013001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।				
33012927	चंदन लकड़ी का तेल थोक में	मुक्त		
33012944	अगर का तेल	मुक्त		
33012945	रेसिनायड्स	मुक्त		
33013000	रेसिनायड्स	हटा दिया गया है		
33013001	अगर का तेल	हटा दिया गया है		
33019019	प्राकृतिक सुगंधितों के एक्वयस डिस्टलेट्स	मुक्त		
33049904	सिंदूर, बिंदी, कुमकुम	मुक्त		
33049905	सभी प्रकार की हल्दी प्रिपरेशन्स	मुक्त		

1	2	3	4	5
33052000	स्थायी रूप से घुंघराले बनाने अथवा बाल सीधे करने वाले प्रिपरेशन	मुक्त		
33071001	सेविंग क्रीम	मुक्त		
33079001	डेपीलेटरिज (साबुन, अन्य बाल सफा पदार्थ)	मुक्त		
33079009	अन्य	मुक्त		
34011101	मेडिकेटिड सोप	मुक्त		
34011103	डेंटॉल सोप के अलावा अन्य टॉयलेट सोप	मुक्त		
340290	वाशिंग प्रेपरेशन्स, (एकसीलरी वाशिंग प्रेपरेशन्स)	मुक्त		
01.10	और क्लीनिंग प्रेपरेशन्स, साबुन या अन्य कार्बनिक सर्फेस–एक्टिव एजेंटों के आधार वाले			
340290	क्लीनिंग या डिप्रेसिंग प्रेपरेशन्स, जिनका	मुक्त		
01.20	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म के साबुन या अन्य कार्बनिक सर्फेस एक्टिव एजेंटों का आधार नहीं है।			
340510	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	मुक्त		
00.10				
340510	उपभोक्ता पैकों में	मुक्त		
00.20				
340520	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	मुक्त		
00.10				
340530	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	मुक्त		
00.10				
340540	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	मुक्त		
00.10				
340590	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	मुक्त		
01.10				

1	2	3	4	5
340590	उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किस्म का	मुक्त		
09.10				
381900	उपभोक्ता पैकों में 20 लीटर	मुक्त		
01.10	ब्रेक फ्लूड			
38190009	अन्य	मुक्त		
39181000	विनायल क्लोराइड के पोलिमर का	मुक्त		
39189001	लिनोएक्सीन की फ्लोर क्लरिंग्स	मुक्त		
39189009	अन्य की फ्लोर क्लरिंग्स आदि	मुक्त		
[illegible]	अन्य			
	300 लीटर क्षमता से अधिक जलाशय, टैंक, वेट और ऐसे ही कंटेनर	मुक्त		
39252000	दरवाजे, खिड़कियां और इनके फ्रेम तथा दरवाजों के लिए प्रेशहोल्ड	मुक्त		
39253000	शअर, ब्लिन्ड (वेटेनिक ब्लिन्ड सहित) और ऐसी ही वस्तुएं तथा इनके हिस्से–पुर्जे	मुक्त		
39259000	अन्य	मुक्त		
39261001	प्लास्टिक स्टिकर प्रिंटिड हो या न हो, एम्बोस्ड/इम्प्रश्नेटिड	मुक्त		
39263001	सेलूलेस एडहीसिव टैपें	मुक्त		
39263009	अन्य	मुक्त		
40169200	एरेजर	मुक्त		
40169903	रबड़ बेंड	मुक्त		
42022909	अन्य	मुक्त		
42023909	अन्य	मुक्त		
42029900	अन्य	मुक्त		
45041001	शीटें	मुक्त		
45041002	स्लेबें	मुक्त		
45041009	अन्य	मुक्त		
46011000	प्लेट्स और प्लेटिंग मटीरियल के ऐसे ही उत्पाद, स्ट्रिपों में एसेम्बल्ड हों या न हों	मुक्त		
480260	अन्य	प्रतिबंधित	विशेष आयात	
09.90			लाइसेंस के अधीन	
			आयात की अनुमति है	

1	2	3	4	5
48091001	मेनीफोल्ड पेपर	मुक्त		
480910	फैक्स मशीनों के लिए	मुक्त		
09.10	थर्मल पेपर	मुक्त		
480910	अन्य	मुक्त		
09.90				
शीर्ष 48.11 और एक्जिम कोड 48111000 के सामने कॉलम 3 में दी गई प्रविष्टियों को हटा दिया जायेगा।				
48112109	अन्य सेल्फ एड्हीसिव पेपर और पेपर बोर्ड	मुक्त		
48112900	अन्य	मुक्त		
48113100	ब्लीच्ड, 150 ग्राम/वर्ग मीटर से ज्यादा भार	मुक्त		
48113901	सर्फेस डेकोरेटिड प्लास्टिक लेमिनेटिड पेपर	मुक्त		
481139	अन्य	मुक्त		
09.90				
48114001	वैक्स्ड पेपर (वैस्क्ड मेनीफोल्ड पेपर)	मुक्त		
48114009	अन्य	मुक्त		
48119001	हाथ से निर्मित कागज और पेपर बोर्ड रूल्स लाइन्ड या वर्गाकार किन्तु अन्यथा प्रिंटिड न हो	मुक्त		
48119003	कागज या लुगदी इम्प्रिग्नेटिड के बिल्डिंग बोर्ड	मुक्त		
48119005	रसायनों या कीट नाशकों से इम्प्रिग्नेटिड कागज (उदाहरणार्थ लिटमस/ डी. डी. टी. कोटिड पेपर)	मुक्त		
46119006	सेंससिटाइजिंग कोटिड के लिए रॉ बेस पेपर	मुक्त		
48119007	सर्फेस मार्बल्ड पेपर	मुक्त		
48161000	कार्बन या ऐसे ही कॉपिंग कागज	मुक्त		
48162001	साइज में काटे गये डुप्लीकेटिंग पेपर			
48163000	डुप्लीकेटिर स्टेंसिल	मुक्त		
490700	सॉफ्टवेयर कम्पनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर	मुक्त		
00.20	के प्रयोग के लिए टाइटल के सभी दस्तावेज			

1	2	3	4	5
58041000	टूल्स और अन्य नेट फैब्रिक्स	मुक्त		
58042100	मानव निर्मित फाइबर का	मुक्त		
58042900	अन्य वस्त्र सामग्री का	मुक्त		
58043000	हाथ से बनी लेस	मुक्त		
58061000	वूवन पाइल फैब्रिक्स (टेरी टॉवलिंग और समान टैरी फैब्रिक्स) और चेनाइल फैब्रिक्स)	मुक्त		
580620	अन्य	मुक्त		
00.90				
(i)	कॉटन का	मुक्त		
(ii)	अन्य वस्त्र सामग्री का	मुक्त		
58064000	एडहेसिव लगाकर वैफ्ट असैम्बल के बिना वार्प वाले फैब्रिक्स	मुक्त		
580810	अन्य	मुक्त		
00.90				
58101000	फ्यूजिबल एम्ब्रायडरी मॉटिफ सहित विजिवल ग्राउन्ड के बिना एम्ब्रायडरी	मुक्त		
58109100	कॉटन का	मुक्त		
58109200	मानव निर्मित फाइबर का	मुक्त		
58109900	अन्य वस्त्र सामग्री का	मुक्त		
630790	अम्ब्रेला क्लॉथ पैनल	मुक्त		
00.20				
65051000	हेयर नेट्स	मुक्त		
65069200	फरस्किन का	मुक्त		
67041100	कम्पलीट विग्स	मुक्त		
67042009	अन्य	मुक्त		
67049000	अन्य सामग्री को	मुक्त		
68010000	नैचुरल स्टोन (स्लेट को छोड़कर) के सैट्स, कर्बस्टोन्स और फ्लैगस्टोन्स	मुक्त		
68022102	मार्बल मान्यूमैन्ट्स	मुक्त		
68079002	असफाल्ट/ऐसी ही सामग्री की अन्य वस्तुएं	मुक्त		
68101101	सीमेंट ब्रिक्स	मुक्त		
68109100	बिल्डिंग अथवा सिविल इन्जीनियरिंग के लिए प्रिफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल कम्पनैन्ट्स	मुक्त		

1	2	3	4	5
69010002	ब्लॉक्स	मुक्त		
69041000	बिल्डिंग ब्रिक्स	मुक्त		
69059000	अन्य	मुक्त		
69071000	टाइन्स, क्यूब्स और ऐसी ही वस्तुएं, आयताकार हों अथवा न हों, जिसका बड़ा सतह क्षेत्र वर्ग, जिसकी दिशा 7 से. मी. से कम हो, के अन्दर आ सके	मुक्त		
70101000	एम्पूल्स	मुक्त		
70109200	बोतलों के छोड़कर 0.33 लीटर से अधिक लेकिन 1 लीटर से अधिक न हो	मुक्त		
70109300	बोतलों को छोड़कर 0.15 लीटर से अधिक किन्तु 0.33 लीटर से अधिक न हो	मुक्त		
70109400	बोतलों को छोड़कर 0.15 लीटर से अधिक न हो	मुक्त		
70179003	अन्य डाइजेनिक ग्लास वेयर	मुक्त		
710420	सिन्थेटिक्स रूबी, अन्वर्क्ड अथवा सिम्पली सॉन	प्रतिबन्धित	विशेष आयात लाइसेंस (एस. आई. एल.) के मुद्दे आयात की अनुमति है	
00.90	अथवा रफली शेप्ड को छोड़कर सिन्थेटिक अथवा रिवर्क्ड प्रेशियस अथवा सेमी प्रेशियस स्टोन्स			
71049000	अन्य	प्रतिबन्धित	विशेष आयात लाइसेंस (एस. आई. एल.) के मुद्दे आयात की अनुमति है	
71171100	कफ लिन्क्स और स्टड्स	मुक्त		
73090003	प्रैस्सड स्टील टैन्क्स	मुक्त		
73090004	प्रेशर वैसल्स आयरन/स्टील एन. इ. एस. के रिजरवेयर्स, टैन्क्स, वैट्स इत्यादि	मुक्त		
73130002	ट्विस्टेड हूप/सिंगल फलैट वायर जो कि कांटेदार हो अथवा न हो तथा ढीली मुड़ी हुई डबल वायर फैन्सिंग के लिए प्रयोग की गई	मुक्त		

1	2	3	4	5
73141200	स्टेनलैस स्टील की मशीनरी के लिए एण्डलैस बैन्ड	मुक्त		
73141300	मशीनरी के लिए अन्य एण्डलैस बैण्ड्स	मुक्त		
73141909	अन्य	मुक्त		
73144200	प्लास्टिक से कोटेड	मुक्त		
73144900	अन्य	मुक्त		
74170001	ऑयल प्रैशर स्टोव्स	मुक्त		
74170009	अन्य स्टोव	मुक्त		
74170019	अन्य सभी कुकिंग और हीटिंग उपकरण	मुक्त		
	स्टोव के बर्नर	मुक्त		
	स्टोव के अन्य हिस्से	मुक्त		
74181100	पॉर्ट स्कूटर्स और स्कूरिंग अथवा पॉलिशिंग पैड, ग्लोव्स और ऐसे ही	मुक्त		
741991	कॉपर, कास्ट, मोल्डेड, स्टैम्पड अथवा फॉर्जड की	मुक्त		
00.10	अन्य वस्तुएं लेकिन जिन पर आगे काम न किया गया हो, उपभोक्ता माल के रूप में वर्गीकृत			
741999	अन्य	मुक्त		
01.90				
76101000	दरवाजे, खिड़कियां और उनके फ्रेम और दरवाजों के लिए दहलीज	मुक्त		
76109001	फिनिश्ड स्ट्रक्चर	मुक्त		
76121000	कोलाप्सिबल ट्यूबलर कन्टेनर्स	मुक्त		
82021002	वुड वर्किंग और ऐसे ही हैण्ड सॉ, सभी प्रकार के	मुक्त		
82029103	हैक सॉ फ्रेम्स	मुक्त		
82029900	अन्य	मुक्त		
82031000	फाइल्स, रैसप्स और इसी प्रकार के टूल्स	मुक्त		
82034001	परफोरेटिंग पन्चेस और पाइप कटर्स	मुक्त		
82034009	अन्य	मुक्त		
82042000	हैण्डलों के बिना अथवा हैण्डलों सहित इन्टरचेन्जेबल स्पैनर सॉकेट्स	मुक्त		
82051000	ड्रिलिंग, बैंडिंग अथवा टैपिंग टूल्स	मुक्त		
82055902	मेटल वर्किंग हैण्ड टूल्स	मुक्त		

1	2	3	4	5
82055903	विशेष प्रयोगों, जैसे कि घड़ी बनाने के औजारों, सुनार के औजारों के लिए हैण्ड टूल्स	मुक्त		
82055909	अन्य	मुक्त		
82056000	ब्लो लैम्प	मुक्त		
82057000	वाइसेज, क्लैम्पस और समान	मुक्त		
82058001	एन्विल्स और पोर्टेबल फाजैस	मुक्त		
82058002	फ्रेमवर्क्स हैण्डक/पैडल ओप्रेटेड सहित ग्राइन्डिंग व्हील्स	मुक्त		
82100000	भोज्य अथवा पेय पदार्थों की तैयारी, सजावट अथवा सर्व करने में प्रयोग होने वाले हैण्ड ऑप्रेटेड मैकेनिकल एप्लाएन्सेज, जिनका भार 10 कि॰ ग्रा॰ अथवा कम हो	मुक्त		
82119500	बेस मेटल के हैण्डल	मुक्त		
82121001	टिवन टाइप शेविंग सिस्टम	मुक्त		
82121009	अन्य रेजर्स	मुक्त		
82122001	सेफ्टी रेजर ब्लेड्स	मुक्त		
8212002	सेफ्टी रेजर ब्लेड ब्लैन्कस, स्ट्रिप्स में	मुक्त		
82122003	डिस्पोजेबल कार्टरिज ब्लेड	मुक्त		
82149001	बेस मेटल की कटलरी के हैण्डल	मुक्त		
83013000	फर्नीचर में प्रयुक्त किए जाने वाले एक प्रकार के ताले	मुक्त		
83030000	बेस मेटल के, स्ट्रोंग रूम, कैश और डीड बॉक्स के लिए आर्मर्ड या रिइन्फार्स्ड सेफ, स्ट्रांग बॉक्स और दरवाजों और सेफ डिपाजिट लाकर्स	मुक्त		
830890 03.90	अन्य	मुक्त		
83099001	एल्युमीनियम कैप्स, सीलें, कैप्सूल और क्लोजर्स	मुक्त		
83099002	सभी प्रकार की सीलें (मैकेनिकल सीलों सहित)	मुक्त		
83099009	अन्य	मुक्त		

1	2	3	4	5
84142000	हाथ या पांव से चालित एयर पम्प	प्रतिबन्धित	विशेष आयात लाइसेंस के प्रति आयात अनुमत है	
84191101	नॉन–इलैक्ट्रीकल (घरेलू किस्म)	मुक्त		
84191901	नॉन–इलैक्ट्रीकल (घरेलू किस्म)	मुक्त		
84244000	बोनपेट फायर एक्स्टिंगुइसर	मुक्त		
84471101	ऊन के लिए हैण्ड निटिंग मशीन	मुक्त		
84471201	ऊन के लिए हैण्ड निटिंग मशीन	मुक्त		
	निटिंग मशीनें, एन. इ. एस.	मुक्त		
	डोमेस्टिक टाइप की फ्लैट निटिंग मशीनें	मुक्त		
01.10	डोमेस्टिक टाइप			
844720	डोमेस्टिक टाइप की फ्लैट निटिंग मशीनें	मुक्त		
09.10	डोमेस्टिक टाइप			
844720	डोमोस्टिक टाइप की फ्लैट	मुक्त		
11.10	निटिंग मशीनें			
844720	डोमेस्टिक टाइप की फ्लैट	मुक्त		
19.10	निटिंग मशीनें			
84719007	वी. जी. ए. मानीटर	हटा दिया गया है		
84719008	सी जी. ए. मानीटर	हटा दिया गया है		
84797000	गारबेज काम्पैक्टर	मुक्त		
85044005	ऑटोमेटिकली कन्ट्रोल्ड वेरिएबल फ्रिक्वेन्सी और वेरिएबल वोल्टेज	मुक्त		
85068002	निकल–कैडमियम, चार्जेबल (पेन्सिल बैटरी)	मुक्त		
85072000	अन्य लैड–एसिड एकम्युलेटर्स	मुक्त		
85073000	निकेल–कैडमियम	मुक्त		
85074000	निकेल आयरन	मुक्त		
85075000	लीथियम आयोडीन बैटरी	मुक्त		
85078000	अन्य एकम्युलेटर्स	मुक्त		
85093000	किचेन वेस्ट डिस्पोजर्स	मुक्त		
85232004	सी. डी. रिकार्डेबल	मुक्त		
85249909.6	सी. डी. ऑडियो, सी. डी. वीडियो और सी. डी.–रॉम के लिए स्टैम्पर	मुक्त		

1	2	3	4	5
85254000	वीडियो कैमरा/कैम्कोर्डस	मुक्त		
853931	काम्पैक्ट फ्लोरसैन्ट लैम्प्स	मुक्त		
00.10				
853931	ट्रायफॉस्फर एनर्जी एफिशियन्ट फ्लोरसेन्ट	मुक्त		
00.20	लैम्पस			
853931	अन्य	मुक्त		
00.90				
85399001	फ्लोरसैन्ट ट्यूब लैम्पों के हिस्से	मुक्त		
87119001	साइड कारें	मुक्त		
87161000	हाऊसिंग या कैम्पिंग (नान–मोटोराइज्ड) के लिए कारवों टाइप के ट्रेलर्स और सेमी–टेलर्स	मुक्त		
87162000	कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए सेल्फ–लोडिंग या सेल्फ अनलोडिंग टेलर्स और सेमी ट्रेलर्स	मुक्त		
87163100	टैंकर ट्रेलर्स और टैंकर सेमी ट्रेलर्स	मुक्त		
87163900	अन्य	मुक्त		
87164000	अन्य ट्रेलर्स और सेमी–ट्रेलर्स	मुक्त		
87168001	हैन्ड प्रोपेल्ड व्हीकल्स (यानि हैन्ड काट्र्स, रिक्शा आदि)	मुक्त		
88040000	पैराशूट्स (डिरीजीबल पैराशूट्स और पैरा ग्लाइडर्स सहित) और रोटोशूट्स, उनके हिस्से और उनकी एक्सेसरीज	मुक्त		
90019001	आप्टीकल कैल्साइल क्रिस्टल	मुक्त		
90031100	प्लास्टिक का	मुक्त		
90031900	अन्य सामग्री का	प्रतिबंधित	विशेष आयात लाइसेंस के अधीन आयात अनुमत है	
90328905	वोल्टेज स्टेबलाइजर (घरेलू प्रकार को छोड़कर) अन्य	मुक्त		

1	2	3	4	5
एग्जिम कोड 91.01 और 91.02 के अधीन "रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट कलाई की घड़ियों के आयात की विशेष आयात लाइसेंस के तहत अनुमति है" नामक प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।				
91011100	केवल मैकेनिकल डिस्पले सहित	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91011200	केवल ओपटो–इलैक्ट्रानिक डिस्पले सहित	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91011900	अन्य	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91012100	ऑटोमेटिक वाइन्डिंग सहित	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91012900	अन्य	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91019101	पॉकेट घड़िया	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाइसेंस के तहत रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।

1	2	3	4	5
91019109	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाइसेंस के तहत रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91019901	पॉकेट घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाइसेंस के तहत रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91019909	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाइसेंस के तहत रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91021100	केवल मैकेनिकल डिस्पले सहित	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91021200	केवल ओटो–इलैक्ट्रॉनिक डिस्पले सहित	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91021900	अन्य	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91022100	ऑटोमैटिक बाइन्डिंग सहित	प्रतिबंधित	तथापि, रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।	
91029101	अन्य	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाइसेंस के तहत रुपये 35,000/–(सी. आई.

1	2	3	4	5
				एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91029109	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाइसेंस के तहत रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91029901	पॉकेट घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाइसेंस के तहत रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
	अन्य घड़ियां	प्रतिबंधित		विशेष आयात लाइसेंस के तहत रुपये 35,000/– (सी. आई. एफ.) से अधिक प्रति यूनिट के आयात की अनुमति है।
91061000	टाइम रजिस्टर्स, टाइम रिकार्ड्स	मुक्त		
91062000	पार्किंग मैटर्स	मुक्त		
91069000	अन्य	मुक्त		
91099000	अन्य	मुक्त		
94033001	कैबनिट वायर	मुक्त		
94033009	अन्य	मुक्त		
94034000	कीचन में उपयोग में लाये जाने वाला एक प्रकार का लकड़ी का फर्नीचर	मुक्त		
94035001	बेड स्टीड	मुक्त		
94035009	बेड रूम में उपयोग में लाये जाने वाला अन्य लकड़ी का फर्नीचर	मुक्त		
94036000	अन्य लकड़ी का फर्नीचर	मुक्त		
94037000	प्लास्टिक के फर्नीचर	मुक्त		
94041000	मैट्रेस स्पोर्ट	मुक्त		
94042100	ढके अथवा बिना ढके सेल्लुलर रबड़ या प्लास्टिक के	मुक्त		
94042900	अन्य सामग्री के	मुक्त		
94043000	स्लीपिंग बैग	मुक्त		
94060009.10	प्रीफेब्रिकेटेड हाउसिंग मैटिरियल	मुक्त		

1	2	3	4	5
95010001	सवारी के लिए डिजायन किए गये पहिये वाले खिलौने	मुक्त		
95021001	लकड़ी की गुड़िया	मुक्त		
95021002	धातु की गुड़िया	मुक्त		
95021003	प्लास्टिक की गुड़िया	मुक्त		
95021009	अन्य	मुक्त		
95031000	इलेक्ट्रिक ट्रेन जिनमें ट्रेक, सिंगनल्स और अन्य सह समान जुड़े हों	मुक्त		
95033000.10	एजुकेशनल गेम्स और फंक्सनल/टेक्नीकल खिलौना/मॉडल्स/किट्स	मुक्त		
95033000.90	अन्य	मुक्त		
95043001	कैरम बोर्ड उसके चाहे कायन्स और स्टाइकर्स हों अथवा न हों।	मुक्त		
95044000	प्लेइंग कार्ड	मुक्त		
95049001	चेस सेट, सभी किस्म के	मुक्त		
95049009	अन्य	मुक्त		
95051000	क्रिसमस उत्सवों के लिए वस्तुएं	मुक्त		
95059001	जादुई उपकरण	मुक्त		
95059009	अन्य (आनंदोत्सव और मनोरंजन की वस्तुएं आदि)	मुक्त		
95066204	फुटबॉल	मुक्त		
95066205	वॉलीबॉल	मुक्त		
95055206	बास्केट बाल	मुक्त		
95066209	अन्य	मुक्त		
95066903	रावीबॉल	मुक्त		
95066904	क्रिकेट बॉल	मुक्त		
95069909	अन्य	मुक्त		
95069901	बैडमिंटन शटल कॉक	मुक्त		
95069903	क्रिकेट संबंधी वस्तुएं	मुक्त		
95069904	फुटबॉल संबंधी वस्तुएं	मुक्त		
95069905	हॉकी स्टिक्स और ब्लेड्स	मुक्त		
95069906	ब्लेड्स, शैफ्ट्स और हैड्स सहित पोलोस्टिक्स	मुक्त मुक्त		
95069907	स्पोर्ट्स नेट्स	मुक्त		
95080000.10	एम्यूजमेंट पार्क संबंधी उपकरण	मुक्त		
96039000	अन्य	मुक्त		
96040000	हैन्ड सीव्ज और हैन्ड रिडल्स	मुक्त		
96089901	पैन होल्डर्स और सिमिलर होल्डर्स	मुक्त		

1	2	3	4	5
96091000	रिजिड शीट में लीड्स एन्केस्ड सहित पेंसिल्स क्रेयन्स	मुक्त		
96099001	स्लेट पेन्सिल्स	मुक्त		
96099009	अन्य पेंसिल	मुक्त		
96099011	पेस्टल्स, ड्राइंग तारकोल और राइटिंग या ड्राइंग चाक और टेलर्स चाक	मुक्त		
96110000	डेट सीलिंग या नम्बरिंग और ऐसी ही वस्तुएं (प्रिंटिंग या एम्बोसिंग लेबलों के लिए डिवाइस सहित), हॉप द्वारा संचालन के लिए डिजाइन किये गये, हस्तसंचालित कम्पोजिंग स्टिक्स जैसे हस्त मुद्रित सैट	मुक्त		
97040000.10	इस्तेमाल किये गये डाक टिकट	मुक्त		
97040000.20	टिकट–संग्राहियों के लिए इस्तेमाल किये गये या इस्तेमाल न किये गये प्रथम दिवस कवर	मुक्त		
97040000.90	अन्य	मुक्त		

इसे लोकहित में जारी किया जाता है,

ह.
(एन. एल. लखनपाल)
महानिदेशक, विदेश व्यापार और
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

प्रति सभी संबंधितों को,
आदेश आदि से,

(राजन सुदेश रत्न)
उपमहानिदेशक, विदेश व्यापार

फाइल संख्या आई. पी. सी./4/5/(667)/97–02 से जारी

[हिन्दी]

रबड़ की खेती

1662. श्री अजीत जोगी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राज्यवार कितने क्षेत्र पर रबड़ की खेती की जाती है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रबड़ की खेती से संबंधित कोई सर्वेक्षण किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में स्थानीय तौर पर उपलब्ध रबड़ की खेती करने और इसके प्रसंस्करण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) 1997–98 के अंत में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में रबड़ की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

		(हेक्टेयर में)
(i)	त्रिपुरा	23,000
(ii)	असम	10,500
(iii)	मेघालय	4,400
(iv)	मणिपुर	1,225
(v)	मिजोरम	950
(vi)	नागालैंड	1,200
(vii)	अरुणाचल प्रदेश	110
	कुल	41,385

(ख) से (ग) जी, हां। रबड़ बोर्ड ने रबड़ की खेती के लिए उपलब्ध कृषि–जलवायु के अनुकूल भूमि के क्षेत्र–विस्तार का निर्धारण करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण किए हैं। उक्त क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिए अनुकूल क्षेत्र का अनुमान लगाया गया है :

	(हेक्टेयर में)
(i) असम	2,00,000
(ii) त्रिपुरा	1,00,000
(iii) मेघालय (iv) नागालैंड (v) मणिपुर	1,00,000
(vi) आन्ध्र प्रदेश (vii) मिजोरम	50,000
कुल	4,50,000

(घ) रबड़ बोर्ड सामुदायिक प्रसंस्करण के लिए अनु. जनजाति/अनु. जाति के समूहों को दी जा रही विशेष सहायता के अतिरिक्त रियायती दरों पर रोलर तथा अन्य बागान उपस्कर उपलब्ध करवा कर तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर स्मोक हाउसों के निर्माण में सहायता प्रदान कर प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए छोटे उत्पादकों की सहायता करता आ रहा है। रबड़ बोर्ड उद्यमी विकास कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कक्षाओं को भी चलाता है तथा स्थानीय उद्यमियों को इस क्षेत्र में रबड़ के सामान का विनिर्माण करने वाली इकाइयां शुरू करने के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करता है।

[अनुवाद]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक

1663. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी निवेशकों को आकृष्ट करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संस्थागत वित्तीय निवेशकों की लगातार मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

1664. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान विधि व्यवस्था में ऋण वसूली न्यायाधिकरण का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम रुग्ण औद्योगिक उपक्रम (विशेष उपबंध) राष्ट्रीयकरण अधिनियम, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इन अधिनियमों में संशोधन कर दिया जाएगा; और

(ङ) ऋण की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (डी. आर. टी. अधिनियम) को राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 27 अगस्त, 1993 को मिली तथा जिसकी 24 जून, 1993 से प्रभावी होने की अपेक्षा थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 10 मार्च, 1995 को दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में अधिनियम को असंवैधानिक एवं शून्य करार दिया। तब तक सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बैंगलूर तथा अहमदाबाद में पांच ऋण वसूली अधिकरण (डी. आर. टी.) स्थापित कर दिए थे। सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (एस. एल. पी.) के माध्यम से मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने के लिए तुरन्त कार्रवाई की तथा माननीय न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका स्वीकार की और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया। उसके बाद दिनांक 18 मार्च, 1996 के अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी भी रिट याचिका में दिए गए किसी स्थगन आदेश के होते हुए भी, डी. आर. टी. अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए ऋण वसूली अधिकरण (डी. आर. टी.) अपना कार्य

पुनः आरम्भ करेंगे। ऋण वसूली अधिकरणों ने कथित उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ही गंभीरता से कार्य करना प्रारंभ किया। 31 दिसम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार, उन्होंने 1841 मामलों को निपटाया और 182.05 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई। निपटाए गए मामलों की संख्या और वसूली गई राशि की प्रमात्रा की तुलना में कार्यनिष्पादन हालांकि महत्त्वपूर्ण नहीं है, परन्तु स्थान की व्यवस्था, पीठासीन अधिकारियों का चयन, आवश्यक अधिकारियों और स्टाफ की भर्ती/प्रतिनियुक्त और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था जैसी प्रारंभिक समस्याओं पर विचार करते हुए इसे उचित माना जा सकता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक कार्य दल का गठन किया है जो विधायी संशोधनों सहित डी. आर. टी. से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। अभी [illegible] ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कार्य दल से [illegible]रशें प्राप्त होने और सरकार द्वारा उस पर कार्रवाई करने के बाद ही, यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या डी. आर. टी. को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता है।

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक प्रबंधन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वे ऋणों की वसूली और अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में कमी करने में सुधार लाएं। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही बैंकों से कहा है कि वे ऋण नीति और ऋण वसूली नीति के संबंध में दस्तावेज तैयार करें जो उनके निदेशक मंडल द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो। प्रत्येक बैंक ने महाप्रबंधक के प्रभार में मुख्यालयों में वसूली कक्षों की भी स्थापना की है। वसूलियों के लिए शाखा–वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और साथ ही निदेशक मंडल द्वारा वसूली स्थिति की नियमित आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाना

1665. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाये और यात्रा कारोबार इकाइयों को प्रोत्साहन देकर इस उद्योग को निर्यातकों के समकक्ष लाया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जैसा कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिया है कि इसमें किसी भी वस्तु का निर्माण या उत्पादन नहीं होता! अतः यह संभव नहीं है कि आई. डी. आर. अधिनियम में संशोधन करके पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए।

पर्यटन हेतु कच्छ का बुनियाद विकास

1666. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी विकास के लिए योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या माण्डवी जो एक अपरिचित गन्तव्य स्थान तथा एक अज्ञात समुद्र तट है, युवाओं के पर्यटन हेतु एक आदर्श समुद्र तट तथा बुनियादी सुविधाओं से पूर्ण एक स्थल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संदर्भ में गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अध्ययन रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) धोलीवीरा में पर्यटक सुविधाएं मुहैया कराने तथा कच्छ जिले के अंतर्गत, भुज में पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण के लिए वर्ष 1997–98 के दौरान, गुजरात सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ये दोनों परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार द्वारा तैयार पर्यटन मास्टर प्लान में विकास के लिए सुंदर समुद्रतट के रूप में, मांडवी को अभिनिर्धारित किया है।

(घ) मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पर्यटन मंत्रालय विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मिलों की भूमि का बेचा जाना

1667. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन मिलों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के भाग के रूप में इन मिलों के किन्हीं भूखंडों को बेचा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट आगरा तथा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन दिल्ली आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 398/98]

(दो) सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 399/98]

(3) (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 400/98]

(4) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 401/98]

(6) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 402/98]

(7) इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 403/98]

(8) इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 404/98]

(9) इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 405/98]

(10) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 406/98]

(11) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 407/98]

(12) सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ायन, हैदराबाद के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित

लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 408/98]

(13) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 409/98]

(14) इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, रामनगर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 410/98]

(15) इन्स्टीट्यूट फॉर डिजायन ऑफ इलेक्ट्रीकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 411/98]

(16) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 412/98]

(दो) एन्ड्रयू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड और भारत उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 413/98]

(17) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का. आ. 356(अ) जो 30 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स एल्लौरा पेपर मिल्स, मंडारा को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का. आ. 357(अ) जो 30 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स रावल पेपर्स लिमिटेड, रायबरेली को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का. आ. 358(अ) जो 30 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स शाह पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, बालसाड़ को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 414/98]

जैम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, इंडिया, मुम्बई तथा इंडियन डायमंड इन्स्टीट्यूट, सूरत आदि का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) जैम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जैम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 415/98]

(2) (एक) इंडियन डायमंड इन्स्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इन्स्टीट्यूट के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 416/98]

(3) (एक) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 417/98]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 418/98]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर तथा भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और इनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या का. आ. 706(अ) जो 6 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के संबंध में 30 जुलाई, 1997 की अधिसूचना संख्या का. आ. 472(अ) का शुद्धिपत्र अन्तर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 419/98]

(2) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर की वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर की वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 420/98]

(4) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 421/98]

(6) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 422/98]

(7) (एक) आल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को–आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को–आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 423/98]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'दी महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, मुम्बई' और "सर्व सेवा, संघ, सेवाग्राम, महाराष्ट्र" इत्यादि को छूट

वित्त मंत्र (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का. आ. संख्या 2542 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम, महाराष्ट्र को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर

निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का. आ. संख्या 2543 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल फॉर हैन्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का. आ. संख्या 2544 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का. आ. संख्या 2545 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990–81 से 1992–93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का. आ. संख्या 2546 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का. आ. संख्या 2547 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "साइट सेवर्स–रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर दि ब्लाइन्ड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का. आ. संख्या 2548 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "द एसोसिएशन ऑफ फिजीकली हैन्डीकैप्ड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997–98 से 1999–2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का. आ. संख्या 2549 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि रामकृष्ण शारदा मिशन, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का. आ. 2550 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994–95 से 1996–97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का. आ. 2551 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992–93 से 1994–95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 2552 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "गुरुदेव सिद्ध पीठ, गणेश पुरी, महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का. आ. 2553 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री गजानन महाराज संस्थान, शेगांव" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991–92 से 1993–94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का. आ. संख्या 2554 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का. आ. 2555 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का. आ. 2556 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "राजाराममोहन राय, लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994–95 से 1996–97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का. आ. 2557 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997–98 से 1999–2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्तरह) का. आ. 2558 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "द सेंटर फार एड्वान्स्ड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ (सी. ए. एस. एस.) पुणे " को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक की अवधि के लिए छूट दने के बारे में है।

(अठारह) का. आ. 2559 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद्, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट दने के बारे में है।

(उन्नीस) का. आ. 2560 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "द पिरोजेशा गोदरेज फाउन्डेशन, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का. आ. 2561 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "द बोम्बे ह्यूमेनिटेरियन लीग, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का. आ. 2562 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "कस्तूरबा गांधी नेशनल मेनोरियल ट्रस्ट, इंदौर (मध्य प्रदेश)" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का. आ. 2563 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "द मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का. आ. 2564 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "द सी. पी. रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक की अवधि के लिए छूट दने के बारे में है।

(चौबीस) का. आ. 2565 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "द सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण

वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का. आ. 2566 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट, ऋषिकेश" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989–90 से 1991–92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का. आ. 2567 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "स्वामी शुकदेवानन्द ट्रस्ट, ऋषिकेश" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992–93 से 1993–94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का. आ. 2568 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दिल्ली बाल कल्याण परिषद्, दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का. आ. 2569 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम, जिरकपुर, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का. आ. 2570 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सर रतन टाटा, ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का. आ. 2571 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–99 से 2000–2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का. आ. 2572 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सत सम्प्रदाय समरक्षिणी सभा, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का. आ. 2573 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "ज्ञान प्रबोधिनी समशोधन संस्था, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997–98 से 1999–2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का. आ. 2574 जो 11 अक्टूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री अरविन्दो सोसाइटी, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–99 से 2000–2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का. आ. 2575 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ आद्यपीठ, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–99 से 2000–2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का. आ. 2576 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "कृष्णमूर्ति फाउण्डेशन इंडिया चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का. आ. 2577 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "ज्ञान प्रबोधिनी (जेपी), पुणे" को

कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997–98 से 1999–2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) आयकर (चौथा–संशोधन) नियम, 1998 जो 6 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) आयकर (छठा–संशोधन) नियम, 1998 जो 8 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 390(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1998 जो 13 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 1998 जो 12 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 34(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतालीस) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 16 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 50 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बयालीस) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 4 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 102(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 454/98]

(2) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 को उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा. का. नि. 165(अ) जो 1 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या 44/98 सेवा–कर में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि 9 और देशों के राजनयिक मिशनों के नामों को शामिल किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 205(अ) जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रदान की गई कर–योग्य सेवाओं को छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 425/98]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा. का. नि. 486(अ) जो 27 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को ऐसे माल की तरह विनिर्दिष्ट किया गया है जिस पर उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधान लागू होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 487(अ) जो 27 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में खुदरा विक्रय कीमत के चालीस प्रतिशत को कमी के रूप में अनुज्ञात किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. का. नि. 488(अ) जो 27 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फुटवियर को ऐसे माल की तरह विनिर्दिष्ट किया गया है जिस पर उक्त धारा की उपधारा (2) का परन्तुक लागू होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. का. नि. 489(अ) जो 27 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय, निर्धारण योग्य मूल्य जिस पर फुटवियर पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना है, निश्चित करने के प्रयोजनार्थ खुदरा बिक्री कीमत में पचास प्रतिशत की कमी प्रदान करना है, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. का. नि. 494(अ) जो 29 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 29 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 22/97 के. उ. शु. का विखंडन करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा. का. नि. 495(अ) जो 29 अगस्त, 1997 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा वातित जल को ऐसे माल की तरह विनिर्दिष्ट किया गया है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की उपधारा (2) के प्रावधान लागू होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा. का. नि. 496(अ) जो 29 अगस्त, 1997

के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले वातित जल के संबंध में खुदरा विक्रय कीमत में पचास प्रतिशत की कमी को अनुज्ञात किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा. का. नि. 516(अ) जो 1 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1997 जो कि भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 517(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा. का. नि. 518(अ) जो 1 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 अगस्त, 1996 की अधिसूचना संख्या 28/96 के. उ. शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा. का. नि. 554(अ) जो 18 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सभी प्रकार के माल को ऐसे माल की तरह विनिर्दिष्ट करना है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की उपधारा (2) के प्रावधान लागू होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा. का. नि. 555 (अ) जो 18 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में खुदरा विक्रय कीमत के तीस प्रतिशत की कमी के रूप में अनुज्ञात करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा. का. नि. 556(अ) जो 18 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को ऐसे माल की तरह विनिर्दिष्ट किया गया है जिस पर उक्त धारा के प्रावधान लागू होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा. का. नि. 557(अ) जो 18 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में खुदरा विक्रय कीमत के 35 प्रतिशत की कमी के रूप में अनुज्ञात करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1997 जो 18 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 426/98]

(4) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा. का. नि. 371(अ) जो 8 जुलाई, 1997 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97–सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 452(अ) और सा. का. नि. 473(अ) जो 6 और 20 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97–सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. का. नि. 525(अ) जो 10 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 13/97–सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. का. नि. 538(अ) जो 15 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. का. नि. 583(अ) जो 8 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97–सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 427/98]

(5) अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 432(अ) जो 30 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाले एक्रिलोनाईट्रायल ब्यूटाडोन रबड़ जिसका उद्गम या निर्यात जर्मनी या कोरिया गणराज्य से किया जाता है और भारत में आयात किया जाता है, पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 428/98]

(6) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा की कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 जो 5 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 124(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, प्रबंध निदेशक (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1998 जो 5 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 125(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 31 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 156(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 429/98]

(7) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 17क की उपधारा (5) के अतर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1998 जो 5 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 168(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्राते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 430/98]

(8) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन विनियम, 1998 जो 21 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-2 (11) इन्श्यो. 111/97 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 1998 जो 9 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 81(1)/आई. एन. एस. 11/97 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 431/98]

(9) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्यांक 1)-(सिविल) संघ सरकार के लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 432/98]

(दो) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्या 2) (सिविल)-संव्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 433/98]

(तीन) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्यांक 5)-(वैज्ञानिक विभाग)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 434/98]

(10) वर्ष 1996-97 के लिए संघ सरकार वित्तीय लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 435/98]

(11) वर्ष 1996-97 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 436/98]

(12) (एक) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 437/98]

(14) वर्ष 1998–99 के लिए संसद, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय सचिवालयों की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 438/98]

(15) अधिसूचना संख्या का. आ. 714 (अ) जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 80–झक के अंतर्गत 7 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कर–मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 439/98]

कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम और कोल इंडिया लिमिटेड आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 440/98]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 441/98]

(3) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 442/98]

नौवीं से ग्यारहवीं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण की प्रति

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : महोदय, श्रीराम नाईक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक)	विवरण संख्या 43 –दूसरा सत्र, 1990	नौवीं लोक सभा	[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 443/98]
(दो)	विवरण संख्या 35 –तीसरा सत्र, 1992		[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 444/98]
(तीन)	विवरण संख्या 33 –चौथा सत्र, 1992		[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 445/98]
(चार)	विवरण संख्या 28 –पांचवां सत्र, 1992		[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 446/98]
(पांच)	विवरण संख्या 30 –छठा सत्र, 1993		[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 447/98]
(छह)	विवरण संख्या 26 –सातवां सत्र, 1993	दसवीं लोक सभा	[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 448/98]
(सात)	विवरण संख्या 25 –आठवां सत्र, 1993		[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 449/98]
(आठ)	विवरण संख्या 23 –नौवां सत्र, 1994	दसवीं लोकसभा	[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 450/98]

(नौ) विवरण संख्या 18 –ग्यारहवां सत्र, 1994 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 451/98]

(दस) विवरण संख्या 16 –बारहवां सत्र, 1994 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 452/98]

(ग्यारह) विवरण संख्या 14 –तेरहवां सत्र, 1994 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 453/98]

(बारह) विवरण संख्या 11 –चौदहवां सत्र, 1995 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 454/98]

(तेरह) विवरण संख्या 9 –पन्द्रहवां सत्र, 1995 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 455/98]

(चौदह) विवरण संख्या 8 –सोलहवां सत्र, 1996 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 456/98]

(पन्द्रह) विवरण संख्या 6 –दूसरा सत्र, 1996 ग्यारहवीं लोकसभा [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 457/98]

(सोलह) विवरण संख्या 5 –तीसरा सत्र, 1996 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 458/98]

(सत्रह) विवरण संख्या 4 –चौथा सत्र, 1997 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 459/98]

(अट्ठारह) विवरण संख्या 2 –पांचवां सत्र, 1997 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 460/98]

(उन्नीस) विवरण संख्या 2 –छठा सत्र, 1997 [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 461/98]

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आठ वर्ष पहले, वर्ष 1990 में इस वक्तव्य के बारे में एक आश्वासन ,देया गया था और उसे आज सभा के पटल पर रखा जा रहा है। नियम यह है कि एक बार जब सभा में आश्वासन दे दिया जाता है तो उसे आश्वासन देने की तारीख से तीन माह के अन्दर कार्यान्वित किया जाना होता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, **आप किस बारे में बोल** रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इस आश्वासन विशेष को कार्यान्वित करने में आठ वर्ष लिये **हैं।**

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : पहले **आपकी सरकार** थी ...*(व्यवधान)*

नेपा लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेपा लिमिटेड का वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 483/98]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और भारी भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 484/98]

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के बीच समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 485/98]

(तीन) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 486/98]

अपराह्न 12.04

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 8 जून, 1998 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।
2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले

सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1998

(ख) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1998

3. वर्ष 1998–99 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

4. चर्चा 1995–96 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में रासायनिक आयुध अभिसमय विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

---

05 बजे

[अनुवाद]

नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, पोखरण में हाल ही में किये गये परमाणु परीक्षण के बारे में 29 मई, 1998 को सभा में बोलते हुए श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने मेरे बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं :

"यदि जगमोहन आपके सलाहकार हैं तो भगवान् आपकी मदद करे क्योंकि कश्मीर संयुक्त राष्ट्र संघ में चला जायेगा और फिर आपको न्यूयार्क जाना पड़ेगा। यह इस उप–महाद्वीप में नहीं रहेगा।"

उनके भाषण का यह हिस्सा 'द इंडियन एक्सप्रेस' सहित कुछ समाचार पत्रों में बाक्स आइटम में प्रमुखता से छपा था।

31 मई, 1998 को मैंने श्री इन्द्र कुमार गुजराल को अन्य बातों के साथ–साथ यह लिखा था :

"मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि आपने उपरोक्त बात क्यों कही। आपकी बात के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। हो सकता है कि आपने यह बात क्षणिक आवेश में कही हो। यदि ऐसा है तो कृपया अपनी टिप्पणी को एक–दो दिन में सभा में वापस ले लीजिए। यदि आप इस सुझाव से सहमत नहीं हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी टिप्पणियों के पक्ष में मुझे सबूत दें।"

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 3 जून, 1998 को इस विषय पर बोलने के लिए कहा था। मैंने आपसे इसे एक–दो दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि मैं श्री गुजराल के उत्तर का इन्तजार कर रहा था। पिछली रात मुझे श्री गुजराल का उत्तर मिला, जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

प्रिय जगमोहन जी,

चूंकि मैं पंजाब और तमिलनाडु की यात्रा पर था, मैंने 31 मई का आपका पत्र अभी–अभी पढ़ा है।

मैंने इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें मेरा भाषण छपा था, नहीं पढ़ा है लेकिन स्पष्टतः यह संदर्भ से परे है।

जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपकी प्रतिभा और आपके ज्ञान का कायल हूं। भाषण में मेरी टिप्पणियां संसदीय हास्यात्मक प्रत्युत्तर के रूप में थीं। मेरा अभिप्राय किसी भी तरह आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। यदि मेरी बात से आपको किसी भी प्रकार से कष्ट हुआ है तो मुझे उसके लिए खेद है।

शुभ कामनाओं सहित,

आपका.....

इस पत्र को देखते हुए जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं, मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता और इसे समाप्त हुआ मानता हूं।

अपराह्न 12.06

[अनुवाद]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें सामान्य* 1995-96

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1995–96 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुनय्या।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा चव्हाण (कराड़) : महोदय, उपस्थापनों का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : चव्हाण जी, हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी यहां पर हैं। इससे पहले कि वह चले जाएं हम उनसे कुछ कहना चाहेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक–एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

---

*[ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 487/98]

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, एक मैगजीन ने बहुत डिटेल में अयोध्या बम के नाम से एक लेख निकाला है। कल हमारे साथी बनातवाला जी ने एक सवाल उठाया था। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आप नंबर रो बोलने दीजिए। सबमिशन और जीरो अवर के लिए हमने भी नाम दे रखे हैं। आप नंबर से चलने दीजिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अगर मंत्री जवाब दे रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, कल हमारे एक साथी बनातवाला जी ने एक सवाल उठाया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मल्लिकार्जुनय्या बोलेंगे।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, कर्नाटक में तुमकुर में सोमेश्वर एक्सटेंशन और चान्नजप्पा होस्टल के बीच रेल लाइन पर एक उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता है। यदि चान्नजप्पा होस्टल के पास कथित पुल बनाया जाता है तो दाईं और बाईं तरफ बने 500 फुट के दो गेट हटाये जा सकते हैं। इन गेटों से रिहायशी एक्सटेंशन की ओर जाया जाता है जहां 25,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जब ये गेट बंद होते हैं तो इन गेटों पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है। इस स्थान पर उपरिपुल का बनाया जाना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से इस मामले पर ध्यान देने और वहां एक उपरिपुल बनाये जाने का अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, वह अपना वक्तव्य पढ़ रहे हैं। यह 377 नहीं जीरो आवर है।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, वह इस सभा में उपाध्यक्ष थे। उन्हें नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : मैं जानता हूं कि शून्यकाल में वक्तव्य पढ़ने की मनाही है। लेकिन मैं सभा का समय बचाना चाहता था। मैं बोल भी सकता हूं।

सोमेश्वर के पास से एक रेल लाइन जा रही है। इस क्षेत्र में 50,000 लोग रह रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत से स्कूल स्थित हैं। अतः इस क्षेत्र में एक उपरिपुल के निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। दो रेलवे गेट खोलने होते हैं क्योंकि इस पटरी पर रोजाना बहुत सी गाड़ियां चलती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर विचार किया जाए और इस क्षेत्र में एक उपरिपुल का निर्माण किया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, कल हमारे साथी श्री बनातवाला जी ने हाउस में एक सवाल पूछा था कि देश में एक चर्चा चल रही है और हमने उसी दिन कहा था जिस दिन इस सरकार ने नेशनल एजेंडा घोषित किया था। प्रधानमंत्री जी इस बैंच से बोले थे और आडवाणी जी भी बोले थे। दोनों की भाषा में परस्पर विरोध था और आडवाणी जी ने बहुत खुलेआम कहा था कि अभी हम उन मुद्दों को भूले नहीं हैं। बाद में अखबार में भी आया। उसी दिन हमने यह कहा था कि इस देश में नेशनल एजेंडा के पीछे एक हिडन एजेंडा भी है। आज "वीक" मैगजीन ने बहुत खुले रूप में आपके सारे प्लान को लिखकर देश के सामने प्रस्तुत किया है कि आप मंदिर बनाने के लिए हर जगह तैयारी कर रहे हैं। वी. एच. पी. के प्रेसीडेंट, श्री सिंहल ने बयान दिया है कि हम दो साल में उसी जगह पर मंदिर बनाकर रहेंगे। इस बयान से देश में एक भ्रांति फैल रही है। आज गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे देश को साफ लफ्जों में बतायें कि आप कोर्ट का इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे, कोर्ट के फैसले की कद्र करेंगे या नहीं करेंगे। आप अपने हिडन एजेंडा से तैयारी कर रहे हैं। वी. एच. पी. और साधुओं के बहाने आप मंदिर बनाकर रहेंगे, यह आप हमें स्पष्ट रूप से बतायें तथा देश को बतायें, देश को अंधेरे में मत रखिये। गृह मंत्री जी आज जो बयान दें वह स्थिति को स्पष्ट करे। चूंकि 320 पिलर्स बनाये जा रहे हैं। इन्होंने सारे मेजरमेंट देकर "वीक" मैगजीन में साफ लिखा है कि एक लाख 75 हजार क्यूबिक फीट की जरूरत है। हम 40 हजार क्यूबिक फीट बना चुके हैं, बाकी अगले दो साल में हम पूरा कर लेंगे। यदि यह तैयारी है तो गृह मंत्री जी देश को खुलकर बतायें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसी विषय पर बोलना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, कल इसी सदन में खुराना जी ने स्पष्ट शब्दों में मंदिर बनाने के विषय में कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु पुराने इतिहास को देखते हुए विश्वास नहीं होता। इसलिए माननीय आडवाणी जी स्पष्ट कर सदन को विश्वास दिलायें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

उठाया गया मामला बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। एक जिम्मेदार पत्रिका में दी गई विस्तृत जानकारी के आधार पर सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी

चाहिए क्योंकि एक महत्त्वपूर्ण पुजारी महंत नित्य गोपालदास ने कहा है कि राम भारतीय जनता पार्टी का इन्तजार नहीं करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार मंदिर के लिए इन्तजार करेगी अथवा नहीं क्योंकि पहले भी उच्चतम न्यायालय को दिए गए आश्वासन और वचन को पूरा नहीं किया गया। वही राजनैतिक विशिष्ट व्यक्ति अब फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के महत्त्वपूर्ण पद पर हैं जिनके शासनकाल के दौरान हमारे अनुसार शर्मनाक घटना घटी थी। हम गृह मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं, विशेषतया, जब उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। क्या सरकार सभा को और सभा के माध्यम से राष्ट्र को वचन देगी कि ऐसा कुछ भी जैसा कि यहां बताया गया है—किया जा रहा है अथवा किये जाने का विचार है ? इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री पासवान को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं चलेगा। आप इनको ही अवसर देंगे, तो काम नहीं चलेगा। हमारी तरफ के लोगों को भी बोलने का अवसर दिया जाए। मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई रहते हैं। मैं भी उनकी भावनाएं सदन में रखना चाहता हूं। आप मुझे भी बोलने का समय दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मि. गोयल कृपया बैठिए। इस प्रकार से नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो आवर है। जीरो आवर में पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता। कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, एक तरफ देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है और दूसरी तरफ सरकार देश की जनता का ध्यान जानबूझकर न्यूक्लियर टैस्ट के नाम पर और राम मंदिर निर्माण के नाम पर आकर्षित कर रही है ताकि देश की मूल समस्या की तरफ से ध्यान हटाया जा सके।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : क्या आप इन दोनों का विरोध करते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : हां हम दोनों का विरोध करते हैं हम न्यूक्लीयर टैस्ट और राम मंदिर निर्माण, दोनों का विरोध करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मौर्य कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मौर्य कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आप क्या विरोध करेंगे आपकी पार्टी के 100 लोगों में 2 रह गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक तो नेशनल इंटरैस्ट होता है, एक पालिटिकिल इंटरैस्ट होता है और एक परसनल इंटरैस्ट होता है। जहां नेशनल इंटरैस्ट का सवाल है, यहां हम हर तरह से समर्थन के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां नेशनल इंटरैस्ट के नाम पर पालिटिकल या परसनल इंटरैस्ट रखा जाएगा, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे चाहे फिर उसमें न्यूक्लीयर टैस्ट हो या राम मंदिर का निर्माण हो। हम कहना चाहते हैं ये चीजें जो आप कर रहे हैं ये पालिटिकल इंटरैस्ट को ध्यान में रखकर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस देश को साफ–साफ बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं और आप कोर्ट के वार्डिक्ट को मानेंगे या नहीं। हमने बहुत बार सुना है कि हम कोर्ट की इंपोंजमेंट से नहीं डरते, हम तो गौड से डरते हैं। अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा होता, तो आपकी ऐसी आवाज नहीं उठती। क्या आप रूल आफ ला को मानेंगे या सिर्फ मंदिर निर्माण ही आपका रूल आफ ला है। यह सदन सर्वोपरि है। आज इस सदन में गृह मंत्री महोदय, साफ–साफ बताने की कृपा करें कि क्या राम मंदिर निर्माण का षड्यंत्र चल रहा है और उसका निर्माण कहीं अन्यत्र हो रहा है जिसको आप चुनाव के टाइम पर घोषित करना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, जो बात यहां पर हमारे राजेश पायलट जी ने रखी है, मैं उनके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि हिन्दुस्तान के अंदर ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : कौन सा जनता दल ? *...(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : राष्ट्रीय जनता दल, मुलायम सिंह यादव जी का जनता दल जिससे आप ज्यादा घबड़ाते हैं ! नाम सुनते ही हालत बिगड़ जाती है। *...(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मुझे याद है कि इसी सदन के अंदर न जाने कितनी मर्तबा बातें हुईं और अटल जी ने यहीं से खड़े होकर कहा था कि जो कुछ अयोध्या में हुआ, उसको देखकर आज मैं बहुत शर्मिन्दा हूं।

श्री अटल जी ने कहा था जो आज प्रधानमंत्री हैं लेकिन आपको याद होगा कि हजारों लोग इस मुल्क के अंदर इस विवाद को लेकर मर चुके हैं। एक वक्त ऐसा आया था जब मुल्क जल रहा था। आज फिर इसी विवाद को अंदरूनी तौर पर जो हिडन एजेंडा की बात कही गयी है, आज प्री कॉस्ट कंक्रीट और जो दूसरे प्री कास्ट कम्पोनेंट मुख्तलिफ शहरों में बनाये जा रहे हैं, उनका मंसूबा है कि किसी दिन भी एक मर्तबा राम के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, सारे एलीमेंट्स को जमाकर रातों–रात वहां मंदिर का निर्माण किया जाये। हमारी पार्टी महसूस करती है कि यह एक गलत काम हो रहा है। अगर आडवाणी जी, जो आज होम मिनिस्टर हैं, यह पार्टी के अध्यक्ष नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने कोई प्लान बनाया है जिससे इस तरह की साजिश हो रही है, नहीं तो क्या प्री कॉस्ट कंक्रीट या दूसरे प्री कम्पोनेंट को सीज करने का काम करेंगे ? ताकि मुल्क के अंदर इस सवाल को लेकर जो टेंशन पैदा हो रहा है और जो आतंक आज मुल्क के अंदर पैदा हो रहा है, वह दूर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मानता हूं कि हम लोगों को सड़कों पर जाना पड़ेगा और आर. जे. डी. जो हमारी पार्टी है। *...(व्यवधान)* क्यों नहीं ? आपको क्या तकलीफ हो रही है। *...(व्यवधान)*

इनको कोर्ट ने जो कहा है और पार्लियामेंट ने जो कहा है, उसका आदर करना चाहिए।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* मुझको भी बोलने का टाइम दिया जाये। *...(व्यवधान)* मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, यह मसला हमसे जुड़ा हुआ है। मैं बाबरी मस्जिद का कन्वीनर हूं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, श्री बनातवाला कुछ कहना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, यह बाबरी मस्जिद का मामला है। इस देश में साढ़े तीन करोड़ मुसलमान रहते हैं। *...(व्यवधान)* मुसलमानों के साथ इस तरीके से अन्याय किया जा रहा है। कानून के खिलाफ काम किया जा रहा है। *...(व्यवधान)* श्री राजेश पायलट जी ने जो मसला उठाया है। *...(व्यवधान)* कानून के खिलाफ वहां राम मन्दिर बनाने की कोशिश की गई है। *..(व्यवधान)* आस्था के नाम पर देश नहीं चल सकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि यह कोई बहस नहीं चल रही है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया यह जान लीजिए कि यह बहस नहीं चल रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, इनका रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय गृह मंत्री, इस संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लरंग साय (सरगुजा) : अध्यक्ष जी, हमें बोलने का मौका दिया जाये। ...*(व्यवधान)* यह एकतरफा नहीं होना चाहिए। ... *(व्यवधान)* हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहस नहीं चल रही है। कृपया यह समझिए कि यह बहस नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहस नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाल जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, यह बहस नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, यह बहुत ज्यादती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह बहस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग वाक आउट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.26 बजे

(तत्पश्चात् डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क तथा कुछ अन्य सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गये।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : श्री बनातवाला जी, मैं आपकी भावनाओं का भी ध्यान रखूंगा। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं।

मैं अयोध्या में स्थल के बारे में विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को समझ सकता हूं, जो कि देश भर में बहस का विषय बन रहा है कि वहां क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। पिछले छह तथा से न्यायालय के इस निदेश का ईमानदारी से अनुपालन किया जा रहा है कि वहां यथा–स्थिति कायम रखी जाए। मैं इस सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक इस सरकार का संबंध है, यह सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए, स्थिति पर ईमानदारी से नजर रखे हुए है। इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : यह कोई उत्तर नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह कोई जवाब नहीं है।...(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझ लीजिए कि उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। श्री राजेश पायलट जी, वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्रन जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि इस चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा–पत्र में अयोध्या का सवाल भी उल्लिखित था, उसके बाद जब यह सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद सरकार का, शासन का एक राष्ट्रीय एजेण्डा तैयार किया गया, जिसमें से सोच करके, विचार करके, जान करके, बूझ करके अयोध्या का विषय उसमें नहीं लाया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह हिडेन एजेण्डा में है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने भी दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो हिडेन एजेण्डा आपके ध्यान में नहीं आया, वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में से कोई प्रोमिस नेशनल एजेण्डा में लाया गया तो वह न्यूक्लियर डिटरेंट का लाया गया, जिसका आपने ध्यान ही नहीं दिया। उस समय कोई इस बात का जिक्र करता तो मैं मान भी लेता, लेकिन मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि जहां तक यह सरकार है, यह सरकार नेशनल एजेण्डा तक ही सीमित रहेगी, उसके आगे कहीं नहीं जायेगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : हाउस में सब ने अपनी बात रखी है, फिर ऑब्जैक्शन किस बात का है ? पत्रिका में क्या छपा है, वह महत्त्वपूर्ण नहीं है, वह तो छपता रहता है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वैसे हम उसको सराहते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने जो बात पूछी है, वह बात जो इस मैगजीन में आयी है, उसके ताल्लुक से जहां तैयारियां हो रही हैं, उसकी हमने बात की है और इसमें इन्द्रजीत साफ कह रहे हैं कि

[अनुवाद]

वे राम मन्दिर के निर्माण का कार्य शुरू करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री पी. शिवशंकर : उसके साथ–साथ महंत जी भी कहते हैं कि बी. जे. पी. से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, हम मंदिर को बनाएंगे।...*(व्यवधान)* मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे या खामोश बैठेंगे ? इतनी सी बात मुझे पूछनी है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : कृपया मुझे एक वाक्य बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

माननीय गृह मंत्री आडवाणी जी माफ करेंगे, हमारी चिन्ता क्यों है, आप तीन दिसम्बर को वहां बैठे थे, मैंने वहां से कुछ बोला था, मैं उस समय सरकार में संचार मंत्री था, मैंने कहा था कि मैं लखनऊ से आ रहा हूं, ये मस्जिद को गिराएंगे। आप और अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोनों यहां बैठे थे, तब एक नहीं बोला था।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप गृह मंत्री होने के नाते हमको वायदा देंगे कि आप मंदिर नहीं बनने देंगे, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आडवाणी जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आप बार–बार उनको कैसे एलाऊ करेंगे। मैं नहीं बैठूंगा। आप उनको कैसे एलाऊ करेंगे, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, वे हमेशा बोल रहे हैं। उनका जवाब आ चुका है, गृह मंत्री का जवाब आ चुका है।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री : मुझे इस विषय पर पूरी बहस करने में भी आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कुछ लोग समझते हैं कि आज देश में तनाव पैदा हो और हमारा बोट बैंक फिर से खड़ा हो जाए, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो बात अलग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : इस तरह का रवैया बर्दास्त नहीं किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने जा रहे हैं। वह उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. शिवशंकर जी, कृपया अपने सदस्यों को बैठ जाने के लिए कहें, माननीय गृह मंत्री जी उत्तर जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी बोलने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

सुदेव **आचार्य** : माननीय गृह मंत्री जी के लिए यह [illegible] है।...*(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : हम माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने विगत में भी ऐसे ही आश्वासन दिए थे।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार का सहयोगी और गृह मंत्रालय का प्रभारी होने के नाते, मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी के द्वारा न्यायालय के किसी भी आदेश की अवज्ञा न हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए असंतोषजनक उत्तर के विरोधस्वरूप, हम बर्हिगमन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.38 बजे

(तत्पश्चात् श्री पी. शिव शंकर और कुछ अन्य सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गये।)

अपराह्न 12.39 बजे

(इस समय डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और श्री शैलेन्द्र कुमार आये और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.39 बजे

(इस समय डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और श्री शैलेन्द्र कुमार अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, इसलिए हमारी पार्टी आर. जे. डी. सदन से वाक आउट करती है।

अपराह्न 12.40 बजे

(तत्पश्चात् श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गये।)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह के कार्य हेतु निवेदन के अतिरिक्त, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम भी विरोधस्वरूप बहिर्गमन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.41 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गये)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, चूंकि गृह मंत्री ने गुमराह करने वाला वक्तव्य दिया है, अतः मुस्लिम लीग दल के सदस्य भी विरोधस्वरूप सभा–भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.42 बजे

(इस समय श्री जी. एम. बनातवाला सभा–भवन से बाहर चले गये।)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, यह क्या बात है कि आप बाहर जा रही हैं और वापस आ रही हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.43 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : रांची संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गोला, चांडील, भाया, बन्ता, बारेन्दा सड़क का निर्माण लगभग चालीस वर्षों से किया जा रहा है, परन्तु अभी तक कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। अतः केन्द्र सरकार राष्ट्रीय उच्च पथ को अपने अधीन लेकर जनहित में शीघ्र इसका निर्माण कराया जाए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ने का कष्ट करें:

1. देश के ऐसे पिछड़े भागों को जिनका कि क्षेत्रफल तथा आबादी किसी राज्य से कम नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मू–भाग बुन्देलखण्ड के पिछड़ापन को समाप्त करने के लिए

भुखमरी औद्योगिक विकास, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा को देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, अथवा राज्य का दर्जा दिया जाए।

2. उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड के भू–भाग के खेती के योग्य जो भूमि उबड़–खाबड़ है या परती कड़ी है, उसको खेती योग्य बनाने के लिए भारत सरकार विशेष धन की व्यवस्था करके कार्यक्रम घोषित करे।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :

1. बैंकों की अनुत्पादक नॉन परफोर्मिंग एसैस्ट्स के संबंध में 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक बैंक बड़ी राशि को अविलम्ब उत्पादन कार्य में लगाने के लिए सरकारी कार्यवाही की आवश्यकता।

2. अफगानिस्तान की अन्दरूनी समस्याओं के कारण भारतीय मूल के नागरिकों के समक्ष सुरक्षा की समस्या।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं अनुरोध करती हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये

1. महिलाओं पर कार्यस्थल, परिवार और समाज में बलात्कार से उत्पीड़न तक सभी प्रकार के अत्याचार।

2. चीन के साथ संबंध।

अध्यक्ष महोदय : श्री पृथ्वीराज दा चव्हाण ! यह क्या है ? आप जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं।

श्री पृथ्वीराज दा चव्हाण (कराड़) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य–सूची में सम्मिलित किया जाये :

1. चीन के साथ संबंध।

2. भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण आर्थिक प्रतिबंधों पर श्वेत पत्र।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :

1. दिल्ली में पेयजल और विद्युत की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न गम्भीर समस्याएं। राजधानी में लगातार लोड शेडिंग से जीवन दूभर होना, जिसके लिए तुरंत कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता।

2. राजधानी में सफदरजंग अस्पताल में हड़ताल के कारण रोगियों के समक्ष आ रही समस्यायें अस्पताल में सेवाओं को तुरंत बहाल करना।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :

! स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी मुद्रा विभाग में विदेशी मुद्रा लेन–देन कार्यों के कलकत्ता से मुम्बई स्थानांतरण को रोकना।

2. ई. सी. एल. के अंतर्गत सेमला, नाटुंडांगा, कांकोरटोला, श्रीपुर, संग्रामगढ़ और पुरे सिआरसोल स्थित खानों को बंद करने के नोटिस को वापस लेना तथा देश के हित में इन कोयला खानों को खोलना।

डॉ. सी. पी. ठाकुर (पटना) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य–सूची में सम्मिलित किया जाये :

खराब सड़कों के कारण पटना जिले और सम्पूर्ण मध्य बिहार में नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

मेरा सरकार से यह निवेदन है कि पटना और मध्य बिहार में सड़कों के सुधार हेतु 400 करोड़ रुपये की विशेष राशि स्वीकृत की जानी चाहिए ताकि नक्सलवादी गतिविधियों को रोका जा सके।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :

1. शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं होने की दशा में उद्योगधंधों में तथा बेरोजगार भत्ता देने की गारंटी योजना लागू किया जाये।

2. निराश्रितों, अपंग, बधिर, अंधे एवं असहाय लोगों के इलाज की राशि तथा उन्हें मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाए।

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का एक इतिहास है दिल्ली का एक गौरव है। पूरे देश के लोग दिल्ली की ओर देखते हैं और देख रहे हैं कि दिल्ली में बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आठ–आठ दिन तक बिजली नहीं आती है। चाहे झुग्गी–झोंपड़ियां हों, मध्यम वर्ग के लोगों का घर हो, सम्पन्न लोगों का घर हो, कहीं भी न पंखा चलता है और न ही लाइट जलती है। कल हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस में भी बहुत सी लाइटें गुल हो गई थीं और यहां पर सारे ट्रांसफार्मर्स फूंके पड़े हैं। ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं कि वह दिल्ली को पूरी बिजली दे रहे हैं और दिल्ली विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि हमें पूरी बिजली नहीं मिल रही, हम कैसे दें। इन दोनों के झगड़ों में दिल्ली अंधकार में है और इस भयंकर गर्मी में दिल्ली के लोग कितना कष्ट सह रहे हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। 50 साल पहले अच्छा था, आप लोगों ने कुछ नहीं किया

है। विजय गोयल जी, आप दिल्ली के एम. पी. हैं, आप क्यों नहीं खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, और बाकी जो दिल्ली के माननीय सदस्य हैं वे क्यों नहीं इस सवाल को उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि दिल्ली यमुना के किनारे इसलिए बसाई गई थी कि यहां पर सबको यमुना का पानी मिले, लेकिन यमुना का पानी पीने को दिल्ली के लोग तरस रहे हैं। ये लोग पहले बहुत शोर करते थे कि उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और केन्द्र में आपकी सरकार है, फिर क्यों नहीं पानी आ रहा है ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय : अब डॉ. सी. पी. ठाकुर बोलेंगे।

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग) : यहां पर पानी नल से नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं दिखाना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, इसकी अनुमति नहीं है। यह क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग) : यह बड़े शर्म की बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लोगों को पीने का पानी पिलाने की व्यवस्था कराई जाये।

[अनुवाद]

डॉ. सी. पी. ठाकुर (पटना) : महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार की ओर दिलाना चाहता हूं। राज्य की आर्थिक स्थिति पूर्णतया अस्त-व्यस्त है। यदि आप गत पांच-छः वर्षों से इस राज्य के लिए किये गये योजना आबंटनों को देखें तो आप पायेंगे कि बिहार में इन आबंटनों के मुश्किल से 30 प्रतिशत का उपयोग किया गया है। राज्य को दी गई अधिकांश केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि बिहार अस्त-व्यस्त आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य को 10,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाए। योजना आयोग में भी एक कार्य दल बनाया जाए ताकि राज्य के विकास पर निगरानी रखी जा सके क्योंकि.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। कृपया मेरी बात को समझिए। 52 सदस्यों के नोटिस हैं, जो बोलना चाहते हैं।

डॉ. सी. पी. ठाकुर : इसके अतिरिक्त, इस राज्य की एक अन्य समस्या है कि यह चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है।

इसमें कोई पत्तन नहीं है और बिहार से फल एवं सब्जियों को निर्यात करने की कोई सुविधा नहीं है। अतः पटना में कार्गो सुविधा तथा शुष्क पत्तन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिट्टी के तेल में मिलावट, शक्कर में मिलावट और कालाबाजारी और इनके कारण होने वाली समस्या के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 50 वर्षों के बाद भी भारत के नागरिक अगर स्वतंत्र जीवन जीते रहे हैं तो इन चीजों के लिए परतंत्र भी हैं। वह इसलिए कि मिट्टी के तेल और शक्कर के लिए सोसाइटी के माध्यम से लेने के साथ-साथ लाइन लगानी पड़ती है। भारत का नागरिक कब तक लाइन लगाता रहेगा ? यह चिंतन का विषय है। लाइन लगाने के बाद भी शक्कर और मिट्टी का तेल समय पर नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी रोजी-रोटी भी मारी जाती है और समय की बर्बादी भी होती है। मिट्टी के तेल की पेट्रोल में मिलावट हो रही है जिसके कारण 3.40 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला मिट्टी का तेल 8 से 10 रुपये प्रति लीटर मिलता है। शक्कर की मिलावट के कारण वह बाजार में 18 से 20 रुपये किलो है, जिसका रेट 11.25 रुपये है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शक्कर और मिट्टी के तेल को आम बाजार में बेचने की छूट दी जाए, जिससे आम नागरिक अपना जीवन सही ढंग से जी सके और स्वतंत्र रूप से रह सके।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में यमुना पुश्ते पर एक सप्ताह में दो बार आग लगी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, आपने वह वक्तव्य नहीं पढ़ा है।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी : जिसके कारण आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कुछ जानें भी गयी हैं। दिल्ली में गर्मी के दिनों में वहां पर अनेक बार आग लगती है, जिसके कारण बहुत नुकसान

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

होता है। बाढ़ के दिनों में जो लोग यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको पुश्ते पर महीनों तक रहना पड़ता है और करोड़ों रुपया उन पर सरकार का खर्च होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों को स्थाई तौर पर बसाया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं से वे लोग बच सकें।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए. पी. एस. एम. (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र के अंदर पेयजल का वहां जो अकाल पड़ा हुआ है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र से यमुना और गंगा बहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहां पेयजल का संकट है। अनेक स्थानों पर नदी से पम्पिग स्कीम के द्वारा पानी दिया जाता है। पिछले एक हफ्ते से मंडल मुख्यालय पौढ़ी के अंदर पीने का पानी नहीं है क्योंकि बिजली की कमी की वजह से वहां पर पम्पिग स्कीम काम नहीं कर रही है। इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी ग्रैविटी–फैक्ट्स स्कीम बनाई गयी है। उसके लिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इस ग्रैविटी फैक्ट्स स्कीम के लिए पैसे का आबंटन करने की कृपा करे।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके साथ नौकरी–भर्ती में बहुत अन्याय किया जा रहा है और डी॰ ओ॰ पी॰ टी॰ की ओर से खासतौर से ऐसे आदेश निकाले गये हैं जिससे चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी में अनुसूचित और जनजाति के लोगों को नहीं लिया जाता है। जहां तक प्रमोशन का सवाल है, प्रमोशन में भी द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी और सुपर कैडर के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमोशन को रोका गया है।

सबरवाल केस में मंडल का भी सवाल आया था। सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन का मुद्दा भी गया था। उससे अनुसूचित जाति और जन जाति का कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन क्रीमी लेअर के तहत अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को लपेटा गया। ऐसा करके उनके साथ अन्याय किया गया। मेरा यह कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रमोशन और भर्ती के बारे में डी॰ ओ॰ पी॰ टी॰ ने जो आदेश निकाले हैं, उनको रद्द किया जाए। उनकी भर्ती और प्रमोशन की पद्धति को फिर से लागू किया जाए।

डॉ॰ मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहीत 15 चीनी मिलें पिछले वर्ष 1997 से बंद हैं। इसके कारण लगभग तेरह हजार कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। उनकी 75 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं गन्ना किसानों के साथ भी अन्याय हो रहा है। बिहार सरकार गन्ना किसानों की 22–23 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है। चीनी विकास कोष में 2100 करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है। जिस तरह पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश की रुग्ण चीनी मिलों को चलाने के लिए और किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पिछली सरकार को 450 करोड़ रुपए दिए थे, उसी तरह से बिहार की चीनी मिलों के उद्धार के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह उस कोष की राशि में से 500 करोड़ रुपए की राशि दें जिससे मजदूरों के वेतन का और किसानों की बकाया राशि का भुगतान हो सके।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, हाल ही में उड़ीसा में एक बहुत बड़े कृषि घोटाले का पता चला है। उड़ीसा सरकार के कृषि विभाग ने आन्ध्र प्रदेश की निजी फर्मों से धान के बीज खरीदे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, यह पूर्णतया राज्य का विषय है। वह इस मामले को यहां नहीं उठा सकते। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। अभी इस बारे में कोई विनिर्णय नहीं है क्योंकि यह 'शून्यकाल' है।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्यकाल' है। आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं।

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, राज्य सरकार से संबंधित मामले पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले उनकी बात सुनने दीजिए। आप अन्य सदस्यों का विरोध कैसे कर सकते हैं ?

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री स्वाईं को छोड़कर कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी नहीं जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, उन्होंने अप्रमाणित धान के बीज खरीदे थे। यहां तक कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने भी उड़ीसा सरकार को इन बीजों को आंध्र प्रदेश की निजी फर्म से न खरीदने के लिए आगाह किया था। लेकिन उड़ीसा सरकार ने इन्हें खरीदा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कृषि विभाग के भी मुखिया हैं।

मेरे पास उड़ीसा सरकार के वित्तीय सलाहकार की एक रिपोर्ट है। उसने पाया है कि लगभग 500 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी से इस मामले को सी॰ बी॰ आई॰ को सौंपने की मांग करता हूं। यह बिहार के चारा घोटाले से भी

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बड़ा घोटाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस मामले की जांच सी. बी. आई. से कराई जाए।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा चव्हाण (कराड़) : महोदय, आज उनके कथन की जांच कीजिए और यदि उसमें कोई आपत्तिजनक बात हो तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके कथन की जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : अगर राजस्थान का मामला हाऊस में उठ सकता है तो उड़ीसा का क्यों नहीं उठ सकता। ...*(व्यवधान)*

1.00 बजे

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : महोदय, आप रिकार्ड देख सकते हैं और उसमें से आपत्तिजनक हिस्सा निकाल सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, आप कृपया नियम 353 देखिए और यह निर्णय करिए कि इसे कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

श्री भुवनेश्वर कालिता : आप इसकी व्यवस्था के प्रश्न के रूप में अनुमति क्यों नहीं देते। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है पहले आप इस बात का निपटारा कीजिए और उसके बाद वह बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : जीरो अवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भुवनेश्वर कालिता : सभा नियमानुसार संचालित की जाती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, विदर्भ की लगातार उपेक्षा हो रही है जिसका नतीजा हमने देखा कि महाराष्ट्र में 52 किसानों ने आत्महत्या की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अजीत जोगी : कृपया नियम 353 का अवलोकन कीजिए। आप विनिर्णय दे सकते हैं और हम इसका पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सहयोग दीजिए। मैंने श्री विलास मुत्तेमवार को अनुमति दी है, अन्य किसी को नहीं।

श्री अजीत जोगी : आप विनिर्णय दे सकते हैं और हम उसका पालन करेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझ लीजिए कि 'शून्यकाल' के दौरान व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री अजीत जोगी : यह 'शून्य काल' नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया यह बात समझ लीजिए कि यह 'शून्य काल' है और इसमें व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री मुत्तेमवार जी, आप अपना भाषण दे रहे हैं अथवा नहीं ? कृपया अपना भाषण दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया आप अपने सदस्य जो सदस्य बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए। कृपया उन्हें अनुमति दीजिए। बाद में मैं आपकी बात भी सुनूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह अच्छी बात नहीं है। यह कुछ ज्यादती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भुवनेश्वर कालिता : इस सभा का कुछ नियमों के अनुसार संचालन किया जाता है। यह नियम पुस्तिका है और माननीय सदस्य ने एक नियम उद्धृत किया है। आप उस पर विनिर्णय दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुत्तेमवार जी, आप अपना भाषण दे

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहे हैं अथवा नहीं ? कृपया अपना भाषण दीजिए। यह क्या है? मैं 'शून्य काल' से संबंधित मामले उठाने की अनुमति दे रहा हूं और आप व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठा रहे हैं ? यह क्या हो रहा है ? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : कृपया इस संबंध में विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगी जी, कृपया पहले मेरी बात सुनिए। श्री चव्हाण ने कहा है कि यदि इस मामले में कोई बात आपत्तिजनक है, तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। मैं रिकार्ड देखूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भुवनेश्वर कालिता : उन्होंने एक नियम उद्धृत किया है और आपको व्यवस्था संबंधी इस प्रश्न का निपटारा करना है। तत्पश्चात्, माननीय सदस्य बोल सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपका मुद्दा पहले ही नोट कर लिया है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, यह एक मौलिक और आधारभूत मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझ लीजिए कि इस सभा में अनेक सदस्य उपस्थित हैं। प्रो. कुरियन जी, कृपया इस बात का ध्यान रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. पी. जे. कुरियन जी, कृपया बैठ जाइये।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं बैठ रहा हूं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मुझे अत्यधिक ठेस पहुंची है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री विलास मुत्तेमवार को बोलने की अनुमति दी है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं कांग्रेस दल का मुख्य सचेतक हूं। कृपया आप मुझे यह बताइये कि इस सभा में किस समय तक व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने के लिए नियम लागू नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में इससे पहले ये मामले कई बार उठाए गए हैं। आप भी यह जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. पी. जे. कुरियन, अनेक बार माननीय सदस्यगण यह मामला उठाते रहे हैं। मैं बाद में विनिर्णय दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी जी, मैं बाद में विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि विदर्भ की लगातार उपेक्षा हो रही है। उसका उदाहरण और उपेक्षा के परिणाम आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में 52 किसानों ने आत्महत्या की है उसमें से 46 किसान विदर्भ क्षेत्र के हैं। इस तरह से उस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा हो रही है। इस उपेक्षा के कारण वहां के कामगारों के सामने भुखमरी की हालत पैदा हो गई है। इस उपेक्षा से असंतुलन, असंतुलन से अनुरोष और अनुरोष से असंतोष बढ़ रहा है। विदर्भ में नागपुर, हिंगणा, कुटीबोरी और कलमेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं। आज वहां के उद्योगों की तरफ ध्यान न देने के कारण उद्योग बंद हो रहे हैं जिसके कारण उनके कामगारों पर बेकारी का संकट आने वाला है। कुटीबोरी इंडस्ट्रियल एस्टेट एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वह दिन–ब–दिन बंद हो रहा है। उद्योगों के बंद होने का कारण जब हमने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वहां पर बिजली और पानी की लगातार कमी है। अध्यक्ष महोदय, विदर्भ में चार हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है लेकिन यह सारी बिजली मुम्बई, ठाणे और पुणे में उसी रेट पर सप्लाई कर दी जाती है। यहां के उद्यमियों को कोई कंसेशंस नहीं दिये जाते हैं। उन्हें जो ऋण दिया जाता है वह बहुत कम मात्रा में दिया जाता है और वह भी समय पर नहीं मिलता है। इसके अलावा उद्योगों को और राज्यों में सहूलियतें दी जाती हैं। जो अन्य सहूलियतें हैं दे भी उनको नहीं दी जाती हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग्स के जो उद्योग हैं उनको जो माल लगता है वह एन्सीलियरीज से नहीं लिया जाता है, वहां के उद्योगों को मौका नहीं दिया जाता है डब्ल्यू. सी. एल. ऐसा एक अंडरटेकिंग है जो स्थानीय उद्यमियों को मौका नहीं देते हुए बाहर के उद्योगों को अवसर देता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके कारण भी यहां के उद्योग बंद हो रहे हैं। बुटीबोरी में इंडोरामा चार हजार करोड़ का एक उद्योग है। वहां पर सत्तारूढ़ दल का एक कामगारों का संगठन है जिसके द्वारा वहां पर आंदोलन चल रहा है और अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब इंडोरामा उद्योग वहां से हटकर औरंगाबाद और राजस्थान में जा रहा है। इसी प्रकार से हिंगणा में बजाज और पर्थ इंडिया उद्योग भी बंद हो रहे हैं। इस ओर वक्त पर ध्यान नहीं दिया गया तो दो लाख लोगों के सामने बेकारी का संकट खड़ा होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह वहां हस्तक्षेप करे। यहां गृह मंत्री जी बैठे हैं, वहां की जनता अलग राज्य की मांग कर रही है। इसलिए यहां सदन में वहां के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए अलग राज्य बनाने के बारे में चर्चा हो, हमें न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी : इसका तात्पर्य है कि 'शून्य काल' के

दौरान व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने के लिए नियम लागू नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था संबंधी प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही अनेक बार यह विनिर्णय दे चुके हैं कि 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। लेकिन विपक्ष पुनः व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने का आग्रह कर रहे हैं। श्री अजीत जोगी व्यवस्था संबंधी प्रश्न के बारे में नियम पुस्तिका दिखा रहे हैं। यदि व्यवस्था का प्रश्न मुझ पर लागू है, तो यह श्री विलास मुत्तेमवार पर भी लागू होना चाहिए क्योंकि मैं उड़ीसा सरकार के बारे में मुद्दा उठा रहा हूं और श्री विलास मुत्तेमवार जी भी महाराष्ट्र सरकार के बारे में मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, कन्नौज क्षेत्र में एक अरिन्द नदी है जिसमें सकरामया एक पर पुल न होने के कारण वहां के हजारों लोगों दिक्कत हो रही है। वहां एक पुल बनाया जाए। सिर्फ एक पुल के न होने के कारण उस क्षेत्र के आसपास जितने भी गरीब आदमी, गांव के किसान और मजदूर लोग हैं, वे कई किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं। उन्हें कोई साधन मुहैया नहीं है, अपने अनाज और फसल की पैदावार भी वे मंडी में नहीं ले जा पाते हैं। उस पुल को एक बार राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया था। सरिया और सीमेंट भी पड़ गया था, उसके बाद किन्हीं कारणों से सरकार ने वह सामान वापस उठवा लिया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार को पुनः भारत सरकार की तरफ से यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि यह बहुत अहम समस्या है और वहां की जनता की इस भारी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उस पुल को पुनः निर्मित कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के सुधार की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि कलकत्ता पत्तन एक नदी तटीय पत्तन है और हल्दिया गोदी परिसर को कलकत्ता पत्तन न्यास का सहायक पत्तन माना गया था। क्योंकि यह दोनों पत्तनें नदी तट पर स्थित हैं, अतः वे नदी तल में भारी गाद बैठने की समस्या का सामना कर रहे हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के सुधार हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की जाती है।

पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में, यह देखा गया था कि हल्दिया पत्तन के सुधार अथवा विकास हेतु कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई थी। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं, ताकि कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के सुधार के संबंध में समुचित ध्यान आकृष्ट किया जा सके।

महोदय, आप जानते हैं कि पत्तन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड हैं। अतः समूचा औद्योगिक विकास पत्तन पर ही निर्भर है। इसी वजह से, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के विकास हेतु उचित कदम उठाने के निदेश दें।

[हिन्दी]

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से असम राज्य के कोकराझार इलाके में जो संथाल और बोडो आदिवासियों के बीच लगातार जातीय उपद्रव चल रहा है, उसकी ओर केन्द्र सरकार और असम सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हू। असम सरकार की ओर से अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। हमें बार-बार समाचारपत्रों में यह खबर पढ़ने को मिल रही है कि वहां लोग मारे जा रहे हैं और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए पानी, खाना एवं रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि असम प्रदेश मे मुंडा, उरांव और संथाल जनजाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि अभी तक उनको जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, सदन में मैं तीसरा विषय यह उठाना चाहता हूं कि संथाल आदिवासी न केवल असम में बल्कि पूरे भारत मे बहुत बड़ी तादाद में हैं। जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 1992 में संविधान की आठवीं अनुसूची संशोधित करके शामिल किया गया और इन भाषाओं को राष्ट्र भाषा का सम्मान दिया गया, लेकिन संथाली भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जो उनके साथ ज्यादती है। इसलिए भारत सरकार और असम सरकार से मेरी मांग है कि संथाली भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मैं इस वक्तव्य के बाद सभी के नाम पुकारूंगा।

अपराह्न 1.13 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

असम की स्थिति

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, हाल में हुई हिंसा की घटनाओं से असम के कुछेक भागों में जन-जीवन और यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ सदस्यों ने कल यह मामला

सदन में उठाया था और आज एक अलग पहलू के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। मैं सदन के समक्ष इन घटनाओं के तथ्यों और वर्तमान स्थिति को रखना चाहूंगा। मैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगा।

संदिग्ध बोड़ो लिबरेशन टाईगर के उग्रवादियों द्वारा विस्फोट की अलग-अलग घटनाओं में 2 जून, 1998 को एक रेलवे पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 31ग पर दो सड़क पुल क्षतिग्रस्त किए गए जिससे रेल/सड़क यातायात में बाधा आई। एक विस्फोट के कारण कोकराझार जिले में गुसाईगांव के नजदीक ब्रोड गेज लाईन पर एक रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरा पुल बोंगईगांव जिले में बोकरो नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर क्षतिग्रस्त हुआ। एक अन्य पुल के नालबाड़ी जिले के नाथकुची में तिहू नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर क्षति पहुंचाई गई। हालांकि, 2 जून, 1998 की रात को दारांग जिले में पैरापुता में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बने एक पुल पर एक देशी बम फटा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। संदिग्ध बोड़ो लिबरेशन टाईगर उग्रदादियों ने 4-5 जून, 1998 की रात को धुबरी जिले के माईवातारी में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर एक अन्य पुलिया को बम विस्फोट से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया।

केन्द्र सरकार स्थिति पर निकट से नजर रखे हुए है और राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। क्षतिग्रस्त रेलवे पुल की तत्काल मरम्मत की गयी और रेल सेवा पुनः शुरू हो गयी है। तथापि, रेल सेवाओं की पूर्ण बहाली एक-दो दिन में संभव हो पाएगी।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : हो गया है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : रेल मंत्री मुझे सूचित करते हैं कि यह कार्य हो गया है।

बोंगईगांव और कोकराझार के बीच बोकरो नदी पर बेली पुल का निर्माण करने के लिए सेना को कहा गया है। नाथकुची, नालबाड़ी के पुल से जाने वाले यातायात को नजदीक के पुराने पुल से मोड़ा जा रहा है, जिसका प्रयोग क्षतिग्रस्त आर. सी. सी. पुल के पुनर्निर्माण किए जाने तक किया जा सकता है। धुबरी जिले में उस पुलिया, जिसे पिछली रात को उड़ा दिया गया था, को फिर से चालू करने संबंधी काम शुरू कर दिया गया है।

रेल और सड़क पुलों, रेलवे पटरियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी हैं और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी और दक्षिणी, दोनों किनारों पर सघन गश्त और स्थैतिक गार्ड व्यवस्था की गयी हैं। इस विस्फोट के संबंध में लगभग 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार स्थिति का गहन प्रबोधन कर रही है।

बोड़ो-सांथाल हिंसा की वजह से असम के कोकराझार जिले में जातीय-तनाव पैदा हो गया। असम, विशेष रूप से बोड़ो क्षेत्रों, में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में अर्ध-सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इस हिंसा में विस्थापित हुए लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए 18 राहत शिविर खोले गए हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को एक लाख रुपये और प्रत्येक उस परिवार को जिनके घर जला दिए गए हैं, को 10,000/- रुपये की राशि देने की भी घोषणा की है।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न लंबित मुद्दों को सुलझाने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मध्यमार्गी बोड़ो ग्रुपों के साथ बातचीत की प्रक्रिया पुनः शुरू की है। सरकार को आशा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की इस प्रक्रिया तथा बोड़ो क्षेत्रों के राजनीतिक ग्रुपों के साथ बातचीत करने से इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल की जा सकती है।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है! मैं चाहता हूं कि इस विषय पर इस सभा में चर्चा कराई जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाना चाहिए। कृपया इस बात को समझ लीजिए। अब श्री सुल्तानपुरी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता : हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मुखतलिफ योजनाओं के लिए धन की मांग की गयी है।...*(व्यवधान)* जिसमें बिजली की रॉयल्टी 7.19 प्रतिशत रिआर्गनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत हिमाचल सरकार को मिलनी थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तानपुरी की बात के सिवाय कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति दिए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें इस हेतु एक समुचित प्रस्ताव लाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को इस संबंध में चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त बिजली का सरचार्ज जो सरकार ने लगाया है...*(व्यवधान)* इस तरह 1200 करोड़ रुपये लेने हैं।...*(व्यवधान)* भारत सरकार की ओर से अभी तक वह धन हिमाचल सरकार को नहीं दिया गया। ...*(व्यवधान)* हमारी सरकार के समय भी हिमाचल को धन का प्रावधान नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह जी से भी मिलकर धन की मांग की है। उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि वे प्रदेश को धन देंगे किन्तु अभी तक यह सरकार हिमाचल प्रदेश को धन उपलबध नहीं करा पायी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तानपुरी के भाषण के सिवाय में कुछ भी शामिल नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुल्तानपुरी को अनुमति दी है। कृपया और स्पष्टीकरण नहीं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : माननीय गृह मंत्री जी ने असम में स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कालिता जी आप हर बार खड़े हो रहे हैं और अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कुछ न कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। यह अच्छी बात नही है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में किसानों को सेब का समर्थन मूल्य पांच रुपये प्रति के. जी. के हिसाब से दिया जाये और हिमाचल की नदियों में जो भूमि का कटाव हो रहा है उसको चैनेलाइज करने के लिए धन का प्रावधान किया जाये ताकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से ग्रस्त इलाकों को राहत मिल सके। इसके लिए वहां वीरभद्र जी की सरकार ने किसानों की काफी सहायता की है और मुझे उम्मीद है कि हिमाचल में चूंकि अब बी. जे. पी. की सरकार है, तो उन्हें केन्द्र सरकार पूरी मदद देने की कोशिश करेगी।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): आपसे हमने कह दिया है कि आप हमें लिखकर दे दें। हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, असम और शेष पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति दुःखद है। वहां उग्रवाद से लड़ने के लिए सेना और अर्द्धसैनिक बलों को लम्बे समय से तैनात कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद आपसी गोलीबारी की चपेट में जन–सामान्य को ही हानि हुई है। यहां का समाज एक बन्धक समाज है। यदि सरकार उन पर काबू पाने में असफल रहती है, तो सेना द्वारा की गई ज्यादतियों अथवा अत्याचारों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। विडम्बना यह है कि अब अधिकाधिक लोग सेना के अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं। गांवों और चाय बागानों में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है।

अपराह्न 01.21 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय : श्री विजय हान्डिक, कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। हमें दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री विजय हाण्डिक : महोदय, मैंने अभी–अभी बोलना शुरू किया है।...*(व्यवधान)* सभी अलगाव की भावना से ग्रस्त हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। अब, श्री बैसीमुथियारी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री विजय हाण्डिक : नहीं महोदय। मैंने अभी अपनी बात शुरू भी नहीं की है। मुझे अपनी बात पूरी करनी है।

सभापति महोदय : आप केवल एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लें ताकि हम शून्य काल में अपनी बात कहने हेतु अन्य माननीय सदस्यों को अवसर दे सकें।

श्री विजय हाण्डिक : महोदय, मैं दो तीन मिनट का समय चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, आज शुक्रवार है, क्या हाउस में लंच नहीं होगा ?

सभापति महोदय : दो बजे करेंगे।

[अनुवाद]

श्री विजय हाण्डिक : महोदय, इन सब बातों के बावजूद भी असम सरकार और केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में बिल्कुल उदासीन है। जैसा कि कुछेक उग्रवादियों ने बारम्बार सुझाव दिया है, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता चाहती है कि उग्रवाद की समस्या सार्थक बातचीत के जरिए हल की जाए–चाहे यह बातचीत किसी तीसरे देश में हो। ऐसे उदाहरण हैं, जहां बातचीत

तीसरे देश में हुई है। विगत में नागा अधिपत्य के मुद्दे को हल करने के लिए स्वर्गीय श्री फिजो के साथ बातचीत ब्रिटेन में हुई थी। इसी प्रकार मिजो विद्रोह के मुद्दे को हल करने हेतु स्वर्गीय लाल डेंगा से बातचीत संघीय जर्मन गणराज्य में हुई थी। अब, मिजो समझौता सबसे कारगर समझौता है और मिजोरम देश में सबसे शान्त राज्य है।

हम यही चाहते हैं। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री इस मौके का फायदा उठाकर पहल करेंगे, ताकि शुरू की जा सके और यदि आवश्यक हो तो किसी तीसरे देश में भी बातचीत शुरू की जा सकती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें बन्धक समाज को मुक्त कराने के लिए वार्ता की प्रक्रिया शुरू करनी है। जब तक आप इस अलगाव की गहरी भावना, जो समाज को जकड़े हुए है, को समाप्त नहीं करते, तब तक, मुझे आशंका है, कोई भी विकास पैकेज स्थिति में सुधार लाने में सहायक नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस समस्या को हल करेगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : माननीय सभापति जी और माननीय सदस्यगण, मैं सरकार का ध्यान असम में ज्वलंत बोडोलैंड समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। इस संबंध में, माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले सभा में एक वक्तव्य भी दिया है। परन्तु मुझे खेद है कि यह वक्तव्य कतई संतोषजनक नहीं है और भारत सरकार जिस तरीके से बोडोलैंड के प्रश्न को हलके ढंग से ले रही है, वे बिना किसी ठोस नीतिगत निर्णय के इस ज्वलंत बोडोलैंड समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे।

मैं भारत सरकार से यह पुरजोर अपील करता हूं कि वह राष्ट्र के हित में अविलम्ब एक अलग बोडोलैंड राज्य के सृजन हेतु एक सुस्पष्ट, प्रभावी और सकारात्मक राजनैतिक निर्णय ले।

आज समस्त राष्ट्र यह देख रहा है कि कुछ दिन पहले हुई एक अवांछित घटना के कारण समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र शेष भारत से अलग हो गया है। इसीलिए मैं माननीय सभापति जी से यह अपील करता हूं कि वे इस पूरी समस्या के संबंध में इस सभा में एक सार्थक चर्चा शुरू करें।

मैं भारत सरकार से पुनः यह अपील करता हूं कि वह बोडोलैंड मुद्दे को गम्भीरतापूर्वक एवं निष्ठापूर्वक ले और उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ की भांति चिर–प्रतीक्षित बोडोलैंड राज्य के सृजन हेतु एक सुस्पष्ट नीतिगत निर्णय ले। यदि वर्तमान सरकार उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और वनांचल के लोगों को अलग राज्य का वायदा कर सकती है, तो बोडोलैंड के लोगों को क्यों नहीं ? असम की क्षेत्रीय धारा से बोडोलैंड को अलग करने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। जब तक अलग बोडोलैंड राज्य नहीं बनेगा, तब तक भारत सरकार समूचे पूर्वोत्तर भारत में स्थायी शान्ति, स्थिरता, सामान्य–स्थिति की बहाली और इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास कभी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह समस्त राष्ट्र के हित में अविलम्ब एक अलग बोडोलैंड राज्य का सृजन करे।

[हिन्दी]

श्री रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज में सबसे गंभीर समस्या जो इस समय आ रही है, वह महिलाओं की डिलीवरी के समय मृत्यु की है। उसकी वजह है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में एन. एम. सैण्टर नहीं हैं और जो भी एन. एम. सैण्टर बने हुए हैं, उनमें न तो किसी की नियुक्ति है, न दवाएं उपलब्ध हैं और वे एन. एम. सैण्टर कूड़ाघर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना चाहूंगी कि इस ओर गम्भीरता से सोचें और एन. एम. सेन्टर की बिल्डिंग खड़ी है, उसमें नियुक्ति की जाये। एक भी एन. एम. सेंटर मेरे क्षेत्र में नहीं चल रहा है और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि जो इन्टीरियर गांवों के क्षेत्र हैं, वहां से ऐसा कोई साधन नहीं है, जहां से महिलाएं शहर तक पहुंचें। एक बार मैं मौके पर पहुंची तो उस औरत को तो मैंने बचा लिया, लेकिन उसके बच्चे को मैं नहीं बचा पाई, इसलिए मैं उस दिन से अत्यंत दुःखी हूं। मैं यह चाहती हूं कि इस ओर गम्भीरता से सोचा जाये, जिससे बच्चे होने के समय महिलाओं की जो मृत्यु हो रही है, उसको रोका जा सके।...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : इसमें मेरा नाम भी है कि नहीं है।

सभापति महोदय : इसमें आपका नाम नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, मैं महिलाओं के बिना आपरेशन बंध्यीकरण हेतु एक गोली के रूप में 'कुनैक्राइन' के चोरी छिपे इस्तेमाल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह एक बहुत गम्भीर मामला है और इससे हमारे देश में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न हो रहा है। आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमन्स एसोशिएशन शीर्ष न्यायालय में गयी थी तथा एक याचिका दायर की थी। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले को डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर निपटा दिया था कि इस गोली 'कुनैक्राइन' पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा तथा इस गोली के आयात, उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर निषेध लगा दिया जायेगा। यद्यपि शीर्ष न्यायालय को यह आश्वासन दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे लागू नहीं किया।

मैं सरकार से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 की धारा 10(क) और 26(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस औषधि 'कुनैक्राइन', जो हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत

हानिकारक है, के आयात, उत्पादन, बिक्री और वितरण पर निषेध अथवा प्रतिबंध लगाने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एक अधिसूचना जारी कराने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहां के शासकीय इंजिनीयरिंग कालेजों का स्वायत्तशासी के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है, व्यापारीकरण किया जा रहा है। रीवा इंजीनियरिंग कालेज का भी निजीकरण किया जा रहा है। इसके चलते उस कालेज के प्रोफेसर, टीचर और विद्यार्थी एक महीने से हड़ताल पर हैं। अगर इसको रोका नहीं गया तो गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, [illegible] कैपिटेशन फीस नहीं दे पाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के [illegible]ने एक प्राइवेट कालेज को चलाने के लिए यह [illegible]त कर रहे हैं और स्वायत्तशासी के नाम पर रीवा इंजीनियरिंग कालेज और अन्य कालेजों का निजीकरण किया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्राइवेट कालेजों का, विद्यालयों का सरकारीकरण किया जा रहा है और दूसरी तरफ शासकीय महाविद्यालयों को खत्म किया जा रहा है उनका निजीकरण किया जा रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसको तुरंत रोका जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 5 जुलाई से देश में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यह विषय सदन में कई बार चर्चित हुआ है। वहां यात्रा के दौरान कई लोग मारे गए, कोई व्यवस्था नहीं थी, उनका मेडिकल नहीं हुआ था और कार्ड नहीं थे तथा किसी प्रकार की सूचना नहीं थी। अब सरकार ने यह व्यवस्था की है कि हर यात्री को दिल्ली में फार्म भरना होगा, कार्ड लेना होगा और मेडिकल जांच करानी होगी। यह व्यवस्था अन्य किसी और जगह नहीं है। देश के कोने-कोने से लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, उनको इन कार्यों के लिए पहले दिल्ली आना होगा। अगर वे मेडिकल में अनफिट होते हैं या कार्ड नहीं मिलता है तो वे यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई दक्षिण भारत से यात्रा पर जाए तो उसे दिल्ली बहुत दूर पड़ती है। इसी तरह से राजस्थान से भी बहुत से लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। राजस्थान धर्मपरायण लोगों का राज्य है। वहां गोविंदनारायण जी का मंदिर, गोपी जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर है और इनकी पूजा होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश में आप जयपुर शहर में इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए एक दफ्तर खोल सकते हैं। जहां लोग फार्म जमा करा सकें, अपना कार्ड ले सकें और मेडिकल करा सकें। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी एक-एक टेबल लगाकर इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे लोगों को अमरनाथ की यात्रा करने में आसानी होगी। यह एक धार्मिक कृत्य है इसलिए अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में भी ऐसे कार्यालय खोले जाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : महोदय, मैं जिनेवा पी-5 कांफ्रेंस के पश्चात् अमरीकी रक्षा सचिव, श्री विलियम कोहेन द्वारा दिये गये वक्तव्य से संबंधित मामला उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था : "अमरीका कश्मीर मामले के अन्तर्राष्ट्रीयकरण पर जोर देगा। यह एक गम्भीर मसला है। इससे कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्डे से बाहर रखने के हमारे पचास वर्षों के सफल प्रयास बेकार हो जायेंगे।

श्री मेडलीन अलब्राइट ने भी कहा है :...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : कोई भी माननीय सदस्य किसी अखबार को या किसी समाचार को यहां नहीं पढ़ सकता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह इसका उल्लेख कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : मैं नियम 349 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह केवल रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं, इसे पढ़ नहीं रहे हैं, वह इसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : मैं जो कुछ कह रहा हूं, आप उसे समझिए। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उद्धृत कर रहा हूं।

यह श्री मेडलीन अलब्राइट की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि नये नेताओं ने भारत की उज्ज्वल छवि को धूमिल किया है। पिछले पचास वर्षों की सर्वसम्मत विदेश नीति को तोड़ने तथा भारतीय राजनीतिक दलों को विभाजित करने का सीधा प्रयास है।

हम इसकी निन्दा करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार से विरोध दर्ज कराये। हम प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करते हैं कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने का इच्छुक है। हमें कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के पश्चिमी षडयंत्र को सफल नहीं होने देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पोखरण विस्फोट के बाद राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम से निपटने हेतु राष्ट्रीय विदेशी नीति के प्रति पुनः चेतना पैदा करने हेतु सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेने हेतु पहल करें।

अन्त में, सरकार पी--5 विज्ञप्ति पर वक्तव्य दे, जिसमें भारत को परमाणु शक्ति का दर्जा देने से इन्कार किया गया है।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, सिंडीकेट बैंक की स्थापना अस्सी वर्ष पहले हुई थी और यह सरकारी क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है। इसकी स्थापना डॉ. टी. एम. ए. पाई ने, श्री टी. ए. पाई, जो केन्द्र में मंत्री रहे हैं, के सक्रिय सहयोग से की थी। इस बैंक का प्रधान कार्यालय मणिपाल में है। अभी तक इस बैंक का संचालन मणिपाल से होता रहा है।

अब इसके नये अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री कृष्णमूर्ति इसके प्रधान कार्यालय को बंगलौर स्थानान्तरित करने की योजना बना रहे हैं। जब ग्राहकों और आम जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया तो उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि वह चेयरमैन के सचिवालय को स्थानान्तरित करेंगे। प्रधान कार्यालय मणिपाल में रहेगा और चेयरमैन सचिवालय बंगलौर स्थानान्तरित होगा, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। यह एक प्रमुख बैंक है। यह बैंक समाज के कमजोर वर्गों और कृषकों को ऋण देने में अग्रणी रहा है।

स्टाफ मीटिंग को सम्बोधित करते हुए सी. एम. डी. ने कुछ बहुत अपमानजनक शब्द कहे थे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करे। उन्होंने यह कहने का दुःसाहस किया कि राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी राजनीतिज्ञ, सांसद और वी. आई. पी. कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले में उन पर दबाव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा है कि शायद प्रधानमंत्री जयललिता के साथ व्यस्त हैं। सभापति महोदय, आप इस व्यक्ति की गुस्ताखी को समझ सकते हैं। इसका क्या अर्थ है ?

माननीय रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को गम्भीरता से लें और उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए माननीय वित्त मंत्री से कहें। उस क्षेत्र के लोग परेशान हैं और वे बैंक को अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के विरुद्ध हैं। यदि चेयरमैन बैंक में काम नहीं करना चाहते तो उन्हें किसी अन्य बैंक में स्थानान्तरित किया जा सकता है। जो बैंक पिछले अस्सी वर्षों से मणिपाल में कार्यरत है, वह किसी वैयक्तिक सनक के अधीन काम नहीं कर सकता। अतः मणिपाल से प्रधान कार्यालय, चेयरमैन के सचिवालय सहित, के स्थान परिवर्तन को तुरंत रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार चैल : सभापति महोदय, शून्य काल में आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं। यूनियन बैंक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के स्थापित चित्रों के आधुनिकीकरण और सौन्दर्यीकरण के लिए वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा मैनेजर का ध्यान दिलाया गया, तो उन्होंने उन चित्रों को हटवा दिया। यह हमारे महापुरुषों के साथ अपमानजनक बात है। इस बात को वहां के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक मैनेजर को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ, मैनेजर एस.सी. एण्ड एस.टी. के खिलाफ बहुत सारे षड्यन्त्र रच रहे हैं। जो इस प्रकार महापुरुषों के साथ अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ भद्दा व्यवहार कर रहे हैं, मैनेजर के स्केल–4 में भी प्रमोशन दे रहे हैं। इसके अलावा स्केल–2 और स्केल–3 में भी प्रोन्नति और पोस्टिंग के मामले में धांधली बरती जा रही है।

दलित, अनुसूचित जाति के जो अधिकारी हैं उनको नैतिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि इस बारे में कारगर कदम उठाएं। साथ ही साथ स्वीपर की नियुक्ति न करके वहां दिहाड़ी पर तमाम स्वीपर्स रख रहे हैं और परमानेंट नियुक्ति नहीं की जा रही है। वहां के मैनेजर दलितों के साथ अन्याय और भेदभाव कर रहे हैं। उनकी दूरदराज पोस्टिंग कर रहे हैं। जो फोर्थ क्लास के एम्प्लाइज हैं उनके साथ इस प्रकार के उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है। ऐसे प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक को, मैनेजर को क्या सरकार प्रोत्साहित करेगी ? माननीय वित्त मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इस प्रकरण की जांच करा कर दोषी मैनेजर के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें, चूंकि यूनियन बैंक, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी बहुत ही आंदोलित हैं।

महोदय, मेरे पास एक डेलीगेशन के रूप में वे सभी लोग आए हुए थे। मैंने कहा कि मैं इस मामले को लोकसभा में अवश्य उठाऊंगा। मैं आपके और सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस मामले की जांच कराएं और जो भी मैनेजर या अन्य कोई व्यक्ति दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, आज कोचीन में नारियल बोर्ड के सामने बहुत अधिक संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन कृषकों के कुछ मुद्दों से संबंधित है। नारियल की खेती कर रहे लाखों कृषक बड़ी कठिनाई में हैं। अब नारियल का कोई न्यूनतम मूल्य नहीं है, इसमें तेजी से कमी आई है और यह मामला इस सभा में कई बार उठाया गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है और नारियल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया है। नारियल तिलहनों की सूची में भी नहीं आता है और इसलिए सरकार इसकी खेती पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है।

वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से उत्तर था कि अभी भी नारियल

का आयात हो रहा है। इसे नकारात्मक सूची में रखना चाहिए और नारियल तेल का आयात नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अब आठ या नौ राज्यों में नारियल की खेती हो रही है। मेरे माननीय मित्र, भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुनय्या तथा अन्य माननीय सदस्य भी इस मामले को उठाते आ रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद सरकार इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है।

अतः, मैं कृषि मंत्री तथा प्रधानमंत्री से, जिनके पास कृषि मंत्रालय का प्रभार है, नारियल का न्यूनतम मूल्य 5 रुपये और खोपरे का मूल्य कम से कम 6 रुपये घोषित करने के लिए तुरंत कदम उठाने तथा कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

प्रभूदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान समूचे भारतवर्ष में देश के तमाम ऐसे प्रांतों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां वाटर लेवल प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओर से नेशनल एजेंडा में इसे प्राथमिकता दी है कि "किसानों को पेय जल की समस्या और कृषकों को सिंचाई की व्यवस्था" की जाए।

मेरा कहना है कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर प्रधानमंत्री जी एक ऐसा सम्मेलन करें या उनसे विचार-विमर्श करें, क्योंकि कई ऐसे प्रांत हैं जहां वाटर लेवल प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है। किसानों के लिए पीने का पानी नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी फिरोजाबाद है, जनपद आगरा में तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां 20 लाख पापुलेशन हैं। वहां सिंचाई की लाखों एकड़ जमीन असिंचित पड़ी हुई है। यहां इस विषय पर तीन दिन तक लगातार चर्चा हुई। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इसे प्राथमिकता दी है, प्रत्येक प्रांत में भारत सरकार की ओर से एक टीम मानिटरिंग करने के लिए बनाई जाए, जो उसका सर्वेक्षण करके आए और वह सभी क्षेत्र और प्रांतों में जाकर क्षेत्रवार ब्यौरा भारत सरकार को दे, जिससे सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर हो।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि वर्षा का जो सारा पानी बह कर नदियों में चला जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां एनीकट और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ट्यूबवैल की व्यवस्था की जाए तो वाटर लेवल ऊपर आ सकता है। मेरा अनुरोध है कि खेरागढ़, फतेहाबाद, बाह, फिरोजाबाद और शिकोहाबाद, जनपद आगरा, इन क्षेत्रों में ट्यूबवेल की व्यवस्था कराई जाए, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्र जी तक मेरी ये बातें पहुंचाई जाएं कि वास्तव में ये किसानों की समस्याएं हैं उनको पूरा कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : बहुत-बहुत धन्यवाद। उत्तरांचल राज्य के शीघ्र निर्माण के लिए मैंने अपना नोटिस दिया है। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेशनल एजेंडा में उत्तरांचल और नये राज्यों के निर्माण को सम्मिलित किया है। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा 90 दिनों के अंदर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था। जनता में इस बीच में पुनः असंतोष हो रहा है। मुजफ्फर नगर कांड हुआ तथा और भी कांड हुए, तथा उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं, एक संदेह लोगों के बीच में पुनः जा रहा है कि सरकार की ओर से शीघ्र कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जो कि सदन में उपस्थित हैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य का गठन शीघ्र किया जाएगा।...*(व्यवधान)* छत्तीसगढ़ को भी न छोड़ा जाए। मंत्री जी मुझे आश्वस्त कर दें तो जनता में संदेश चला जाएगा कि अतिशीघ्र इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी यह बात अवश्य पहुंचाएं कि 90 दिन के भीतर उत्तरांचल राज्य के निर्माण की कार्यवाही की जाएगी।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आगरा जनपद में बरहेम रेलवे स्टेशन और जंक्शन है और वह आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली को जोड़ने वाला है। सम्भवतः यह देश का पहला रेलवे स्टेशन जंक्शन है जहां पर कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है। मेरा निवेदन है कि वहां जनता एक्सप्रेस, ऊंचाहार और संगम में से कोई भी एक या दो गाड़ियां और टूंडला रेलवे स्टेशन तक नीलांचल एक्सप्रेस रुकवाएं।

सभापति महोदय : आप रेल बजट के समय यह बोल सकते हैं, वह तो जारी है, उस समय आप बोल सकते हैं।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : सभापति जी, बरहेम रेलवे स्टेशन पर जो जंक्शन है वह पांच जिलों को जोड़ने वाला जंक्शन है, वहां पर एक भी गाड़ी नहीं रुकती है। कृपया कोई भी मेल-गाड़ी रुकवाने का कष्ट करें।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति जी, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान गोरखपुर की एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं और वह समस्या केवल गोरखपुर की ही नहीं वरन् पूरे उत्तर प्रदेश की एक जटिल समस्या है। सन् 1969 में गोरखपुर फर्टिलाइजर कारपोरेशन की ओर से एक फर्टिलाइजर कारखाना स्थापित हुआ था। दस जून को एक साधारण घटना के चलते इस कारखाने को बंद कर दिया गया। पिछली पांच सरकारों से बराबर उपेक्षित होने के बाद आज केन्द्र सरकार ने कृभको को वहां पर एक खाद कारखाना लगाने के लिए कहा है। लेकिन जो कर्मचारी कारखाने में कार्यरत हैं उन कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि गोरखपुर में खाद कारखाना लगाने के साथ-साथ उसमें कार्यरत कर्मचारियों का उचित

समायोजन और उचित आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करें, जिससे किसी भी कर्मचारी की रोजी–रोटी पर कोई आंच न आए।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा उदारतापूर्वक किसानों के हित में गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर उनको प्रोत्साहित किया गया और उससे प्रोत्साहित होकर किसानों ने भारी मात्रा में अपना गेहूं देना प्रारम्भ किया और उसके लिए कुछ जो एजेंसी थी, राज्य का जो खाद्य आपूर्ति निगम था और दूसरी सोसाइटीज द्वारा गेहूं का क्रय प्रारम्भ किया था। बड़ी मात्रा में गेहूं वहां पर आया। उनके द्वारा भुगतान भी किया गया लेकिन खाद्य निगम द्वारा समय पर गेहूं का पुनः भुगतान न किये जाने के कारण आगे गेहूं की खरीद रुकी हुई है और जो खरीदा हुआ गेहूं है वह भंडारण की कमी के कारण बाहर ही खुले में पड़ा हुआ है।

[हिन्दी]

इससे दो तरफा नुकसान है। एक तो किसान निरुत्साहित हो रहा है। उसे बाजार में कम मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ खरीदा गया गेहूं बाहर प्रड़ा हुआ है। एजेन्सियों की अपनी कठिनाइयां हैं। उन्हें सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि खरीदे गये गेहूं के भुगतान की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि इसका समय पर भुगतान हो सके। सरकार भंडारण की व्यवस्था करे ताकि बाहर गेहूं खराब न हो।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : सभापति महोदय, मुझे नोटिस के लिए बुलाये जाने के लिए अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद देना चाहिए जो मैं पिछले चार दिन से लगातार देता आ रहा हूं।

मैं सरकार का तथा समूची सभा का ध्यान सी॰ जी॰ एच॰ एस॰ स्वयंसेवकों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। इन स्वयंसेवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की देख–रेख में उनकी सहायता के लिए बहुत समय पहले नियुक्त किया गया था। ये स्वयंसेवक अभी भी अपनी पूरी क्षमता से इस समाज की सेवा कर रहे हैं। वे पढ़े–लिखे हैं। वे सहायक हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां इन लोगों ने प्रदूषित पेयजल से अनभिज्ञ आम जनता की रक्षा की है। दो बड़े पैमाने पर जल से होने वाली बीमारियों से फैलने वाली महामारी को रोकने में सफल रहे हैं। यद्यपि ये लोग इतनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बहुत कम, नाममात्र का पारिश्रमिक दिया जाता है।

अतः मैं सरकार से उनकी परिलब्धियों में वृद्धि के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। ताकि वे एक सभ्य व्यक्ति का जीवन जी सकें और वे समाज को जहां तक हो सके अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें।

उनकी सेवा शर्तें भी निर्धारित की जानी चाहिए। ताकि उन्हें समाज की सेवा करने में सक्षम बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र की एक दुर्घटना का यहां जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां एक गांव लयसुरा है। लयसुरा I से लयसुरा II में जाने के लिए किश्ती का इस्तेमाल किया जाता है। वहां कोई सड़क नहीं है। यह गांव रियासी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। साधारणतः गवर्नमेंट की तरफ से पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ डिपार्टमेंट किश्ती चलीता है। उस समय जाने वाले यात्री 50 के करीब थे जबकि किश्ती में 25 से ज्यादा यात्री ले जाना मना है। उन्होंने बिना रस्सी के उस किश्ती को दरिया में डाल दिया। नतीजा बहुत भयानक हुआ। किश्ती थोड़ी दूर चलने के बाद डूब गई। 38 यात्री डूब कर मर गए। मृतक खनीकोट, तनोट तथा कोतरु गांव के निवासी थे। सारे कर्मचारी खुद तैर कर बाहर निकल गए और किश्ती को वहीं छोड़ दिया। इससे 38 लोगों की जानें गईं। किश्ती चलाने वालों ने उनके साथ बेवफाई की। मेरा निवेदन है कि मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। वहां विशेष रूप से ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा न हो सकें। किश्ती में सभी चीजों का इंतजाम होना चाहिए जिससे लोगों की जानें दोबारा न जाएं। मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाए। प्रदेश सरकार को कहा जाए कि वह इनको मुआवजा दे। इसके साथ–साथ इस मामले की बाकायदा इनक्वायरी करवायी जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं। अमेरिका के विदेश मंत्री का वाशिंगटन से एक बयान है और उसने भारत की नीति और रीति की भर्त्सना की है और जो परमाणु विस्फोट पोखरन में हुआ है, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि गांधी के भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वह अशांति फैलाना चाहती है और हिंसा के रास्ते पर देश को ले जाना चाहती है। मैंने इसको गंभीर घटना इसलिए कहा कि यह हमारी आंतरिक स्वायत्तता और आंतरिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि अमेरिका के दूतावास में भारत सरकार अपनी आपत्ति दर्ज कराए कि इस तरह के बयान दूसरे देश के किसी भी मंत्री या दूसरे देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा भारत में या किसी देश में नहीं जाने चाहिए और मैं समझता हूं कि यह भारत की स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर आक्रमण है। मैं भारत सरकार को आपके माध्यम से फिर से सुझाव देना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार अमेरिका के दूतावास के माध्यम से अमेरिका के विदेश मंत्री के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराए कि हमारी आंतरिक स्वायत्तता में कोई दखलंदाजी होगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि राजनीति से हटकर यह गंभीर

घटना है और इस विषय पर पूरा सदन एकमत होगा क्योंकि यह राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल है।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के जो वंशज कहलाते हैं–गड़िया लोहार, जिनके पास आज तक मकान नहीं हैं, सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे वे लोग रहते हैं। वह आज भी सरकार से रहने के लिए जगह मांगते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, हम भी इनके समर्थन में बोल रहे हैं कि उनको मकान दिये जाने चाहिए।

श्री रामनारायण मीणा : वह सरकार से पट्टा मांगते हैं। मेरे पास इस बात के प्रूफ हैं। राजस्थान में उनको मकानों के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। सौ एप्लीकेशन्स आती हैं ादमियों को अनुदान देकर उनको परेशान किया जाता ी हम कांस्टीट्यूएंसी में जाते हैं, बूंदी या कोटा में जाते हैं तो भीड़ की भीड़ लोग आते हैं। उनकी हालत बहुत बदतर है। आज भी लोहे का काम करके वे किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। मैं एक उदहारण देना चाहता हूं। राजस्थान में ग्राम पंचायत मोरुकला, जिला कोटा के सरपंच को दरख्वास्त दी 1994 में। विकास अधिकारी, सांगोद ने 31.8.95 को लिखा पर आज तक उन 60 आदमियों में से एक को भी मकान का पट्टा नहीं मिला और वह दरा गांव में रह रहे हैं। जिला कलैक्टर ने 18.9.96 को चिट्ठी लिखी ग्राम पंचायत मोरुकला (दरा स्टेशन) के संरपंच को कि इनको राशन कार्ड दिये जाएं ताकि इनको मिनिमम रेट पर केरोसीन मिले, शक्कर मिले मगर उनके राशन कार्ड नहीं बनाये गए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जो स्थितियां हो रही हैं कि सबसे गरीब आदमियों की तरफ राजस्थान सरकार ध्यान नहीं देती है तो भारत सरकार उन पर ध्यान दे। मैंने कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री मेनका गांधी को भी चिट्ठी लिखी है। यह बहुत गंभीर मामला है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो वह गड़िया लोहार है। उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनके बच्चे आज भी नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा–बच्ची हिन्दुस्तान में आपको उनका पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम चित्तौढ़ को वापस नहीं लेंगे, हम इसी तरह दर–दर भटकते रहेंगे। हमारा उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है। स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने भी इस बारे में बहुत काम किया था। जवाहर लाल जी द्वारा बनाए गए नियम मौजूद हैं लेकिन अखबारों में घोषणाएं होती हैं, पर उन आदमियों के बारे में किसी ने सोचा नहीं है। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो गड़िया लोहारों के बच्चे बिल्कुल पढ़े–लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ाने के लिए और स्थायी रूप से बसाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार को यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और उनको बसाने के लिए यथासंभव मदद देनी चाहिए, उनके रहने के लिए पट्टे देकर प्रायोरिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.09 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा अपराह्न तीन बजकर नौ मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

रेल संबंधी स्थिति पत्र पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव
रेल बजट-1998-99 सामान्य चर्चा
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1995-96–जारी

सभापति महोदय : एक घोषणा करनी है।

चूंकि रेल बजट पर बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है, यदि सभा सहमत होती है, तो हम आज अपराह्न 9.00 बजे तक बैठ सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : हमें आज सभा 6.00 बजे स्थगित करने दीजिए और इस पर सोमवार को चर्चा करने दीजिए।

सभापति महोदय : बहुत से सदस्य हैं जो वाद–विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं। जो सदस्य आज बोलना चाहते हैं वे अपराह्न 6.00 बजे के बाद बोल सकते हैं और वे सदस्य जो सोमवार को बोलना चाहते हैं सोमवार को बोल सकते हैं। अतः आज, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात् रेल बजट पर फिर से चर्चा की जायेगी और अपराह्न 9.00 बजे तक जारी रहेगी।

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, इसे अपराह्न 8.00 बजे तक कीजिए।

सभापति महोदय : देखते हैं।

[हिन्दी]

जो लोग यहां रहेंगे, उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा। जो चले जाएंगे, वे सोमवार को यदि बोलना चाहें, तो बोल सकते हैं।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : सभापति महोदय, जो आज नहीं बोल पाएं, क्या उनको सोमवार को समय दिया जाएगा।

सभापति महोदय : जरूर मिलेगा।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : सभापति महोदय, रेलवे बजट में ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी रहती है और लोग बोलना चाहते हैं। अगर आज प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस के समाप्त होते ही शाम को छः बजे के बाद कुछ देर तक हाउस चले, तो अच्छा होगा। आज शुक्रवार का दिन है, कुछ लोग बोलना चाहते हैं। सोमवार को देर रात तक बहस चलाने का प्रस्ताव है, लेकिन मैं एक आग्रह आपसे जरूर करना चाहता हूं कि जितने बजे भी रात्रि में बहस समाप्त होगी, मैं तत्काल, उसी क्षण जवाब देना चाहूंगा। यह नहीं होगा कि बहस रात भर चले और मैं अगले दिन जवाब दूं। जिस समय रिप्लाई समाप्त होगा, मैं उसी क्षण जवाब देने के लिए तत्पर हूं।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : इसका अर्थ यह हुआ कि फिर रात भर सदस्यों को सदन मे बैठना पड़ेगा।

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्यों को बैठना भी चाहिए। यह न हो कि बोले और चले गए। इसीलिए मैंने कहा है कि मैं तत्क्षण जवाब देना चाहूंगा। जो सदस्य बोलें वे जवाब सुनने के लिए उपस्थित रहें।

श्री अजीत जोगी : मंत्री जी यह बड़ी ज्यादती होगी।

श्री नीतीश कुमार : जब मंत्री रात भर नोट लेने के लिए बैठता है, तो क्या वह ज्यादती नहीं है ?

श्री अजीत जोगी : आप तो मंत्री हैं।

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : माननीय सभापति जी, हम लोग बिहार से आते है। बिहार के संबंध में माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। जिस दिन रेल मंत्री ने रेल बजट प्रस्तुत किया है उस दिन से यहां बहुत कुछ कहा गया और यहां तक कह दिया गया है कि रेल मंत्री बिहार के हैं इसलिए रेल बजट बहुत कुछ बिहार का बजट है। इस बात पर मुझे बड़ा अफसोस है। मैं कहना चाहता हूं कि एक जमाने में जब रेलवे के सात जोन थे, उस समय एक ए. सी. जोन हुआ करता था जिसे आयरन रेलवे कहा जाता था। उस पर पूरे रेल बजट का एक–चौथाई रुपया खर्च किया जाता था। जो ए. सी. रेलवे होता था उसे पावर रेलवे भी कहा जाता था क्योंकि वह पूरे भारत के पावर स्टेशनों और लोहे के कारखानों को कोयला सप्लाइ करता था फिर वह चाहे भिलाई, दुर्गापुर, राऊरकेला या बोकारो हो, सबको वह जोड़ता था। मैं कहना चाहता हूं कि उस पर जितना पहले खर्च किया जाता था, जितना पहले दिया जाता था, उसके अनुपात में अब बहुत कम खर्च किया जा रहा है।

सभापति महोदय, इसी तरह से इस्टर्न रेलवे की बात है। यह कोई नई रेल नहीं है। यह हावड़ा से चलकर बिहार के पूर्वी भाग से गुजरती है। उसकी जो स्थिति आज से 10–20 वर्ष पहले थी, वही स्थिति आज भी है। उसमें इतने वर्षों में कोई भी नयापन नहीं आया है। जहां तक एन. ई. रेलवे का सवाल है उसमें भी कमोवेश वही स्थिति है। कुछ गाड़ियां नई चलाई गई हैं। वहां की वैशाली सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती है। उसकी कैपेसिटी मुश्किल से एक हजार पैसेंजर ढोने की है, लेकिन उस पर ऊपर से नीचे तक छः हजार पैसेंजर आते–जाते हैं। इस प्रकार से उक्त सैक्शन में जितनी रेलों की जरूरत है, उतनी रेलें नहीं हैं।

रेल मंत्री जी आपने एक नई रेलगाड़ी दी, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं लेकिन उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। वह बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। बिहार और देश के दूसरे इलाकों से बहुत से मजदूर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली मजदूरी करने जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत नाजुक है। हम गरीब लोग अपनी जीविका के पक्ष में कहीं न कहीं जाते रहते हैं इसलिए यदि आप आधा दर्जन भी ट्रेनें देंगे तो भी वहां भीड़–भाड़ कम होने की संभावना नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप श्री जयप्रकाश जी के भक्त हैं और छपरा आपकी जन्मभूमि है। इसलिए मेरा कहना है कि आप एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी "लोकमान्य एक्सप्रैस" छपरा को दीजिए। आप जानते हैं कि छपरा के पुराने जिले गोपालगंज और सिवान में आते हैं। वहां के लोग दुनिया भर में रहते हैं, अरब देशों में रहते हैं। हिन्दुस्तान में शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां के लोग इतनी तादाद में विदेशों में रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको और गाड़ियां चाहिए और बेहतर होगा कि आप शीघ्र लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जी के नाम से एक ट्रेन चलवायें। इससे हम लोगों का बड़ा उपकार होगा।

सभापति जी, लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत काम हुआ है क्योंकि छः–छः रेलमंत्री बिहार से आए हैं। पिछले जितने भी रेलमंत्री हुए हैं उनमें से एक आध को छोड़कर सभी मंत्री बिहार के थे। यह मेरा सौभाग्य है लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज तक बिहार का एक भी बड़ा काम नहीं हुआ। जब श्री राजेन्द्र प्रसाद जी पार्लियामेंट के मैम्बर हुआ करते थे तब वह पार्लियामेंट में बार–बार इसी सवाल को उठाते थे कि पटना को सोनपुर से जोड़िये ताकि नार्थ और ईस्ट का रिश्ता बना रहे। पिछले दिनों कुछ उम्मीद जागी थी जब तत्कालीन रेल मंत्री और प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा जी 22 सितम्बर, 1996 को वहां पर गये और 15 करोड़ रुपए...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश सिंह (वैशाली) : 1996, 1997 और 1998 में दो बार हुआ तो भी काम क्यों नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : बिना सर्वे के ही पुल का शिलान्यास हो गया।...*(व्यवधान)*

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : नहीं, 15 करोड़ रुपए देश का पैसा आप ऐसे नहीं दे सकते थे।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश सिंह : तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आज से दो साल पहले उसका शिलान्यास किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। आप इनको बोलने दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : अभी रघुवंश प्रसाद जी जो बोल रहे हैं, यह इंटरिम बजट में जो कुछ बोले थे, दोनों निकालकर इन्हें भेज दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हम बार–बार बोल रहे हैं कि शिलान्यास उचित है या जाली है। यदि वह उचित नहीं है तो मंत्री जी बता दें।...*(व्यवधान)* दिसम्बर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया लेकिन वह काम अभी तक आरंभ नहीं हुआ।...*(व्यवधान)* यह कहते हैं कि तीन बरस तक हम जांच करायेंगे...*(व्यवधान)*

महोदय : आप बैठिये।

कुमार : ठीक है, इनका भाषण इनको दिखा दिया जाये।

श्री हीरा लाल राय : सभापति जी, मैं इसके बारे में कहूंगा कि मुझे हैरानी और तरस तब हुआ। मैंने पहले भी रेल मंत्री को कहा था कि इसको आप रेल बजट में सम्मिलित कर लीजिए ताकि देश का एक बड़ा काम हो सके, बिहार का एक बड़ा काम हो सके। रेलमंत्री जी के कारण बिहार का नाम तो बड़ा हुआ लेकिन एक भी बड़ा काम नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रेल पुल को जिसका आपने सर्वे कराया है, रुपया खर्च किया है, आपके पहले रेल मंत्री वहां जाकर मजमा लगाया और श्री देवेगौड़ा जी ने उसका शिलान्यास किया। क्या यह उचित था ? क्या वहां की जनता के साथ मजाक नहीं किया ? आप दिन बढ़ाये जा रहे हैं लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। यह हमारा सबसे बड़ा अपमान है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम होना चाहिए। अब यह हमारे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है।

एक बात मैं और कहूंगा कि रोम का इतिहास रूईन का इतिहास है। वहां कितनी बर्बादी हुई, इसके बारे में आप जानते हैं। जब हम बच्चे थे तो पढ़ते थे कि सोनपुर का प्लेटफार्म देश में सबसे लम्बा है। सोनपुर एक धार्मिक जगह है और मेले के रूप में वह एशिया में प्रसिद्ध है। उसका आज इस तरह से बवाल किया जा रहा है। रेल मंत्री जी आप ध्यान दीजिए। सोनपुर का एक वाशिंग पिट है।...*(व्यवधान)*

कैरेज का वाशिंग पिट खाली पड़ा हुआ है। लेकिन यह कितना बड़ा मजाक है कि बरौनी के स्टाफ को यहां से ले जाकर वहां यह काम करवाया जाता है। रेल मंत्री जी, उसमें खर्चा नहीं है, काम पुराना है। वहां पर वाशिंग पिट है, आप उससे सोनपुर में ही काम लीजिए। सोनपुर की प्रौबलम आपके सामने इसलिए है क्योंकि उसे हाल के वर्षों में उजाड़ा गया है, रेल के नाम पर ध्यान नहीं दिया गया है। नार्थ बिहार में उस जैसा स्टेशन शायद और कोई नहीं था लेकिन आज उसके साथ अन्याय हुआ है।

1978 में जब मधु दंडवते साहब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक रेल कालेज का शिलान्यास किया था। आपकी दुआ से वह कालेज बड़ा फल–फूल रहा है। वहां कॉमर्स, साइंस की पढ़ाई होती है जिसमें रेल मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। वह जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक अच्छा कालेज माना जता है। वहां उस समय से ज्ञानबाजी चल रही थी लेकिन हाल ही में रेलवे बोर्ड के लोगों और मंत्री जी ने कहा कि यह जल्दी ही टेक–ओवर होगा। रेलवे बोर्ड के पास कागज पड़ा हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस मामले में ध्यान दीजिए।

इसी तरह से सोनपुर में लोकोशैड खाली पड़ा हुआ है। वहां आप आसानी से डीजल शैड लगा सकते हैं, खर्चे का सवाल नहीं है, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि लोकोशैड को डीजल शैड में बदलने की कोशिश की जाए।

एक रेल सोनपुर से तरैया होते हुए मिसरिख को जोड़ते हुए चलनी चाहिए। उस इलाके के लोगों को पहले छपरा आना पड़ता है और वहां से मिसरिख जाना पड़ता है। इसमें तकरीबन डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। महज 30–35 किलोमीटर की दूरी पर एक रेल लाइन दी जा सकती है जिसे जोड़कर ठावे और गोपालगंज तक लाया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

पूरे गोरखपुर तक आप गाड़ियां दौड़ाते हैं लेकिन उ. .े पास एक ही ट्रैक है जिस पर गाड़ियां आती–जाती हैं। इससे एक–एक गाड़ी 4–5 घंटे विलंब से जाती है। मेरी मांग है कि उस लाइन का दोहरीकरण किया जाए।

अब मैं एक बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं हालांकि कुछ आपके विभाग से संबंधित है और कुछ उससे बाहर भी हैं। पूरे यू. पी. में लूट चल रही है। पंजाब का जो व्यापारी गाय लेकर जाता है, उसके ट्रक को लूट लिया जाता है। सैंकड़ों ट्रक लूटे गए हैं। सिर्फ गोरखपुर में 43 ट्रक जर्सी गाय लूटी गई हैं! पहले एक सप्ताह में दो बार 72 वैगन की एक गाड़ी माल लेकर कलकत्ता तक जाती थी जिससे व्यापारियों और आम लोगों को सुविधा होती थी। पहले पंजाब में जिस गाय का दाम 7000 रुपये था इस लूट के कारण आज उसी गाय का दाम 15,000 से 20,000 रुपये हो गया है। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस पर ध्यान दें। पंजाब में बहुत उन्नत किस्म की गायें होती हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जाती हैं। उन्हें रोककर लूट लिया जाता है। सिर्फ गोरखपुर में ही 43 ट्रक गाय लूट ली गई हैं।

इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। वहां कोई कानून–कायदा नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाए। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जालंधर और अमृतसर से आप गाड़ियां चलाएं।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री हीरा लाल राय : अभी करता हूं। एक गाड़ी पटना से कोच्चि के लिए चलती है, वह आसनसोल, खड़गपुर होकर जाती है।

श्री आदित्यनाथ : गोवध नियम के अंतर्गत उनको रोका जाता है। माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्षमता से अधिक गाय नहीं ले जा सकते। जो बेकार हो जाती हैं उनको क्षमता के अनुसार ले जाया जा सकता है। उनके पास टिकट भी नहीं होता।...*(व्यवधान)*

श्री हीरा लाल राय : हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, दुधारू गाय जाती हैं, काटने के लिए नहीं ले जाई जाती।

श्री आदित्यनाथ : गाय की रक्षा करने के लिए उनको गोरखपुर में रोका जाता है।

श्री हीरा लाल राय : एक गाड़ी पटना से कोच्चि जाती है। वह सप्ताह में एक दिन जाती है। आप जानते हैं कि उधर जाने वालों को इससे बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। मेरी मांग है कि उस गाड़ी को सप्ताह में कम से कम तीन दिन चलाया जाए, क्योंकि इस रूट पर वही एक गाड़ी है।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : गायों को बिना परमिट ले जाते हैं।

श्री हीरा लाल राय : परमिट की बात आप बाद में कीजिए। वहां 43 ट्रक आपने ही लुटवाए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उनको बोलने दें, आप बाद में बोल लेना कि परमिट है या नहीं। हीरा लाल जी आप जल्दी–जल्दी खत्म कीजिए।

श्री हीरा लाल राय : टाटानगर से बहुत से मजदूर, आदिवासी मजदूर चाय बागानों में काम करते हैं। उनको जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। मैं मांग करता हूं रेल मंत्री जी से कि टाटानगर से जलपाइगुड़ी के लिए एक सीधी ट्रेन चलाई जाए, ताकि छोटा नागपुर के मजदूर सीधे चाय बागानों में जा सकें। छपरा से टाटानगर के लिए ट्रेन चलती है, उसमें ए. सी. बोगी नहीं लगती, रेल मंत्री जी उसमें ए. सी. बोगी लगाने की कृपा करें। हाजीपुर से वैशाली का शिलान्यास हो चुका है, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र वैशाली में ही पैदा हुआ था इसलिए हाजीपुर–वैशाली को जोड़ दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, रेल मंत्री ने सुना नहीं है। हाजीपुर–वैशाली का शिलान्यास हो चुका है, सर्वे भी हो चुका है।

श्री नीतीश कुमार : रघुवंश प्रसाद जी को प्राइवेट मेम्बर्स बिल के समय में रेलवे पर बोलने की अनुमति दे दें।

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी (भागलपुर) : सभापति महोदय, मैं रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं भी उसी राज्य से आता हूं, जहां से रेल मंत्री जी आते हैं।

सभापति महोदय : प्रभाष चन्द्र जी आप छः बजे फिर बोल लेना, अब पी. एम. बी. शुरू हो गया है।

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प

राष्ट्रीय आवास नीति संबंधी संकल्प-जारी

सभापति महोदय : अब, हम 2 जून, 1998 को डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे। डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी।

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, स्वतंत्रता के पचास वर्षों बाद भी, हमने पाया है कि देश में लोगों की हालत विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दयनीय है। जब हम गन्दी बस्तियों तथा गांवों में जाते हैं और जब हम उनकी दयनीय स्थिति देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वे झोपड़ियों में पेड़ों के नीचे तथा प्लेटफार्मों पर रह रहे हैं। हम अपने देश के आधुनिक समाज में उनके दुखद जीवन को देखते हैं।

अपराह्न 3.31 बजे

(श्री खगपति प्रधानी *पीठासीन हुए)*

यदि हम आंकड़े देखें तो हम पायेंगे कि 33 मिलियन यूनिट्स की कमी है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 23.5 मिलियन यूनिट्स की कमी है और शहरी क्षेत्रों में 9.5 मिलियन यूनिट्स की कमी है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यद्यपि प्रथम योजना में आवास के लिए लगभग 35 प्रतिशत आबंटन किया गया था, किन्तु इसे धीरे–धीरे काफी कम कर दिया गया। वस्तुतः सातवीं योजना में यह कम होकर 9.6 प्रतिशत हो गया और आठवीं योजना में यह 12.2 प्रतिशत था। मैं नहीं जानता कि नौवीं योजना में यह कितना होने जा रहा है अतः देश में ऐसी स्थिति है।

शुरू से ही हम इस संप्रभु देश में रोटी, कपड़ा और मकान का सपना देखते रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को उसके घर के पास पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तथापि, हम इस देश के 70 या 80 प्रतिशत गरीब लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। तब, इसका समाधान क्या है ? इसकी कार्य–विधि क्या है ? सरकार इसे कैसे करेगी। हम जानते हैं कि हमारी सरकार सभी जरूरतमंद लोगों को रातोंरात यह सब उपलब्ध नहीं करा सकती, लेकिन जब दृढ़ निश्चय, समर्पण, ध्यान, निष्ठा, योजना

[डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी]

और व्यावहारिक दृष्टिकोण है तो हम बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से यह कार्य करें तो हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री के शहरी भूमि अधिकतम सीमा संशोधन के विचार का वास्तव में स्वागत करता हूं। क्योंकि अब भूमि की उपलब्धता एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है दूसरा, मकान बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यद्यपि हमारे देश में लाखों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है। किन्तु इस कानून के कारण जो तीन दशकों से रुकावट बना हुआ है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है।

अब, ऐसा समय आ गया है जब पेयजल उपलब्ध है लेकिन गरीब व्यक्ति पी नहीं सकता। वह मर जायेगा। इसका क्या उपयोग आधुनिक विज्ञान, आधुनिक प्रौद्योगिकी और आधुनिक ...रिक रूप से उपयोग में लाना होगा और यह ... वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें उचित रूप से संशोधन किया जाए तथा यह भी देखना होगा कि भारत में सभी जरूरतमंद लोगों को ऐसे तरीके से भूमि उपलब्ध कराई जाये कि वे इस देश के भविष्य के लिए और अधिक मकान बना सकें।

मैं एक और अच्छा सुझाव देना चाहूंगा मेरे विचार से अतिरिक्त भूमि का पता लगाने में केवल नगरपालिकाओं और निगमों का ही नहीं बल्कि पंचायतों का भी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, गांवों में और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में भी, हमने पाया है कि बहुत सी भूमि उपलब्ध है। यह नगरपालिकाओं, निगमों अथवा कुछ जिला कलेक्टरों के नियंत्रण में है। अतः अब स्थानीय विधायकों सांसदो, पंचायतों तथा सरपंचों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सरकार यह देखे कि जहां कहीं भूमि उपलब्ध है वे उसमें सक्रिय भूमिका निभायें अब इसे कैसे करना है। मान लीजिए अगर सरकार की भूमि है, तो उसे उस भूमि के सामान्य मूल्य निर्धारित करने चाहिए और यह देखना चाहिए कि यह भूमि गरीब व्यक्ति को दी जाये। माननीय प्रधानमंत्री अपने सक्रिय नेतृत्व में यह देखें तथा प्रयास करें कि विभिन्न तरीकों से गरीब व्यक्ति को भूमि उपलब्ध कराई जाये। न केवल शहरी भूमि अधिकतम सीमा के तरीके से बल्कि अन्य तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। बहुत सी सरकारी भूमि है तथा विभिन्न अन्य एजेंसियां भी उपलब्ध हैं। गरीब व्यक्ति को यह बहुत उचित और सामान्य दर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह मेरा प्रथम सुझाव है।

दूसरा मुद्दा यह है कि हम सरकार से यह आशा नहीं कर सकते कि वह सभी मकानों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराये। अतः सरकार को गरीबों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और प्राइवेट एजेंसियों को भी शामिल करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार भवन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित कर रही है। यह बहुत अच्छा कदम है, परन्तु सरकार को गम्भीरता से काम करना चाहिए और उनको यहां निवेश करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए तथा देखना चाहिए कि अधिक भवनों का निर्माण हो।

कांग्रेस सरकार द्वारा काफी समय पहले आरम्भ की गई इन्दिरा आवास योजना एक अच्छी योजना है परन्तु आज इस योजना में कुछ सुधार की आवश्यकता है। जब सरकार का 20 लाख अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, तो हमें इस बात का भय है कि वे इस कार्य के लिए धन कैसे उपलब्ध कराएंगे। निःसन्देह उन्होंने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया कि वे धन कहां से देंगे परन्तु यदि वे इन्दिरा आवास योजना हेतु धन राशि में पर्याप्त वृद्धि कर देते हैं तो स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा।

महोदय, तीसरी बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक संसद सदस्य, जो अपने चुनाव क्षेत्र में 7 विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, की जरूरतमंद लोगों को धनराशि आबंटन में कोई भूमिका नहीं है। पिछली लोकसभा में लगभग 200 संसद सदस्यों ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया था कि उन्हें भी धन राशि के आबंटन और दिन–प्रतिदिन के अन्य कार्यों में शामिल किया जाए। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा इस बात से सहमत हो गए थे, फिर भी अभी कुछ नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार को इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और यह प्रमाणित कर देना चाहिए कि वे इस कार्य को करने में सफल रहे। कुछ दिन पहले, कई संसद सदस्यों ने इस सम्बन्ध में श्री वाजपेयी से भी अनुरोध किया था। हम कल्पना करते हैं और उस शुभ दिन को देखना चाहते हैं जब सरकार इस संबंध में एक निर्णय लेगी और देखेगी कि संसद सदस्य भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना को लागू करने में सहभागी होंगे ताकि वे इस योजना को और अधिक सफल बनाने हेतु ज्यादा सक्रिय, निर्णायक, स्थायी, महत्त्वपूर्ण और अभूतपूर्ण भूमिका निभा सकें।

महोदय, मैं अपना भाषण पांच मिनट में पूरा करता हूं। मैं लम्बे भाषणों में विश्वास नहीं करता। मैं संक्षिप्त उपयोगी और ठोस बात करने में विश्वास करता हूं।

मेरा अगला सुझाव यह है कि किसी भी व्यक्ति के भवन निर्माण की लागत को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए जिससे कि उसे कर में छूट मिल सके। यदि गरीबों को भवन निर्माण में सहायता देने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहन मिलता है तो गरीबों की सहायता के लिए और भी एजेंसियां आगे आएंगी।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं और वह पूंजीगत लाभ कर छूट के बारे में है। यदि किसी भवन निर्माण में निवेश की गई धनराशि पर पूंजीगत लाभ को कर से मुक्त कर दिया जाता है तो बहुत से लोग इसमें निवेश करेंगे। अतः इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

दूसरा सुझाव जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि लोगों को 10 वर्ष में उनके भवनों का मूल्यांकन कम करने की अनुमति दी जाये तथा स्टाम्प शुल्क में भी भारी कमी की जाए। इससे भी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मेरा अगला सुझाव यह है कि संपत्ति कर से छूट के लिए स्व–गृहीत एक आवास सम्बन्धी वर्तमान सीमा को हटाया जाये। निःसन्देह, सरकार यह कार्य पहले ही कर चुकी है। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है और हम इसका स्वागत करते हैं।

गिरवी रखने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने तथा आवास निर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु सुझाव दिए गए थे। इस बजट में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। विश्व बैंक की बड़ी परियोजनाओं को छोड़कर, जहां प्रवर्तक की कर योग्य आय को आधा किया जा सकता है, यह रियायत दूसरों को नहीं दी जाती है। विश्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण इसके द्वारा दिए जाने वाले ऋण अब संदेहास्पद हो गए हैं, परन्तु सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, मैं समझता हूं कि ये सुझाव मान लिए जाएंगे।

आवासीय वित्त फर्मों ने मंत्री जी से कम आय वाले आवासों में निवेश करने के लिए विभिन्न करों में छूट देने का अनुरोध किया है। परन्तु बजट में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। अभी बजट भी पूरा नहीं हुआ है और मैं आशा करता हूं कि शहरी विकास मंत्री बजट को स्वीकृति दिए जाने के समय इस तथ्य पर विचार करेंगे।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस तथ्य को देखें कि लोगों को 20 लाख आवास दिए जाने हैं। मेरे मित्र श्री बंडारू दत्तात्रेय कह रहे हैं कि उनकी सरकार हैदराबाद में आवास देने जा रही है। ऐसे वक्तव्यों से हम उन्हें सुखद स्वप्न दिखा सकते हैं। परन्तु हम उन्हें आवास किस प्रकार उपलब्ध करायेंगे और गरीब व्यक्ति के जीवन को कैसे ज्यादा सम्मानपूर्ण और यादगार बना पायेंगे। हमें केवल ब्यानबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह कार्य किस प्रकार करना है, के संबंध में व्यावहारिक, रचनात्मक और स्वीकार्य सुझाव देने चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे पास धन और संसाधन सीमित हैं और सरकार की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। हम इस बात से भी सहमत हैं कि सरकार को व्यक्ति के जीवन के अन्य विभिन्न पहलुओं को भी देखना होता है। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि "जहां चाह, वहां राह।"

हमें इस कार्य हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जैसे आई. डी. बी. आई., आई. एफ. सी. आई. और आई. सी. आई. सी. आई. को प्रोत्साहित करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को ये मार्ग–निर्देश जारी करने चाहिए कि ये संस्थाएं अपने लाभ में से कम आय वर्ग की आवासीय योजनाओं के लिए कुछ धन का आबंटन करें। यहां तक कि बैंक भी आजकल बहुत लाभ कमा रहे हैं। उनके लाभ का कुछ धन इस कार्य के लिए आबंटित किया जाना चाहिए, जिससे कि सरकार पर ही सारा बोझ न पड़े। वास्तव में मैं सरकार को कुछ अच्छे विचार दे रहा हूं। यदि मंत्री जी इन विचारों पर कार्य करते हैं तो वे शीघ्र ही लोकप्रिय हो जाएंगे। वास्तव में वित्त मंत्री ने यहां आवासीय क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों को निवेश हेतु आमंत्रित करके अच्छा कार्य किया है। यह स्वागत योग्य कार्य है।

परन्तु मेरा सुझाव यह है कि अप्रवासी भारतीयों को जो विदेशों में रह रहे हैं, इस क्षेत्र में निवेश करने हेतु स्पष्ट रूप से अभिप्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपको उनके अन्दर राष्ट्रीय भावना जागृत करनी चाहिए। कुछ लोगों को और समितियों को जाकर उन्हें बताना चाहिए कि वे अपने देश की सहायता करें और उन्हें कुछ छूट देंगे, अच्छा नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा देंगे। केवल यह कहने से ही, कि हम विदेशी निवेश चाहते हैं, कोई नहीं आएगा। कुछ अप्रवासी भारतीयों को, आमंत्रित करके प्रभावकारी और प्रेरणादायक प्रयास किए जाने चाहिए।

कोई अप्रवासी भारतीय यहां क्यों आएगा ? यदि यहां लाभ मिलता है, तो वह आएगा। यदि यहां लाभ नहीं है तो वह नहीं आएगा। यदि उसे अच्छा नाम और सम्मान मिलता है अथवा वह अनुभव करता है कि उसे अपने देश की सहायता करनी चाहिए, तभी वह यहां आएगा। इसीलिए, अप्रवासी भारतीयों के अलावा यहां कोई नहीं आएगा। अतः हमें अप्रवासी भारतीयों को, जिनके पास विश्व में अरबों डालर हैं, इस क्षेत्र में निवेश करने के प्रेरित करना चाहिए।

हमें उचित संचार तंत्र के द्वारा मान्य, चुस्त, कार्यकुशल और समर्पित व्यक्तियों का आह्वान करना चाहिए जो उन सभी देशों की यात्रा कर सकें और अनिवासी भारतीयों को यहां लाकर आवासीय योजना जैसे अच्छे कार्यों में सहायता देने हेतु उनके धन का निवेश करने के लिए उन्हें संतुष्ट, प्रोत्साहित और प्रेरित कर सकें।...*(व्यवधान)*

संक्षेप में, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है। पहली बात, यह सर्वविदित है कि हमारे देश के गांवों में, महानगरों के गन्दी बस्ती क्षेत्रों में, लोग बिना घरों के रह रहे हैं। आवास एक ज्वलंत समस्या है। शायद, भारत जैसा कोई देश नहीं होगा जहां लोग मकान न होने के कारण इतने अधिक परेशान रहते हों। यदि आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपको प्लेटफार्मों पर लोग सोते हुए मिल जाएंगे। जब हम लोगों को इतनी दर्दनाक परिस्थिति में रहते हुए देखते हैं तो, हमारा हृदय द्रवित हो उठता है। यदि आप गंदी बस्ती क्षेत्रों में जायें, तो पायेंगे कि वहां न तो कोई सड़क है, न कोई संचार सुविधा है और न ही जल–मल निकास की कोई उचित सुविधा है और उसी स्थान पर वे पानी पीते हैं, सोते हैं और शौचालय जाते हैं। इनका जीवन बहुत ही कष्टकारी है।

आज तक, हम केवल सोचते रहे हैं। अब हमें इस समस्या पर बहुत ही रचनात्मक ढंग से विचार करना चाहिए। इसके लिए, केवल एक ही रास्ता है कि मंत्रालय लाल फीताशाही को छोड़कर

[डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी]

इस समस्या पर बहुत ही गम्भीरता से और व्यावहारिक ढंग से विचार करे। यदि वे निर्णय भी ले लें फिर भी हमारी नीतियों का कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मंत्रालय इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। मंत्रालय इस पर तत्काल ध्यान दे ताकि यहां कुछ किया जाये। हमारे देश में काफी भूमि फालतू पड़ी है। यह केवल शहरी भूमि अधिकतम सीमा के कारण नहीं है बल्कि इस तथ्य के कारण है कि भूमि जिला कलक्टरों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, रेलवे और अन्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण में काफी भूमि है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। उदाहरणार्थ विशाखापत्तनम में रक्षा तथा पत्तन क्षेत्रों और रेलवे की कई एकड़ भूमि बेकार पड़ी है।

वे यह भूमि न तो किसी गरीब व्यक्ति को देने देंगे और न स्वयं ही इसका उपयोग करेंगे। इसी प्रकार दूसरे शहरों में [illegible] विभिन्न सरकारी एजेंसियों की भूमि पर छोटे [illegible] बनाकर पिछले 15–20 वर्ष से रहते चले आ रहे है। यद्यपि यह भूमि विभिन्न केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों की है लेकिन अब वे यह भूमि छोड़ नहीं सकते हैं। चूंकि ये लोग रेलवे अथवा रक्षा क्षेत्रों की भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, इसलिए सरकार उनको ड्रेनेज, सड़क, बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रही है और उन्हें आज के आधुनिक समय में मानवीय कल्पना से परे दुखदायी परिस्थितियों में रहने के लिए विवश किया जाता है जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए, माननीय मंत्री, श्री राम जेठमलानी को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना होगा। सरकार उन्हें उचित वैकल्पिक आवास प्रदान किये बिना उनसे उनके अस्थायी, अर्द्ध–स्थायी आवासों को खाली नहीं करा सकती और यदि सरकार उनसे भूमि खाली कराती है तो उनके पास आवास का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि सरकार उन्हें कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रही है।

महोदय, हमारे देश के कई शहरों की यह ज्वलंत समस्या है। यह एक राजनीतिक कार्य नहीं है अथवा सरकार यह न समझे कि उनकी देखभाल करना केवल सरकार का ही कार्य है। यह एक मानवीय कार्य है, अच्छा कार्य है। यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को अच्छी आवास सुविधाएं देकर उसकी सहायता करते हैं, तो यह ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। इसलिए हम सभी को अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संयुक्त प्रयास करना होगा एकजुट होना होगा, उन्हें पूरा प्रोत्साहन देना होगा, रचनात्मक सुझाव देने होंगे और इस महान कार्य में अपनी सहायता देनी होगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु मैं बताना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए तीन घंटे का समय दिया गया था और ढाई घंटे पहले ही समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल डेढ घंटा बचा है।

मंत्री जी, उत्तर देने के लिए आपको कितना समय चाहिए।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, इस पर तो एक घंटे का समय बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब केवल आधा घंटा ही शेष है। इसके पश्चात्, यदि आवश्यक हुआ, तो हम चर्चा का समय बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े (त्रिचूर) : सभापति जी, पांडे जी ने हाउसिंग के बारे में जो बिल रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम देश के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, यह हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। रोटी–कपड़ा और मकान तो हर आदमी की बुनियादी जरूरत होती है। रोटी कपड़ा और मकान के साथ–साथ शिक्षा और मरीजों को दवाइयां भी जरूरी हैं। जहां तक आवास का संबंध है, हमारे देश के शहरों और गांवों में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं, जिनको रहने के लिए मकान नहीं हैं। आज भी जब हम शहरों में घूमते हैं तो पुलों के नीचे, फुटपाथों पर, पेड़ के नीचे, परिवार के परिवार सोते हुए रात को नजर आते है। पचास वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे यहां यह हाल है। चाहे किसी भी जाति, धर्म का हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पिछड़े वर्ग का हो, उन गरीबों को हम आवास की सुविधा नहीं दे पाए हैं। "मेरा भारत महान", "गरीबी हटाओ" के नारे दिए जाते हैं, किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि "सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा"। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके सिर पर धूप, पानी और ठंड से बचने के लिए छत नहीं है।

उनके सिर पर किसी प्रकार की छत नहीं है। ऐसे लाखों लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करना सरकार का बुनियादी फर्ज है। हमारे यहां कई ऐसी योजनाएं जैसे इन्दिरा आवास योजना है। कई देहातों और शहरों में इस योजना को लागू किया गया है लेकिन इन्दिरा आवास योजना के तहत छोटे–छोटे मकान बनाए जाते हैं। उनका दर्जा बहुत निचले स्तर का होता है। जितने स्कवायर फीट में ये मकान बनाए जाते हैं, उनमें एक परिवार ठीक से नहीं रह सकता। वहां एक खाट भी नहीं आ पाती। वहीं मां–बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं और शादी–शुदा बच्चे भी रहते हैं। ऐसा करके गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहां पर ऐसे लोगों को मकान दिए गए हैं, जिन के पास बड़ी–बड़ी कोठियां हैं, रहने के लिए अच्छे–खासे मकान हैं, जानवरों को रखने के लिए मकान हैं, ट्रैक्टरों को रखने के लिए जगह है। इनको भी इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान आबंटित किए जाते हैं। जिनके सिर के

ऊपर छत नहीं है, उनको मकान नहीं दिए जाते। ऐसी शिकायतें हमारे पास आई हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था कि मुम्बई के 40 लाख बेघर लोग जिनके सिर पर छत नहीं है, उनको 40 लाख मकान मिलेंगे। वह योजना कहां तक पूरी हुई, हमें इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ। अगर ऐसी योजनाएं केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार की एजेंसियां द्वारा कार्यान्वित हों तो ज्यादा अच्छा होगा। जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके लिए हम ऐसी योजना बनाएं जिसके तहत कालोनियां बन सकें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन सके। हम इनके माध्यम से इनके निवास की व्यवस्था कर सकते हैं। गरीब लोगों को इन योजनाओं के तहत रहने के लिए मकान मिलने चाहिए।

जहां तक दलितों, अनुसूचित जातियों, जन जातियों, पिछड़े वर्ग के लोगों का सवाल है, ये खास कर निर्धन लोग और सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है और बुरा व्यवहार किया जाता है। बेघर होने की वजह से इनके पास मकान नहीं होते। इनके निवास के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।

हमारे यहां कई संस्थाएं भी इस काम को करती हैं–जैसे दिल्ली की डी॰ डी॰ ए॰ को ले लीजिए, नागपुर की नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ले लीजिए। जिन लोगों पास कोई मकान नहीं हैं, उनको सरकार की ओर से सरकारी जमीन मिलनी चाहिए। आज ये संस्थाएं प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं बन गई हैं जबकि ये गरीबों को मकान देने के लिए बनी थी। ये संस्थाएं धंधा करके मुनाफा कमाने की बात करती हैं। वह केवल अमीर लोगों को जगह देने की कोशिश करती हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। जिन गरीब लोगों के पास मकान नहीं हैं, उनको बैंकों के माध्यम से आसान किश्तों पर लोन देने की व्यवस्था की गई तो वे अच्छे मकान बना सकते हैं। अगर आप उन्हें कम ब्याज पर कर्जा दे सकें तो बहुत अच्छा होगा।

यह ऐसी समस्या है कि जो सारे देश को सता रही है। जैसे बेरोजगारी की समस्या ने सारे देश को परेशान किया है, उसी प्रकार निवास की व्यवस्था ने सारे देश को परेशान किया है। हम देखते हैं कि मुम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े–बड़े महानगरों में गांव देहात से लोग काम–धंधे के लिए आते हैं, रोजी–रोटी कमाने के लिए आते हैं और वहां झुग्गी–झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। किसी प्रकार की सुविधा वहां नहीं होती है–न शौचालय होता है, न लैटरीन होती है, न सड़कें होती हैं, न कमरा होता है, न बिजली होती है, न पानी होता है। आम आदमी को जीने के लिए जो सर्वसाधारण चीजों की जरूरत होती है, वह भी इन लोगों को उपलब्ध नहीं होती। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सरकार की ऐसी कोई योजना हो जिसके तहत हम ऐसी कालोनियां और मकान बनाएं जो सभी सुविधाओं से संपन्न हों। एक तरफ हम देखते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनके कुत्ते–बिल्लियों को रखने के लिए अच्छे–अच्छे मकान हैं, लेकिन दूसरी तरफ आदमियों को रहने के लिए छत तक नहीं है। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है ? कई मित्रों की तरफ हम जाते हैं तो हमने देखा है कि उनके कुत्ते और बिल्लियों के रहने की विशेष व्यवस्था होती है लेकिन जो इंसान देश के लिए अपनी सारी जिन्दगी देता है, जो इंसान देश की मिट्टी को सोना बनाने की कोशिश करता है, उस गरीब इंसान को रहने के लिए मकान तक नहीं मिलता है। यह हमारी 50 वर्षों की आजादी के लिए अफसोस की बात है।

सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, जिनके लिए निवास की व्यवस्था होना जरूरी है। माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें ताकि हमारे देश के लोगों को सुविधा हो। हमारे एक साथी ने सुझाव दिया था कि जो कालोनियां सरकार बनाती है, उनमें अगर कोई चार मंजिला फ्लैट बनाना चाहता है तो उसकी पांचवीं मंजिल बनाना कंपलसरी करना चाहिए ताकि चार मंजिल को वह इस्तेमाल करें और पांचवीं मंजिल में गरीबों के रहने के लिए व्यवस्था हो सके। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारी अलग–अलग संस्थाएं हैं। सरकार ऐसी संस्थाओं का गठन करे और ज्यादा हाउसिंग फाइनेन्स की व्यवस्था करे। कई संस्थाओं की तरफ से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन्स के जरिये ज़रूरतमंद लोगों को अगर मकान बनाने के लिए कर्जा मुहैया कराया जाए और सस्ते दामों पर कराया जाए, सस्ती ब्याज की दरों पर कराया जाए तभी वे अपने मकान बना सकते हैं। इसीलिए मेरी सदन से और आपसे गुजारिश है कि निवास का जो प्रश्न है, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इस गंभीर प्रश्न को सुलझाने के लिए सरकार अलग–अलग प्रकार की योजनाएं बनाए।

मैं बताना भूल गया कि हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि जो कलोनियां बनती हैं, जनरली हमारे देश की बस्तियां ऐसी होती हैं कि मुसलमानों की बस्तियां अलग होती हैं, हिन्दुओं की बस्तियां अलग होती हैं, दलितों की बस्तियां अलग होती हैं। आज जो नयी योजनाएं बनती हैं उनमें हमें ऐसी बस्तियां बनानी होंगी जिनमें सभी जाति और धर्मों के लोगों के रहने की व्यवस्था हो और किसी एक जाति की मोनोपली न हो। सभी जातियों के लोग सम्मिलित रूप से रहें। यह क्यों होता है कि लोग अपनी जातियों की बस्तियां में ही रहना पसंद करते हैं, इसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दलित दलितों की बस्ती में क्यों रहना पसंद करते हैं, हिन्दू हिन्दुओं की बस्ती में क्यों रहना चाहता है और मुसलमान मुसलमानों की बस्ती में क्यों रहना चाहता है–इसमें उनकी सुरक्षा का मामला है। उनको लगता है कि हम यहां सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अगर

[प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े]

सुरक्षा की गारंटी हम उनको देते हैं तो हमारे देश में किसी भी जाति और धर्म का आदमी कहीं भी रह सकता है। इस प्रकार की योजना अगर सरकार इस बिल या कानून के तहत बनाती है, तो मेरे ख्याल से हमारे देश के सभी लोगों के लिए, विशेषकर गरीब लोगों के लिए काफी सुविधा होगी। अमीरों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसा खर्च करके बड़े–बड़े महल और कोठियां बना सकते है।

अपराह्न 4.00 बजे

सवाल तो गरीबों का आता है वे अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर झोंपड़ी बनाते हैं लेकिन सरकारी मशीनरी यह कहकर उसको तोड़ देती है कि अतिक्रमण किया गया है। बेचारा गरीब आदमी जिंदगी भर की कमाई एक झोंपड़ी बनाने में लगा देता आपके माध्यम से इस सदन तथा माननीय मंत्री जी कि जो बिल यहां लाया गया है इसमें ऐसा कोई प्रावधान हो कि जो अतिक्रमण किये गये मकान हों, उनको मालिकाना पट्टे प्रदान किये जाएं, उनकी झोंपड़ियों को मान्यता दी जाए। जो योजनाएं बन रही हैं उनमें तमाम गरीबों को, जिनके सिर पर छत नहीं है, उनको छत देना इस सरकार का फर्ज है। अतः सरकार इसे अपना फर्ज मानकर ऐसी योजनाएं बनाये ताकि उन गरीबों को कोई परेशानी न हो। जिस प्रकार हमारे वित्त मंत्री जी ने इन्कम टैक्स वालों के लिए "सरल" नाम की एक योजना बनाई है, उसी तरह से मकान बनाने के लिए भी योजना बनाई जाए जिससे कोई गरीब आदमी यदि मकान बनाना चाहता है तो वह सरल तथा आसान तरीके से मकान बना सके। उसे किसी प्रकार की दिक्कत, मुसीबत, अड़चन न आने पाये, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। इस देश के गरीब लोग, जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके लिए अगर आवास की व्यवस्था हो जाए तो इससे पवित्र काम दूसरा नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, आज से कुछ दिनों पहले इस देश में आजादी प्राप्ति के 50 साल बीत जाने के उपलक्ष में स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही थी, खुशियां मनाई जा रही थीं, बड़े–बड़े शहरों को सजाया जा रहा था, बाजे बजाये जा रहे थे लेकिन आज इस सदन में इस देश के गांवों और शहरों में रहने वालों के प्रति चिन्ता जताई जा रही है कि उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि देश में जब स्वर्ण जयंती मनाई गई, बाजे बजाये गये क्या इसी उपलक्ष में बजाये गये थे। गांवों में रहने वालों की मूल समस्या आवास, रोटी और पानी है। इन तीन समस्याओं में से एक भी समस्या का समाधान इन 50 वर्षों में नहीं हो पाया और इस उपलक्ष में ऐसा जश्न मनाना, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शहर और गांव को अलग–अलग न बांटकर एक नजर से देखिये तो आपको पता चलेगा कि शहर में क्या स्थिति है और गांव में क्या स्थिति है। श्री कावाडे जी ने ठीक ही कहा है कि दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े–बड़े शहरों की बड़ी–बड़ी अटरियों के पीछे एक–दो कमरे कुत्तों के रहने के लिए बनाये जाते हैं। मैं खास तौर से कलकत्ता की चर्चा करना चाहता हूं। कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां देश के कई प्रदेशें के लोग निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अधिक निवास करते हैं। वहां कुछ तो व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, कुछ रिक्शा, ठेला चलाने वाले तथा पीठ पर बोरे ढोने वाले रहते हैं। आप चलकर उनकी स्थिति को एक नजर देखिये, आपको पीड़ा होगी। दिन भर वे परिश्रम करते हैं, लेकिन शाम के समय उनके खाने के लिए दो रोटी की व्यवस्था नहीं होती, उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जो पानी सड़क पर गिरता है, उसी पानी को पीने के लिए वे मजबूर होते हैं। व्यवसायियों के आगे बैठने और जूते रखने के लिए जो जगह होती है उसमें 10–10, 20–20 और 50–50 आदमी सोकर अपना समय काटते हैं। यह स्थिति बड़े–बड़े शहरों की है। गांव की तरफ चलें तो गांव में आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के पास आवास की व्यवस्था नहीं है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार गांवों में गरीबों के आवास निर्माण के लिए पैसा देती है, वे उसमें चिह्नित किये गये हैं कि किसके लिए कितने प्रतिशत आवास बनाये जायेंगे। इस चिह्नित किये गये पैसे से जो कि केन्द्र सरकार देती है, काम करने वाली एजेंसी राज्य सरकार होती है। गाव में उसके पदाधिकारी होते हैं। गांव में यह प्रावधान है कि जिनके आवास बनेंगे उन्हें पैसा दिया जायेगा और वे अपना काम करायेंगे। लेकिन आज होता क्या है कि सरकारी पदाधिकारी और बिचौलिये दोनों मिलकर गरीबों का पैसा हजम करते हैं।

सभापति महोदय, प्राक्कलन भी बहुत त्रुटिपूर्ण है। उसको देखने से ही लगता है कि उसमें बहुत त्रुटि है। अगर इंदिरा आवास के प्राक्कलन के अनुसार भी उसे बनाया जाए, तो पांच–सात साल के बाद उसके परिवार की मौत का कारण वही इंदिरा आवास होगा क्योंकि वह कभी भी उसके सोते हुए परिवार के ऊपर गिर सकता है। इसलिए गांव के गरीबों के लिए यदि आवास की व्यवस्था करनी है, तो उसके प्राक्कलन में सुधार करें। इंदिरा आवास में जो एक–एक कमरा बनाकर दिया जाता है, यह उचित नहीं है। अभी भी गांवों से लेकर शहरों तक बहुत जमीन राजस्व अधिकारी से लेकर कलैक्टर के अंडर में सरकारी भूमि के रूप में मिल जाएगी। यदि वास्तव में आपके दिल में गरीबों के प्रति जगह है और आपकी यदि नीयत साफ है और आपके अंदर यदि ममता है, तो बिहार के अधिकारियों से कहें ऐसी सरकारी भूमि में से एक या दो एकड़ जमीन अलौट करें और उसमें एक मंजिल या दो मंजिले मकानों की एक ऐसी कालोनी बनाएं जिसमें समाज के सभी गरीब वर्गों के लोग रहें।

सभापति महोदय, देहातों में जमीन नहीं है, लेकिन गांवों के

जो बड़े जमींदार हैं, वे गलत नंबर देकर निर्बंधन करा लेते हैं और उसमें उनके मवेशी बंधे रहते हैं। यह किस व्यवस्था के अनुसार होता है जब कि देहात में कानून के अनुसार अनुमंडलाधिकारी इसकी स्वीकृति देते हैं। उस सूची में जिनका नाम होना चाहिए उनका नहीं होता है और जिनका नाम नहीं रहना चाहिए, उनका नाम होता है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि यह भारत सरकार के पैसे से चलने वाली स्कीम है। प्रदेश सरकार तो केवल मात्र एजेंसी के रूप में कार्य करती है. यदि आपके पैसे का दुरुपयोग होता है, तो आपको उसे देखना चाहिए, आपको उसकी मानिटरिंग करनी चाहिए। आप जिन गरीबों की सुविधा के लिए यह योजना चला रहे हैं और जिनके कल्याण के लिए धन खर्च कर रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी अधिकारी तथा बिचौलिए मिलकर सारे धन को खा जाते हैं। मेरा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इसके ऊपर चिन्तन होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो व्यवस्था गरीबों के लिए चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि उसके लिए निश्चित रूप से शहरी इलाकों से कुछ दूरी पर एक कालोनी बनाकर लोगों को बसाया जाए और उसी प्रकार से गांवों में भी सरकारी जमीन पर कालोनी बनाकर बसाया जाए। अभी तो यह हो रहा है कि इंदिरा आवास में 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए तो बिचौलिया और अधिकारी ही खा जाते हैं। आप स्वयं अनुमान लगाइए कि 10,000 रुपए में कमरा कहां से बन जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी धन का दुरुपयोग रोकिए और वास्तव में यदि आप गरीबों को आवास उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो इसकी मानीटरिंग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले तो माननीय डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है जिसकी कि इस देश को बहुत आवश्यकता है। पिछले 50 वर्षों में इस देश में जितनी भी और जो भी सरकारें आईं, उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान देने का नारा इस देश जनता को दिया, लेकिन नारे और वायदे, मात्र नारे और वायदे ही बन रह गए। इस देश में उद्योग नीति बनी और समय–समय पर और तमाम तरह की नीतियां बनीं, लेकिन आवास नीति नहीं बनी। गरीबी मिटाने का आंदोलन चला, लेकिन कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि आवास इस देश के हरेक नागरिक की मूलभूत समस्या है और एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार से रोटी एक मानव के लिए आवश्यक है, जिस प्रकार से एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कपड़ा आवश्यक है, उसी प्रकार से एक सभ्य मानव के लिए एक सुरक्षित आवास की भी आवश्यकता होती है।

सभापति महोदय, देश के कल्याण के लिए हम लोग नीतिया तो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर बना देते हैं, लेकिन वे नीतियां इस देश की 75 प्रतिशत जनता के लिए कितनी कारगर सिद्ध होंगी और क्या उन नीतियों का लाभ उनको मिलेगा, इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम लोग गांवों में जाते हैं, तो उन नीतियों का परिणाम देखते हैं कि गांव के लोगों को उनसे फायदा नहीं हुआ। हम सपना तो इस देश को विश्व गुरु होने का देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने और इस देश में रहने वाले गरीबों की ओर ध्यान दिया है, कभी उनकी सहायता की है ? इसी कारण आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब हम अपनी आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये आंकड़े किसी प्राइवेट संस्था के नहीं बल्कि भारत सरकार की नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड एंड इकनौमिक रिसर्च के हैं जिन पर यदि आप एक नजर डालें, तो आपको बहुत भयावह चित्र दिखेगा। इस देश की जो सर्वोच्च पंचायत यह संसद है, इसके माननीय सदस्यों को शायद यह विश्वास नहीं होगा कि जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार आज भी हमारे देश में 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। 13 प्रतिशत व्यक्तियों की आय 3 रुपए प्रतिदिन और 18 प्रतिशत व्यक्तियों की आय 5 रुपए प्रतिदिन है। 61 प्रतिशत महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं। गांवों में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 20 प्रतिशत है और इस देश के बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। 45 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी सुरक्षित आवास नहीं हैं।

सभापति महोदय, हमने तमाम कार्यक्रम बनाए हैं। मैं सबसे पहले सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने एक राष्ट्रीय परिवार कत्याण कार्यक्रम बनाया। इसमें आपने देखा होगा कि यह कार्यक्रम मात्र एक वर्ग के ऊपर ही लागू हुआ है और उसी वर्ग तक सीमित होकर रह गया। जो इस देश का कानून होगा, क्या वह इस देश सब लोगों पर समान रूप से लागू नहीं होना चाहिए। उसको लागू करने में भेदभाव क्यों बरता जा रहा है। आज इस देश की आबादी 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि 2 करोड़ की जनसंख्या प्रतिवर्ष इस देश में बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ जनसंख्या यदि प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 40 हजार परिवार इस देश में प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं। 40 हजार परिवारों को आवास की व्यवस्था कहां से होती है, यह प्रश्न आज हमारे लिए सबसे अहम है और इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, निश्चित ही आज तक जितनी भी चीजें पूर्व सरकार ने बनाई वे एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई और उसी विशेष वर्ग को उन नीतियों का फायदा होता रहा। हमें इस देश की राष्ट्रीय आवास नीति बनानी चाहिए और

[श्री आदित्यनाथ]

उसके इस देश की अर्थ नीति और उद्योग नीति के साथ जोड़ना होगा और इस कार्य के लिए हमें इस देश के गांवों को चुनना होगा। जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश में गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है वह नहीं रुकेगा। इसके साथ–साथ यहां पर और भी बहुत बातें उठाई गई हैं। उनमें एक बात यह भी आई कि इस देश में शहरी भूमि हदबंदी कानून लागू हुआ। माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि शहरी भूमि हदबंदी कानून के अंतर्गत राजनेता और अधिकारियों की मिलीभगत से जो महानगरों की जमीनें थीं, सीलिंग की जमीन और नजूल की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया और गांवों में तो यहां तक हुआ कि तालाब और पोखरों पर भी कब्जा कर लिया। अब स्थिति है, तो गरीबों को आप कहां से भूमि आबंटित गांव में जो फालूत भूमि थी उस पर भूमाफियाओं ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया। यहां पर इंदिरा आवास की चर्चा की गई। इंदरा आवास में 20 हजार रुपए हम एक परिवार को देते हैं। 20,000 में से 10,000 रुपए कमीशन के रूप में चला जाता है। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि 10 हजार रुपए में कमरा कैसे बन पाएगा। निश्चित रूप से यह अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार ने इसके लिए अपने बजट में प्रावधान किया है।

निश्चित ही आज इस देश की आवास नीति उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग तक ही सीमित है। उसमें निम्न वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। गांव का कोई रिक्शा चलाने वाला आता है, कोई ठेला चलाने वाला आता है या मजदूरी करने के लिए शहर आता है तो वह 50 से 100 रुपए प्रतिदिन जरूर कमा लेता है लेकिन हमने कभी भी उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं देखी। वह फूटपाथ पर सोने के लए मजबूर होता है। आज देश को आजाद हुए 50 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं। हमें यह निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि देश के हर नागरिक को एक आवास उपलब्ध हो। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इस देश में 20 लाख परिवारों के लिए अतिरिक्त आवास बनायेंगे जो 13 लाख गांवों को देंगे और 7 लाख शहरी क्षेत्रों में देंगे। इंदिरा आवास योजना की राशि भी 1144 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करोड़ 1600 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा शहरी हदबन्दी अधिनियम को समाप्त करके जिन पर भूमाफिओं का कब्जा था उसे समाप्त करने का आश्वासन दिया गया है, वह भी सराहनीय है। हम सदन से यह अपेक्षा करेंगे कि माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित आवास का आह्वान किया है, इस सदन के माध्यम से देश के हर नागरिक को एक आवास मिले, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इस विधेयक को सदन में रखने के लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : अभी तक संसद सदस्यों को भी आवास नहीं मिला है जबकि यहां आवास नीति पर चर्चा चल रही है। देश के गरीबों की हमें चिन्ता है लेकिन जिन माननीय सदस्यों के पास आवास नहीं है, वे क्या करें।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव) : सभापति जी, संसद सदस्य के आवास का जहां तक सवाल है, साहू जी ने ठीक कहा है लेकिन यह समस्या तो बहुत कम समय से निपट जायेगी। इसमें बहुत विलम्ब नहीं होगा। मुख्य समस्या आज हमारे सामने गरीबों की है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है और हिन्दुस्तान में 7 लाख गांव हैं। हिन्दुस्तान के गांवों की अर्थव्यवस्था पर अगर हमने समुचित रूप से ध्यान दे दिया तो गांव के लोग शहर की ओर नहीं जायेंगे। 1950 में जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, उस वक्त हमने अपने कृषि प्रधान देश में इस योजना को लागू करने की दिशा में प्रयत्न किया। महात्मा गांधी जी का कहना था कि गांवों में रहने वाले लोगों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। गांव में रहने वाले लोग अपने गांव में स्वतंत्र रूप से रह सकें, उनके पास खेती करने के लिए सिंचाई के साधन हों, उनके छोटे–छोटे उद्योग हों और सबको प्राथमिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों। देश ने 50 वर्षों में बहुत प्रगति की है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हमारी आबादी आजादी मिलने के समय 35 करोड़ थी लेकिन आज वह करीब 98 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। हमारी आशंका है कि जब हम इस सदी को पार करेंगे तब हमारी आबादी 100 करोड़ के आसपास हो जायेगी। सौ करोड़ की आबादी के इस मुल्क में आवास की व्यवस्था करने के बारे में माननीय मंत्री जी से एक ही बात कही जा सकती है कि राज्य सरकारों उनके जो गृह निर्माण मंडल बने हुए हैं, वे जो मकान बनते हैं, मंत्री जी विधि विशेषज्ञों में से एक हैं। पता नहीं कौन–सा विभाग उनको मिला है लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आखिर इस देश में हम जो आवास नीति बनाने जा रहे हैं, उस नीति के सिलसिले में हमें विचार करना होगा कि हमारी आवश्यकतायें कितनी हैं। आबादी के अनुपात में हम देखें तो हमारी आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं। अगर हमारी आबादी नहीं रुकेगी तो शायद जिस तरह आज हम रहते हैं, उस तरह भी रह नहीं पायेंगे।

लोग अपने मकानों में खड़े–खड़े सोएंगे, उनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हमारे देश में ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। मैं डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया है। रोटी और कपड़े का मामला तो हमने बहुत कुछ हल कर लिया है। कभी–कभी विदेशों से अनाज मंगा लेते हैं जिसके बारे में चर्चा होती है।

वैसे कृषि के मामले में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुए हैं, इसे कहने में हमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। कपड़े का सवाल नहीं है। कपड़े की हालत तो यह है कि देश की 233 कपड़ा मिलें लगभग बंद होने की कगार पर आ गई हैं, वह एक अलग मसला है। लेकिन आज हमारे सामने कपड़े की समस्या नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मोती लाल वोरा, कृपया एक मिनट के लिए अपनी सीट पर बैठें। हमें चर्चा हेतु समय बढ़ाना है। इस विषय हेतु दिया गया समय समाप्त होने जा रहा है। यदि सभा की सहमति हो तो हम एक घंटा समय और बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी आठ या दस माननीय सदस्यों को बोलना है और माननीय मंत्री को उत्तर देना है।

इसलिए क्या हम इस विषय हेतु दिये गये समय को बढ़ा सकते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : हां, समय बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है। धन्यवाद। एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, आज गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। गांवों से पलायन क्यों हो रहा है, इस पर हमने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। पहले जहां मात्र 18 प्रतिशत शिक्षा थी, आज हम लगभग 54 प्रतिशत के आसपास साक्षर हो गए हैं। हम यह नहीं कह सकते कि सभी लोग शिक्षित हो गए हैं। लेकिन हमारा साक्षरता का अनुपात लगभग 54 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इसलिए गांव में पढ़े–लिखे लोग शहरों की तरफ जाने के लिए लालायित होते है कि उनको वहां काम मिल जाएगा। लेकिन उनको काम नहीं मिलता। आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि हमने इतना पैसा खर्च किया। हर राज्य में हमारे हाउसिंग बोर्ड बने हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने काफी मकान बनाकर रखे हैं। बड़े–बड़े लोगों के लिए मकान बनते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हर राज्य में हजारों की संख्या में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए आवास खाली पड़े हुए हैं। उसमें कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण वे वर्षों तक खाली पड़े रहते हैं और खंडहर हो जाते हैं। उनको हुडको द्वारा काफी लोन मिलता है। इसकी ऐकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आखिर उस लोन की उगाही किस प्रकार होगी। राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाना चाहिए क्योंकि तात्कालिक समस्या का समाधान तो यही हो सकता है। राज्य सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे लाखों की तादाद में मकान बनाएं। आपने निर्णय लिया है कि आप 30 लाख लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करेंगे। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि शासन ने कम से कम एक निर्णय तो लिया है। लेकिन वह निर्णय केवल कागजों में न रह जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे निर्णय बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके बाद वे कागजों से बाहर नहीं आते, फाइलों में ही पड़े रहते हैं, अनेक वर्ष उसमें निकल जाते हैं, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार आती, लेकिन उसके बाद भी वे कागजों में ही पड़े रहते हैं। 30 लाख मकान बनाने का काम आसान नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार उचित आवास हेतु सभी कदम उठा रही है। मैं आवास हेतु पहले 30 लाख रुपये की धनराशि का विचार कर रहा था लेकिन आपने इसको कम करके 20 लाख रुपये कर दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम अक्सर इंदिरा आवास की बात करते हैं। लेकिन आज वहां जो स्थिति है, यदि आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि जो पहली किश्त मिलती है, उसमें कितना कमीशन देना पड़ता है। हमारे देश में कमीशन की बीमारी न मालूम कब तक चलती रहेगी। हमें कमीशन से निजात पानी होगी।

नहीं तो दस हजार रुपये पहली किस्त में देंगे तो पांच हजार रुपये शायद उसे कमीशन देना पड़े। इस तरह से आखिरी किस्त मिलते–मिलते उसके पास बांस–बल्ली खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। बरसात आ जाती है तो उनके मकान गिर जाते हैं। इसलिए इंदिरा आवास योजना में बहुत बड़ी तादाद में मकान बनाने की दिशा में हमारा प्रयत्न होना चाहिए। गांवों में जो गरीब लोग रहते हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। आज हम कहते हैं कि दलित और हरिजन भाई गांव के बाहर रहते हैं, यह चीज हमें छोड़नी चाहिए और हमें उनको अपने साथ, अपनी बस्तियों में ही समन्वय कायम करके बसाना चाहिए। क्योंकि आज हम उनको अपने से दूर करते जा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी राशि बढ़ानी चाहिए। 30 हजार रुपये में आज के समय में मकान नहीं बन सकता। प्राइस एस्क्लेशन इतनी हो गई है कि इतने कम पैसे में मकान बनना सम्भव नहीं है। इसलिए इंदिरा आवास योजना में राशि बढ़ाकर मकानों की तादाद भी बढ़ाई जाए।

गांव के लोगों के पास मकान हैं, उनके लिए यह समस्या इतनी विकट नहीं है, जितनी शहरों में यह समस्या है। आप देखें किसी भी बड़े शहर में कम से कम 400–500 गंदी बस्तियां रहती हैं। उनमें किस प्रकार लोग रहते होंगे, इस पर हम सोच सकते हैं। आपने तो स्वयं देखा होगा, क्योंकि आप मुम्बई को भलीभांति जानते हैं। वहां तो कई लोग होर्स पाइप्स में रह रहे हैं। किस प्रकार एक परिवार उसमें रहता होगा, कैसे वे लोग खाना बनाते होंगे, ये सारे प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमें इस दिशा में पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है।

[श्री मोतीलाल वोरा]

हमारा देश कृषि पर आधारित है। हमें लोगों को कृषि की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। गांव के लोग पलायन न करें, वहां छोटे–छोटे उद्योग उनको मिलें तो हमारे सामने शहरों में ऐसी बस्तियों की ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। हर बड़े शहर के अंदर आप देख लें, इनकी जिंदगी देखकर लगता है कि ये भी इन्सान हैं, जैसे हम हैं। इनकी लिए न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न रहने की सुविधा है. इनके बच्चों के पढ़ने–लिखने की बात तो दूर की रही। ऐसे नारकीय जीवन में लाखों–करोड़ लोग शहरों में रह रहे हैं। यह मर्दुमशुमारी से ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अपुष्ट आंकड़ों के हिसाब से ऐसे लोगों की संख्या 30 करोड़ है जिनके पास मकान नहीं हैं। हमारे देश की आबादी 90 करोड़ है और उसमें से 30 करोड़ लोगों के पास मकान न हों, तो क्या स्थिति हो सकती है, इसे समझा जा सकता है।

उपसभापति महोदय, मैं पांडेय जी को बधाई देता हूं कि वे इस समस्या को यहां संकल्प के माध्यम से लाए। वे मंत्री जी के कहने पर इसे वापस ले लेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम मंत्री जी पर दबाव डालें और हमें यह आश्वासन मिलना चाहिए कि केन्द्र सरकार की इसमें पूरी मदद मिलेगी। एक सुनियोजित तरीके से मकान बनाने का काम शुरू कर दें तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। इसमें भी तथ्य है कि यह लक्ष्य एक दिन में नहीं पाया जा सकता। यह एक दिन में पनपा रोग नहीं है। इसके लिए पंचवर्षीय योजना के आधार पर ऐसी योजना बननी चाहिए कि इस दिशा में इसको परिवर्तित करें और लोगों की मानसिकता जगे। शहरों में इतने बड़े भू–माफिया हैं, बड़े–बड़े उद्योगपति हैं। उनके धंधे और होते हैं, शासन को चाहिए कि उनका भी सहयोग इसमें ले और बड़े–बड़े शहरों में मकान बनवाए। ये लोग बहुत बड़ा लाभ लेते हैं, थोड़ा उनको भी सरकार को सहयोग देना चाहिए। यह एक सामाजिक सेवा का काम है और इस दिशा में चाहे मुम्बई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो या चेन्नई हो, जितने भी यहां उद्योगपति हैं, उनको चाहिए कि वे अपनी कमाई से कुछ हिस्सा निकालें और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे यह पता चले कि वे केवल उद्योगों को चलाने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि समाज सेवा भी कर सकते हैं। इसमें सामाजिक संस्थाओं को भी लगाना चाहिए। यह काम केवल सरकार के भरोसे पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें लोगों का रुझान इस तरफ पैदा करना होगा, लोगों का चिन्तन होना चाहिए और इस राष्ट्रीय समस्या के समाधान की दिशा में हम प्रयत्न करेंगे तो आने वाले वर्षों में हम इसमें जरूर सफलता पा सकेंगे। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय में आबादी को भी रोकना होगा। हमारे देश की आबादी 2000 क्रास करने के बाद 110 करोड़ के आसपास हो जाएगी। हमारे देश में आबादी का विस्फोट इतना जबर्दस्त हुआ है कि इसको रोकने की दिशा में हमारा प्रयास नहीं हुआ। आबादी बढ़ते जाने से न तो हमारे अस्पताल पूरे होंगे, न स्कूल पूरे होंगे और न कालेज पूरे होंगे। हम हर मामले में कमी को अनुभव करते जाएंगे।

मैं माननीय पाण्डेय जी से निवेदन करूंगा कि वे मंत्री जी पर दबाव न डालें, क्योंकि इसमें दबाव डालने का सवाल नहीं है, मंत्री जी इस बात से भली–भांति परिचित हैं, उन्होंने मुम्बई को बहुत नजदीक से देखा है तथा देश के बहुत से शहरों को देखा है। बिना दबाव डाले, केन्द्र शासन इस बात को गम्भीरता के साथ ले, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो सकता है और आने वाले समय में हम इस बात पर फिर से विचार करने के लिए न बैठें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, एक गैर सरकारी संकल्प के जरिए लोक महत्त्व और अहम मुद्दे पर सदन में बहस चल रही है और इस संकल्प को माननीय पाण्डेय जी ने सदन में रखा है। मेरे विचार से उन्होंने बड़ा ही अहम सवाल उठाया है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रोटी–कपड़ा–मकान की सबसे पहले आवश्यकता होती है। जहां तक मकान का सवाल है, देश में इसकी स्थिति ठीक नहीं है। हिसाब लगाकर देखें, तो देश में 32 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। परिवार का हिसाब लगाया जाए, तो छः करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इन्दिरा आवास योजना या न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए छः करोड़ परिवारों के लिए हर साल तीन लाख से लेकर 20–25 लाख सरकार की ओर से मकान बनाने की जरूरत है। सरकार साहस करती है और हिसाब लगाया, तो 50 लाख हर साल घर बनायें, तो 12 बरस लगेंगे और 25 लाख बनायें, तो 24 बरस लगेंगे। इन लोगों की स्थिति यह है कि एक ही घर में बाल–बच्चे भी रहते हैं, बकरी भी रहती है, भोजन भी वहीं पर बनता है और सारे काम वहीं पर होते हैं। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे लोग जो जीर्णशीर्ण अवस्था में रह रहे हैं, उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय नीति केन्द्रीय सरकार को बनानी चाहिए। इस काम के लिए सरकार को बजट में दृढ़तापूर्वक उपबन्ध करना चाहिए। कलेजा चौड़ा करके इन गरीब लोगों के लिए सरकार को मकान की व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, जब हम लोग गांवों में जाते हैं, खासकर महिलायें हम लोगों से घर की मांग करती हैं। इंदिरा आवास में न्यूनतम कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है और इसमें सभी जातियों के लोगों के लिए, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, घर बनाने का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को एक बात बताना चाहता हूं, हर साल तीन–चार सौ मकानों का एक ब्लाक में हिस्सा हो रहा है। मन को बड़ा कष्ट होता है, जब हम गावों में जाते हैं और लोग कहते हैं कि उसका मकान बन गया है और हमारा

नहीं बना है। चाहे एम.एल.ए. हों या एम.पी. हों, कोई भी गांव में जाते हैं, तो गरीब लोग मांग करते हैं कि हमारा घर नहीं बना है और तुरन्त बनना चाहिए। राज्य सरकार के जरिए काम होता है, लेकिन सरकार द्वारा ठीक से चयन नहीं किया जाता है। एक समस्या यह भी है कि पहले एक मकान 14 हजार में बन रहा था, लेकिन अब ईंट की कीमत बड़ने से, सीमेंट की कीमत बढ़ने से मकान की कीमत 20 हजार तक पहुंच गई है। अगर राशि 14 हजार दी जाती है, तो मकान अपूर्ण रह जाता है। दीवार तो खड़ी हो जाती है, लेकिन छत नहीं डाली जा सकती है।

गरीब छत डालने की स्थिति में नहीं है और उसे सुविधा देने का कोई प्रावधान भी नहीं है कि उसका अपूर्ण घर कैसे बने। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की नीति और बजट में उपबन्ध होना चाहिए ताकि उसको सुविधा मिले। यदि उपबन्ध नहीं होगा, तो वह गरीब अपने घर को नहीं बना पाएगा। इसी प्रकार की समस्या 20 हजार रुपए देने में है। मकान दो–तीन बरस में बनता है और सामान की कीमत बढ़ जाती है। सामान की कीमत बढ़ने से फिर मकान की छत रह जाती है। मुझे हर राज्य में सूचना है कि गरीबों के घर अपूर्ण रह जाते हैं। ये घर किस प्रकार पूरे हों, इसका प्रावधान सरकार को करना चाहिए। यहां जो मकान बनते हैं, उनके डिजाइन होते हैं और मकानों के लिए मरम्मती का भी प्रावधान है, लेकिन गरीब के लिए मकान की मरम्मती का बजट में प्रावधान नहीं होता है। झोंपड़ी हो या खप्पर का घर हो, सब टूट कर गिर जाता है। गरीब लोग कहते हैं कि छत वाला घर बनवाइए। छत वाला घर भी चार–पांच बरस में बन रहा है और जहां स्पैसिफिकेशन नहीं था, वह टूट रहा है। इसलिए राष्ट्रीय आवास नीति में इन सारी बातों की गुंजाइश होनी चाहिए, जिससे गरीबों के घर की समस्या का समाधान हो सके।

महोदय, मैं स्व. गोपाल सिंह 'नेपाली' की कविता की दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं–"जब चन्द्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है, चांदनी झोंपड़ी से लिपट हर रात सिसकती रहती है।" कवि ने अपनी कविता में कहा है–एक तरफ महलों की दीवारें चन्द्रमा की रोशनी से जगमग, झिलमिल चमक रही है और दूसरी तरफ गरीब की झोंपड़ी है, जिस पर छप्पर नहीं है, झोंपड़ी है तो टूटी है, चूती है और जहां एक ही घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, एक ही घर में ससुर और पोत–बहू रहते हैं, अमानुषिक जीवन बिता रहे हैं, उनकी दशा बहुत दयनीय है। जब यह स्थिति है, तो वह सोचता है कि इस देश के बजट में उसका हिस्सा कितना है, हिस्सा है भी या नहीं। इसलिए बजट में राशि का विशेष रूप से उपबन्ध होना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि मकान कितने दिनों में बनता है, तब जाकर गरीब को संतोष होगा कि हमारा भी घर बनेगा।

मैं सदन के ध्यान में एक और बात भी लाना चाहता हूं। गांव के घरों में जब आग लगती है, तो घर की सारी चीजें जल जाती हैं। उसके घर की खटिया, चूल्हा और जिन्दगी की सारी कमाई जल कर राख हो जाती है। शहर में यह स्थिति है, अगर उसका घर जल जाता है, तो उसको घर बनाने का तुरन्त प्रावधान हो जाता है। रिलीफ का कानून पुराना बना हुआ है। लेकिन गांव में 100–200 रुपए से गरीब आदमी विपत्ति का सामना नहीं कर सकता है, वह भगवान के सहारे पड़ा रहता है। सरकार उसकी पीठ पर खड़ी नहीं रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश भर में यह कानून बनना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को मजबूती के साथ निर्णय लेना चाहिए। राज्य सरकारें तो अपनी पीड़ाओं से पीड़ित हैं और राज्य सरकारों से इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। उनके पास इतनी राशि नहीं है कि वे इस समस्या का समाधान कर सकें। इसलिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की पीठ पर रहना चाहिए और यदि कानून बनाने की जरूरत हो, तो उसको बनाना चाहिए। जिनके घर जल जाते हैं, उनको तुरन्त घर बनाने की सुविधा देनी चाहिए। राज्य की सरकार के पास इंदिरा आवास योजना, मिनिमम नीड कार्यक्रम और रिलीफ फंड में भी पैसा नहीं रहता है। इन कामों के करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है।

योजना बनाने की जरूरत है। अंग्रेजों का रिलीफ कोड का कानून था। आग लगने से घर जल जाए या नदी के कटाव से किसी का घर कट जाए या आंधी तूफान से घर उड़ जाए, मतलब किसी ढंग से वह गृह–विहीन हो जाए। अभी–अभी दिल्ली में सुना और अखबारों में पढ़ा कि ढाई हजार झुग्गी–झोंपड़ियां जल गईं। उनकी सारी संपत्ति जल गई, कुछ नहीं बचा। अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो इनका क्या होगा ? शहरों में जो झुग्गी–झोंपडियां बनी हुई हैं उनका भी अखबारों में नाम आया है। श्री राम जेठमलानी, शहरी कार्य और रोजगार मंत्री हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, हमें नहीं पता कि गरीब की कितनी मदद होती है। हम लोगों के घर के भी यही मालिक हैं। हम सुनते हैं कि यह मशहूर वकील हैं, इनकी फीस 4–5 लाख है। हम लोगों के कहने से यह मुफ्त में बहस करेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं जानते, लेकिन गरीब के लिए कहना होगा। अब इनको घर बनाने का जिम्मा मिला है। यह कानून के विशेषज्ञ और नामी वकील हैं। गरीब के घर बनाने का सवाल पांडेय जी ने राष्ट्रीय आवास नीति में रखा है इसलिए हमको लगता है कि कानूनी जामा पहना देने से सरकार और आफिसर कोताही न करें। शहरी क्षेत्रों में जो बेघर हो जाएं या देहात में तूफान से बाढ़ से, आग लगने से या किसी हालत में जो बेघर हो जाएं, उनके लिए कोई व्यवस्था करें। लेकिन हमें लगता है कि उसमें भी हिसाब जोड़ना पड़ेगा कि वह गरीब है या अमीर। मैं कहता हूं कि जो संपन्न परिभाषा में आते हैं उनका अगर घर जल जाए, आग लग जाए, उनकी

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

पास–बुक भी चली जाए तो तत्काल वे गरीब हो जाते हैं। उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा से बेघर हो जाए तो तुरंत उसके लिए प्रावधान होना चाहिए, सरकार तुरंत उनके लिए सब कुछ व्यवस्था करे। बिहार के ज्यादातर लोग झुग्गी–झोंपड़ियों में हैं। उनका सब कुछ जल गया, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि जिस सरकार और व्यवस्था में बेघर को घर न मिले, वह व्यवस्था नहीं है। कुव्यवस्था है और वह शासन नहीं है, कुशासन है। गरीबों के लिए घर का प्रावधान हो। मध्यम वर्गीय लोगों को लोन मिले, उनके लिए भी घर का इंतजाम हो। जो सरकारी नौकरी में हैं, वे लोग भी बड़ा दबाव डालते हैं। हम लोगों से लिखवाते हैं कि घर दिलवा दीजिए, ... भी घर का प्रावधान हो। देहात में लोग घर बनवाना ...को भी सरकार ऋण देकर मदद करे। लेकिन प्राथमिकता होनी चाहिए, छः करोड़ परिवार, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए सरकार घर का इंतजाम करे, व्यवस्था करे। यह जो राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तावित है उसमें प्रावधान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। हमारे मंत्री जी हम लोगों की बात को ध्यान से सुनते हैं। यहां हम इतनी बहस करते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट में इतनी फीस लेते हैं लेकिन हम लोग यहां इतनी बहस कर रहे हैं उसका कुछ अमलीजामा होगा या नहीं होगा, फिर भी हमें भरोसा है कि जो बुद्धि में प्रखर हैं वह जरूर हम लोगों की बात और भावना को समझेंगे और उसका कुछ रूप बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे गरीबों का भला हो सके। धन्यवाद।

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, आज अशासकीय संकल्प के माध्यम से माननीय पांडेय जी के प्रस्ताव पर यह सदन बहुत देर से चर्चा कर रहा है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि आवास हमारी बुनियादी आवश्यकता है। मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखते हुए एक गुजारिश करना इसलिए लाजमी समझता हूं कि यह समस्या शहरीकरण और बढ़ती हुई आबादी के कारण है। स्वामी आदित्यनाथ बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिन्ता प्रकट कर रहे थे। इस बात से पूरा सदन निश्चित रूप से सहमत है। राष्ट्रीय आवास नीति का जहां तक सवाल है, इसमें दो राय नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र 1998 के पृष्ठ संख्या 21 की ओर ले जाना चाहता हूं। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और यह कहा है कि :

> "भाजपा यह मानती है जल्द की एक तिहाई जनसंख्या शहरों में रहने लगेगी और इन केन्द्रों को छोटे–छोटे नगरों और महानगरों में विकसित करने के लिए योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण होगा।"

भारतीय जनता पार्टी ने आगे कहा है कि आवास मानव की बुनियादी जरूरत है, इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर आवास नीति बनाना चाहते हैं। इसमें यह भी संकल्प है कि 2002 तक, आगामी 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक, यदि भारतीय जनता पार्टी इस देश में हुकूमत करती है तो कोई भी व्यक्ति आवासविहीन नहीं रहेगा। यह हमारे घोषणा पत्र का मूल संकल्प है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह न केवल पांच वर्ष बल्कि 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक भारतीय जनता पार्टी को राज करने का अवसर दें। फिर रघुवंश प्रसाद जी जैसे सदस्यों को दोबारा बोलने और शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा।

महोदय, मैं प्वाइंटिड सुझावों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आवास की समस्या शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की समस्या है। वहां सीवर की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंडों की भी समस्या है। वे कहां जाएं ? आजादी बढ़ने के कारण जहां चरागाह हैं, जो निस्तार की जमीन है, उनका सरकार अतिक्रमण कर रही है। ढाई बिस्मिल जमीन की जो किसी इन्सान की मिनिमम आवश्यकता है, उसका पट्टा उन्हें क्यों नहीं मिल रहा ? एक तरफ किसी को ढाई बिस्मिल जमीन नहीं मिलती और दूसरी तरफ नौकरशाहों से लेकर नेताओं और सम्पन्न लोगों को आवास के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि मिल जाती है। ऐसे लोग महलों में रहते हैं। उनके पास दुनिया भर के साधन हैं माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वह मध्य प्रदेश की स्थिति को जानते हैं। मध्य प्रदेश फ्यूडल स्टेट है। वहां भूखंड की उपलब्धता इतनी कम है कि एक बार अध्यादेश से जितनी जमीन का अतिक्रमण किया गया था, उसका पट्टा बांटने के लिए सरकार को निर्णय लेना पड़ा।

मैं एक और बिन्दु की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें लो–कॉस्ट हाउसिंग टैक्नॉलोजी को बढ़ावा देना चाहिए। हम कब तक ऐसी छत बनाते रहेंगे ? जो हमारे स्थानीय संसाधन हैं जैसे मिट्टी, जल और स्थानीय परिवेश में, गांवों में उनको जो उपलब्धता है, उनका कहीं न कहीं इस्तेमाल करना चाहिए।

यदि हम ईंट बना रहे हैं तो हम ईंट को सस्ता कैसे बनाएं, यदि कवालू बना रहे हैं तो कैसे बनाएं ताकि जो बढ़ती आबादी की मांग है, उस आधार पर हम लोगों को इस व्यवस्था को मुहैया करा सकें।

जहां तक अर्बनाइज़ेशन का सवाल है, दुनिया में अब नयी चर्चा चल रही है और ब्रिटिशर्स को तो आप बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन आप देखें कि वहां रुल ओरियेंटेशन चालू हो गया है। यदि कोई व्यक्ति गांवों में मकान बनाकर रहता है तो यू. के. में उसका स्टेट्स ज्यादा माना जाता है। हमारे यहां उल्टा है। गांव छोड़कर लोग गंदी नालियों में रहना चालू करेंगे। इसके

पीछे क्या कारण है, इसको समझना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं–हुडको और दूसरी संस्थाएं हैं, उसका सारा फंक्शन केवल शहरों तक और नगरों तक ही सीमित है। कस्बों तक भी उनकी अप्रोच नहीं है। हाउसिंग के लिए जो सोसाइटीज हैं, वह भी लगभग कोआपरेटिव सेक्टर्स की जो सोसाइटीज हैं, वे भी नगरों तक सीमित हैं। गांवों में कौन बनाएगा ? केवल इंदिरा आवास योजना से इतने लोगों की समस्या से आप नहीं जूझ सकते और उसके लिए भी जो कोटा मिलता है, उसके लिए कितनी मारा–मारी होती है ? जनपद पंचायत की बैठकें होती हैं तो सारे ब्लाक के सरपंच इकट्ठा हो जाते हैं कि मेरी पंचायत को इंदिरा आवास योजना दे दो। कभी विधायक के पीछे तो कभी सांसद के पीछे सारे लोग घूमते रहते हैं। कोई जन–प्रतिनिधि प्रवास में चला जाए तो इंदिरा आवास योजना के लिए सैकड़ों–हजारों की संख्या में दरख्वास्त आती हैं। क्या इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंस्टीट्यूट गठित नहीं कर सकते? बिल्डिंग मैटीरियल के रिसर्च के लिए दिल्ली में एक संस्था है। वह क्या कर रही है ? क्या इसका कोई रोल है ? बिल्डिंग मैटीरियल के रिसर्च के लिए जो भी आप कर रहे हैं, उसका असर इस देश की सामाजिक संरचना के लिए, इस देश की आधारभूत सेवाओं के विकास में होना चाहिए, यह इस सदन की मंशा है और इस मंशा को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से सम्बद्ध हैं, ऐसी हमारी धारणा है और इसी दृष्टि से मैं इस संकल्प का तहेदिल से और भारत के तमाम आवासहीनों की तरफ से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम जेठमलानी : माननीय सभापति जी, समय की कुछ पाबंदी लगानी पड़ेगी नहीं तो यह खत्म नहीं होगा। हमें आज ही इसको खत्म करना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। हम पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे।

श्री मणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदय, माननीय डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी राष्ट्रीय आवास नीति के बारे में जो बिल लाए हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज देश में जो बेघर लोग हैं, जो आवासहीन हैं, उनके बारे में यह सदन चिन्ता कर रहा है। हमारे देश में इंदिरा आवास योजना, गृह निर्माण संस्था हुडको, हाउसिंग बोर्ड वगैरह–वगैरह बहुत सी संस्थाएं हैं जो देश में आवास बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन सभी संस्थाएं मध्यम वर्गीय और जो बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए मकान बनाती हैं। उसमें हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति तथा जिनके लिए रिजर्वेशन होता है, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसी मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं।

दूसरी बात यह है कि हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती इस साल मना रहे हैं और जिन लोगों को रहने के लिए मकान नहीं हैं उनकी आवाज केन्द्र सरकार तक और प्रदेश सरकार तक नहीं पहुंच पाती।

हम लोक प्रतिनिधि उनकी आवाज यहां उठाने के लिए जिम्मेदार हैं और उसमें सरकार भी जिम्मेदार है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हमारे महाराष्ट्र में जो मकान बनाये गये, मैंने वे देखे हैं। वहां पहले ग्राम पंचायत से बेघरों की लिस्ट ली जाती है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति या दूसरे गरीब लोग हैं उनके परिवार में 2–3 बच्चे होते हैं। उनके शादीशुदा बच्चे भी एक ही 10'×10' या 15'×15' के टूटे–फूटे मकान में रहते हैं। सरपंच ग्राम पंचायत में जब बेघरों की लिस्ट बनाता है तो कहता है कि आपको मकान कैसे मिल सकता है, आपके पास तो मकान है। इस तरह गरीब के साथ अन्याय होता है। इसलिए राज्य सरकारों को इस तरफ भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि देश के सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और ग्रामीण विकास सचिवों की एक बैठक बुलाई जाए और इंदिरा आवास योजना के बारे में उनको समझाया जाए। हमारे यहां आदिवासी इलाकों में इंदिरा आवास योजना बनाई जाती है। हमारे प्रांतों में हम जिस तरह से रहते हैं, वैसे मकान बनाने की हमने योजना में कुछ प्रावधान किया है। 1998–99 में तीस हजार रुपया इंदिरा आवास योजना में मिलने वाला है, लेकिन उसमें जिला लेबल पर राज्य सरकार के अधिकारियों की मनमानी चलती है। उसमें एम. पी. या विधायक की चिट्ठी नहीं चलती। वहां के ग्राम सेवक, ओवरसीयर और इंजीनियर के द्वारा यह लिस्ट बनती है और गांव में इंदिरा आवास योजना की मंजूरी मिलती है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में इससे भी आगे बढ़कर हो रहा है। मध्य प्रदेश के सदस्यों को मालूम है कि एक सरदार सरोवर परियोजना है। जिस पर इंदिरा आवास योजना का पैसा खर्च हो रहा है। सरदार सरोवर योजना के पुनर्वास पर खर्च हो रहा है। सरदार सरोवर परियोजना की पूर्ण जवाबदारी केन्द्र सरकार की है और उसके लिए गुजरात सरकार भी जिम्मेदार है। यह राज्य सरकार को भी पता नहीं होगा कि केन्द्र सरकार का पैसा राज्य सरकार के अधिकारी खर्च कर रहे हैं और वहां के लाभांशी कम हो रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से विनती करूंगा कि इंदिरा आवास योजना का पैसा भारत सरकार का है न कि राज्य सरकार का, जिसे राज्य सरकार के अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास पर खर्च कर रहे हैं, दो साल पहले भी लोकसभा में मैंने यह मुद्दा उठाया था, एकाउंटेन्ट जनरल तथा महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गरीबों के लिए जो अच्छी योजना है उसके पैसे का अधिकारी कहीं भी डाइवर्जन कर सकते हैं, यह मनमानी बंद होनी चाहिए। गरीब बस्ती में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुछ मकान बना दिये, राज्य सरकारों का यह नियम है कि अगर गांव में बिजली आती है, गांव में पानी की योजना आती है, गांव में सड़क

[श्री मणिकराव होडल्या गावीत]

की योजना आती है तो उसकी गरीब बस्ती से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन गांव की बस्ती में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन गरीब बस्ती में यह सुविधा नहीं मिलती है। अतः मेरी विनती है कि इसकी तरफ भी मंत्री महोदय ध्यान दें। मंत्री महोदय मुम्बई के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में 40 लाख लोगों के लिए मकान बनाने की घोषणा 1995 में की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक वह योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई है। वहां जो झुग्गी–झोंपड़ियां थी, उनसे वह जगह लेकर बिल्डरों को दे दी गई।

अपराह्न 5.00 बजे

(श्री पी. एम. सईद *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, भारत सरकार और हम सब लोग यहां राष्ट्रीय आवास नीति बनाने की सोच रहे हैं और इस पर विचार–विमर्श लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकारें, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो अनेक वर्षों से उन स्थानों में रहते आ रहे हैं, उनसे जगह लेकर बिल्डर्स को दे रही हैं। उस समस्या की ओर भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय जी ने राष्ट्रीय आवास नीति के बारे में जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय ने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत कर देश और सदन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आवास समस्या हमारे देश की विकट समस्याओं में से एक है। 1952 के पहले आम चुनाव में आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश नारायण जी सतना गए थे। मैं उस समय कक्षा छः का विद्यार्थी था। तब उन्होंने एक नारा दिया था "मांग रहा है हिन्दुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान"। आज भी यह समस्या यथावत है। आजादी के 50 वर्षों के बाद भी वह समस्या हल नहीं हुई बल्कि और विकट होती जा रही है। शहरों में लोग बहुत अमानवीय और नारकीय जीवन जी रहे हैं। मुम्बई जैसे शहर में हजारों लोग खुले आसमान के नीचे, खुले में, एक–एक चारपाई की जगह में चार–पांच खाने बनाकर उन दड़बों में सोते हैं।

सभापति महोदय, यही स्थिति ग्रामीण अंचल की है। माननीय मोती लाल वोरा राज्यपाल रहे हैं। वे मंत्री भी रहे हैं। वे राज भवन में रहे, लेकिन मुझे खुशी है कि उनके दिल में गरीबों और आवासहीनों के लिए जगह है और उन्होंने अपने भाषण में गरीबों की बात कही। हमारे म. प्र. के बस्तर में भी अभी एक घोटुल प्रथा है। जिस झोंपड़ी में माता–पिता और छोटे बच्चे रहते हैं उसमें बड़े बच्चे नहीं रहते। जैसे ही लड़का–लड़की 14 वर्ष का हुआ, उसे गांव के निकट बने एक अलग घर में रहने के लिए भेज दिया जाता है जिसमें सभी 14 वर्ष या उससे ऊपर के लड़के–लड़की रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर की वह घोटुल प्रथा अब गांवों और शहरों में भी लागू हो जाएगी क्योंकि हमने देखा है कि एक 10 × 10 फीट के कमरे में माता, पिता, बड़े–बड़े लड़के और उनकी बहुएं रहकर नारकीय जीवन जी रहे हैं। आप देखते होंगे कि शहरों में सुबह उठकर पाखाने के लिए लाइन लगाकर लोग खाली जगहों और सड़कों पर बैठे रहते हैं। एक बार जय प्रकाश नारायण जी ने कहा था कि भारत की माताओं के लिए शौचालय की व्यवस्था न कर पाना देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे देश में शौचालयों के लिए दुनिया भर की नीतियां बनीं लेकिन वे कागजों में ही सिमट कर रह गईं।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि इंदिरा आवास में दी जाने वाली राशि कम है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि उससे कुछ हो ही न पाता हो। अगर ईमानदारी से यह राशि व्यक्ति को मिले, तो उससे उसे बड़ा सहारा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति का नाम उस सूची में आ गया है, उसे पूरा पैसा नहीं मिलता। बी. डी. ओ., जनपद, सरपंच और सैकेट्री, कितने लोग बैठे हैं, जो 50 प्रतिशत धन उसमें से खा जाते हैं। अगर ईमानदारी से यह धन मिले तो कुछ काम हो सकता है। इसी तरह से शहरों में हाउसिंग बोर्ड मकान बनाकर देते हैं, लेकिन उन्हें पैसे वाले व्यक्ति खरीद लेते हैं, गरीबों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम इस विषय में भी विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के उन इलाकों में जो सामंतों के इलाके हैं, जो इलाकेदारों के इलाके हैं, उनमें बड़े–बड़े जमीदारों और सामंतों ने अपने पछीद में गरीब लोगों को बसा लिया, खेतों में बसा लिया ताकि वे उनके खेतों और घरों का काम कर सकें। वोरा जी यहां बैठे हैं, ये राज्य में मंत्री रहे हैं, इन्होंने बहुत कानून बनाए, कई राज्यों में कानून बने, लेकिन उन कानूनों पर अमल नहीं हो रहा है, उनका पालन नहीं हो रहा है। आज भी 2 लोगों को उन जमीनों के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं जहां उनके पिता बसे हुए थे, बल्कि उन प्रभावशाली लोगों को दिए जा रहे हैं जिनकी पछीद उनके खेत हैं।

सभापति जी, हिन्दुस्तान में भी फार्म हाउस डेवलप हो रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। शहरों में दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह मकान हैं, इसके अलावा भी वह फार्म हाउस बनाते जा रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग गरीब को 10 बाई 10 फीट का प्लाट भी ऐलाट नहीं कर सकते। भारत सरकार को राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि इसे प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। गांव की भी जनसंख्या बढ़ी है। गांव में जो लोग अपना मकान बनाने की क्षमता रखते हैं उनको भी प्लाट ऐलाट नहीं हो रहे हैं। वे वही पुराने मकानों, जिसमें लड़के, बच्चे, पोते व नाती आदि सब रह रहे हैं, में रहते हैं।

सभापति जी, भू–माफिओं का भी सवाल है। शहरों में बहुत बड़ी संख्या में भूमाफिया रहते हैं। गांव में भू–माफिया हैं जिन्होंने सरकारी तालाबों पर कब्जा कर लिया है, सरकारी चरागाहों पर कब्जा कर लिया है। उनको चारागाह के लिए चाहिए लेकिन गरीब के पास आवास के लिए भी जमीन नहीं है। इस पर भी भारत सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए।

सभापति जी, हमारी सरकार ने 20 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे आशा है कि हमारे जो मंत्री हैं, वे कानूनविद हैं। भारत के माने हुए विद्वानों में से हैं। वे ऐसा कानून बनायेंगे कि उसमें कोई छिद्र न रहे और उस छिद्र से कोई बदमाश न निकल जाये। हिन्दुस्तान के मामले में एक देशव्यापी पालिसी बनानी चाहिए। राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा–निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने जब 1974 में भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह किया था तब इस बोट क्लब के मैदान से हमने उनका भाषण सुना। उन्होंने भाषण के अंत में कहा था कि यह सब चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं...*(व्यवधान)* पुराना सिंहासन खाली करो जो जनता का है, चाहे पुरानी सरकार हो या आज की सरकार हो।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : यह चेतावनी जो जयप्रकाश नारायण ने दी थी आज भारत के आवासहीन लोगों की ओर से यह चेतावनी मैं भारत सरकार और समस्त राज्य सरकारों को देना चाहता हूं कि यदि आवास की इस विकट समस्या का समाधान न किया गया तो यह सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पढ़े–लिखे, आवासहीन, गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए इन सब समस्याओं पर चिन्ता करनी होगी।

परिवार नियोजन के मामले को लागू करने के लिए यह भी फैसला करना पड़ेगा कि जिन संसद सदस्यों या विधायकों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे, वह चुनाव न लड़ सकेंगे और सरकारी कर्मचारी, जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उनका न प्रमोशन होगा और न उनको इन्क्रीमेंट मिलेगी, न ही उनके किसी लड़के को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए आपको कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए तभी नीतियों का कार्यान्वयन होगा।

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्त्वपूर्ण आवास नीति पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। माननीय लक्ष्मी नारायण पाण्डे जी के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि यह लक्ष्मी नारायण जी ने किया है, मुझे विश्वास है कि संकल्प पूरा होगा और आवास की समस्या भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि जहां लक्ष्मी और नारायण दोनों अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी।

सभापति महोदय : आप विषय पर आइए, आपका समय समाप्त हो जाएगा।

श्री नकली सिंह : यह अजीबो–गरीब देश है जहां करोड़ों लोग बिना आवास के रहते हैं। स्थिति यहां तक है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आवास नहीं हैं। जो बड़े–बड़े लोगों के लिए 30–30 मंजिल बिल्डिगें बनाते हैं, चाहे मुम्बई में हो, चाहे कलकत्ते में हो या अन्य किसी दूसरे शहर में हो, वहां स्थिति यह है कि जो मजदूर बिल्डिग बनाते हैं, सीमेंट, मसाला आदि पहुंचाते हैं, उनमें से कई लोग सामान पहुंचाते–पहुंचाते मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब यह 30 मंजिला मकान बन जाता है तो उस पर चेतावनी लिख दी जाती है। "प्रवेश निषेध"। जिनके पास आवास नहीं हैं, जिसने अपनी सारी जिंदगी का समय लोगों के मकान बनाने में लगा दिया, जब वह उस महल में जाता है, घंटी बजाता है तो ऊपर से कोई कन्या या बालक पूछता है कि कौन है तो घबराते हुए वह कहता है कि क्या यहां बाबूजी हैं।

उसे कोई पानी तक नहीं पूछता। यदि ज्यादा समय लग जाता है तो ऊपर से कुत्ता भौं–भौं करके आता है और चला जाता है। दूसरी स्थिति झुग्गी–झोंपड़ी वालों की है। वे किसी जमाने के बहुत बड़े कलाकार थे, उनके पास बड़ा भारी फन था। उनका अपना धंधा समाप्त हो गया इसलिए वे परेशान होकर शहरों में आ गए। वे बहुत अच्छे–अच्छे मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे लेकिन उनकी शिल्पकारी समाप्त हो गई। उन लोगों में उसी प्रकार के लोग हैं जैसे कभी ढाका की मलमल बनाने वाले हुआ करते थे। उनका धंधा छिन गया तो वे घर से बेघर हो गए।

गांवों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कार्य होता है। उत्तर प्रदेश में शायद एक मकान के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि ईमानदारी से देखा जाए तो उसमें से 10,000 रुपये तो भ्रष्टाचार के मुंह में चले जाते हैं। यूक्लिपटिस के पेड़ों की कड़ी लगी होती है लेकिन दे 2–3 साल में समाप्त हो जाते हैं। शहरों और गांवों में इतनी ज्यादा जनसंख्या रह रही है जिसे देखकर डर लगता है। कहने के लिए लोग दिल्ली में रहते हैं। लेकिन यहां जो झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, तथा जुलाई के महीने में बरसात आएगी, तो उनकी क्या हालत होगी, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। भारत सरकार ने अच्छा स्टेप लिया है कि 20 लाख मकान बनाए जाएंगे। माननीय मंत्री जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। वे इस समस्या को हल करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। यदि लोगों के रहने की समस्या हल न की गई तो स्थिति यह होगी कि बड़े–बड़े महलों में रहने वाले भी अपने को सुरक्षित नहीं समझेंगे। जब पड़ोस में आग लगती है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए इस पर समय रहते कुछ किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने स्टैप लिया है। डॉ. लक्ष्मी नारायण जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसे हम पूरा कराने की कामना करते हैं। यदि यह पूरा हो जाएगा तो सब लोग सुख से अपने आवास में रह सकेंगे। धन्यवाद।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ. प्र.) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय आवास नीति पर डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा जो संकल्प पेश किया गया है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। आज देश में आवास की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या का समाधान इतना आसान नहीं है।

सरकारें बहुत आई हैं, बहुत गई हैं, लेकिन यह उतना आसान नहीं है, जितना हम सोचते हैं। क्योंकि बढ़ती हुई आबादी को देखते जो देश की हालत है, उसमें सभी गरीबों को कोई भी सरकार आवास मुहैया नहीं करा सकती। मैं थोड़ा विषय से हटकर बोलना चाहता हूं। चाहे स्वास्थ्य नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, सारी नीतियां फेल हो जाएंगी। जब तक हम आबादी पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। सारी समस्याओं की जड़ [illegible] आबादी है। आवास नीति पर मैं बहुत संक्षेप में अपने करना चाहूंगा। जो बढ़ता हुआ इंक्रोचमेंट है, यह [illegible]डा कारण है। आज गांव में कोई आवास नीति नहीं है। हम छोटे–छोटे गांवों में जाते हैं, देखते हैं जिसका जहां जी होता है वह वहां अपना घर बना लेता है। हमें शहरों में, कस्बों में नक्शा पास कराना पड़ता है। लेकिन गांव में कोई नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। आज गांव की हालत यह हो गई है कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए जगह नहीं है। इसलिए आवास नीति में हमें गांवों को भी लेना चाहिए, जबकि हम शहरों को और कस्बों को ही लेते हैं। यह सही है कि गरीब अपना मकान नहीं बना पा रहा है। उसके लिए हमें गरीबी को दूर करना पड़ेगा। लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, लोगों के पास पैसा हो, तभी मकान बना पाएंगे। हम सब्सिडी दे रहे हैं। इंदिरा आवास योजना है, गरीबों के लिए मकान बनाने की और भी योजनाएं हैं, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। हम लोगों की आदतें बिगाड़ते जा रहे है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज हम सब गरीबों को आवास बनाकर दे देंगे। कल उनके बच्चे होंगे, फिर आवास की कमी होगी। कब तक आवास बनाकर देते रहेंगे, इस तरह से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इसके समाधान के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ेगा। सबसे पहले पांच चीजों की जरूरत है कि हम लोगों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मुहैया कराएं। फिर हर व्यक्ति के अंदर यह भावना पैदा करें। आज वीकर सेक्शन के अंदर भिखारीपन की भावना पैदा हो रही है, उसको निकालना पड़ेगा। खासतौर से अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं कि हमें सब्सिडी मिलती है। आधा पैसा बैंक मैनेजर खा जाते हैं और आधा अधिकारी खा जाते हैं, उन तक सब्सिडी पहुंच नहीं पाती। इसलिए पहुंच नहीं पाती कि वह सेक्शन अभी शिक्षित नहीं है। जितना भी सरकारी धन यहां से जाता है, उस गरीब तक नहीं पहुंच पाता। उसको सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो और राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके। आबादी के हिसाब से हमारा देश दुनिया में दूसरे नम्बर पर है, पहले पर चीन है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से कि कितनी जगह में कितने लोग रहते हैं, उसमें हमारा नम्बर चीन से भी ऊपर है।

हमें चाहिए कि हम सबको काम में लगा दें। मैं तीसरी बार सांसद बना हूं। मैंने कई बार अपने क्षेत्र के लिए सोचा कि विकास कैसे होगा। यदि हम गांव के नौजवानों का एन. जी. ओ. बना दें, जितना पैसा आप सरकारी मशीनरी को देते हैं काम करने के लिए, वह पैसा उस एन. जी. ओ. को देने लगें तो वहां पढ़े–लिखे लोगों को, डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जो कि वहां बेकार हैं। इससे उस क्षेत्र की युवाशक्ति उस पैसे का सदुपयोग करे कि कैसे गांव में अच्छे और हवादार मकान बनें और इनको वह सिस्टेमैटिक ढंग से बनाए, तो शायद लोगों को मकान मुहैया कराए जा सकते हैं। आज दस हजार रुपये या बीस हजार रुपये में कोई मकान नहीं बना सकता। जो सरकारी मदद मिलती है, जो सरकारी मशीनरी सरकार द्वारा उपलब्ध होती है, उसका भी समय बर्बाद हो जाता है और सरकार के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पाती।

हमें आजाद हुए 50 साल हो गए हैं। 40–50 साल तक कांग्रेस का राज रहा, लेकिन यह आवास की समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। रघुवंश प्रसाद जी और अन्य माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किए। यह ठीक है कि गरीब एक ही मकान या झोंपड़ी में अपना जीवन–यापन कर रहा है। उसी में उनके बच्चे हैं, उनकी भेड–बकरियां और अन्य पशु भी हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मेरा एक सुझाव है कि विशेषज्ञों की एक समिति बननी चाहिए।

गांवों में आबादी प्रतिवर्ष बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हमें आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष मकान बनाने की व्यवस्था करनी होगी। हमें गांवों की इकाई को मजबूत बनाना होगा। गांवों से लोगों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। दिल्ली में आबादी बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि चारों तरफ या तो वाहन ही दिखाई देते हैं या जनता दिखाई देती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संकल्प हेतु आबंटित समय समाप्त हो गया है। अब क्या सभा की यह इच्छा है कि इस संकल्प हेतु आधा घंटा समय बढ़ाया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : अब इस संकल्प हेतु आधे घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमरीपुर) (उ.प्र.) : महोदय, मेरा

मंत्री जी को सुझाव है कि देश में जो बेकार नौजवानों की फौज है, जो युवाशक्ति है, उसका सदुपयोग करें। देश में चार करोड़ लोग बेरोजगार हैं और इनमें लाखों की संख्या में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इन सबका सदुपयोग सरकार को करना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार युवाशक्ति का सदुपयोग कर सकती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सवाल को मैंने पिछले विशेष अधिवेशन में भी उठाया था, लेकिन युवा नीति तैयार नहीं की जा रही है। युवा नीति की घोषणा सरकार द्वारा नहीं की जा रही है।

महोदय, मैंने अपने क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को इकट्ठा किया और उनका एन.जी.ओ. बनाकर श्रमदान कराया। गांव में नालियों को बनवाया, नालों को ठीक किया, इस प्रकार जो काम सरकार लाखों रुपए देकर नहीं कर पाई, हमने गांव में इन लोगों से मिलकर उसे कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरह की नीति बनानी चाहिए। देश में युवकों का राष्ट्र के निर्माण में सहयोग लिया जाना चाहिए। गांव के लोग श्रमदान करें, इसके अलावा बड़े–बड़े नेता लोग श्रमदान करें और मंत्री भी श्रमदान करें और निर्णय करें कि दिन में एक घंटे श्रमदान करना है, तो काफी हद तक समस्या को हल किया जा सकता है। हमने अपने क्षेत्र में श्रमदान करने का तय किया और कामों को पूरा किया। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे अधिकारी हों या अन्य लोग, वे भी निर्णय करें कि हमें दिन में एक घंटे श्रमदान करना है, तो समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे पास पैसा नहीं है, नीतियां हम चाहें जितनी बनायें, चाहे शिक्षा नीति, हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, जब हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें युवाशक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन हम युवाशक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम नीतियां तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महाशक्तियों–जापान, अमरीका, फ्रांस आदि ने हमारे ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया है, इस स्थिति में तो हमारे पास पैसे की और कमी हो जाएगी और हम अपने कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर सकेंगे।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि युवाशक्ति का सदुपयोग किया जाए और एक ऐसी नीति बनाई जाए, जिसमें हर व्यक्ति घर बना सके। जहां तक इंदिरा आवास का सवाल है, इन आवासों की स्थिति यह है कि ये जानवरों के रहने के लायक भी नहीं है। इस बार 1600 करोड़ रुपए इंदिरा आवास के लिए दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इस राशि में से 600 करोड़ रुपया भी इन गरीबों तक पहुंच पाएगा। इसलिए मैं यह कहते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं कि युवाशक्ति के सदुपयोग के बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्रीमती ऊषा वर्मा (हरदोई) : सभापति महोदय, आपने मुझे दो मिनट बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। रोटी–कपड़ा और मकान, मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिए सरकार ने इंदिरा आवास योजना और निर्बल वर्ग आवास की सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि ब्लाक स्तर पर जब इंदिरा आवास का आबंटन होता है, उसमें जो सही मायनों में पात्र व्यक्ति होते हैं उनको आवास न देकर, जो लोग घूस दे देते हैं उन्हें आवास दे दिया जाता है। हकीकत यह है कि ब्लाकस्तर पर जो खंड विकास अधिकारी, सैक्रेट्री और ग्राम सेवक होते हैं वहां ठीक से चयन नहीं होता। होना तो यह चाहिए कि खुली बैठक करके पात्र का चयन होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि बंद कमरे में पात्र लोगों का चयन हो जाता है। उनमें जो ब्लाक स्तर के कर्मचारियों को घूस देते हैं उन्हीं का चयन हो जाता है और जो सही मायनों में पात्र होते हैं उनका चयन नहीं होता।

महोदय, इसमें 20 हजार रुपए की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रथम किश्त 10 हजार की दी जाती है। इसमें पहली किश्त से पहले ही वे लोग नाम तय कर लेते हैं, उनको जो पहले से घूस दे देते हैं उनके नाम दे देते हैं और जो गरीब लोग हैं उनका नाम नहीं आता है। इंदिरा आवास की सुविधा उपलब्ध हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी देहात में यह देखा जाता है कि अभी भी कच्चे मकान ज्यों के त्यों हैं। यह जो कच्चे मकानों की समस्या है वह अभी हल नहीं हुई है। मैं चाहती हूं कि विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति बननी चाहिए जो देहात स्तर पर, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनका अपने स्तर से चयन करके ऐसे लोगों को ही आवास आबंटन करना चाहिए।

श्री ज्ञान सिंह (शहडोल) : माननीय सभापति जी, आज संसद में राष्ट्रीय आवास नीति पर खुले मन से चर्चा हो रही है। यह ऐसा मुद्दा है कि जिस पर कई घंटे से सभी सम्मानित सदस्यों ने अंतरआत्मा से, दीन–हीन परिवार के लोगों की छत्र–छाया के लिए अपने सुझाव दिए हैं। कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव में एक बात स्पष्ट रूप से व्यक्त की है–"कमीशन।" आज हम आदिवासी परिवार के उस दीन–हीन व्यक्ति के लिए मकान बनाकर दिए जाने का संकल्प लेते हैं। मैं सोचता हूं कि उन प्रदेशों में भी इस तरह की प्रक्रिया होगी। आज यह देखकर बड़ा रोना आता है कि जब एक तरफ आदिवासी परिवार कच्ची ईंटों के माध्यम से अपने बलबूते पर जो मकान बनाते हैं वे कई वर्ष तक टिकाऊ रहते हैं और जो मकान सरकार के माध्यम से बनाए जाते हैं वे ढाई–तीन या चार सालों में गिर जाते हैं, दोनों में बड़ी असमानता है। हमारे देश के अंदर एक तरफ गरीब तबके के परिवार, और दूसरी तरफ हम लोग, चाहे पोलिटिक्स में काम करने वाले लोग हों, आई. ए. एस. की लॉबी हो या आई. पी. एस. की लॉबी हो, यह हमारे देश में एक विसंगति है। "हम आदिवासी हरिजन गरीबों को बांटें, बदल गई दुनिया खाली नाम लेकर।"

महोदय, आदरणीय पांडेय जी ने पार्लियामेंट में सर्वहारा वर्ग

[श्री ज्ञान सिंह]

के आवास निर्माण के बारे में यहां पर जो एक संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। मेरी एक ही गुजारिश है कि सारी प्रक्रियाओं में परिवर्तन होना चाहिए। जब ब्लाक स्तर पर चयन होता है तो वहां पर सब पहुंच जाते हैं–यह मेरा है, मेरा नाम जोड़ा जाना चाहिए। जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता है। इस वर्ष हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उन आदिवासी हरिजनों का नाम लेकर, हम भी कहीं–न–कहीं गुनाहगार हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी भी दखलअंदाजी कहीं–न–कहीं उस आदिवासी परिवार के लिए घातक हो सकती है।

आपसे विनम्र प्रार्थना है कि संसद या केन्द्र सरकार की जारी होता है उसमें सांसदों की भी सहभागिता होनी चाहिए। मैं स्वयं एक आदिवासी परिवार का हूं। हमारा जिला शहडोल पूरा आदिवासी क्षेत्र है। हम जानते हैं कि अधिकारी घूस लेते हैं, हम खुद देखते हैं। जब हम उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि तुम विपक्ष के हो, बैठ जाओ।

हमारे एक माननीय सांसद और मित्र ने टिप्पणी भी की थी कि सांसदों का इसमें कंसर्न होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। हम इसमें कहां तक हस्तक्षेप कर सकते हैं, इस दिशा में एक कानून बनाया जाना चाहिए। आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : सबसे पहले मैं लक्ष्मी नारायण पांडे जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आवास जैसी राष्ट्रीय समस्या को लेकर एक ठोस नीति बनाने के बारे में आग्रह किया है और हम सब बड़ी गंभीरता से उस पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि हम सभी के लिए घर एक भावनात्मक मुद्दा होने के बाद भी जितना ध्यान उस पर दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया है तथा अब यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गयी है। नयी सरकार ने जो अपने नेशनल एजेंडा में घर को प्राथमिकता देने का वचन दिया है और इस वर्ष 20 लाख मकान बनाने की घोषणा की है, यह नयी सरकार का अच्छा इरादा है; अच्छे आसार का शुभ लक्षण हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं।

सभापति जी, आज बेकार और बेघर लोगों की जो समस्या है और जिन हालातों में वे लोग रह रहे हैं, उससे हमारा गंभीर कंसर्न है। इंदिरा आवास योजना की चर्चा हुई। उस पर पिछली सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए। इंदिरा आवास योजना को मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास हुए, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, आज शहरों का जो चित्र हम देखते हैं वह कोई अच्छा चित्र नहीं है, वह हृदय–विदारक चित्र है। जहां तक गांव का संबंध है वहां पर हाथों को काम नहीं और काम के समान अवसर नहीं हैं। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने किसानों के बारे में चर्चा की थी और जिस प्रकार से गांव के 500 किसानों ने देश भर में आत्महत्याएं की हैं वह सब इसलिए हुआ कि हमने उनकी जायज मांगों की ओर वक्त पर ध्यान नहीं दिया। गांव से लोग शहरों की ओर इसलिए जाते हैं क्योंकि शहरों में कोई न कोई काम उन्हें मिल जाता है और वे कम पैसों में भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं न कहीं रहने के लिए, सिर छिपाने के लिए उनकी आसानी से व्यवस्था हो जाती है। बड़े–बड़े शहरों के लिए आवास समस्या के समाधान के लिए माननीय मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया गया है।

[अनुवाद]

जो कुछ दस वर्षों में नहीं किया गया है वह प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

[हिन्दी]

उससे भी थोड़ी हिम्मत आई है। लेकिन आज शहरों में जिस तरह से झुग्गी–झोपड़ियों में माहौल बन रहा है और उनमें लोग रह रहे हैं उसे देखकर भी दुख होता है। दस बाई दस के घर में पांच–पांच, छः–छः लोग रह रहे हैं। वोरा जी अभी कह रहे थे कि कुछ समय के बाद ऐसा समय आयेगा जब लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। सरकार ने जो 20 लाख मकानों का टार्गेट बनाया है वह पर्याप्त नहीं है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने एन. आर. आई. और प्राइवेट सैक्टर को इस काम के लिए निमंत्रित किया है। लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम हम अपने हाथ में ले रहे हैं उसमें और गति लानी चाहिए, स्पीड आनी चाहिए। तभी सबको आवास प्राप्त हो सकेगा।

आज शहरों में जो गुनाह तेजी से बढ़ रहे हैं, चोरी और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो नई–नई समस्याएं शहरों में बढ़ रही हैं उनका उद्गम झुग्गी–झोपड़ियों में होता है। झुग्गी–झोंपड़ी में जीवन अनियंत्रित होने से वहां लोगों की एक नयी दुनिया बन गयी है। वहां सरकार के कोई कायदा या कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें किसी भी चीज के लिए सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना पड़ता है। माननीय मंत्री राम जेठमलानी जी मुम्बई को जानते हैं। गांव से जो लोग काम की तलाश में मुम्बई में आते हैं, उनको आसानी से मकान वहां मिलते हैं लेकिन उन पर नियंत्रण माफिया सरदारों का, मसल–पावर का होता है। इसकी ओर सही वक्त पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो समाज के अच्छे मकानों में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीना भी दूभर हो सकता है और इसी तरह देश के सब शहर तबाह हो सकते हैं।

मैं नागपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं जेठमलानी जी से कहूंगा कि नागपुर आज मुम्बई की तरह बहुत बढ़ गया है वहां की हालत भी दिन–पर–दिन खराब होती जा रही है।

हर दिन विदर्भ से लोग रोजगार की तलाश में नागपुर आते हैं। नागपुर इंडस्ट्रियल शहर है और इस तरह आवास के लिए आज वहां तीन हजार अधिकृत या अनाधिकृत झोंपड़ियों में 15 लाख लोग नरकवास में रहते हैं। वहां उनको पीने के पानी की, शौचालय की, बिजली की सुविधा नहीं है। सभापति जी, यह बहुत गंभीर विषय है महाराष्ट्र बोर्ड आसानी से बिजली नहीं देता। लोग अपने आप बिजली ले लेते हैं। जो एम. एस. ई. बी. की तार उनके घरों के ऊपर से जाती है, उन पर वे अपने वायर डालकर खुद ही बिजली लेते हैं और उनको बिजली का कनेक्शन लेने के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं देना पड़ता है। जहां तक पानी का सवाल है तो वे मेन–पाइप लाइन में अनधिकृत पाइप डालकर अपने घर की लाइन जोड़ लेते हैं। उसका कोई अकाउंट नहीं होता। इसका नुकसान यह होता है कि जिनको पानी देने के लिए वहां की कॉरपोरेशन वचनबद्ध है उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता है। एक और बात है कि इन झुग्गी में रहने वालों की कई वर्षों में गणना, सैन्सस भी नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, हमने हाल ही में जो परमाणु विस्फोट किए हैं उनसे हम समझते हैं कि हमारी शक्ति बढ़ी है, लेकिन जब हम हिन्दुस्तान के गांव और शहरों की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि आज हिन्दुस्तान के तीस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको शौचालय की सामान्य एवं आवश्यक सुविधा भी नहीं है, उन्हें खुले मैदान में सबके सामने बैठना पड़ता है। हमारे ही अपने भाई–बहनों को शौचालय के लिए जगह नहीं है। आज जिस तरह का जीवन वह व्यतीत कर रहे हैं वह हमारे लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जो भी नीति वे बना रहे हैं उसमें शहर और गांव में भेद न करें प्राथमिकता दोनों को बराबर दी जाए।

महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र को एक प्रपोजल दिया है कि राज्य में जितने हमारे केन्द्र सरकार के कार्यालय हैं, रेलवे के, इन्कम टैक्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं, उनकी जमीनों पर जो झुग्गी–झोंपड़ियां बन गयी हैं उनको राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दें क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की 40 लाख लोगों के लिए मुफ्त में घर बनाने की योजना है। लेकिन यह जमीन सरकार को हस्तांतरित न होने की वजह से वह योजना अधर में लटकी हुई है। उसके साथ–साथ मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि विकास के मामले में गांवों और शहरों में भेद–भाव नहीं होना चाहिए। मुम्बई में 40 लाख मुफ्त मकान बनाने की योजना जो महाराष्ट्र सरकार की है, उसमें नागपुर शहर का एक भी घर और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों का एक भी घर का उल्लेख उसमें नहीं है, उसका अन्तर्भाव उसमें नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वह नागपुर का भी उसमें अन्तर्भाव करें और महाराष्ट्र के बाकी शहरों का भी उसमें अन्तर्भाव करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : माननीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी का आवास नीति पर जो प्रस्ताव है वह स्वागत योग्य है। आज नीतियां केवल शहरों के लिए बनती हैं लेकिन शहरों में ही झुग्गी–झोंपड़ियों के कलस्टर खड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि गांव में भी हालत खराब है। गांव में जो खेतीहर मजदूर हैं उनके पास रहने के लिए एक ही घर होता है। उसी में उनके मां–बाप रहते हैं, उसी में उनके बच्चे रहते हैं, उसी में उनके पशु बंधते हैं और वहीं पर उनका खाना बनता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वहां हालत खराब है। गांव में पीने के लिए पानी नहीं है और अगर है तो वह उन्हें दूर से लाना पड़ता है। जो ग्राउंड वाटर है वह पोल्युटेड है, इसलिए जो हैंड–पम्प से पानी आता है वह भी पोल्युटेड होता है और उसको पीने के बाद गांव के लोग बीमार पड़ जाते हैं। गांव से शहरों में जो लोग रोजगार की तलाश में आते हैं वे झुग्गी–झोंपड़ियों में रहते हैं। उनकी झुग्गी इतनी छोटी होती है कि खड़ा होकर आदमी उसमें घुस नहीं सकता है। जिस तरह से जानवर दड़बे में रहते हैं उसी तरह से वे अपनी झुग्गी में रहते हैं और उनकी झुग्गी में हवा का भी कोई प्रबंध नहीं होता है। वहां का पानी का, सैनीटेशन का कोई प्रबंध नहीं है। अगर वहां पर कोई सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए, तो भी शायद वहां कुछ सफाई की व्यवस्था हो जाए। पिछले पचास साल के शासन काल में सरकार ने यह नहीं सोचा कि आबादी बढ़ रही है, उसका प्रैशर शहरों में बढ़ रहा है वह भी गरीबी दूर न होने का एक कारण है।

गरीबी दूर नहीं हो रही है, इसका भी एक कारण है। शहरों की आबादी बढ़ रही है। गांवों में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। वहां आदमी को रोटी नहीं मिलती। उन्हें शहर में आकर रिक्शा चलाना पड़ता है। वह पल्लेदार बनता है। दुकानों में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और शाम को अपनी झोंपड़ी में जाकर विश्राम करता है। उसे दो साल के बाद पता लगता है कि वह टी. बी. का मरीज हो गया है। इस बीमारी से वह मौत के कगार पर पहुंच जाता है। उसे अस्पताल में इलाज करने के लिए जगह नहीं मिल पाती। गांव और शहर के लोगों के साथ ज्यादती होती है। शहरों में उनके रहने का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। उनके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं की जाती। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि वे बिजली चोरी करते हैं, उनकी बात सही है। अगर वे लीगल कनैक्शन लेना चाहें तो वह उन्हें इशू नहीं होता क्योंकि उनके घर का कोई नम्बर नहीं होता और उनको राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होता, उनकी नागरिकता सुनिश्चित नहीं होती। ये सब बातें बिजली कनैक्शन लेने के लिए आवश्यक हैं। इनके लिए एक–एक कमरे के मकान बनाए जाएं। शहरों में उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बिजली, पानी की दिक्कत होती है। उनके राशन कार्ड भी नहीं बन पाते। आप इस ओर ध्यान दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप इस संकल्प का उत्तर देने में कितना समय लेंगे ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं इसका उत्तर देने में कम–से–कम आधे घण्टे का समय लूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभूदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, यह महत्त्वपूर्ण विषय है। दोनों साइड के मैम्बर्स अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए। सबको बोलने का थोड़ा–थोड़ा समय दिया जाए।

सभापति **महोदय** : माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देने में कम–से–कम आधे घण्टे का समय लेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे छः बजे खत्म करना है।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, यह छः बजे कैसे खत्म हो सकता है ? मुझे इस पर रिप्लाई भी देना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी इस चर्चा में अनेक वक्ता भाग लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में, हम इसे आज पूरी नहीं कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभूदयाल कठेरिया : इसे अगले सप्ताह भी ले सकते हैं। अभी खत्म करने की क्या जल्दी है ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वी. वी. राघवन जी अपना संकल्प पेश करने के लिए तैयार हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम एक काम कर सकते हैं। हम श्री वी. वी. राघवन जी को उनका संकल्प पुरःस्थापित करने के लिए बुला सकते हैं, तत्पश्चात् हम विद्यमान संकल्प पर चर्चा जारी रखेंगे। यदि हम इसे पूरा नहीं कर पाए, तो हम इस पर अगली बार चर्चा जारी रखेंगे।

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, हमारा संकल्प भारत सरकार के लिए खतरे की घण्टी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राघवन जी, कृपया थोड़ा रुकिए। मुझे बताया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इससे पूर्व कि मैं आपको आपका संकल्प पुरःस्थापित करने की अनुमति दूं, पहले डॉ. पाण्डेय को अपना संकल्प पूरा करने दिया जाए।

श्री वी. वी. राघवन : महोदय, उस संकल्प पर लगभग दो दिन चर्चा हुई है अब...*(व्यवधान)*... आज के लिए मेरा संकल्प भी सूचीबद्ध है।

सभापति महोदय : लेकिन हमें लोक सभा की प्रक्रिया के अनुसार चलना है। किसी भी स्थिति में आपका संकल्प अमान्य नहीं होगा। अतः इस विषय में आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय सदस्यों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कई संकल्पों को चार–चार दिन लगातार लिया गया है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है। यह कोई नई बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : सदन का समय बढ़ा दिया जाए। यह आज खत्म होना चाहिए।

[अनुवाद]

हम आज 8.00 बजे तक बैठ सकते हैं। इसमें क्या परेशानी है ? हमें इसे आज समाप्त कर देना चाहिए। इसमें क्या समस्या हैं ?

सभापति महोदय : अध्यक्ष के निदेश संख्या 9 में यह उल्लिखित है कि गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य 6.00 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : मैं पूर्णतया आपके अधीन हूं। मेरे विचार से हम रेल बजट पर चर्चा स्थगित किए जाने के लिए कहेंगे, ताकि हम इस चर्चा हेतु समय बढ़ा सकें। किसी भी स्थिति में रेल बजट पर चर्चा आज पूरी नहीं की जा सकती। यह दो दिन और चलेगी। वे सोमवार को आधी रात तक बैठक करेंगे।

सभापति महोदय : आपके लिए इसमें क्या परेशानी है ? इसे जारी रहने दीजिए। यह एक अच्छा विषय है। इसमें अनेक लोग भाग ले सकते हैं। उनका संकल्प भी अमान्य नहीं होगा। इस पर अगली बार भी चर्चा होने दीजिए। लोग इसमें अत्यधिक रुचि रखते हैं। सदस्यों को अपना भाषण जारी रखने दीजिए। माननीय मंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी को बोलने से रोका जाए। लेकिन मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि हम इस कार्य को आज समाप्त कर लें।

सभापति महोदय : क्यों ? क्या यह कार्य अगले दिन तक जारी नहीं रखा जा सकता ? इसे चलने दीजिए। आखिरकार यह एक अत्यंत रोचक विषय है।

[हिन्दी]

श्री प्रभूदयाल कठेरिया : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी को धन्यवाद देता

हूं कि वह यह संकल्प लेकर आए हैं और जैसे आपकी तरफ से निर्देश हुआ है, मैं पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति जी, जिस प्रकार से अन्य वक्ताओं ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है, उनकी चिन्ता स्वाभाविक है क्योंकि पहले पचास वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की दूरी बढ़ती गई है क्योंकि उनके लिए दोगली नीति अपनाई गई। यह निन्दनीय बात है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मगर सभी सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। यह वास्तव में निन्दनीय है।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि अधिक से अधिक समय इसको दिया जाए। सारे राष्ट्र की 65 प्रतिशत जनता आज ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। अभी एक मित्र चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि एक ही परिवार में ससुर रहता है, सास रहती है, पति रहता है, पत्नी रहती है, बहन रहती है, बच्चे रहते हैं और वहीं उनके पशु बंधे हुए हैं। उस झोंपड़ी में जानवर भी ठीक से गुज़र–बसर नहीं कर सकते, ऐसी झोंपड़ियों में वे लोग बसर कर रहे हैं। 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास झोंपड़ी भी नहीं है। टैण्ट लगाए जाते हैं और उसमें सारा परिवार गुज़ारा करता है। कौन समझे इस भारत की आजादी को ? इसको कहां ओढ़ें, कहां बिछाएं ? इन गरीबों को पचास वर्षों में मकान उपलब्ध नहीं हो पाए। मेरे मित्र सबसिडी की बात कह रहे थे। सरकार ने 20 लाख मकानों की घोषणा की है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी की सराहना करता हूं कि कुछ न मिला तो 20 लाख मकान ही सही, लेकिन जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? कौन कानून बनाता है ? हम लोक सभा में कानून बना देते हैं पर इनका इंप्लीमेंटेशन ठीक ढंग से हो, इसके लिए एक नीति बनानी चाहिए। आज भी देश में बहुत से लोग रेलवे स्टेशनों और ऐसी जगहों पर रहते हैं। ऐसी जगहों में ही औरत अपने दुधमुंहे बच्चे को लेकर रात गुजारती हैं। यह कैसी आजादी है इस देश की ? आई॰ ए॰ एस॰ और आई॰ पी॰ एस॰ अफसरों की बात की जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? तमाम ऐसे अधिकारी और तमाम पोलिटिकल लोगों के जो मुम्बई और पूना तथा गोवा में बड़े–बड़े महल बने हैं उनकी जांच कराई जाए। एक आदमी के पास पांच मकान हैं और किसी के पास झोंपड़ी भी नहीं है, कोई आदमी टैण्ट में गुजर–बसर कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इसके लिए ठीक से एक बिल लेकर आएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। हमारे पास पहले ही समय कम है।

[हिन्दी]

श्री प्रभूदयाल कठेरिया : मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर कुछ करना चाहती है तो ऐसा कानून लाए कि देश में एक परिवार में सिर्फ एक मकान रहे, तब कुछ सुधार हो सकता है। एक पूंजीपति के पास दस मकान हैं और उसके बेटे का अलग मकान है, पत्नी का अलग मकान है, लड़के का अलग मकान है, तो कैसे व्यवस्था बन पाएगी ?

अगर आप ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं तो इस लोक सभा का एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा। हम लोग लोक सभा के मैम्बर हैं। हमारी बात कहना ही बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। हम क्या कहते हैं, उस पर क्या अमल करते हैं, उसे सारा देश देखता है। यदि हम यहां समय को ठीक तरह से न गुजारकर, हंसकर गुजार देंगे तो इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं मंत्री जी के सामने दोहराना चाहता हूं कि अगर नीति को अमल में लाना चाहते हैं तो कोई दूसरा बिल लोक सभा में लेकर आयें ताकि एक व्यक्ति, एक परिवार के पास सिर्फ एक ही मकान रहे और अन्य लोगों के लिए 20 लाख के स्थान पर 40 लाख मकानों की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार है, वहां जिस प्रकार पैसा दिया जाता है उसका ठीक तरह से उपयोग हो। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जायेगा, चाहे वह अधिकारी हों, कर्मचारी हों, पोलिटिकल लोग हों या अन्य कोई भी हों, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उनको सजा भी दिलाई जायेगी। आपने जो मुझे पांच मिनट का समय दिया उन्हीं पांच मिनटों में अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं यह दोहराना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि एक फैमिली के पास एक ही मकान हो।

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : सभापति जी, आपने मुझे अपनी बात यहां कहने का अवसर दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद। इसके साथ ही मैं श्री लक्ष्मी नारायण पांडे जी को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इतनी गंभीर समस्या को सदन के पटल पर रखा है, जिस पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। आवास नीति में इंदिरा आवास, निर्बल आवास की व्यवस्था तो है किन्तु वास्तव में गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि ब्लॉक स्तर पर बहुत गड़बड़ियां होती हैं। प्रधान के कहने पर आवास आबंटित किया जाता है। प्रधान की जिसमें व्यक्तिगत रुचि होती है, उसे वह आवास दिलवा देता है और जो उसके वास्तविक हकदार होते हैं, उन तक वह सुविधा नहीं पहुंच पाती है। निर्धन लोगों के वास्ते मकान निर्माण के लिए जो ऋण की सुविधा है कि उनको इतना ऋण मिलेगा, वह उन्हें पूरा उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि बिचौलियों और बीच में ऋण दिलाने वालों के बीच में उसका बंटवारा हो जाता है और वह राशि लाभार्थी तक पहुंचते–पहुंचते इतनी कम रह जाती है कि उससे वह आवास बना ही नहीं सकता इसलिए मैं चाहूंगी कि निर्धन लोगों को आवास के लिए जो जमीन पट्टे पर दी जाती है और वह परिवार की संख्या के आधार पर दी जाए। चूंकि कई बार परिवार बहुत बड़ा होता है और जो ज़मीन दी जाती है, वह इतनी कम होती है कि वह उस पूरे परिवार के लिए कम पड़ती है। कई बार

[श्रीमती रीना चौधरी]

ऐसी समस्या आती है कि दबंग लोग अपने फायदे के लिए गरीबों की झोपड़ी उस जमीन से गिरा देते हैं और उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि वे इस समस्या पर भी ध्यान दें कि जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं उन लोगों की झोंपड़ी को गिराकर दबंग लोग उस जमीन पर अपना आवास खड़ा न कर पायें। कई बार आग लगने से गरीब की झोंपड़ी जल जाती है। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार जो मुआवजा देती है वह राशि इतनी कम होती है कि झोंपड़ी के जलने पर गरीब का जो नुकसान होता है वह अधिक होता है, उसका सब कुछ जल जाता है।

[illegible]ति महोदय, मुआवजे की जो राशि दी जाती है, वह [illegible]होती है। उस राशि में झोंपड़ी भी नहीं बनती। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। जो लोन की राशि है उसमें भी वृद्धि करने की जरूरत है जिससे उसका कुछ नुकसान तो पूरा हो सके।

सभापति महोदय, पिछले महीने मेरे संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज में बिना किसी सूचना के अनेक झुग्गी वालों को सौंदर्यीकरण के नाम पर उजाड़ दिया गया। उनकी झोंपड़ियों पर बुलडोजर चला दिए गए। वे लोग 20–25 सालों से वहां बसे हुए थे। उनको यदि हटाना ही था, तो कम से कम पहले सूचना दी जाती और सरकार की इतनी योजनाएं चलती हैं, उनमें से किसी योजना के अधीन उनको बसाने की व्यवस्था की जाती, फिर उनकी झोंपड़ियों को हटाया जाता, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के लोगों को बेघर कर दिया गया। अब वे अपने छोटे–छोटे बच्चों के साथ कहां जाएं, कहां रहें ? मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, जो दो–तीन बातें मैंने मंत्री महोदय के ध्यान में लाई हैं जिनमें मुआवजे की राशि बढ़ाना, बिना सूचना के किसी की झोंपड़ी को नहीं हटाना और जनसंख्या के आधार पर लोगों को मकानों के पट्टे उपलब्ध कराना, इन बातों पर ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं और अपनी बात यही समाप्त करती हूं।

श्री अनंत कुमार हेगड़े (कनारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं भाषण नहीं देना चाहता बल्कि कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए एक नई योजना बनाई जाए–एक बच्चा, एक घर। जिसके एक बच्चा हो, उसे प्रियोरिटी के आधार पर एक घर दिया जाए। मेरा दूसरा सुझाव है कि गृह निर्माण सामग्री का जिस तरह से दाम बढ़ता जा रहा है, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक समिति बनाई जाए ताकि गरीब लोग आसानी से उन चीजों को खरीद कर अपना घर बना सकें। तीसरा सुझाव मेरा यह है–जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोका जाए और उसके लिए एक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड तैनात करके देखा जाए और जिधर भी कोई कमी पाई जाए, तुरंत संबंधित अधिकारी और व्यापारी की जांच करवाई जाए या प्रापर कदम उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हम गांवों में घर बनाने जा रहे हैं, लेकिन गांवों में पंचायत स्तर तक यदि हम जाएंगे, तो देखेंगे कि किसी क्षेत्र में तो पूरी की पूरी रिजर्व फारेस्ट भूमि है, जिसके कारण आवास निर्माण के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है। ऐसी भूमि में से इतनी भूमि ली जानी चाहिए जिससे कि 25 साल तक की योजना बनाकर हम घर बना सकें। हमें अगले 24 वर्षों के लिए जितने घरों की आवश्यकता है उसके अनुसार भूमि लेकर, एक लैंड बैंक स्कीम बनाकर उसके द्वारा काम कराया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा, तो गांवों में लैंड आबंटित हो सकेगी जिससे बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ–साथ भ्रष्टाचार की जो समस्या है, उसको रोकने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। गांव और देहातों की अभिवृद्धि के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाए।

अपराह्न 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हेगड़े जी, जब हम अगली बार इस विषय को लेंगे, तब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। आपको बोलने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े : सभापति जी, मैं लास्ट प्वाइंट ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, आप अपनी अन्तिम बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अंत में मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों को घर देने के लिए जो नीति बनायी जाए वह ऐसी होनी चाहिए जिससे वह किसी दूसरे को हस्तांतरित न हो सके। हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए, नहीं तो वे पैसे की खातिर उसे बेच सकते हैं और फिर फुटपाथ पर आ जाते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

अपराह्न 6.01 बजे

[अनुवाद]

रेल संबंधी स्थिति-पत्र पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव
बजट रेल 1998-99–सामान्य चर्चा
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1995-96–जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त हो गया है। अब सभा रेल बजट पर आगे चर्चा करेगी। श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी बोल रहे थे। वह अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

वह उपस्थित नहीं हैं। ठीक है, अब श्री बलराम जाखड़ जी बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : रेल मंत्री जी ने जब बजट रखा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें श्री बलराम जाखड़ की बात सुननी चाहिए।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, चर्चा सही समय पर शुरू हुई है।

श्री बलराम जाखड़ : हां, मैं चाहता हूं कि चर्चा सही समय पर शुरू हो।

[हिन्दी]

वैसे तो अगर देखा जाये तो किसी देश की प्रगति के लिए तीन चीजें अति आवश्यक हैं।...*(व्यवधान)* एक तो यातायात, दूसरा संचार और तीसरा ऊर्जा। तभी काम आगे बढ़ता है और देश की प्रगति होती है। अगर यातायात नहीं होता तो आवाजाही नहीं होती और लोगों तक चीजें नहीं पहुंचती। किसी ने ठीक कहा था कि सड़क या रेल बना दो तो तरक्की उस पर सवार होकर चली जायेगी। ऐसे ही सड़क का भी है। इसी प्रकार संचार के बारे में है जैसे आप टेलीफोन बना रहे हैं, टेलीफोन से व्यापार और बिजनेस का काम चल सकता है। आप घर बैठे इधर–उधर बातें कर सकते हैं और सारे संसार से आपका संबंध हो सकता है। इसी तरह ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा। न पम्प चलेगा और न आपकी फैक्टरी। देश के लिए तीनों चीजें जरूरी हैं। ये तीनों तरक्की की नींव हैं, उसमें सबसे ज्यादा पार्ट रेलों का है क्योंकि यह शुरू से सबसे ज्यादा है और सस्ती भी है। आम नागरिक इसमें यात्रा करता है क्योंकि वह मोटर नहीं खरीद सकता। मैंने खुद देखा है। जब मैं थर्ड क्लास में था तब मैं इससे जाया करता था। यही हमारा आने जाने का साधन था। प्रगति करते–करते आप आज यहां आ गये हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप और प्रगति करें। आपने जो बजट बनाया है उसमें कुछ और पैसा लें ताकि यह और प्रगति कर सके। इसके लिए क्या आवश्यक है ? आवश्यक यह है कि लोगों में विश्वास हो और सुरक्षा हो। विश्वास तभी पैदा होगा जब सुरक्षा हो। दुनिया भर में अगर कहीं सबसे ज्यादा दुर्घटनायें होती हैं तो मेरे ख्याल से हमारे यहां होती हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को देखें ताकि सुरक्षा की दृष्टि से लोगों में विश्वास हो कि जिससे हम सफर कर रहे हैं वह हमें आराम से अपने घर पहुंचा देगी और आगे आने वाला यह देखेगा कि गाड़ी कहां रुकेगी और किस तरीके से पहुंची।

यह देखना है कि उसका प्रबंध कैसे हो, उनके आने–जाने की सुविधा कैसी हो, ठहरने का, बैठने का प्रबंध कैसे हो। ये सारी बातें इसमें सम्मिलित हैं। सुरक्षा के बारे में तो आप जानते हैं, ज्यादातर आपका देश ही इससे प्रभावित रहता है। उसे बचाकर रखें।

जो रेल लेट चलती है, उसे रोकने की चेष्टा कीजिए। जिन देशों ने प्रगति कर ली है, यदि उन देशों का भ्रमण करें तो पता लगेगा, जैसे यदि जापान में गाड़ी 15 मिनट लेट हो जाती है तो पार्लियामेंट में हंगामा मच जाता है। समय का सदुपयोग करना होगा। यदि उनको इस बारे में कुछ प्रशिक्षण देने की जरूरत हो तो देना चाहिए, यदि वे ज्यादा ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें रोकना चाहिए जिससे सुरक्षा ठीक रहे, गाड़ियां समय से चलें। रेलवे लाइन हो तब यातायात होता है। तब गेहूं भी जाएगा, तेल भी जाएगा, बिजनेस का सामान भी जाएगा। यदि ट्रक से सामान भेजते हैं तो उससे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, सामान महंगा भी होता है। रेलवे को माल ढोने और सवारियों के लिए सुविधाजनक बनाना चाहिए ताकि लोग आकर्षित हों।

मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि आप सब जानते हैं। आपके दिमाग में सारी बातें हैं। यह तो मैंने सरसरी तौर पर बोल दिया है कि ऐसा करें, लेकिन आप इस बारे में सजग हैं, अनुभवी हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि सबको बांटकर खाना चाहिए। इससे पेट में अल्सर नहीं होता, हाजमा भी दुरुस्त रहता है। आप तो समाजवाद के प्रतीक हैं। इसलिए सारा काम ठीक कर लें।

आपने नई रेलवे लाइनों के बारे में भी कहा है कि हम कहां–कहां उन्हें शुरू करेंगे। इस विषय में मैं आपके पास कहने आया था और एक लिखित पत्र भी दिया था, जिसमें सुझाव भी दिए थे कि हमारे क्षेत्र में, खास तौर से जब मैं राजस्थान का परीक्षण करता हूं तो देखता हूं कि उस एरिया को भगवान ने भी मारा है और शायद वह उपेक्षित भी रहा है। हमारे पास ऊसर और बिल्कुल बारानी जमीन है। मैं तो कभी–कभी यहां बैठा हुआ कहा करता था कि राजस्थान में रहने वाले लोगों को परमवीर

[श्री बलराम जाखड]

चक्र दे दें क्योंकि वे 10–20 मील से पानी लाकर पीते हैं फिर भी वहां जमे हुए हैं, उठकर नहीं गए। यह उनकी वीरता है, क्षमता है कि वे इस परेशानी में भी रहते हैं।...*(व्यवधान)* जब आदमी रोता है तो आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसे प्रगति की आवश्यकता है। यदि आप उसकी सड़कें देखें तो शायद आपकी कार टूट जाए, यदि किसी आदमी ने नया ट्रक खरीदा हो तो वह रास्ते में अड़ जाए, रुक जाए। वहां के मंत्री महोदय श्री चतुर्वेदी हमारे मित्र हैं। मैंने उनको कई बार लिखा है कि जरा कृपा करिए। जो सड़कें बनी हुई हैं, उनकी मरम्मत तो कीजिए, [illegible] की बात तो दूसरी है। यदि मैं आपको वहां ले चलूं [illegible] गे।

यातायात के संबंध में बताना चाहता हूं। आप बीकानेर क्षेत्र, सूरतगढ़, गंगानगर और आगे जैसलमेर तक इंदिरा गांधी कैनाल ले गए। वह सारा एरिया बारानी था, वहां कुछ नहीं होता था। आप वहां चले जाएं तो देखेंगे कि वह भी वहां ऐसा क्षेत्र है जहां 20–25 मील तक पेड़ों का निशान नहीं मिलेगा, ऊसर में खड़े हुए छोटे–छोटे पौधे मिलेंगे, पीने का पानी नहीं है। लेकिन जहां नहर चली गई है वहां हरियाली आ गई है, नई रौनक आ गई है, लोगों ने फसलें पैदा की हैं, वहां नई मंडियां आ गई हैं, मैं उन मंडियों में गया हूं, नया अनाज पैदा होता है, कपास पैदा होती है, सब कुछ पैदा होता है। लेकिन उसे ले जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं, वह एरिया खुला नहीं है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि बीकानेर पुरानी राजधानी भी है, उसमें टूरिज्म के लिए भी बहुत कुछ है लेकिन वह उपेक्षित रहा है। क्यों रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है।

लेकिन मैंने देखा तो मेरा दिल घबराया इसलिए आपके सामने यह बात रखी है। आपने रिवाड़ी से बीकानेर की छोटी लाइन को बदला नहीं है। उसमें वही खटखट करती हुई ट्रेन चलती है। सूरतगढ़ से बीकानेर जाएं तो रास्ते में बहुत बढ़िया–बढ़िया मंडियां आती हैं। आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊं कि कितना अनाज होता है, बड़े–बड़े मकान बन गए हैं, कारखाने लग रहे हैं, वहां के लोग कहते हैं कि अगर यातायात का साधन मुहैया हो जाए तो हम आगे तक जा सकते हैं। बीकानेर से सीधे होते हुए सूरतगढ़ तक, अनूपगढ़ तक नई रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए। आपने बीकानेर से बांद्रा के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, उसको भी सामान्य कर दें। यह हम लोगों की अर्से से मांग है। अनूपगढ़ में गाड़ी जरूर जाती है, लेकिन वहां से दिल्ली तक आने–जाने के लिए कोई सीधा साधन नहीं है। अगर आप इस रूट पर इंटरसिटी चला दें तो यह एरिया खुल जाएगा, व्यापार खुल जाएगा, लोगों को खाने–पीने को मिलेगा, किसानों को भी आमदनी होगी और व्यापारी भी मजे करेंगे। चरसाना मंडी है, इसी तरह से दूसरी मंडियां हैं, वहां पर किसानों को सस्ते में अपनी उपज बेचनी पड़ती है, क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है। यह सारा काम देशहित में होगा, किसान के हित में होगा और आपके भी हित में होगा।

आपने कुछ गाड़ियां रद्द कर दी हैं। अनूपगढ़ से जो भटिंडा तक गाड़ी चलती थी, उसे भी रद्द कर दिया है। दिल्ली से बड़ी लाइन की गाड़ी वहां के लिए चलाएं। वहां पर एक छोटी लाइन की वर्कशाप है, उसके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत सामान है, उसे खत्म करने की चेष्टा की जा रही है। उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। जो चीज बनी हुई है उसे बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दें। वहां के लोग मेरे पास आए हैं और कहने लगे कि हम काम करने को तैयार हैं, हमारे पास साधन हैं, काम है, लेकिन हमें खत्म किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। इसलिए मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें।

मैंने एक पत्र आपको लिखा था। उसमें अपनी सारी मांगें लिखकर बताई थीं। मैं आपसे मिला भी था और सारी बातें बताई थीं।

अपराह्न 6.14 बजे

(डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, *पीठासीन हुए)*

बीकानेर में तीन जगह पर रेल लाइन के फाटक हैं और वे अक्सर बंद रहते हैं, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद कोई न कोई गाड़ी आती–जाती है। शहर के सेंटर में एक फाटक है, वहां घंटों यातायात जाम रहता है, लोगों को असुविधा होती है। उस लाइन को आप या तो शहर से बाहर ले जाएं, अगर यह नहीं हो सकता तो उसके ऊपर ब्रिज बना दें या अंडरब्रिज बना दें।

[अनुवाद]

मुम्बई और जोधपुर के बीच चल रही गाड़ी को बीकानेर तक बढ़ाया जाए।

इसी प्रकार, सुरतगढ़ और दिल्ली के बीच चल रही गाड़ी, जिसे बंद कर दिया गया था, को पुनः बहाल किया जाए।

बीकानेर शहर में यातायात को बिना किसी बाधा के संचालन हेतु शहर में रेल लाइनों पर एक उपरिपुल का निर्माण किया जाना जरूरी है, उसको भी कर दीजिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे फाटकों पर आदमी तैनात किए जाएं। यह भी कराना है। बीकानेर–हावड़ा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयन यान और सामान्य डिब्बे लगाए जाएं। काफी पड़े हुए हैं, उनको करवा दें। मुम्बई और फिरोजपुर के बीच बरास्ता। अहमदाबाद–जोधपुर –बीकानेर एक नई गाड़ी चलाई जाए। उसमें भी करवा दें तो बहुत अच्छा होगा, लोग आराम से जाएंगे। कृपया बीकानेर और दिल्ली के बीच बरास्ते सुरतगढ़ और हनुमान गढ़ बड़ी लाइन पर एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाई जाए।

[हिन्दी]

यह भी करने की बात है। मैंने एक अर्ज की थी कि पीली बंगा और जोधपुर के बीच गाड़ी डिसकनेक्ट कर दी गई थी, उसे आप शुरू करवा दें। इसमें नई लाइन की बात भी है, घरसाना और दूसरी मंडियां बीच में आती हैं, उसको भी करवा दें। उदयपुर के लिए भी थोड़ा सा ब्राडगेज का काम है, वह भी करवा दें। जैसलमेर एरिया भी खुल जाएगा, नई गाड़ी जाने से वहां जो कृषि का नया क्षेत्र विकसित हो रहा है, उसको दोगुनी–चौगुनी सहायता मिलेगी, किसानों के लिए काम का नया क्षेत्र खुलेगा और आपको भी आमदनी होगी।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के विभाग में वहां के लोगों को नहीं लिया जाता है। दूसरे लोग काम करते हैं। वहां के लोग आए और मुझसे कहने लगे कि इसमें हमारा क्या दोष है कि हमको नहीं लिया जा रहा है। मैंने कहा, मैं नीतीश जी से बात करूंगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो–जो बातें मैंने कही हैं, कृपया उनको देख लें। राजस्थान उपेक्षित रहा है, इस राज्य की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए। इस क्षेत्र के लिए कुछ नई बातें आ जायें और लोग कहें कि एक नौजवान सदस्य मंत्री बने हैं, तो हमारे क्षेत्र के लिए भी कुछ होगा।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (मछलीशहर) : माननीय सभापति महोदय, सदन में पहली बार एक ऐसा बजट आया है, जिसमें रेल मंत्री ने पूरी ईमानदारी के साथ, वे क्या करना चाहते हैं और हम कहां खड़े हैं, यह बताने की कोशिश की है। स्थिति पत्र प्रकाशित करके उन्होंने न केवल रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है, बल्कि अपनी ईमानदारी को दर्शाने की पूरी–पूरी कोशिश की है। एक यात्री एक तरह, रेल पचास साल में कहां पहुंची है, कितनी चली है, कितना माल ढोया है और उसको कितने माल ढोने की आवश्यकता है, इन बातों को कहने वाला वही व्यक्ति हो सकता है, जो आगे बढ़ने का इरादा रखता हो। इसको देखकर ऐसा लगता है कि माननीय रेल मंत्री जी ने न केवल अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति को इस रेल बजट में पेश किया है, बल्कि देश की इच्छाशक्ति उससे जोड़ने की कोशिश की है।

महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रेल केवल लोगों को यहां से वहां ले जाने का ही काम नहीं करती है, बल्कि देश के विभिन्न भाषाओं के बीच में, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में, रीति–रिवाजों के बीच में, एक सेतु का निर्माण करती है। यदि हम इस दृष्टि से रेल को देखते हैं, तो रेल एक सम्पूर्ण भारत में उस धमनी की तरह काम करती है, उस रक्त–वाहिनी की तरह काम करती है, जो राष्ट्र को जीवनी शक्ति देती है। जीवन की प्रेरणा और साधन उपलब्ध कराती है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 50 सालों में रेल को हम राष्ट्रीय आय के साधन के रूप में भी विकसित नहीं कर पाए हैं। हमें चाहिए था कि इसको राष्ट्र की एक ऐसी शक्ति के रूप में विकसित करते, जिससे राष्ट्र को समृद्धि प्राप्त होती और इस सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करने में और राष्ट्र के सामने जो राष्ट्रीय एकता का सवाल खड़ा किया है, इन सवालों के जवाब रेल हमें दे सकती थी, लेकिन उसको हमने इस ढंग से नहीं सोचा है। अगर पचास सालों के बाद आज यह सोचने के लिए एक व्यक्ति हमारे सामने आया है, तो मैं आपके माध्यम से उसका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। शायद रेल चलाने वाला आदमी, अगर इसी तरह गति से चला, तो इस देश का लोह पुरुष सिद्ध हो सकता है। मै निवेदन करना चाहूंगा, हम पचास सालों के अन्दर कितने चले हैं, केवल नौ हजार किलोमीटर नई लाइनें हैं, जो दो सौ किलोमीटर प्रतिवर्ष का भी एवरेज नहीं है। इसी चाल से चल कर हम उम्मीद करते हैं कि हम भारत को 21वीं सदी में ले जायेंगे ? 1200 करोड़ रुपए की योजना राशि में वृद्धि करके, शायद रेल मंत्री जी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि हमें पिछली गति से आगे बढ़ना होगा और इसमें सुधार लाना होगा। हमारी गति तीव्र होगी। इस शताब्दी में चार रेल गाड़ियां राजधानी में चलाकर तेज चल लेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक सभी रेल गाड़ियां जो गांवों से होकर गुजरती हैं और जैसा कि राजस्थान के मरुस्थल के बारे में हमारे माननीय जाखड़ साहब कह रहे थे, वहां गति में अन्तर आए, यह अन्तर केवल रेल गाड़ियों की गति में ही नहीं, बल्कि रेल सुविधाओं में भी आए, रेल की जरूरतों में अन्तर आए, तो उपलब्धि हासिल हो सकती है। न जाने कितने स्टेशन हैं, जहां पर पीने का पानी तक नहीं है। अगर हम नित्य–क्रिया से निवृत्त होना चाहें, तो वहां पानी की सुविधा नहीं है। इन जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर इन जरूरतों पर ध्यान दिया गया होता, तो आजादी के बाद 1951 में जितने आदमी रेल में यात्रा करते थे, उनकी तादाद क्यों घटती जा रही है ? क्यों रेल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, क्यों रेल यात्रा से आदमी भाग रहा है ?

उसके भागने का कारण यही था कि आम यात्री को क्या सुविधा दी जाए, उसकी चिन्ता हमने नहीं की। हर बार बजट में उनके ऊपर कुछ न कुछ किराए का बोझ बढ़ा देना रेलवे का एक फैशन बन गया था और अपनी कमजोरियों से, नाकामियों से, अपनी गलती से हम जो क्षति करते थे उसकी पूर्ति भी रेल यात्रियों के भाड़े से वसूला करते थे। इस बार किराया बढ़ाया है लेकिन किराया विशेष नहीं बढ़ा है। अगर दिल्ली से चलकर गौहाटी पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी यात्रा में अगर 35 रुपए किराया बढ़ गया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। इसको लेकर जो हाय–तोबा मचा रहे हैं वे अपने पिछले इतिहास देख लें कि उन्होंने कितना कब–कब और किस समय बढ़ाया है। जहां तक संसाधनों के दोहन का प्रश्न है, संसाधनों को खड़ा करने का प्रश्न है, उस दिशा में एक संकल्प दिखाई पड़ता है अगर 4400 करोड़

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

रुपए आंतरिक संसाधनों से जुटाने की बात मंत्री जी ने कही है तो उनके पास संकल्प की शक्ति है और इसीलिए कुछ सुझाव देने का मन करता है कि हम उन्हें कुछ सुझाव दें कि आप ये धन कैसे अर्जित करें। ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जिनको हम रेल की समृद्धि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में विज्ञापनों पर पता नहीं कितना खर्च होता है, रेलवे को विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत साधन मिल सकते हैं। हम विज्ञापनों के लिए रेल को माध्यम बनाएं, रेल के डिब्बों को माध्यम बनाएं, स्टेशनों को माध्यम बनाएं। अगर विज्ञापनों के माध्यम [illegible] करना चाहें, कमाना चाहें तो बहुत कुछ कमा सकते

महोदय, रेल की न जाने कितनी जमीन ऐसी पड़ी हुई है, जो कुछ लोगों के कब्जे में है, माफियाओं के कब्जे में है। वह जमीन बेकार पड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं है। बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं, जो आवास की दृष्टि से उपयोग में लाई जा सकती हैं। यह संयोग ही है कि आवास के बाद प्रवास की चर्चा शुरू हो गई, पहले आवास नीति का संकट झेल रहे थे, अभी उसकी चर्चा चल रही थी कि इस बढ़ती हुई आबादी को हम कैसे एकोमोडेट करें, उनको रहने के लिए घर दें। लेकिन घर देने की चिन्ता के साथ–साथ हमें चलने के लिए साधन देने की भी चिन्ता करनी चाहिए। जिस अनुपात में देश में आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में हम रेल के संसाधन कहां बढ़ा पा रहे हैं और उन संसाधनों को बढ़ाने की चिन्ता भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। हर बार अपने राजनैतिक क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए, अपने प्रांत को कुछ देने के लिए कुछ बात चलती है, कई लोगों ने कहा कि पूर्व मंत्रियों की तरह से नीतीश कुमार जी ने भी अपने उत्तर प्रदेश को ही परोसा है लेकिन मैं जब उसके रास्ते को देख रहा था तो मुझे एक नयी बात दिखाई पड़ रही थी, जहां से इन्होंने नयी रेल लाईन डालने की कोशिश की है यह क्षेत्र ऐसा है जहां लोग पैदल जाना भी पसंद नहीं करते। वह आदिवासियों का क्षेत्र है, नितांत पिछड़े हुए लोगों का क्षेत्र है। वहां जो पैदल जाना भी पसंद नहीं करते हैं उन आदिवासियों को अगर रेल देखने का मौका मिलेगा तो 50 साल बाद वे भी महसूस करेंगे कि हम स्वतंत्र हिन्दुस्तान में रह रहे हैं, आजाद भारत में रह रहे हैं। उनको जब अवसर मिलेगा, उसके माध्यम से उन्हें रोजी मिलेगी, उनको विकास से जुड़ने का, दिल्ली से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसे जानने और समझने का अवसर मिलेगा। इसलिए इन्होंने अपनी कांस्टीट्यूएंसी को नहीं परोसा है बल्कि उस क्षेत्र को परोसा है जो बहुत वर्षों से भूखे हैं। इसलिए यह ऊंगली उनकी तरफ नहीं उठाई जाती है, जो बंगलौर और बनारस को समृद्ध करते रहे हैं और अपने–अपने क्षेत्रों तक ही देखते रहे हैं। यह इनकी ईमानदारी है कि जहां जरूरत थी इन्होंने वहां रेलें दौड़ाने की कोशिश की, चलाने की कोशिश की है, इनकी ईमानदारी की दाद देनी चाहिए। मैं इस रेल बजट का और रेल बजट प्रस्तुत करने वाले का प्रशंसक हूं। इसके साथ–साथ एक बात और भी है, हमने देखा है कि जो बड़ी–बड़ी मोटर बनाने वाली कम्पनियां हैं–चाहे वह हिन्दुस्तान मोटर्स हो, मारुति वाले हों, ये लोग क्या करते हैं जब अपनी गाड़ियों को यहां से वहां भेजना होता है तो वाया रोड नहीं भेजते हैं। रेलों से भेजते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग दिखाई पड़ता है। अगर ये कम्पनियां अपनी मोटर–गाड़ियां ढोने के लिए रेल का इस्तेमाल करती हैं तो सड़कों से प्रदूषण कम पैदा होगा। यदि सभी ट्रांसपोर्ट कम्पनियां रेल का इस्तेमाल इस रूप में करें, ट्रक आदि बजाय रोड के जरिए भेजने के रेलों से भेजें तो उससे दोहरा लाभ होगा। जहां रेल की आमदनी बढ़ेगी, रेल का फायदा होगा वहीं देश को डीजल की किल्लत से बचने का रास्ता मिलेगा। डीजल की कमी से न जाने हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हम जब रोड से माल ढोते हैं उससे नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ती है। माल चोरी हो जाता है उसकी भी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। इसके साथ–साथ हमें भंडारण करने के लिए गोदाम बनाने पड़ते हैं, ट्रक खड़ा करने के लिए, साइडिंग के लिए जमीन देनी पड़ती है।

ये सारी दिक्कतें हमें तब आती हैं जब हम माल ढोने के लिए अपने वैगनों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बजाए इसके कि हम फ्रेट गाड़ियां चलाते और ट्रक उन पर जाते। उससे न तो भंडारण की आवश्यकता पड़ती और न साइडिंग के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती। हमारे राज्य मंत्री जी जिस महानगर से आते हैं वहां न जाने कितनी लम्बी–चौड़ी जमीन शायद 40 वर्ग किलोमीटर जमीन ऐसी है जो साइडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, माल–गोदाम के लिए इस्तेमाल होती है। अगर उस जमीन का उपयोग हम वाणिज्यिक दृष्टि से करें तो इतना रुपया अर्न कर सकते हैं कि देश पर लदा हुआ कर्ज को उतार सकते हैं, रेल की बात तो छोड़ दीजिए। हमारे एक पत्रकार मित्र ने एक पुस्तक लिखी है और माननीय मंत्री जी को भेंट भी की है और वह इसी विषय पर लिखी हुई पुस्तक है। मैं चाहता हूं कि इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। रेलवे के पास आंतरिक संसाधन हैं लेकिन अब तक हमारे पास इच्छा–शक्ति ही थी। उस इच्छा–शक्ति के अभाव में हम निर्धन बने रहे। अगर हमने अपनी इच्छा–शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो आज रेल में संशोधनों के अभाव का रोना न रोना पड़ता, डिब्बों की यह दुर्दशा न होती।

हम आज केवल रेल–यात्रियों को सुविधा देने की बात करते हैं, ठीक है यात्रियों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर हमारी चादर छोटी होगी तो पैर ढके कैसे जाएंगे। चादर को लम्बा करने की भी हमें चिन्ता करनी चाहिए, यह हमारा ही कर्तव्य है, लेकिन उस संबंध में ज्यादा चिन्ता नहीं की गयी है।

मैंने देखा है कि पिछले दो वर्षों में अखबारों में रेलवे के इतने विज्ञापन छपे कि शायद ही कोई दिन होता था जब रेलवे का कोई न कोई विज्ञापन न छपे। लेकिन पिछले तीन–चार महीनों में एक भी विज्ञापन देखने को नहीं मिला। पता नहीं नीतीश जी अपनी फोटो क्यों नहीं छपवाना चाहते। एक कोंकण रेलवे का उद्घाटन हुआ तो एक फोटो इनकी देखने को मिली, बीच में देखने को नहीं मिली। पिछले डेढ़–पौने दो साल जो मंत्री जी रहे हैं उनकी फोटो इतनी देखने को मिली कि फोटो के आगे अखबार ही नजर नहीं आता था। विज्ञापनों पर पैसा क्यों खर्च होता है ? क्या यह उपलब्धियों को प्रकाशित करने के लिए होता है या व्यक्ति को प्रकाशित करने के लिए होता है। पौने दो सालों में क्या उपलब्धियां रही हैं। यदि उन विज्ञापनों के द्वारा उपलब्धियों के आंकड़े दिखाए गए होते तो आज हम गर्व से कहते कि इतना रेलवे आगे बढ़ी है। हम तो केवल शिलान्यास के नाम पर पत्थर लुढ़काते रहे। हमारे एक मित्र दोपहर में कह रहे थे कि उन्होंने एक शिलान्यास किया था, शिलान्यास नहीं, शिला का नाश किया था। वैसे ही एक शिला नाश कर दी। जिसके पीछे कोई इच्छा–शक्ति नहीं है, साधन नहीं हैं, ऐसे शिलान्यास का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है कि हमारे कई मित्रों को दिक्कत होती हो कि हमारे क्षेत्र में इस बजट में कोई रेल लाइन नहीं गयी, कोई सर्वे नहीं हुआ, उसका कोई उद्घाटन नहीं होने जा रहा है। लेकिन **सवाल यह है कि** उद्घाटनों से और शिलान्यासों से क्या हम **अपनी रेल को आगे बढ़ाने में** कामयाब होंगे। रेल आगे बढ़ जाए, **कुछ किलोमीटर आगे बढ़** जाए लेकिन रेल के डिब्बों में सुविधाएं न बढ़ें, जिसकी चिन्ता माननीय जाखड़ जी कर रहे थे। **वे कह** रहे थे कि कुछ दिनों पहले ऐसी स्थिति पैदा हो गयी **थी कि** गाड़ी **में बैठने** वाला घर वालों से यह कहकर जाता था कि अगर **सही** सलामत पहुंच जाऊंगा तो वहां जाकर फोन कर दूंगा, नहीं तो अन्तयेष्टि का प्रबंध करके रखियेगा। होना यह चाहिए कि हम रेल में बैठकर सुरक्षित महसूस करें। यह महसूस करें कि जब तक हम रेल में बैठे हैं हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है–चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो या चोरी का खतरा हो या कोई और दूसरा खतरा हो। रेल में बैठकर सुरक्षा की भावना पैदा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि स्थिति–पत्र में इसकी चिन्ता माननीय मंत्री जी ने करके यह स्पष्ट किया है कि इसके लिए वे चिन्तित हैं। जहां इच्छा होती है वहां रास्ता निकलता है। इसलिए यह चिन्ता वांछनीय है।

आज हम माल ढुलाई की बात करते हैं। जो 60 प्रतिशत माल पहले रेल से जाता था वह अब रोड से जा रहा है, क्योंकि लोग रेल से माल ले जाना नहीं चाहते हैं। उसका कारण यह है कि रेल में माल पूरा पहुंचता नहीं है, आधा–अधूरा पहुंचता है और समय ज्यादा लगता है। डिब्बों की उपलब्धता का सवाल पिछले दिनों कैसा रहा है, यह मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं। अब तो रैक इतने उपलब्ध हैं कि कोई लेना ही नहीं चाहता, लेकिन उनकी पहले दुर्दशा थी। चाहे यात्री सुविधा की बात हो, चाहे माल–ढुलाई का प्रश्न हो, इन सब सुविधाओं की चिन्ता जब दिखाई पड़ती है तब रेलों में सुधार का एक संकल्प दिखाई पड़ता है। रेलों में सुधार की आवश्यकता को यदि हम महसूस करते हैं तो हमें इस बात की चिन्ता करनी चाहिए कि हम संसाधन कैसे बढ़ाएं, कैसे जुटाएं।

उसकी चिन्ता माननीय रेल मंत्री जी ने जितनी की है, उसमें हम सुझाव के तौर पर कहना चाहते हैं कि फालतू जमीन का उपयोग किया जाए। अगर आप रोड की ढुलाई का ट्रक रेल में लेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी क्षति–पूर्ति की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट कम्पनी की होगी। उसको उतारने–चढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी होगी और उसमें जो नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। इससे आपको भाड़ा बड़े सुरक्षित ढंग से मिलेगा। वह योजना लागू करने में दिक्कत न हो तो इसको प्रयोग के तौर पर लिया जाए और आगे बढ़ाया जाए।

खान–पान की व्यवस्था में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। सुधार का मेरा दूसरा दृष्टिकोण है, खाने को स्वादिष्ट बनाने की दृष्टि से नहीं बल्कि निरोग बनाने की दृष्टि से है। आज खान–पान व्यवस्था में जो चीज दिखाई पड़ती है उसे देखकर हमें हैरानी होती है। हम उसे चांदी से वर्क में लपेट कर परोसते हैं। मैं नहीं जानता कि वह कितना जहरीला होता है, वह भोजन को कितना प्रभावित करता है ? हमें यह चीज समझनी चाहिए। हम अपनी पूर्व परम्पराओं को भूलते जा रहे हैं। हम पानी को प्लास्टिक और कागज के गिलास में पीने के लिए देते हैं। ये चीजें अच्छी नहीं हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं हैं। इसमें परिवर्तन करना चाहिए। मैंने इसमें परिवर्तन के लिए माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था। पुरानी परम्परा को चलाने से लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस इलाके से आप नई रेल लाइन डाल रहे हैं, उस इलाके के लोगों को इससे बहुत रोजगार मिलेगा। आजकल पत्तल के बड़े अच्छे दोने बनने लगे हैं। पत्तल की बहुत अच्छी थालियां बनने लगी हैं। आज उनको फाइव स्टार होटल वाले भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर पत्तल की थालियों और दोनों में भोजन परोसा जाएगा तो तीन फायदे होंगे पहला फायदा यह होगा कि वह प्लास्टिक की तरह नहीं होता जिससे सड़ने में दिक्कत आए। वह पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता। वह कचरा की समस्या उत्पन्न नहीं करता। वह जमीन पर डालने से सड़ जाएगा। इसी तरह पानी के लिए कुल्हड़ का इंतजाम कीजिए। वे भी टूटने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। इसके साथ कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा फायदा यह होगा कि पत्ता उगाने वालों को काम मिलेगा। मिट्टी का कुल्हड़ बनाने वालों को काम मिलेगा। ये वे लोग होंगे जिनको काम देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम इतनी प्रगति कर गए हैं कि उनको काम देने के लिए हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है। कम से कम इस निर्णय से उनको बहुत बड़ा काम मिलेगा और न जाने कितने हाथों

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

को रोजगार मिलेगा। रोजगार देने के साथ–साथ लोगों को पवित्र, स्वस्थ भोजन करने के लिए पात्र मिलेंगे और वातावरण को जो लाभ मिलेगा, वह तो मिलेगा ही। यह ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। हमारे राम बाबू इसको शायद समझ न पाएं क्योंकि वह मुम्बई के हैं, वहां पत्तल वगैरह नहीं मिलते। हमारे नीतीश जी इसको अच्छी तरह से जानते होंगे।

श्री नाम नाईक : ऐसा मत कहिए। आज मैंने राज्य सभा में जवाब देते समय यह कहा कि यह सुझाव बहुत अच्छा है। इसे व्यवहार में लाएंगे।

स्वामी चिन्मयानंद : धन्यवाद। मैं इसलिए कह रहा था कि इसका जवाब अभी मिल जाएगा। हमें इस प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए। इससे हमें लाभ होगा। बहुत अच्छी बात है कि बेरोजगार युवक को कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाना पड़ता है तो उसे यात्रा की सुविधा मिलती है। वह वैसे ही भूखा प्यास होता है, घर वाले उसे वैसे ही तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, उस समय रेल का भाड़ा चुकाने में उसे कितनी दिक्कत होती है, यह बेरोजगार व्यक्ति ही जानता है। हमारे रेल मंत्री जी को इसलिए अनुभव है कि वह उन लोगों के बीच से गुजरे हैं उनके बीच रहे हैं। उनकी कठिनाई का उन्हें अनुभव है। मैं तमाम बेरोजगार लोगों की तरफ से उन्हें धन्यवाद और दुआ देता हूं। ये कहीं इंटरव्यू में जाएं, मात्र कॉल लैटर दिखाने से यात्रा की सुविधा मिलती है। यह एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह दुआ का पवित्र कार्य है। यह भूखे–प्यासे के साथ नेकनीयती का कार्य है। इस कार्य को हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक संकेत है कि हम उन लोगों की भी चिन्ता करते हैं जिन की चिन्ता करने वाला कोई नहीं है। मैं कई बार इसका भी शिकार हो चुका हूं कि टिकट कहीं लिया, बीच में कहीं उतर गए या यात्रा रद्द हो गई तो वापस कराने के लिए वहीं जाना पड़ा। इससे एक टिकट और खर्च करनी पड़ती थी।

जितना उससे मिलना है, उतना ही खर्च करके जाओ, तब रेल का भाड़ा वापस मिलता था। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि कम से कम अब जहां हम रेल टिकट को वापस करेंगे, वहां जो भाड़ा हमने खर्च किया है, वह वापस मिल जाएगा। यह बहुत बड़ी परेशानी को समझने की दृष्टि है। यह केवल एक संकेत है, कोई पूरा कार्यक्रम नहीं है कि हम परेशानियों को समझ रहे हैं। इस परेशानी को समझने की उदारता माननीय रेल मंत्री जी ने दिखाई है।

इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि बूढ़ों के साथ जो न्याय किया गया है, उसको थोड़ा और करना चाहिए था। अब तमाम लोग हमारे सदन में भी वृद्ध हो गए हैं। वे आएंगे, जाएंगे तो उनको भी थोड़ी सुविधा चाहिए। वह थोड़ी और बढ़नी चाहिए और दूसरी श्रेणियों में भी होनी चाहिए। अगर उनको कुछ डिसकाउंट दिया जा सकता है तो दिया जाना चाहिए।

..*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : सभी श्रेणियों में 30 प्रतिशत है इनक्लूडिंग राजधानी एंड शताब्दी। अभी तो 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत किया गया है और आपकी मदद मिले, तो आगे भी देखा जाएगा।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : इसके लिए धन्यवाद।

इसी तरह जो ट्रेनों पर और स्टेशनों पर हॉकर्स होते हैं उनकी भी अपनी अलग जिन्दगी है और अलग कहानी है। मैं उनके संबंध में रेल मंत्री की चिन्ता को महसूस कर रहा हूं और कुली, जो बिलकुल साधारण ढंग से केवल बोझा ढोकर जिन्दगी निर्वाह करते हैं, उनके लिए रेल बजट में चिन्ता की गई है, इसलिए भी रेल मंत्री जी आभार और धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं एक निवेदन करके अपने क्षेत्र की ओर लौटना चाहूंगा। बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश को लाभ हुआ है, बनारस तक थोड़ा लाभ मिला है, लेकिन बनारस के पश्चिम की ओर जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें हमें अपेक्षित लाभ नहीं मिलता दिखाई पड़ता है और ज्यादा लाभ हम चाहते भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जैसे लखनऊ–इलाहाबाद के बीच में गाड़ियां चलती हैं जो सवेरे जाती हैं और शाम को आ जाती हैं–इंटरसिटी जैसी गाड़ियां चलती हैं, वैसे ही बनारस और लखनऊ के बीच में वाया रायबरेली गाड़ी चलनी चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र से उतने ही लोग लखनऊ आने–जाने वाले होते हैं जितने इलाहाबाद आने वाले होते हैं। यह चिन्ता करनी चाहिए कि इंटरसिटी जैसे कोई गाड़ी जो पहले चलती थी और अब बंद कर दी गई है, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसे फिर से शुरू किया जाए।

रेल पथ के दोहरीकरण का जहां तक प्रश्न है, उसके लिए नये–नये पथ लिये जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर होकर लखनऊ जाने वाला रेल पथ बहुत पुराना पथ है। इसी तरह लखनऊ से बनारस जाने वाला रेल पथ बीच–बीच में ऐसा है जहां कहीं दोहरी लाइन है और कहीं नहीं है। इन दोहरी लाइनों को पूरा कर लेने से माल ढुलाई में आसानी हो जाती है। बनारस केवल एक आस्था का केन्द्र नहीं है, बनारस कला का केन्द्र भी है, बनारस उत्पादन का केन्द्र भी है। उसको इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो उसका लाभ मिलेगा। विद्युतीकरण की दृष्टि से भी जो काम हुए हैं वह सराहनीय काम हुए हैं, लेकिन पूरी लाइन में कहीं–कहीं बीच–बीच में गैप है। उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि उधर भी माननीय मंत्री जी कुछ ध्यान देंगे।

हमारे क्षेत्र में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आता है जहां से लोग अयोध्या और प्रयाग जाया करते थे। पहले एक सरयू एक्सप्रेस चला करती थी और उस पर कोहानौर स्टेशन आता है, वहां गाड़ी रुका करती थी, लेकिन वहां गाड़ी का रुकना बंद हो गया। जो लोग सुबह उठकर प्रयाग और अयोध्या जाना चाहते हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। मैंने मंत्री जी को इस बारे में

पत्र लिखा है, संभवतः वे उसका ध्यान रखेंगे। अगर उधर कुछ होगा तो उन यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।

इस तरह लखनऊ से सुल्तानपुर तक की लाइन का दोहरीकरण करने की बात इस बजट में लाई गई है, केवल सुल्तानपुर–जौनपुर की दूरी छोड़ दी गई है। अगर वह भी शामिल कर ली जाती है तो लखनऊ से बनारस वाया जौनपुर, दोनों दोहरी लाइन हो जाती। थोड़ा हिस्सा ही रह गया है। मैं समझता हूं कि अगर उसकी गुंजाइश हो तो उसको भी शामिल कर लिया जाए।

इन्हीं सब तमाम सुझावों के साथ मैं चाहूंगा कि रेल एक सरकारी उपक्रम न रहकर एक सांस्कृतिक अभियान बने, सांस्कृतिक आंदोलन बने और इस देश की समृद्धि में, इस देश की सांस्कृतिक एकता में, इस देश के आपसी भाई–चारे में, राष्ट्रीय एकता में और विदेशियों को इस देश के प्रति आकर्षित करने के लिए एक साधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको संरक्षण दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से पूरी–पूरी उम्मीद रखता हूं क्योंकि उनकी संकल्प–शक्ति को देखकर मैं महसूस करता हूं कि ये सब बातें उनकी नजर में होंगी और आने वाले समय में वह उसका उपयोग करेंगे।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से होनहार रेल मंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम) : सभापति महोदय, वर्ष 1998–99 के रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

रेलवे एक राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय एकता की प्रतिमा है। भारत में भिन्न–भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे देश के लोगों की संस्कृति भी भिन्न प्रकार की है। वे भिन्न–भिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे सभी रेलवे का उपयोग करते हैं। रेलवे सभी को एकता में बांधने का कार्य करता है।

महोदय, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि रेलवे सेवा गरीब लोगों से दूर होती जा रही है क्योंकि बजट में किराये में काफी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। किराये में वृद्धि से आम आदमी पर बुरा असर पड़ेगा। किराये में काफी अधिक वृद्धि की गई है। लेकिन मालभाड़ा की दरों में व्यावहारिक रूप से वृद्धि नहीं की गई है। गरीब लोग सदैव रेलवे द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। किराये में की जाने वाली थोड़ी–सी वृद्धि से भी आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है।

सवारी गाड़ी के मामले में किराये में 50 किलोमीटर तक एक रुपया, 51 से 100 किलोमीटर तक 2 रुपये; 101 से 300 किलोमीटर तक 3 रुपये और उसके बाद 5 रुपये वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। सवारी गाड़ियों का अधिकतर अति निर्धन और दलित लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस बजट से अधिकांशतः गरीब लोग प्रभावित होते हैं। इसलिये मैंने यह कहा है कि इस बजट से आम आदमी पर बुरा असर पड़ेगा।

रेलवे बजट में रेलवे की संरक्षा, सुरक्षा और कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु किन्हीं विशिष्ट उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने संरक्षा उपायों में वृद्धि का केवल दिखावा किया है। मासिक टिकटों के किराये में भी भारी वृद्धि की गई है। मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के मासिक टिकटों को इस वृद्धि से अलग रखा जाना चाहिये। विद्यार्थी का अभिप्राय उनसे है जिनके पास जेब खर्च तक नहीं होता। जिस समय मैं विद्यार्थी था, मैं बिना जेब खर्च विद्यालय तथा महाविद्यालय जाया करता था। मैं पैसों के लिये हमेशा अपनी माता और पिता पर निर्भर रहता था। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि विद्यार्थियों को यह छूट अवश्य दी जानी चाहिये।

प्लेटफार्म टिकट के मूल्य में भी वृद्धि की गई है। यह बहुत ही बुरी बात है। प्लेटफार्म टिकट कौन खरीदता है। यदि दक्षिण से कुछ मित्र आने होते हैं वे अपने संबंधियों अथवा मित्रों से प्लेटफार्म पर आने और उनकी अगवानी करने का अनुरोध करते हैं। अतः रेल मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने से मंत्री जी के पास 1,782 करोड़ रुपये की राशि बच गयी है।

यह अतिरिक्त राशि काफी लम्बे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिये प्रयोग में लायी जा सकती थी। लेकिन मंत्री महोदय ने केवल नयी लाइनें बिछाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बजट में 12 नई लाइनें बिछाने का वायदा किया है। मैं काफी दुखी मन से इस बारे में संकेत करना चाहूंगा। भारत के दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु और केरल की केवल इस बजट में ही नहीं, बल्कि पिछले बजट में भी उपेक्षा की गई थी।

जब रेल मंत्री ने पिछली बार बजट प्रस्तुत किया था, तो उस समय भी हमने जोर–शोर से अपने विचार व्यक्त किये थे क्योंकि गरीब लोगों की पूर्णतया उपेक्षा की गई थी। रेल मंत्री ने दक्षिणी राज्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय मंत्री को केरल और तमिलनाडु के मामले पर विचार करना चाहिये। यदि हम तमिलनाडु और केरल को मानचित्र में देखें, तो केवल एक ही लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना है। अब एक और लाइन का निर्माण किया जा रहा है जिससे दो लाइनें हो जायेंगी। एक लाइन चेन्नई से कटपढ़ी–सलेम–इरोड–कोयम्बटूर है जो हाल में केरल तक बढ़ायी गई है। यह कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर है। बड़ी लाइन में तमिलनाडु के क्षेत्र भी शामिल किये गये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी तमिलनाडु में कुछ लोगों ने बड़े आमान की रेलगाड़ी को देखा तक नहीं है। यदि वे गरीब लोग बड़े आमान की रेलगाड़ी देखना चाहते हैं तो उन्हें चेन्नई जाना पड़ेगा अन्यथा वे बड़े आमान की लाइन

[श्री एम. सेल्वारासु]

नहीं देख सकते। यह हमारी समस्या है।

माननीय मंत्री ने लंबित परियोजनाओं के लिये बहुत ही कम राशि आबंटित की है। यह प्रत्येक रेल मंत्री का विशेषाधिकार है कि वह लंबित परियोजनाओं की ओर कोई ध्यान न देकर नई परियोजनाएं आरम्भ कर सकता है।

मैंने रेल मंत्री के भाषण की मुख्य बातों को पढ़ा है। इनमें तिरुचिरापल्ली–तन्जौर–नागौर–कारीकल आमान परिवर्तन परियोजना का उल्लेख किया गया है। तिरुचिरापल्ली से तन्जौर लाइन पर पहले से ही कार्य सम्पन्न हो चुका है। तन्जौर–नागौर–कारीकल परियोजना का कार्य लंबित है। यह परियोजना काफी समय से लंबित है। भूतपूर्व रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने इस परियोजना ...03 में 120 करोड़ रुपये के बजट आबंटन का प्रस्ताव ...किन अब 1998 में अभी तक भी इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। सारा का सारा सामान रेलवे मार्ग पर पड़ा हुआ है। ग्रेवल, स्टील, प्रत्येक चीज रेलवे स्टेशनों पर जमा है। एक कार्यालय भी खोला गया है लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। रेल मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये कि वहां के गरीब लोग कृषि और खाद्यानों के उत्पादन पर निर्भर करते हैं, इसलिये अधिक धनराशि आबंटित करनी चाहिये। यह मेरी विनम्र प्रार्थना है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सभी लंबित लाइनों के लिये स्वीकृति प्रदान की जाये और सभी लंबित लाइनों के निर्माण को पूरा करने के लिये समय–बद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल बजट में प्रत्येक लंबित प्रस्ताव के पूरा होने की समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। देरी से योजना का कार्य अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि लागत बढ़ जाती है। माननीय मंत्री को 1782 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि को काफी समय से लंबित प्रस्तावों पर व्यय करना चाहिये। मैंने त्रिची–नागौर लाइन के आमान परिवर्तन की परियोजना का पहले भी उल्लेख किया है।

माननीय मंत्री महोदय ने 11 रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाई है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र से चेन्नई के लिये बहुत ही कम रेल सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही एक्सप्रैस रेलगाड़ी, कंबल एक्सप्रेस है जो कि कराइकुडी तिरुथुरईपूंडी, थिरुवरूर और चेन्नई को जोड़ती है। यह रेलगाड़ी कराइकुडी से शाम को आती है और सुबह चेन्नई पहुंचती है। रात्रि को केवल यही एक ही रेलगाड़ी है और दिन के समय कोई भी इस रेलगाड़ी से यात्रा नहीं कर सकता। उन्हें गाड़ी के लिए सारा दिन स्टेशन पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः कृपया इस बात पर विचार किया जाये। यह मेरा माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम. सेल्वारासु : मैं अपनी पार्टी से अकेला वक्ता हूं।

नागौर वेलंगकन्नी चर्च और दरगाह के कारण तमिलनाडु में प्रमुख पर्यटक केन्द्र है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यह अनेक विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। नागौर और त्रिची जो विमानपत्तन शहर के सर्वाधिक समीप हैं, के बीच रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ायी जानी चाहिये।

मेरा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री को नयी लाइनों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बजाय बंद पड़ी लाइनों के पुनरुद्धार की योजना बनानी चाहिये थी। एक तरफ तो नयी लाइनों का प्रस्ताव है और दूसरी तरफ अन्य लाइनों को हटाने का प्रस्ताव है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तिरुथुरापूंडी तथा वेधारनयम के बीच लाइन बिछाने के कार्य को बंद कर दिया गया था। वेधारनयम एक काफी प्रसिद्ध स्थल है। गांधी जी ने यहीं से सत्याग्रह आन्दोलन की शुरुआत की थी। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। वहां पर नमक का काफी अधिक उत्पादन होता है। इस सेक्शन में रेलवे को नमक और मछलियों के परिवहन से प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती थी। एक तरफ तो आप लाइनों का कार्य बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ नयी लाइनों का प्रस्ताव किये जा रहे हैं। माननीय मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये।

रेलवे के काफी बड़े अतिरिक्त भू–भाग पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। यद्यपि अनेक गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य सामाजिक संगठनों ने अतिरिक्त भू–भाग की खरीद के लिए रेलवे को सिफारिश की है, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया है। अतः रेल मंत्रालय को सामाजिक सेवा संगठनों को सामाजिक तथा शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त भू–भाग देकर उनकी सहायता करनी चाहिये जो कि समाज के लिये काफी उपयोगी होगा।

राजस्व विभाग सहित अनेक संगठनों ने रेलवे को दलित लोगों को पट्टे पर भूमि देने की सिफारिश की है। यह भी एक अमूल्य सुझाव है। इससे रेल मंत्रालय के राजस्व में वृद्धि होगी।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एम. सेल्वारासु : जी हां महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मेरा अगला विषय महानगरों ने सुपरफास्ट परिवहन प्रणाली के बारे में है जिसके अन्तर्गत लाखों लोग हर–रोज यात्रा करते हैं। किराये में की गयी वृद्धि से दैनिक यात्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सुपरफास्ट परिवहन प्रणाली का उपयोग करने वाले अधिकतर व्यक्ति वेतनभोगी, कर्मचारी, निर्धन तथा व्यापारी हैं।

रेल गाड़ी किराया बस किराये की अपेक्षा कम होना चाहिए अन्यथा दैनिक यात्री बस से यात्रा करना अधिक पसंद करेंगे जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को कम राजस्व प्राप्त होगा। अतः

रेल किरायों में वृद्धि उचित नहीं है।

मेरा अन्तिम प्रश्न वैगनों के बारे में है। धान और नमक जैसी वस्तुओं को लाने–ले जाने के लिए वैगनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। खाद्यान्न तथा अन्य शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।

महोदय, अन्त में मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय रेल मंत्री ने पिछली बार राज्यवार सभी संसद सदस्यों से मुलाकात की थी और उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा की थी। हम सभी संसद सदस्यों को रेल मंत्री को अपनी शिकायतें बताने का अवसर मिला था। अतः श्री नीतीश कुमार जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस बार तथा आगे भविष्य में भी यह परम्परा चलाते रहें जिससे हम अपनी शिकायतों और विचारों को उनके समक्ष रख सकें। यदि वे हमारी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई अन्य कदम उठाते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल चपलोत (उदयपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी का स्वागत करता हूं और उन्हे धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा रेलवे बजट पेश किया है, काफी सुविधाएं भी दी हैं। इस देश में रेलवे से साढ़े चार सौ मिलियन टन माल ढोया जाता है, इतने ही पैसेंजर आते–जाते हैं। करीब–करीब 11 मिलियन पैसेंजर प्रतिदिन रेलवे से सफर करते हैं। आने–जाने के लिये रेलवे बहुत बड़ा साधन है, लोगों के लिए सम्पर्क का भी साधन है। जहां तक राष्ट्रीय एकता का संबंध है, इसमें रेलवे का सबसे बड़ा योगदान है। अगर भावनात्मक एकता का सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वह रेलवे का है, हिन्दी का प्रचार–प्रसार भी रेलवे के जरिए ज्यादा हुआ है। मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कई सुविधाएं दी हैं। मैं उनका सबका वर्णन नहीं करना चाहता, नटशैल में उनको बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं।

मैंने कई वर्षों के बजट देखे हैं, रेलवे का बजट भी देखा है, आदरणीय राम नाईक जी का भाषण भी सुना है, श्री नीतीश कुमार का 11 मार्च, 1997 का भाषण भी पढ़ा। उन्होंने पासवान जी से मांग की थी कि मेरे क्षेत्र में यह कर दें। श्री राम नाईक ने 24 जुलाई, 1997 को मांग की थी कि मुम्बई मैट्रोपोलीटन सिटी है, मेरे यहां रेलवे का विस्तार होना चाहिए, जब आपने कलकत्ता में कर दिया है, हमारे यहां ज्यादा ट्रैफिक है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या मानदंड है, किस मानदंड के आधार पर रेलवे में राशि का वितरण करते हैं। राजस्थान दूसरे नम्बर पर है। यही नहीं, राजस्थान इस देश का वन–टैन्थ हिस्सा होगा। यदि आप हिसाब से 9500 करोड़ रुपये रेलवे में खर्च कर रहे हैं, ट्रैफिक सुधार में कर रहे हैं, बड़ी लाइन बनाने में कर रहे हैं तो उसमें से 1000 करोड़ रुपया राजस्थान को हिस्सा आना चाहिए। मैंने पहले उनकी बड़ी तारीफ की लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आज हिन्दुस्तान की राजनीति में राजस्थान से एक भी रेलवे मिनिस्टर नहीं हुआ।

सायं 7.00 बजे

राजस्थान की घोर उपेक्षा हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एक भी रेलवे का मिनिस्टर नहीं होने से कभी तो शरीफ साहब ने रेवड़ियां बांटी, कभी राम विलास पासवान साहब ने रेवड़ियां बांटी, कभी किसी ने रेवड़ियां बांटी और राजस्थान आज भी अछूता का अछूता रह गया। राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, 1300 किलोमीटर बोर्डर का एरिया है, कोई प्रान्त इस प्रकार का नहीं होगा, जो 1300 किलोमीटर बोर्डर को फेस करता हो। जहां पर पाकिस्तान मुंह बाये खड़ा है, वहां पर कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। जहां पर एक वृक्ष खड़ा नहीं रहता है, 20 किलोमीटर तक चले जाओ, पानी की कोई सुविधा नहीं है, 20 किलोमीटर तक चले जाओ, एक वृक्ष नजर नहीं आयेगा। छाया ढकने के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसे स्थानों को आपने उपेक्षित कर दिया।

राजस्थान मिनरल वेस्ट है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट होता है। उदयपुर डिवीजन में रॉक फॉस्फेट होता है। केवल एक छोटे से उमरेड़ा स्टेशन से छह करोड़ रुपया साल में माल ढुलाने का लिये जा रहे हैं। उसकी हालत क्या है, उदयपुर की हालत क्या है ? उदयपुर–अजमेर–भीलवाड़ा यह ब्राडगेज की एक योजना बनाई, 262 करोड़ रुपये की योजना बनी और मिला क्या ? पहले साल में पांच करोड़ रुपये के अगेन्स्ट में 50 लाख रुपया खर्च हुआ, समुद्र में एक बूंद की तरह। पानी सब जगह है परन्तु पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। पानी तो सब जगह है, पर वह पीने का पानी नहीं है, देखने का है। बरसात का पानी तो होता है, प्यास भी लग रही है, लेकिन मैं उस पानी को नहीं पी सकता, ऐसी हालत हमारे राजस्थान की हो गई। 262 करोड़ रुपये के अगेन्स्ट में आपने क्या दिया, 45 लाख रुपया गये साल, यानी एक साल पहले दिया और इस साल 20 करोड़ रुपया भी पूरा नहीं दिया। अब कैसे 262 करोड़ रुपये का वह काम होगा ?

मैं आज आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, यह सदन क्या महाराणा प्रताप को भूल गया है, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1000 वर्ष तक इस आजादी को यदि किसी ने हिन्दुस्तान जिन्दा रखा है तो वह महाराणा प्रताप ने जिन्दा रखा है। उस महाराण प्रताप की जमीन का आज किस तरह से हश्र हो रहा है। मेवाड़ में कोई घर ऐसा नहीं है, जहां पर एक–एक घर में, चाहे वह काश्तकार हो, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे शैड्यूल्ड कास्ट हो, ट्राइब का हो, मुसलमान हो, हिन्दू हो, जहां एक–एक घर में एक–एक आदमी युद्ध में नहीं मारा गया हो। उस राजस्थान की आज उपेक्षा की जा रही है, उस मेवाड़ की उपेक्षा की जा रही है।

मैं काफी चीजें लेकर आया हूं और मुझे लग रहा है कि आप मुझे ज्यादा समय भी नहीं देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि

[श्री शान्तिलाल चपलोत]

उदयपुर की जो ब्राडगेज की लाइन है, उसमें आप थोड़ा सा विचार करके दें, उदयपुर की ब्राडगेज की लाइन यदि शीघ्र कम्पलीट हो जायेगी तो उदयपुर का सीधा मुंबई से सम्बन्ध वाया अहमदाबाद हो जायेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उदयपुर का आज मारवाड़ जंक्शन से जो लाइन चलती है, उदयपुर से चित्तौड़ जाती है, उसमें कई स्टेशन तक हमारे बन्द करने की घोषणा हो गई। जब शान्ति लाल चपलोत भारतीय जनता पार्टी का एम॰ पी॰ जीत गया, उसके बाद अधिकारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह तो बन्द हो रहे हैं, यह तो फ्लैग स्टेशन हैं, बन्द हो रहे हैं, फलाना है, यह हो गया, वह हो गया। इससे में कैसे विश्वास होगा, जन–प्रतिनिधियों में क्या विश्वास तिनिधियों की आवाज की महत्ता क्या होगी, मैं आज ...ना चाहता हूं। उस लाइन को यदि जोधपुर तक मिला दिया जाये तो मारवाड़ जंक्शन को लाइन आती है। मारवाड़ जंक्शन को यदि उदयपुर से जोड़ा जाये तो उसमें विश्व प्रसिद्ध स्थान भी आता है। श्रीनाथ जी का स्थान आता है, भगवान कृष्ण जी का सांवरिया जी का स्थान आता है, भगवान कांकरोली में विराजमान हैं, जो बहुत बड़े–बड़े स्थान हैं, सारे हिन्दुस्तान के लोग जहां दर्शन करने आते हैं। वह छोटी सी लाइन है, उससे धर्म धक्के खाकर जाते हैं। वे गाड़ियां क्या चलती हैं, चेतक एक्सप्रैस चलती है, उदयपुर से चित्तौड़ तक चार घंटे में, पौने चार घंटे में आती है, वहां से छह बजे निकलती है और 105 किलोमीटर चलकर कोई 9 बजे पहुंचती है। नौ दिन में अढ़ाई कोस चलती है। चेतक एक्सप्रैस उसका नाम है, उसे दिल्ली आने में पूरे 20 घंटे लगते हैं।

शाम को वहां से छः बजे चलती है ओर दूसरे दिन दोपहर को दो बजे दिल्ली पहुंचती है, जबकि इसकी कुल दूरी 700 किलोमीटर है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको ब्राडगेज करने के बारे में विचार करना चाहिए। राजस्थान में नार्थ–वैस्टर्न जोन का आफिस बनाना था, उसका शिलान्यास कर दिया गया, मंत्री जी भी पधारे थे, गये समय में उसके लिए 95 लाख रुपये दिए गए, अबकी बार उसमें कोई खास राशि नहीं है। उसमें 16 से 18 करोड़ रुपये लगने हैं। वह भी इसमें कहीं दर्शाई नहीं गई है। इसी तरह से फुलेरा और दूसरी लाइनें हैं। श्रीगंगानगर बोर्डर इलाका है, उसकी लाइनें हैं। लूणी, बाड़मेर, मुनानाबाद, वीरंगाव, सम्मली, जोधपुर, में गेज कंवर्शन का मामला है। लूणी–मरवाड़ की लाइनें हैं। उन सबमें जहां पर 183 करोड़ रुपये लगने हैं, आपने उसके बदले कहीं 10 लाख रुपये दिए हैं, तो कहीं 15 लाख रुपये दिए हैं और कहीं 20 लाख रुपये दिए हैं। मैं नहीं समझता इस तरह से सदी में यह काम पूरा हो जाएगा।

उदयपुर का सांस्कृतिक महत्त्व भी है और धार्मिक महत्त्व भी है। इसके साथ–साथ आज की तारीख में मकराना के बाद वहां मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है। वहां के पांच जिले जिनमें डूंगरपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजसुमंद, भीलवाड़ा, मकराना, किशनगढ़, कुछ अलवर का हिस्सा और जयपुर में मार्बल का काम होता है। लेकिन माल ढुलाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से सामान नहीं ला सकते। ब्राडगेज से आओ और छोटी लाइन से जाओ। इससे कैसे काम चलेगा ?

एक आपकी पैलेस ऑन व्हिल चलती है। सड़कों पर राजमहल चल रहा है। बहुत बढ़िया ट्रेन है। 20–22 हजार रुपये प्रति व्यक्ति रोज का किराया देकर उसमें सफर करता है। लोग उदयपुर आने के लिए तरसते हैं, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। उसमें बैठकर पहले चित्तौड़ उल्टा जाओ, फिर वहां से बस पकड़कर उदयपुर देखने के लिए आओ। यह हालत उस गाड़ी की हो रही है। मांवली से बड़ी सांदड़ी लाइन जाती है। उस पर जो गाड़ी चलती है उसकी यह हालत है कि यदि मैं दौड़कर उसे पकड़ना चाहूं तो पकड़ सकता हूं और फिर उतरकर फिर चढ़ सकता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी भावना की कद्र करते हुए इसे आप नीमच तक बढ़ा दें। यदि 45 किलोमीटर तक इसको मिला दिया जाएगा तो नीमच तक पूरा आवागमन का साधन हो जाएगा। आप छोटी लाइन को इकोनॉमिकली वायबल नहीं मानते हैं, तो यह वायबल भी हो जाएगी। इसके साथ–साथ बड़ी सांदड़ी को धूरियावद होकर बांसवाड़ा से मिला दीजिए। बांसवाड़ा का आदिवासी इलाका है। राजस्थान की कुल चार करोड़ बहत्तर लाख की आजादी में से पैंसठ लाख आबादी आदिवासियों की है, जो कुल साढ़े बारह प्रतिशत है। उस आदिवासी इलाके में रेल के कहीं दर्शन नहीं होते, न डूंगरपुर में होते हैं, न बांसवाड़ा में, न पिंडवाड़ा में होते हैं, न उदयपुर के आदिवासी इलाकों में होते हैं और न ही प्रतापगढ़ के इलाके में होते हैं। इसका भी सर्वे कराया जाए। जो आदिवासी इलाका अछूता रह गया है रेल देखने से, छोटी रेल लाइन तक से जो महरूम रह गया है, उसको प्राथमिकता देकर काम कराया जाए।

जयपुर में जो नार्थ–वैस्टर्न जोन का आफिस बनना था, उसके लिए कुल 95 लाख रुपये दिए गए हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इससे एक बगार भी नहीं लगेगा। अगर कोई बगार लगाना चाहे तो भी जीरा पूरा चाहिए, जिससे सुगंध आए और खाना भी अच्छा लगे। 16–18 करोड़ रुपये के बदले आपने करीब एक करोड़ रुपये दिए हैं, इससे दफ्तर का काम होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में भी थोड़ा सा देखें।

मेरे कहने का मतलब है कि राजस्थान में कुल मिलाकर जितनी लाइनें हैं, उनका 21.12 प्रतिशत मात्र ही ब्राडगेज है। एक–चौथाई भी राजस्थान में ब्राडगेज नहीं है। राजस्थान सारे का सारा बार्डर का इलाका है और यह क्षेत्र ब्राडगेज से छूटा हुआ है। राजस्थान के उदयपुर की स्थिति को देखते हुए, वहां के आवागमन की स्थिति को देखते हुए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। जब देश में अनरैस्ट हुआ,

काश्मीर में दंगे हुए, तो सारे के सारे पर्यटक दिल्ली देखने के लिए नहीं आते–दिल्ली में तो संसद सदस्यों के दर्शन तो फोटो के माध्यम से कर लेते हैं–वे उदयपुर देखने के लिए जाते हैं। लेकिन उनको रेल की सुविधायें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही है। उस क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद मुझे पता लगा कि रेल मंडल के कोई अधिकारी वहां गए–अखबारों में यह खबर छपी है और कहा कि उदयपुर का ब्राडगेज काम बन्द किया जा रहा है। फिर बाद में खबर आई कि आपने थोड़ा पैसा दिया है। मुझे आशा है कि आप और पैसा देंगे और अपने उत्तर में इसका जिक्र करेंगे। कुछ न कुछ उदयपुर की स्थिति को देखते हुए, पैसा और देना चाहिए। यह क्षेत्र सारे का सारा रेगिस्तानी है। राजस्थान की तीन लाख स्क्वेयर किलोमीटर की जमीन है और इसमें से डेढ़ लाख स्क्वैयर किलोमीटर रेगिस्तान है। आपने आगरा फोर्ट–बांदीकुई लाइन के लिए पैसा कम दिया है। फुलेरा–मारवाड़ा–अहमदाबाद के लिए भी पैसा कम दिया है। लूनी–बाडमेर–मूनाबाव के लिए कुछ नहीं दिया है। श्रीगंगापुर–करूपसर और लूनी–मारवाड़, जोधपुर, अलवर, मथुरा रेल लाइनों के लिए भी पैसा नहीं दिया है।

श्री नीतीश कुमार : आपने बजट पढ़ा है। आप कह रहे हैं कि नहीं दिया है और यह भाषण आप अपने क्षेत्र में बांटिएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं दिया, तो 38 करोड़ रुपया कितने प्रोजैक्ट्स के लिए दिया है। 38 करोड़ रुपया एक साल के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। इसको आपको जानना चाहिए। आप कहे चले जा रहे हैं कि नहीं दिया है। आप धन्यवाद दीजिए, जो आपको दिया है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : धन्यवाद तो सबसे पहले दिया है और आपको देंगे। मुझे आशा है, आप काम भी करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि दसवां हिस्सा तो दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : जहां दिया है, उसके बारे में बोलिए।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं कह रहा हूं कि 700 करोड़ के बदले में 600 करोड़ रुपया कम दिया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है...

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री शान्तिलाल चपलोत : महोदय, मंत्री जी ने लुनी–मारवाड़ के लिए 240 करोड़ रुपये के मुकाबले थोड़ा कम पैसा दिया है।

सभापति महोदय : आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मेरे कहने का मतलब है, आप वहां के लोगों के दुख को समझ सकते हैं। राजस्थान में ब्राडगेज नहीं है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हित को देखते हुए, वहां के विकास की ओर आप ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. सिदराजू (चामराजनगर) : महोदय, रेल बजट पर मुझे चर्चा में भाग लेने अवसर दिये जाने के लिए धन्यवाद। वर्तमान रेल बजट गरीब और मध्यमवर्ग के लोगों को पूरी तरह प्रभावित करता है। यह रेल बजट धनवान लोगों के लिए है। इस रेल बजट में छात्र समुदाय की पूर्णतः उपेक्षा की गई है।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, रेल मंत्रालय में कर्नाटक से संबंधित सभी रेल परियोजनाओं की पूरी तरह उपेक्षा की है। पिछली सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए दो नई रेल परियोजनाएं स्वीकृत की थीं। पहली परियोजना मैसूर से चाम राजनगर तक मेटुपलायम को जोड़ते हुए आमान परिवर्तन के कार्य से संबंधित थी जो लगभग 220 किमी. है। यह परियोजना पिछले वर्ष के रेल बजट में थी। इस बार हमारे रेलमंत्री जी ने इस परियोजना की उपेक्षा की है। उन्होंने इस परियोजना के लिए धनराशि नहीं दी है।

दूसरी परियोजना बंगलौर से सत्यमंगला तक एक नई लाइन बरास्ता कनकपुरा, वन्नूर और चामराजनगर से संबंधित है जो लगभग 210 किमी. है।

जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक में रेल परियोजनाओं की तत्कालीन रेल मंत्री श्री केंगाल हनुमन्तैया के समय से ही पूर्ण उपेक्षा की गई है। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, यह राज्य का दक्षिणी छोर है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र केरल और तमिलनाडु दोनों से जुड़ा है। ये दोनों परियोजनाएं कर्नाटक को तमिलनाडु से जोड़ती है। यहां पर लगभग सभी लोग पिछड़े और गरीब हैं। अधिकांश लोग किसान हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि प्रदान की जाए। मुझे इस संबंध में पिछली सरकार को नहीं भूलना चाहिए। ये दोनों परियोजनाएं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एच. डी. देवगौडा और राम विलास पासवान के कारण स्वीकृत हुई थीं। ये परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। कृपया इस मामले को देखें और यह कार्य आरम्भ करें।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो कि मेरे सम्मानित मित्र हैं, भारतीय रेल द्वारा कठिनाइयों का सामना किए जाने के बावजूद बहुत संतुलित बजट प्रस्तुत किए जाने के लिए धन्यवाद देने हेतु खड़ा हुआ हूं।

भारतीय रेल का एक विशाल नेटवर्क है जो कि एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे प्रतिदिन 11000 रेलगाड़ियों का संचालन करता है जिसमें से 7500 यात्री गाड़ियां होती हैं। रेलवे में 16 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह पूरे देश का सबसे बड़ा प्रबन्धन है जिसमें भारी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रवर्तक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय रेल विखंडित बाजारों

[श्री वी. धनंजय कुमार]

को एकीकृत करके, औद्योगिक और कृषि उत्पादन केन्द्रों को सुदूर स्थित बाजारों और कच्चे माल के संसाधन केन्द्रों से जोड़कर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया है, तथा सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यह पूरे देश में कम किराये पर बड़ी संख्या में यात्रियों का बड़े पैमाने पर और तीव्र संचालन करता है।

माननीय रेल मंत्री जी ने इस पृष्ठाधार जानकारी के साथ प्रस्तुत किए गए स्थिति पत्र के माध्यम से संसद और राष्ट्र के समक्ष कतिपय प्रश्न रखे हैं। उन्होंने यह स्थिति पत्र प्रस्तुत करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है जिसमें सांसदों और देश के नागरिकों के लिए पर्याप्त जानकारी दी गई है। वस्तुतः हमारे विकासशील राष्ट्र के लिए जिसमें समाज के 35% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। माननीय रेल मंखी द्वारा रखे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना एक दुस्कर कार्य है। साथ ही इन समस्याओं का हल ढूढ़ना भी एक कठिन कार्य है।

महोदय, इसी के साथ मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी इस बारे में कोई प्रतिकूल बात महसूस नहीं करेंगे, जब मैंने कर्नाटक की पूर्ण उपेक्षा किए जाने के बारे में उल्लेख किया जैसा कि मेरे सम्मानित मित्र श्री राजू ने चल रहे कार्यों के लिए धन के आबंटन के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कहा था। यह सत्य है कि रेलवे को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु महोदय, कम से कम चल रहे कार्यों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मंगलौर और हासन के बीच आमान परिवर्तन का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। यह एक महत्त्वपूर्ण रेल लाइन है जो कि पूरे राज्य के एक मात्र प्रमुख बन्दरगाह को राज्य की राजधानी से तथा राज्य के अन्य तट दूर क्षेत्रों से जोड़ती है।

महोदय, मंगलौर-हासन–आरासिकेर के बीच आमान परिवर्तन की कुल अनुमानित लागत लगभग 190 करोड़ रुपये थी। गत 2–3 वर्षों में, रेलवे ने अभी तक लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च किये है। निःसंदेह इस बार रेल मंत्रीजी ने आमान परिवर्तन कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हम सब आशा कर रहे थे कि वे इस वित्तीय वर्ष अर्थात् 1998–99 के अन्त तक शेष धनराशि जो कि लगभग 80 करोड़ रुपये है, देकर काम पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में घोषणा करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद, कार्य सुचारु रूप से चल सकता है और उनके आदेशानुसार पूर्ण हो सकता है। वे उपलब्ध संसाधनों से धन की व्यवस्था कर सकते थे। इसके अतिरिक्त मैं सुझाव दूंगा कि मंगलौर और सुब्रमण्य रोड के बीच अर्थात् 60 किमी. की लम्बाई तक आमान परिवर्तन का कार्य पहले आरम्भ होना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र में कार्य आरंभ हो सके।

महोदय, मैंने उल्लेख किया है कि कर्नाटक की पूर्ण उपेक्षा हुई है। इसके कारण हैं...(व्यवधान) माननीय रेल मंत्री जी मुझे यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले वर्ष खर्च किए गए धन की तुलना में इस बार यह बहुत अधिक है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। परन्तु मैं यह कहकर उनकी खुशामद करने का प्रयास कर रहा हूं कि वे कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हो जायें जिससे कि उपलब्ध संसाधनों में ही धन का पुनर्समायोजन किया जा सके।

अब मैं शिमोगा और तालगुप्पा के बीच एक अन्य महत्त्वपूर्ण लाइन पर आता हूं। इस वर्ष रेल बजट में इस बारे में एक ही पैसा नहीं दिया गया है।

इसी प्रकार, कोंकण रेलवे आरम्भ होने से हुबली और अकोला के बीच पूर्व घोषित रेलवे लाइन बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई है। यह पूरे तटदूर क्षेत्र को कोंकण रेलवे से जोड़ेगा। यहां भी पर्याप्त मात्रा में धन दिया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच. डी. देवगौड़ा ने हसन और बंगलूर बरास्ता श्रवणबेलगोला, के बीच एक नई रेलवे लाइन के बारे में घोषणा की थी; जस पर कार्य अभी चल रहा है। इसलिए, इस कार्य हेतु भी धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

अब मैं, सबसे पुरानी लाइनों में शोरनूर–मंगलूर रेल लाइन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। प्रश्नकाल के दौरान अन्य दिनों की भांति ही इस पर चर्चा हुई। यह रेल लाइन बहुत पुरानी हो गई है इसकी पटरियों के नवीकरण की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, लाइनों के दोहरीकरण का कार्य भी चल रहा है लेकिन इसकी गति अत्यन्त धीमी है। इस कार्य में तेजी लाई जाये ताकि चम्बई से दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों शीघ्र पहुंच जाये।

कोंकण रेल लाइन के शुभारम्भ होने के कारण मंगलूर स्टेशन का महत्त्व बढ़ गया है। इसलिए, मंगलूर में मुख्यालय स्थापित किया जाना आवश्यक है। पूरे क्षेत्र का मुख्यालय पालघाट में है। यह बहुत दूर है। दक्षिण–पश्चिम जोन के गठन के साथ हमारा यह भी अनुरोध है कि बंगलूर स्थित मुख्यालय को हुबली में स्थानान्तरित किया जाय। इस संदर्भ में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सहयोगी भी इस प्रकार का अनुरोध करेंगे। हम सभी इसका समर्थन करते हैं। मैं नहीं जानता कि पिछली सरकार ने किन कारणों से मुख्यालय बंगलूर में स्थापित करने का निर्णय लिया। महोदय, बंगलूर में पहले से ही अधिक भीड़भाड़ है यह और अधिक बोझ उठाने में असमर्थ है। वास्तव में, मुख्यालय हुबली में स्थापित किया जाना चाहिए। मंगलूर को पालघाट मंडल से पृथक बनाया जाना चाहिए मंगलूर में मंडलीय मुख्यालय स्थापित करके दक्षिण–पश्चिम के साथ इसे मिला देना चाहिए। महोदय, माननीय रेल मंत्री निजी तौर पर इस बात से सहमत हैं कि यह उचित मांग है और इस पर विचार किया जाना चाहिए लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि वह सदन में इस संबंध में कोई घोषणा करेंगे या नहीं। फिर भी, मेरी विनम्र अपील है कि प्राथमिकता के आधार पर इस पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके साथ, मैं भारतीय रेल के समक्ष विद्यमान कठिनाइयों के होते हुए संतुलित रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए अपने परम मित्र, माननीय रेल मंत्री द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं सभा में बैठे सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बजट में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु माननीय रेल मंत्री को अपना पूरा समर्थन दें। जिन चालू कार्यों हेतु उन्होंने प्रयास किये हैं उनको पूरा समर्थन दिये जाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। रेल एक प्रमुख आधारभूत ढांचा है जो कि देश के सम्पूर्ण परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेलवे को दोहरी भूमिका निभानी है एक तरफ इसको वाणिज्यिक प्रयोजनों और दूसरी ओर सामाजिक और विकासात्मक उत्तरदायित्व को निभाना है।

महोदय, इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलन को काफी कम किया जाना चाहिए। लेकिन रेल बजट में इसका उल्लेख नहीं है। रेल बजट और स्थिति पत्र से स्पष्ट होता है कि नई लाइनों, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रख–रखाव और रोलिंग स्टाक आदि के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

मैं यह अवश्य कहूंगी कि वर्तमान रेल बजट पिछले बजट की तुलना में अच्छा नहीं है। नौवीं योजना में रेल में निवेश हेतु 'उत्साह और निदेश' बढ़ाने की बात कही गयी है। रेलवे को भारी बजटीय समर्थन और नये आधारभूत ढांचे में सीधे सरकारी निवेश की आवश्यकता है। मैं जानती हूं कि रेलवे अपने सीमित संसाधनों के द्वारा पूर्णरूप से अपने लक्ष्यों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। यह दुखदायी स्थिति है। मेरा सरकार और माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि सभी पहलुओं पर विचार करें तथा इसके प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनायें।

वास्तव में, माननीय मंत्री ने संसाधन बढ़ाने के लिए रेल किराये में बढ़ोत्तरी की है जिससे आम जनता सहित सभी लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने मालभाड़ा दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की है। जो बात देखने में आ रही है उसको मैं अवश्य कहूंगी कि माल–यातायात ढुलाई में रेलवे की भागीदारी वर्षों से कम होती जा रही है। यह ऐसा मामला नहीं है कि माल–यातायात ढुलाई का बाजार में मूल्य कम हो गया है। परन्तु माल–यातायात ढुलाई की क्षमता सीमित होने के कारण बेहतर प्रबन्धन पद्धति की आवश्यकता है।

रेल संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन से पता चलता है कि माल यातायात से कुल 21,686 करोड़ रुपये अर्जित किये गये। कुल 308,180 मिलियन टन कि.मी. से राजस्व मिलने की आशा की जाती है। इससे औसत मालभाड़ा दर 70.37 पैसे प्रति टन कि.मी. होगी। संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1997–98 में कुल 288,095 मिलियन टन माल की ढुलाई की गयी। इस माल–यातायात से 19,885.94 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। इसका औसत 69.03 पैसे प्रति टन कि. मी. है।

माननीय रेल मंत्री, को पिछले वर्ष की तुलना में 1.9 प्रतिशत अथवा लगभग दो प्रतिशत माल भाड़ा राजस्व प्राप्त होने की आशा है। लेकिन माननीय मंत्री ने अपने विभिन्न वक्तव्यों में मालभाड़ा शुल्क में किसी भी वृद्धि से इंकार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यातायात मालभाड़ा उस स्तर तक हो, जिससे अर्थव्यवस्था पर भार न बढ़े। मंत्री महोदय के परस्पर विरोधी वक्तव्य से औसत मालभाड़ा शुल्क में आगे वृद्धि सहित अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी।

स्थिति–पत्र में बताया गया है कि यात्री यातायात अर्थात् मालभाड़ा यातायात संबंधी चल रही रेलगाड़ियों की संख्या का अनुपात 60:40 है। राजस्व योगदान कितना है ? राजस्व प्राप्ति का योगदान 28:72 है। इस स्थिति पत्र से परस्पर सहायता संबंधी व्यय परिलक्षित होता है।

सायं 7.34 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

वर्ष 1997–98 में 2,800 करोड़ रुपये व्यय हुए थे। यह तर्क दिया गया कि निचले दर्जे के यात्री किराये को पूरा करने के लिए मालभाड़ा दरों में वृद्धि की गयी।

इसलिए परस्पर सहायता को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम परस्पर सहायता समाप्त कर दें तो यात्री किराये में 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जायेगी जो कि असम्भव और अत्यधिक अवांछनीय है। इसलिए परस्पर सहायता में रेलवे की बची हुई धनराशि भी शामिल हो जाती है अन्यथा उसका कहीं और निवेश हो जाता है। यह मूल्यांकन करने में कि मालभाड़ा दरें अधिक हैं रेलवे बजट में लंबी दूरी से लाये जाने वाले कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात पर एक से दो प्रतिशत तक की शुल्क में कमी की गयी है। रेलवे बजट में अतिरिक्त यातायात के विशेष ऑफर पर छूट दी गई है। रेलवे को प्रधान क्षेत्रों में अधिक यातायात बढ़ने की आशा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या माल भाड़ा अपने आप में एक निवारक उपाय है अथवा रेल यातायात की धीमी गति इसके लिए उत्तरदायी है ? माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना है।

अब मैं अपने राज्य उड़ीसा के बारे में कहूंगी। मैंने पहले ही क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में कहा है। बुनियादी सेवाओं के संबंध में उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है। सबसे पहले मैं नवापाड़ा–गुनपुर छोटी–लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में कहना चाहूंगी। राज्य के उस क्षेत्र के लोग एक लम्बे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं और इस पर तत्काल काम किया जाना चाहिए। मुझे यह जानकर बहुत निराशा हुई कि इस कार्य हेतु

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है यद्यपि केन्द्र सरकार ने कहा था कि वह इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है। कल जब सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य इसके बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसके लिए 1000 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैंने उन्हें रोका और पूछा "क्या उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के लिए यह आबंटन है ? इस प्रकार के वित्त पोषण से आप क्या कर सकते हैं। राज्य के उस भाग के लोग बहुत अधिक निराश हैं। इसलिए सरकार से और माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि राज्य के पिछड़ेपन पर विचार करें। रुपया–बांगरीपोसी लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में भी विचार करें। हम एक लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं। इस बार भी इस मामले को नहीं लिया गया है।

आगे, मैं तलचर–सम्बलपुर रेल संपर्क परियोजना के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। रेलों की संपर्क परियोजना अधिकांशतः पूरी [illegible] किन्तु कुछ अवशिष्ट कार्य अभी शीघ्रतापूर्वक करने हेतु 14 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई [illegible] और इसे पूरा करने हेतु 16 करोड़ रुपयों की और आवश्यकता होगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाये ताकि माननीय मंत्री ने जिन रेलगाड़ियों के बारे में आश्वासन दिया है उन्हें आरम्भ किया जा सके।

मेरा एक अन्य अनुरोध है कि हीराकुड एक्सप्रेस, जो सम्बलपुर से आरम्भ होती है, को भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक प्रतिदिन कर दिया जाए। अब मैं दैइतरी–बंसपाड़ी बी॰ जी॰ रेल संपर्क के बारे में कहना चाहूंगी। वर्ष 1992–93 में इस कार्य हेतु मात्र 49 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई। उद्योगों के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्त्वपूर्ण लाइन है। रेलवे तीन वर्षों की अवधि में यह काम कैसे पूरा करेगी ? यदि यह कार्य पूरा नहीं होगा तो स्टील प्लांट का कार्य संकटपूर्ण होगा और परिणामतः राज्य का उत्पादन प्रभावित होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सभी महत्त्वपूर्ण लाइनों का कार्य तत्काल आरम्भ किया जाय और अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जाय।

लांजीगढ़ रेल संपर्क हेतु, 80 प्रतिशत भूमि रेलवे को दी जा चुकी है। लेकिन धनराशि के कम आबंटन के कारण वे शेष भूमि का अधिग्रहण करने में असमर्थ हैं। हमें उस परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है लेकिन अभी तक 1.47 करोड़ रुपये मात्र स्वीकृत किए गए हैं और कार्य में कोई प्रगति नहीं है।

खुर्दा रोड–बोलांगीर नई बड़ी लाइन संपर्क की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन 2 करोड़ रुपये मात्र स्वीकृत किये गये हैं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने मात्र 4 करोड़ रुपये की मांग की है। अब तक हमें 5.49 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और पिछले वर्ष हमें 2.49 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। लेकिन इस वर्ष उससे भी कम धनराशि प्राप्त हुई है। यह कैसे संभव हुआ। वास्तव में आबंटन अधिक होना चाहिए था लेकिन माननीय सदस्य मात्र 4 करोड़ रुपयों की मांग कर संतुष्ट थे। मैं इस प्रकार के आबंटन से बहुत असंतुष्ट हूं।

यही हाल हरिदासपुर–पारादीप नई बड़ी लाइन रेल संपर्क का है। अंगुल–सुकिंदा रोड रेल संपर्क आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा और इसे तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए। लाभ दर 29.83 प्रतिशत प्राप्त होने की आशा है। क्या कोई इस बात पर विश्वास कर सकता है कि जब 245 करोड़ रुपये की आवश्यकता है तब केवल 2 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : क्या आप जानना चाहेंगे कि इस वर्ष उड़ीसा के लिए कुल कितना परिव्यय रखा गया है ?

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मुझे मालूम नहीं है कि आपने निर्माणाधीन कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशि दी है। मैं इस बात से निराश हूं कि आपने उड़ीसा की पूर्णतया उपेक्षा की है।

श्री नीतीश कुमार : अनुमानित निधि 2000 करोड़ रुपये में से इस वर्ष उड़ीसा के लिए कुल परिव्यय 226.58 करोड़ रुपये का है आपको लगभग 226 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। कृपया इसे न भूलें।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : लेकिन पिछला बकाया अधिक है। माननीय मंत्री को समझना चाहिए कि पिछली धनराशि बकाया है।

श्री नीतीश कुमार : प्रतिशतता–वार, उड़ीसा को अधिकतम मिला है।

श्री शीश राम ओला (झुंझुन) : कृपया उनकी बातों में व्यवधान न डालें।

श्री नीतीश कुमार : मैं उनकी बातों में व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। मैं केवल यह बता रहा हूं कि वास्तविकता क्या है ?

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मंत्री महोदय को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। पिछली बकाया धनराशि के कारण मैं आपसे अनुरोध करती हूं।

श्री नीतीश कुमार : आप दस्तावेज देख सकती हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं यह जानती हूं। मैंने संबंधित आंकड़ों का उल्लेख किया है और आपसे कुछ नहीं छिपा रही हूं।

पूर्वी तट रेलवे एक नव सृजित जोन है जो दक्षिण पूर्व रेलवे में से बनाया गया है। नये जोन का उद्घाटन वर्ष 1996 में किया गया था। वाल्टेयर, खुर्दा रोड और सम्बलपुर नामक तीन प्रभागों को मिलाकर पूर्व तटीय रेलवे का मठन करना है, इनका नवगठित जोन द्वारा अधिग्रहण किया जाना है जिसके लिए तत्काल सरकारी अधिसूचना जारी की जानी आवश्यक है। यह अब तक

नहीं किया गया है। कृपया इस ओर भी ध्यान दें। इस कार्य हेतु, मात्र 4 करोड़ रुपये दिये गये हैं जो कि अत्यंत निराशाजनक है।

नई रेलगाड़ियों के बारे में, मैं कहना चाहूंगी कि कोरापुट–रायगाडा नया रेल संपर्क आरम्भ होने के पश्चात् तत्कालीन रेल मंत्री ने भुवनेश्वर से कोरापुट तक चलने वाली एक नई एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में घोषणा की थी। यह लम्बी दूरी तक का मार्ग है और इसके बीच में संचार संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए 'साबरी एक्सप्रेस' नामक एक नई रेलगाड़ी आरम्भ की जानी चाहिए। इसे पहले ही आरम्भ किया जाना चाहिए था।

तत्कालीन मंत्री ने भुवनेश्वर से हावड़ा तक एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया था। यह काम तत्काल किया जाना चाहिए। भुवनेश्वर और हावड़ा के बीच इन्टरसिटी एक्सप्रेस, जो प्रातःकाल भुवनेश्वर से प्रस्थान करे, चलाने की हमारी मांग अभी तक रेलवे के पास लंबित पड़ी है।

भुवनेश्वर और विशाखापटनम के बीच इन्टरसिटी एक्सप्रेस, जो रात में भुवनेश्वर से प्रस्थान करे, चलाने की हमारी मांग अभी तक रेलवे के पास लंबित पड़ी है।

मैं उड़ीसा के दक्षिण भाग से संबंधित हूं और सांस्कृतिक तथा व्यवसाय की दृष्टि से बेरहामपुर भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि खुर्दा, बेरहामपुर, विजयनगरम, रायगड़, रायपुर और नागपुर बरास्ते दिल्ली तक एक नयी रेलगाड़ी आरम्भ की जाय। और बेरहामपुर–दक्षिण उड़ीसा का एक महत्त्वपूर्ण शहर होने के कारण ही इस रेलगाड़ी को चलाने का सुझाव दिया गया है और नई दिल्ली का इससे संपर्क होगा। हम राजधानी एक्सप्रेस की सप्ताह में और अधिक चलाये जाने की मांग कर रहे हैं जो कि वर्तमान समय में सप्ताह में दो बार चलती है। यह कम से कम सप्ताह में चार दिन चले। ऐसा लगता है कि रेलवे इस संबंध में कुछ नहीं सोचता है अथवा उन्हें ज्ञात नहीं है कि पिछड़ापन क्या होता है ? उड़ीसा जैसे राज्य में पर्वतीय पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों हेतु एक विशेष उप–योजना की मांग काफी समय से की जा रही है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह योजना आयोग के साथ इस संबंध में विचार–विमर्श करें कि बुनयादी सुविधाओं रहित पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक विशेष उप–योजना बनाई जाए।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को व्यावहारिक और संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत करने के पूर्व एक स्थिति पत्र भी सदन में प्रस्तुत किया। स्थिति पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया गया, उससे मैं समझता हूं कि रेलवे की जो वर्तमान स्थिति है, जो वह आगे करना चाहते हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, उनसे बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है। कुछ ऐसे प्रश्नों को भी उद्धृत किया गया है जो जनता के मन का कचोटें, रेलों की स्थिति को समझें और उनका उत्तर स्वयं में खोजें। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

> "भारतीय रेल जो राष्ट्र की जीवन रेखा है, एक परीक्षा की घड़ी से गुजर रही है। सामान्य राजकोष से घटती हुई पूंजी सहायता, कम उपलब्ध होती जा रही बाजार ऋण, अतिरिक्त रेल सेवाओं में वृद्धि और उनमें सुधार तथा नई रेलवे लाइनों और आमान परिवर्तन की उपेक्षाओं के संदर्भ में रेलों को एक वाणिज्यिक और इसके साथ–साथ सामाजिक दायित्व।"

इसमें जो दूसरा शब्द प्रयुक्त किया गया है वह है सामाजिक दायित्व। मैं ऐसा मानता हूं कि इस रेल बजट में सामाजिक दायित्व की पहले चिन्ता की गई, वाणिज्यिक दायित्व की बाद में चिन्ता की गई है और इसलिए मैं एक बार पुनः उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने पिछले अनेक वर्षों के रेल बजट देखे हैं, सन् 1971 से लेकर अब तक, यदि इन सब रेल बजटों की तुलना की जाये तो इस बार के रेल बजट कम से कम भार जनता पर पड़े और अधिक से अधिक जन सुविधायें प्राप्त हों, इस बात की चिन्ता प्रकट की गई है चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो, पूर्व का क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो या मध्य क्षेत्र हो, विभिन्न रेलों की पंक्तियों में जो व्यवस्थायें की गयी हैं और जिस प्रकार से असंतुलन को समाप्त करने के लिए एक प्रयास किया गया है, मैं समझता हूं कि उससे हमारा क्षेत्रीय असंतुलन बहुत कुछ समाप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों को इसमें आपत्ति हो और वह मानें कि क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त नहीं होगा। उन्हें कुछ शिकायत भी हो सकती है। बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, मैं भी कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश भी पिछड़ा राज्य है और वहां भी 33 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है। उसकी भी उपेक्षा हुई है और भी अनेक स्थानों पर पिछड़ापन है। कुछ भाग उत्तर प्रदेश के भी पिछड़े हैं। उड़ीसा के अंदर भी यह पिछड़ापन आंका जा सकता है। इसलिए पिछड़ा कौन है, कहां पर विकास हुआ है या नहीं हुआ, इन बातों को छोड़कर इस समय रेलों की स्थिति या रेलों के कार्य की दृष्टि से पद्धति अपनाई गयी है, मैं समझता हूं कि वह काफी उपयोगी पद्धति है। उस दृष्टि से जो कुछ नई रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में, आमान परिवर्तन के बारे में, इलैक्ट्रीफिकेशन के बारे में या दोहरी लाइनों के बारे में जो संकल्प लिया गया है, उन संकल्पों के प्रति भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभी जानते हैं कि रेल ऐसा उपक्रम है जो इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार या तो कृषि उपलब्ध कराती है या फिर रेल। इसलिए इसका दायित्व भी उसी रूप में बढ़ता है। हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। यह बात सही है और कई बार यहां, संसद में, इस बात की चर्चा होती है कि रेलों में दुर्घटनायें हो रही हैं। लेकिन

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

दो दिन पहले एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय रेल मंत्री जी ने इस बात को प्रकट किया कि पूर्वापेक्षा रेलों की दुर्घटनायें कम हुई हैं अथवा अधिक हुई हैं, यदि उन आंकड़ों की तुलना की जाये तो निश्चित रूप से उसके लिए सुधार हुआ है। रेलों की गति बढ़ी है और इसके साथ–साथ रेलों की संख्या भी बढ़ी है। नई रेलें चली हैं, इस दृष्टि से, संरक्षा की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से रेलों की स्थिति में काफी सुधार आया है। नई गाड़ियां चली हैं। उपनगरीय रेलें हैं–मैट्रो रेल हैं। रेलों की रफ्तार बढ़ी है, परिवर्तन तो हुआ है पर अभी और गुंजाइश है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या उसका बढ़ता हुआ दबाव और उसमें बढ़ता हुआ यातायात। आज सब अपेक्षा करते हैं कि हम सुरक्षित चलें। यदि वैसा साधन ढूंढ़ने के चारों तरफ से सबकी नजर जाती है कि यदि हम रेलों में सफर करते हुए ही सुरक्षित हैं। अब तो रेलों की गति बढ़ने के साथ–साथ लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि शायद रेल का सफर ज्यादा सुरक्षित है, तेजी का है, ज्यादा अच्छा है। रेल के महत्त्व को मानते हुए उसमें जो व्यावहारिक कदम उठाए जा रहे हैं, उनके प्रति निश्चित ही हमें उस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित ही कुछ कमियां हो सकती हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। माननीय रेल मंत्री महोदय ने अपने बजट में उस बात का संकेत भी दिया है कि हम कमियों को दूर करेंगे। यह बात ठीक है कि जहां नई रेलगाड़ियां चलाने की बात होती है, यात्री गाड़ियां चलाने की बात होती है, उसकी मांग काफी है यात्रियों की सुविधा व अधिक यात्री सफर कर सकें, इस दृष्टि से जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा था कि जहां 17 या 18 कोचेज लगते हैं, उनके स्थान पर हम 23 या 24 कोचेज लगाएंगे लेकिन यात्रियों को ले जाएंगे। इसलिए हमारी कोचेज फैक्ट्रीज में कोच बनाने की गति को थोड़ा तीव्र करना पड़ेगा। वहां पर उसकी क्षमता है लेकिन हमने अब तक उसका पूरी तरह से दोहन नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कई जगह ऐसी कोच फैक्ट्रीज देखी हैं। जहां पूरी क्षमता से काम नहीं हो रहा है। वे कहते हैं कि हमारे पास काम हो तो हम करने के लिए तैयार हैं, हमारी क्षमता है, हमें काम चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि क्षमता का उपयोग कीजिए। जो कोचेज की संख्या बढ़ाने की बात है, जिसमें यात्रियों को सुविधापूर्वक ले जाया जा सके वह भी संभव होगा, इस संख्या के अनुपात में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यद्यपि मैं जानता हूं कि सीमित साधन हैं लेकिन जब कोचेज बढ़ेंगे तो जहां–जहां रेलवे स्टेशन हैं, उस प्लेटफार्म की लम्बाई भी बढ़ानी होगी। यदि लम्बाई नहीं बढ़ती है, मुझे अच्छी तरह से याद है, पहले जब कोच संख्या बढ़ाई गई थी, 12 से 18 की गई थी लेकिन लम्बाई नहीं बढ़ाई गई थी तो लोग नीचे गिर जाते थे और उनको बहुत तकलीफ होती थी या जब चाय वाले को पुकारते थे तो वह दौडकर आ नहीं पाता था। इसके साथ–साथ इसका भी ध्यान रखना चाहिए और यात्री सुविधाओं की दृष्टि से भी हमें विचार करने की आवश्यकता होगी। पश्चिम रेलवे में रतलाम बड़ा स्टेशन है, वहां भी सुविधाओं की कमी है।

एक और बात रेल मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के दौरान कही थी कि हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माल रेलों द्वारा लाया जाए। आजकल स्थिति यह हो गई है कि ट्रकों द्वारा ज्यादा से ज्यादा माल लाया जा रहा है। मंत्री महोदय ने उसके लिए कंटेनर सर्विस की बात भी कही है। आज निश्चित रूप से कंटेनर सर्विस अच्छा काम कर रही है लेकिन उसमें भी कुछ कठिनाइयां हैं, एक साथ उतना लदान नहीं मिल पाता है। इस कारण चाहते हुए भी हम अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते। इस दृष्टि से एक बार फिर माल यातायात के बारे में प्रयत्न करना चाहिए।

रेल प्रबंधन में रेल का जो ढांचा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका ऊपरी भाग भारी है और नीचे बॉटम हल्का है अर्थात् अधिकारियों या ऊपर वाले लोगों की संख्या अधिक है औ उस अनुपात में नीचे के कर्मचारियों की संख्या नहीं है। इस अनुपात को ठीक किया जाना चाहिए ताकि काम सुव्यवस्थित चले।

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में भी मैंने 2–3 बार मामले उठाए थे। इसे पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि बढ़ते हुए कार्य की दृष्टि से उसे सुव्यवस्थित कर सकें, कार्य का निष्पादन अधिक हो सके अन्यथा कार्य का भार इतना है कि कई बार चाहते हुए भी काम नहीं हो पाता है।

अभी कुछ दिन पूर्व यहां पर कुछ नए जोन बनाने की बात आई थी। पिछली समिति में पहले चार जोन बनाने की बात आई, कमेटी में ऐप्रूव हुई और उसके बाद छः जोन बनाने की बात आई और छः जोन बने। छः जोन बनाने के समय जब यहां चर्चा हुई, माननीय रेल मंत्री महोदय को याद होगा, उस समय पासवान जी रेल मंत्री थे और तब मध्य प्रदेश में बिलासपुर को रेलवे जोन बनाने की बात भी उठाई गई थी। उसके बारे में भी काफी जोर से कहा गया था। मैं समझता हूं कि जोन बनाने के बारे में जो आवश्यकता है, जो पूर्ति होनी चाहिए, बिलासपुर स्थान भी उसकी पूर्ति करता है। निश्चित रूप से बिलासपुर जोन के बारे में विचार किया जाना चाहिए देखा जाना चाहिए। मैं रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की पांचवीं रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं :

[अनुवाद]

> "नये जोन और डिवीजन आकार, कार्यभार, ग्राह्यता, ट्रैफिक पैटर्न और अर्थव्यवस्था की जरूरतों तथा कार्यकुशलता के अनुकूल अन्य संचालनात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं।"

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि बिलासपुर जोन के बारे में या सब आवश्यकताएं, जिनका उल्लेख किया गया है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर कहा है कि उस सबकी पूर्ति होती है और इन जोन के बारे में यहां पर आश्वस्ति भी दी गई है। उस आश्वस्ति को आप पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे पास कुछ अच्छे वर्कशॉप्स भी हैं, जहां पर कोचेज भी बनते हैं, बहुत अच्छे वर्कशाप्स हैं, जहां हमारे डीजल लोकोमोटिव्ज भी बनते हैं। यह मैंने पहले कहा है कि क्षमता का उपयोग हो।

मैं एक और उद्धरण यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। यह रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की 14वीं रिपोर्ट है :

[अनुवाद]

"समिति ने यह भी पाया है कि कार्यशालाओं के रख–रखाव के अतिरिक्त रेलवे में कुछ अन्य प्रकार की कार्यशालाएं भी हैं जैसे–इलाहाबाद, झांसी आदि में सिविल इन्जीनियरिंग कार्यशालाएं, गोरखपुर, अकोला आदि में सिगनलिंग कार्यशालाएं। समिति चाहती है कि उसे इन कार्यशालाओं के सम्बन्ध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों सहित गत तीन वर्ष का पूर्ण ब्यौरा दिया जाये।"

[हिन्दी]

इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इन वर्कशाप्स के अंदर जो स्थिति है, जिस प्रकार की यहां पर कंडीशन्स हैं, उन कंडीशन्स में भी सुधार लाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

"समिति ने यह भी पाया कि कुछ कार्यशालाओं में कार्य की दशाएं कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत दयनीय और खतरनाक हैं। समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि वर्तमान दशाओं में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किये जायें।"

[हिन्दी]

मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यह कर्मचारियों के हितों से या जो हमारे वर्कमेन हैं, उनके हितों से सम्बन्धित है। अतः इसे देखें।

मैं आपका ध्यान एक और विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां पर जो कहा गया है, जो रेलवे की स्टेंडिंग कमेटी ने अपनी एक और रिकमेण्डेशन में कहा है कि हमारे यहां पर कई पद रिक्त हैं और कई स्थान रिक्त हैं। उन स्थानों की भर्ती के बारे में जो वर्तमान पद्धति अपनाई गई है, वह वर्तमान पद्धति ठीक नहीं है। यद्यपि उसके बारे में जो हमारे रिक्रूटिंग बोर्ड्स थे, उन बोर्ड्स के बारे में कुछ निर्णय लिया गया है, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी भर्ती हो और जो स्थान रिक्त हैं, उन रिक्त स्थानों की पूर्ती किया जाना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है।

मैं दो–तीन बातें अपने क्षेत्र की प्रस्तुत करते हुए अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश का जहां तक मैंने अभी आपके सामने उदाहरण रखा यह पिछड़ा राज्य है, रेल की दृष्टि से उपेक्षित रहा है। यह बात सही है कि बजट के अन्दर कुछ नई रेलवे लाइनों के बारे में तथा कुछ उन रेलवे लाइनों के बारे में, जहां पहले से काम चल रहा है। इस बजट में उल्लेख किया गया है, जैसे गुना से लेकर इटावा तक की रेलवे लाइन की बात है, उसके बारे में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक इसी प्रकार से उज्जैन से रामगंजमण्डी तक की जो सर्वे की बात कही गई है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी माननीय रेल राज्य मंत्री महोदय इंदौर पधारे थे और उन्होंने इन्दौर से खंडवा के बारे में सर्वे की भी वहां आश्वस्ति दी थी। मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि नीमच से लेकर रतलाम तक का जो रेल खण्ड है, उसका आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, कोटा और नीमच के बीच में जो रेल खण्ड है, उसका आमान परिवर्तन हो चुका है। पिछले दिनों जब यहां पर रेल बजट पर चर्चा हुई थी, जो पूर्ववर्ती रेल मंत्री महोदय थे, उन्होंने इस बारे में आश्वस्त किया था कि यह खण्ड जो नीमच से रतलाम तक का है, यह 1996–97 में बनकर तैयार हो जायेगा। 1996–97 तो बीत गया है, 1997–98 वर्ष भी बीत गया। अब आगे वाले वर्ष के अन्दर यह बन जाये, यह जरूरी है इस बार भी बजट में राशि तो प्रस्तावित की गई है, मैंने रेल राज्य मंत्री जी से और माननीय रेल मंत्री महोदय से इसके लिए निवेदन किया था कि यद्यपि इस कार्य के लिए राशि प्रस्तावित की है, स्वीकृत की है, लेकिन वह कम है। मैं चाहता हूं कि यदि एक साथ कम से कम 50 करोड़ रुपये की राशि उसके अन्दर दे दी जाये ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : कौन से खण्ड की ?

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : नीमच से रतलाम तक का खण्ड है। इससे यह काम काफी हद तक पूरा हो जायेगा। कोटा से लेकर रतलाम तक हमारी जो ब्राडगेज की लाइन पूरी हो जाती है तो हमारे जो अभी माननीय सदस्य शान्ति लाल जी यहां पर बोलकर गये हैं, आगे उसको उदयपुर या फिर चित्तौड़ से जोड़ा जा सकता है और यह पूरी एक समानान्तर रेलवे लाइन बन सकती है। कोटा से लेकर रतलाम तक की एक पैरलल रेलवे लाइन बनेगी और इससे काफी सहूलियत हो जायेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि क्योंकि इस रेल खण्ड के ऊपर लगभग 20–25 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और काम चल रहा है, पुलिया चौड़ी हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है, काम भी चल रहा है और कोई नई योजना स्वीकृत नहीं हुई है पर काम की गति धीमी है। मैं तो कह रहा हूं कि जो धनराशि दी है, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

अन्दर अगर आप और राशि देंगे तो मैं समझता हूं कि यह काम जल्दी से जल्दी हो जायेगा।

इसके साथ ही 2–3 सामान्य सुझावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सायं 8.00 बजे

वर्तमान में हमारी राजधानी भोपाल है, लेकिन रतलाम से भोपाल तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है। पहले एक ट्रेन जिसका नम्बर 111–112 था, वह चलती थी, लेकिन अब बंद कर दी गई है। मेरी मांग है कि उसे रिस्टोर किया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। नीमच से लेकर कोटा तक ब्राडगेज है ना–चित्तौड़ शटल को कोटा तक बढ़ाया जाए एवं नीमच से कोटा आगरा के लिए गाड़ी चलती है। अगर उसकी फिजिबिलिटी है उसे दिल्ली तक या हरिद्वार तक ले जाया जा सकता है, ताकि रतलाम, मंदसौर दूसरे रूट से कोटा होकर लोग हरिद्वार की यात्रा कर सकें। यह गाड़ी नीमच से आगरा तक चल रही है, इसे आप हरिद्वार या देहरादून तक बढ़ा सकते हैं। इससे आम यात्रियों को लाभ होगा। रेलवे को भारी राजस्व मिलेगा।

मैंने रेल राज्य मंत्री जी से कहा था कि मीटरगेज पर चलने वाली गाड़ियां मीनाक्षी एक्सप्रेस व चेतक एक्सप्रैस है, जब तक यह रूट ब्राडगेज में नहीं बदलता, तब तक एक शटल महू चित्तौड़ के मध्य चलाएं तथा अन्य गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ दें, जिससे लोगों को सुविधा हो सके इस रूट पर यातायात का भारी दबाव है। इसी तरह से ओवरब्रिज का भी मामला है, जावरा, नीमच, मंदसौर में इसकी जरूरत है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां रेलों के बारे में बहुत चिन्ता नहीं की गई, इस बार जरूर कुछ की गई है, इसे और करने की आवश्यकता है। मैंने इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैंने नीमच, रतलाम ब्रोडगेज रेल लाइनों के बारे में बार–बार आग्रह किया है, अगर वह पूरा हो जाता है तो उस क्षेत्र की जनता को हर्ष होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र शामगढ़ पश्चिम रेलवे का स्टेशन है। व्यापारिक मण्डी है। वहां जयपुर चेन्नई का स्टापेज दिया जाना जरूरी है। इसी तरह अगस्त क्रांति राजधानी को रतलाम में स्टापेज दिया जाए।

कई माननीय सदस्यों ने अन्य बातों जैसे दोहरीकरण के मामले, एक्सीडेंट के मामले या मुआवजा देने की बात कही है, उन्हें देखा जाए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। रेलवे प्रशासन खिलाड़ियों को निश्चितरूप से प्रोत्साहित कर रहा है उस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य कई समस्याएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी को पत्र द्वारा पृथक से अवगत कराऊंगा। रेल मंत्री जी ने जो अच्छा बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री था. चौबा सिंह :** सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं मणिपुरी में बोलूंगा। माननीय रेल मंत्री ने वर्ष 1998–99 का रेल बजट सभा में प्रस्तुत किया है और इस बजट में कुल वित्तीय आबंटन 9500 करोड़ रुपये का है। महोदय, मेरा विचार यह है कि इस बजट में धनराशि के वितरण में क्षेत्रीय असमानताएं हैं। उदाहरण के लिए–पिछड़े हुए सात पूर्वोत्तर राज्यों को, जो कि पूर्वोत्तर परिषद् (एन. ई. सी.) के अन्तर्गत हैं, 9500 करोड़ रुपये में से बहुत कम धनराशि दी गई है। शायद उनको इस राशि का 1 या 2 प्रतिशत ही मिला है।

महोदय, पूर्व सरकारों ने यह आश्वासन दिया था कि बजट का 10% आबंटन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। श्री देवगौड़ा जी और श्री गुजराल जी ने यह वायदा किया था। माननीय रेल मंत्री के इस रेल बजट को देखकर हमें बहुत निराशा हुई है। महोदय, एक या दो प्रतिशत का अर्थ है कि कुछ भी नहीं। इससे निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग नाराज होंगे।

महोदय, मणिपुर की एक बार फिर पूरी तरह उपेक्षा की गई है। 50 वर्षों में हमने देश में 9000 किमी. रेल लाइनें बिछाई हैं। जिसमें मणिपुर में एक भी लाइन नहीं है। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है।

अंग्रेजों ने 1853 में बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन आरम्भ की थी। इसका आरम्भ केवल व्यापारिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी किया गया था। महोदय, आज भारतीय रेल वाणिज्यिक उपयोगिता के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है।

माननीय रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में 12 नई यात्री गाड़ियों का प्रस्ताव किया है। ये सभी उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के लिए हैं। मेरे क्षेत्र के लिए एक भी नहीं है। महोदय, इन 12 नई गाड़ियों में से एक दीमापुर और गुवाहाटी के बीच आरम्भ की जानी चाहिए थी। यदि शताब्दी एक्सप्रेस की भांति कोई गाड़ी चलाई जाए तो यह मणिपुर और नागालैंड में रहने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है।

महोदय, मणिपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर अच्छी सड़कें नहीं हैं, रेल लाइनें नहीं हैं और बहुत कम संख्या में उड़ानें हैं। यह बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है जिसकी सीमा का हिस्सा बर्मा से मिलता है। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि हमारे लगभग 60% नवयुवक लम्बे समय तक उपेक्षा किए जाने के कारण भूमिगत हो गए हैं।

हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की अविवेकी पूर्ण नीतियों के कारण 50 वर्षों में हम अभी भी इस क्षेत्र को रेल लाइनों से नहीं जोड़ पाए हैं। महोदय, यह स्थिति पत्र क्या है ? पूर्वोत्तर

*मूलतः मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

क्षेत्रों के लिए यह शून्य है और मणिपुर के लिए तो बिल्कुल ही शून्य है। इस प्रकार के विचार से इस क्षेत्र में पृथकतावादी प्रवृत्ति और भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। महोदय मैं एक राष्ट्रवादी हूं और मैं देश के हितों में बहुत विश्वास करता हूं। यह भी एक वास्तविकता है कि मेरी पत्नी और पुत्र को आतंकवादियों ने मार दिया था।

महोदय, जिन अधिकारियों ने पिछले वर्ष का रेल बजट तैयार किया था उन्होंने दिफू और कारोंग के बीच रेल लाइन का प्रस्ताव किया था। तत्कालीन रेल मंत्री पासवान जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। अब इस वर्ष के बजट में इस लाइन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। महोदय, यह लाइन 1996–97 में प्रकाशित भारत के रेलवे मानचित्र में पहले से ही है और 1997 के रेल बजट में इस प्रस्तावित लाइन के लिए धन भी आबंटित किया गया था। वर्तमान बजट में इस लाइन की कोई खबर ही नहीं है। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है, परन्तु यह सही है।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, हमें गुवाहाटी और दीमापुर के बीच शताब्दी जैसी तीव्र रेलगाड़ियों की आवश्यकता है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह हजारों किलोमीटर दूर है। किराया बढ़ा दिया गया है, परन्तु हमें इसकी चिन्ता नहीं है। हम इस क्षेत्र में अधिक रेल सेवा चाहते हैं। दिल्ली और गुवाहाटी के बीच राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में केवल दो बार चलती है। देश के इस भाग में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए इस रेलगाड़ी की बारम्बारता सप्ताह में 6 या 7 बार कर दी जाये।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण कुल मिलाकर उत्साहवर्द्धक नहीं है। नई रेल लाइनों का प्रस्ताव किया गया है परन्तु इस क्षेत्र को कोई भी लाइन आबंटित नहीं की गई है। माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि नई परियोजनाएं माननीय सदस्यों की इच्छानुसार ही आरम्भ की गई हैं। महोदय, जब मैंने और मेरी पार्टी ने इस सरकार को समर्थन दिया था तो हमने एक ज्ञापन दिया था। उनमें से एक शर्त दिफू से कारोंग और करोंग से इम्फाल तक लाइन बिछाए जाने की भी थी। हम बी. जे. पी. सरकार से अपने राज्य के लिए कम से कम यह आशा तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम इसे समर्थन दे रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ भी नहीं किया गया है। मेरी और मेरी पार्टी के अनुरोध की उपेक्षा की गई है।

महोदय, लोकसभा में हमारे क्षेत्र के केवल दो सदस्य हैं और राज्य सभा में एक सदस्य है। पिछली बार भी मैंने तत्कालीन रेल मंत्री पासवान जी से दिफू से कारोंग और कारोंग से इम्फाल और आगे मोर्च (म्यांमार) तक रेलवे लाइन आरम्भ करने का अनुरोध किया था। महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण लाइन है। हम बड़ी लाइन की नहीं मीटर गेज लाइन की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वित्तीय खर्च भी ज्यादा नहीं है। हमारे अधिकारी हमेशा रेल लाइनों के संबंध में आर्थिक व्यवहार्यता की बातें करते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मेरे राज्य मणिपुर में इन 50 वर्षों में एक भी लाइन नहीं बिछाई गई है। महोदय, यदि हमने प्रतिवर्ष 2 किमी. रेलवे लाइन का भी निर्माण आरम्भ किया होता तो अब तक एक पूरी रेलवे लाइन का निर्माण हो गया होता। हम दीमापुर से जुड़ सकते थे जो कि इम्फाल से 130 किमी. दूर है।

महोदय, पिछले वर्ष के बजट कार्यक्रम में दिफू–कारोंग लाइन का कार्य शामिल था। इस वर्ष इस लाइन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में यह लाइन समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री का उत्तर सुनना चाहता हूं। महोदय, मैं इस समाप्त कर दी गई लाइन के कार्य के बारे में अपने लोगों को क्या उत्तर दूं।

निर्माणाधीन परियोजनाओं को क्यों समाप्त कर दिया गया है। महोदय, यह उस क्षेत्र की सामान्य रूप से और मणिपुर की विशेषरूप से घोर उपेक्षा है। जबकि लगभग 60% नवयुवक भूमिगत हो गए हैं, भारत सरकार का यह गैर–जिम्मेदाराना दृष्टिकोण वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, इस रेल बजट में मेरे राज्य को एक भी रुपया आबंटित नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर पुनर्विचार करने और निर्माणाधीन परियोजना अर्थात् दिफू–कारोंग लाइन को जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मेरे राज्य में लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कभी गाड़ी अथवा रेल लाइन तक नहीं देखी और उनमें से बहुत से लोग रेल लाइन अथवा रेलगाड़ी देखे बिना ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। मेरे राज्य में यह स्थिति है।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय रेल मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा था कि हमारी रेलें राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हैं।

मणिपुर एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। लेकिन मणिपुर में राष्ट्रीय एकता का यह प्रतीक आज भी विद्यमान नहीं है।

महोदय, हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट किए हैं और हम सभी यह जानते हैं कि परमाणु तैयार करने में कितनी लागत आती है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं। हम आर्थिक प्रतिबन्धों तक की परवाह नहीं करते। महोदय, रेल लाइन के मणिपुर तक विस्तार और इस पर कुछ करोड़ रुपये व्यय करने से निःसंदेह राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। राष्ट्रीय हित में यह कदम अवश्य उठाया जाना चाहिये। महोदय, मेरी रेल मंत्री से यह अपील है कि उन्हें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर आदि में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ठोस उपाय करने चाहिये। किराये में वृद्धि करने से पूर्वोत्तर के लोगों पर भी भार पड़ेगा। लेकिन इस क्षेत्र के लिये लगभग शून्य बजट प्रावधान किया गया है।

महोदय, भारत–म्यांमार सीमावर्ती व्यापार खोल दिया गया है।

[श्री था. चौबा सिंह]

यदि परिवहन के कुशल और सस्ते साधन उपलब्ध नहीं कराये जाते तो इस व्यापार का क्या अर्थ होगा। रेलवे परिवहन प्रणाली की सहायता के बिना यह व्यापार उतना फलीभूत नहीं हो सकेगा जितनी हम आशा कर रहे हैं। अतः मणिपुर में रेल लाइनों का बिछाया जाना अब वाणिज्यिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। इम्फाल तक और उसके बाद मोरीह तक रेलवे लाइन बिछाया जाना आज अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि खाद्यान्न, उपभोक्ता वस्तुएं, भवन सामग्री तथा उर्वरक आदि का आयात किया जाता है। रेल सेवाओं के अभाव में हम यातायात पर भारी राशि व्यय कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रकों पर निर्भर रहना पड़ता है।

महोदय, उग्रवाद की समस्या से कैसे निपटा जाए; और देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति किस तरह से कायम की जाये? महोदय, हम उग्रवाद आंदोलन को कुचलने और कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम रखने के लिए करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और सेना द्वारा उग्रवाद को दबाना कोई अंतिम हल नहीं होगा। अंतिम हल देश के विकास में है–देश में लोगों को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिगे और संचार के साधनों का विकास किया जाना चाहिये।

रेलवे के बिना विकास की गति धीमी रहेगी। रेल लाइनों के नेटवर्क के बिना देश का विकास किस प्रकार से हो, हमारे सामने यह प्रश्न है। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह बजट की समीक्षा करें और पहले से प्रस्तावित दीफू–कारोंग लाइन को इसमें शामिल करें। कृपया इस प्रस्तावित रेलवे लाइन के नौकरशाही द्वारा दिये गये आर्थिक व्यवहार्यता तर्क अथवा अन्यथा किसी तर्क को स्वीकार न करें। पूरे राष्ट्र को रेल लाइनों से जोड़ा जाना चाहिये। ऐसा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये किया जाना आवश्यक है। महोदय, चिर उपेक्षित रहने के बाद यदि हमारे युवा हमे छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना चाहेंगे–तो इस राष्ट्र का क्या होगा ?

अंत में मैं एक बार फिर रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह दीफू–कारोंग रेल लाइन को इस वर्ष के कार्यक्रम में एक विशेष मामले के रूप में शामिल करें।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी : (मोहनलालगंज) : मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने जो विभिन्न श्रेणियों में किराए में वृद्धि की है उसकी मार तो लोगों पर पड़ी है। आपने जो किराया बढ़ाया है वह तभी सार्थक सिद्ध होगा, जब आप उसके अनुसार सुविधा भी बढ़ाएं। रेलों में बिजली, पानी की सुविधा नहीं है, बाथरूमों में सफाई नहीं है और साथ ही अन्य भी कई सुविधाएं नहीं हैं। अगर ये सुविधाएं होंगी तो लोग बढ़ा हुआ किरांया भी बर्दाश्त कर लेंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि शताब्दी एक्सप्रेस के किराये में आपने वृद्धि कर दी है और शताब्दी एक्सप्रेस में खाने का पैसा किराए में ही कटता है।

लेकिन खाने की क्वालिटी दिन–पर–दिन गिरती चली जा रही है। आप एक तरफ किराया बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ खाने की क्वालिटी गिराते जा रहे हैं। अगर आप किराया बढ़ाते हैं तो इसकी क्वालिटी में भी वृद्धि करें तब हम आपकी इस बात को मान लेंगे।

जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि लखनऊ से देहरादून के लिए कोई ऐसी ट्रेन की व्यवस्था की जाए जो समय पर आए और जाए। जो हावड़ा–देहरादून एक्सप्रेस है वह डेली लेट होती है। अगर एक–दो दिन की बात होती तो शायद मैं आपसे न कहती लेकिन वह प्रतिदिन तीन–चार घंटे लेट होती है। जिस ट्रेन ने सुबह सात बजे देहरादून पहुंचना होता है, वह दोपहर में एक–दो बजे पहुंचती है। इसमें हमारा एक दिन बर्बाद हो जाता है और हम जिस काम पर जा रहे होते हैं, वह काम समय पर नहीं हो पाता है। दूसरी ट्रेन जनता है। आप इसमें ए. सी. डिब्बा लगाएं। उस ट्रेन का इतना बुरा हाल है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। उनके डिब्बों में लाइट नहीं रहती। एक बार मैं उसमें मजबूरी में सफर कर रही थी क्योंकि दून गाड़ी 4–5 घंटा लेट थी। मैं जिस डिब्बे में बैठी थी, उसमें एक महिला के सिर के नीचे से कोई पर्स लेकर भाग गया लेकिन अंधेरा होने की वजह से कोई उसे पकड़ नहीं सका। रोजमर्रा की जिन्दगी में जो समस्याएं आती हैं, अगर हम उन पर किराया वृद्धि के साथ–साथ थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो शायद हम लोगों को राहत महसूस होगी। जो आर्डिनरी फर्स्ट क्लास है, वह बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा सुझाव है कि उसको खत्म करके ए. सी. दो टायर और थ्री टायर के डिब्बे बढ़ा दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री राम नाईक : मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम नोट तो कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट क्लास कुछ लोगों के लिए दोबारा शुरू करने का इसलिए प्रयास हुआ कि ब्रोंकाइटिस के मरीजों को ए. सी. सूट नहीं करता। ऐसे लोग बड़े पैमाने में रहते हैं जो ए. सी. में जा नहीं सकते। उनको ए. सी. के कारण एलर्जी होती है। हमने ऐसे कुछ लोगों के लिए फर्स्ट क्लास दोबारा शुरू करने की सोची है लेकिन उसमें ज्यादा कम्पार्टमैंट्स नहीं रहेंगे। छः या आठ रहेंगे। मैंने यह बात इसलिए बतायी कि सदन को भी यह मालूम रहे कि फर्स्ट क्लास फिर से क्यों शुरू की गई ?

श्रीमती रीना चौधरी : यातायात बाजार में जो प्रतियोगिता थी, वह 1950–51 में क्रमशः 80 परसेंट थी। वह आज 40 से 20 परसैंट रह गई है। यह अच्छा संकेत नहीं है।

जब पासवान जी रेल मंत्री थे और हम आरक्षण के लिए

पत्र लिखते थे तो आरक्षण मिल जाता था। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूं, हो सकता है और भी लोग इस दौर से गुजरे हों कि जितने भी ऐसे पत्र भेजे जाते हैं, उनसे रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि आप कैसे सांसद हैं जब हमें आपके पत्र से रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : यह काफी महत्त्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी : अगर हम किसी व्यक्ति के रिजर्वेशन के लिए पत्र लिख कर भेजें तो इतनी सुविधा हो कि हमारे पत्र पर रिजर्वेशन हो जाए। पहले यह बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि सांसद जितने भी पत्र लिख कर भेजते थे, उन पर रिजर्वेशन कर दिया जाता था।

रेलवे भर्ती के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। रेलवे में जिस किसी की भर्ती की जाए, उसमें उपयुक्त उम्मीदवार का चयन हो। उस पर नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उसमें बेईमानी न हो, अयोग्य व्यक्ति न बैठ जाए। जो वास्तव में उसका हकदार है, वह न रह जाए, उसके लिए रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड टाइप का बोर्ड या समिति बना दें जो इसको देखे। योग्य व्यक्ति ही उस पद पर बैठना चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र की एक बात करना चाहूंगी। मेरे मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में दो जिले पड़ते हैं–एक लखनऊ और दूसरा उन्नाव। उन्नाव में दो विधान सभा आती हैं पूरवा और हसनगंज। पूरवा विधान सभा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां लोगों को आने–जाने के लिए रोडवेज की बसें तक उपलब्ध नहीं होती हैं। वहां जो बसें चलती थीं, उनको सरकार ने बंद कर दिया है।

वहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, कोई भी स्टेशन नहीं है। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाए तो वहां के लोगों को आवागमन में सुविधा हो जाएगी।

सभापति महोदय, इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, मंत्री जी उन पर कोई न कोई कार्रवाई अवश्य करेंगे, मैं आपको और मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर हैरानी हुई है कि रेल बजट में नागालैंड के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा गया है और यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार नागालैण्ड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप देख सकते हैं कि केबिनेट मंत्री, जो यहां अन्य राज्यों की समस्याएं सुन रहे थे, चले गये थे। अब यह वापस आ रहे हैं। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मेरी बात पर ध्यान दें क्योंकि नागालैण्ड की जनता के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है।

आज हम गोलियों की दनदनाहट से निकल कर यहां आये हैं। उग्रवादी लोग चुनावों का बहिष्कार करने की कोशिश करते रहे हैं और इसके बावजूद भी हम इस माननीय सभा में जनता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हुए हैं। हम यहां केवल अपनी बात कहने और फिर चले जाने के लिये नहीं आये। बल्कि हम भारत सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हम एक कार्यसूची के साथ यहां पर आये हैं जिस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिये और दुर्भाग्यवश जब इस बार के चुनाव का बहिष्कार किया गया था अथवा बहिष्कार का आह्वान किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने भी चुनाव का बहिष्कार करने में उनका साथ दिया था। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। तथापि हम यह समझते हैं कि चूंकि हमें मुख्यधारा में भेजा गया है, हमने इस विकल्प को अपनाते हुए अपना नामांकन भरा निर्वाचित हुए और अब हम इस माननीय सभा में अपनी बात कहना चाहते हैं।

जब मैंने यह कहा कि रेल बजट में नागालैण्ड के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा गया, उस समय मेरे मन में अंगूरी से तुली तक 17 किलोमीटर की दूरी तक के एक छोटे से रेल संपर्क की बात उठी थी जिसे लगभग एक दशक पूर्व आरम्भ किया गया था। इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसके जो भी कारण हैं, वे उन्हें भली–भांति ज्ञात हैं। उन्होंने इसे आरम्भ किया और दस किलोमीटर तक जाने के पश्चात् बंद कर दिया, यह मीटर आमान की लाइन है और शेष सात किलोमीटर लाइन को पूरा नहीं किया गया। अतः मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर विचार किया जाये क्योंकि यह लाइन एक अति महत्त्वपूर्ण कागज मिल को जोड़ती है और जो रेलवे लाइन मौजूद है, भारत सरकार ने 50 वर्षों में उसे मीटर आमान से बड़े आमान में बदला है। अतः पूर्वोत्तर में जिस तरह की स्थिति है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। मनोवृत्ति क्या है ? यह काफी महत्त्वपूर्ण बात है, पूर्वोत्तर का दौरा करने वाले प्रत्येक प्रधानमंत्री द्वारा अनेक पैकेजों की घोषणा की जाती रही है। लेकिन जब इस पर अमल करने की बात आती है जब विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क किया जाता है, तो यह उत्तर मिलता है कि धनराशि आबंटित नहीं की गई।

अतः, मेरे विचार से इस मामले पर अत्यंत गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना है, क्योंकि हमारा दीमापुर में एक रेल मुख्यालय है। दीमापुर के अंतर्गत नागालैंड का लगभग पांच किलोमीटर क्षेत्र शामिल है जो इसकी एक पट्टी है। अगले दिन जब मैं मुख्य सचेतक को अपना नाम इस सूची में शामिल करने के लिए कह रहा था, तो वह मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि नागालैंड में रेल सम्पर्क है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यह महत्त्वपूर्ण है। दीमापुर के इस रेल मुख्यालय के अंतर्गत

[श्री के. ए. सांगतम]

मणिपुर, असम का कुछ क्षेत्र और पूरा नागालैंड आता है।

फिर भी एक समस्या है। दो टिकट काउंटर हैं, जिनमें से एक दीमापुर में और दूसरा कोहिमा में है। बलपूर्वक पैसा वसूल करने की वजह से, बुकिंग काउंटर नौ बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलता है। तत्पश्चात् टिकट क्लर्क धनराशि खजाने में जमा कराने जाते हैं। दुर्भाग्यवश यह टिकट घर गुवाहाटी और तत्पश्चात् कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। सामान्यतया कलकत्ता माइक्रोवेव सिस्टम दीमापुर बुकिंग काउंटर बंद हो जाने के बाद कार्य करना आरम्भ करता है। नागालैंड के लोगों को गुवाहाटी बुकिंग केन्द्रों से टिकटें ब्लैक में लेने पर मजबूर होना पड़ता है और इससे लोगों को भारी असुविधा होती है। जो लोग राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्हें अत्यधिक परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि उन्हें गुवाहाटी के लिए रात्रि में सुपर बस पकड़नी और सुबह उन्हें ब्लैक में टिकटें लेने के लिए किसी एजेंट को खोजना पड़ता है। उन्हें अगले दिन सुबह राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए पूरा एक दिन और एक रात का समय बर्बाद करना पड़ता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से नागालैंड आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यदि हमें इन लोगों को किसी तरह की रियायत प्रदान करनी है, तो हम दीमापुर से दिल्ली के लिए रजधानी एक्सप्रेस रेल सेवा को सप्ताह में एक बार के बजाय बढ़ा कर तीन बार क्यों नहीं कर देते। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से दीमापुर और नागालैंड के आसपास बड़ी संख्या में सेना तैनात है। इनमें से अधिकत जवान जब छुट्टी पर जाते हैं, तो सारी सीटें बुक करा लेते हैं। अतः, इनमें से अधिकांश सीटें आम आदमी को उपलब्ध नहीं होती। अतः जनता असहाय है। सीटों की पूरी बुकिंग अग्रिम रूप में की जाती है क्योंकि उनकी छुट्टी की व्यवस्था काफी समय पहले हो जाती है। टिकट घरों का नियंत्रण कलकत्ता माइक्रोवेव से किया जाता है। वे इनका संचालन इस ढंग से करते हैं कि उन्हें अपना अतिरिक्त कोटा मिल जाता है। उनका गुवाहाटी कार्यालय के साथ सम्पर्क है और जब गुवाहाटी टिकट घर इसे अवरुद्ध कर देता है, तो वे इसे कम्प्यूटर में नहीं दिखा पाते हैं। मैंने भी इस समस्या का व्यक्ति रूप से सामना किया है। मैं काउंटर पर गया और टिकट क्लर्क से एक टिकट मांगा। मुझे एक टिकट लेने के लिए कई दिन तक इंतजार करना पड़ा था। टिकट क्लर्क ने मुझे बताया कि कोहिमा टिकट काउंटर खुला रखे जाने के दौरान कलकत्ता से नियंत्रित होने वाला सिस्टम लाइन पर नहीं आता। अतः, लोग ट्रेवल एजेंटों की कृपादृष्टि पर आश्रित हैं और उन्हें टिकट किराये की कीमत से दोगुनी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। मेरे विचार से यही उचित समय है, जब भारत सरकार को इस समस्या की गम्भीरता से जांच करनी चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं। असम और नागालैंड के बीच एक तलहटी क्षेत्र है, जिसमें नागालैंड लगभग 1/5 हिस्सा आता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मोन जिले में दीमापुर से तिजित तक बड़ी लाइन बिछाई जाए। इससे लौंगनक स्थित बोरजन कोयला खान से निकाले जाने वाले कोयले की ढुलाई में सहायता मिलेगी। तलहटी क्षेत्र के लोग कृषक हैं। वे अपने उत्पादों को देश के अन्य भागों में बेच सकेंगे।

असम के सिमूलगिरी से नागालैंड के बोरजन तक लगभग 20 किलोमीटर लम्बा रेल मार्ग है। यह उपेक्षित पड़ा है और इसका परित्याग कर दिया गया है। मेरे विचार से, इसे पुनः चालू किया जाना चाहिए। वहां कोयला खान है। भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वहां उपलब्ध कोयला बहुत अच्छी किस्म का है। इसके अतिरिक्त, यदि भारत सरकार विद्रोही समूहों के साथ वार्ता करने की कोशिश कर रही है और यदि शान्ति बहाल हो जाती है, तो इससे भारी आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा के बारे में मणिपुर से आए मेरे मित्र ने जो कहा है, उसकी पुष्टि करना चाहता हूं। मेरे विचार से उन्होंने जो कहा है, वह सही है। ये दोनों राज्य भूमिगत गतिविधियों से ग्रस्त हैं और इस विषय पर अलग–अलग दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। एक बार हम इन दो राज्यों को रेल–सड़क मार्ग से जोड़ दें, तो अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है और अधिक लोग अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला और ले जा सकते हैं।

अन्त में, यदि भारत सरकार और रेल मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान देने के प्रति गम्भीर है, तो मेरे विचार से रेल बजट में अतिरिक्त किराया लादने के बजाय सिलीगुड़ी से तिनसुखिया के टिकट किराये को कम करके उसे सामान्य दर पर लाया जाना चाहिए। हमारी आय बहुत कम है और यदि हमें कम आय वर्ग के लोगों की सहायता करनी है, तो रेल मंत्रालय को इस समस्या की गम्भीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए।

मैं अन्तिम बार यह कहना चाहता हूं कि दीमापुर स्थित रेलवे स्टेशन का यात्रियों के लिए विश्रामकक्ष के रूप में उपयोग किया जा रहा है। प्लेटफार्म के साथ–साथ आप हजारों यात्रियों को सोते हुए पाएंगे। अनेक बार जब इसके कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि क्योंकि गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं, अतः उन्होंने प्लेटफार्म पर सोने का निर्णय किया है। यदि मंत्रालय इस मामले पर कार्यवाही कर सकता है और समुचित प्रतीक्षालय बना सकता है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। उसे रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना चाहिए और वहां सफाई की बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः, मेरा विचार है कि रेलवे स्टेशन पर बेहतर सफाई और

पर्याप्त संख्या में प्रतीक्षालय होने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। *[हिन्दी]*

श्री अनूप लाल यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि सदन को आप रात 9 बजे तक चलाएंगे और काफी अधिक समय तक चल भी चुका है। हमारे बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो थक चुके हैं। मैं आज धर्म संकट में पड़ गया हूं। धर्म संकट इसलिए है क्योंकि रेल मंत्री बिहार के हैं। बिहार के होने के साथ–साथ हमारे और आपके निकट सहयोगी रहे हैं, एक दल में रहे हैं, एक साथ रहे हैं, मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनसे मुझे और बिहारवासियों को बड़ी उम्मीदें थीं। सभापति महोदय, नीतीश बाबू हमारे एक अच्छे कर्मठ, समझदार और भारत के लिए चिन्ता करने वाले और खासकर बिहार के लिए चिन्तित व्यक्ति हैं। ये जो बजट पेश करेंगे उसके आइने में बिहार की जनता अपना चेहरा देख सकेगी ऐसी हमें आशा थी, लेकिन वैसा नहीं हो सका।

सभापति महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ बिहार के बारे में कहूंगा, बाकी भारत के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। हम लोग आजादी के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में रेलवे में जो स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन मैं किसको दोष दूं और किसको दोष न दूं, मैं अब उस बात पर नहीं जाना चाहता हू।

सभापति महोदय : आप सीधे रेल पर आइए।

श्री अनूप लाल यादव : रेल पर ही आ रहा हूं, लेकिन पहले थोड़ी भूमिका बांध रहा हूं। भूमिका बांधने से संगीत रोचक हो जाता है। हम लोग नए–नए लोक सभा में जीतकर आए हैं। विधान सभा में तो बहुत समय तक रहे हैं। मेरा बिहार के बारे में एक सुझाव है। हमारे रेल मंत्री जी उत्तरी बिहार गए हैं और उन्होंने उसे देखा है। हमारा क्षेत्र नेपाल के बार्डर तक बसा है। नेपाल और बिहार की सीमा बीरपुर तक लगी हुई है। हमारे रेल मंत्री जी जानते हैं कि कोसी नदी की विभीषिका इतनी विशाल है कि वह सहरसा कमिश्नरी से पूर्णिया कमिश्नरी तक, यानी उत्तर से पूर्व तक के क्षेत्र को क्षत–विक्षत कर देती है। पहले मानसी से सहरसा होते हुए, अंग्रेजों के समय में रेल लाइन चलती थी और वैसे ही फोरबीस गंज जाती थी और फिर मानसी, सहरसा होते हुए कटिहार तक जाती थी। जोगबनी होते हुए नेपाल बार्डर तक जाती थी और उसी के साथ–साथ दरभंगा होते हुए मबहियाही तक गई थी जिसे पहले सरायगढ़ कहा जाता है। यह सारी रेल लाइन पहले थी। इसमें एक इंच का भी इजाफा मंत्री महोदय ने नहीं किया है। आपने एक भी नई रेल लाइन नहीं बनाई। आपने संसाधन जुटाने के लिए गरीबों पर बोझ डालने का काम किया है। यह ठीक है कि द्वितीय श्रेणी में आपने 50 किलोमीटर तक सिर्फ एक रुपया ही बढ़ाया है, लेकिन माल भाड़े में और अन्य सामान में तथा दूर तक जाने वाले यात्रियों पर आपने किराया बढ़ाकर बोझ डालने का काम किया है।

सभापति जी, मंत्री जी गये हैं। जो रेल लाइन है, राजधानी एक्सप्रेस से हम पटना से चलते जाते हैं। जब से हम एम. पी. बने हैं तब से हमारा राजधानी में बड़ा मन लगता है। जब हम पटना जंक्शन उतरते हैं तो हम अपना माथा ठोक लेते हैं क्योंकि सुबह पांच या छः बजे वह ट्रेन उतारती है और गंगा के उस पार जाने वालों के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। दिन भर तपस्या करते रहते हैं। उसके बाद मानसी जाने के लिए, खगड़िया जाने के लिए कोई ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। वहां जाने के लिए रात में गाड़ी चलती है जिसको कैपिटल कहते हैं जो दानापुर से कटिहार जाती है। उसका रात को चलने का टाइम 10.40 है लेकिन वह 12 बजे से पहले कभी नहीं खुलती। उसका मानसी पहुंचाने का कोई टाइम नहीं है वह एक्सप्रेस ट्रेन है और एक्सप्रैस का ही भाड़ा लगता है लेकिन वह कछुवे की गति से चलती है जब मर्जी पहुंचा दे। मैं मंत्री जी से मिलकर कह रहा था कि आप टाइम टेबल तो ठीक करिये।

सभापति जी, जब हम सुबह मानसी खगाड़िया पहुंचे तो फारविसगंज, कटिहार और सहरसा जाने के लिए कोई भी ट्रेन मेल नहीं खाती। आप सोच सकते हैं कि क्या विपत्ति है इस पर आपको गंभीरता से सोचना होगा। इन्होंने एक काम जरूर किया, जिसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। पूरे मन से न देकर आधे मन से देता हूं क्योंकि मानसी से सहरसा...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आप बुजुर्ग हैं इसलिए पूरे मन से दे दीजिए।

श्री अनूप लाल यादव : मैंने मानसी से सहरसा बड़ी लाईन बनाने में टाइम बाउंड कहा है। मैंने उसे देखा है हमारे यहां रेलवे की बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले आये थे। मैंने कहा कि आप बजट को देखिये कि क्या बजट है। वह बहुत एक्सपर्ट आदमी था। हम लोग खुद न पढ़कर दूसरों को कह देते हैं कि वे नोट करें। उन्होंने कहा कि इस बजट में तो आपके लिए कुछ नहीं है। मैं नीतीश जी से कह रहा था कि आप उत्तर बिहार का भी ख्याल करें। आप खुद उस ट्रेन में गये हैं, उस ट्रेन की जो दशा है वह आप जानते होंगे। यदि आप ट्रेन में लैट्रिन जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपका कपड़ा गीला हुए बिना नहीं बचेगा। सारा पानी ऊपर से गिरता रहता है। आपने देखा होगा दानापुर से कटिहार, पटना से कटिहार जो गाड़ी जाती है उसमें कभी–कभी ए. सी. डिब्बा लगा देते हैं, लेकिन वह इतना खराब है कि उस डिब्बे में बैठने की बजाय हम सैकिंड क्लास या थ्री टीयर में चले जाते हैं। यह उस डिब्बे की हालत है। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस पर आप गंभीरता से ध्यान दीजिए। इसके साथ मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मानसी से सहरसा जाने के लिए आप गाड़ी को टाइम बाउंड

[श्री अनूप लाल यादव]

कीजिए, नहीं तो आपका खर्चा होता रहेगा। फिर चार–पांच वर्ष बाद आप कहेंगे कि हम पूरा करेंगे लेकिन तब तक तो कितने लोग इस दुनिया से विदा हो जायेंगे। इसकी दूरी 50–60 किलोमीटर से अधिक नहीं है, यह बहुत कम दूरी है। यह पुरानी रेल लाइन है, इसका आप ब्रॉड गेज में परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सहरसा से फारबिसगंज फिर सहरसा से मधेपुरा होते हुए कटिहार बड़ी लाइन में परिवर्तन कराने का काम कीजिए। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए आप सर्वे कराइये। एक सर्वेक्षण कराने के लिए हमने कहा था, इनको मेरी चिट्ठी मिली या नहीं इसके बारे में मैं नहीं जानता। मैंने कहा कि निर्मल्ली एक स्टेशन है, इसको आप भी कि वह एक सब–डिवीजन है। वह सुपौल–सहरसा का ला सुपौल है। निर्मल्ली स्टेशन से 15 किलोमीटर आप भवातहाई को जोड़ने के लिए आप कम से कम सर्वेक्षण तो कराइये। मैं मंत्री जी आपको जानकारी देता हूं...*(व्यवधान)* निर्मल्ली स्टेशन पर विभाग के कुछ लोग सर्वेक्षण के लिए गए। यदि आज यहां माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान होते तो अच्छा होता। लेकिन वह यहां नहीं हैं। इन्होंने घोषणा की...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मंत्री जी को कहिये कि वे मेरी बातों को नोट कर लें। वहां पर इनकी एक टीम गई थी, आप इसे जरा गौर से सुन लीजिए। निर्मल्ली स्टेशन को आप भी जानते हैं, यह सुपौल जिला है, यह उसका एक सब–डिवीजनल हैडक्वार्टर है।

वहां पर रेलवे स्टेशन भी है। उस स्टेशन पर शायद हमारे मंत्री जी और आप तो जरूर गए होंगे। उसकी दशा के बारे में मैं नहीं कहूंगा। वहां इनकी सर्वेक्षण की टीम गई थी क्योंकि श्री पासवान ने ऐलान किया था कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम सर्वेक्षण करा देते हैं। भवतिहाई, पुरानी रेल लाइन है, वह कोसी में बर्बाद हुई है, मैं उसे एक इंच भी इधर–उधर बढ़ाने की सलाह नहीं देता, कम से कम पुरानी लाइन को जोड़ने का काम तो करें। जब ये रेल मंत्री बने थे तो वहां की 25–26 लाख की जनता खुशी से नाचने लगी थी। हमसे तो वे कहते हैं कि ये आपके अच्छे मित्र रहे हैं, वर्षों तक आप एक साथ रहे हैं, एक पार्टी में रहे हैं, एक नेता श्री कर्पूरी ठाकुर, जो आज स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी छत्रछाया में रहे हैं। उत्तर बिहार के लोग बहुत आशा रखते हैं। यदि सर्वेक्षण का काम शुरू कर देते हैं रेल लाइन बिछा देते हैं तो आप अमरत्व को प्राप्त करेंगे, अमरनाथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। निर्मली से भवतिहाई पुरानी रेल लाइन है। उसका सर्वेक्षण कराइए क्योंकि बीच में 13–14 किलोमीटर का दोनों तरफ बांध है। कोसी होकर आती है, इन्वैस्टीगेशन से पता चला जाएगा कि इनको कितनी दूर तक ब्रिज बनाना पड़ेगा, ज्यादा दूर तक नहीं बनाना पड़ेगा, इंजीनियर जाएंगे, कोई एडवांस प्लानिंग देंगे और सर्वेक्षण होगा। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इस काम को सर्वेक्षण के लिए शुरू करवाइए और उसे भी टाइम बाउंड कीजिए।

सहरसा के बारे में एक और निवेदन करते हैं। आप सहरसा गए हैं, ये भी गए हैं। वहां पर क्रासिंग नहीं है, सिर्फ स्टेशन पर ही ऊपरी पुल दे दिया गया है। लेकिन जहां रोड है, वहां पर आधे–पौने घंटे तक इधर से उधर गाड़ी जाती रहती है। हमें लगता है कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को जल्दी से जाना हो तो वह वहीं पर दम तोड़ देता है। इसलिए मैं कहूंगा, ललित बाबू थे। ये उनके विरोधी थे, हम भी विरोधी थे।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप जानते ही होंगे, रोड ओवर ब्रिज के लिए राज्य सरकार को आधा खर्चा देना पड़ता है। जमीन और उसका ऐप्रोच देकर उसे बनाना पड़ता है। रेल लाइन के ऊपर का पुल रेलवे बनाती है। यदि आप राज्य सरकार से वह धन दिलवा दें, वहां से प्रस्ताव भिजवा दें तो हम निश्चित रूप से कम से कम समय में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अनूप लाल यादव : मैं इस बात को जानता हूं। समस्तीपुर के ऊपरी पुल बनाने में मेरा उद्घाटन किया हुआ है। उस समय मैं पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर था, आप भी इस बात को जानते हैं। इसलिए हमें यह मत कहिए कि आधा सरकार और आधा भारत सरकार देगी। सरकार आप हैं, आप उनसे बात कीजिए, मैं भी आपको सहयोग करूंगा, वे आपके अच्छे मित्र रहे हैं, आप ही के मुख्य मंत्री हैं। आप इस बारे में जरा गंभीरता से सोचिए।

श्री नीतीश कुमार : अभी जो मुख्य मंत्री हैं, वे हमारे मित्र नहीं हैं।

श्री अनूप लाल यादव : आप वहां की जनता के हृदय को छूने का काम कीजिए, आपको बहुत यश मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, आप तो काम करने वाले लोग हैं।...*(व्यवधान)* रेल बजट का जब उत्तर देने लगें तो उस पर जरूर बताने की कृपा करेंगे।

एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। ललित बाबू का नाम मैंने लिया था, स्वर्गीय ललित बाबू रेल मंत्री थे, मैंने उनको पत्र लिखा था और उस पत्र का उन्होंने जवाब दिया था। पत्र में मैंने लिखा कि मधेपुरा से सिंहेश्वर एक धार्मिक स्थान है, ये भी जानते हैं और उसी सिंहेश्वर से त्रिवेणीगंज, प्रतापगंज से होकर ललितग्राम तक जो गाड़ी जाती है, एक लाइन उन्होंने बिछाने का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, वह शायद रिकार्ड में जरूर होगा। सिंहेश्वर तक स्वीकृत भी हो गया था, लेकिन उसकी दूरी पांच किलोमीटर की है, उसकी उपयोगिता रेल विभाग को सूट नहीं की, उनको अच्छा नहीं लगा, इसकी उपयोगिता नहीं है। ललित बाबू धार्मिक आदमी थे और हमारे अभी जो रेल मंत्री हैं, ये भी शायद उसी जमात में हैं, जिसके चलते इन्होंने रेल बजट बनाया है। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि अब इस काम को कर दें। वे बेचारे तो चले गये हैं, आप वहां मधेपुरा से सिंहेश्वर, सिंहेश्वर होते हुए त्रिवेणीगंज, त्रिवेणीगंज से...*(व्यवधान)* क्या कह रहे हैं ? हां, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। फिर से उस सर्वेक्षण के काम को निकाला जाये और नई रेल लाइन

से उसको जोड़ दिया जाये, बस इतना ही है। हमारा एक मुख्य काम वही था। सभापति जी, इसको आप भी जोर दीजिए, चेयर को बहुत अधिकार हैं। यह सर्वेक्षण करने का मैं बार–बार जोर देता हूं, जो निर्मल्ली से भटियाही करीब–करीब 15 किलोमीटर है से वहां बांधने के अन्दर है, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं है। अगर यह रेल लाइन बिछ जाती है तो लोगों को आने–जाने की पूरी सुविधा हो जायेगी। अभी आपको मालूम है कि नेपाल होकर हम लोग जाते हैं, आप जानते हैं।

जरा सा एकाध मिनट और कहने दीजिए। किसलिए खटपट करते हैं, नौ बजे तक तो समय है ही।

सभापति महोदय : और बहुत सदस्य हैं। एकदम कंक्रीट सजेशन दीजिए।

श्री अनूप लाल यादव : नीतीश बाबू भी जानते हैं। ये भी जब सहरसा से चलेंगे तो बीरपुर नेपाल होकर चले जायेंगे, तब फिर हम लोग निर्मल्ली आयेंगे। हमारा कभी–कभी नेपाल से जो झगड़ा हो जाता है तो समझ लीजिए, वह तो बैराज है, वह तो भारत सरकार का बनाया हुआ है, लेकिन उस पर आप रात 10 बजे नहीं जा सकते हैं, वह फाटक बन्द कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि सदन इस पर विचार करे और खासकर मैं नीतीश बाबू से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उसका सर्वे वाला काम एक तो निर्मल्ली से भटियाही और दूसरा मधुपुरा से सिंहेश्वर त्रिवेणीगंज दीजिए। सिंहेश्वर से प्रतापगंज को जोड़कर और यहां से सहरसा तक जो ब्राडगेज लाइन ले जा रहे हैं, उसको फारविशगंज और फिर कटिहार से मिला दीजिए तो उत्तरी बिहार की जनता, गंगा के उस पार की जनता आपसे मांग करती है। हमसे कहा, हम तो मारे जा रहे हैं न। नीतीश बाबू आपके अच्छे मित्र रहे हैं, एक साथ एक दल में रहे हैं, आपकी बात जरूर मान लेंगे। इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद जरूर देता हूं, चूंकि मानसी से सहरसा इन्होंने बड़ी लाइन में, ब्राडगेज में खिसकाने का काम किया है, यह अच्छी बात है, उसी को थोड़ा और बढ़ा दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जयहिन्द।

श्री किशनलाल दिलेर (हाथरस) : सभापति महोदय, बिहार के मंत्री हैं, बिहार के ही आप हैं और बिहार में ही टाइम खत्म हो गया।

श्री लाल बिहारी तिवारी : सभापति महोदय, देश में परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई को हुए, जिसकी सराहना पूरे देश में हुई, लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों ने उस देश की खुशी को सारे देश फैलाने की कोशिश की कि जो अगला बजट आयेगा, उस पर आम जनता पर बहुत बोझ पड़ने वाला है। परन्तु मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आम बजट भी एक जून को पेश हो गया है।

रात्रि 8.55 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

इन दोनों बजटों ने हमारे विपक्ष के मित्रों की जो धारणाएं थीं, उनको निरस्त कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने देश के सामने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही संतुलित बजट है।

इसमें देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखा गया है। यह पहली बार इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस बारे में वही आदमी सोच सकता है जो उन रास्तों से गुजरा हो। नीतीश बाबू ने समाज के गरीब वर्ग का ध्यान रखा है। इन्होंने जो जूता पालिश करता है, जो लाइसेंसशुदा पोर्टर है, उसको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का पहली बार प्रावधान किया है। यह चीज दर्शाती है कि यह सरकार गरीबों की हितैषी है और उनके कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। जैसा बताया गया कि स्टेशन से गाड़ी छूट जाए और हमें पैसा लेना हो तो हमें दूर जाना पड़ता था। अब यह व्यवस्था की गई है कि टिकट दिखाओ और अपना पैसा पाओ। यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है। एक संतुलित बजट पेश किया गया है। लेकिन मैं प्लेटफार्म टिकट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर लाखों लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर रह रहे हैं। आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति गाड़ी से अपने गांव जाता है तो स्टेशन पर उसे विदा करने 15–20 लोग आते हैं। अगर प्लेटफार्म टिकट का दाम बढ़ा दिया गया तो इससे इन लोगों को धक्का लगेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सम्भव हो तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए। रेल मंत्री जी ने रेल व्यवस्था के सुधार के लिए दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां चलाने का प्रयास किया है। आजादी के 50 साल बाद आप देखें कि आज भी जनरल कम्पार्टमेंट में लोग बुरी तरह से भरे होते हैं। उन्हें टिकट के बदले बैठने का स्थान भी नहीं मिल पाता। माननीय मंत्री जी ने जैसे और डिब्बे बढ़ाने का काम हाथ में लिया है और बजट को भी बढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हमारा वह गरीब यात्री भी सीट पा सकेगा और ट्रेन में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं जाएगा।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली की कुछ चीजों की ओर संक्षेप में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1960 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबादी लगभग 20 लाख थी, लेकिन आज यह एक करोड़ से अधिक हो गई है। मेरे लोक सभा क्षेत्र की आबादी ही करीब 36 लाख है। वहां पर केवल दो रेलवे स्टेशन शाहदरा और आनंद विहार हैं। मैंने रेल मंत्री जी से मिलकर निवेदन किया था कि सीलमपुर–गांधीनगर, नंदनगरी–शकरपुर और प्रीत विहार ये तीन रेलवे स्टेशन बनाए जाएं। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि आपने विश्वास दिलाया है कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ सफलता

[श्री लाल बहादुर तिवारी]

उस क्षेत्र के लोगों को जरूर मिलेगी। स्वतंत्र नगर से नरेला पहुंचने के लिए एक छोटे पुल की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे बनाने के लिए आप पहल करेंगे और शीघ्र ही इसको कराएंगे। बादली रेलवे स्टेशन के पास एक कालोनी है, उसमें पीने के पानी के लिए पाइप डालनी पड़ती है। वह पैसा दिल्ली राज्य देता है, लेकिन उसको एन. ओ. सी. नहीं मिली है। सालों से मामला लटका हुआ है। आपने कहा है कि राज्य सरकार व्यय करने को तैयार है तो एन. ओ. सी. देने में समय नहीं लगेगा। अगर [illegible] कर देंगे तो वहां के गरीब लोग पाइप डालकर पानी पी [illegible]मारे यहां टू के. डी. एम. पैसेंजर गाड़ी चलती है, उसमें [illegible]रिक्त डिब्बे लगाने की बात कही गई है, अगर उसे कुरुक्षेत्र के बजाए पानीपत से चलाया जाए तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा। भटिंडा एक्सप्रेस जो फ्लाइंगमेल चलती है उसका स्टाप नरेला स्टेशन पर अप और डाउन दोनों होना चाहिए। इससे लोगों को आने–जाने में परेशानी नहीं होगी।

नरेला स्टेशन बहुत पुराना है और कच्चा बना हुआ है। जब बारिश होती है तो घुटने–घुटने पानी भर जाता है इसलिए इसको पक्का करने में भी आपका सहयोग जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस तरफ ध्यान दिया जाएगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड के ऊपर देखरेख करने के लिए जो आपने प्रावधान किया है, मैं समझता हूं कि ऐसा पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया था। इस अच्छी धारणा को देश के लोगों के सामने लाकर आपने प्रशंसनीय काम किया है। इससे पारदर्शिता आएगी और लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा।

रात्रि 9.00 बजे

आजादपुर मंडी स्टेशन पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में झुग्गियां पड़ती है। रेलवे बुकिंग आफिस शालीमार बाग में है। यदि यहां पर ओवर ब्रिज बन जाए या बुकिंग आफिस को इधर लाया जाए, तो सुविधा हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो गाड़ियां पंजाब की तरफ जाती हैं, वे पुरानी सब्जी मंडी रोशनारा रोड रुकती हैं, आजादपुर मंडी पर नहीं रुकती हैं। इससे वहां के लोगों को लाभ नहीं होता है। मुझे उम्मीद है, मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

महोदय, दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास हजारों झुग्गियां हैं, जहां आए दिन आग लगती रहती है, प्रदूषण फैलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जायें। मंत्री महोदय ने बेरोजगारों के साक्षात्कार के लिए द्वितीय श्रेणी में पूर्ण रियायत देने का जो कदम उठाया है, उसकी प्रशंसा किए बगैर कोई नहीं रह सकता है। इससे बेरोजगार लोगों को बहुत फायदा होगा। दिल्ली की आबादी को देखते हुए, दिल्ली में मैट्रो रेल निगम तकनीकी विभाग स्थापित करने की बात कही गई है। लेकिन मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से इसमें कितना अंशदान होगा, जिससे यह काम आगे बढ़ सके। मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने 1998–99 की रिपोर्ट इस काम के लिए काफी बजट अंशदान के रूप में दिया है 102.81 करोड़ रुपए जमीन के अधिग्रहण के लिए, 86.9 लाख योजना पर खर्च करने के लिए दिए हैं। कुल राशि 236.20 करोड़ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार की तरफ से कितना अंशदान दिया गया है ?

चार महानगरों के बीच चलने वाली 20 शताब्दी एक्सप्रेस व सुपरफास्ट गाड़ियों में तत्काल बुकिंग की सुविधा एक प्रशंसनीय कदम है। इससे अचानक जाने वाले यात्रियों को 24 घंटे में परिचय–पत्र दिखाकर बुकिंग की सुविधा प्राप्त करने की जो योजना बनायी है उससे निश्चित ही फायदा होने वाला है। बजट में खाद्यान्न, नमक, खाद्य तेल, गैस आदि वस्तुओं में कोई माल–भाड़े में वृद्धि नहीं की गई है। इससे लगता है कि माननीय मंत्री जी को गरीबों की चिन्ता है। यह कदम निश्चित ही गरीबों के हित में है। देश में अनेक स्थानों पर रेल ब्रिज की आवश्यकता है। इनके न होने पर लोगों को फाटक पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। राज्य सरकार इसके लिए पैसा देने को तैयार है जिससे इन स्थलों पर ओवर–ब्रिज बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि अगर इसमें एन. ओ. सी. देने की सुविधा को तेज किया जाए तो इससे समस्या का समाधान भी आसानी से हो सकता है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार का गठन हुआ है जो सबकी आशाओं के अनुरूप काम करेगी। इस मौके पर दो पंक्तियां कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा–

"हिम मेघों ने रवि–कार्य में विघ्न नहीं क्या–क्या किये।
किन्तु आप ही मर मिटे, उनका क्या कुछ कर लिये।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सभा की आगे बैठक चलानी है, तो हमें समय बढ़ाना पड़ेगा। तत्पश्चात् दो अथवा तीन सदस्य, जो यहां बैठे हैं, बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदय, अच्छा तो यह होगा कि जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उनको सोमवार को पहले बोलने का मौका दिया जाए क्योंकि ये इतने समय तक रुके हैं। मुझे लगता है कि उनको पहले अवसर देने से उन सदस्यों को लाभ होगा।

सभापति महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यहां बैठकर एक बार बताया था कि नौ बजे के बाद यदि बैठेंगे, तो सदस्यों

के लिए ही नहीं बल्कि स्टाफ के लिए भी खाने का प्रबंध किया जाता था। अब की बार नहीं किया है खासकर स्टाफ के लिए। सोमवार को तो बहुत देर बैठना ही है।

श्री नीतीश कुमार : सोमवार को देर तक बैठने वाले हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, अच्छा यह होगा कि अभी जो यहां बैठे हैं उनको सोमवार को पहले बोलने के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि ये जो इतना समय यहां रुके हैं उसका भी इन्हें लाभ होगा ओर मुझे लगता है कि जिन्होंने भाषण सुने हैं उनको भी लाभ होगा।

सभापति महोदय : ऐसा है पहले अगर नौ बजे के बाद हाउस बैठता था तो मेम्बर्स और स्टाफ के लिए खाने का प्रबंध किया जाता था लेकिन इस बार नहीं किया, मैं खास करके स्टाफ के लिए कह रहा हूं। सोमवार को तो हमें बहुत देर तक बैठना पड़ेगा।

श्री राम नाईक : पहले यह बताया गया था कि आठ बजे तक होगा, अब सोमवार को तो पूरी रात काम करना है!

श्री नीतीश कुमार : नहीं, पूरी रात नहीं, देर रात तक होगा।

श्री राम नाईक : उस दिन पूरी रात होने वाला है, आप चिन्ता मत कीजिए।

सभापति महोदय : आप चिन्ता मत कीजिए, सारे मेम्बर्स हल्ला करेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, अगर पूरी रात चले तो रात को ही मुझे जवाब देने का मौका मिले।

सभापति महोदय : नीतीश जी, आप तो नये मेम्बर नहीं हैं, बहुत सीनियर हैं। पी. सी. चाक्को जी ने सुबह के आठ बजे तक बैठ कर रिकार्ड तोड़ा था, इसलिए मेम्बर्स के मूड पर होगा।

[अनुवाद]

हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम इस कार्य को रात्रि में ही निपटा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम जवाब देने को तैयार रहेंगे।

सभापति महोदय : हम जवाब दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे।

श्री राम नाईक : आज के बदले हम सोमवार को भोजन देंगे।

सभापति महोदय : आप भोजन का प्रबंध स्टाफ और सभी के लिए करें।

[अनुवाद]

जो सदस्य इस समय यहां उपस्थित हैं, उन्हें सोमवार को पहले बोलने का अवसर दिया जाएगा। कृपया इस बात का ध्यान रखिए। स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए।

कृपया जो सदस्य इस समय यहां उपस्थित हैं, उनका ध्यान रखिए।

सभा सोमवार, 8 जून को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 जून, 1998/18 ज्येष्ठ, 1920 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।